प्रकाशक
नारायण दत्त सहगल एण्ड सन्ज
दरीबा कलाँ, दिल्ली


प्रथम संस्करण
सन् १९५७

मूल्य ६ रुपये

मुद्रक
हिन्दी प्रिंटिंग प्रेस,
क्वीन्स रोड, दिल्ली
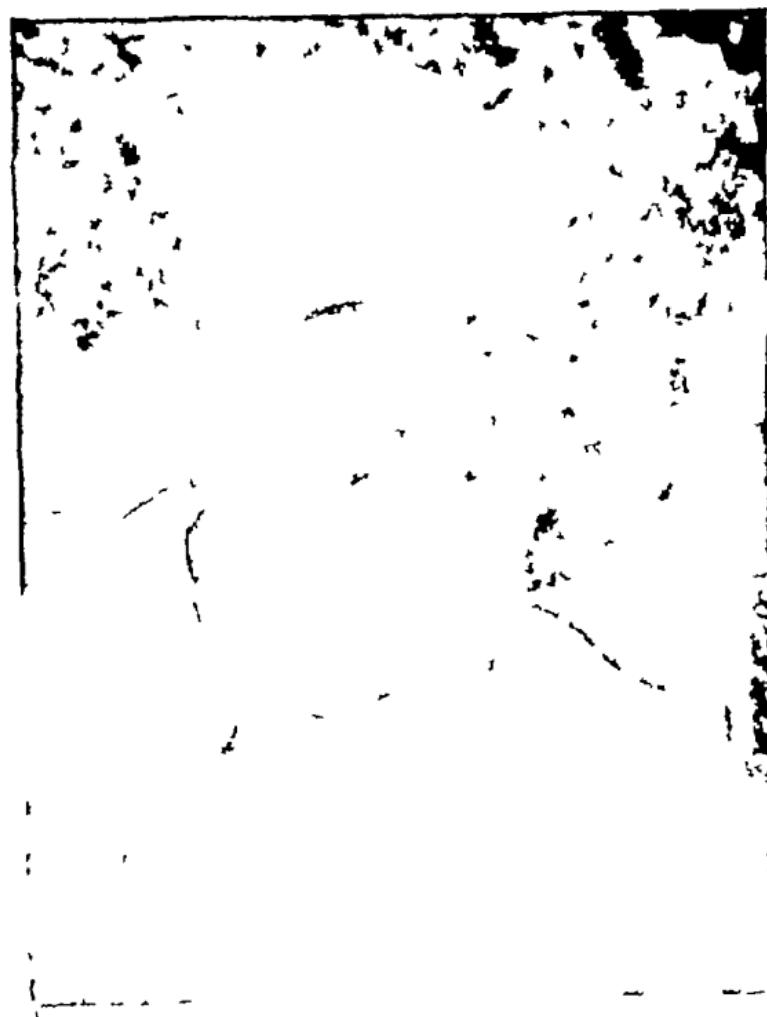
BACHA KHAN [FARIG BUKHARI

मोमिन है, तो बेतेग भी लडता है सिपाही !

ग्राय—ग्रत्याचार, ग्रन्याय ग्रौर ग्रसत्य के विरुद्ध लडने वाला सिपाही (देशसेवक ग्रथवा कर्मपरायगा) यदि सच्चा सत्य-निष्ठ है तो बिना तलवार के भी लडता है - ग्रहिंसा का व्रत धारगा करके मानव कल्यागा के लिये निहत्था ही मैदान मे उतर पडता है।

(प्रभाकर)

खुदाई खिदमतगार आंदोलन

के नाम

जो पहले भी दमन-चक्र का लक्ष्य था

और

अब भी अत्याचार की चक्की में

पिस रहा है
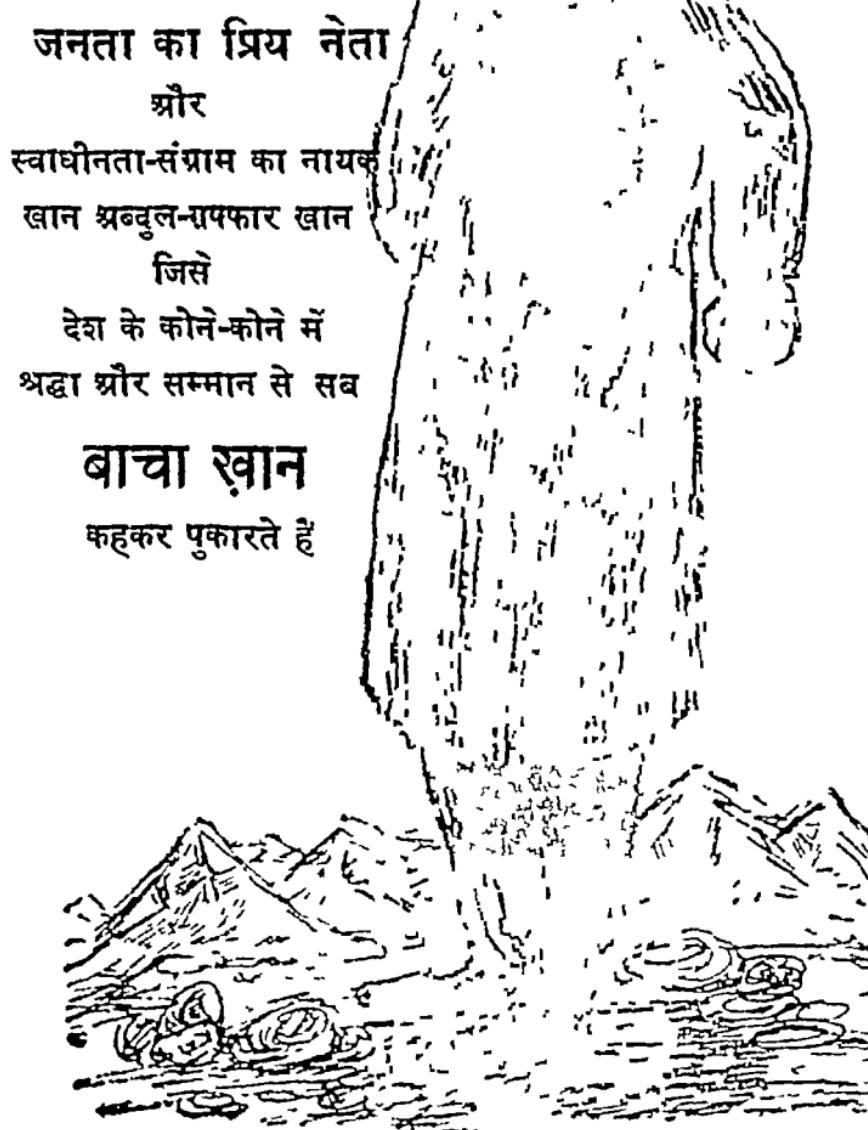
जनता का प्रिय नेता
और
स्वाधीनता-संग्राम का नायक
खान अब्दुल-गफ्फार खान
जिसे
देश के कोने-कोने में
श्रद्धा और सम्मान से सब
बाचा ख़ान
कहकर पुकारते हैं

मेरी मित्रता दुःखो और विपत्तियो से भरी है
मैं जिस मार्ग का यात्री हूँ
वह कांटों से अटा पड़ा है ।
(बाचा खान)

मेरी मित्रता दुःखो और विपत्तियो से भरी है
मैं जिस मार्ग का यात्री हूँ
वह कांटो से अटा पड़ा है।
(बाचा खान)

अनुक्रमणिका

# अनुक्रमणिका

## पहला भाग

बापू और बाचा खान

---

बापू और बाचा ख़ान

प्रार्थना सभा में जाते हुए (दिल्ली १९४७) गान्धी जी के साथ खान अब्दुल गफ्फार खाँ, नेहरू जी और आचार्य कृपलानी

गाँधी जी खान अब्दुल गफ्फार खाँ के गाँव उत्तमजई में
↓

# बाचा ख़ान

उस महान् नेता की कहानी, जिसके मार्ग में पठान अपना हृदय और पलकें विछा देते हैं, परन्तु 'अटक के इस पार' उसका व्यक्तित्व विभिन्न दन्तकथाओ के द्वारा धूमिल हो गया, और स्वाधीनता-प्राप्ति के वाद तो उसे सर्वाधिक दण्डनीय और बन्धनीय समझा गया।

प्रस्तुत पुस्तक खान अब्दुलगफ्फार खान की 'आप-बीती' है, जिसे सीमाप्रान्त क तरुण साहित्यकार फारिग़ बुखारी ने 'जग-बीती' की शैली में लिखा है। इसका अध्ययन आपके मन को, उपालम्भ से यथार्थ की ओर मोड देगा।

आप भले ही अपनी राय पर स्थिर रहिये, परन्तु इस पुस्तक का अध्ययन आपको उन चट्टानो की पुकार समझने में सहायता दे सकता है, जिनके पापाण हृदय को अब्दुल गफ्फार खान न अपनी मृत-सजीवनी वाणी से अँगड़ाई लेने पर विवश किया।

लाहौर
१० अप्रैल, १९५७ ई०

शोरिश काश्मीरी

# भूमिका

ईसा की अठारहवी शताव्दी के आरभ में सीमाप्रात भी अग्रेजों के प्रभुत्व मे आ चुका था। भारत भर पर अधिकार जमाने में वे कठिनाइयाँ उपस्थित न हुई, जिनका सामना उन्हें इस भूमिखण्ड पर करना पडा और प्रभुत्व स्थापित करने के पश्चात् भी यह दशा थी कि अपने डेढ सौ वर्षीय शासन-काल में कभी एक दिन के लिए भी अग्रेजो को यहाँ सुख का साँस लेना उपलब्ध न हुआ तथा सीमा के कवाइली प्रदेश को अपने अधीन करने का स्वप्न तो कभी चरितार्थ न हो सका। किन्तु स्वतन्त्र कवीले सदैव उनकी जान पर आफत ही वने रहे। अग्रेजो की रक्षण-शक्ति का अधिक भाग उनके विप्लव-विद्रोह के शान्त करने पर खर्च होता रहा।

पश्तूनो की वीरता, पराक्रम और स्वाधीनता के उत्कट भाव पर अग्रेज शासको का कोई कूटनीति-नैपुण्य भी विजय प्राप्त न कर सका, तो उन्हें लुटेरा, कातिल और खूँखार—रक्त-पिपासु—सिद्ध करने के लिये उन्होने अपनी सारी शक्ति लगा दी। अस्तु, सीमाप्रात में अपनी आयु का अधिकाश भाग व्यतीत करने वाले अग्रेजो ने यहाँ के सम्वन्ध मे जो कुछ लिखा, उसकी प्रत्येक पक्ति उनके मान-सिक पक्षपात, द्वेप और ईर्ष्या की द्योतक है। वाह्य दृष्टि से ऐसा जान पड़ता है कि उन सभ्यता के पुतलो ने हम "पशुओ" में जीवन विताकर हम पर असीम उपकार किया, जवकि सत्य यह है कि पश्चिमी साम्राज्य ने जहाँ भी पग रखा अपनो ही स्वार्थ-सिद्धि के लिये रखा। इस अभागो भूमि के चप्पे-चप्पे पर उन्होने इसके सदृश रग के जाल विछाये और उन जालो में ऐश्वर्य के दाने फेंक कर वहाँ के सीधे-सादे मनुष्यो को वशीभूत करते रहे।

भूतपूर्व सीमाप्रात इन्ही अभागे प्रदेशो मे से है, जहाँ अग्रेजो ने अपनी निष्ठुर क्रूर साम्राज्य-शाही को नीति-नैपुण्य के परदे में वर्षो तक प्रभुत्व-सम्पन्न रखा और केवल उनके स्वाधीनता के भाव को कुचलने के लिये उन्हें असभ्य और उजड्ड कहकर हिन्दुस्तान के दूसरे भागो की अपेक्षा यहाँ के लोगो से पक्षपात-युक्त

व्यवहार ग्रहण किया। उस प्रदेश को विधान-शून्य भूमि का नाम देकर यहां के लिए विशेष कठोर अत्याचार-युक्त कानून बना दिये डाले, जिनके अनुसार जिस व्यक्ति की गतिविधि पर भी उन्हें तनिक सन्देह होता, उसे बिना किसी प्रमाण, युक्ति और वकील के अनिश्चित समय के लिये जेल में ठूंस दिया जाता, कत्ल के मुकद्दमों को, जिनके सम्बन्ध में कोई प्रमाण न मिल सकता, परन्तु अभियुक्तों को दण्ड दिलाना आवश्यक समझा जाता, जिरगा के हवाले कर दिया जाता और जिरगा के अफसर और कानून के कोई सदस्य अभियुक्तों को चौदह वर्ष तक कैद दिलाने की सिफारिश कर सकते। गाजी ऐक्ट के अधीन बिना किसी सुनवाई के किसी को फांसी के तख्ते पर लटका देना, घरों को जलाना और फसलों को नष्ट-भ्रष्ट करना साधारण बात थी।

भूतपूर्व उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त ने १६०१ ई० में जन्म लिया। इससे पहले यह पंजाब प्रान्त का एक भाग था। उस समय यह प्रान्त एक चीफ कमिश्नर (मुख्य-आयुक्त) के आधीन था। यह व्यवस्था १६३२ ई० तक रही। मान्टिगो चेम्सफोर्ड-सुधार, जो १६१६ ई० में देश के अन्य प्रान्तों को प्रदान किये गये, दुर्भाग्य से इस प्रान्त में लागू न हो सके, क्योंकि इसे पिछड़ा हुआ रखने में अंग्रेज शासकों के कुछ स्वार्थों का हाथ था।

जब यहां के राजनीतिक नेताओं के अविरल प्रयत्नों से यहां के लोगों मे पर्याप्त जागरण उत्पन्न हो गया, और वे सरकार के इस अपमानजनक व्यवहार को गम्भीरता से अनुभव करते हुए सुधारों की मांग लेकर मैदान में उतर आये और अपने निरन्तर आन्दोलन से उन्होंने शासकों का नाक में दम कर दिया, तो सरकार के संकेत पर तीन प्रमुख मुसलमान नेताओं—हिज हाईनेस आगा खान, काइदे आजिम मुहम्मद अली जिन्नाह और साहिब-जादा अब्दुल कय्यूम खान—को लन्दन बुलाया गया। वहां गोलमेज कान्फ्रेंस मे उपर्युक्त महानुभावों की बलवती सिफारिश पर १६३६ ई० में सीमाप्रान्त को यह सुधार दे दिये गये, जिनके द्वारा इस प्रान्त ने नये जीवन में प्रवेश किया। (पाकिस्तान सरकार ने इस प्रान्त को अब फिर पश्चिमी पाकिस्तान में सम्मिलित कर दिया है) जैसा कि कहा जा चुका है, पश्तून जाति हिन्दुस्तान के शासकों के लिये सदा एक स्थायी शीर्ष-पीड़ा बनी रही। इस बात का अनुमान इतिहास के विभिन्न युगों में समय-समय पर उनके विद्रोह और विप्लव से भली-भांति किया जा सकता है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि विदेशी प्रभुत्व उन्हें कभी

एक दिन के लिये भी अभीष्ट न हुआ और न ही उन्होने इसे अपनी इच्छा तथा रुचि से स्वीकार किया।

पश्तून स्वभावत स्वाधीनता-प्रिय थे। पराधीनता के जीवन से उन्हें घृणा थी। अपनी भौगोलिक अवस्थिति, जलवायु और शताब्दियो की ऐतिहासिक परम्पराओ ने उनके हृदय और मस्तिष्क में स्वतन्त्रता की एक ऐसी आलोक-र्वत्तिका प्रज्वलित कर रखी थी, जो क्रातियो की आधियो और निष्ठुर शासको के अत्याचार के ववडरो से भी न बुझ सकी।

सीमाप्रान्त के उत्तर-पश्चिम की ओर स्वाधीन कवीलो का इलाका फैला हुआ है, जहाँ चिरकाल से कभी एक दिन के लिये भी किसी बडी से बडी शक्ति के प्रभुत्व की छाया तक नही पडी। वहाँ कोई वादशाह नही। कोई शासक नही। वे लोग आकाश की असीम विस्तृतियो में उडने वाले पक्षियो की भाति नितान्त स्वाधीन और स्वतन्त्र हैं। वहाँ प्रागैतिहासिक काल का स्वतन्त्र विधान आज तक प्रचलित है।

इस स्वतन्त्र इलाके के निवासियो का शासन-वद्ध इलाके से मेल-जोल तथा सम्पर्क-सम्वन्ध है। लेन-देन है। उनकी भापा एक, सस्कृति एक, जातीयता एक और वातावरण की अनुकूलता से स्वभाव भी एक ही जैसे हैं। स्वाधीन इलाके का पडोस होने के कारण स्वाधीनता की लग्न की चिनगारी भी उनके दिल में कभी वुझने नही पाई। इसलिए इस भूखण्ड को कुछ ऐसी विशेपताएँ प्राप्त रही हैं कि सदा यही से स्वावीनता के नये-नये आन्दोलन उठते रहे।

पीर रौखान ने अपने आन्दोलन के लिये इस इलाके को चुना। खुशहाल खान खटक ने अपने स्वतन्त्रता-सग्राम का केन्द्र इसी क्षेत्र को वनाया। वादशाह इस्माईल शहीद ने हिन्दुस्तान के सुदूर इलाके से आकर इसी प्रदेश में आन्दोलन का श्रीगणेश किया और अग्रेजो के समय मे भी काग्रेस, भारत सभा, खाकसार, सुर्ख-पोश, अहरार, मुस्लिम लीग आदि सस्थाओ को अपने राजनीतिक प्रयत्नो के लिये यही मैदान उचित जान पडा। यह रहस्य विदेशी शासको पर भी खुल चुका था। अत अग्रेज हो या मुगल सवने अपना अविक ध्यान इसी प्रदेश पर केन्द्रित रखा और उनकी सैन्य-शक्ति तथा आर्थिक-क्षमता के अधिकतर भाग का प्रयोग इसी सीमा पर होता रहा। इस इलाके में सवसे वडी सुविवा यह थी कि इसके साथ सलग्न अत्यन्त विस्तृत स्वावीन पर्वतीय प्रदेश था, जहाँ आवश्यकता के समय पर

स्वाधीनता-संग्राम में सामरिक व सेना माध्यम से इस अपना सर्वस्व जारी रख सकते थे।

सच पूछिये तो स्वाधीनता के संग्राम में इस भाग ने [illegible] केवल सीमा ही नहीं प्रत्युत महादेश के समस्त राजनीतिक आन्दोलनों को पर्याप्त सहायता पहुँचाई, क्योंकि जब कभी यहां जन-साधारण पर विदेशियों के अत्याचार ने उग्रता ग्रहण की, वहीं उस समय कबाइली योद्धाओं ने विद्रोह खड़ा करके सरकार को इस हद तक विवश कर दिया कि उसे अपने व्यवहार को बदलना पड़ा तथा अपनी साम्राज्यात्मक नीति में लचक पैदा करनी पड़ी।

१८५७ ई० के विप्लव के पश्चात् अंग्रेज साम्राज्य ने भारतीयों को इस निष्ठुरता और निर्दयता से दबाया कि पूरी आधी शताब्दी तक किसी को आवाज उठाने या सिर उठाने का साहस न हो सका। बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में कुछ बुद्धिमान मनीषियों ने अंग्रेजों के स्वर में स्वर मिलाकर अपनी जाति को सकेतों, कटाक्षों और काना-फूसियों द्वारा जगाने का प्रयत्न किया, जिसका और कुछ लाभ हुआ हो या न, परन्तु इतना अवश्य हुआ कि दीर्घकालीन शिथिलता टूटती दिखाई दी। इधर तराबलुस के युद्ध में अंग्रेजों के हाथों तुर्कों की तबाही और बरबादी ने साधारणत भारतीय मुसलमानों को और विशेषत सीमान्त के शूरवीरों तथा कबाइली मुजाहिदों को बुरी तरह झझोड़ा और उनके हृदय में पश्चिमी लुटेरों के विरुद्ध भीषण घृणा तथा प्रतिशोध का भाव उत्पन्न कर दिया।

१९१४ ई० में पहले महायुद्ध का आरम्भ हुआ, तो ब्रिटेन ने अरब देशों के साथ समस्त सुरक्षा-प्रतिश्रुतियों व संधियों को एक ओर रखकर उन पर चढाई कर दी और मुसलमानों के पवित्र स्थानों—पैलिस्टाइन, इराक, लिबनान, और सऊदी अरब को—तहस-नहस किया और पैलिस्टाइन को यहूदियों के हवाले करके मध्यपूर्व के वक्षस्थल में वह नासूर (घाव) पैदा कर दिया, जिसने अरब देशों की सुख-शान्ति को सदा-सर्वदा के लिये विनष्ट कर दिया।

ब्रिटेन की इस मुसलिम-घातक नीति ने भारत के कोने-कोने में बसने वाले करोड़ों मुसलमानों के हृदयों को रोष और क्रोध से भर दिया। समस्त ओर एक व्यापक अशान्ति फैल गई और सीमाप्रान्तीय मुजाहिदों के हृदय अपने भाइयों के दु ख-दर्द से तड़पने लगे। ब्रिटिश सरकार की इस आक्रमणात्मक और अत्याचारात्मक कूटनीति की प्रतिक्रिया ने हिन्दुस्तान में खिलाफत आन्दोलन को जन्म दिया, जो

अंग्रेजी शासन-काल में इस महादेश (भारत) का सबसे पहला स्वतन्त्रता-आंदोलन था।

परन्तु सीमाप्रान्त की परिस्थिति दूसरे भागो से विभिन्न थी। १९०१ ई० में सीमाप्रात को पंजाब से विलग करने के पश्चात् अंग्रेजी सरकार ने यहाँ असख्य सेना डाल कर सैन्य-राज की सी स्थिति पैदा कर दी। प्रत्येक ओर अत्याचार व दमन का चक्र चल रहा था। भारत के दूसरे प्रान्तो को जो "ऐमरी सुधार" दिये गये, इस प्रान्त को न केवल इन सुधारो से वंचित रखा गया, प्रत्युत यहाँ "फ्रांटियर रैगुलेशन", "गाज़ी ऐक्ट" और अन्य कई प्रकार के अत्याचार-युक्त कानून लागू करके यहाँ के निवासियो को इस हद तक पंगु बना दिया कि कोई राजनीतिक आंदोलन तो क्या सामाजिक और सुधारात्मक काम करने वालो को भी इस साहस का भारी मूल्य देना पडता। उनके कार्य-कलाप को विद्रोहात्मक घोषित करके इस निष्ठुरता से कुचल दिया जाता कि देखने वाले चिरकाल उससे भयभीत रहते।

इन्ही दिनो में महायुद्ध के आरम्भ होते ही सुरक्षा व्यवस्था के आधीन इस अत्याचार और दमन-चक्र में और भी तीव्रता आ गई। भारत के समस्त राजनीतिक आंदोलन शिथिल कर दिये गये। बडे-बडे दलेर राजनीतिक नेताओ के लिये सरकार के स्वर में स्वर मिलाने के सिवा और कोई उपाय न रहा। जिन कुछ एक सिरफिरो ने उन्मत्त-उत्साह से काम लेकर देशभक्ति का मस्ताना नारा लगाने का प्रयत्न किया, उन्हें गिरफ्तार करके जेलो में ठूस दिया गया और चारो ओर एक मौत की सी निःस्तब्धता छा गई।

इस भीषण समय में जब "अटक पार" का प्रदेश विधान और सुधारो से वंचित था, कम्पनी की सरकार ने तात्कालिक परिस्थितियो का लेबल चिपका कर इस भूमि को अपने अत्याचार और निष्ठुर दमन-नीति का घर बनाया हुआ था। प्रत्येक ओर आतंक और विभीषिका का नग्न नृत्य हो रहा था, यहाँ के लोगो पर ऐसे-ऐसे लज्जास्पद अत्याचार किये गये कि असभ्यता के युग की याद ताज़ा हो गई।

यूसफजई कबीले के एक स्वतन्त्र-प्रकृति वीर मनीषी अरसला खान को अंग्रेज के प्रति शत्रुता के अपराध में न केवल मौत के घाट उतारा दिया गया प्रत्युत उसका धन, सम्पत्ति और स्टेट को नष्ट-भ्रष्ट करके उसके बाल-बच्चो को दर-बदर फिराया गया। पश्तो का यह विख्यात टप्पा इसी घटना की यादगार है—

"दे अरसला खान पजोरे लूणा,
ओस दे रावट पे मलकेजी सरतोर सस्ना।"

"अरसला खान की अत्यन्त रूपवती लड़कियों को नंगे सिर जनरल गत्रट के सामने ले जाया जा रहा है।" इसी प्रकार एक मजनून हाफिज को, जिसने अंग्रेज अफसर मि० एचीसन को कत्ल किया था, हाथी पर चढ़ाकर सारे शहर में फिराया गया ताकि लोगों को चुनौती और भय प्राप्त हो और बाद में उसे चूने में जला दिया गया।

ऐसे रोमाञ्चकारी दमन और अत्याचार के दौर में सत्य की आवाज़ उठाना जान-जोखिम का काम था, परन्तु सीमाप्रान्त का इतिहास इस दौर में भी और इससे पहले भी सर्वथा गूंगा नहीं रहा, अपितु उस भयानक अंधेरे-गर्दी में भी इस भूमिखण्ड ने आलोक के ऐसे-ऐसे स्तम्भ पैदा किये, जिनकी जादूभरी रश्मियों ने न केवल भविष्य के प्राणदायक चित्रों को उभारा, प्रत्युत आने वाली पीढ़ियों का पथ-प्रदर्शन भी किया।

बाचा खान के जीवन-वृत्त का वर्णन करने से पहले उचित जान पड़ता है कि यहाँ उन कुछ एक महाशौर्य-सम्पन्न महानुभावों के जीवन की एक झलक प्रस्तुत कर दी जाय, जिन्हें बाचा खान के पूर्वगामियों की हैसियत प्राप्त है और जिन्होंने बाचा खान से पहले न केवल यहां के आंदोलन व संघर्ष के क्रम को अक्षुण्ण रखा, प्रत्युत अपने अमूल्य बलिदानों और महान कार्यों से उन पवित्र परम्पराओं को जन्म दिया, जिनके कारण आगे चलकर बाचा खान जैसा पराक्रमी नेता पैदा हुआ।

हड्डे मुल्ला साहिब—

हड्डे मुल्ला साहिब अद्वितीय विद्वान् थे। अंग्रेज के प्रति शत्रुता का भाव उन्हें घुट्टी में मिला था। उन्होंने अंग्रेजों के साथ कुछ लड़ाइयां भी लड़ीं। आप अफगानिस्तान में जलाल आबाद से तीन मील इधर हड्डा गांव में पैदा हुए। आप का नाम नजमुद्दीन अखवान-ज़ादा था। आपने काबुल के बादशाह अमीर अब्दुर्रहमान के शासनकाल में सुधारात्मक कार्यकलाप के परदे में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन आरंभ किया। अमीर अब्दुर्रहमान ने आपको गिरफ्तार करना चाहा। आप भागकर चमरकण्ड आ गये और वहाँ से सेना संगठित करके १८६२ ई० में शबकद्र पर आक्रमण कर दिया। लूट-मार करके वापस आ गये। कुछ समय के पश्चात् अंग्रेजों ने आक्रमण करके हड्डा मुल्ला के समस्त समर्थक

कवाइलियो के गाँव जला दिये। उन्होने जव हडा मुल्ला की मसजिद को घेरा, तो कुछ मुरीदो ने आपसे कहा कि अग्रेज आ पहुँचे हैं। आपने कहा, निश्चिन्त रहो और हाथ उठा कर दुआ करने के वाद मुरीदो को आदेश दिया कि जा कर युद्ध करें। कहते हैं इसी अवधि में ऐसी भीषण ओलावृष्टि हुई कि अग्रेजी सेना कठिनाई से प्राण वचाकर भागी और समस्त गोला-वारूद और घोडे आदि वही छोड गई। १८९२ ई० में आप उमर खान का पक्ष लेते हुए अग्रेजो से लडे।

दिवगत हड मुल्ला का समस्त कवीलो और ज़िला पिशावर तथा अफगानिस्तान में वहुत प्रभाव था और अगणित मुरीद (अनुयायी या शिष्य) थे। हाजी साहिव तरगज़ई भी आप ही के मुरीद थे। और हाजी साहिव अपने पीर की शिक्षा-दीक्षा के कारण ही अग्रेज़ के प्रति शत्रुता रखने लगे।

वर्तमान पीर साहिव मानकी शरीफ के दादा और उनके पीर स्वातवावा हडा मुल्ला से द्वेष रखते थे और इसी कारण उनके लिये सदा वाधा वने रहे।

**उमरा खान जण्डोल—**

उमरा खान सालार जई कवीले में मस्त खेल खानदान से था। उसका जन्म १८३० ई० में जण्डोल नामक स्थान पर हुआ। १८७७ ई० में अपनी रियासत का प्रवन्ध सभाला और उसे स्वातदैर और चित्राल तक विस्तृत किया। वह एक अग्रेज-विरोधी व्यक्ति था। उसकी सैन्य-शक्ति पर्याप्त थी। केवल पाँच हजार सशस्त्र सवार उसके पास मौजूद थे। इस के अतिरिक्त हजारो कवाइली भी उसके साथ थे। वह स्वय भी अत्यन्त वीर और अदम्य साहसी पुरुप था। अग्रेज उसकी वढती हुई शक्ति से घवराए और उसे वश में लाने के लिये युक्तियाँ सोचने लगे।

सवसे पहले अंग्रेजो ने उमरा खान के छोटे भाई को उसके विरुद्ध उभारा। उमराखान ने उस पर आक्रमण कर दिया, नव्वाव दैर ने अग्रेजो के सकेत पर उसके भाई की सहायता की। उमरा खान को पराजित होना पड़ा। दो वर्ष के पश्चात् उमरा खान ने सेना सगठित करके फिर नव्वाव दैर पर आक्रमण किया। इस वार नव्वाव को मुँह की खानी पडी। वह पराजित हुआ और उमरा खान का इलाक़ा जण्डोल से पञ्च कोडा नदी तक फैल गया। इसके वाद उमरा खान की अग्रेजो से कई वार झडपें हुई। परन्तु उसे हर वार विजय प्राप्त होती रही। इन उत्तरोत्तर सफलताओ ने उसके साहस को और भी ऊँचा उठाया और वह समस्त हिन्दुस्तान

पर अधिकार जमाने के स्वप्न देखने लगा ।

१८९३ ई० में उमरा खान ने आगे बढ़कर चित्राल पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों के लिये असह्य स्थिति उत्पन्न हो गई । उन्होंने पूरी फौजी ताकत से चित्राल को सहायता दी । परन्तु उमरा खान की शक्ति कम न थी । भीषण टक्कर हुई । निकट ही था कि अंग्रेज पराजित हो जाते, किन्तु ठीक समय पर उन्होंने उमरा खान के विख्यात सेना-नायक होरे को, जो एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मोर्चे पर लड रहा था, अपने साथ मिला लिया । उससे लड़ाई का पांसा पलट गया और उमरा खान को पराजित होकर भागना पड़ा । उसने अफगानिस्तान में अमीर अब्दुर्रहमान के पास आश्रय लिया और उसका वहीं देहान्त हुआ ।

**मौलवी अब्दुल अजीज—**

मौलवी साहिब अंग्रेज के घोर शत्रु थे । यहाँ तक कि किसी अंग्रेज को देखते तो आँखें बन्द कर लेते । हाजी साहिब तरगजई पर अपने गुरु हड्डे मुल्ला साहिब का भी पर्याप्त प्रभाव था, परन्तु वास्तव में मौलवी अब्दुल अजीज साहिब ने जिनका हाजी साहिब बहुत सम्मान करते थे, हाजी साहिब को परामर्श दिया कि वह पीरी-मुरीदी छोडकर यह मार्ग ग्रहण करें । अमानुल्लाह खान को, जो उन दिनो अफगानिस्तान के बादशाह थे, राज्य में सुधार करने पर तैयार किया और उन्हें प्रगतिशील विचारो से सम्पन्न करने में मौलवी साहिब का हाथ था । अन्त में आप स्वात जाकर काम करते रहे और वहीं अंग्रेजो के षड्यन्त्र से शहीद हुए ।

**हाजी तरगजई—**

हाजी साहिब तरगजई बाचा खान के पूर्वगामी थे । वे सबसे पहले पश्तून नेता हैं, जिन्होने पश्तून जाति की इस मृतप्राय अवस्था और घुटन को अनुभव करते हुए १९१० ई० (ज़िला पिशावर, जिसमें उस समय मरदान भी सम्मिलित था) में अपने धर्म प्रचार और सुधारात्मक मिशन का श्रीगणेश किया । उन्होने इस कार्य को इस उत्साह, और मनोयोग से जारी रखा कि थोडे ही समय में ज़िला भर के लोगो ने समस्त घरेलू झगडे निबटा डाले और हत्या आदि के मुकद्दमे तक अदालतो के स्थान पर आपके स्थापित जन-जिरगो मे निबटाये जाने लगे । सरकारी न्यायालय उजडे और जनशून्य दिखाई देने लगे, क्योंकि किसी को वहाँ जाने की आवश्यकता ही नही पडती थी । आपने व्यर्थ और बुरी रीति-रस्मो के

वन्द करने में बडी सफलता प्राप्त की। आपने विवाह और मरण पर समस्त दिखावे की रीतियो को सर्वथा वन्द करा दिया। इसके अतिरिक्त आपने सुधार और धर्म-प्रचार के लिये सीमाप्रान्त के कोने-कोने में इस्लामी विद्यालय स्थापित कर दिये, जिनमें भारी सख्या में लोग शिक्षा प्राप्त करने लगे। इस प्रकार मानो पश्तून जाति में एक नये जीवन का सचार हो गया। यह पहला अवसर था कि एक सुधारक ने जाति के सुधार का वीडा उठाया और उसे इस्लामी तथा जातीय जीवन से परिचित करने का प्रयत्न किया। इस लिये सीमाप्रान्त की जनता मे हाजी साहिव ने ऐसी प्रतिष्ठा व सर्वप्रियता प्राप्त करली, जिसका उदाहरण इस प्रान्त के इतिहास मे नही मिलता।

हाजी साहिव अपने मिशन में इस कदर सफल हुए कि जहाँ भी जाते हजारो की सख्या मे श्रद्धालु उनके गिर्द जमा हो जाते और सव प्रकार से उनकी सहायता करते। आपके लगभग तीन वर्ष के अविरत प्रयत्नो और अद्वितीय सफलता ने कम्पनी की सरकार को चिन्तित कर दिया। वह वौखला कर पश्तूनो की इस राजनीति और सामाजिक जाग्रति को एक वहुत वडे खतरे का पूर्व-लक्षण समझने लगी। क्योकि उनमें वहुत हद तक सरकार से नामिल वर्तन, अग्रेजो से घृणा और स्वाधीनता की लगन का भाव पाया जाता था। अत आपको आपके साथियो सहित गिरफ्तार कर लिया गया। परन्तु गिरफ्तारी के पश्चात् जव सरकार को हाजी साहिव के श्रद्धालुओ के जोश-खरोश का पता चला और प्रान्त में जन-विद्रोह की आशका दिखाई दी, तो उसने हाजी साहिव को जमानत पर रिहा कर दिया, और आपके कई उत्तराधिकारियो को तीन-तीन वर्ष की कैद का दण्ड दिया। किन्तु इसके उपरान्त भी आपकी सरगर्मियो में कोई अन्तर न पडा, तो सरकार आपको मुक्त करके अत्यन्त लज्जित हुई और आपको पुन गिरफ्तार करने की युक्तियाँ सोचने लगी।

यह १९१२ ई० का समय था। पहले महायुद्ध का अभी आरभ नही हुआ था। उन्ही दिनो दिवगत साहिव ज़ादा अब्दुल कय्यूम ने इस्लामिया कालेज पिशावर की नीव डाली। हाजी साहिव की सर्वप्रियता से प्रभावित होकर, उनको अग्रेज-शत्रुता के वावुजूद इस भवन के शिलान्यास के लिये उन्हे निमन्त्रण दिया गया। उस समय हाजी साहिव की गिरफ्तारी के आदेश जारी हो चुके थे। परन्तु आपने इस उत्सव मे भाग लेने का वचन दे दिया था, इसलिये ठीक समय पर आप अद्भुत

पर अधिकार जमाने के स्वप्न देखने लगा ।

१८९३ ई० में उमरा खान ने आगे बढ़कर चित्राल पर आक्रमण कर दिया । अंग्रेजों के लिये असह्य स्थिति उत्पन्न हो गई । उन्होंने पूरी फौजी ताकत से चित्राल को सहायता दी । परन्तु उमरा खान की शक्ति कम न थी । भीषण टक्कर हुई । निकट ही था कि अंग्रेज पराजित हो जाते, किन्तु ठीक समय पर उन्होंने उमरा खान के विख्यात सेना-नायक शेरे को, जो एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मोर्चे पर लड़ रहा था, अपने साथ मिला लिया । इससे लड़ाई का पासा पलट गया और उमरा खान को पराजित होकर भागना पड़ा । उसने अफगानिस्तान में अमीर अब्दुर्रहमान के पास आश्रय लिया और उसका वहीं देहान्त हुआ ।

**मौलवी अब्दुल अजीज—**

मौलवी साहिब अंग्रेज के घोर शत्रु थे । यहाँ तक कि किसी अंग्रेज को देखते तो आँखें बन्द कर लेते । हाजी साहिब तरगजई पर अपने गुरु हड्डे मुल्ला साहिब का भी पर्याप्त प्रभाव था, परन्तु वास्तव में मौलवी अब्दुल अजीज साहिब ने जिनका हाजी साहिब बहुत सम्मान करते थे, हाजी साहिब को परामर्श दिया कि वह पीरी-मुरीदी छोडकर यह मार्ग ग्रहण करें । अमानुल्लाह खान को, जो उन दिनों अफगानिस्तान के बादशाह थे, राज्य में सुधार करने पर तैयार किया और उन्हें प्रगतिशील विचारों से सम्पन्न करने में मौलवी साहिब का हाथ था । अन्त में आप स्वात जाकर काम करते रहे और वहीं अंग्रेजों के षड्यन्त्र से शहीद हुए ।

**हाजी तरगजई—**

हाजी साहिब तरगजई बाचा खान के पूर्वगामी थे । वे सबसे पहले पख्तून नेता हैं, जिन्होंने पख्तून जाति की इस मृतप्राय अवस्था और घुटन को अनुभव करते हुए १९१० ई० (जिला पिशावर, जिसमें उस समय मरदान भी सम्मिलित था) में अपने धर्म प्रचार और सुधारात्मक मिशन का श्रीगणेश किया । उन्होंने इस कार्य को इस उत्साह, और मनोयोग से जारी रखा कि थोडे ही समय में जिला भर के लोगों ने समस्त घरेलू झगडे निबटा डाले और हत्या आदि के मुकद्दमे तक अदालतों के स्थान पर आपके स्थापित जन-जिरगों में निबटाये जाने लगे । सरकारी न्यायालय उजडे और जनशून्य दिखाई देने लगे, क्योंकि किसी को वहाँ जाने की आवश्यकता ही नहीं पडती थी । आपने व्यर्थ और बुरी रीति-रस्मों के

वन्द करने में वडी सफलता प्राप्त की। आपने विवाह और मरण पर समस्त दिखावे की रीतियो को सर्वथा वन्द करा दिया। इसके अतिरिक्त आपने सुधार और धर्म-प्रचार के लिये सीमाप्रान्त के कोने-कोने में इस्लामी विद्यालय स्थापित कर दिये, जिनमें भारी सख्या में लोग शिक्षा प्राप्त करने लगे। इस प्रकार मानो पश्तून जाति में एक नये जीवन का सचार हो गया। यह पहला अवसर था कि एक सुधारक ने जाति के सुधार का वीडा उठाया और उसे इस्लामी तथा जातीय जीवन से परिचित करने का प्रयत्न किया। इस लिये सीमाप्रान्त की जनता में हाजी साहिव ने ऐसी प्रतिष्ठा व सर्वप्रियता प्राप्त करली, जिसका उदाहरण इस प्रान्त के इतिहास में नही मिलता।

हाजी साहिव अपने मिशन में इस कदर सफल हुए कि जहाँ भी जाते हजारो की सख्या में श्रद्धालु उनके गिर्द जमा हो जाते और सव प्रकार से उनकी सहायता करते। आपके लगभग तीन वर्ष के अविरत प्रयत्नो और अद्वितीय सफलता ने कम्पनी की सरकार को चिन्तित कर दिया। वह वौखला कर पश्तूनो की इस राजनीति और सामाजिक जाग्रति को एक वहुत वडे खतरे का पूर्व-लक्षण समझने लगी। क्योकि उनमें वहुत हद तक सरकार से नामिल वर्तन, अग्रेजो से घृणा और स्वाधीनता की लगन का भाव पाया जाता था। अत' आपको आपके साथियो सहित गिरफ्तार कर लिया गया। परन्तु गिरफ्तारी के पश्चात् जव सरकार को हाजी साहिव के श्रद्धालुओ के जोश-खरोश का पता चला और प्रान्त में जन-विद्रोह की आशका दिखाई दी, तो उसने हाजी साहिव को जमानत पर रिहा कर दिया, और आपके कई उत्तराधिकारियो को तीन-तीन वर्ष की कैद का दण्ड दिया। किन्तु इसके उपरान्त भी आपकी सरगर्मियो में कोई अन्तर न पड़ा, तो सरकार आपको मुक्त करके अत्यन्त लज्जित हुई और आपको पुन. गिरफ्तार करने की युक्तियाँ सोचने लगी।

यह १९१२ ई० का समय था। पहले महायुद्ध का अभी आरभ नही हुआ था। उन्ही दिनो दिवगत साहिव जादा अब्दुल कय्यूम ने इस्लामिया कालेज पिशावर की नीव डाली। हाजी साहिव की सवप्रियता से प्रभावित होकर, उनको अग्रेज-शत्रुता के वावुजूद इस भवन के शिलान्यास के लिये उन्हे निमन्त्रण दिया गया। उस समय हाजी साहिव की गिरफ्तारी के आदेश जारी हो चुके थे। परन्तु आपने इस उत्सव में भाग लेने का वचन दे दिया था, इसलिये ठीक समय पर आप अद्भुत

रहस्यमय उपाय से वहाँ पहुँचे। उस समय आपने चादर से अपना मुँह ढाँप रखा था। आपने अत्यन्त नाटकीय रीति से कालेज की आधार-शिला स्थापित की और दूसरे ही क्षण घोड़े पर सवार होकर वहाँ से निकल गये। आप इसी अवस्था में अपने गांव में पहुँचे और वहाँ से अपने कुछ विशिष्ट साथियों के साथ, जिनमें दिवंगत मौलवी अब्दुल अजीज भी सम्मिलित थे, हिजरत करके बनेर चले गये। वहाँ से महमन्दों के स्वाधीन इलाके गाफी गांव में जाकर स्थायी रूप में निवास ग्रहण कर लिया। हाजी साहिब की यह हिजरत (गृह-त्याग) कैद-व-बन्द अथवा दार-वार के डर से नहीं, अपितु एक नियमबद्ध कार्यक्रम के अधीन थी।

हाजी साहिब के गैर इलाके में हिजरत कर जाने से अंग्रेजों के घर में शोक छा गया। एक इतने बड़े प्रभावशाली धार्मिक नेता का उनके हाथ से निकलकर शत्रु के रूप में कबाइली इलाके में जा पहुँचना सचमुच ही बड़ी भयानक बात थी। विशेषतः ऐसी स्थिति में जब कि उन दिनों यूरोप में बड़ी हलचल मची हुई थी और पहले महायुद्ध के आरम्भ होने के लक्षण स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उस समय एक अंग्रेज अफसर ने कहा था—

"हाजी साहब तरंगजई का हमारे हाथ से निकल जाना हिन्दुस्तान में हमारी सबसे पहली असफलता है।"

और हुआ भी यही। वास्तव में हाजी साहब का आजाद कबाइली इलाके में हिजरत कर जाना हिन्द व पाक की स्वाधीनता के लिये शुभ शकुन सिद्ध हुआ। वे राजनीतिक नेता, जो इस सत्य से परिचित है, भली प्रकार से जानते है कि यदि कबीलो में हाजी साहिब अंग्रेजों के विरुद्ध एक सुदृढ मोर्चा स्थापित न करते, तो आज हम स्वाधीनता की मंजिल या लक्ष्य से कोसो दूर होते।

यहाँ इस दौर के कुछ दूसरे नौजवान मुजाहदो का उल्लेख भी अनुचित न होगा, जिन्हें अंग्रेज के प्रति शत्रुता होने के कारण अपने प्यारे देश को छोडना पड़ा और जिन्होंने स्वतन्त्रता की लगन तथा इस्लाम के प्रेम में न केवल अपना घरवार छोडा प्रत्युत अपना सारा जीवन निर्वासित दशा में गुजारा और कइयो को तो मर कर भी अपने प्यारे देश की मिट्टी प्राप्त न हो सकी।

**गाजी कर्नल अब्दुर्रहमान—**

कर्नल अब्दुर्रहमान पिशावर के एक विख्यात और सभ्रात परिवार की सन्तान थे। वह नौनिहाल अलीगढ में अपनी शिक्षा अधूरी छोडकर १७ दिसम्बर

१६१२ ई० में डा० मुख्तार मुहम्मद अन्सारी के नेतृत्व में एक डाक्टरी शिष्टमडल के साथ तुर्की पहुचे। वहा युद्ध के दिनो में ऐसी जोखिम की सेवायें की कि सरदार उस्मानिया के दरवार में उन्हें समादर की दृष्टि से देखा जाने लगा। युद्ध के अन्त पर शिष्ट-मण्डल के सदस्यो ने वापसी का इरादा किया और आपको सूचना दी, परन्तु आपने पराधीन भारत में वापस आना पसन्द न किया। उन्होने स्थायी रूप से तुर्की ही को अपना देश वना लिया, जहां आप उन्नति करके कर्नल के उच्च पद तक पहुँचे और अन्त में वहा एक षड्यन्त्र का शिकार होकर शहीद हुए।

**सैयद अली अब्बास बुखारी—**

आपने एक समृद्धिशाली घराने में जन्म लिया। उच्च शिक्षा पाई। परन्तु आरम्भ ही से अंग्रेज के प्रति शत्रुता के भाव आपको घुट्टी में प्राप्त हुए थे। अंग्रेज, जो शासन के नशे में हिन्दुस्तानियो को घृणा की दृष्टि से देखते थे, आपको उससे घोर द्वेष था। आप जहा कहीं अंग्रेज का अपमानजनक व्यवहार देखते, तो तत्काल टक्कर लेने के लिए तैयार हो जाते। वीसियो अंग्रेजो से उनकी झडपें हुई और कितने ही ऐसे सिरफिरे अंग्रेजो को आपने पीटने से भी सकोच न किया। यहा तक कि आपका नाम अंग्रेज को पीटने वाला बुखारी पड गया।

उस्मानिया (तुर्की) खिलाफत के विरुद्ध ब्रिटेन ने युद्ध-घोषणा की, तो आपने मसजिद महावत खान में एक अत्यन्त ओजस्वी भाषण दिया, जिसमें अंग्रेज साम्राज्य की राजनीति की धज्जियाँ उडा दी। भाषण के पश्चात् घर पहुँचने की देर थी कि आपको गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में पहुँचकर आपने एक साधारण कैदी की तरह रहने से इन्कार कर दिया और अच्छी क्लास की माँग की। उस समय राजनीतिक क़ैदी अच्छी क्लास की कल्पना भी नही कर सकते थे। आपने अनशन कर दिया और उस समय तक अपने व्रत पर स्थिर रहे, जब तक अच्छी क्लास और राजनीतिक वन्दी को विशिष्ट सुविधायें प्राप्त न कर ली। सभवत सीमाप्रान्त मे आप पहले राजनीतिक वन्दी थे, जो जेल में सबसे पहले अच्छी क्लास लेने में सफल हुए। वहुत समय के वाद जेल से रिहा होने पर एक उजाड से गाव में नजरवन्द कर दिये गये। वहाँ से आप गुप्तरूप में भागकर अफगानिस्तान चले गये और शेष जीवन वही निर्वासित स्थिति में व्यतीत करके परलोक सिधार गये।

काजी अब्दुल वली खान—

आप पिशावर के काजियों के बड़ा-प्रतिष्ठ परिवार से सम्बन्ध रखते थे। शिक्षा अधूरी छोड़कर देश की राजनीति में भाग लेने लगे। आप उन कुछ एक युवकों में से हैं, जिन्होंने यहाँ सबसे पहले जनता में राजनीतिक जागरण उत्पन्न करने के आन्दोलन का प्रारम्भ किया और बेखबर आलस्य युक्त लोगों को झंझोड़-झंझोड़कर जगाया। आपने ही तुर्कों पर ब्रिटेन के आक्रमण के विरुद्ध अपने साथी सैयद अली अब्बास बुखारी के साथ आन्दोलन में भाग लिया। अंग्रेजों के विरुद्ध ज्वालामय भाषण किये। अंग्रेजी माल के बहिष्कार पर लोगों को प्रस्तुत किया और इसके बदले में कैद और नजरबन्दी की यातनाएं झेलते रहे। अन्त में तंग आकर अपने देश को छोड़कर अफगानिस्तान चले गये। परन्तु दुर्भाग्य से सन्देह और शंका के आधार पर वहाँ भी जेल में डाल दिये गये। बाद में गाजी अमानुल्लाह खान को काजी साहिब के व्यक्तित्व का ज्ञान हुआ, तो उन्हें न केवल मुक्त कर दिया गया, प्रत्युत सीमाओं का अफसर नियुक्त कर दिया गया तथा अपना विशेष दरबारी मित्र बना लिया। आप साढे तीन वर्ष अफगानिस्तान में रहे, फिर वहाँ से जर्मनी और जर्मनी से तुर्की जा पहुँचे, जहाँ अपने अन्य निर्वासित भाइयों का एक शिष्टमण्डल लेकर स्विट्जरलैण्ड गये और तुर्की के पक्ष में हिन्दुस्तानियों के विचारों का प्रतिनिधित्व करने लगे। वहाँ से जर्मनी वापस आकर साप्ताहिक पत्र "कोमेंट" जारी किया, फिर दूसरा पत्र "मुस्लिम स्टैंडर्ड" निकाला जो एक दूसरे के पश्चात् बन्द कर दिये गये। जर्मनी, फ्रांस के अतिरिक्त आपने यूरोप के दूसरे इलाकों का भ्रमण भी किया और भारत की स्वाधीनता के लिये अनथक प्रयत्न करते रहे।

१९१९ ई० तक सीमाप्रान्त का राजनीतिक नेतृत्व आपके हाथों में रहा। आप आदर्शवादी, नियमपालक, दृढव्रती और निर्भीक मनुष्य थे। आपकी गणना यहाँ के पहले नेताओं में होती है।

महमूद सन्जरी, मुहम्मद अस्लम सजरी—

दिवगत महमूद सजरी और मुहम्मद अस्लम सजरी पिशावर के बहुत पुराने राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। १९१४ ई० में इण्डियन डिफैन्स एक्ट (भारतीय रक्षा अधिनियम) का सीमाप्रान्त में सबसे पहला शिकार ये दो भाई और इनके पिता हुए। आप यहाँ के पहले राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं के अग्रवर्ती दल में गिने जाते

थे। १६१८ ई० तक कैद रहे। पहले महायुद्ध के अन्त पर राजकीय घोषणा के अनुसार भारत के समस्त नजरबन्दो के साथ आप भी रिहा हुए।

१६१६ ई० में दोनो भाई एण्टी रोलट एक्ट आन्दोलन में क्रान्तिकारी दल के अनथक कार्यकर्त्ता सिद्ध हुए। उन्ही दिनो विद्रोह के अभियोग में सरकार ने इन्हें गिरफ्तार करना चाहा। परन्तु ये भागकर अफगानिस्तान चले गये। अन्त में वहाँ भी ब्रिटिश सरकार की सिफारिश पर गिरफ्तार कर लिये गये और पूरे चौदह वर्ष जेल में कैद रहे। पाकिस्तान की स्थापना के पश्चात् आप पिशावर आये। १६५२ ई० में बडे भाई का देहान्त हो गया। छोटे भाई मुहम्मद अस्लम सजरी 'एण्टी यूनिट फ्रण्ट' और 'नेशनल पार्टी' में अब तक अत्यन्त सक्रिय भाग ले रहे हैं।

**सनौवर हुसैन महमन्द—**

महमन्द कबीले का यह लोह-पुरुप पिशावर से तीन मील दूर 'कगे दला' गाँव में पैदा हुआ। आवश्यक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् देश की राजनीति में भाग लेना आरम्भ कर दिया। 'जमियते-नौजवानाने सरहद' और 'भारत नौजवान सभा' जैसे क्रान्तिकारी दलो की न केवल नीव डाली प्रत्युत उनमें सदा आगे रहकर काम करते रहे। उन्होने कारावास के कडे कष्ट सहे। जब यहाँ रहकर कार्य करने के समस्त उपाय और मार्ग रुद्ध हो गये, तो अपने साथियो समेत आजाद कबाइली इलाके में जाकर पूरे अठारह वर्ष तक अंग्रेजो के विरुद्ध आन्दोलन में भाग लेते रहे। पाकिस्तान बनने के पश्चात् अपने देश वापस आये परन्तु अपनी राष्ट्रीय सरकार ने भी उन्हे आराम नें लेने दिया तथा उत्तरोत्तर दो बार गिरफ्तार किया और लगभग तीन वर्ष जेल में बन्द रखा।

भूतपूर्व सीमाप्रान्त को हिन्दुस्तान के अन्य प्रान्तो के समान दर्जा दिलाने के लिये सीमाप्रान्त की जनता को भारी बलिदान करने पडे। इस आन्दोलन का रक्तरजित इतिहास अर्ध शताब्दी तक विस्तृत हमारे देशव्यापी स्वतन्त्रता सग्राम का एक अविस्मरणीय अध्याय है, जो अत्यन्त रोमाचकारी घटनाओ और हगामो से परिपूर्ण है, जिसमें एक ओर वीर पश्तून जनता का पतगो की भाति प्राणो पर खेल जाने का दृश्य है, तो दूसरी ओर अग्रेज साम्राज्य के अन्याय-युक्त अत्याचार, क्रूर हिसा के भयानक दृश्य हैं, जिनसे चँगोज़खान और हलाकू की रूहें भी लज्जित होती हैं।

इस भीषण हिंसा-युक्त दौर में जिन परम साहसी देशभक्तो ने सिर-धड को

बाज़ी लगाकर जाति के नेतृत्व का बीडा उठाया, उन्हें समय का 'शिद्दाद'[1] पीछे डालने का कितना ही प्रयत्न क्यो न करे, परन्तु भविष्य का इतिहासकार उनके सुनहरे कार्यो, बलिदानपूर्ण देशभक्ति और असीम त्याग को कभी नहीं भूल सकता।

महाद्वीप भारत के स्वाधीनता-सग्राम में सीमाप्रान्त के नेताओ का बडा भाग है, इस वीरभूमि ने विगत अर्ध शताब्दी में कितने ही ऐसे अमूल्य राजनीतिक व्यक्तित्व पैदा किये, जिनके त्याग और बलिदानपूर्ण महान् कार्यो पर हमारी जाति और देश यथार्थ रूप में गौरव प्रकट कर सकता है।

खान अब्दुल गफ्फार खान, जो सीमाप्रान्त में "बाचा खान" और भारत में "खान बादशाह" के नाम से विख्यात हैं, सीमाप्रात के उन्ही अमर और मृत्यु जयी महापुरुषो में से है। आप न केवल अटक के इस पार बसने वाली वीर जाति के प्रिय और श्रद्धास्पद नेता है, प्रत्युत सयुक्त भारत के उन कुछ एक चोटी के नेताओ में से है, जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। आप उस "खुदाई खिदमदगार" आन्दोलन के प्रवर्तक है, जिसने कबीलो, खैलो और जड्यो में बँटी हुई पश्तून जाति को एक प्लेटफार्म पर एकत्रित किया। आपने सीमान्त के देहात के तूफानी दौरे करके पश्तूनो में जागरण की लहर दौडा दी। आपके ओजस्वी ज्वाला-मय भाषणो ने सीमाप्रान्त के कोने-कोने में विद्रोह की अग्नि प्रज्वलित कर दी और स्वाधीनता के पतगो ने उन्मत्त हो-होकर स्वाधीनता के प्रदीप पर अपने प्राण न्योछावर कर दिये, जेल भर दिये, गोलियो और सगीनो से सीने छलनी कराए, अपनी स्त्रियो, लडकियो, माताओ और बहनो का अपमान अपनी आँखो से देखा, परन्तु उफ तक न की।

बाचा खान को पाकिस्तान की स्थापना के पश्चात् अपनी कौमी सरकार ने भी एक लम्बे समय तक कारागार, प्रतिबन्धो और देश-निकाले का लक्ष्य बनाया। उनकी आयु इस समय ६८ वर्ष के लगभग है, निरन्तर कारावास के कष्टो और दिन-रात की दौड-धूप ने उनका स्वास्थ्य बहुत हद तक बिगाड दिया है। लालिमा से दमकता हुआ गोरा चेहरा पीला पड गया है और उस पर झुर्रियों ने अधिकार जमा लिया है। अग शिथिलप्राय और सिर तथा दाढी के बाल बर्फ के समान सफेद हो चुके है। परन्तु उनके शौर्य, धैर्य और उच्च साहस में तनिक भी अन्तर नही पडा। उनके हौसले उच्च और सकल्प अब भी जवान है। वे अब

---

१ मिश्र व रोम के एक अत्यन्त अत्याचारी बादशाह का नाम।

भी अपना सारा काम अपने हाथ से करते हैं और मीलो पैदल चलकर गावो का भ्रमण करते हैं। लोगो तक अपना सदेश पहुँचाते है, उनकी सेवा करते है और उनका दु ख-दर्द बटाते है।

पश्तून जनता बाचा खान को हृदय और प्राण से चाहती है। उनकी पूजा करती है और उन्हें अपना एकमात्र नेता स्वीकार करती है। नि सदेह आज भी उनकी आवाज़ सारी पश्तून जाति की आवाज़ है।

वास्तव में बाचा खान के जीवन को सीमाप्रान्त के राजनीतिक इतिहास से पृथक् करके किसी प्रकार नही देखा जा सकता। वे यहा आरम्भ से अन्त तक राजनीतिक आन्दोलन के प्राण और आत्मा बने रहे है, प्रत्युत यदि यह कहा जाय, तो अनुचित न होगा कि इस प्रदेश का समस्त राजनीतिक इतिहास बाचा खान के जीवन के गिर्द घूमता है। इसलिए इस पृष्ठभूमि के बिना उनके जीवन की यथार्थ रूपरेखा को सामने लाना कठिन है।

बाचा खान केवल सीमाप्रान्त के नही, प्रत्युत सारे देश के राजनीतिक नेताओ और स्वाधीनता के युद्ध के सेनानायको में उच्च स्थान रखते हैं।

बाचा खान में अनेक ऐसी विशेषताएँ है, जो उन्हें दूसरे नेताओ से उच्च स्थान पर आरूढ करती है। बाचा खान अत्यन्त उच्च और श्रेष्ठ आचरण के मालिक और सिद्धान्त पर मर-मिटने वाले मनुष्य है। उन्होने अपने चालीस वर्षीय राज-नीतिक जीवन में से लगभग पच्चीस वर्ष का लम्बा समय कारावास और नजर-बन्दी की भेंट कर दिया और कभी भूल कर भी इसकी शिकायत नही की। इसके विपरीत, हम देखते हैं कि बहुधा लोग, जिन्होने देश के मार्ग में थोडे भी कष्ट उठाये हैं, दिन-रात न केवल उनकी चर्चा करते नही थकते, प्रत्युत उनका मुआवज़ा मागने से भी नही चूकते। कई तो अपने बलिदानो का भारी मुआवज़ा वसूल करने के बाद भी सतुष्ट दिखाई नही देते और कुछ और भी प्राप्त करने की चिन्ता में रहते हैं।

बाचा खान व्यक्तिगत रूप से सत्ता या कुर्सी प्राप्त करने के इच्छुक नही, अपितु सदा इस बात के विरोधी रहे है, जिसका प्रमाण उनके जीवन-चरित्र से मिल सकता है। वे नाम और प्रदर्शन या सम्मान के भी भूखे नही हैं। ऐसी इच्छा ही से कोसो भागते हैं। अत. अनावश्यक जलसे, जुलूसो और भाषणो मे उन्होने ाय. अपने आपको दूर रखने का प्रयत्न किया है।

वाचा खान स्वभावत एकान्तप्रिय सिद्ध हुए है। वे मूलत मे एक आध्यात्मिक व्यक्ति है। उन्हें राजनीति में विवशत आना पडा, ठीक उसी प्रकार, जैसे पश्तो के महान् कवि खुशहाल खान खटक को लेखनी छोडकर तलवार सभालनी पडी, क्योकि जाति पर ऐसी मुसीबत और अवनति आन पडी थी कि उनके लिये नीरवता से एकान्त कोने में बैठा रहना असम्भव हो गया था। वे बडे भावुक पुरुष थे। आत्माभिमान और गैरत भी उनके स्वभाव में सनी हुई थी। उनकी कौम हीनता और अनादर के गढो में लुढकती जा रही थी। उसे सच्चे और हार्दिक नेतृत्व की आवश्यकता थी, स्वय उनको आवश्यकता थी, इसलिये वे आखें न चुरा सके और सिर को हथेली पर रखकर मैदान में कूद पडे। अग्रेजो के शासन-काल में उन्होने अग्रेज के चरम सीमा तक पहुँचे हुए अत्याचार और दमन-चक्र के बावुजूद कभी कोई दुर्बलता नही दिखाई।

वे ऐसे सेना-नायको में से नही, जो अपनी सेना को आग और रक्त के समुद्र में झोककर स्वय तमाशा देखते रहे हो, अपितु प्रत्येक अग्नि-परीक्षा के अवसर पर उन्होने सबसे पहले अपने आपको बलिदान के लिये प्रस्तुत किया। प्रत्येक कडे और कठिन क्षण में वे सदा सबसे आगे छाती ताने हुए दिखाई दिये।

भारत के दूसरे भागो के लोग अपेक्षाकृत उन्नत थे। शिक्षा-दीक्षा और राज-नीतिक सूझ-बूझ में पर्याप्त रूप से आगे थे। फिर कम्पनी की शासन नीति की भी यह दशा न थी। इसलिए वहाँ राजनीतिक नेताओ को काम करने के लिये अधिक कठिनाइयो का सामना नही करना पडा।

परन्तु अटक पार की स्थिति वहाँ से सर्वथा भिन्न थी। यह इलाका आरम्भ ही से अत्यन्त पिछडा हुआ था। जन-साधारण में शिक्षा नही थी। राजनीतिक जाग्रति नही थी। दरिद्रता, दुर्दशा, और रोजगार की हीन अवस्था ने उनका कचूमर निकाल रखा था। सरकार और खानो (जागीरदारो) के गठजोड ने लोगो को इतना दबा रखा था, इतना जकड रखा था कि वे हिल नही सकते थे, बोल नही सकते थे। कुछ सोच नही सकते थे। इसके अतिरिक्त सरकार के विशेष अत्याचारात्मक कानूनो ने उन्हे पगु बना रखा था।

बाचा खान को ऐसे पिछडे हुए इलाके, चेतना अथवा प्राणहीन वातावरण और पगु जनसाधारण में काम करना पडा। उन्होने सबसे पहले जागीरदारो, खानो और पूँजीपतियो के विरुद्ध आवाज उठाई। निम्न वर्ग के लोगो

को उनकी दीन-हीन दशा और दरिद्रता का अनुभव कराया, उन्हें बताया कि तुम्हारी तबाही और बरबादी भाग्य के कारण नही, प्रत्युत ऊँचा वर्ग इसका उत्तरदायी है, जो तुम्हारे परिश्रम और खून-पसीने की कमाई पर गुलछर्रे उडाता और भोग-विलास की मौजें मनाता है, परन्तु तुम्हें भूख की ज्वाला में जलने के लिये विवश करता है। उन्होने लोगो को समझाया कि खुदा ज़ालिम नही, न्यायकारी है। वह अन्याय नही करता, प्रत्यत सबसे बडा न्यायाधीश है। उसने किसी को बड़ा-छोटा नही बनाया। उसने सबको एक जैसा पैदा किया और अपने प्रसाद और उत्तम पदार्थों को समान रूप से सुलभ बनाया, किन्तु कुछ लोगो ने इन उत्तम पदार्थो को अपने लिए सुरक्षित अथवा निश्चित कर लिया और दूसरो को उनसे सदा के लिये वचित कर दिया। उन्होने जनसाधारण को बताया कि तुम्हारी भूख, अभाव, तगी और दुर्दशा का उत्तरदायी अग्रेज है, जो समुद्र पार से आकर तुम्हे वर्षो से लूट रहा है। तुम्हारे देश की दौलत पर डाके डाल रहा है।

वे गरीब लोगो से हुज्रो (निवास-स्थानो) में जाकर उनके साथ भूमि पर बैठे, उनके दु ख-कष्टो में सम्मिलित हुए और उनकी सहानुभूति सग्रह की। तब उन्हें बताया कि खान भी तुम्हारी ही तरह का रक्त-मास का मनुष्य है। इसलिए इससे डरने की तुम्हें कोई आवश्यकता नही और इसके बराबर चारपाई पर बैठना तुम्हारा अधिकार है।

उन्होंने, अपने आपको हीन समझने की मनोवृत्ति के शिकार गरीबो के दिलो से खानो, पुलिस और सरकार का भय निकालकर उन्हें वीरता, शौर्य और साहस की शिक्षा दी। जिस अग्रेज को देखते ही वे सलाम करते थे, उसके प्रति घृणा दिलाई और उससे टक्कर लेने को तैयार किया।

फिर देश का स्वाधीनता-सग्राम आरम्भ हुआ और आप पूरे चालीस वर्ष तक उस ब्रिटिश साम्राज्यशाही से लडते रहे, जिसके साम्राज्य में कभी सूर्य अस्त नही हुआ था। उसके पास भारी टैंक, हवाई जहाज, बम, बन्दूकें, सगीनें और कभी न समाप्त होने वाली सेना थी और इधर नि शस्त्र विवश असहाय देश के सिपाही— उधर तलवारें थी और इधर गर्दनें। उधर गोलिया थी और इधर छातियां। उधर फाँसी के फदे थे, पशुता और हिंस्रता के भयानक प्रदर्शन थे, जेल और चक्किया थी, किन्तु इधर देश के बलिदानी पतगे। उधर नमरूद[1] के अत्याचार की ज्वाला

१. एक ज़ालिम बादशाह का नाम।

थी और इधर इब्राहीमी ईमान। उधर फिरऔनी श्रोप था और इधर सतोष, सहनशीलता, उधर बूजह्ल की क्रूरता थी और इधर मुहम्मद के दासों का धैर्य। और अन्त में आग फूलों में बदल गई, फिरऔन नील नदी में डूब गया और बूजह्ल मृत्यु का शिकार होकर रहा और अग्रेज की सार्वभौम सत्ता के साम्राज्य का सूर्य सदा-सर्वदा के लिये अस्त हो गया।

इतना कुछ हुआ, जब कही जाकर स्वाधीनता का मुंह देखना नसीब हुआ।

यह इतना सुगम-सरल काम न था! जिन लोगो को यह भ्रम है कि उनके थोथे खोखले नारो, वक्तव्यो और भाषणो से केवल कुछ ही दिनो में स्वाधीनता मिल गई, वे जान-बूझकर अपने आपको धोखा दे रहे है, सचाइयो को झुठला रहे है। उनका यह दावा—

**बहुत बडा फ्राड है,**

**इतिहास का सबसे बडा झूठ है।**

**और—**

**धृष्टता की पराकाष्ठा है।**

अग्रेज इतना दुर्बल, इतना मूर्ख, इतना कायर नही था कि वह शेरे-कालीन (चटाई पर छपे हुए सिह के चित्र) की भाँति के लोगो की गीदड-भबकियो से डरकर भाग जाता। उसे निकालने के लिये, देश को अत्याचार के दानव के कवल से छुडाने के लिये, स्वाधीनता की प्राप्ति के लिये यहा—

**वर्षों तूफानी आन्दोलन, सघर्ष किया गया।**

**लम्बे समय तक शौर्यपूर्ण युद्ध लडा गया।**

**चिरकाल तक भीषण मुकाबले किये गये।**

हमारे स्वाधीनता-सग्राम का इतिहास एक दीर्घ रक्त-रजित कहानी है, जो रोमाचकारी और करुणा-भरी घटनाओ से परिपूर्ण है, जिसका प्रारम्भ दु ख-शोक से भरा था ही—परन्तु अन्त को भी स्वार्थी लोगो और निष्ठुर दावो ने दुख-शोक में डुबोकर छोडा।

इस युद्ध की दिल दहलाने वाली घटनाओ पर दृष्टि डाली जाय, तो मनुष्य के रोंगटे खडे हो जाते है। इसमें देशभक्त योद्धाओ को—

**तलवारों की धार पर नाचना पडा—**

**आग और रक्त की लहरों से खेलना पड़ा—**

महाकाय पर्वतो और चट्टानो से टक्कर लेनी पड़ी।"

इसमें कितने ही हाफिज़, हरिकिशन, हबीबनूर और गाज़ी अब्दुर्रशीद प्राणो पर खेलकर अपने यौवनो को देश की स्वाधीनता की बलिवेदी पर भेंट चढा गये। सैंकडो मनुष्यो ने अपने पवित्र रक्त से स्वाधीनता के वृक्ष को सीचा, उसे परवान चढाया और उसे पतझड के निठुर हाथो से बचाने के लिये अपने तन-मन-धन की बाज़ी लगा दी।

और जब स्वाधीनता मिली, तो उसका सेहरा किस भाग्यशाली के सिर दिखाई दिया, यह एक अलग कहानी है, जिसके विस्तृत विवरण में जाने का अवसर नही।

बाचा खान के कथनानुसार जो होना था, सो हो गया। यह श्रेय जिसके भाग्य में लिखा था, उसे मिल गया। हमारी नि स्वार्थ सेवा थी। कोई लोभ नही था। कोई ग़र्ज़ नही थी, कुर्सी सभालने के न हम इच्छुक है, न इसके न मिलने का खेद है।

यह ठीक है कि बाचा खान देश का बटवारा नही चाहते थे। वे हिन्दुओ और मुसलमानो के मतभेद का कोई ऐसा सुखद हल चाहते थे, जिसमें कोई हानि में न रहे और देश की एकता-अखण्डता भी अक्षुण्ण रहे। परन्तु ऐसा कोई भी हल या सुलझाव अत्यन्त गम्भीर प्रयत्नो से न मिल सका और अन्त में देश का बंटवारा हो गया। भारत और पाकिस्तान, हिन्दुओ और मुसलमानो के दो अलग-अलग राज्य बन गये। अटक पार का प्रदेश पाकिस्तान के हिस्से में आया।

पाकिस्तान की स्थापना के पश्चात् बाचा खान और उनकी सस्था ने इसे अपनी इच्छा से स्वीकार कर लिया। इसका सबसे बडा प्रमाण यह है कि वे यही रह गये। यदि वे पाकिस्तान को स्वीकार न करते, तो बडी आसानी से भारत चले जाते, जहाँ उनके लिये सब कुछ विद्यमान था। परन्तु उन्हें अपना देश प्यारा था। उन्होने यही रहना पसन्द किया। इससे निर्विवाद सिद्ध होता है कि वे इसे मन से स्वीकार कर चुके है। यही नही, अपितु उन्होने पार्लियामेंट (लोकसभा) में देशभक्ति की शपथ ग्रहण की और बार-बार घोषणा की कि पाकिस्तान बनने के बाद इससे हमें कोई वैर-विरोध नही रहा। यह हमारा देश है और इसकी सेवा तथा रक्षा को हम अपना कर्त्तव्य समझते है।

परन्तु इसके बावुजूद कुछ दुष्ट दंगा-प्रिय लोगो ने देश के अधिकार-सम्पन्न

लोगो के दिलो में सदेह और शकाओ का ऐसा विष भर दिया कि बाचा खान की निरन्तर घोषणाओ, आश्वासनो और अपीलो पर भी उनके भ्रम दूर न हो सके। उनका अभिमत न बदल सका।

बाचा खान की सस्था को अवैध घोषित कर दिया गया।

उन्हें गिरफ्तार करके लम्बे समय के लिए जेल में डाल दिया गया।

उनकी सम्पत्तियो और माल-असबाब को जब्त कर लिया गया।

उनके अनुयायियो पर लज्जास्पद अत्याचार किये गये।

और स्वय बाचा खान पर खेदजनक और दिल दुखाने वाले अभियोग लगाये गये।

देश मे वफादारी अथवा देश-भक्ति का मापदण्ड सत्ताधारी लोगो की वफादारी निश्चित किया गया और विरोधी व्यक्तियो पर गद्दार देश-द्रोही और विदेशी सरकारो के एजेण्ट होने का भीषण आरोप लगाकर बाह्य देशो की दृष्टि में पाकिस्तान के मान-गौरव को भारी हानि पहुँचाई गई, क्योकि इससे यह सिद्ध होता था कि यहाँ के कुछ एक सत्ताधारी लोगो को छोडकर और कोई देशभक्त व्यक्ति यहाँ मौजूद नही।

बाचा खान को इस बात का दु ख नही कि—

उनकी आशा-आकाक्षाओ के विरुद्ध देश का बँटवारा क्यो हुआ।

उन्हें इस बात से आघात नही पहुँचा कि—

शासन या सरकार का सचालन सूत्र उनके हाथ में क्यो नही सौंपा गया, जो इसके वास्तविक अधिकारी थे।

**उन्हें केवल इस बात का दु ख है कि—आज उन्हें वे लोग देश-द्रोही होने का अभियोग लगा रहे हैं, जो स्वय कभी भी देश-भक्त नहीं रहे। उनके असीम बलिदानों का आज उन्हें यह फल मिल रहा है कि आज उन जैसे देश-प्रेमी पर, जिन्होंने अपना सब कुछ देश की मान-मर्यादा, गौरव और स्वाधीनता के लिये बलिदान कर दिया, देश-द्रोही का अतिशय घृणित आरोप लगाते हुए वे लोग जरा नहीं शर्माते, जो इस शब्द का यथार्थ अभिप्राय समझ पाएँ, तो उन्हें डूबने के लिये उनकी अपनी लज्जा का पसीना भी काफी होगा।**

बाचा खान को इन बातो से असीम दु ख पहुँचा है और पहुँचना भी चाहिए, क्योकि ये बातें ही कुछ ऐसी हैं कि उनके स्थान पर कोई और होता, तो इस आघात

से या तो उनके हृदय की गति वन्द हो जाती या कम-से-कम मस्तिष्क का सतुलन खो वैठता । परन्तु वाचा खान वडे धैर्यवान है, विशाल हृदय और अथाह सहिष्णुता के मालिक है । वे इस दु ख के वावुजूद उन लोगो की ओर मैत्री का हाथ अभी तक वढा रहे है । वे मुस्करा कर कहते है कि ये लोग नादान है । अपने लाभ-हानि का विचार भी नही कर सकते । ये इतना नही सोचते कि मेरी दोस्ती से उन्हें लाभ ही लाभ है, हानि कोई नही । मै तो खुदाई खिदमतगार हू । मै तो उनकी खिदमत (सेवा) करना चाहता हूँ । मै उनसे उच्च पद नही मागता, हुकूमत नही माँगता, पैसा नही माँगता, मै तो केवल सेवा करने की आज्ञा माँगता हूँ । इसलिए कि यह मेरा स्वभाव वन चुका है । मै आराम से नही वैठ सकता । मै सेवा करने आया हूँ और जव तक जीवित हूँ सेवा करता रहूँगा । यही मेरा जीवन है और यही मेरे जीवन का ध्येय है ।

# पहला भाग

# बाचा ख़ान

## प्रारम्भिक जीवन-वृत्त

पिशावर से २३ मील दूर स्वात नदी के किनारे एक छोटा-सा हरा-भरा कस्बा अवस्थित है, जिसका नाम है. अतमान ज़ई। यह कसवा महादेश हिन्द और पाक के स्वाधीनता-सग्राम के इतिहास मे बडा महत्व रखता है, क्योकि यह वही स्थान है कि जिसे अफगान जाति के गौरव-धन खान अब्दुल गफ्फार खान उर्फ बाचा खान की जन्म-भूमि होने का श्रेय प्राप्त है।

बाचा खान हमारे स्वाधीनता-सग्राम का नायक—जो अपने लम्बे कद, सुन्दर-सुडौल देह-गठन और तेजस्वी मुखाकृति से प्राचीन यूनानी चित्रकारो की महा कृति प्रतिमा-सा जान पडता है।

जो गगन-मण्डल की उच्चता और पर्वतो की सकल्प-दृढता लिये आज भी पूरे धैर्य, सहिष्णुता से अपने स्थान पर खडा है, जिसकी जीवन-गाथा पूरे महादेश के स्वाधीनता-युद्ध की कहानी है।

जिसकी चालीस-वर्षीय राजनीतिक सेवाओ और वलिदानो की करुण कहानी संयुक्त हिन्दुस्तान की हीनतम पराधीनता के युग की कहानी है, जो कठोर पर्वतीय वातावरण में पला हुआ ऐसा लौह-पुरुष है, जिसे अग्रेज साम्राज्य के अत्याचार व हिंसा की भट्टी की नारकीय आग भी न पिघला सकी, जिसके उच्च सकल्प और आत्माभिमान-युक्त प्रतिज्ञा को अग्रेज की महाशक्तिशाली निष्ठुर क्रूर सरकार का उद्दण्ड दमन-चक्र भी झुका न सका, जिसके पाषाण-भेदी साहस और शौर्य ने विपत्तियो के पहाडो को चकनाचूर कर दिया, जिसकी सत्यनिष्ठा की शक्ति ने झूठ के दलवल को धराशायी करके रख दिया।

बाचा खान धृति और तुष्टि की दिव्य मूर्त्ति, वलिदान का ज्वलन्त उदाहरण और आचरण व कर्मनिष्ठा का प्रतीक—जिसके अद्वितीय वलिदानो ने देश और जाति को पराधीनता के नरक से निकालकर स्वाधीनता के स्वर्ग से परिचित कराया, जिसके अदम्य उद्यम, अनवरत प्रयत्नो के आघातो ने अग्रेजो की साम्राज्य सत्ता के महाकाय वुत को खण्ड-खण्ड करके रख दिया और वे इस देश से

अपने शासन प्रभुत्व का आडम्बर उठाने पर वाध्य हो गये ।

वाचा खान—

जिसकी वर्षों की अनिद्रा ने हमारी स्वाधीनता के सुहाने स्वप्न को चरितार्थ किया, जिसकी लम्बे समय में फैली हुई प्रचेष्टाओं ने हमें पराधीनता व दासता के गढे से निकाला, जिसकी चिरकाल की साधना से पाकिस्तान का काल्पनिक राज्य वास्तविकता में बदल गया ।

वाचा खान—जो
देश का मुक्तिदाता है ।
जाति का सच्चा हितैषी है ॥
आजादी का देवता है ।
पाकिस्तान का
मुस्तफा कमाल है ।
अब्राहम लिन्कन है ।
जनरल नासिर है ।

वाचा खान ने होश सभाला तो देश में स्वाधीनता-सग्राम छिड चुका था । हिन्दुस्तान में राजनीतिक आन्दोलन चल रहे थे । कुछ एक सस्थाएँ काम कर रही थी । अग्रेज सरकार का अत्याचार और देशभक्तो का धैर्य दोनो पराकाष्ठा पर पहुँच चुके थे । वर्षों से पराधीनता की शृङ्खलाओ में जकडे हुए मनुष्य करवट लेकर जाग उठे थे और उन शृङ्खलाओ को तोडने के लिये हाथ-पाँव मारने लगे थे । निश्चेष्ट और प्राणहीन लोगो में जीवन का सचार हो चला था । देश के प्रत्येक भाग में 'इन्किलाव जिन्दावाद' के नारे गूँज रहे थे ।

देश के दूसरे भागो में स्वाधीनता की जो ज्वाला भडक उठी थी, उसकी आँच सीमाप्रान्त तक भी आ पहुँची थी । यहाँ भी बहुत से सिरफिरे नौजवान सिर-धड की वाजी लगाकर मैदान में कूद पडे थे । अग्रेज से टक्कर ले रहे थे । स्वाधीनता के प्रदीप पर शलभो की भाँति अपने प्राणों का वलिदान कर रहे थे ।

परन्तु उस समय तक कोई सगठित रूप से काम आरम्भ नही हुआ था । कमेटी की शाखाएँ स्थापित कर दी गई और किसी हद तक सगठित रूप से काम होने लगा । परन्तु फिर भी ये सगठन केवल पिशावर के नागरिक क्षेत्र तक ही सीमित था और सीमाप्रान्त के दूसरे भागो, विशेषत गावो की ओर ध्यान देने

का किसी को अवसर न मिल सका ।

वाचा खान ने इस कमी को वुरी तरह अनुभव किया और इसलिये आरम्भ ही से उन्होने अपना ध्यान पूर्णरूपेण इस ओर दिया और अपने आन्दोलन को सारे प्रान्त में पूरी व्यवस्था और सगठन से चलाया, फैलाया और उसे देशव्यापी वनाया ।

वाचा खान के पिता वहराम खान अतमान जई के वहुत वड़े खान और जमीदार थे। अग्रेज शासको से उनके सम्वन्ध वहुत अच्छे थे। १८५७ ई० के विप्लव को असफल वनाने में उन्होने अग्रेजो की वड़ी सहायता की और उसके वदले में सैकडो एकड भूमि जागीर के रूप में पाई। अपने इलाके के समस्त अग्रेज अफसर उनका सम्मान करते थे और उन्हें समादरवश 'चचा' कहा करते थे।

यह सकीर्ण, अन्धकारमय और घुटा हुआ वातावरण था, जिसमें सवसे पहले खुदाई खिदमतगार वाचा खान ने १८९० ई० में आँख खोली। वह अपने स्वस्थ सवल पिता का पाँचवाँ वच्चा था। उनका खानदान पश्तूनो के प्रसिद्ध कवीले मुहम्मद जई से सम्वन्ध रखता है। आपके जन्म के समय पुरुष सन्तान में से आपके एक वडे भाई अब्दुल जव्वार खान प्रसिद्ध नाम डाक्टर खान साहिव मौजूद थे, जिनकी जन्म-तिथि १८८३ ई० में कही पडती है।

डाक्टर खान साहिव ने मिशन हाई स्कूल पिशावर से मैट्रिक और एडवर्ड कालेज से एफ० ए० किया। एक वर्ष तक वम्बई ग्राण्ट मैडिकल कालेज में रहे और फिर डाक्टरी शिक्षा की सम्पन्नता के लिये इगलिस्तान चले गये।

खान अब्दुल गफ्फार खान ने प्रारभिक शिक्षा घर में प्राप्त की, फिर मिशन हाई स्कूल में पढते रहे। मैट्रिक की परीक्षा में असफल हो जाने के कारण स्कूल छोडकर अलीगढ चले गये, परन्तु वहाँ से शिक्षा अधूरी छोड़कर आना पडा।

पढाई छोडने के वाद पिता ने फौजी नौकरी के लिये वाध्य किया, परन्तु एक अग्रेज अफसर के हाथो अपने मित्र का अपमान होते देखकर आपने यह इरादा भी छोड दिया। फिर पिता ने एन्जीनियरी की शिक्षा के लिये इगलिस्तान भेजना चाहा, जहाँ आपके वडे भाई डा० खान साहिव पहले ही डाक्टरी पढने के उद्देश्य से रह रहे थे। आपकी माता को, जिन्हें सवसे छोटा वच्चा होने के कारण आपसे अत्यन्त स्नेह था, आपका वियोग असह्य था, इसलिये आप अपने पिता की इस इच्छा को पूरा न कर सके। अफसोस कि जिस माता से आपको इतना स्नेह

था, मरते समय उसका मुंह न देख सके, न जनाजे (अरथी) में सम्मिलित हो सके। क्योंकि उस समय आप जेल में थे।

अपने प्रारम्भिक जीवन के विषय में बाचा खान स्वयं कहते हैं —

"हमारी ओर स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करना शरा (धार्मिक विधि-विधान) के विरुद्ध समझा जाता था। परन्तु मसजिदों में छोटे-छोटे विद्यालय होते थे। जिनमें मौलवी कुरआन शरीफ पढ़ाया करते थे और थोड़ी बहुत धार्मिक शिक्षा देते थे। ब्रिटिश काल के आरंभ होते ही ये विद्यालय तो बन्द हो गये, परन्तु उनके बजाय उन्हीं स्थानों पर बहुत थोड़े से स्कूल स्थापित हुए। लोग इन नये स्कूलों के बहुत विरुद्ध थे। परन्तु मेरे पिता इतने संकीर्ण-हृदय न थे। उन्होंने हमें मिशन स्कूल में दाखिल कर दिया। मेरे भाई ने पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिकूलेशन की परीक्षा पास की, एक वर्ष बम्बई के ग्राण्ट मैडिकल कालेज में पढ़े इसके बाद डाक्टरी की शिक्षा पूर्ण करने के लिये इंगलिस्तान चले गये। जब भाई साहिब को इंगलिस्तान भेजने का प्रश्न सामने आया, तो हमारी जाति में बड़ा कोलाहल मचा। लोग यह आशंका प्रकट करते थे कि कहीं वह ईसाई न हो जायें या वहीं प्रवास ग्रहण कर लें। या किसी अंग्रेज महिला से विवाह न रचा लें। अन्तिम बात पूरी भी हुई। परन्तु मेरे पिता ऐसी बातों में उदार दृष्टिकोण रखते थे। उन्होंने कहा कि मैं अपने लड़कों की शिक्षा के मार्ग में बाधा नहीं डालना चाहता।

दुर्भाग्य-वश मैं मैट्रिकूलेशन की परीक्षा पास न कर सका। मेरे इंगलिस्तान भेजने की समस्या पर भी विचार किया गया, परन्तु विधिवशात् खानदान में दो-तीन मौतें हो गईं और यह एक अपशकुन समझा गया। इन घरेलू घटनाओं और अन्धविश्वास के कारण मेरे दो अमूल्य वर्ष व्यर्थ चले गये। अन्त में भाई साहिब के एक अंग्रेज लड़की से विवाह कर लेने के कारण मेरा इंगलिस्तान जाना सदा के लिये स्थगित हो गया और मेरी शिक्षा यहीं समाप्त हो गई।

परन्तु मिशन स्कूल की थोड़े समय की शिक्षा से भी मुझे बहुत लाभ पहुँचा। स्कूल के प्रिंसिपल रेवरण्ट विग्राम के सात्विक स्वभाव और यतित्व ने उन्हें छात्रों में सर्वप्रिय बना दिया था। मैंने अपने प्रिंसिपल को देखकर उसी समय प्रतिज्ञा कर ली कि मैं भी इसी प्रकार अपनी जाति की सेवा करूंगा। अभी मेरे इंगलिस्तान जाने की बात सर्वथा समाप्त नहीं हुई थी और मैंने राजनीतिक क्षेत्र में पग नहीं

रखा था कि मुझे सेना मे भरती होने का शौक पैदा हुआ, ताकि एक सिपाही के रूप में नाम पैदा कर सकू । पठान तो जन्म ही से सिपाही होता है, इसके अतिरिक्त मै एक सभ्रात परिवार का सदस्य था । यह चीज़ मेरे लिये और भी सिफारिश वनी और मेरा आवेदन-पत्र स्वीकृत हो गया ।

"सेना में सम्मिलित होने का मुझे अत्यन्त चाव था । मेरी जान-पहचान के वहुत से लोग ऊँचे-ऊँचे पदो पर आरूढ़ थे । मै मन ही मन में गर्व किया करता था कि मैं विशेप रूप से इस काम के लिये उपयुक्त हूँ । परन्तु अल्लाह को कुछ और ही स्वीकार था । सयोगवश मै अपने फौज़ी मित्र से मिलने गया और वहाँ मैने अपनी आँखो से यह अपमानजनक दृश्य देखा कि एक अधम श्रेणी के अग्रेज ने उन का वुरी तरह से निरादर किया। वस मैने वही से निश्चय कर लिया कि सेना में कदापि कदापि सम्मिलित नही हूँगा । इसके पश्चात् एक वर्प तक अलीगढ मे रहा । वहाँ जाकर उर्दू पढने का शौक पैदा हुआ । अस्तु मौलाना जफर अली खान के दैनिक पत्र "जमीदार" और मौलाना अवुल कलाम आज़ाद के प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्र "अल हिलाल" का,(जो, खेद है कि युद्ध के समय मे वन्द कर दिया गया) मै वडी रुचि से अध्ययन किया करता था । राजनीति से मेरा सम्पर्क यही से आरभ होता है और जातीय-शिक्षा से अभिरुचि मुझे उसी समय से हुई, जवकि १९११ ई० में प्रान्त में वहुत से जातीय विद्यालय स्थापित करने में मैने विशेप भाग लिया था । महायुद्ध के वाद हमारी सेवाओ के वदले में रोलट एक्ट का उपहार भेंट किया गया और महात्मा गाँधीजी ने उसके विरुद्ध कार्यवाही आरभ की, तो मै विना सकोच उसमें सम्मिलित हो गया । दूसरे प्रान्तो की भाति हमारे प्रान्त में भी ऐसी हडताले हुई, जिनका उदाहरण इससे पहले नही मिलता ।

"अतमान ज़ई के ६ अप्रैल १९१९ ई० वाले जलसे में लगभग एक लाख व्यक्ति सम्मिलित हुए । मेरे पिता भी उपस्थित थे । उस समय सत्याग्रह की कोई चर्चा तक न थी, परन्तु इस जलसे का होना अफसरो के लिये पर्याप्त था । अत मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, परन्तु मुकद्दमा नही चलाया । गिरफ्तारी से पहले मुझसे पूछा गया,'क्या तुम पठानो के वादशाह हो?'मैने उत्तर दिया,'मै नही जानता, किन्तु इतना जानता हू कि जाति का सेवक हूँ और इस प्रकार के कानून को चुपचाप सहन नही कर सकता । मेरे पास एक जिरगा भी आया । उसने तरह-तरह की धमकियाँ दी और वहुत सी उथली-उथली युक्तियाँ भी प्रस्तुत की । मै उनमें से

यहां एक युक्ति का वर्णन करना चाहता हूँ । उन्होंने कहा, कि हमारे प्रान्त में 'सीमा-प्रान्तीय अपराध रोधक कानून' लागू है, वह रौलट एक्ट सेकहीं अधिक बुरा है । फिर भी यदि पठानों को उस कानून से कोई विरोध नहीं, तो रौलट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन में क्यों भाग लेते हो । इसके अतिरिक्त दूसरे प्रान्तों ने पठानों के साथ कभी सहानुभूति प्रकट नहीं की । फिर पठान उन पराजित लोगों के लिये क्यों खतरे में पड़ें ? परन्तु इन युक्तियों का मुझ पर कोई प्रभाव न हुआ । मैं अपने विचार पर स्थिर रहा । परिणाम यह हुआ कि बहुत से कार्यकर्ताओं के सहित मुझे गिरफ्तार कर लिया गया । मैं कोई साधारण कैदी तो था नहीं, अपितु बड़ा भीषण अपराधी था । हथकड़ियां डाल कर मुझे जेल में ले जाया गया और जब तक मैं जेल में रहा मेरे पांवों में बेड़ियां पड़ी रहीं । उस समय में मेरा शरीर अब से दुगुण था । मेरा वजन २२० पौंड था । इसलिये मेरे पांव में कोई बेड़ी ठीक नहीं आती थी । यह मुझे ज्ञात नहीं कि मेरे लिये कोई विशेष जोड़ी तैयार की गई या नहीं, परन्तु सत्य है कि मेरे लिये बेड़ियां तलाश करने में उन्हें सख्त परेशानी उठानी पड़ी और अन्त में उन्होंने एक जोड़ी पहनाई, तो मेरे टखने से बहुत सा खून बह निकला, परन्तु जेल के अफसरों को प्रत्यक्ष रूप से कोई चिन्ता नहीं हुई और वे कहने लगे धीरे-धीरे तुम इसके अभ्यासी या स्वभावी हो जाओगे । इसी पर उन्होंने बस नहीं की । मुझ पर एक भीषण अभियोग लगाने की घृणित चेष्टा की । मेरे गाँव के एक पठान को टेलीग्राफ के तार काटने के अपराध में दण्ड हुआ था । उससे पूछा गया कि तुम अब्दुल गफ्फार खान को जानते हो । उसने हाँ में उत्तर दिया और कहा उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस आंदोलन में सम्मिलित हुआ हूँ । इस पर उससे पूछा गया कि क्या उन्होंने तुमको तार काटने के लिये प्रेरित किया था ? उसने इस बात का जोरदार खण्डन किया ।

"मेरे बड़े भाई ने इंगलिस्तान जाकर लन्दन के सेण्ट थामस हस्पताल से एम० आर० एस० की परीक्षा पास की । इसके पश्चात् युद्ध के मोर्चे पर चले गये । युद्ध के पश्चात् वे अभी फ्रांस ही में थे कि यहाँ आंदोलन आरंभ हो गया । उस समय उनको हिन्दुस्तान का एक भी पत्र नहीं मिलता था । उन्होंने वापस आने का प्रयत्न भी किया, परन्तु छ: महीने तक उन्हें लन्दन में प्रतीक्षा करनी पड़ी ।

१६२० ई० में उन्हें वापसी के आदेश मिले, अर्थात् जिस समय उनके पिता, भाई और अन्य सम्बन्धी जेल में थे, उस समय वे फ्रांस में अंग्रेजों की नौकरी कर रहे थे

श्रौर जान-बूझकर उनको इन घटनाओ से अन्धेरे में रखा जा रहा था। जब वे देश लौटे, तो उन्हें बडी कठिनाई से त्यागपत्र देने की अनुमति मिली।

"नौकरी से त्यागपत्र स्वीकृत हो जाने के उपरान्त डा० खान साहिब तो निजीरूप से डाक्टरी करने लगे और मेरी काग्रेस तथा काग्रेस के उद्देश्यो के प्रति रुचि क्रमश बढती गई। एक अवसर पर महात्मा गाँधी जी से मैंने कहा था कि विपत्तियो के शिक्षालय में मनुष्य बहुत कुछ सीख सकता है। मै सोचा करता हूँ कि यदि मै भोग-विलास के जीवन में ग्रस्त हो गया होता और जेल के आनन्द-उल्लास से विभोर होने और उससे लाभ उठाने का अवसर न मिलता, तो मेरी क्या दशा होती! मेरा पहला और दूसरा कारावास सचमुच मेरे लिये एक परीक्षा थी। बाद की सजायें तो उनके मुकाबले में कुछ भी न थी। मैं भगवान का कृतज्ञ हूँ कि उसने आरभ ही में मेरा इतना कडा शिक्षण किया।"

सर अब्दुलकादिर के सम्बन्ध में कहावत है कि शिक्षा छोडने के पश्चात् किसी उच्च अधिकारी की सिफारिश से आप एक दूर के गाँव में अध्यापक नियुक्त किये गये, परन्तु जब चार्ज लेने के लिये बडी कठिनाई से उस गाँव पहुँचे, तो पता चला कि उनके आगमन से थोडी देर पहले उस असामी पर किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर दिया गया है। विदित है कि उस समय आप अत्यन्त निराश होकर अपने भाग्य को कोसते हुए वहाँ से लौटकर घर आये होगे। परन्तु किसे मालूम था कि यह पराजय उनके भव्य भविष्य का पूर्व लक्षण सिद्ध होगी।

बाचा खान भी फौज में न जा सके। एन्जीनियरी की शिक्षा के लिये इगलिस्तान जाने से वचित रहे। उन्हें स्वयं उस समय इस बात का बहुत दु ख हुआ या नही, अपने-पराए उन्हें अवश्य दुर्भाग्य समझते होगे। परन्तु विधाता की कुछ और ही इच्छा थी। उसने इनसे एक ऐसा महान कार्य लेना था, जो फौजी कमीशन और एन्जीनियरी से कही अधिक महत्त्वपूर्ण और आवश्यक था।

वे अपने भाई की भाति डाक्टर न बन सके परन्तु विधाता ने उन्हें अपनी जाति का कर्णधार बना दिया। वह फौजी कमेशन न प्राप्त करके बडे अधिकारी न बने, परन्तु भगवान ने उन्हें अपनी जाति का बेताज बादशाह बना दिया।

जैसा कि बाचा खान ने स्वयं कहा है—'उनके पिता बडे नेक और उदार-हृदय मनुष्य थे। वे अपने शत्रुओ से प्रतिशोध लेना नही जानते थे।' बाचा खान ने बहुत सी अच्छी बातें अपने पिता से बपौती के रूप में पाई। वे अपने पिता की

बहुत प्रशंसा करते हैं।

आपके पिता बड़े समझदार व्यक्ति थे। वे बच्चों पर कड़ा अंकुश रखने या उनसे उनके स्वभाव के विरुद्ध कोई काम कराने में विश्वास नहीं रखते थे। अस्तु उन्होंने बाचा खान को अपने हाल पर छोड़ दिया। अपनी खेतीबाड़ी का प्रबन्ध उन्हीं को सौंप दिया और उनकी इच्छा के अनुसार विवाह कर दिया।

बाचा खान ने बाद को एक दूसरा ब्याह भी किया और दोनों पत्नियों से उनके यहां तीन लड़कों अब्दुलवली खान, अब्दुलगनी खान, अब्दुलअली खान, और एक लड़की ने जन्म लिया, जिसका विवाह सीमाप्रान्त के भूतपूर्व शिक्षा मंत्री यहीया खान से कर दिया गया।

बाचा खान अपनी बीवी-बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसके बावुजूद प्रत्येक समय गहरी सोच में मग्न दिखाई देते। बीवी उन्हें खोए-खोए भाव पर टोकती। उसकी समझ में न आता कि संसार भर के सुख प्राप्त होने पर भी उसका पति सदा चिन्तित क्यों रहता है?

बाचा खान की पहली पत्नी अधिक समय जीवित न रही और केवल पचीस वर्ष की आयु में अपने पति और बच्चों को सदा के लिये वियोग देकर स्वर्ग को सिधार गई।

बाचा खान की अशान्ति बढ़ गई, यहाँ तक कि पहले महायुद्ध की समाप्ति पर उन्होंने अपने युवा बच्चों को अपनी बूढ़ी माता की देख-रेख में छोड़ते हुए अपने दुःख और चिन्ताओं को राष्ट्रीय सेवा की लगन तथा व्यस्तता में डुबो दिया।

अब उन्हें कोई दुःख, कोई चिन्ता, कोई कष्ट नहीं रहा था। उन्होंने अपना कार्य ढूंढ लिया। उन्होंने नई लगन पा ली। अपनी जाति, अपनी जनता, अपने देश और अपनी स्वाधीनता की अमिट लगन—

पख्तूनों को संगठित, शिक्षित और सुव्यवस्थित होना चाहिए। उन्हें सभ्य और स्वाधीन होना चाहिये। उन्हें दूसरे लोगों के समान दर्जा मिलना चाहिये। गृहयुद्ध, आपस की दुश्मनियाँ, स्वार्थ, पक्षपात और द्वेष दूर होने चाहियें।

यह सोचते ही वे एक-एक व्यक्ति के पास जाकर विचार-विनिमय करने लगे। उनका ध्यान जाति की दरिद्रता, दुर्दशा और उनके अन्धकार समाच्छन्न जीवन की ओर दिलाने लगे। उन्हें अपना सहमत बनाने लगे। सोचने-समझने का निमन्त्रण देने लगे—आप उनके हुज्रों में गये, घरों में गये, खेतों में गये,

और उन्हे बताया कि तुम्हारी दरिद्रता, भूख, दुर्दशा खुदा की ओर से नही , प्रत्युत अंग्रेजो की देन है, जिन्होने तुम्हें गुलाम बना रखा है, जो तुम्हारा रक्त शोषण कर रहे है, जो तुम्हारी दौलत लूट रहे है—अस्तु, अपनी दशा सुधारना चाहते हो, तो आओ हमारे साथ मिलकर इस दासता की शृङ्खला को काटो ? इस पराधीनता के प्रपच को तोडो ? इस अपमान के जुए को उतारो—

उन्होने लोगो को बताया कि तुम मनुष्य हो, तुम्हें उसी तरह जीने का अधिकार है, जिस प्रकार दूसरे धनाढ्य लोगो को—तुम मजदूर लोग धरती के प्राण हो, समाज और व्यवसाय की नीव हो, जीवन के आत्मा हो, शहरो, गाँवो, खेतो, बागो, कारखानो, मिलो की चहल-पहल तुम्हारे दम से है, खान की खानी, जमीदार की जमीदारी, शासक की शासकता, नव्वाब की नव्वाबी तुम्हारे कारण से है ।

तुम्हें खेतो मे सोना उगाकर भूखा नही मरना चाहिये । तुम्हें लोगो को मूल्यवान कमखाव और ज़री के वस्त्र पहनाकर स्वय नगा नही रहना चाहिये । तुम्हारे बच्चो के लिये शिक्षा, बीमारो के लिये चिकित्सा-औषधि की सहायता और बेकारो के लिये काम-काज का प्रबन्ध होना चाहिये ।

उन्होने गरीबो और असहाय लोगो से कहा कि यू रोने-धोने से और घरो में बैठकर केवल दुआएँ मागने, प्रार्थनाएँ करने से भाग्य नही बदला करते । इसके लिये कार्य, परिश्रम, बलिदान और प्रयत्न की आवश्यकता है ।

उन्होने अकर्मण्य, चेतनाहीन ढाचो को सम्बोधित करके उन्हे अल्ला या 'इकबाल' के शब्दो मे समझाया ।

> **"बदरिया गलत व बा-मौजश दर आवेज ।**
> **हयाते जावदां, अन्दर सतेज अस्त ॥"**

—अर्थात् "दरिया में कूद जा और मौजो (लहरो) के साथ भिड जा, क्योकि सदा रहने वाला जीवन या अमरत्व सघर्ष में है ।"

बाचा खान के पिता ने लगभग पचानवे (६५) वर्ष की आयु मे १६२६ ई० को देहत्याग किया ।

अपने पिता के अतिरिक्त बाचा खान हाजी साहिब तरगजई से बहुत प्रभावित हुए । शिक्षा छोडने के पश्चात् १६११ ई० मे एक कार्यकर्ता के रूप में आपने सबसे पहले हाजी साहिब के साथ काम करना आरभ किया । उनके साथ दौरे किये और उनका हाथ बटाया ।

दिवगत हाजी साहिब तरंगजई ने अपने सतत प्रयत्नों से प्रान्त के विभिन्न भागों में ७२ विद्यालय स्थापित किये और हजारों कबाइली और गैर कबाइली छात्रों ने उनसे लाभ उठाया। हाजी साहिब तरंगजई के देश-त्याग (हिज्रत) के वाद उनके द्वारा स्थापित प्राय विद्यालय बन्द हो गये। आपके हजारों अनुयायी यहां विद्यमान थे, परन्तु उनमें से केवल बाचा खान ही एक ऐसा व्यक्ति निकला, जो उनका सच्चा अनुयायी सिद्ध हुआ और जिसने अपने आप में उनके चरण-चिह्नों पर चलने की पूरी क्षमता और योग्यता उत्पन्न करके दिखाई।

# स्वतंत्रता-संग्राम का प्रारम्भ

## रोलट एक्ट १९१९ के विरुद्ध आंदोलन

यू तो बाचा खान ने १९११ ई० ही से अपने प्रयत्नो का श्रीगणेश कर दिया था, परन्तु उस समय एक स्वयसेवक के रूप में हाजी साहिब तरगज़ई के साथ सम्मिलित हुए थे और खुले रूप से सामने नही आने पाये थे ।

हाजी साहिब के हिज्रत कर जाने के बाद आप कुछ समय तक मौन रहे । अन्त में पूरे विचार और चिन्तन के पश्चात् बाचा खान ने अपने लिये कार्य पद्धति तैयार की और उसके अनुसार महान् नेता हाजी साहिब तरगजई के अधूरे प्रचार सम्बन्धी, सुधारात्मक और शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम को पूरा करने और उसे आगे बढाने के लिये अपने प्रयत्नो को आरभ किया ।

अब बाचा खान एक नेता की हैसियत से सामने आए, एक निश्चित कार्यक्रम लेकर आये । इसलिये वास्तव में इसी समय से आपके प्रयत्नो का श्रीगणेश होता है ।

इस समय आप केवल सामाजिक कार्य करना चाहते थे और राजनीतिक क्षेत्र में आने का कोई इरादा नही रखते थे ।

यह १९१९ ई० का ज़माना था । पहले महायुद्ध की समाप्ति पर रोलट एक्ट के विरुद्ध व्यापक आदोलन ने सारे देश को अपने लपेट में ले लिया । सीमाप्रान्त के एक कोने से दूसरे कोने तक भी यह आदोलन जगल की आग की भाति फैल गया । सीमाप्रान्त के निवासियो के दिलो में वर्षों की दबी हुई स्वाधीनता की चिनगारी भीषण ज्वाला बनकर भडक उठी । प्रत्येक ओर जलसे-जुलूसो ने लोगो के दिलो में वह उत्तेजना और जोश-खरोश पैदा कर दिया, जिसे दबाना कठिन हो गया । अग्रेजी सरकार ने स्थिति को काबू से बाहर होते देखकर देश में आम गिरफ्तारियाँ आरभ कर दी । हिन्दुस्तान के समस्त उच्च कोटि के नेताओ के साथ-साथ सीमाप्रान्त के नेताओ को भी जेल मे बन्द कर दिया गया ।

सीमाप्रान्त मे यह सबसे पहला स्वाधीनता का आदोलन था । एक दिन अकस्मात् प्रात पिशावर शहर में यह समाचार फैल गया कि रोलट एक्ट पास हो

गया है । उन दिनों दिवंगत डाक्टर सी० सी० घोष की दुकान (कटरा गिरजाघर के निकट अवस्थित) राजनीतिक सरगर्मियों का केन्द्र बनी हुई थी । अत उसी स्थान पर निम्नलिखित महानुभाव एकत्रित हुए—

क़ाजी अब्दुलवली
हकीम अब्दुल जलील
हकीम मुहम्मद असलम सजरी
सरदार मिलाप सिंह
उग्र वश
आया राम
डाक्टर घोष (और कुछ अन्य हिन्दू नवयुवक)

उन्होंने एक मीटिंग करके निर्णय किया कि नगर में हडताल कराई जाय । अस्तु सबसे पहले डाक्टर घोष ने अपनी दुकान बन्द की और इसके बाद देखते-ही-देखते सारे शहर में हडताल हो गई । सीमाप्रान्त मे यह सबसे पहली हडताल थी, जो राजनीतिक उद्देश्यो को दृष्टिगोचर रखते कराई गई ।

अब्दुल अजीज खुशबाश ने काला झण्डा उठाया और उस काले बिल (रोलट एक्ट) के विरुद्ध नारे लगाता हुआ जन-समूह जुलूस के रूप मे चल पडा । जब अढाई बजे दिन के सारे शहर का चक्कर काटकर यह जुलस वापस आ रहा था, तो उसके साथ तीस हजार लोगो का समारोह था, जो 'रोलट बिल हाय-हाय' के नारे लगा रहा था । इसके पश्चात् एक विराट् जलसा हुआ, जिसमें हकीम अब्दुल जलील और हकीम मुहम्मद असलम सजरी ने अपने भाषणो में रोलट बिल की व्याख्या करते हुए लोगो को सावधान किया कि यदि यह बिल हम पर ठूसा गया, तो हम सर्वथा पगु होकर रह जायेगे । इसलिये इसे किसी भी मूल्य पर स्वीकार नही करना चाहिये ।

अब से समारोह प्रत्येक दूसरे दिन होने लगा, क्योकि हिन्दुस्तान भर मे बडे भयानक समाचार आ रहे थे । दिल्ली, बम्बई, गुजरांवाला, लाहौर, कराची, कलकत्ता और मद्रास में राष्ट्रीय कार्य-कर्ताओ पर गोली चलाये जाने और अग्रेजी अधिकारियो के विविध अत्याचारो की कहानिया आत्माभिमानी पश्तूनो के भडकाने को क्या कम थी, कि अकस्मात् अमृतसर से जलियांवाला बाग के रक्त-रजित नृशस गोलीकाण्ड की सूचना ने जलती पर तेल का काम किया । जहां

एक हिंस्र पशुवृत्ति अग्रेज फौजी अधिकारी जनरल अडवायर की आज्ञा से निहत्थे, शान्तिप्रिय लोगो पर अधाधुध गोलिया वरसाई गई और जिसमें सैकडो देशभक्तो का बलिदान हुआ। इस घटना से सीमाप्रान्त की जनता के दिल क्रोध और शोक से भर गये और चारो ओर अशान्ति और व्याकुलता की लहर दौड गई ? पन-तीर्थ पिशावर के एक विराट् जन समागम में नौजवान पश्तून कवि ने अपनी वह विख्यात कविता पढी, जिसके टीप का पद था—

**"नंगयालया पासा मुकाम दे नंग दै,**
**यूरोप दे लासा हिन्दुस्तान तग दै।"**

भावार्थ—"ऐ गैरतमन्द, आत्माभिमानी पश्तून उठ कि तेरे लिये लज्जा की वात है, यूरोप के हाथो हिन्दुस्तान तग आ चुका है।"

पिशावर मे निरन्तर जलसे और प्रदर्शन हो रहे थे, जिनमें हिन्दू-मुसलमान सगठित रूप से भाग लेते थे। ये जलसे मसजिद कासिमअली खान, मसजिद महावत खान, मसजिद ईदगाह, पनतीर्थ, नमक मण्डी और चौक चादमार में होते, जिनमें हजारो लोग सम्मिलित होते।

इसी वीच में एक दिन पिशावर शहर मे पोस्टर लगे हुए देखे गये, जिन पर अमानुल्लाह खान (अफगानिस्तान के वादशाह) की मुहर लगी थी और विषय यह था कि वे शीघ्र पिशावर पहुँच रहे है। (इस पोस्टर के तीसरे दिन अफगान-युद्ध का आरभ हुआ)

इस पोस्टर ने अग्रेज अधिकारियो को वौखला दिया और दूसरे ही दिन सेना शहर में दाखिल हो गई। खच्चरे, घोडे, रिसाले, गोरखा, राजपूत और भारी सख्या में गोरा फौज, जिसे वाला हसद, रेसकोर्स आदि स्थानो पर उतारा गया, प्रात सात वजे से दिन के वारह वजे तक शहर से गुजरती रही, वारह वजे शहर के दरवाज़े वन्द करके शहरियो को घेर लिया गया और उन नेताओ के नाम एक पोस्टर के द्वारा प्रचारित किये गये, जो अभी गिरफ्तार न हो पाए थे। साथ ही चीफ कमिश्नर (मुख्य आयुक्त) सर जार्ज रोस कैपल, डिप्टी कमिश्नर कर्नल केन था और सिटी मैजिस्ट्रेट मडकाफ (जो वाद में रेजिडेन्ट जनरल आल इण्डिया और आल इण्डिया गृहमत्री भी रहा) की ओर से शहरियो को एक नोटिस मिला कि इन नेताओ को यदि सरकार के हवाले न किया गया, तो नागरिको का पानी वन्द कर दिया जायगा। इन नेताओ के नाम ये थे—

काजी अब्दुल वली, हकीम अब्दुलजलील, सरदार मिलापसिंह, शिवराम, आयाराम, लालीराम, अगना जटी शाह, मुहम्मद आशिके फ्रूट मर्चेण्ट, हकीम मुहम्मद असलम सजरी, उम्र बख्श, सैयद अब्दुल्लाह शाह।

सबसे पहले अफगानिस्तान के वकील इल्लनजार को गिरफ्तार किया गया और कुछ विख्यात अफगान व्यापारियों को हिरासत में ले लिया गया। नेताओं की गिरफ्तारी के लिये पुलिस ने नगर के विभिन्न भागों में सैकड़ों छापे मारे। इसी अवसर मे हकीम मुहम्मद असलम सजरी, हकीम महमूद सजरी, काजी अब्दुलवली, उम्रबख्श और आयाराम आदि फरार होकर अफगानिस्तान चले गये। शेष कार्यकर्त्ता और नेताओं को गिरफ्तार करके बर्मा भेज दिया गया।

इसके पश्चात् गिरफ्तारियों का दौर प्रारभ हुआ, जिनमे अधाधुध गिरफ्तारियां की गई। हजारा और अतमान जई के सैकड़ो कार्यकर्त्ताओ को नान पोलिटिकल (अराजनीतिक) घोषित करके जेलो में डाल दिया गया। गिरफ्तार किये गये नेताओ और कार्यकर्त्ताओ को विभिन्न प्रकार के दण्ड दिये गये, जिसमें छ मास से दो वर्ष तक कारावास और चौबीस-चौबीस कोडा-प्रहार के दण्ड भी सम्मिलित थे।

मिर्जा शाइर, माचले वाल, आगा चन शाह आदि को गुण्डे घोषित करके लाहौर जेल मे भेज दिया गया, जहाँ उन्हे कोडे लगाये गये। यह बडा भीषण दण्ड था। इस दल में सबसे किशोर लडका अब्दुल अजीज खुशबाश था, जिसे 'सीमाप्रान्त अपराध दण्ड विधान' के अधीन तीन वर्ष कडा कारावास का दण्ड दिया गया।

बाचा खान सबसे पहले इसी अवसर पर सर्व-विदित हुए। वे अब तक अपने सुधारात्मक कार्य में व्यस्त थे और अभी तक राजनीतिक कण्टकाकीर्ण क्षेत्र में पग न रखने पाये थे। आप चाहते थे कि राजनीति से दूर रहकर जातीय शिक्षा, और सामाजिक दशा को सुधारने और अच्छा बनाने की चेष्टा करे। परन्तु देश की परिस्थिति ने कुछ ऐसा भीषण मोड ग्रहण किया कि आपसे न रहा गया। आपने इस शोचनीय अवसर पर केवल दर्शक बनना पसन्द न किया और अल्लाह का नाम लेकर क्राति के इस अग्निकाड में छलाग लगा दी।

शहर की भीषण घटनाओ के समाचार धीरे-धीरे गाँवो में पहुँचे। बोडबीर गाँव में सबसे पहला ग्रामीण सम्मेलन हुआ। इसके बाद इसी अप्रैल मास की दस तारीख को बाचा खान ने अतमान ज़ई मे जलसा किया। इस जलसे मे दूर-दूर

स्थानो के लोग आकर जमा हुए । कहा जाता है कि एक लाख व्यक्ति इस जलसे मे सम्मिलित हुए ।

बाचा खान का यह पहला जलसा था और अतमान जई के इतिहास मे भी पहला राजनीतिक सम्मेलन था, जिसमें बाचा खान ने अपना सबसे पहला भाषण किया ।

आपने अपने ओजस्वी भाषण में रोलट बिल की घोर निन्दा की और हिन्दुस्तान के विभिन्न शहरो में अग्रेजो के अत्याचार और हिंसा के विरुद्ध प्रबल रोष प्रकट किया । आपने सीमाप्रान्त के खानो की अग्रेज-भक्ति, जन-शत्रुता और जाति-द्रोह के विरुद्ध भी बहुत कुछ कहा । उन्होने बताया कि हमारी पराधीनता और दुर्दशा के उत्तरदायी यही लोग है, जो केवल अपने स्वार्थ और रक्षा के लिये सरकार के हाथ दृढ कर रहे है ।

आपके भाषण से पख्तून जनता बहुत प्रभावित हुई और प्रत्येक ओर आप की चर्चा होने लगी । परन्तु खान लोग आपके घोर विरोधी हो गये । आपके गाँव मे आपसे कही अधिक बडे-बडे खान मौजूद थे । आप चाहते, तो उनकी प्रशसा करके उनकी सहानुभूति और सहयोग प्राप्त कर सकते थे, जो आपके नेतृत्व के लिये लाभदायक भी था, परन्तु आपने मुट्ठीभर खानो के स्थान पर अपने देश के हज़ारो लाखो गरीब जन-साधारण का नेता बनना पसन्द किया, उनका विश्वास प्राप्त किया और बडे-बडे लोगो की नाराज़गी की परवाह न की ।

इस भाषण के शीघ्र ही बाद अतमान ज़ई में गिरफ्तारियाँ आरभ हो गई । सेना ने गाँव पर घेरा डाल दिया और डेढ सौ के लगभग प्रमुख कार्यकर्त्ताओ को गिरफ्तार कर लिया, जिनमे आपके पिता बहराम खान भी सम्मिलित थे ।

अब पुलिस को आपकी तलाश थी, परन्तु आप रातो-रात अपने दो साथियो अब्बास खान और अहमद मियाँ के साथ सीमा पार करके महमन्दो के इलाके मे हाजी साहिब तरगज़ई के पास जा पहुँचे । आप आज़ाद कबीलो में पहुँचकर अग्रेजो के विरुद्ध काम करना चाहते थे ।

सरकार ने पहले तो समझा कि आप गाँव ही में छिपे है, इसलिये वहाँ विभिन्न लोगो के घरो पर छापे मारती और गाँववालो को तग करती रही, परन्तु जब उसे आपके गैर इलाके में चले जाने का प्रमाण मिल गया, तो वह बहुत घबराई और आपको किसी व्यक्ति के द्वारा कहला भेजा गया कि 'यदि तुम वापस न आये, तो तुम्हारे पिता को फासी दे दी जायगी और सारी सम्पत्ति जब्त कर ली जायगी'—

काजी अब्दुल वली, हकीम अब्दुलजलील, सरदार मिलापसिंह, शिवराम, आयाराम, लालीराम, अगला जटी शाह, मुहम्मद आशिर मट सर्वेण्ट, हकीम मुहम्मद असलम सजरी, उम्र बख्श, सैयद अब्दुल्लाह शाह।

सबसे पहले अफगानिस्तान के वकील इन्तजार को गिरफ्तार किया गया और कुछ विख्यात अफगान व्यापारियो को हिरासत में ले लिया गया। नेताओं की गिरफ्तारी के लिये पुलिस ने नगर के विभिन्न भागों में सैकड़ो छापे मारे। इसी अवसर मे हकीम मुहम्मद असलम सजरी, हकीम महमूद सजरी, काजी अब्दुलवली, उम्रबख्श और आयाराम आदि फरार होकर अफगानिस्तान चले गये। शेप कार्यकर्त्ता और नेताओं को गिरफ्तार करके बर्मा भेज दिया गया।

इसके पश्चात् गिरफ्तारियों का दौर आरम्भ हुआ, जिसमे अधाधुंध गिरफ्तारियां की गई। हजारा और अतमान जई के सैकड़ों कार्यकर्त्ताओं को नान पोलिटिकल (अराजनीतिक) घोषित करके जेलों में डाल दिया गया। गिरफ्तार किये गये नेताओं और कार्यकर्त्ताओं को विभिन्न प्रकार के दण्ड दिये गये, जिनमें छ मास से दो वर्ष तक कारावास और चौबीस-चौबीस कोडा-प्रहार के दण्ड भी सम्मिलित थे।

मिर्जा शाइर, माचले वाल, आगा चन शाह आदि को गुण्डे घोपित करके लाहौर जेल मे भेज दिया गया, जहां उन्हे कोडे लगाये गये। यह वडा भीपण दण्ड था। इस दल मे सवसे किशोर लडका अब्दुल अजीज खुशवाश था, जिसे 'सीमाप्रान्त अपराध दण्ड विधान' के अधीन तीन वर्ष कडा कारावास का दण्ड दिया गया।

वाचा खान सवसे पहले इसी अवसर पर सर्व-विदित हुए। वे अव तक अपने सुधारात्मक कार्य मे व्यस्त थे और अभी तक राजनीतिक कण्टकाकीर्ण क्षेत्र में पग न रखने पाये थे। आप चाहते थे कि राजनीति से दूर रहकर जातीय शिक्षा, और सामाजिक दशा को सुधारने और अच्छा वनाने की चेष्टा करे। परन्तु देश की परिस्थिति ने कुछ ऐसा भीपण मोड ग्रहण किया कि आपसे न रहा गया। आपने इस शोचनीय अवसर पर केवल दर्शक वनना पसन्द न किया और अल्लाह का नाम लेकर क्रांति के इस अग्निकाड में छलांग लगा दी।

शहर की भीपण घटनाओं के समाचार धीरे-धीरे गाँवो मे पहुँचे। वोडवीर गाँव में सवसे पहला ग्रामीण सम्मेलन हुआ। इसके वाद इसी अप्रैल मास की दस तारीख को वाचा खान ने अतमान जई में जलसा किया। इस जलसे मे दूर-दूर

स्थानो के लोग आकर जमा हुए। कहा जाता है कि एक लाख व्यक्ति इस जलसे में सम्मिलित हुए।

बाचा खान का यह पहला जलसा था और अतमान ज़ई के इतिहास में भी पहला राजनीतिक सम्मेलन था, जिसमें बाचा खान ने अपना सबसे पहला भाषण किया।

आपने अपने ओजस्वी भाषण में रोलट बिल की घोर निन्दा की और हिन्दुस्तान के विभिन्न शहरो में अग्रेजो के अत्याचार और हिंसा के विरुद्ध प्रबल रोष प्रकट किया। आपने सीमाप्रान्त के खानो की अग्रेज-भक्ति, जन-शत्रुता और जाति-द्रोह के विरुद्ध भी बहुत कुछ कहा। उन्होने बताया कि हमारी पराधीनता और दुर्दशा के उत्तरदायी यही लोग है, जो केवल अपने स्वार्थ और रक्षा के लिये सरकार के हाथ दृढ कर रहे है।

आपके भाषण से पख्तून जनता बहुत प्रभावित हुई और प्रत्येक ओर आप की चर्चा होने लगी। परन्तु खान लोग आपके घोर विरोधी हो गये। आपके गाँव में आपसे कही अधिक बडे-बडे खान मौजूद थे। आप चाहते, तो उनकी प्रशसा करके उनकी सहानुभूति और सहयोग प्राप्त कर सकते थे, जो आपके नेतृत्व के लिये लाभदायक भी था, परन्तु आपने मुट्ठीभर खानो के स्थान पर अपने देश के हज़ारो लाखो गरीब जन-साधारण का नेता बनना पसन्द किया, उनका विश्वास प्राप्त किया और बडे-बडे लोगो की नाराज़गी की परवाह न की।

इस भाषण के शीघ्र ही बाद अतमान ज़ई मे गिरफ्तारियाँ आरभ हो गई। सेना ने गाँव पर घेरा डाल दिया और डेढ सौ के लगभग प्रमुख कार्यकर्त्ताओ को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें आपके पिता बहराम खान भी सम्मिलित थे।

अब पुलिस को आपकी तलाश थी, परन्तु आप रातो-रात अपने दो साथियो अब्बास खान और अहमद मियाँ के साथ सीमा पार करके महमन्दो के इलाके में हाजी साहिब तरगज़ई के पास जा पहुँचे। आप आज़ाद कबीलो में पहुँचकर अग्रेजो के विरुद्ध काम करना चाहते थे।

सरकार ने पहले तो समझा कि आप गाँव ही मे छिपे है, इसलिये वहाँ विभिन्न लोगो के घरो पर छापे मारती और गाँववालो को तग करती रही, परन्तु जब उसे आपके गैर इलाके मे चले जाने का प्रमाण मिल गया, तो वह बहुत घबराई और आपको किसी व्यक्ति के द्वारा कहला भेजा गया कि 'यदि तुम वापस न आये, तो तुम्हारे पिता को फासी दे दी जायगी और सारी सम्पत्ति जब्त कर ली जायगी'—

यह समाचार सुनकर आप बहुत परेशान हुए और तुरन्त यहा आकर अपने आपको गिरफ्तारी के लिये पेश कर दिया।

इसके छः महीने बाद अर्थात् १९२० ई० के आरंभ मे इण्डिया गवर्नमेण्ट और अफगानिस्तान सरकार के विधिवत समझौते के साथ ही उन समस्त राजनीतिक बन्दियो को मुक्त कर दिया गया। बाचा खान भी जेल से बाहर आ गये।

यह संघर्ष से भरपूर दौर सीमाप्रान्त में राजनीति का प्रारम्भिक दौर था।

**हिज्रत आदोलन—**

१९२० ई० मे बाचा खान रिहा होकर आये तो सीमाप्रान्त में हिज्रत का आन्दोलन आरंभ हो गया। मौलाना अब्दुल बारी ने लखनऊ से फतवा (व्यवस्था) जारी किया कि हिन्दुस्तान दारुल हर्ब[1] है, इसलिये मुसलमानो को यहां से हिज्रत (गृह-त्याग) करके किसी इस्लामी देश में चला जाना चाहिये। इस फतवे का सबसे पहले पंजाब और सीमाप्रान्त ने समर्थन किया। सीमाप्रात के नेताओ ने जन साधारण को देश-त्याग (हिज्रत) पर उकसाया और लोग अपनी सारी सम्पत्ति औने-पौने बेचकर बाल-बच्चो सहित महाजरो (देशत्याग करने वाले) काफलो मे शामिल होने लगे। प्रतिष्ठित मुस्लिम विद्वानो और महान् नेताओ ने क़ुरान और हदीस के हवाले दे-देकर लोगो को देश-त्याग के लिये प्रस्तुत किया। प्रान्त के एक कोने से दूसरे कोने तक एक प्रलय सी मच गई थी। शताब्दियो के आबाद घर उजड रहे थे। माल-असबाब कौडियो के मोल नीलाम हो रहे थे। सम्पत्तियां बेची जा रही थी। खडे शस्य और फसलें जलाई जा रही थी। बाप बेटो और बेटे माताओ से विलग हो रहे थे। जवान बेटियो के विवाह में माता-पिता इतनी उतावली मे काम ले रहे थे कि बिना जानेबूझे, देखेभाले, जो नौजवान सामने आता निकाह ( विवाह ) पढ़वा कर उसके पल्ले बांध देते। जो बूढे माता-पिता यात्रा करने में असमर्थ थे, वे अपने बच्चो को अश्रुभरी आखो और कम्पित हाथो से विदा कर रहे थे। चारो ओर महिलाओ के करुण क्रन्दन, बच्चो के रोदन से हाहाकार मचा था। जिधर देखो, लोग जाने की तैयारियो में व्यस्त दिखाई देते थे। प्रत्येक ओर से ये आवाजें आती—

---

१. ऐसा देश, जहां मुसलमानो को धार्मिक स्वाधीनता न हो।

**बरबाद हो परवा नहीं।**
**नाशाद हो परवा नहीं।**
**ऐ, दोस्तो, जो कुछ भी हो काबुल चलो काबुल चलो ॥'**

सबसे पहला जत्था मौलाना अब्दुल-अज़ीज अमृतसरी प्रसिद्ध नाम 'अज़ीज हिन्दी' लेकर यहाँ पहुँचे, जिसमें उनके सम्बन्धी और मित्र सम्मिलित थे। इस अवसर पर पिशावर के लोगो ने एक हिज्रत-समिति बनाई, जिसमें हाजी जान मुहम्मद, अलीगुल खान और शेष समस्त मुस्लिम और गैर मुस्लिम जातीय कार्य-कर्त्ता भी सम्मिलित थे। यह समिति महाजरीन, (गृह-त्याग करने वालो) की सहायता और उनके स्वागत के लिये बनाई गई, जिसका कार्यालय बजौडी गेट के बाहर स्थापित किया गया। उसमें अनेक स्वयसेवक शामिल हुए। सीमा-प्रात के लोगो ने असीम बलिदान से काम लिया और आर्थिक सहायता की, अस्तु समिति के कार्यालय से पाँच व्यक्तियो से लेकर पॉच हज़ार व्यक्तियो तक के जत्थे रवाना किये गये और उनके खाने-पीने का प्रबन्ध किया गया। पिशावर से लेकर अफगानिस्तान की सीमा तक खाद्य और पानी का स्थान-स्थान पर कबीलो ने प्रबन्ध किया। यू तो पजाब और सिन्ध से भी काफले आ रहे थे, परन्तु सीमाप्रान्त निवासी तो मानो सब घर-बार छोडकर चल पडे। एक जत्था जान मुहम्मद जानी सिन्ध से लेकर आया, जिसमे हज़ारो व्यक्ति थे। यह जत्था दो दिन पिशावर में ठहरने के बाद अफगानिस्तान रवाना हो गया। पिशावर और सीमाप्रान्त के दूसरे भागो से क्रमश काफिलो का ताता बँध गया। महाजर इतना कुछ सामान लेकर पैदल और जानवरो पर अफगानिस्तान मे प्रविष्ट हुए कि अफगानिस्तान की भूमि उनके लिये अपर्याप्त हो गई। अफगानिस्तान के बादशाह ने महाजरो के इस प्रवाह को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। महाजरो की असीम भीड टिड्डी-दल की भाति खेतो और मैदानो में खुले आकाश के नीचे पडे-पडे भूख और प्यास से दम तोडने लगी। स्त्रियाँ, बच्चे और नौजवान एक गिलास पानी और एक टुकडा रोटी के लिये अपनी मान-मर्यादा और सतीत्व तक बेचने पर विवश हो गये। अब न तो वे आगे जाने में समर्थ थे, न पीछे लौटने की क्षमता रखते थे।

यह दु ख और शोक भरे समाचार, जब यहाँ पहुँचे, तो महाजर समिति को विवशत फैसला करना पडा कि महाजरो के और काफिले भेजने बन्द कर दिये जाए। परन्तु यहा ऐसा वातावरण पैदा हो चुका था कि लोग उनके फैसले को

सदेह ग्रौर शका की दृष्टि म देखने लगे ग्रौर उन पर गद्दार ग्रौर जाति-द्रोही का ग्रारोप लगाकर उन्हे बदनाम ग्रौर ग्रपमानित करने लगे ।

ग्रस्तु, पिशावर की महाजर समिति ने जब ग्रपने फँसने की सूचना दो स्वय-सेवको के द्वारा खैबर दर्रा की महाजर समिति को भेजी, तो उन्होने इन स्वयसेवकों को ग्रग्रेजो का मुखबर ग्रौर एजेट समझकर गिरफ्तार कर लिया ग्रौर गोली से उडा देने का निणय कर लिया । फिर जिरगा बैठा ग्रौर ग्रन्त में जब पिशावर से वास्तविक स्थिति का पता किया गया, तो उन स्वयसेवकों को मुक्त किया गया ।

इस प्रकार हिज्रत के ग्रादोलन की ट्रेजेडी समाप्त हुई ग्रौर लाखो वरबाद लोग ग्रपने घरो को वापस ग्राए । परन्तु एक खेदपूण बात यह हुई कि वापस ग्राने के बाद यहाँ भी उन्हे लोगों ने ग्रच्छी दृष्टि मे न देखा ग्रौर उन्हे वर्षो तक ताने देते रहे कि जिहाद के लिये जाकर वहाँ से भाग ग्राये हो ।

यह एक ग्रत्यन्त गलत ग्रौर भावात्मक-सा पग था, जिसके कारण सीमा-प्रान्त की जनता को ग्रसीम ग्रार्थिक ग्रौर जन-हानि उठानी पडी । मजे की बात यह हुई कि उस समय के समस्त बडे-बडे ग्रनुभवी नेता भी इसी भाव के प्रवाह में वह गये । उन्होने लोगो को इस गलत कार्य से रोकने के स्थान पर उकसाया ग्रौर इतना न सोचा कि ग्राखिर इतनी जनता ग्रफगानिस्तान जैसे छोटे से राज्य में क्योकर समायेगी ।

हिज्रत के इस ग्रादोलन में वाचा खान ने भी न केवल भाग लिया, ग्रपितु ग्रपने प्रियजनो, सम्बन्धियो ग्रौर मित्रो के एक भारी दल के साथ वे शवकद्र के रास्ते कावुल गये ग्रौर फिर वापस ग्राते हुए मार्ग में हाजी साहिब तरग जई से भी मिले ।

हिज्रत के सम्वन्ध में वाचा खान कहते है—

"मेरे बूढे पिता भी हिज्रत करने पर प्रबल ग्रनुरोध कर रहे थे, जबकि उनकी ग्रायु नव्वे वर्ष के लगभग थी । मैंने उन्हे रोका ग्रौर प्रार्थना की कि ग्रपने बुढापे का खयाल न सही कम से-कम ग्रपनी पैतृक सम्पत्ति ही के लिये इरादे को स्थगित कर दें । उनका शरीर हम दोनो भाइयो से ग्रधिक दृढ था ग्रौर इस ग्रायु में भी वे दूर-दूर तक पैदल चल सकते थे । साराश यह कि बडी कठिनाई से मैंने उन्हें इस इरादे के त्याग पर सहमत कर लिया ।"

इस उद्धरण से जान पडता है कि हिज्रत का भाव इतना व्यापक हो गया था

कि नौजवान तो नौजवान शतवर्षीय वूढे भी इस आदोलन मे भाग लेने को पुण्य समझते थे। दूसरा यह कि वाचा खान के पिता वहरामखान का प्रारभिक जीवन चाहे कैसा ही रहा हो, परन्तु अन्त में वे वैसे नही रहे थे। उन पर अग्रेजो की स्वार्थ-परायणता और अत्याचारयुक्त नीति का रहस्य खुल गया और वे न केवल उनसे घृणा करने लगे, अपितु विगत-अग्रेज-भक्त जीवन के लिये प्रायश्चित्त करने का भी उन्हें तीव्र ज्ञान था।

**खिलाफत आन्दोलन (१९२० ई०)—**

१९२० ई० के अन्त मे हिज्रत आदोलन की भीषण असफलता ने जनसाधारण के हृदय को तोड दिया। लुटेपुटे लोग वापस आए, तो उन्हें नये सिरे से अपने जीवन का आरभ करना पडा। घरवार, कारोवार, नागरिक जीवन सव कुछ तवाह और वरवाद हो चुका था और उनका पुनरुत्थान व सस्थापन अत्यन्त कठिन था। प्रत्येक व्यवित अपने दु ख और शोक में इतना ग्रस्त था कि दूसरी वातो या समस्याओ की ओर ध्यान देना असभव-सा हो गया था। ऐसी परिस्थिति में जनसाधारण से राजनीति मे रुचि लेने की आशा व सभावना हो ही नही सकती थी। उस समय के नेताओ से लोग काफी उदासीन हो चुके थे, एव उनकी उनमे आस्था वहुत कम हो चुकी थी। इसलिये नेताओ को भी जनता के सामने आने का साहस नही होता था। इन समस्त घटनाओ ने मिल-मिलाकर ऐसा वाता-वरण उत्पन्न कर दिया था कि लम्वे समय तक किसी राजनीतिक आदोलन के पन-पने की सभावनाए दिखाई नही देती थी।

परन्तु यह राजनीतिक गतिरोध अधिक समय तक स्थिर न रह सका। उन्ही दिनो तुर्की की खिलाफते-उस्मानिया की वरवादी से प्रभावित होकर सय्यद अल-इहरार मौलाना मुहम्मद अली और उनके भाई मौलाना शौकतअली ने वम्वई में खिलाफत कमेटी की नीव डाली, जो देखते-ही-देखते अत्यन्त प्रिय हो गई और सारे देश में उसकी शाखाओ का जाल फैल गया।

अन्त मे यह आदोलन सीमाप्रान्त में भी आन पहुँचा। केन्द्रीय खिलाफत समिति ने पिशावर के कार्यकर्त्ताओ को यहाँ पर समिति की शाखा स्थापित करने का निमन्त्रण दिया और इस सम्वन्ध मे पहला जलसा शाही वाग में हुआ, जिसमें हजारो लोग सम्मिलित हुए। इस जलसे में मौलाना अव्दुल गफूर साहिव ने अपने भाषण मे खिलाफत समिति के उद्देश्यो और उसकी आवश्यकता पर प्रकाश

डाला । इसके पश्चात् सीमाप्रान्तीय खिलाफत समिति का निम्नलिखित चुनाव हुआ —

आगा सैयद मक़बूल शाह साहिब—प्रधान ।

बाबू ज़िकरिया खान—उप-प्रधान ।

सरदार गुरुबख्श सिंह—प्रधान मन्त्री ।

चाचा अब्दुल करीम —सयुक्त मन्त्री ।

खिलाफत समिति ने स्थापित होते ही पूरे जोर-शोर से अपनी कार्यवाही आरभ कर दी । यद्यपि हिज्रत-समिति असफल हो चुकी थी, परन्तु पिशावर के विख्यात पुराने नेता दिवगत हाजी जान मुहम्मद के नेतृत्व में अभी उसका अस्तित्व विद्यमान था । खिलाफत समिति के सस्थापन पर आपस के विचार-विमर्श से हिज्रत समिति ने नये आदोलन मे सहयोग करना स्वीकार कर लिया, परन्तु उनके अलग-अलग अस्तित्व अपने-अपने स्थान पर पूर्ववत अक्षुण्ण थे ।

कार्यालय अलग-अलग थे । स्वयसेवक पृथक्-पृथक् थे । अस्तु अधिक समय इनका सहयोग बना न रह सका । अन्त में एक दूसरे के विरुद्ध दोनो सस्थाए पूरी तरह से मैदान में उतर आई । इन सस्थाओ के आपस के विरोध ने अत्यन्त भयानक रूप धारण कर लिया और जनसाधारण में इनका सम्मान घटने लगा ।

हाजी जान मुहम्मद साहिब, जो जनता मे अपने असीम आर्थिक बलिदानो और प्राणो की आहुति के कारण बहुत सर्वप्रिय थे, आये-दिन के उन दलगत झगडो से बहुत ऊब गये । दूसरे नेता भी इस वैमनस्य और झगडे को बुरी तरह से अनुभव करने लगे ।

इस बीच में रावलपिण्डी में एक मुस्लिम कांफ्रेस का आयोजन हुआ, जिसमें पिशावर के समस्त उल्लेखनीय नेता सम्मिलित हुए । वहाँ सीमाप्रान्त से खिलाफत समिति और हिज्रत समिति के नेताओ के अतिरिक्त बाचा खान भी मौजूद थे । इस अवसर पर बाहर के नेताओ की ओर से सीमाप्रात की इन दो सस्थाओ मे समझौता कराने के प्रयत्न होने लगे और अन्त में दोनो सस्थाओ को तोडकर 'जमियते-खिलाफत' के नाम से एक नयी सस्था स्थापित की गई, जिसके प्रधान पद के कर्त्तव्य बाचा खान को सौंपे गये । इस प्रकार पिशावर के कार्यकर्त्ताओ के मतभेद सदा के लिये समाप्त हो गये ।

नये सगठन ने सस्था में नई चेतना फूक दी और समस्त कार्यकर्त्ता सगठित

होकर पूरी शक्ति मे काम करने लगे । बाचा खान के प्रधानत्व का एक लाभ यह हुआ कि सस्था का कार्यक्षेत्र पिशावर शहर की सीमित चारदीवारी से निकलकर सारे प्रान्त मे फैल गया, विशेषत. गाँवो में इसकी भूरि-भूरि चर्चा होने लगी और राजनीतिक कार्यकर्त्ताओ को पहली बार गाँवो में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ ।

**पहला स्वाधीन जातीय विद्यालय (१९२१ ई०)—**

१९२१ ई० में बाचा खान ने अपने गाँव अतमान जई मे पहला स्वाधीन जातीय विद्यालय स्थापित किया और उसे पूरे मनोयोग तथा परिश्रम से चलाने लगे । यह हाजी साहिब तरग ज़ई के १९११ ई० मे आरभ किये हुए कार्यक्रम की एक कडी थी । आपने सारे प्रान्त में भ्रमण करके उसकी शाखाएँ स्थापित करने की चेष्टा की । इन कार्यवाहियो मे सरकार के विरुद्ध कोई बात नही थी, परन्तु फिर भी सरकार को उनके प्रयत्न या आदोलन पसन्द न आये, अस्तु चीफ कमिश्नर (मुख्य आयुक्त) जान मैफी ने आपके पिता बहराम खान को बुलाकर कहा कि 'अपने बेटे से कहो, ये विद्यालय बन्द कर दे ।' इस मनोरजक घटना को बाचा खान, के मुँह से उन्ही के शब्दो में सुनिये

"सर जान मैफी चीफ कमिश्नर ने मेरे पिता को इस बात के लिये प्रेरित किया कि वे मुझे विद्यालय बन्द कर देने पर विवश करे । उन्होने मेरे पिता को इस प्रकार समझाया कि 'यह कार्य अग्रेजो के विरुद्ध है। जब कोई व्यक्ति इस कार्य मे रुचि नही लेता, तो आपका लडका ही क्यो विद्यालय स्थापित करता फिरता है ।'

"पिताजी ने आकर मुझसे चर्चा की, तो मैने कहा, 'बाबा ! मान लीजिए लोग नमाज़ पढना छोड दे, तो क्या आप मुझको यह आदेश देंगे कि मै भी नमाज़ न पढू और अपने कर्त्तव्य मे जी चुराऊँ, या आप यह आदेश देंगे कि परिणाम चाहे कुछ भी हो मैं अपने धार्मिक कर्त्तव्य का पालन करता ही रहूँ ।'

"कदापि नही", पिताजी ने उत्तर दिया । "दूसरे चाहे कुछ भी करे, मैं तुम-से धार्मिक कर्त्तव्य के त्याग के लिये कभी नही कहूँगा ।" "बस यही समझ लीजिये" मैने कहा, "जातीय शिक्षा का कार्य ऐसा ही है । यदि नमाज़ कज़ा करना ठीक है, तो स्कूल बन्द करना भी ठीक हो सकता है ।"

"हाँ अब मै समझा", पिताजी ने कहा, "तुम सर्वथा सत्य कहते हो, जाओ शौक से अपना काम जारी रखो ।"

इस प्रकार चीफ कमिश्नर साहिब का यह वार भी खाली गया । इसलिये उन्होंने जोश में आकर, केवल इस अपराध पर कि आप अपने पश्तून भाइयों और बच्चों को शिक्षा से विभूषित क्यों करना चाहते हैं, आपको धारा ४० के अधीन गिरफ्तार कर लिया और नेकचलनी (भद्र आचरण) की कड़ी जमानत मांगी । आपने जमानत दाखिल करने से इनकार किया और तीन वर्ष के लिये जेल चले गये ।

**कांग्रेस कमेटी की स्थापना (१९२१ ई०)—**

जैसा कि कहा जा चुका है, यहां खिलाफत कमेटी के पहले प्रधान-मन्त्री सरदार गुरुबख्श सिंह नियुक्त हुए थे । इससे उस दौर में अद्वितीय हिन्दू-मुस्लिम एकता का भली-भांति अनुमान किया जा सकता है । इसी बीच में पिशावर में कांग्रेस कमेटी की नींव रखी गई, जिसके प्रधान-मन्त्री पण्डित अमीरचन्द नियुक्त हुए । उसका कार्यालय मुहल्ला आगा शफी में स्थापित किया गया । कांग्रेस की समानान्तर सरकार का न्यायाधीश काजी मीर अहमद के पिता को बनाया गया, जो उनके घरेलू झगडो के फैसले करते, ताकि सरकार के पास मुकद्दमाबाजी में लोग समय और पैसे नष्ट न करे । बस उस समय कांग्रेस का इतना ही काम था और शेष का कार्य खिलाफत समिति ने संभाला हुआ था ।

इन दोनो संस्थाओ का संगठन अलग-अलग था, परन्तु आपस मे पूर्ण एकता और सहयोग था और इनमे किसी प्रकार का मतभेद न था ।

उन्ही दिनो अकस्मात् खिलाफत समिति ने चकला (वेश्याओ का बाजार) बन्द कराने का आंदोलन आरंभ किया । इस सम्बन्ध में प्रतिदिन जुलूस निकलते, जिनमे हिन्दी और पश्तून कविताएँ पढी जाती ।

**मारा जा चकलेता दे खुदं दे पारा,**
**दे डोमानू फिरका दे मुरदारा ।**
**दे यी खलकत भकसर उकड तवाह,**
**जा जमाअत्ता मूजका अवा ॥**
**ताना चोशी मौला रजा ॥**

'खुदा के लिये चकले न जाओ । वेश्याओ का फिर्का मुरदार' है । उन्होने

---

१ अपने आप मरा हुआ, हराम ।

वहुत से लोगो को तवाह किया है। मसजिद मे जाकर नमाज पढो, ताकि ईश्वर तुम पर प्रसन्न हो।'

**वेनमाजी गर मर जासी**
**उसदा जनाज़ा कोई न चासी।**
**पया रहसी कुत्ता मुरदार,**
**चल मसीत नमाज़ गुज़ार ॥**

अर्थ—"नमाज न पढने वाला जव मरेगा, तो उसकी अरथी कोई भी नही उठायगा। वह कुत्ता अपनी मौत मरा हुआ पडा रहेगा। अत हे भाई, मसजिद मे चल और नमाज पढ।"

इस आदोलन की नीव इसलिये डाली गई कि उन दिनो भारत में प्रिन्स आफ वेल्ज आ रहा था और उसके दौरे में पिशावर आने का कार्यक्रम भी था। इसलिये यहाँ के राजनीतिक क्षेत्र प्रिन्स आफ वेल्ज के स्वागत को असफल वनाने और उसके विरुद्ध प्रदर्शन कराने के लिये जनसाधारण को एक प्लेटफार्म पर लाने और उनमें जागरण पैदा करने का प्रयत्न कर रहे थे।

आदोलन आरभ होते ही हाजी जान मुहम्मद, मिर्जा सलीम ख़ान, हकीम अब्दुल जलील नदवी, पडित अमीरचन्द, मिलापसिह और अन्य समस्त वडे-वडे नेताओ को धारा ४० सीमान्त के अधीन गिरफ्तार करके उनसे नेकचलनी की जमानत मागी गई और जमानत देने से इन्कार करने पर उन्हे तीन-तीन वर्ष के लिये जेल भेज दिया गया।

खिलाफत समिति का कार्यालय किस्सा खानी वाजार में था। दोस्त मुहम्मद ख़ान इन्सपैक्टर के नेतृत्व में पुलिस ने छापा मारकर कुछ कागज-पत्र अपने अधिकार में कर लिये और कुछ नौजवान कार्यकर्त्ताओ अब्दुल्लतीफ आदि को गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें वाद को छोड दिया गया। नगर में जलसा-ज़ुलूस निषिद्ध घोषित कर दिये गये और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी गई कि कार्य जारी रखना असभव हो गया।

इस परिस्थिति पर विचार करने के लिये खिलाफत कमेटी के कार्यकर्त्ताओ की एक गुप्त वैठक मुहम्मद उस्मान समवारी के मकान पर हुई, जिसमे अत्यन्त सोच-विचार के वाद समस्त अधिकार अल्लाह वख्श यूसफी साहिव को दे दिये गये।

यूसफी साहिब ने निश्चय किया कि अकस्मात् मसजिद कासिम खान (किस्सा ख्वानी, पिशावर) में एक जलसा किया जाय । अस्तु दूसरे ही दिन रात के अंधेरे मे जलसा किया गया, जिसमें अब्दुर्रहमान सोदागर चोत्र ने धुआंधार भाषण किया । अंधेरे में पुलिस वक्ता की पहचान न कर सकी, इसलिये अगले दिन उसने भ्रमवश हकीम अब्दुल जलील नदवी के छोटे भाई अब्दुल मजीद को गिरफ्तार कर लिया ।

दूसरे दिन साय, फिर जलसा हुआ, जिसमें अब्दुल खान ने भाषण किया और दूसरे दिन हकीम जलील का दूसरा भाई अब्दुल हमीद गिरफ्तार कर लिया गया । तीसरे दिन फिर जलसा हुआ और भाषण हुआ तो, हकीम जलील के चचेरे भाई पकडे गये ।

चौथे दिन क्रासवेट डिप्टी कमिश्नर ने हकीम अब्दुल जलील साहिब के पिता हकीम अब्दुल्लाह् को बुलाकर कहा कि "अपने बच्चो को समझाओ, अन्यथा मै उन्हे खुले बाजार मे पिटवाऊँगा ।" उन्होने कहा "मेरे बच्चो ने भाषण नही किये ।" अस्तु जब उन्हे पूरा विश्वास दिलाया गया, तो एक सप्ताह के पश्चात् उन लडको को छोड दिया गया ।

इन घटनाओ के चक्र मे सैयदुलइहरार आगा लाल बादशाह बुखारी ने पहली बार स्वयसेवक के रूप मे सदस्यता के लिये अपने आपको पेश किया । यह १९२१ ई० के तीसरे महीने के अन्त की बात है कि आगा लाल बादशाह के सामने आने से खिलाफत समिति मे पुन प्राणो का सचार हो गया । उन्होने आते ही समिति का नया सगठन किया । प्रधान पद के लिये नगर के मुफ्ती मौलाना अब्दुल हकीम पोपल ज़ई को चुना । उप-प्रधान से सेठ उम्र बख्श और प्रधान मत्री अल्लाहबख्श यूसफी नियुक्त हुए । आगा लाल बादशाह को समिति का सरक्षक बनाया गया ।

खिलाफत कमेटी का कार्यालय सेठ उम्रबख्श की जायदाद में (चौक मण्डी बेर, पिशावर) स्थापित किया गया । इसके अतिरिक्त सेठ साहिब ने खूब दिल खोल-कर समिति की आर्थिक सहायता भी की । स्वयसेवको की बहुत ही सुन्दर वर-दियाँ बनाई गई । वरदी मे ये चीजे थी—बढिया खाकी जीन के कोट पतलून, बासन्ती पेटी, खाकी कुल्लाह और पगडी ।

उन्ही दिनो ब्रिटेन के लेबर सदस्य कर्नल विचवट अपनी पत्नी के सहित हिन्दु-स्तान का भ्रमण करते हुए पिशावर पधारे । उनके आगमन पर समस्त नगर लकडी बाज़ार के पुल तक दुल्हन की भाति सजाया गया । वे प्रात आठ बजे

हश्तगेरी गेट मे प्रविष्ट हुए । वीसियो घुडसवार स्वयसेवक, साइकल सवार, स्वयसेवक और अन्य हज़ारो लोगो ने उनका राजसी ठाठ से स्वागत किया । जुलूस जा रहा था, कि रास्ते मे सिटी मैजिस्ट्रेट मि० वेथम ने आगे वढकर प्रतिष्ठित अतिथि के हाथ में एक वन्द पत्र दिया, जो उन्होने अपनी जेव में रख लिया । जुलूस नगर में दाखिल हुआ, तो विभिन्न नारो से उसका स्वागत किया गया । नारे ये थे—

"गाधी की जय
इन्किलाव जिन्दावाद
होम रूल ले के रहेंगे"

जुलूस कावली दरवाज़ा तक पहुँचकर समाप्त कर दिया गया । प्रतिष्ठित अतिथि कर्नल को सेठ उम्रवख्श के मकान मे, जो करीमपुरा में अवस्थित था, ठहराया गया । वहाँ कर्नल महोदय ने सिटी मैजिस्ट्रेट का पत्र खोलकर पढा । पता चला कि डिप्टी कमिश्नर ने चार वजे प्रतिष्ठित अतिथि को उसकी पत्नी सहित आमन्त्रित किया था ।

जव चार वजे वे डाक्टर सी० सी० घोप की कार में वैठकर डी० सी० से मिलने गये, तो ड्राइवर को खिलाफत समिति के सरगर्म कार्यकर्त्ता अव्दुल अज़ीज़ खुशवाश ने पश्तो भाषा में कहा कि पाच वजे आकर उन्हें यहाँ से ले जाना । अत. पाच वजे ड्राइवर उन्हें लेने के लिये आ गया । करनल की वीवी वहीं रह गई और कर्नल को वहाँ से सीवा जलसा के स्थान पर पहुचा दिया गया । जलसा शाही वाग में था, जहाँ सारा शहर उमड पडा था । उस जलसे की अध्यक्षता आगा लाल वादशाह साहिव ने की । कर्नल ने भाषण आरभ किया, जिसका साथ-साथ उर्दू में अनुवाद किया गया । उसने पिशावर के लोगो के अतिथि-सत्कार की वहुत प्रशसा की और उनके स्वाधीनता आदोलन की सराहना की । दूसरे दिन दर्रा खवर देखने के वाद ये अतिथि वापस चले गये ।

१९२२ ई० में खिलाफत समिति के निश्चय के अनुसार मौलाना ज़फरअली खान, डाक्टर खिकचलू और गाजी अव्दुलर्रहमान लुध्यानवी को पहले-पहल पिशावर वुलाया गया । इस अवसर पर विख्यात जातीय कार्यकर्त्ता मलिक लाल ख़ान भी गुजराँवाला से पिशावर आया । इन लोगो को खिलाफत समिति के कार्यालय में ठहराया गया और अत्यन्त गुप्त रूप से सभा-स्थल मे

पहुँचाया गया, जहाँ पर विराट सभा मे उन्होंने बड़े जोशीले और ओजस्वी भाषण किये। फलस्वरूप उसी रात उन्हें चीफ कमिश्नर के आदेश से पुलिस की हिरासत में अटक के उस पार पहुंचा दिया गया और सीमाप्रान्त में उनका प्रवेश निषिद्ध घोषित कर दिया गया।

उस समय सीमाप्रान्त की खिलाफत समिति के समस्त बड़े बड़े नेता जेलो मे बन्दी थे और समिति के प्रबन्ध को साधारण नौजवान कार्यकर्त्ता सुचारु रूप से चला रहे थे।

**प्रिन्स आफ वेल्ज का आगमन (१९२२ ई०)—**

१९२२ ई० मे प्रिन्स आफ वेल्ज के आगमन ने हिन्दुस्तान के राजनीतिक क्षेत्रो में फिर गर्मागर्मी पैदा कर दी। उस समय समस्त उल्लेखनीय सीमाप्रान्तीय नेता जेलो में थे। कुछ दिनो के पश्चात् पुलिस ने फिर खिलाफत समिति के कार्यालय पर छापा मारकर बहुत से और भी कार्यकर्त्ताओ को गिरफ्तार कर लिया। इसके पश्चात् बचेखुचे स्वयसेवको ने एक गुप्त बैठक मे अल्लाहबख्श यूसफी साहिब को प्रधान, ताज मुहम्मद शाद को सेनापति और मुहम्मद उस्मान को कप्तान चुना और सबने खिलाफत आदोलन के प्रति वफादार अथवा विश्वासपात्र रहने की शपथ ग्रहण की।

सरकार ने अपनी अत्याचारपूर्ण कार्यवाहियो से ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि स्वयसेवको के लिये काम करना कठिन हो गया। लोग समिति के कार्यालय में आते हुए डरते, यहाँ तक कि स्वयसेवक भी काम करने से घबराते। क्योकि प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि इस समिति से सम्बन्ध रखना कैद-बन्द को निमन्त्रण देने के समान है। उस समय समिति के स्वयसेवको की सख्या ३५ से अधिक न थी, परन्तु वे सब नौजवान निर्भीक, सिरफिरे और साहसी थे।

सरकारी क्षेत्रो में प्रिन्स आफ वेल्ज के स्वागत की तैयारियाँ हो रही थी और खिलाफत समिति ने बायकाट की घोषणा कर दी और राष्ट्रीय कार्यकर्त्ता इस आदोलन को सफल बनाने के लिये प्रयत्न करने लगे। सीमाप्रान्त की सरकार समस्त नेताओ को गिरफ्तार करने के पश्चात् निश्चिन्त हो गई थी कि स्थिति काबू से बाहर नही होगी, अग्रेज-भक्त खानो ने अपनी शक्ति के भरोसे पर सरकार को विश्वास दिलाया कि उनके होते हुए कोई अप्रिय घटना नही हो सकती।

दूसरी ओर स्वयसेवक अपनी शक्ति सगठित करने में लगे हुए थे और पूरी

लगन से अपने काम में जुटे हुए थे। सरकार इस स्थिति से अनभिज्ञ नहीं थी। एक बहुत बडे नव्वाब को कार्यालय में भेजा गया। उन्होंने स्वयसेवको को समझाया बुझाया कि प्रिन्स (शाहज़ादा) के आगमन पर किसी प्रकार का प्रदर्शन न करे, परन्तु उन्हें असफल लौटना पडा।

सरकार को जब कोई उपाय न सूझा तो जमियते खिलाफत के स्वयसेवक-सगठन को अवैध घोषित कर दिया। सरकार का यह आदेश मानने से स्वयसेवको ने इन्कार कर दिया और इसकी सूचना डिप्टी कमिश्नर को दे दी। इसके पश्चात् समस्त स्वयसेवक इस प्रतीक्षा में थे कि अभी क्षणभर मे उनकी गिरफ्तारियाँ आरभ हो जायगी, परन्तु सभावना के विरुद्ध इस नाजुक अवसर पर सरकार ने कोई पग उठाना उचित न समझा।

समिति पूरे जोर से काम में सलग्न थी, परन्तु स्वयसेवको की अल्प सख्या को सामने रखते हुए उसे अपनी सफलता का पूरा विश्वास नही था। फिर भी उत्साही कार्यकर्त्ताओ ने साहस न छोडा।

इसी बीच में सरकार ने युक्ति सोची कि प्रिन्स के पिशावर मे आगमन से पहले एक स्थान पर शहर में सेना दाखिल कर दी जाय और दुकानदारो को बल-पूर्वक दुकाने खुली रखने पर बाध्य किया जाय, ताकि ६ मार्च १९२२ ई० को प्रिन्स के आगमन के दिन शहर में हडताल न होने पाये। समिति के कार्यकर्त्ताओ को सरकार के इरादो और योजनाओ की पल-पल की सूचना उन कर्मचारियो के द्वारा मिलती रहती थी, जो उसके साथ सहानुभूति रखते थे। सरकार की इस योजना से समिति के कार्यकर्त्ताओ को बडी परेशानी हुई। क्योकि यदि उसको कार्यान्वित किया जाता, तो सरकार की सफलता अवश्यभावी थी। कार्यकर्त्ताओ की घबराहट बढ गई, वह सरकार के इस जादू को तोडने की युक्तियाँ सोचने लगे।

कार्यकर्त्ताओ को ऐसी आशकापूर्ण परिस्थिति में अपनी सफलता का बहुत कम विश्वास था, परन्तु अकस्मात् सरकार से एक ऐसी भारी भूल हुई, जिसके कारण प्रकृति ने उनकी सफलता के कारण अपने आप पैदा कर दिये।

५ मार्च को कुछ स्वयसेवक कार्यालय से बाहर निकले ही थे कि एक अग्रेज अफसर से उनकी मुठभेड हो गई, जो पचास सिपाहियो के एक दल के साथ सामने से आ रहा था। यह अग्रेज अधिकारी स्वयसेवको को देखते ही भडक उठा और उसने कठोर भाषा का प्रयोग करना आरभ कर दिया। स्वयसेवको ने भी तडाक-

फड़ाक उत्तर दिया। उस पर उसने आगभभूका होकर उन समस्त स्वयसेवको को गिरफ्तार कर लिया। सरकार का यह पग उसके पक्ष में अत्यन्त हानिकर सिद्ध हुआ। कार्यकर्त्ता तो यही बात भगवान से चाहते थे। उन्हे विश्वास था कि उनकी सफलता का केवल यही एक उपाय है कि इस अवसर पर वे किसी-न-किसी प्रकार से गिरफ्तार हो जाएँ। वे इसके लिये युक्तियां सोच रहे थे कि सरकार के इस अदूरदर्शी अफसर ने एक गलत पग उठाकर अपनी नाव स्वय ही अपने हाथो डुबो दी।

स्वयसेवको की गिरफ्तारी का समाचार जगल की आग की भाति सारे नगर में तत्काल फैल गया। शेष स्वयसेवक जो कार्यालय में थे, उन्होंने यह खबर सुनी, तो उनके हर्ष का ठिकाना न रहा। अब उन्हे अपनी सफलता का पूरा विश्वास हो चुका था। इसलिये वे एक-दूसरे को बधाइयां देने लगे और उनके उदास चेहरे इस अदृश्य सहायता से चमकने लगे। वे तुरन्त कार्यालय से निकले और नगर में घूमकर हडताल की घोषणा कर दी और देखते-ही-देखते नगर में सम्पूर्ण हडताल हुई, जिसका उदाहरण नही मिलता था।

स्थिति की इस हठात् करवट से सरकार बौखला उठी। उसे अपनी भूल का अनुभव हुआ और गिरफ्तार किये गये स्वयसेवको को तुरन्त छोड दिया। परन्तु जो होना था, हो चुका था और प्रायश्चित व्यर्थ था।

कार्यकर्त्ताओ की रिहाई से कार्यकर्त्ताओ को भय हुआ कि कही सरकार अपने उद्देश्य में सफल न हो जाय और हडताल टूट न जाय। इसलिये उन्होंने कार्यालय की छत पर खडे होकर घोषणा करनी आरम्भ कर दी कि आज और कल नगर में पूर्ण हडताल रहेगी तथा कारोबार सर्वथा बन्द रहेगे। इस घोषणा का अच्छा प्रभाव हुआ और एक दिन के स्थान पर पूरे दो दिन शहर में सम्पूर्ण हडताल रही।

प्रिन्स आफ वेल्ज हिन्दुस्तान में जहाँ-जहाँ पहुँचे, वही हडतालें और प्रबल प्रदर्शन हुए। अब ६ मार्च को उन्होंने पिशावर आना था। सरकार इसके लिये शहर को सजा रही थी, विशेषत चौक यादगार और गोर खटडी को खूब सजाया गया। चौक यादगार पर शाही दरबार लगाने का प्रबन्ध किया गया और उसे दुलहन की भाँति विभूषित किया गया। शहर में पुलिस और सेना गश्त कर रही थी। सरकार ने गाँवो से नव्वाबो और जागीरदारो के खेतिहरो को मगवा कर जुलूस के रास्ते में दोनो ओर खडा कर दिया, ताकि बायकाट की

झलक दृष्टिगोचर न हो सके, प्रत्युत स्वागत की शान प्रकट हो।

६ मार्च को तोपो की सलामी के पश्चात् प्रिन्स ग्राफ वेल्ज़ अत्यन्त सादा वस्त्रो मे ११ वजे दिन के चौक यादगार मे पहुँचा। फौजी वैण्ड के वाद रायवहादुर मिहरचन्द खन्ना ने अभिनन्दन-पत्र पढना ग्रारम्भ किया ही था कि अकस्मात् ग्रागा वुजुर्ग शाह ने भीड में खडे-खडे एक गगनभेदी नारा लगाया।

'महात्मा गाधी की जय।'

फिर क्या था, इस ग्रावाज़ के साथ ही मानो दीवारो ग्रौर दरवाजो से 'गाधी की जय' के नारो की ध्वनि ग्राने लगी। प्रत्येक ग्रोर से इस ज़ोर-शोर से नारे उठे कि धरती-ग्राकाश गूंजने लगे। भीड ने कावू से वाहर होकर तोड-फोड ग्रारम्भ कर दी ग्रौर देखते-ही-देखते सारी सजावट का सफाया कर दिया। प्रिन्स ग्राफ वेल्ज़ को वडी कठिनाई से गवर्नमेण्ट हाउस मे पहुँचाया गया। पुलिस ने स्थिति पर नियत्रण रखने की वडी चेष्टा की, परन्तु जनता के इस विखरे हुए प्रवाह को रोकना उसके लिये असम्भव था।

प्रिन्स के जाने के पश्चात् ११ मार्च को समस्त राजनीतिक दलो अथवा संस्थाग्रो को अवैध घोपित करके सरकार ने ग्राम गिरफ्तारियाँ ग्रारम्भ कर दी। समस्त स्वयसेवको को ६-६ महीने कैद के दण्ड दिये गये, जिनमें मुस्तिफा गालिव, वशीर सद्दीक़ी, गुलाम हुसैन, गुलाम मुहम्मद, ग्रागा वुजुर्ग शाह, अब्दुल अज़ीज़ खुश-वाश, फज़ल रहीम ग्रादि सम्मिलित थे।

अल्लाह वख्श यूसुफी प्रधान, ग्रागा लाल वादशाह सरक्षक, सेठ उम्रवख्श ग्रौर मुहम्मद उस्मान सेनापति को दो-दो वर्प कारावास, अब्दुल करीम को डेढ वर्प ग्रौर गुलाम रव्वानी सेठी, ग्रौर हाजी करम अल्लाही (दिवगत) को एक-एक वर्प कडे कारावास का हुक्म सुनाया गया।

**अंग्रेजी शिक्षा का विरोध (१९२३ ई०)—**

यह हंगामा अभी ठण्डा नही हुग्रा था कि हिन्दुस्तान में अग्रेजी शिक्षा के विरोध का तूफान उमड पडा। मुसलमानो में यह ग्रादोलन वहुत पुराना था। अग्रेजो ने इस देश पर प्रभुत्व जमाया, तो अपनी भापा को प्रचलित करने ग्रौर अपने ढग की शिक्षा देने की चेष्टा ग्रारम्भ कर दी। ये प्रयत्न वहुत हद तक पराधीनता की शृङ्खलाग्रो को सुदृढ वनाने के उद्देश्य से हो रहे थे, परन्तु मुसल-मान विद्वानो ने अंग्रेजी शिक्षा का सर्वथा विरोध करके जाति को हानि के सिवा

फाड़क उत्तर दिया। उस पर उसने आगबबूला होकर उन समस्त स्वयसेवको को गिरफ्तार कर लिया। सरकार का यह पग उसके पक्ष में अत्यन्त हानिकर सिद्ध हुआ। कार्यकर्त्ता तो यही बात भगवान से चाहते थे। उन्हे विश्वास था कि उनकी सफलता का केवल यही एक उपाय है कि इस अवसर पर वे किसी-न-किसी प्रकार से गिरफ्तार हो जाएँ। वे इसके लिये युक्तियां सोच रहे थे कि सरकार के इस अदूरदर्शी अफसर ने एक गलत पग उठाकर अपनी नाव स्वय ही अपने हाथो डुबो दी।

स्वयसेवको की गिरफ्तारी का समाचार जगल की आग की भाति सारे नगर में तत्काल फैल गया। शेष स्वयसेवक जो कार्यालय में थे, उन्होने यह खबर सुनी, तो उनके हर्ष का ठिकाना न रहा। अब उन्हे अपनी सफलता का पूरा विश्वास हो चुका था। इसलिये वे एक-दूसरे को बधाइयां देने लगे और उनके उदास चेहरे इस अदृश्य सहायता से चमकने लगे। वे तुरन्त कार्यालय से निकले और नगर में घूमकर हडताल की घोषणा कर दी और देखते-ही-देखते नगर में सम्पूर्ण हडताल हुई, जिसका उदाहरण नही मिलता था।

स्थिति की इस हठात् करवट से सरकार बौखला उठी। उसे अपनी भूल का अनुभव हुआ और गिरफ्तार किये गये स्वयसेवको को तुरन्त छोड दिया। परन्तु जो होना था, हो चुका था और प्रायश्चित व्यर्थ था।

कार्यकर्त्ताओ की रिहाई से कार्यकर्त्ताओ को भय हुआ कि कही सरकार अपने उद्देश्य मे सफल न हो जाय और हडताल टूट न जाय। इसलिये उन्होंने कार्यालय की छत पर खडे होकर घोषणा करनी आरम्भ कर दी कि आज और कल नगर में पूर्ण हडताल रहेगी तथा कारोबार सर्वथा बन्द रहेंगे। इस घोषणा का अच्छा प्रभाव हुआ और एक दिन के स्थान पर पूरे दो दिन शहर में सम्पूर्ण हडताल रही।

प्रिन्स आफ वेल्ज हिन्दुस्तान में जहाँ-जहाँ पहुँचे, वही हडतालें और प्रबल प्रदर्शन हुए। अब ६ मार्च को उन्होने पिशावर आना था। सरकार इसके लिये शहर को सजा रही थी, विशेषत चौक यादगार और गोर खटडी को खूब सजाया गया। चौक यादगार पर शाही दरबार लगाने का प्रबन्ध किया गया और उसे दुलहन की भाँति विभूषित किया गया। शहर मे पुलिस और सेना गश्त कर रही थी। सरकार ने गाँवो से नव्वाबो और जागीरदारो के खेतिहरो को मगवा कर जुलूस के रास्ते में दोनो ओर खडा कर दिया, ताकि बायकाट की

झलक दृष्टिगोचर न हो सके, प्रत्युत स्वागत की शान प्रकट हो ।

६ मार्च को तोपो की सलामी के पश्चात् प्रिन्स आफ वेल्ज़ अत्यन्त सादा वस्त्रो मे ११ बजे दिन के चौक यादगार में पहुँचा । फौजी वैण्ड के वाद रायवहादुर मिहरचन्द खन्ना ने अभिनन्दन-पत्र पढना आरम्भ किया ही था कि अकस्मात् आगा बुज़ुर्ग शाह ने भीड में खडे-खडे एक गगनभेदी नारा लगाया ।

'महात्मा गाधी की जय ।'

फिर क्या था, इस आवाज़ के साथ ही मानो दीवारो और दरवाज़ो से 'गाधी की जय' के नारो की ध्वनि आने लगी । प्रत्येक ओर से इस ज़ोर-शोर से नारे उठे कि धरती-आकाश गूंजने लगे । भीड ने कावू से वाहर होकर तोड-फोड आरम्भ कर दी और देखते-ही-देखते सारी सजावट का सफाया कर दिया । प्रिन्स आफ वेल्ज़ को वडी कठिनाई से गवर्नमेण्ट हाउस मे पहुँचाया गया । पुलिस ने स्थिति पर नियत्रण रखने की वडी चेष्टा की, परन्तु जनता के इस विखरे हुए प्रवाह को रोकना उसके लिये असम्भव था ।

प्रिन्स के जाने के पश्चात् ११ मार्च को समस्त राजनीतिक दलो अथवा संस्थाओ को अवैध घोपित करके सरकार ने आम गिरफ्तारियाँ आरम्भ कर दी । समस्त स्वयसेवको को ६-६ महीने कैद के दण्ड दिये गये, जिनमें मुस्तिफा गालिव, वशीर सद्दीकी, गुलाम हुसैन, गुलाम मुहम्मद, आगा वुजुर्ग शाह, अब्दुल अज़ीज़ खुश-वाश, फज़ल रहीम आदि सम्मिलित थे ।

अल्लाह वख्श यूसुफी प्रधान, आगा लाल वादशाह सरक्षक, सेठ उम्रवख्श और मुहम्मद उस्मान सेनापति को दो-दो वर्प कारावास, अब्दुल करीम को डेढ वर्प और गुलाम रब्वानी सेठी, और हाजी करम अल्लाही (दिवगत) को एक-एक वर्प कड़े कारावास का हुक्म सुनाया गया ।

**अंग्रेज़ी शिक्षा का विरोध (१९२३ ई०)—**

यह हगामा अभी ठण्डा नही हुआ था कि हिन्दुस्तान मे अग्रेज़ी शिक्षा के विरोध का तूफान उमड़ पडा । मुसलमानो में यह आदोलन वहुत पुराना था । अग्रेज़ो ने इस देश पर प्रभुत्व जमाया, तो अपनी भाषा को प्रचलित करने और अपने ढग की शिक्षा देने की चेष्टा आरम्भ कर दी । ये प्रयत्न वहुत हद तक पराधीनता की शृङ्खलाओ को सुदृढ वनाने के उद्देश्य से हो रहे थे, परन्तु मुसल-मान विद्वानो ने अग्रेज़ी शिक्षा का सर्वथा विरोध करके जाति को हानि के सिवा

कोई लाभ न पहुँचाया। पडोस की जाति या एक वर्ग परिणामस्वरूप हमसे शिक्षा के मैदान में बहुत आगे निकल गया और उसके कारण मुस्लिम जाति को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे पिछडी रहना पडा।

दिवगत सर सैयद ने सबसे पहले मुसलमानो की इस भूल का बुरी तरह अनुभव किया और न केवल उनकी रुचि को शिक्षा की ओर लगाने में आयु भर प्रयत्न किया, प्रत्युत हिन्दुस्तान में अलीगढ कालेज की नीव डाल कर मुसलमान जाति पर बडा उपकार किया। सीमाप्रान्त मे साहिबजादा अब्दुल कय्यूम (दिवगत) ठीक सर सैयद के सच्चे अनुयायी थे। उन्होने १९१३ ई० में इस्लामिया कालेज पिशावर की स्थापना करके शताब्दियो की अविद्याग्रस्त और पिछडी हुई जाति को विद्या तथा बुद्धि के आलोक से परिचित किया।

अपने-अपने समय में अदूरदर्शी लोगो ने इन महानुभावो का घोर विरोध किया। परन्तु अपनी सारी अग्रेज-भक्ति के होते हुए इनके हृदय मे अपनी जाति का दर्द मौजूद था, उसकी हीन पिछडी हुई दशा का उन्हे तीव्र अनुभव था और यह सत्य है कि इन महानुभावो ने जो अपने-अपने इलाको मे शिक्षा-सस्थाये स्थापित करने का महान् कार्य किया, उसे किसी तरह भी भुलाया नही जा सकता।

हिज्रत के आन्दोलन की भाँति अब अग्रेजी शिक्षा के विरोध का आन्दोलन भी जाति के वेसमझ दोस्तो की दुर्बल और गलत निर्णय शक्ति का परिणाम था, जिस ने जाति के नौजवानो को असीम हानि पहुँचाई। यह बताया जा चुका है कि उन दिनो देश के बडे-बडे नेता और मेधावी लीडर जेलो के लोह-सीखचो के पीछे असह्य यातनाओ का जीवन बिता रहे थे और बाहर कोई ऐसा व्यक्ति विद्यमान न था, जो लोगो का यथार्थ नेतृत्व करने की योग्यता रखता हो। परिणाम यह हुआ कि जनसाधारण में मानसिक अराजकता फैल गई और जिस का जी चाहा लोगो को पथभ्रष्ट करने के लिये नित्य नये राग अलापने लगा।

सीमाप्रान्त में यह कोलाहल उठा, तो समस्त नौजवान सरकारी विद्यालयो को छोडकर बाहर आ गये। अब्दुल कय्यूमखान बैरिस्टर, अताउल्लाह खान, मलिक अमीर, आलम आवान, डाक्टर सैयद अब्दुल्लाह, फजल हक शैदा और अन्य सैकडो भावुक नौजवान कालेजो और विद्यालयो को त्याग कर देश की राजनीति में भाग लेने के लिये मैदान में कूद पडे।

इन विद्यार्थियो मे से मलिक अमीर आलम आवान को गिरफ्तार करके सरकार ने तीन वर्ष के लिये जेल मे भिजवा दिया। देश के दूसरे भागो में भी प्रमुख छात्रो को कडे दण्ड दिये गये, जो असख्य छात्रो के साथ शिक्षा छोड चुके थे। यह तूफान थमने के पश्चात् उनमे से कई छात्रो ने तो पुन. अपनी शिक्षा सम्पन्न कर ली, परन्तु अधिकाश सदा के लिये वचित रह गये।

## अजुमने-इस्लाह-अल-अफागना

## बाचा खान की रिहाई १९२४ ई०

बादशाह खान पश्तून जाति के सुधार का भाव लेकर उठे थे। वे राजनीति में आने का इरादा नहीं रखते थे, अपितु इस क्षेत्र से अलग-थलग रह कर केवल सामाजिक सेवा के इच्छुक थे। परिस्थितियो ने उन्हे राजनीति मे ला घसीटा। परन्तु यह एक सामयिक और तात्कालिक घटना थी। १९२४ ई० मे जेल से मुक्त होने के पश्चात् वे फिर अपने सुधारात्मक कार्यक्रम को चलाने लगे। यद्यपि खिलाफत समिति से उनका सम्पर्क अवश्य था, परन्तु उन्होने राजनीतिक कार्यो में सक्रिय भाग लेना छोड दिया। १९२१ ई० में अतमान जई में जो स्वतन्त्र विद्यालय स्थापित किया था और जिस शिक्षा तथा सुधार सम्बन्धी आन्दोलन का प्रारम्भ किया था, उसे आगे बढाने और फैलाने के लिये अंजुमने-इस्लाह-अल-अफागना (अफगान-सुधार-सभा) की नींव रखी। मियाँ अहमद बशीर बैरिस्टर और पश्तो के विख्यात अग्निकण्ठ कवि मुहम्मद अकबर खान खादिम (दिवगत) आपके सच्चे साथी और भुजाएँ थे। जिनके सहयोग से उन्होने इस लगन और परिश्रम से काम किया जिसका उदाहरण नही मिलता। रात-दिन के परिभ्रमणो, भाषणो और अनथक प्रयत्नो से आप बहुत हद तक पश्तून जाति की प्रचलित बुरी रीतियो को मिटाने, उनमें एकता और सगठन पैदा करने और उनके हृदयो में शिक्षा प्राप्त करने की ज्योति जगाने मे सफल हो गये। अतमान जई के अतिरिक्त बहुत से दूसरे गाँवो में भी जातीय विद्यालय स्थापित किये गये, जिनमें हजारो बच्चे शिक्षा पाकर निकले और आगे चलकर राष्ट्रीय कार्यो में उन्होंने नाम पैदा किया। अस्तु, बाचा खान का होनहार लडका गनीखान और प्रसिद्ध जातीय कार्यकर्त्ता मास्टर अब्दुल करीम ने इसी जातीय विद्यालय में शिक्षा पाई।

इन विद्यालयो में बहुत दूर-दूर स्थानो मे बच्चे शिक्षा प्राप्त करने आते थे और कुछ इस रीति से उनकी शिक्षा-दीक्षा का काम चलता था, जिनमे उनके हृदय में स्वाधीनता की लगन, देश का प्रेम और जातीय सेवा के भाव उत्पन्न होते। किताबी विद्या के साथ-साथ उनकी मानसिक और बौद्धिक शिक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाता और उन्हे क्रियात्मक जीवन के लिये तैयार करने की चेष्टा की जाती। इन विद्यालयो का प्रबन्ध और व्यवस्था अत्यन्त सुन्दर थी और ये अपनी विविध विशेषताओ के कारण आदर्श के प्रतीक बन गये थे। अब तक हिन्दू और मुस्लिम एक-जान अथवा दूध-शक्कर की भांति मिलजुल कर देश की स्वाधीनता के सग्राम में भाग ले रहे थे। अग्रेज की कूटनीति 'फूट डालो और शासन करो' सर्वथा असफल दिखाई देती थी। यहां तक कि सीमाप्रान्त जैसे विशुद्ध मुस्लिम प्रान्त में भी हिन्दू-मुस्लिम एकता थी, इसका इससे बडा उदाहरण क्या हो सकता है कि यहां खिलाफत समिति के सबसे पहले प्रधान मत्री सरदार गुरुबख्शसिंह थे। यहां कांग्रेस कमेटी की स्थापना हो जाने पर भी यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से खिलाफत और कांग्रेस पृथक्-पृथक् सस्थाएं थी परन्तु दोनो सस्थाएँ यूं मिलजुल कर काम कर रही थी, जैसे वे एक ही चित्र के दो रुख हों। दोनो का उद्देश्य एक, कार्यक्रम एक और कार्यप्रणाली एक थी। अत दोनो में एकता और सहयोग अद्वितीय था।

लेकिन अन्त में अग्रेज अपनी फूट डालो की नीति में सफल होकर रहा। भारत में स्वामी श्रद्धानन्द ने शुद्धि का आन्दोलन आरम्भ कर दिया, जो इस दीवार की पहली ईंट थी, जो हिन्दुओ और मुसलमानो के मध्य खडी की गई तथा सयुक्त राष्ट्रीयता अथवा जातीयता का भाव नष्ट हो गया। दोनो सम्प्रदायो के दिल विष से भर गये। मुसलमानो ने इसके उत्तर में तब लीग का आन्दोलन आरम्भ कर दिया। फलस्वरूप स्थान-स्थान पर दोनो सम्प्रदायो के मध्य सघर्ष होने लगा और वे एक-दूसरे से दूर होते गये।

इन आन्दोलनो से सीमाप्रान्त के जन-साधारण का प्रभावित होना भी अनिवार्य था। अब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो चुकी थी कि मुसलमान मुस्लिम दृष्टिकोण और हिन्दू, हिन्दू दृष्टिकोण से सोचने पर विवश हुआ। आपस में खिंचाव पैदा होने लगा। एक-दूसरे को सदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा।

यह साम्प्रदायिक विद्वेष का तूफान कुछ इस जोर से आया कि साधारण

लोगो के अतिरिक्त वडे-वडे सूझ-बूझ रखने वाले राजनीतिक नेता भी इससे न वच सके और इसी प्रवाह मे वहने लगे। परन्तु इसके वावुजूद अभी इस तूफ़ान से सीमाप्रान्त की भूमि पूर्णरूपेण प्रभावित न होने पाई थी। विशेषत. राजनीतिक क्षेत्र तो इस पागलपन से अभी तक सुरक्षित थे और वे पूर्ववत न केवल मिल-जुल कर काम कर रहे थे, अपितु उन्होने देश के वातावरण से इस विष को दूर करने और जन-साधारण के मन को साफ करने के लिये अनथक कार्य किया तथा यथासम्भव लोगो को इस विषैले मनोभाव से वचाने का प्रयत्न करते रहे।

**वाचा खान का कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लेना (१६२५-२६)—**

१६२५ ई० मे सीमाप्रान्त के समस्त राजनीतिक नेता और स्वयसेवक मुक्त होकर जेलो से वाहर आये, तो सव ने सहमति के साथ मिलकर प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी को सुदृढ वनाने की ठानी। उसका कार्यालय पिशावर के किस्सा ख़ानी वाजार में मस्जिद कासिम अली खान के समीप स्थापित किया गया और नये सगठन में प्रधान अली गुलख़ान और मत्री आगा सैयद कासिम शाह साहिव नियुक्त हुए। अव इसमे भारी सख्या के साथ स्वयसेवक सम्मिलित हो गये। उन्ही दिनो मलिक अमीर आलम आवान ने पिशावर से राष्ट्रीय आन्दोलन की सेवा करने के लिये "तर्जुमाने सरहद" नामक पत्र निकालना चाहा, परन्तु सरकार ने आज्ञा न दी, तो उन्होने एक वर्ष के पश्चात् १६२६ ई० मे यही समाचार पत्र रावलपिण्डी से निकाला, जो वाद को पिशावर स्थानान्तरित कर दिया गया, और आज पूरी वाकाइदगी से चल रहा है।

प्रान्तीय कांग्रेस को सुदृढ वनाने के लिये प्रान्त के विभिन्न भागो में जलसो का क्रम आरम्भ किया गया, जिसमें आगा लाल वादशाह (दिवगत), अल्लाह वख्श यूसफी, पैंड़ा खान (डेरा इस्माईलखान वाले), सरदार रामसिंह (वन्नू) टहलराम, गगराम (डेरा), गुलाम रुसूल स्वाती (हज़ारा), मलिक अमीर आलम खान, हकीम अव्दुल जलील, पण्डित अमीरचन्द, सरदार मिलाप सिंह, सरदार खेमसिंह और अव्दुल करीम अटली वडी सरगर्मी से भाग लेने लगे और उन्होंने अपने तूफ़ानी दौरो से प्रान्त में नये जीवन का संचार कर दिया।

स्वयसेवको की सख्या काफी वढ गई और कांग्रेस का कार्यालय स्थानान्तरित होकर वाज़ार कलां में (पिशावर के घण्टाघर के निकट) आ गया।

१९२६ ई० में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिये सीमाप्रान्त ने पहली बार डेलीगेटों (प्रतिनिधियो) का एक शिष्टमण्डल भेजा गया, जिनमें मौलवी इसहाक़अली, गुल खान, सैयद कासिम खान, अब्दुल अजीज खुशबाश आदि सम्मिलित थे।

उन्ही दिनो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का वार्षिक अधिवेशन पण्डित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता मे कलकत्ते में होने वाला था। उसके साथ ही अखिल भारतीय खिलाफत समिति का अधिवेशन भी कलकत्ते में होना निश्चित हुआ, इसलिये कि उस समय कांग्रेस कमेटी और खिलाफत कमेटी का चोली-दामन का साथ था। अत सीमाप्रान्त मे दोनो सस्थाओ ने उन अधिवेशनो में भाग लेने की तैयारी पूरे जोर-शोर से आरम्भ कर दी।

खिलाफत कमेटी के निम्नलिखित प्रतिनिधि चुने गये—

हाजी अब्दुल रहीम, हाजी अब्दुल करीम, आगा सैयद लाल बादशाह, आगा चन बादशाह।

इनके साथ बत्तीस स्वयसेवको का एक दल भी रवाना हुआ, जिसके इचार्ज हाजी करम इलाही (दिवगत) थे। इस दल में पहलवान महमूद, पहलवान फकीर मुहम्मद, मुहम्मद शफी—उपनाम ऐमू, पहलवान पीर बख्श और बहुत से अन्य स्वयसेवक शामिल थे।

कांग्रेस के निर्वाचित प्रतिनिधि निम्नलिखित थे—

अली गुल खान, सैयद कासिम खान, खान मीर हलाली, अजीज खुशबाश।

कांग्रेस और खिलाफत कमेटी के शिष्टमण्डल, जिनमें ७० व्यक्ति सम्मिलित थे, एक ही गाडी में एक साथ रवाना हुए और वहाँ अपने देश के प्रवासी पिशावरियों ने उनके आतिथ्य का कर्तव्य पालन किया।

इस अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए दूसरे दिन बाचा खान भी जा पहुँचे। उस समय तक वे कांग्रेस की सस्था से सम्बन्धित नही थे, प्रत्युत केवल एक दर्शक के रूप में उस अधिवेशन की कार्यवाही देखने के लिये कलकत्ते गये थे। अत पिशावरी प्रतिनिधियो के साथ जलसो में नियमपूर्वक सम्मिलित होते रहे।

इस अवसर पर पण्डित मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में अपनी विख्यात रिपोर्ट 'नेहरू रिपोर्ट' के नाम से पेश की, जिस पर देश में बडा शोर मचा और मुसलमानो का विरोध इतना बढा कि अन्त में कांग्रेस को विवश होकर उस

रिपोर्ट को वापस लेना पडा ।

डाक्टर खान साहिब राजनीति के क्षेत्र में (१९२७ ई०)—

अफगानिस्तान की परिस्थिति अंग्रेजो की शत्रुतापूर्ण कार्यवाहियो के कारण दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही थी, वहाँ से बडी चिन्ताजनक खबरें आ रही थीं, जिनसे सीमाप्रान्त की जनता में अशान्ति की लहर दौड गई । इस अवसर पर सीमाप्रान्त की खिलाफत कमेटी ने अफगानिस्तान में एक वैद्यक शिष्टमण्डल "हिलाले अह्मर" के नाम से भेजने का निश्चय किया । इसके लिये व्यापक रूप से चन्दा इकट्ठा किया गया और डाक्टर खान साहिब से, जो उन दिनों किस्साखानी पिशावर मे डाक्टरी की दुकान करते थे, से प्रार्थना की गई कि वे इस शिष्टमण्डल का नेतृत्व करें । डाक्टर साहिब ने स्वीकार कर लिया । इस प्रकार डा० खान साहिब सबसे पहली बार जनता के सामने आये ।

इस आन्दोलन में बाचा खान ने भी भाग लिया और दूसरे कार्यकर्त्ताओ के साथ मिलकर दौड-धूप में सहयोग देते रहे । हाजी जान मुहम्मद (दिवंगत) ने 'हिलालें अह्मर' को दो लारिया भेंट की और जनसाधारण ने खूब दिल खोलकर आर्थिक सहायता दी । उस समय लोगो मे बलिदान का ऐसा प्रबल भाव था कि एक-दूसरे से आगे निकलने का प्रयत्न करते थे । इसका उदाहरण इस घटना से मिलता है कि इस अवसर पर मियाँ जाफरशाह और उनके भाई फारूक शाह मे इस बात पर झगडा हो गया कि उनमे प्रत्येक यह चाहता था कि वह मिशन के साथ जाय और दूसरा भाई घर रहे । अत. जब झगडा बढने लगा, तो कमेटी ने फैसला किया कि मियाँ जाफरशाह शिष्टमण्डल के साथ जायं और छोटा भाई मियाँ फारूक शाह चार हजार रुपया चन्दा दें । पिशावर के सैकडो नौजवानों के प्रार्थना-पत्र आ रहे थे, विशेषत विद्यार्थी तो टूट पडे थे । डाक्टर खान साहिब को शिष्टमण्डल के सदस्यो के निर्वाचन का अधिकार था । वे केवल उन लोगो को चुनते, जो उनके लिये लाभदायक सिद्ध हो सकें । अन्त मे शिष्टमण्डल के प्रस्थान के समस्त प्रबन्ध पूरे हो गये, परन्तु प्रस्थान से कुछ दिन पहले दुर्भाग्य से अफगानिस्तान को एक नयी क्रान्ति का सामना करना पडा । इस क्रान्ति में अंग्रेजो का हाथ था । अफगानिस्तान के बादशाह अमानुल्लाह खान की स्वतन्त्र विचारधारा तथा कार्यप्रणाली को वे अपने लिये खतरे की घण्टी समझ रहे थे । इसलिये बादशाह को अपने मार्ग से हटाने के लिये उनके

विरुद्ध कावुल मे विद्रोह करा दिया। यहाँ तक कि बादशाह अमानुल्लाह को भाग कर कन्धार मे आश्रय लेना पडा।

इन परिस्थितियो में 'हिलाल अह्मर' के वैद्यक शिष्टमण्डल को सरकार ने पासपोर्ट देने से इन्कार कर दिया। अन्त में सरकारी अधिकारी इस शर्त पर मान गये कि यदि अमानुल्लाह स्वय इच्छा करें, तो मिशन को जाने की आज्ञा दी जायगी। इस उद्देश्य के लिये वाचा खान और मियाँ जाफरशाह ने अपनी सेवाएँ पेश की। ताकि कधार जाकर अमानुल्लाह से आज्ञा प्राप्त करें। पिशावर के लोगो ने उन्हे बडे समारोह मे विदा किया। अल्लाह वख्श यूसफी साहिब अफगानिस्तान की सीमा तक उन्हे विदा करने गये। जब ये महानुभाव बलोचिस्तान के सिवी स्टेशन पर पहुचे तो उन्हे पुलिस ने गाडी से उतार कर दूसरी गाडी के द्वारा जैकब आबाद (सिंध) पहुँचा दिया। उन्होने पुन: बलोचिस्तान में दाखिल होने का प्रयत्न किया, परन्तु फिर वापस कर दिये गये और स्पष्ट रूप में बता दिया गया कि इस रास्ते से जाने की आज्ञा सरकार नही दे सकती।

हिलाल अह्मर शिष्टमण्डल में बाचा खान ने सक्रिय भाग लिया। उन्होंने दौरे किये, भाषण दिये, चदे जमा किये और जब वे जाफरशाह के साथ बलोचिस्तान के रास्ते अमानुल्लाह खान से वैद्यक शिष्टमण्डल के लिये आज्ञा प्राप्त करने के लिये अफगानिस्तान जाने लगे, तो उन्हे वहाँ रोक दिया गया और गिरफ्तार करके जैकब आबाद (सिन्ध) पहुचा दिया गया। जैकब आबाद से बाचा खान ने अपने पिशावर के साथियो को कुछ पत्र लिखे, जिनमें समस्त घटना का वर्णन विस्तारपूर्वक किया गया है।

एक पत्र मे आप लिखते हैं—

मेरे मिहरबान दोस्त मुमताज़ खान !

खुश रहो, अस्सलाम-अलैकम व रहमतुल्ला व बरकात।"

आज जुमा (शुक्र) का दिन है। सुबह मैंने नमाज़ पढी है और अपनी जगह पर बैठा हूँ। इस वक्त मेरी अजीब हालत है, क्योंकि बलोचिस्तान से चीफ-कमिश्नर ने पुलिस के ज़रिये हमें बाहर निकाल दिया है। हमने उसे फिर तार दिया कि हमारा काम सियासी या पोलिटीकल नही, बल्कि इन्सानी खिदमत (मानव सेवा) और हमदर्दी है। इसलिए आप फिर अपने हुक्म पर नज़रे सानी (पुन विचार) करें। हम न आपके प्रान्त में कोई जलसा-जुलूस करना चाहते

हैं, न किसी से मिलने का इरादा रखते हैं। लेकिन अफसोस कि उसने फिर वही उत्तर दिया कि तुम लोग वहाँ नही जा सकते और मैं इजाजत नही दे सकता । दूसरी ओर हमारे साथी हैं, जिनका एक तार आया—

"शाबाश, जागते रहना"

दूसरा तार आया कि

"जो कुछ आप मुनासिब समझें वही करें।"

तीसरा तार आया—

"मश्वरे के लिये पिशावर आ जाओ।"

और मजा यह कि सभी तार एक ही दिन आये हैं। हैरान हूँ कि इस सूरत में इन्सान क्या फैसला करे।"

अत: उनके लिये पिशावर वापस आने के अतिरिक्त और कोई उपाय न था।

उन्ही दिनो अमानुल्लाह खान को राजसिंहासन छोड कर भागना पडा और अफ़गानिस्तान पर बच्चा सक्का का अधिकार हो गया। अब परिस्थितियो का बहाव बदल चुका था। इस लिए वैद्यक शिष्टमण्डल भेजने का इरादा स्थगित करना पडा और यह सारी धनराशि जनरल नादिर खान को सहायता के रूप में भेंट की गई, जो उन दिनो काबुल का सिंहासन पुनः प्राप्त करने के लिये अफग़ानिस्तान की सीमा में प्रविष्ट हो चुका था तथा बच्चा सक्का पर सैन्य-अभियान करने की तैयारियो में व्यस्त था।

इस बीच मे बाचा खान ने जाति के विवश करने पर अमानुल्लाह से बम्बई जाकर भेंट की और उनकी असफलता पर खेद प्रकट किया और वैद्यक शिष्ट-मण्डल के सम्बन्ध में अपनी कठिनाइयो का सारा हाल उन्हे बताया। अत: अमानुल्लाह के सकेत पर जनरल नादिरख़ान की सहायता के लिये आप कटि-बद्ध हुए और सीमाप्रान्त वापस आकर उनकी यथासभव सहायता की।

## मौलाना मुहम्मदअली जौहर का पिशावर मे आगमन

### जमियतुलउलमा की स्थापना (१९२७ ई०)

१९२७ ई० में पिशावर में मौलाना मुहम्मद अली (दिवगत) के आगमन से राजनीतिक क्षेत्रो मे बहुत उत्साह और चहल-पहल दिखाई देने लगी। यह वह समय था, जब राजपाल ने रगीला रसूल की पुस्तक लिख कर प्रकाशित की,

जिसमें मुसलमानो के पेशवा रसूले अकरम के व्यक्तित्व पर ऐसे आक्रमण किये गये थे, जिनसे मुसलमानो के दिल दुखी हुए और गाजी इलमदीन शहीद ने राजपाल को कत्ल कर दिया और स्वयं फांसी का दण्ड पाया। इस घटना से मुसलमान बड़े उत्तेजित हो चुके थे और अंग्रेजो के एजेण्ट इस उत्तेजना को और भी भडकाने और इससे लाभ प्राप्त करने के लिये उस पुस्तक को हिन्दुस्तान के कोने-कोने में फैला रहे थे। अत यह बात प्रसिद्ध है कि अंग्रेजो ने स्वयं उसके कई सस्करण छाप कर विभिन्न उपायो अथवा साधनो से बांटे। इस प्रकार जान-बूझ कर अंग्रेजो ने मुसलमानो के मस्तिष्क में ऐसा विष भर दिया कि वे कांग्रेसी मुसलमानो को भी हिन्दू कह कर पुकारने लगे।

उस समय लाहौर में राजपाल की हत्या हो चुकी थी और हिन्दुस्तान में हिन्दू-मुस्लिम मतभेद की नीव पड चुकी थी, परन्तु अभी तक सीमाप्रान्त की भूमि इस शरारत अथवा दुष्टता से सुरक्षित थी। यद्यपि सरकार के पैदा किये हुए कुछ महत्त्वशून्य लोग मतभेद उत्पन्न करने के प्रयत्नो में जुटे हुए थे और एकता का काम करने वालो पर आलोचना कर रहे थे, परन्तु ऐसा होते हुए भी उस समय तक यहां का वातावरण साम्प्रदायिक विष से बच कर शुद्ध-पवित्र तथा मधुर ही था। क्योंकि लोगो में शिक्षा बहुत कम थी तथा पिशावार तथा आस-पास की बस्तियो के लोग राजनीतिक समझ-बूझ से कोरे थे। पर्वतीय घाटी की जनता ससार की घटनाओ से बेखबर थी।

उन्ही दिनो यहां एक पश्तून नेता आया, जो "फख्रेकौम मियां" के नाम से प्रसिद्ध था। वह काका खैल मियां था और काका साहिब के गांव का रहने वाला एक बुद्धिमान तथा मेधावी व्यक्ति था। वह "फ्रांटियर रैगूलेशन" के अधीन कई बार गिरफ्तार हुआ और उसने कारावास की यातनाएं झेली। यही वह व्यक्ति था, जिसने कांग्रेस के आन्दोलन को सबसे पहले सीमान के गांवो में परिचित कराने की चेष्टा की। मियां साहिब बडे उत्साही और बलिदानी पुरुष थे और उसे सीमाप्रान्त का राजनीतिक इतिहास कभी भुला नही सकता। उसका दूसरा साथी मरदान की तहसील के गांव तोरूमाया का रहने वाला था। वह बडा जमीदार था तथा प्रतिष्ठित वीर पुरुष था। जिला मरदान के गांवो में कांग्रेस आदोलन फैलाने का गौरव उसे प्राप्त था।

तीसरा नौजवान सनौवर हुसैन मुहम्मद था, जो कगेदे का रहने वाला था।

उसने देहातियो मे राजनीतिक सूझ-बूझ पैदा करने मे वडा भाग लिया और सारा वर्ष अनथक काम किया।

दर्रा खैबर के लोग कुछ राजनीतिक सूझबूझ रखते थे। यह इलाका लोहाडगी और लण्डीखाना तक फैला हुआ है। उन्होंने १९२० ई० में हिजरत आन्दोलन में वढ-चढ कर भाग लिया और चरा के खान तथा दूसरे प्रभावशाली लोगो और तैराह के आफरीदियो के सहित पिशावर के लोगो का साथ दिया। फिर १९२० ई० में जलियाँवाला वाग की घटना के पश्चात् पिशावर मे जो आन्दोलन आरम्भ हुआ, उसमें इन लोगो ने पर्याप्त रुचि ली और सामने आकर अग्रेजो का मुकाविला किया।

महमद कवीला मे चूंकि हाजी साहिव तरगजई स्वय विद्यामान थे, अत उस इलाके में कुछ-कुछ राजनीतिक रुचि पाई जाती थी। क्योकि हाजी साहिव कभी-कभी अग्रेजो के विरुद्ध जिहाद करते रहते थे। चमरकुण्ड में जो मुजाहिद (धार्मिक सेनानी) थे, वे भी राजनीतिक आन्दोलनो से बहुत हद तक जानकारी-रखते थे। वजीरस्तान के लोगो में वहुत वाद में उस समय कुछ राजनीतिक सूझ-बूझ पैदा हुई, जव अग्रेजो ने उनसे छेड-छाड आरम्भ की और निरन्तर बमवारी से उनके इलाक को विध्वस्त कर दिया।

शिक्षा के अभाव के होते हुए भी पख्तून जाति की मानसिक अथवा बौद्धिक अनुभव-शक्ति तीव्र थी। वे शीघ्र ही वात की गहराई में पहुँच जाते और अपने नेताओ के विचारो को हृदयंगम कर लेते तथा उसके अनुसार कार्य करने लग जाते। साधारण-सी सूचना पर हडताल, जलसे और जुलूस के लिये झट तैयार हो जाते।

मौलाना मुहम्मद अली के आगमन की सूचना यहाँ पहुँची, तो उनके जुलूस के लिये पूरे जोर-शोर से तैयारियाँ होने लगी। यह जुलूस सीमाप्रान्त मे सवसे पहला अद्वितीय जुलूस समझा जाता है, जिसमें विना अतिशयोक्ति लाखो व्यक्तियो ने भाग लिया। यहाँ ऐतिहासिक दृष्टि से तीन जुलूस ऐसे ख्याल किये जाते हैं, जिनका उदाहरण नहीं मिलता—

पहला १९२७ ई० में मौलाना मुहम्मद अली जौहर (दिवगत) का जुलूस।

दूसरा १९३१ ई० में वाचा खान का जुलूस।

तीसरा १९४५ ई० मे काइदे आजिम मुहम्मदअली जिन्नाह का जुलूस

थे, यह अधिवेशन शाही मिहमान खाना, वजीडी गेट के बाहर हुआ। अधिवेशन तीन दिन तक होता रहा। इस जलसे में मौलाना मुहम्मद अली और मौलाना जफर अलीखान ने भी भाग लिया।

उन दिनो देश में साइमन कमीशन के आगमन का शोर था। अखिल भारतीय कांग्रेस उस कमीशन के वहिष्कार का निर्णय कर चुकी थी। सीमाप्रान्त की सरकार जमियतुल-उलमा की कान्फ्रेंस के पक्ष में थी। विशेषतः साहिब जादा अब्दुल कय्यूम (दिवगत) ने पिशावर के चीफ कमिश्नर को परामर्श दिया कि यह कान्फ्रेंस सरकार के पक्ष मे लाभदायक रहेगी, क्योकि मुस्लिम उलमा (विद्वान्) कांग्रेस से मतभेद रखते हैं।

इस अधिवेशन में बाचा खान ने भाग न लिया। परन्तु उनके लडको अब्दुलवली खान, अब्दुलगनी खान ने अधिवेशन मे अपनी पश्तो कविताएँ पढी। जलसे की अन्तिम रात मौलाना मुहम्मद अली (दिवगत) का अधिवेशन का अन्तिम भाषण था। उन्होने अपने भाषण मे साइमन-कमीशन की घटनाओ को दुहरा कर लोगो पर बडा प्रभाव डाला और सरकार के समस्त इरादो पर पानी फेर दिया। उन्होने अखिल भारतीय कांग्रेस के वहिष्कार के प्रस्ताव की व्याख्या करते हुए कहा कि इस विश्व-निन्दित कमीशन के विरुद्ध सीमाप्रान्त के लोगो को प्रवल और असीम प्रदर्शन करके संसार में यह सिद्ध कर देना चाहिये कि वे अग्रेज साम्राज्य को पसन्द नही करते और उनकी चालाकियो तथा धोखेबाज़ियो से भली प्रकार परिचित हैं तथा देश की स्वाधीनता के लिये वे सारे हिन्दुस्तान के साथ हैं।

उन समस्त विद्वान् मनीषियो को सीमाप्रान्त के विख्यात स्थानो की सैर कराई गई। विशेषतः मौलाना जफ़र अली ख़ान को ख़ैबर की सैर कराई गई। ख़ैबर से लौटते हुए अली मस्जिद के निकट मोटर पँकचर हो गई। इतनी देर मे मौलाना ने एक कविता की रचना कर डाली, जिस का एक शिहर था—

पास ख़ैबर भी है और उसमें अली मस्जिद भी।
दूर क्यो जाते हो मर्हब से यहीं बात करो॥

दर्रा ख़ैबर वालो को जब मौलाना के आगमन का पता चला, तो इकट्ठे होने लगे कि "जमीदार" आ गया है। क्योकि "जमीदार" दैनिक पत्र उन दिनो बहुत विख्यात तथा सर्वप्रिय था, इस कारण वे मौलाना को भी जमीदार कहने

के साथ था, क्योंकि वह एक मेधावी देशभक्त और अग्रेज़-विरोधी नौजवान था। अमानुल्लाह को अपने विशेष शिक्षक और प्रसिद्ध सेनानायक महमूद तर्जी का समर्थन भी प्राप्त था। इसलिये वह सफल हो गया और नसरुल्लाह खान को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया।

अमानुल्लाह खान ने सिंहासन पर बैठते ही नादिर खान को इस शर्त पर रिहा कर दिया कि वह सरकार का वफादार और विश्वासपात्र बना रहेगा। नादिर खाँ को अपने पद पर पुन आरूढ कर दिया गया और उसके भाई हाशम खान को उच्च अधिकारी बना दिया गया।

अमानुल्लाह खान उदार, मेधावी तथा प्रगतिशील शासक था, इसलिये वह कबीलो को सगठित करने, अग्रेजो के फूट और द्वेषजनक शत्रुता के जाल से छुटकारा पाने और देश मे लोकतन्त्र स्थापित करने के पक्ष में था, इसलिये उसने शासन की बागडोर सभालते ही अग्रेजो के विरुद्ध जिहाद की घोषणा कर दी और इस प्रकार देश मे खूब सर्वप्रिय बन गया। नादिर खान की कमान मे टल पर आक्रमण कर दिया गया। माँग यह थी कि अफगानिस्तान को राजनीतिक स्वाधीनता दी जाय। आक्रमण के पश्चात् टल पर नादिर खान ने अधिकार कर लिया। यह कब्जा तीन दिन रहा। अग्रेज घबरा गये और अमानुल्लाह की सारी शर्तें स्वीकार कर ली।

जब अमानुल्लाह खान के विरुद्ध उसे राजसिंहासन से हटाने के लिए अग्रेजों ने एक विचित्र रहस्यपूर्ण षड्यन्त्र रचा तो उस समय अमानुल्लाह खान का समर्थक सिम्त मशरिकी में मीर जमान खान था, जो कण्टर साफियो का सबसे बडा खान था। वह शाही सहायता के लिये जलालआबाद पहुँचा। उधर महमन्द क़बीले के समस्त लोग जो अमानुल्लाह खान के समर्थक थे, जलाल-आबाद पहुँच गये। मीर जमान खान के पास बहुत बडी सेना थी परन्तु कई कारणो से वह जलालआबाद पर आक्रमण न कर सका।

अफगानिस्तान का विद्रोह बच्चा सक्का के नाम से आरम्भ हुआ और सारे अफगानिस्तान में फैल गया, यहाँ तक कि सेना भी विद्रोह में शामिल हो गई, क्योंकि अग्रेज़ो ने बड़ी चालाकी से कुछ जरखरीद मुस्लिम विद्वानो को अपने साथ मिला लिया था और अमानुल्लाह खान तथा मलिका सुरय्या के मुक्त विचारो और पथभ्रष्टता के प्रमाण-स्वरूप उनके फर्जी अथवा झूठे नगे चित्र भारी

संख्या मे समस्त कबाइली इलाकों मे बँटवाए गये। इसी समय ही संसार भर के बदनाम अंग्रेज गुप्तचर कर्नल लारेन्स ने आगमशीन का रूप धारण करके अमानु-ल्लाह खान के विरुद्ध कुफ्र के फतवे—धर्म-द्रोही होने की व्यवस्थाएं—प्राप्त किये और उन्हें हजारों लाखों की संख्या मे छपवा कर कबाइली इलाकों में बाँटा तथा समस्त अफगानों को उसके विरुद्ध संगठित कर दिया।

जब केन्द्र दुर्बल दिखाई दिया और अपने आसपास विद्रोह की लपटें सन्-नाती दिखाई दी, तो अमानुल्लाह खान भाग कर कंधार चला गया। इधर जलालआबाद मे मीर जमान खान आक्रमण करते हुए भाग गया और वहाँ शुनवारियो का पूर्णतः अधिकार हो गया। अमानुल्लाह खान ने अली अहमद खान को जलालआबाद में भिन्न सरदारों पर अधिकार करने के लिये भेजा, परन्तु उसने वहाँ जाते ही बादशाहत की घोषणा कर दी और बिखरी हुई सेना और जन-सेना को इकट्ठा करके काबुल पर आक्रमण करना चाहा। परन्तु विरोधी दल ने उसे मार्ग ही मे बुरी तरह् हरा दिया। सेना बिखर गई और वह गिरफ्तार होकर बच्चा सक्का के हाथो तोप से उड़ा दिया गया।

अब अमानुल्लाह खान के लिये इसके सिवा और कोई उपाय न था कि वह अपने प्राण बचा कर ले जाय। अतः वह विवश होकर कंधार से बम्बई पहुँच गया और वहाँ से रोम जाकर दम लिया।

इसी अवधि में नादिरखान फ्रांस से पिशावर पहुँच गया। उसने कबीलो में जाकर सेना संगठित की और काबुल पर आक्रमण करके बच्चा सक्का को पराजित किया और उसे फांसी पर लटका दिया तथा राजसिंहासन पर अधिकार करके अपने राज्य की घोषणा कर दी।

यह काबुल के विद्रोह की संक्षिप्त घटनाएँ हैं, जिनका वर्णन इसलिये आवश्यक था कि इस पृष्ठभूमि को समझे बिना राजनीतिक आन्दोलनो की बहुत-सी बातो को पूर्णरूपेण समझा नही जा सकता। क्योंकि निकटवर्ती पड़ोस के कारण अफगानिस्तान के लोग हम से और हम उनमे बहुत प्रभावित होते रहे हैं। फिर अंग्रेज शासकों के षड्यन्त्रो तथा शत्रुतापूर्ण प्रचेष्टाओ का हिन्दुस्तान की भाँति अफगानिस्तान भी शिकार होता रहा है, क्योकि उसकी स्वाधीनता और स्वराज्य उन्हें किसी अवस्था में भी सह्य न था। वे उसे प्रत्येक प्रकार से अपना दास बनाकर रखना चाहते थे।

साइमन कमीशन का आगमन—

१६२८ ई० मे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने हिन्दुस्तान मे साइमन कमीशन भेजा, जो यहाँ की परिस्थितियो का अवलोकन करे और जनता की माँगें मालूम करके सरकार के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इस कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किया और उसके विरुद्ध व्यापक रूप से प्रदर्शनो की तैयारियाँ होने लगी।

सीमाप्रान्त में उस समय कांग्रेस को उन्नति प्राप्त थी और खिलाफत कमेटी के नेता भी प्रत्येक जातीय आन्दोलन मे कांग्रेस से सहमत थे। अत. सीमा प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी और खिलाफत कमेटी दोनो साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शनो के लिये बडे उत्साह और समारोह से तैयारियाँ करने लगी।

सीमाप्रान्त की सरकार इन सरगर्मियो से अपरिचित न थी। उसने कांग्रेस को हराने के लिये कभी कांग्रेस के विरुद्ध और कभी खिलाफत में फूट डालने के प्रयत्न किये, तो कभी स्वय कांग्रेस मे हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न उत्पन्न करके वैमनस्य पैदा करना चाहा।

कुछ समय पहले "रगीला रसूल" नामक पुस्तक के प्रकाशन से पजाब मे साम्प्रदायिक हवा चल पडी थी और विभिन्न स्थानो पर हिन्दू-मुस्लिम दगे भी हुए थे। अब इसी नीति-शास्त्र का प्रयोग सीमाप्रान्त मे करने के लिये सरकार ने पश्तो, अंग्रेजी और उर्दू भाषाओ मे उस विश्व-निन्दित पुस्तक की कई हजार प्रतियाँ स्वय छपवा कर उनका सीमाप्रान्त के कोने-कोने और कबायली इलाके मे वितरण करवाया तथा मुसलमान विद्वानो को हिन्दुओ के विरुद्ध भडका कर मुस्लिम जनसाधारण को कांग्रेस से अलग कराने पर उभारा। अग्रेजो ने अपने जरखरीद एजेण्टो और समाचार-पत्रो के द्वारा असीम प्रचार किया और हिन्दुओ में आतक फैलाया कि पठान उन्हे जीवित नही छोडेंगे। इसलिये वे यहाँ से निकल जाएँ और मुसलमान को शह दी कि जिस सम्प्रदाय के व्यक्ति ने हमारे रसूल का अपमान किया है उस जाति के लोगो को हम अपने बहुमत के प्रान्त में कदापि नही रहने देंगे।

कलकत्ता मे कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन समाप्त हुआ और सीमाप्रान्त के नेता वापस आए, तो महात्मा गाधी और महादेव देसाई भी उनके साथ उसी गाडी से लौट रहे थे। उन्होंने आग़ा लाल बादशाह, अली गुल खान और चाचा

अब्दुल करीम से देश की राजनीति पर खुल कर बातें की। गांधीजी ने वार्तालाप के दौरान में बताया कि अफगानिस्तान में निकट भविष्य में विद्रोह करवा दिया जायगा और अमानुल्लाह खान को सिंहासन से हटाकर अंग्रेज अपने दल के किसी व्यक्ति को वहां का शासक बनाएंगे। उन्होंने कहा काबुल की स्वाधीनता से भारत प्रभावित हो रहा है, इसलिये हमारा प्रयत्न होना चाहिये कि अमानुल्लाह खान पराजित न हो। क्योंकि यह बात हमारे पक्ष में बहुत बुरी होगी।

यह भविष्यवाणी महात्मा गांधीजी ने अफगानिस्तान की क्रान्ति से ६ महीने पहले की थी, जो उनकी निर्मल बुद्धि-शक्ति और राजनीतिक दूरदर्शिता का प्रमाण था और इससे यह भी पता चलता था कि हिन्दुस्तान के राजनीतिक नेता अफगानिस्तान में अंग्रेजों के षड्यन्त्र से बेखबर न थे।

जब अमानुल्लाह खान पर कुफ्र का फतवा लगा दिया गया, तो दीन के विद्वानो का दल कुछ राजनीतिक कार्यकर्त्ताओ के साथ स्वाधीन कबीलो मे जाने के लिये तैयार किया गया, ताकि लोगो को वस्तुस्थिति, यथार्थ और सच्ची बात से जानकारी कराई जाय और अमानुल्लाह के विरुद्ध विद्रोह को दूर करने की चेष्टा की जाय। इस दल का नेतृत्व आगा सैयद लाल बादशाह को सौंपा गया। यह दल जिला पिशावर के कुछ प्रमुख मुस्लिम विद्वानो को साथ लेकर गधाव रवाना हो गया। उनके साथ मौलाना अब्दुल रहीम पोपलजई, रहीम बख्श गजनवी, हाजी अकरम खान (बाहुदल गाँव निवासी) और कई अन्य नौजवान सम्मिलित थे। उन्होने कबाइली इलाके मे जाकर यथाशक्ति अमानुल्लाह खान के पक्ष मे वातावरण को शान्त और मधुर करने का प्रयत्न किया।

अमानुल्लाह खान के निर्वासित होने के पश्चात् बच्चा सक्का की सरकार स्थापित हुई, तो उसका एजेण्ट अमामदीन चाराधारी पिशावर मे नियुक्त किया गया। उसके आते ही यहाँ सक्का-शाही के विरुद्ध इतने जलसे, जुलूस और प्रदर्शन हुए कि अमानुल्लाह सरकार के ट्रेड एजेण्ट सरदार अब्दुल हकीम खान ने साहस पाकर उसे चार्ज देने से इकार कर दिया और उससे मिलना भी पसन्द न किया। जब लोगो को पता चला कि सक्का सरकार का ट्रेड एजेण्ट ब्रगेडियर जान मुहम्मद के घर ठहरा हुआ है, तो एक विराट भीड ने उनके मकान पर जाकर प्रदर्शन किया। यहाँ तक कि जनता की भीड के आदोलन पर ब्रगेडियर ने उसे अपने मकान से निकाल कर खान बहादुर करम इलाही के मकान पर पहुँचा दिया।

अस्तु, एक दिन नया ट्रेड एजेण्ट खान बहादुर के पास उनके मकान पर बैठा था कि लोगो ने धावा बोल दिया और उसे मार डालना चाहा, परन्तु शीघ्र ही पुलिस, सेना और असिस्टेण्ट कमिश्नर घटनास्थल पर पहुँच गये और उसे कही मकानो से गुजार कर निकाल ले गये। भीड ने बालाखाना के शीशे और दरवाज़े तोड दिये। इस गडबड के सिलसिले मे दूसरे दिन अब्दुल अजीज खुशबाश और मुहम्मद शफी एमू गिरफ्तार कर लिये गये। परन्तु अदालत ने उनके विरुद्ध कोई प्रमाण न होने के कारण रिहा कर दिया।

गाधीजी का कहा सच निकला। इस क्राति से सयुक्त हिन्दुस्तान का स्वाधीनता आन्दोलन बहुत हद तक प्रभावित हुआ। विशेषत सीमाप्रान्त पर उसका गभीर प्रभाव पडा। अँग्रेज साम्राज्य उस ओर से पूर्णत निश्चिन्त होकर सीमाप्रान्त के स्वाधीनता-आन्दोलन को कुचलने में सफल हो गया। अत यह कहना गलत न होगा कि १९३० ई० मे क़िस्सा खानी मे अँग्रेजो को निहत्थी, नि शस्त्र जनता के रक्त से होली खेलने का साहस इसलिये हुआ कि पडोसी देश क्राति के कारण दुर्बल हो चुका था।

इस विष भरे प्रचार के बावुजूद सरकार के मन्सूबे पूरे न हो सके और जब साइमन कमीशन ने सीमाप्रान्त की भूमि पर पग रखा, तो सरकार की समस्त अग्रिम सावधानियाँ तथा प्रबन्ध धरे के धरे रह गये और सीमाप्रान्त का कोना-कोन "साइमन गो बैक" के गगनभेदी नारो से गूंज उठा और पग-पग पर हजारो लाखो मनुष्यो ने काली झडियो, इन्किलाब जिन्दाबाद और हिन्दुस्तान आजाद के नारो से वह अद्वितीय प्रदर्शन किया कि सरकार सख्त परेशान हुई और दूसरे ही दिन कमीशन को अपना बाकी कार्यक्रम त्याग कर वापस जाना पडा।

**नौजवान भारत सभा की स्थापना (१९२९ ई०)**

अब कांग्रेस में एक और इन्किलाब आया। हिन्दुस्तान और पजाब मे उग्रवादी नौजवान दल ने "नौजवान भारत सभा" की नीव डाली। यह समाचार सीमाप्रान्त मे पहुँचा, तो यहाँ भी कुछ नौजवान, जिन में अब्दुर्रहमान रुवा, अब्दुल अज़ीज खुशबाश, हाजी अब्दुल्लाह पॅखीगर, फजल इलाही और सनौबर हुसैन सम्मिलित थे, इस सभा की स्थापना के विषय मे सोचने लगे। अन्त में उन्होने विशेष कारणो से भारत का शब्द छोड कर, इस सस्था का नाम "नौजवानाने सरहद" रखा और अखिल भारतीय नौजवान भारत सभा मे सम्मिलित

न ही उन्होंने अब तक कांग्रेस कमेटी से अपना सम्बन्ध स्थापित किया। न ही किसी अन्य राजनीतिक संस्था से सम्पर्क जोड़ा। अखिल भारतीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों में वे सम्मिलित होते रहे, परन्तु सदस्य या डेलीगेट के रूप में नहीं, प्रत्युत दर्शक रूप में।

सत्य तो यह है कि वाचा खान उस समय तक कांग्रेस के पूरी तरह से समर्थक नहीं थे। वे पठान जाति की कट्टर धार्मिक मनोवृत्ति को सामने रखते हुए एक विशुद्ध इस्लामी आन्दोलन चलाना चाहते थे और उसमें भी वे केवल अपनी पख्तून जाति की उन्नति तथा गौरव के लिये काम करना चाहते थे। इसलिये उन्हें इस जाति का पिछड़ा हुआ और विद्याहीन होना वहुत अखरता था। वे जानते थे कि हिन्दुस्तान के दूसरे भागों के लोग पख्तूनों से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वहुत आगे हैं। वे चाहते थे कि जब तक उनकी जाति दूसरी जातियों के समान न हो जाय, शिक्षित, सभ्य और धीशाली न हो जाय, उस समय तक वे अपने आन्दोलन को केवल इसी क्षेत्र तक सीमित रखें और पख्तूनों के संगठन को भारत के दूसरे भागों से सर्वथा विलग रखकर अपने समस्त प्रयत्न इस उद्देश्य को पूरा करने पर लगायें। वे यही भाव लेकर कार्य-क्षेत्र में आये थे और इसी पर दृढ-प्रतिज्ञ रहे। परन्तु जहां कहीं देश और जाति पर कोई समय आ पडा, तो वलिदान देने में किसी से पीछे नहीं रहे, प्रत्युत गम्भीर अवसरों पर दो पग आगे वढ कर अपने आप को पेश किया।

वे पीर रोखान खुशहाल खान खटक और हाजी साहिव तरंगजई के अनुयायी थे और उन्हीं के चरणचिह्नों पर चलने का दृढ संकल्प कर चुके थे। उनका आन्दोलन उस दैदीप्यमान आन्दोलन की प्रतिध्वनि है, जिसका आरम्भ सोलहवीं शताब्दी के मध्य में महान् नेता पीर रोखान ने किया और जिसकी वागडोर १७वीं शताब्दी ईसवी में खुशहाल खटक और १९१० ई० में हाजी साहिव तरंगजई ने सम्भाली।

इसलिये अपने आन्दोलन के प्रारम्भ में उन्होंने मुसलमान से खरीदो का नारा भी लगाया, गैर इस्लामी रीतियों के त्याग का प्रलोभन भी दिया और हिन्दुओं के वायकाट का प्रचार भी किया। परन्तु जिस समय संगठित रूप में मिलकर काम करने का अवसर आया, तो उन्होंने मिल कर काम भी किया, पन्रतु अपने पृथक् अस्तित्व को वे कभी समाप्त करने पर तैयार नहीं हुए।

के स्वयसेवको की भूरि-भूरि प्रशसा होने लगी।

इस अधिवेशन मे लार्ड इरवन पर वम फेकने के विरुद्ध गाधीजी ने प्रस्ताव उपस्थित किया, जो वगालियो के विरोध के वावुजूद पास हो गया।

वाचा खान ने अपने साथियो के साथ इस अधिवेशन में व्यक्तिगत रूप से भाग लिया, क्योकि उस समय वे कॉंग्रेस मे सम्मिलित नहीं हुए थे।

यह अधिवेशन वडा ज़ोरदार था और अपने ढग की दृष्टि से उसे वडा महत्त्व प्राप्त था।

इस अधिवेशन में कॉंग्रेस ने पहले-पहल पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास किया, जिससे अंग्रेज़ शासको के घर में शोक छा गया।

इस अवसर पर प० जवाहरलाल नेहरू ने अफग़ानी साफा (पगड़ी) सिर पर रखकर स्वयंसेवको के साथ नृत्य किया और पिशावर के कॉंग्रेसी नेताओं ने पहली वार वाचा ख़ान को अखिल भारतीय कॉंग्रेस के नेताओ से परिचित कराया।

लाहौर के इस अत्यन्त समारोह-युक्त अधिवेशन में वगाल और पंजाव के उग्रवादियो से सीमाप्रान्त के नौजवान मिल कर वहुत प्रभावित हुए। अधिवेशन की समाप्ति पर कुछ महानुभाव वहाँ ठहर गये और भगतसिंह तथा दत्त का विख्यात मुकद्दमा सुनते रहे।

जनवरी १९३० ई० में कॉंग्रेस और भारत सभा के सीमाप्रान्तीय नेता और स्वयसेवक वापस पिशावर पहुँचे। उस समय सीमाप्रान्तीय कॉंग्रेस कमेटी और नौजवान भारत सभा अपने यौवन पर थी। उन्होने वड़े प्रभावशाली तथा समारोहपूर्ण जलसे किये। नौजवान भारत सभा ने फरवरी १९३० ई० मे अपने एक विराट् जलसे का अध्यक्ष वाचा खान को वनाया। इस जलसे में अताउल्लाह शाह बुख़ारी भी सम्मिलित हुए और उन्होने अत्यन्त ओजस्वी भाषण किया।

**अफ़गान यूथ लीग (१९२९ ई०)—**

वाचा खान १९२४ ई० में जेल मे रिहा होकर सुधारात्मक कार्यों में लग गये। "अन्जुमने-इस्लाह-अल-अफ़ाग़ना" की नीव डाली गई और राजनीति से अलग-थलग रह कर स्वतन्त्र जातीय विद्यालयो के सस्थापन और गैर शरई (इस्लामी विधान के प्रतिकूल) और गैर-इस्लामी रीतियो की रोकथाम के लिये उन्होंने अनथक प्रयत्न आरम्भ कर दिये। राजनीतिक जगत में १९२४ से १९३० ई० तक इतनी महत्वपूर्ण घटनायें हुई, परन्तु उन्होने किसी में भाग न लिया,

न ही उन्होंने अब तक कांग्रेस कमेटी से अपना सम्बन्ध स्थापित किया। न ही किसी अन्य राजनीतिक संस्था से सम्पर्क जोडा। अखिल भारतीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनो मे वे सम्मिलित होते रहे, परन्तु सदस्य या डेलीगेट के रूप में नही, प्रत्युत दर्शक रूप मे।

सत्य तो यह है कि बाचा खान उस समय तक कांग्रेस के पूरी तरह से समर्थक नही थे। वे पश्तून जाति की कट्टर धार्मिक मनोवृत्ति को सामने रखते हुए एक विशुद्ध इस्लामी आन्दोलन चलाना चाहते थे और उसमे भी वे केवल अपनी पश्तून जाति की उन्नति तथा गौरव के लिये काम करना चाहते थे। इसलिये उन्हे इस जाति का पिछड़ा हुआ और विद्याहीन होना बहुत अखरता था। वे जानते थे कि हिन्दुस्तान के दूसरे भागो के लोग पश्तूनो से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बहुत आगे हैं। वे चाहते थे कि जब तक उनकी जाति दूसरी जातियो के समान न हो जाय, शिक्षित, सभ्य और धीशाली न हो जाय, उस समय तक वे अपने आन्दोलन को केवल इसी क्षेत्र तक सीमित रखें और पश्तूनो के संगठन को भारत के दूसरे भागो से सर्वथा विलग रखकर अपने समस्त प्रयत्न इस उद्देश्य को पूरा करने पर लगायें। वे यही भाव लेकर कार्य-क्षेत्र में आये थे और इसी पर दृढ-प्रतिज्ञ रहे। परन्तु जहाँ कही देश और जाति पर कोई समय आ पडा, तो बलिदान देने में किसी से पीछे नही रहे, प्रत्युत गम्भीर अवसरो पर दो पग आगे बढ कर अपने आप को पेश किया।

वे पीर रौखान खुशहाल खान खटक और हाजी साहिब तरंगजई के अनुयायी थे और उन्ही के चरणचिह्नो पर चलने का दृढ संकल्प कर चुके थे। उनका आन्दोलन उस देदीप्यमान आन्दोलन की प्रतिध्वनि है, जिसका आरम्भ सोलहवी शताब्दी के मध्य में महान् नेता पीर रौखान ने किया और जिनकी बागडोर १७वी शताब्दी ईसवी में खुशहाल खटक और १६१० ई० मे हाजी साहिब तरंगजई ने सम्भाली।

इसलिये अपने आन्दोलन के प्रारम्भ मे उन्होंने मुसलमान से खरीदो का नारा भी लगाया, गैर इस्लामी रीतियो के त्याग का प्रलोभन भी दिया और हिन्दुओं के बायकाट का प्रचार भी किया। परन्तु जिस समय संगठित रूप में मिलकर काम करने का अवसर आया, तो उन्होने मिल कर काम भी किया, पन्रतु अपने पृथक् अस्तित्व को वे कभी समाप्त करने पर तैयार नही हुए।

के स्वयसेवको की भूरि-भूरि प्रशंसा होने लगी।

इस अधिवेशन मे लार्ड इरवन पर बम फेकने के विरुद्ध गाधीजी ने प्रस्ताव उपस्थित किया, जो बगालियो के विरोध के बावुजूद पास हो गया।

बाचा खान ने अपने साथियो के साथ इस अधिवेशन में व्यक्तिगत रूप से भाग लिया, क्योकि उस समय वे कांग्रेस मे सम्मिलित नही हुए थे।

यह अधिवेशन बडा जोरदार था और अपने ढग की दृष्टि से उसे बडा महत्व प्राप्त था।

इस अधिवेशन मे कांग्रेस ने पहले-पहल पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास किया, जिससे अग्रेज शासको के घर मे शोक छा गया।

इस अवसर पर प० जवाहरलाल नेहरू ने अफगानी साफा (पगड़ी) सिर पर रखकर स्वयंसेवको के साथ नृत्य किया और पिशावर के कांग्रेसी नेताओ ने पहली बार बाचा ख़ान को अखिल भारतीय कांग्रेस के नेताओ से परिचित कराया।

लाहौर के इस अत्यन्त समारोह-युक्त अधिवेशन में बगाल और पजाब के उग्रवादियो से सीमाप्रान्त के नौजवान मिल कर बहुत प्रभावित हुए। अधिवेशन की समाप्ति पर कुछ महानुभाव वहाँ ठहर गये और भगतसिह तथा दत्त का विख्यात मुकद्दमा सुनते रहे।

जनवरी १९३० ई० मे कांग्रेस और भारत सभा के सीमाप्रान्तीय नेता और स्वयसेवक वापस पिशावर पहुँचे। उस समय सीमाप्रान्तीय कांग्रेस कमेटी और नौजवान भारत सभा अपने यौवन पर थी। उन्होने बड़े प्रभावशाली तथा समारोहपूर्ण जलसे किये। नौजवान भारत सभा ने फरवरी १९३० ई० मे अपने एक विराट् जलसे का अध्यक्ष बाचा खान को बनाया। इस जलसे मे अताउल्लाह शाह बुखारी भी सम्मिलित हुए और उन्होंने अत्यन्त ओजस्वी भाषण किया।

अफ़गान यूथ लीग (१९२९ ई०)—

बाचा खान १९२४ ई० में जेल से रिहा होकर सुधारात्मक कार्यो में लग गये। "अन्जुमने-इस्लाह-अल-अफागना" की नीव डाली गई और राजनीति से अलग-थलग रह कर स्वतन्त्र जातीय विद्यालयो के सस्थापन और गैर शरई (इस्लामी विधान के प्रतिकूल) और गैर-इस्लामी रीतियो की रोकथाम के लिये उन्होंने अनथक प्रयत्न आरम्भ कर दिये। राजनीतिक जगत में १९२४ से १९३० ई० तक इतनी महत्वपूर्ण घटनायें हुई, परन्तु उन्होने किसी मे भाग न लिया,

# खुदाई खिदमतगार आन्दोलन का पहला दौर (१९३० ई०)

सीमाप्रान्त के राजनीतिक इतिहास में १९३० ई० का वर्ष कई कारणो से अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

(१) यह वर्ष सीमाप्रान्त मे कॉंग्रेस की उन्नति का वर्ष था।

(२) इस वर्ष वाचा खान ने अपनी विख्यात सस्था "खुदाई खिदमतगार" की नीव डाली।

(३) इस वर्ष अप्रैल के महीने में यहाँ किस्सा खानी फायरिंग की विश्व-निन्दित घटना हुई।

(४) इस वर्ष देश का स्वाधीनता आन्दोलन सिमट कर सीमाप्रान्त मे आ गया और यहाँ अन्धाधुन्ध गिरफ्तारियाँ की गईं।

वाचा खान सितम्वर १९२९ ई० में "अफगान यूथ लीग" की नीव रख चुके थे। उसके लिये आपने जनवरी १९३० ई० में नियमित रूप से स्वयसेवको की भरती आरम्भ कर दी। परन्तु उन स्वयसेवको के सगठन का कोई अलग नाम भी होना चाहिये था। अतः अत्यन्त सोच-विचार के पश्चात् दिवंगत काजी अताउल्लाह के सुझाव पर इस सगठन का नाम "खुदाई खिदमतगार" रखा गया।

वाचा खान ने १६ अप्रैल १९३० ई० को किसान सम्मेलन के नाम से अजुमने इस्लाह अल-अफागना के वार्षिक उत्सव पर अतमान जई मे एक विराट सभा वुलाई। इस अधिवेशन मे विना भेदभाव सीमाप्रान्त के समस्त राजनीतिक दलो को आमन्त्रित किया गया और अत्यन्त विशाल प्रवन्ध किये गये। इसके प्रधान खुशहाल खान (जिला मरदान निवासी) थे। यह एक स्मरणीय ऐतिहासिक अधिवेशन अथवा सम्मेलन था, जिसमें सीमाप्रान्त के कोने-कोने से आकर लाखो व्यक्तियो ने भाग लिया। कॉंग्रेस कमेटी, नौजवान भारत सभा, और खिलाफत

# खुदाई खिदमतगार आन्दोलन का पहला दौर (१६३० ई०)

सीमाप्रान्त के राजनीतिक इतिहास में १६३० ई० का वर्ष कई कारणो से अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

(१) यह वर्ष सीमाप्रान्त मे कांग्रेस की उन्नति का वर्ष था।

(२) इस वर्ष बाचा खान ने अपनी विख्यात संस्था "खुदाई खिदमतगार" की नीव डाली।

(३) इस वर्ष अप्रैल के महीने मे यहाँ किस्सा खानी फायरिंग की विश्व-निन्दित घटना हुई।

(४) इस वर्ष देश का स्वाधीनता आन्दोलन सिमट कर सीमाप्रान्त मे आ गया और यहाँ अन्धाधुन्ध गिरफ्तारियाँ की गईं।

बाचा खान सितम्बर १६२६ ई० में "अफगान यूथ लीग" की नीव रख चुके थे। उसके लिये आपने जनवरी १६३० ई० में नियमित रूप से स्वयसेवको की भरती आरम्भ कर दी। परन्तु उन स्वयसेवको के सगठन का कोई अलग नाम भी होना चाहिये था। अतः अत्यन्त सोच-विचार के पश्चात् दिवंगत काज़ी अताउल्लाह के सुझाव पर इस सगठन का नाम "खुदाई खिदमतगार" रखा गया।

बाचा खान ने १६ अप्रैल १६३० ई० को किसान सम्मेलन के नाम से अंजुमने इस्लाह अल-अफागना के वार्षिक उत्सव पर अतमान जई में एक विराट सभा बुलाई। इस अधिवेशन मे विना भेदभाव सीमाप्रान्त के समस्त राजनीतिक दलो को आमन्त्रित किया गया और अत्यन्त विशाल प्रबन्ध किये गये। इसके प्रधान खुशहाल खान (ज़िला मरदान निवासी) थे। यह एक स्मरणीय ऐतिहासिक अधिवेशन अथवा सम्मेलन था, जिसमें सीमाप्रान्त के कोने-कोने से आकर लाखो व्यक्तियो ने भाग लिया। कांग्रेस कमेटी, नौजवान भारत सभा, और खिलाफत

समिति के स्वयसेवको तथा नेताओ के अतिरिक्त हजारो जनसाधारण भी इस अधिवेशन में सम्मिलित हुए।

इसके व्यवस्थापक बाचा खान, मुहम्मद अकबर खान खादिम, मियाँ अहमद शाह, बैरिस्टर मियाँ अब्दुल्लाह और मियाँ जाफर शाह थे। सबसे पहले घोषणा की गई कि इस आन्दोलन का राजनीति से कोई सम्बन्ध नही।

इस अधिवेशन मे बाचा खान ने अपने सुधार सम्बन्धी आन्दोलन 'अजुमने' इस्लाह अल-अफागना या अफगान जिरगा को चलाने के लिये स्वयसेवक भरती करने का कार्य आरम्भ किया, और उन स्वयसेवको का नाम खुदाई खिदमतगार रखा। उनकी वरदी नसवारी रग की निश्चित की गई, जिससे धोखा खाकर बाद में सरकार ने उन्हे सुर्खपोश कहना आरम्भ किया और बालशेविक आन्दोलन से इसका सम्बन्ध जा मिलाया, जबकि समय-समय पर आन्दोलन के नेता सरकार के इस भ्रम का अत्यन्त स्पष्ट शब्दो में खण्डन करते रहे।

यह दल बाद में कांग्रेस में समाहित कर दिया गया। इन खुदाई खिदमतगारो का शपथ-पत्र, जो पश्तो में प्रकाशित हुआ, और १९२८ ई० में सम्पादित किया गया था, निम्नलिखित है —

मैं ईश्वर को सर्वव्यापी और सर्वद्रष्टा मानते हुए और उसके पवित्र अस्तित्व पर विश्वास करते हुए शपथपूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि निम्नलिखित नियमों का पालन करूंगा—

१ मैं अपना नाम खुदाई खिदमतगारी के लिये सच्चाई और ईमानदारी से पेश करता हूँ।

२ मैं अपने प्राण, धन और सुख का, ईमानदारी अर्थात् सच्चे हृदय के साथ अपनी जाति और देश की स्वाधीनता के लिये, बलिदान करूंगा।

३ मैं खुदाई खिदमतगारी में ऐसे पक्षपात या कार्य का, जो प्रान्दोलन के लिये दुर्बलता या हानिकारक हो, कारण नही बनूंगा।

४. मैं किसी अन्य सस्था का सदस्य नहीं बनूंगा और स्वाधीनता-सग्राम में क्षमा नही मांगूंगा, न ही जमानत दूंगा।

५. मैं अपने अफसर का प्रत्येक उचित आदेश प्रत्येक समय मानने को तैयार रहूँगा।

६ मैं अहिंसा के नियम का सदा पालन करूंगा।

७ मैं ईश्वर के समस्त प्राणियो की समान सेवा करूँगा। मेरा लक्ष्य देश को स्वाधीन कराना होगा।

८ मैं सदा नेक और अच्छे कर्म करने के लिये दृढ-प्रतिज्ञ रहूँगा।

९. मै सेवा के वदले किसी वस्तु का लोभ-लालच नही करूँगा।

१०. मेरी समस्त चेष्टाएँ ईश्वर की इच्छा के लिये होगी, दिखावे के लिये नही होगी।

इससे पहले वाचा खान के मन मे अहिंसा की कल्पना नही थी। यह चीज़ उन्होंने महात्मा गाधी जी से प्राप्त की और सवसे पहले इस दर्शन से वे उस समय परिचित हुए, जब १९३० ई० मे उन्हे गिरफ्तार करके गुजरात जेल मे भेज दिया गया, जहाँ उन्हे वडे-वडे काँग्रेसी नेताओ के साथ रहने और उनके विचारो को समझने का अवसर मिला। इसके पश्चात् उन्होने अपनी सस्था को काँग्रेस में समाहित करने की घोषणा की और इसके वाद ही वे अहिंसा पर दृढचित्त से आरूढ रहे। अस्तु, उपर्युक्त शपथ-पत्र खुदाई खिदमतगारो के लिये २२ अगस्त १९३० ई० मे तैयार किया गया। आरम्भ मे इस प्रकार का कोई शपथ-पत्र नही था।

"खुदाई खिदमतगार" वास्तव में अफगान जिरगा के स्वयसेवको के सगठन का नाम था, लेकिन यह ऐसा विख्यात और प्रिय सिद्ध हुआ कि सस्था ही खुदाई खिदमतगार कहलाने लगी।

अतमान जई के इस विराट् सम्मेलन में वादशाह खान ने अत्यन्त प्रभावशाली भाषण किया और पश्तून जाति के सगठन के लिये कार्यप्रणाली तैयार करते हुए खुदाई खिदमतगार के नाम से स्वयसेवको की भरती की घोषणा की। सैकड़ों लोगो ने उस समय स्वयंसेवको में अपने नाम लिखवाए।

वादशाह खान खुदाई फरमानरदारी अर्थात् ईश्वरीय आज्ञा-पालन को अपना ईमान-धर्म समझते हैं। इसीलिये उन्होंने स्वयसेवको के संगठन के लिये खुदाई खिदमतगार नाम निश्चित किया। परन्तु सरकार ने इस दल को कुचलने के लिये वहाना वनाकर उनकी लाल वरदी के कारण उन्हे "सुर्खपोश" का नाम देकर वाल्शेविको से उनका सम्बन्ध मिलाया और इस प्रकार उन पर असीम अत्याचार, हिंसा करने के लिये औचित्य खोज निकाला।

वाचा खान कहते हैं, "पहले उन स्वयसेवको का सफेद खद्दर का लिवास

था, परन्तु वह शीघ्र मैला हो जाता था। इसलिये निश्चय किया गया कि कमीज को गेरुआ रग दिया जाय। इस रग को लाल (सुर्ख) कहना सर्वथा गलत है और न इसे सोवियत रूस के लाल रग से कोई सम्बन्ध हो सकता है।"

एक और अवसर पर बाचा खान ने एक मित्र को पत्र का उत्तर देते हुए खुदाई-खिदमतगार आन्दोलन की व्याख्या इस प्रकार की—

> "आपने मुझ से खुदाई खिदमतगार आन्दोलन के विषय में पूछा है। यह बात बहुत अधिक व्याख्या के योग्य है। परन्तु कुछ ही शब्दो में यह बता देना चाहता हूँ कि सच्चा खुदाई खिदमतगार वह है, जो बिना किसी लालच के मानव-समाज की उन्नति के लिये सेवा करे। परन्तु मुझे खेद है कि इस पवित्र आन्दोलन की सचाई से साधारण हिन्दुस्तानी और विशेषत हिन्द के मुसलमान अनभिज्ञ हैं।"

शुरू में यह आन्दोलन जो कुछ भी था, परन्तु अन्त मे खुदाई खिदमतगार आन्दोलन किसी एक सम्प्रदाय तक सीमित नही रहा, प्रत्युत् इसमें समस्त सीमा प्रान्तीय लोग सम्मिलित थे। इसमें जो सिख, हिन्दू खुदाई खिदमतगारो के शिविरो में भाग लेते रहे, उनमें से कुछ एक नाम ये हैं—

शोभाराम लकी मुरव्वत, कुँवरभान कलाची, टहलदास, गणेशदास पहाडपुर, भगवानदास लकी मुरव्वत, नानकचन्द कोहाट, कालूराम बन्नू, गोपीचन्द पिशावर, ओरहमरलाल कोहाट, रामसिह पिशावर, गुरुवचनसिह पिशावर, ला० किशनचन्द पिशावर। इन गैर मुस्लिम खुदाई खिदमतगारो के साथ बाचा खान के कई चित्र भी मौजूद हैं।

उस समय पिशावर नगर में कांग्रेस की नीव पड चुकी थी, परन्तु उसका कार्यक्षेत्र नगर की सीमा तक ही सीमित था।

शुरू में खुदाई खिदमतगारो की सख्या कोई अधिक नही थी। परन्तु अप्रैल १९३० ई० में बाचा खान की गिरफ्तारी के पश्चात् उनकी सख्या हजारो तक पहुँच गई। सीमाप्रान्त में यह आन्दोलन इतना फैला और इतना व्यापक हो गया कि सरकार बौखला उठी। पुरुषो के अतिरिक्त महिलाएँ, बच्चे, बूढे बडे चाव से इस आन्दोलन में सम्मिलित होते। लाल वस्त्र पहनने और सरकार के अत्याचार तथा हिंसा का लक्ष्य बनने के लिये पतगो की भाँति अपने प्राण न्यौछावर करते।

खुदाई खिदमतगारो का सगठन अत्यन्त उच्च स्तर पर किया गया और

यदि बहुत जल्द सरकार के अत्याचार का शिकार न होते और उन्हे प्रशिक्षण का अवसर मिलता तो संगठन अत्यन्त लाभदायक सिद्ध होता।

(१) उन्हे नियमपूर्वक ड्रिल सिखाई जाती, सैन्य-शिक्षा दी जाती और मीलो पैदल चलने तथा दौडने का अभ्यास कराया जाता।

(२) इनके साप्ताहिक और मासिक शिविर लगते जहाँ वे दूध और पानी पर कई-कई दिन गुजारते।

(३) उन्हे प्राणियो की निष्काम सेवा करने का उपदेश दिया जाता।

(४) देश और जाति के मार्ग मे प्राणो का बलिदान करने की शिक्षा दी जाती।

(५) उन्हे प्रत्येक प्रकार के कष्ट उठाने के लिये तैयार किया जाता।

कांग्रेस के असहयोग आन्दोलन मे खुदाई खिदमतगारो ने सीमाप्रान्त में बलिदान के वे निदर्शन पेश किये, जिनका उदाहरण सयुक्त हिन्दुस्तान में नही मिलता। अंग्रेजो ने उनकी बढती हुई सख्या और दृढ सगठन से घबरा कर उन्हे कुचलने का तहय्या कर लिया और उन पर ऐसे-ऐसे अमानुषिक अत्याचार किये, जिनकी कल्पनामात्र ही से रोंगटे खडे हो जाते हैं—

घरो की तलाशियाँ ली जाती।

महिलाओ का अपमान किया जाता।

खडी फस्लें (शस्य) जला दी जाती।

मार-मार के उनकी सूरतें बिगाड दी जाती।

गालियाँ दी जाती।

नगा करके उनके जुलूस निकाले जाते।

उन पर खाना-पीना बन्द कर दिया जाता।

उनके मुँह पर थूका जाता।

उनके मुँह काले करके शहरो और गाँवो में फिराया जाता।

उनकी बेटियो, बहिनो और पत्नियो से उनकी आँखों के सामने अनुचित व्यवहार किया जाता।

उनके निर्दोष बच्चो को कष्ट दिये जाते।

उन पर गन्दगी फेंकी जाती।

ये और इस प्रकार की कितनी ही ऐसी लज्जास्पद चेष्टाएँ उनके विरुद्ध की

जाती, जो सभ्यता और संस्कृति के दावेदार अंग्रेज शासकों के लिये सदा कलंक का टीका बनी रहेगी ।

परन्तु खुदाई खिदमतगारो के दृढ संकल्पो में कोई अन्तर न आता । वे हजारो की संख्या मे पतंगो की भाँति स्वाधीनता के प्रदीप पर अपने प्राण न्यौछावर करते, उनकी एक पंक्ति गोलियो की बौछार से छलनी होती, तो दूसरी पंक्तियाँ तन जाती, एक दीपक बुझता और हजारो जल उठते ।

जब अत्याचार और हिंसा पराकाष्ठा तक पहुँच गई और यह आन्दोलन समाप्त होने के स्थान पर और जोर-शोर से उभरने लगा, जब स्वयंसेवको पर जेलो की परिधियाँ संकीर्ण हो गईं, तो सरकार ने विवश होकर गिरफ्तारियाँ बन्द कर दी । पुलिस को आदेश मिला कि उनकी लाल वर्दियाँ छीनकर उन्हे नग्न अवस्था में छोड दो । खुदाई खिदमतगारो ने यह परिस्थिति देखी, तो लाल रँग से अपने शरीरो को रंगना आरम्भ कर दिया । पुलिस लाल वरदी उतारती, तो नीचे से लाल खाल (त्वचा) निकल आती और स्वयंसेवक ठहके मारते हुए कहते, मूर्खों शरीर के भीतर हमारे दिल भी लाल पाओगे ।

इस आन्दोलन को कुचलना कोई आसान काम न था । अंग्रेज़ साम्राज्य ने अपने समस्त परीक्षित व प्रामाण्य शस्त्रो का प्रयोग कर डाला और अन्त में अत्यन्त ओछे हथियारो पर उतर आया और यातनाजनक शारीरिक दण्डो के अतिरिक्त स्वयंसेवको की मान-मर्यादा पर दिन दहाडे आक्रमण किये गये । परन्तु किसी उपाय से स्वयंसेवको के स्वाधीनतापूर्ण भावो में कोई अन्तर न आया, तो सरकार ने तंग आकर लाल रंग पर कण्ट्रोल कर दिया और ग्रामीणो के लिए लाल रंग बेचना अपराध घोषित कर दिया । इस घटना को पश्तो के एक दोहे में सुचारु रूप से समोया गया है । एक स्वयंसेवक प्रेमी विवश होकर सफेद कपडे पहने हुए है । उसके चेहरे पर उदासी झलकती है । प्रेमिका यह स्थिति सहन नही कर सकती और वस्त्र रंगने के लिये प्रेमी को अपना रक्त पेश करती है । वह पश्तो के गीत में कहती है, जिसके एक पद का अनुवाद नीचे दिया जाता है—

"तेरा लिबास सफेद है । मेरे रक्त में इसे डुबो दे कि लाल हो जाय ।"

फिर समाचारो का ऐसा ब्लैकआउट किया गया कि यहाँ जनता पर प्रलयें

गुज़र गई और वाह्य जगत् को कानोकान खवर तक न हुई और जब एक समय के पश्चात् ये समाचार वाहर पहुँचे, तो सरकार के इन पाशविक अत्याचारो के विरुद्ध देश में हाहाकार मच गया। समाचार-पत्र चिल्ला उठे और स्वयं अंग्रेजो की लोक-सभा (पार्लियामेण्ट) मे सरकार की नीति पर कडी आलोचना की गई।

जव सरकार को चारो ओर से निन्दा का सामना करना पडा, तो उसने अपने अमानुषिक अत्याचारो को उचित सिद्ध करने के लिये सरकारी रूप से स्वय-सेवको पर मनघडन्त और निराधार अभियोग लगाए तथा सीमाप्रान्त के चीफ-कमिश्नर ने मई १९३० ई० में यह घोषणा प्रकाशित की—

> "अपने गाँव मे कांग्रेस के इन स्वयसेवको को मत आने दो। लाल कमीज़ पहने होते हैं। वे अपने आप को खुदाई खिदमतगार कहते हैं, परन्तु वास्तव में वे गाधी के चेले हैं। वे वाल्शेविको का लिवास पहने हैं और यहाँ भी अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं, जो वाल्शेविको ने रूस मे की है।"

१९३२ ई० मे फादर एलवन अपने थोडे समय के निवास के दौरान में उन घटनाओ की जाँच के सम्वन्ध मे यहाँ के कई अधिकारियो से मिले, जिन्होंने खुदाई खिदमतगारो पर जो अभियोग लगाये उनका साराश यह है—

(१) कई पुलिस अधिकारियो का अनादर किया गया और उन्हे अपशब्द कहे गये।

(२) उनकी मोटरो पर पथराव किया गया और गोवर फेका गया।

(३) कोहाट मे पत्थर और ईंटें फेंकी गई। जिससे उत्तेजित होकर अधिकारियो ने गोली चलाई।

सम्भव है इनमे एक आध अभियोग ठीक भी हो, परन्तु उस समय चूंकि आन्दोलन के समस्त उत्तरदायी नेता गिरफ्तार हो चुके थे, इसलिये इस प्रकार की सम्भावनाओ के उत्पन्न करने का उत्तरदायित्व वास्तव मे सरकार पर आता था।

यह भी कहा जाता है कि कई सुर्खपोशो ने क्षमा मांग कर मुक्ति प्राप्त की। इतने वड़े आन्दोलन में यदि कुछ एक स्वयसेवको ने ऐसा किया भी हो, तो

कोई आश्चर्य की वात नही, जब कि देखा यह गया है कि जेलो मे स्वयसेवको के साथ अत्यन्त अमानुपिक व्यवहार किया गया। उन्हे कोडे लगाने के कठोरतम दण्ड दिये गये और हर भाँति क्षमा माँगने के लिये पूरा दवाव डाल कर और अत्यन्त विचित्र चालें चल कर उन्हे विवश किया गया। परन्तु इसके वावुजूद कोई स्वयसेवक भी क्षमा-याचना के लिये तैयार न हुआ।

खुदाई खिदमतगारो के अद्वितीय धैर्य का इससे वडा प्रमाण क्या होगा कि हाजी शाहनवाज़ खान ने जो वाचा खान के चचेरे भाई थे, जमानत देकर मुक्ति प्राप्त की, परन्तु उनके सम्बन्धी और साधारण पश्तून उन्हे घृणा तथा अनादरपूर्ण दृष्टि से देखने लगे और उन्हे पुन जेल जाने से लिये वाध्य किया। परन्तु उस आत्माभिमानी व्यक्ति ने जेल जाने के स्थान पर अपने आपको गोली मार कर आत्म-हत्या कर ली और इस विपय का पत्र उसकी जेव से मिला—

"मेरी वदनामी और अनादर का कलङ्क पुन जेल जाने से नही, प्रत्युत मृत्यु ही से दूर हो सकता है।"

इस प्रकार सैयद दाऊद शाह, जो प्रमुख खुदाई खिदमतदार थे, १९३१ ई० में जेल में थे कि उनके बूढे पिता ने उनकी जमानत दाखिल करके उन्हे रिहा करा लिया, ताकि मरने से पहले अपने वेटे को देख सकें। परन्तु दाऊद शाह को अपनी रिहाई पर इतनी लज्जा अनुभव हुई कि वाहर आते ही आत्म-हत्या कर ली।

डाक्टर खान साहिव के वेटे अवीदुल्लाह खान की एक वार २४ घण्टो की और दूसरी वार ७८ घण्टो की भूख हडतालें अपनी रीति की दृष्टि से सदा यादगार रहेगी।

इन उदाहरणो से विदित होता है कि जिन स्वयसेवको का आचरण इतना ऊंचा था, उन पर क्षमा-याचना का अभियोग कहाँ तक सम्भव हो सकता है।

हिंसा के अभियोग में भी सचाई की झलक तक दिखाई नही देती। *पश्तून जाति के स्वाभिमानी व्यक्ति अहिंसा* पर इस हद तक दृढ-प्रतिज्ञ थे कि माताओ-वहिनो के अनादर तथा अपमान पर भी केवल आदोलन की मर्यादा-रक्षा के लिये पुलिस के ऊपर उनके हाथ न उठे। अपितु वे अत्यन्त धैर्य और सहिष्णुता से यह खून के घूंट पीकर रह गये। यदि वे ऐसे गम्भीरतम अवसर पर हिंसा के लिए तैयार न हो सके, तो भला साधारण परिस्थितियों में उनसे यह

आशा क्योकर की जा सकती है।

**किस्सा खानी फार्यारिग की भीषण घटना (२३ अप्रैल १६३० ई०)**

२३ अप्रैल १६३० ई० का रक्त-पिपासु दिन सयुक्त हिन्दुस्तान के स्वाधीनता-सग्राम के इतिहास का एक रक्त-रञ्जित अध्याय है। ब्रिटिश साम्राज्य के दो सौ वर्षीय शासन-काल मे यह निन्दित भीपण काण्ड सदा यादगार बना रहेगा। जबकि सीमाप्रान्त के आत्माभिमानी लोगो ने सिर-धड की बाज़ी लगा कर उस अग्रेज की महान् शक्ति से टक्कर ली, जिसके राज्य मे कभी सूर्य अस्त नही होता था।

हिन्दुस्तान मे गाधीजी ने नमक बनाने का आदोलन आरम्भ किया और अवज्ञा आन्दोलन (सिविल नाफरमानी) चलाने का निश्चय किया। अत प्रान्तीय कॉंग्रेस कमेटी ने अप्रैल के दूसरे सप्ताह शाही बाग पिशावर मे कॉंग्रेस के कार्यक्रम के अनुसार नमक बनाने की घोपणा की, जिसमे हज़ारो लोगो ने भाग लिया।

अली गुलखान नमक बनाने वालो के नेता थे। पब्बी गाँव से शोरा मिट्टी लाकर भिगोया गया। और उसे गर्म करके साय तक एक पाव नमक तैयार किया गया। साय के समय वहाँ बीस हजार लोगो की भीड एकत्रित हो चुकी थी। उस नमक की पुडियाँ बना कर नीलाम की गईं। जो सौ-सौ दो-दो सौ रुपये में लोगो ने खरीदी। इस तरह सीमाप्रान्त मे सबसे पहले अवज्ञा आन्दोलन का श्रीगणेश हुआ।

बहुत से नेता उस समय कॉंग्रेस मे सम्मिलित नही हुए थे। उन्होंने भी इस जलसे मे भाग लिया। पिशावर के नौजवान राजनीतिक कार्यकर्त्ता मि० रहीमबख्श गज़नवी ने एक अत्यन्त उत्तेजनापूर्ण भाषण किया, जिसमे उसने कहा—

"मैं खुदा के सिवा किसी की सरकार या शासन नही मानता और घोपणा करता हूँ कि मैं आज से बागी हूँ।"

इस जलसे के एक सप्ताह बाद १८ अप्रैल १६३० ई० को अतमानज़ई मे अफगान जिरगा की ओर से किसान कान्फ्रेंस के नाम से एक विराट सम्मेलन हुआ, जिसमे समस्त राजनीतिक संस्थाओ के अतिरिक्त हज़ारो लोगों ने भाग लिया और खुदाई खिदमतगार के नाम से स्वयंसेवको के सगठन का निश्चय किया

कोई आश्चर्य की बात नही, जब कि देखा यह गया है कि जेलो मे स्वयसेवको के साथ अत्यन्त अमानुषिक व्यवहार किया गया। उन्हे कोडे लगाने के कठोरतम दण्ड दिये गये और हर भांति क्षमा मांगने के लिये पूरा दवाव डाल कर और अत्यन्त विचित्र चालें चल कर उन्हे विवश किया गया। परन्तु इसके वावुजूद कोई स्वयसेवक भी क्षमा-याचना के लिये तैयार न हुआ।

खुदाई खिदमतगारो के अद्वितीय धैर्य का इससे वडा प्रमाण क्या होगा कि हाजी शाहनवाज खान ने जो वाचा खान के चचेरे भाई थे, जमानत देकर मुक्ति प्राप्त की, परन्तु उनके सम्बन्धी और साधारण पश्तून उन्हे घृणा तथा अनादरपूर्ण दृष्टि से देखने लगे और उन्हें पुन जेल जाने से लिये वाध्य किया। परन्तु उस आत्माभिमानी व्यक्ति ने जेल जाने के स्थान पर अपने आपको गोली मार कर आत्म-हत्या कर ली और इस विषय का पत्र उसकी जेव से मिला—

"मेरी वदनामी और अनादर का कलङ्क पुन जेल जाने से नही, प्रत्युत मृत्यु ही से दूर हो सकता है।"

इस प्रकार सैयद दाऊद शाह, जो प्रमुख खुदाई खिदमतदार थे, १९३१ ई० मे जेल में थे कि उनके वूढे पिता ने उनकी जमानत दाखिल करके उन्हे रिहा करा लिया, ताकि मरने से पहले अपने वेटे को देख सकें। परन्तु दाऊद शाह को अपनी रिहाई पर इतनी लज्जा अनुभव हुई कि वाहर आते ही आत्म-हत्या कर ली।

डाक्टर खान साहिव के वेटे अवीदुल्लाह खान की एक वार २४ घण्टो की और दूसरी वार ७८ घण्टो की भूख हडतालें अपनी रीति की दृष्टि से सदा यादगार रहेंगी।

इन उदाहरणो से विदित होता है कि जिन स्वयसेवको का आचरण इतना ऊंचा था, उन पर क्षमा-याचना का अभियोग कहाँ तक सम्भव हो सकता है।

हिंसा के अभियोग में भी सचाई की झलक तक दिखाई नही देती। पश्तून जाति के स्वाभिमानी व्यक्ति अहिंसा पर इस हद तक दृढ-प्रतिज्ञ थे कि माताओ-वहिनो के अनादर तथा अपमान पर भी केवल आदोलन की मर्यादा रक्षा के लिये पुलिस के ऊपर उनके हाथ न उठे। अपितु वे अत्यन्त धैर्य और सहिष्णुता से यह खून के घूंट पीकर रह गये। यदि वे ऐसे गम्भीरतम अवसर पर हिंसा के लिए तैयार न हो सके, तो भला साधारण परिस्थितियो में उनसे यह

आशा क्योंकर की जा सकती है।

**किस्सा खानी फायरिंग की भीषण घटना (२३ अप्रैल १९३० ई०)**

२३ अप्रैल १९३० ई० का रक्त-पिपासु दिन सयुक्त हिन्दुस्तान के स्वाधीनता-सग्राम के इतिहास का एक रक्त-रञ्जित अध्याय है। ब्रिटिश साम्राज्य के दो सौ वर्षीय शासन-काल मे यह निन्दित भीषण काण्ड सदा यादगार बना रहेगा। जबकि सीमाप्रान्त के आत्माभिमानी लोगो ने सिर-धड की बाज़ी लगा कर उस अग्रेज की महान् शक्ति से टक्कर ली, जिसके राज्य मे कभी सूर्य अस्त नही होता था।

हिन्दुस्तान मे गाधीजी ने नमक बनाने का आदोलन आरम्भ किया और अवज्ञा आन्दोलन (सिविल नाफरमानी) चलाने का निश्चय किया। अत. प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने अप्रैल के दूसरे सप्ताह शाही बाग पिशावर मे कांग्रेस के कार्यक्रम के अनुसार नमक बनाने की घोषणा की, जिसमे हज़ारो लोगो ने भाग लिया।

अली गुलखान नमक बनाने वालो के नेता थे। पव्वी गाँव से शोरा मिट्टी लाकर भिगोया गया। और उसे गर्म करके साय तक एक पाव नमक तैयार किया गया। साय के समय वहाँ बीस हज़ार लोगो की भीड एकत्रित हो चुकी थी। उस नमक की पुडियाँ बना कर नीलाम की गई। जो सौ-सौ दो-दो सौ रुपये मे लोगो ने खरीदी। इस तरह सीमाप्रान्त में सबसे पहले अवज्ञा आन्दोलन का श्रीगणेश हुआ।

बहुत से नेता उस समय कांग्रेस में सम्मिलित नही हुए थे। उन्होने भी इस जलसे मे भाग लिया। पिशावर के नौजवान राजनीतिक कार्यकर्त्ता मि० रहीमबख्श गज़नवी ने एक अत्यन्त उत्तेजनापूर्ण भाषण किया, जिसमे उसने कहा—

"मैं खुदा के सिवा किसी की सरकार या शासन नही मानता और घोषणा करता हूँ कि मै आज से बागी हूँ।"

इस जलसे के एक सप्ताह बाद १८ अप्रैल १९३० ई० को अतमानज़ई मे अफगान जिरगा की ओर से किसान कान्फ्रेंस के नाम से एक विराट सम्मेलन हुआ, जिसमें समस्त राजनीतिक संस्थाओ के अतिरिक्त हज़ारो लोगो ने भाग लिया और खुदाई खिदमतगार के नाम से स्वयसेवको के सगठन का निश्चय किया

गया। इस जलसे में भाषणो के अतिरिक्त एक पश्तो-कवि-सम्मेलन भी हुआ। गुल अहमद कवि की एक समस्या थी जिसका अर्थ है—

"स्वाधीनता के युद्ध के लिये सदा नौजवान मैदान मे आए हैं।"

इस कवि सम्मेलन में समस्त पश्तून कवियो ने भाग लिया। और सारे प्रान्त में स्वाधीनता की लहर दौड गई। इसके शीघ्र ही बाद २३ अप्रैल १९३० ई० की ऐतिहासिक घटना हुई और समस्त राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्त्ता गिरफ्तार कर लिये गये।

प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने ३० अप्रैल १९३० ई० को पिशावर में शराव-खानो पर पिकेटिंग कर के नियमपूर्वक अवज्ञा आन्दोलन आरम्भ करने का निर्णय किया, परन्तु इसी वीच में वाचा खान ने, जो उन दिनो अफगान जिरगा के सरक्षक थे और उस समय कांग्रेस से सम्वन्धित नही हुए थे, प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी से प्रार्थना की कि वे १८ अप्रैल को अतमानजई में किसान सम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस के समस्त स्वयसेवक भाग लेकर उसे सफल वनाने का प्रयत्न करें। कांग्रेस कमेटी ने वाचा खान की प्रार्थना स्वीकार करते हुए इस सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार कर लिया, और अपने अवज्ञा आन्दोलन को स्थगित कर दिया।

इस सम्मेलन के समाप्त होने पर २१ अप्रैल को प्रान्तीय कांग्रेस के अधि-वेशन में पुन अवज्ञा आन्दोलन के लिये २३ अप्रैल की तिथि निश्चित की गई। शिष्ट समिति चुनी गई जिसमें कांग्रेस और भारत सभा दोनो के प्रतिनिधि सम्मिलित थे, उनके नाम ये हैं—सैयदुल अहरार आगा लाल वादशाह, मौलाना अब्दुरहीम-पोपलजई, मौलाना खानमीर हिलाली, डा० घोष, गुलाम रव्वानी सेठी, रहीम-वख्श गजनवी, अली गुलखान, अल्लाह वख्श बर्की, अब्दुलर्रहमान रुबा, अजीरज राम घमडी, सनौवर हुसैन अहमद, पैंडा खान और रौशनलाल दीवान।

कांग्रेस कमेटी और नौजवान भारत सभा ने पूरे ज़ोर-शोर से अवज्ञा आन्दो-लन की तैयारी आरम्भ कर दी। उन्ही दिनो काका सनौवर हुसैन के सुझाव पर मौलाना अब्दुर्रहीम पोपलज़ई को भारत सभा में सम्मिलित कर लिया गया तथा उन्हे प्रधान चुन लिया गया। इससे भारत सभा में नए जीवन का सचार हो गया और जन-साधारण में इस सभा का गौरव बढ गया।

काँग्रेस ने अवज्ञा आन्दोलन के लिये अपनी संग्राम समिति के सदस्यो का चुनाव गुप्त मीटिंग मे किया, परन्तु सरकार को इसकी भनक पड गई। उसने इस दल के सदस्यो को समय से पहले ही गिरफ्तार करने का निश्चय कर लिया। सरकार के निश्चय के अनुसार आधी रात के समय उनको उनके घरो से गिरफ्तार किया जाने वाला था, परन्तु यह सूचना २२ अप्रैल को ३ बजे काँग्रेस के कार्यालय मे पहुँच गई और समिति ने अपनी तात्कालिक बैठक में निर्णय किया कि सरकार के इरादे को सफल न होने दिया जाए। स्वयसेवक रात को गिरफ्तार न हो और कार्यक्रम के अनुसार दिन क समय अपने आपको गिरफ्तारी के लिये पेश करे। परन्तु समिति के इस निर्णय की सूचना समस्त स्वयसेवको को समय पर न पहुँचाई जा सकी और उन्हे २३ अप्रैल की रात को उनके घरो से एक ही समय पर पुलिस ने छापा मार कर गिरफ्तार कर लिया।

उनमे से केवल दो नौजवान स्वयसेवको, गुलाब रब्बानी सेठी और अल्लाह-बख्श बर्की, ने रात को गिरफ्तारी न दी और उन्हे २३ अप्रैल के प्रात समय प्रान्तीय काँग्रेस कमेटी के कार्यालय से, जो घण्टाघर पिशावर के निकट अवस्थित था, पुलिस की एक सशस्त्र गार्द ने आकर गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के पश्चात् पुलिस उन्हे पैदल वर्तमान म्यूनिसिपल कमेटी की ओर से ले चली, जहाँ पुलिस की लारी खडी थी, रास्ते में लोग साथ होते गये और देखते-ही-देखते अच्छा-खासा जुलूस बन गया।

म्यूनिसिपल कमेटी के पास पहुँचते ही पुलिस ने स्वयसेवको को लारी मे बिठाना चाहा, परन्तु बेकाबू भीड़ ने लारी के टायर काट दिये। भीड की उत्ते-जना, जोश-खरोश देखकर पुलिस के होश उड गये। स्वयसेवको ने पुलिस को परामर्श दिया कि वे उन्हे छोड दें, वे स्वय काबुली थाने पहुँच जायगे। पुलिस ने इसी में भलाई समझी। उनकी हथकड़ियाँ खोल दी और अपनी जान बचा कर चली गई।

गुलाम रब्बानी सेठी और अल्लाह बख्श बर्की दोनो स्वयसेवक बीस हजार लोगो के जुलूस का नेतृत्व करते हुए काबुली थाने पहुँच गये। थाने में दाखिल होकर अपने आपको गिरफ्तारी के लिये पेश कर दिया। परन्तु उस समय किस्सा-खानी थाने के सामने लोगो का विराट् समूह एकत्र हो चुका था। लोग 'इन्क़िलाब जिन्दाबाद' के नारे लगा रहे थे और स्वयसेवको की रिहाई की माँग कर रहे थे।

भीड ने बेकाबू होकर थाने पर पथराव भी आरम्भ कर दिया। कुछ समझौता-मनोवृत्ति के लोगो ने भीड को समझा-बुझाकर बिखरा देने की चेष्टा की और निकट ही था कि बात मिट-मिटा जाती, परन्तु पुलिस के अधिकारियो ने परि-स्थिति से घबरा कर डिप्टी कमिश्नर को सेना भेजने के लिये टेलीफोन कर दिया। अकस्मात् पहली शस्त्रबद्ध कार अत्यन्त वेगपूर्ण गति से काबुली दरवाज़े में प्रविष्ट हुई और ड्राइवर की लापरवाही मे नमक मण्डी पिशावर के एक नौजवान लाला दसोन्धीराम को कुचलती हुई गुज़र गई। इस घटना ने जलती पर तेल का काम दिया। लोगो के भाव भडक उठे। उनकी आँखो में खून उतर आया और प्रतिशोध के जोश से व्याकुल दिखाई देने लगे।

चार शस्त्रबद्ध कारो के बाद एक फौजी अफसर मोटर साइकिल पर आता दिखाई दिया, जिसे अब्दुर्रहमान मानी ने तेज धारदार शस्त्र के एक ही वार से वही ढेर कर दिया। दूसरी ओर सय्यद अलाउद्दीन ने एक शस्त्रबद्ध कार (आर्मर्ड-कार) के पेट्रोल की टकी खोलकर उसे आग लगा दी, जो अपने ड्राइवर सहित वही जल कर राख हो गई।

अब स्थिति काफी हद तक बिगड चुकी थी। गोरा सेना ने अपने गुलामो का यह साहस सहन न किया और अन्धाधुन्ध गोलियाँ चलाना आरम्भ कर दिया। भीड लौह-भीत की भाति डटी हुई थी। कई लोगो ने अपनी बन्दूको से गोली का उत्तर गोली से देने की भी चेष्टा की, परन्तु अन्त में मशीन-गनो, स्टेन-गनो, लूसगनो और बन्दूको के भीषण गोलीवर्षण ने लोगो को भागने पर विवश कर दिया। परन्तु भागने पर भी किसी को आश्रय न मिल सका। गोरे सिपा-हियो ने गली-कूचो और घरों में लोगो का पीछा करके मौत के घाट उतारा। देखते-ही-देखते किस्सा खानी का विशाल बाजार शव-देहो से अट गया और चारो ओर युद्धस्थल का दृश्य दिखाई देने लगा। सैकडो निर्दोष लोग रक्त और मिट्टी में लोट रहे थे। चारो ओर लाशो के ढेर लगे हुए थे और रक्त की नदिया बह रही थी।

फायरिंग (गोलीकाण्ड) ११ बजे दिन के आरम्भ हुआ और यह क्रम निरन्तर चार घण्टो तक अर्थात् तीन बजे मध्याह्नोत्तर तक चलता रहा। सेना सारे नगर पर अधिकार किया चाहती थी, परन्तु तीन बजे तक वह बडी कठि-नाई से चौक यादगार के पास पहुँची और टाउन हाल पर अधिकार जमाने में

सफल हो गई । शहर मे मार्शल ला लागू कर दिया गया । परन्तु दूसरे ही दिन डिप्टी कमिश्नर को सूचनाएँ मिली कि कबीलो मे इस घटना की भीपण प्रतिक्रिया उत्पन्न हो गई है और वे शोक, क्रोध के आवेश मे आकर पिशावर पर आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं । इन सूचनाओ ने अधिकारियो को घबरा दिया और उन्होने तीसरे दिन शहर से सेना हटाने का निर्णय कर लिया । सेना हटा लेने पर नगर के विक्षुब्ध वातावरण पर बडा अच्छा प्रभाव पडा । स्थिति सुधरने लगी और कारोबार चलने लगा । ये तीन दिन अद्भुत तरीके से गुजरे । शहर से सेना हटाने के पश्चात् पुलिस ने प्रबन्ध सम्भालने मे असमर्थता प्रकट की । अब शहर का प्रबन्ध कॉंग्रेस के स्वयसेवको के हाथ मे था । वही ट्रैफिक—यातायात—पर नियत्रण कर रहे थे और दूसरा सारा काम भी उन्होने ही सम्भाल रखा था । ये दिन इतने सुचारु रूप से गुज़रे कि क्या मजाल जो ज़रा भी गडबड पैदा हुई हो । दिन-प्रतिदिन स्थिति दैनन्दिन स्तर पर आ रही थी परन्तु नगर का वातावरण निरन्तर शोकाच्छन्न था । लोगो के हृदय शोक और रोप से भरे हुए थे और प्रत्येक ओर एक उदासी बरस रही थी ।

यहाँ गढवाली सेना का उल्लेख करना भी आवश्यक है, जिसे दूसरे दिन गोरा सेना चार्ज देने लगी, तो उसने चार्ज लेने से इकार कर दिया और स्पष्ट शब्दो में कह दिया कि निशस्त्र, निहत्ये नागरिको का मुकाबिला करने को हम कदापि तैयार नही । अत. उनसे हथियार रखवा लिये गये और बम्बई पहुँचा कर फौजी अदालत में उन पर मुकद्दमा चलाया गया और उन्हे दस वर्प से २० वर्प तक कडे दण्ड दिये गये ।

इस अमानुपिक घटना ने बाह्य जगत् मे ब्रिटिश सरकार को बहुत बदनाम किया । उसका गौरव मिट्टी मे मिल गया । इस दु.खद घटना मे शहीद होने वालो की सख्या सैंकडो तक पहुँची, जिनकी शव-देहे कुछ तो जला दी गई और कुछ अत्यन्त रहस्यमय उपाय से सरकार ने लारियो में भर नदी में बहा दी ।

वास्तव में यह उन्ही शहीदो के पवित्र रक्त का प्रभाव था, जिसने अँग्रेज साम्राज्य के पाँव उखाड दिये और वे इस देश को स्वाधीनता देने पर विवश हुए ।

खुदा रहमत कुनद ईं आशिक़ाने-पाक-तनियत रा ।
[भगवान उन पवित्र-हृदय देशभक्तो पर दया करें ।]

(५०) मलग सुपुत्र अज्ञात, इलाका गज, पिशावर ।

(५१) शाह अफजल सुपुत्र अज्ञात, गांव नोहता ।

(५२) सय्यद मुहम्मद सुपुत्र अज्ञात, इलाका पिण्डी घेप ।

(५३) स्वाती खान, मुसाफिर ।

(५४) मुस्तकीम सुपुत्र फजल, गांव चीनी पायान ।

(५५) राम चन्द, मुसाफिर ।

(५६) लालसिंह, मुसाफिर ।

(५७) वलवन्तसिंह सुपुत्र शेरसिंह, चक्का गली, पिशावर ।

इनके अतिरिक्त ३८ लाशें हस्पताल वालो ने हस्पताल मे दफन की और २४ शहीदो की लाशें, जिनमे एक महिला भी थी, विभिन्न गांवो के लोग उठा कर ले गये । और ५५० के लगभग घायल प्रान्त के विभिन्न हस्पतालो में दाखिल किये गये ।

कांग्रेस के स्वयसेवक, जो लाशें उठा कर ले गये, वे कांग्रेस के कार्यालय, महल्ला खुदा दाद, मण्डी वेरी, मोचीपुरा में पडी थी, जो उन्ही स्थानो पर मसजिदो और खानकाहो आदि में दवा दी गईं और कुछ नगर से वाहर कब्र-स्तानो में दफनाई गई । कई गैर-मुस्लिमो की लाशें जला दी गई ।

३० अप्रैल की घटना का समाचार वाचा खान के कानो तक पहुँचा, तो वे अपने चार साथियो अब्दुल अकवर खान खादिम, सरफराज खान, मियाँ अहमद शाह और शाह नवाज़ खान ( जिन्होने वाद में आत्म-हत्या कर ली ) के साथ हालात जानने के उद्देश्य से पिशावर रवाना हुए । परन्तु थाना मानकी ही में उन्हे गिरफ्तार करके रिसालपुर ले जाया गया, जहाँ चारसद्दा के असि-स्टेण्ट कमिश्नर खान वहादुर कलीखान ने बाचा खान को 'सीमाप्रान्तीय अपराध विधान' के अधीन तीन वर्ष कारावास का दण्ड देकर गुजरात जेल भेज दिया ।

उसी दिन चार वजे साय अब्दुर्रशीद शहीद को गिरफ्तार करके दण्ड देकर गुजरात पहुँचा दिया गया । जो अभियुक्त गिरफ्तार होकर पिशावर जेल पहुँचे उनसे नगर के हालात सुनकर समस्त कैदियो ने सैण्ट्रल जेल पिशावर में एक उपद्रव-सा मचा दिया । अत वहाँ से राजनीतिक कैदियो को तुरन्त किला वाला हिसार पहुँचाया गया, जहाँ रातो-रात डिप्टी सुपरिन्टेन्डैन्ट पुलिस हाजी अकबर अली खान ने उन्हें मि० मैलन ए० डी० एम० के सामने पेश किया, जिसने उन्हें

'सीमाप्रान्तीय अपराध विधान' के अधीन बडी कडी सजाएं दी। उनमे मौलाना अब्दुर्रहीम पोपलज़ई, और मि० रहीम बख्श गज़नवी को नौ-नौ वर्ष कारावास का दण्ड दिया गया, जो सबसे बडा दण्ड था। ये समस्त कैदी पजाब के गुजरात जेल में स्थानान्तरित कर दिये गये, जो उन दिनो सारे हिन्दुस्तान के राजनीतिक बन्दियो के लिये विशेष जेल था।

गढवाली सेना के इकार के पश्चात् गोरा फौज और पूना घुडसवार सेना सारे नगर मे नियुक्त की गई। इस घटना के बाद जनता भी बडी उत्तेजित थी और कबीलो से भी भीषण सूचनाएँ आ रही थी। इसलिये चीफ कमिश्नर सर नार्मल बोल्टन ने फौजी जनरल और पुलिस जनरल आइस मगेर और जनरल शाट फ्रॉंटियर कन्स्टेबलरी तथा लैटीमा के विरोध के बावुजूद शहर मे फौज वापस बुला ली और अन्य गिरफ्तारियाँ भी बन्द करा दी, जिसका काफी अच्छा प्रभाव पडा। चूंकि नगर का प्रबन्ध पुलिस ने भी न सम्भाला, इसलिये कांग्रेस स्वयसेवक शान्ति-व्यवस्था स्थापित करने मे लगे रहे।

गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया को फौजी जनरल आफिसर कमांडिग एन० डबल्यू० एफ० पी० आइस मगेर और जनरल आफीसर पुलिस ने मिलकर गुप्त रूप से सूचना दी कि पिशावर इस समय विद्रोही हो चुका है और यहाँ से सेना वापस बुलाकर हमारा अपमान किया गया है। तीसरे दिन अकस्मात् गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया का फॉरेन सेक्रेटरी अपने सारे स्टाफ के साथ हवाई जहाज़ द्वारा पिशावर पहुँचा, जिसके आगमन मे चीफ कमिश्नर सर्वथा अनभिज्ञ था। फॉरेन सेक्रेटरी ने फौजी जनरल और पुलिस जनरल के साथ आकर फौज और पुलिस के द्वारा सवेरे-सवेरे गवर्नमेण्ट हाउस को घेर लिया और चीफ कमिश्नर से त्याग-पत्र ले कर उसे बिना उसकी बीबी के सरकारी मोटर में बिठाकर रावलपिण्डी पहुँचा दिया और रेवेन्यू कमिश्नर मि० लैटीमर को अस्थायी चीफ कमिश्नर बना दिया।

समाचारो का ब्लैक आउट था और बाहर के लोग परिस्थिति से सर्वथा बेखबर थे, इसलिये इन समस्त घटनाओ की सूचनाएँ कांग्रेस और भारत सभा के रहे-सहे सदस्यो ने बाहर पहुँचाने के प्रबन्ध किये। इन घटनाओ को मि० उत्तमचन्द ने भारत सभा के कार्यालय मे बैठ कर लिखा और अब्दुल अजीज खुशबाश यह डाक लेकर लाहौर गया, जहाँ अखिल पंजाब कांग्रेस कमेटी के मत्री सरदार दूलसिंह को यह पत्र सुरक्षित रूप से पहुँचा दिया (याद रहे कि

मे भेज दिया गया और उनकी शेष कम्पनी को नौकरी से हटा दिया गया।

गढवाली सेना के पिशावर मे प्रस्थान के दूसरे दिन चौक यादगार में एक जलसा नौजवान भारत सभा की ओर से किया गया, जिसमें एक प्रस्ताव के द्वारा उन्हे श्रद्धाञ्जली भेंट की गई।

इससे एक दिन पूर्व किस्सा खानी के शहीदो की सुन्दर यादगार (स्मृति-चिह्न) आशिक हुसैन फ्रूट मर्चेण्ट ने निर्माण की थी। इसलिये इस जलसे के बाद चालीस हजार व्यक्तियो का जुलूस उस यादगार की ओर चल पडा। इस जुलूस में भारत सभा के कार्यकर्त्ता ये कविताएँ पढ रहे थे—

शहीदो के मजारो पर लगेंगे हर बरस मेले।
वतन पर मिटने वालो का यही बाक़ी निशां होगा॥

× × ×

आजादिए-हिन्द की ख़ाहिश को मक़बूलेखासो-आम किया।
दिल अह्ले-सितम के दहल गये, जो दत्त भगत ने काम किया॥

अर्थ—"भारत की स्वाधीनता की आकाक्षा को प्रत्येक साधारण और असाधारण व्यक्ति के निकट बहुत प्रिय बना दिया। सरदार भगत सिंह और दत्त ने वह महान कार्य किया कि क्रूर अत्याचारी अग्रेज शासको के दिल कांप उठे।"

यह पहला जुलूस था, जिसने उन शहीदो की यादगार पर पहुँच कर फूलो की चादरें चढाई और उनके प्रति हार्दिक श्रद्धा प्रकट की।

इसके पश्चात् आशिक हुसैन फ्रूट मर्चेण्ट को यह यादगार बनाने के अपराध में गिरफ्तार किया गया और उसे एक रात अत्यन्त रहस्यमय उपाय से सेना की देखरेख में लाकर उसी के हाथो यह यादगार गिरवायी गई, और बाद को उस पर मुकद्दमा चला कर भीषण दण्ड भी दिया गया।

किस्सा खानी में शहीदो की यादगार का पुन कांग्रेस मन्त्रिमण्डल के समय में निर्माण हुआ और बाद में मुस्लिम लीग ने अपनी पृथक् यादगार इसके साथ बनाई। अत ये दोनो स्मृति-चिह्न आज भी किस्सा खानी में विद्यमान हैं।

शहर में रात के चार बजे पुन गोरा सेना को प्रविष्ट किया गया। ढकी दालगरां पर दरगाही के मकान में आग लग गई, छावनी से फायर ब्रिगेड के साथ ही सेना भी आ गई। यह सेना वही स्काटलैण्ड वाली गोरा सेना थी।

उसने सारे नगर की नाकाबन्दी करके म्यूनिसिपैलिटी (टाउन हाल) को अपना हेडक्वार्टर बनाया और फिर अन्य बहुत से व्यक्तियो को गिरफ्तार कर लिया गया।

२३ अप्रैल को जब साय चार बजे सेना काँग्रेस कमेटी से सारा सामान उठा ले गई, तो उसी दिन भारत सभा के कार्यालय पर भी छापा मारा। उस समय अचरजराम गजवाला वहाँ विद्यमान था। उसने अन्दर से कुण्डी बन्द कर ली। सेना ने दरवाजा तोडना चाहा। वह दरी मे सारा सामान बाँध कर और सारा साहित्य सन्दूक मे बन्द करके कोठे के ऊपर चला गया। उस कार्यालय के साथ चमडे के सौदागर अब्दुल्लाह जान का मकान सलग्न था। उसकी बीवी सहायता के लिये खडी थी, जिसे अचरजराम ने यह सारा सामान दिया। फिर उस महिला की सहायता से स्वय नीचे उतरा।

सेना दरवाजा तोडकर भारत सभा के कार्यालय मे आई, तो वहाँ कुछ भी न पाया। अब्दुल्लाह जान के मकान का रास्ता मुहल्ला खेशगी मे था। अचरज-राम ने श्रीमती अब्दुल्लाह जान से कहा कि यह बक्स बहुत कीमती है, यह जाति की अमानत नष्ट न होने पाए। इस बहादुर महिला ने पहले अचरजराम को बाहर निकाला, फिर यह सन्दूक चौक गाडी खाना मे अब्दुर्रशीद निज्जार के मकान पर पहुँचा कर छिपा दिया।

यह सन्दूक दो वर्ष के पश्चात्, जब सब लोग मुक्त होकर आये, तो श्रीमती अब्दुल्लाह जान ने सुरक्षित रूप से सस्था के हवाले किया।

भारत सभा के कार्यालय के नीचे हाफिज अब्दुल करीम टोपियाँ बेचता था। उसे मार्शल ला समाप्त होने के दो सप्ताह बाद पकडा और कहा, इन लोगो को पहचानो। उसने उत्तर दिया, जानने का प्रश्न ही क्या है मैं स्वयं इनका सदस्य हूँ। इस अपराध में उसे छः महीने के लिये जेल भेज दिया गया।

शहर में जब पुन सेना का प्रवेश हुआ और प्रात सेना ट्रैफिक सभालने आई, तो स्वयसेवको का नायक अब्दुलहकीम छबील चौक यादगार में ट्रैफिक ड्यूटी दे रहा था, वह सेना को भी हाथ देता रहा। यहाँ तक कि सेना ने उसे इतना पीटा कि वह एक सप्ताह के बाद मर गया।

यह व्यक्ति अनपढ, परन्तु सच्चा कार्यकर्त्ता था। सबसे पहले रौलट बिल के जुलूस में सम्मिलित हुआ और रौलट बिल को रोलटदीन शहीद समझ कर उसका मातम (शोक) करता रहा।

**क़िस्सा खानी फायरिंग के कारण—**

अंग्रेजो को जब इस पाशविक कार्य पर चारो ओर से फटकारें पडने लगी तो उन्होंने स्वयसेवको पर अभियोग लगाया कि उन्होने अपने हिंसात्मक व्यवहार से सरकार को इस बात पर विवश किया, अन्यथा ऐसा करने का सरकार कोई इरादा नही रखती थी।

जबकि यह सत्य है कि कांग्रेस अहिंसा पर दृढ-प्रतिज्ञ थी और नौजवान भारत सभा का कार्यक्षेत्र केवल मजदूरो और किसानो के सुधार तक ही सीमित था और किसी प्रकार की भी हिंसा उनके कार्यक्रम मे नही थी। न ही किसी सस्था के स्वयसेवको ने दगा करने में पहल की, प्रत्युत वास्तव मे सरकार की यह बनी-बनाई योजना का परिणाम था, जिसके कारण निम्नलिखित थे—

१ अंग्रेज खजूरी पर अधिकार करना चाहते थे और इसके लिये उन्होने देशद्रोही लोगो से षड्यन्त्र रच रखा था।

२ वे भूतपूर्व सीमाप्रान्त में खुदाई खिदमतगार और नौजवान भारत सभा के आन्दोलनो को कुचलना चाहते थे, जिनकी बढती हुई सर्वप्रियता से वे भयभीत थे।

३ भारत सरकार के पोलिटिकल डिपार्टमेंट में पदवी के भूखे कर्मचारियो के मध्य रस्साकशी हो रही थी। अत. जब कोई चीफ कमिश्नर या पोलिटिकल एजेण्ट तबदील होता, तो वह अपने उत्तराधिकारियो के लिये कठिनाइयां पैदा करने की चेष्टा करता, ताकि वह पुन इस पदवी पर वापस आ सके। अत सीमाप्रान्त के विभिन्न स्थानो—किस्सा खानी, हाथी खैल, टकर—आदि पर जितनी घटनाएँ हुई वे सब पोलिटिकल डिपार्टमेण्ट की पैदा की हुई थी। यही नही क़बाइली इलाक़े की समस्त लडाइयाँ इसी बदनाम विभाग की शरारतों का परिणाम थी।

४ देश में बढती हुई राजनीतिक मनोवृत्ति और स्वाधीनता-प्रिय आन्दोलनो की रोकथाम के लिये सरकार हिंसात्मक तथा अत्याचार-युक्त पग उठाने की योजना बना चुकी थी, ताकि जनसाधारण को डरा कर आतंक फैला कर इन आन्दोलनो की रोकथाम की जाय।

५ अंग्रेज़ों के सिर में शासकता का नशा और घमण्ड इस सीमा को पहुँच चुका था कि वह हिन्दुस्तानियो को मनुष्य नही समझते थे। अत जब लोग तन

कर उनके सामने आये और तुर्की-ब-तुर्की उत्तर देने लगे तथा क्रान्तिकारी नारे लगाते हुए स्वाधीनता की माँग करने लगे, तो ये बातें उनके लिये असह्य हो गई और वे क्रोध से अभिभूत होकर पशुता तथा अत्याचार पर उतर आये।

अग्रेज शासको को यह भ्रम था कि शायद देश में केवल कुछ एक लोग ऐसे हैं, जो राजनीतिक आन्दोलन के संचालक हैं और यदि उन नेताओ को जेलो मे डाल दिया गया, तो यह हंगामा सदा के लिये समाप्त हो जायगा। समस्त आन्दोलन मिट जायेंगे। वह इस सत्य से अनभिज्ञ थे कि इन लोगो (नेताओ) के पीछे जनता की इतनी बडी विराट् शक्ति विद्यमान है जिसे मिटाना उनके बस का काम नही।

**१६३० ई० में पिशावर जेल की अवस्था—**

प्रान्त के कोने-कोने, शहरो और गाँवो से इतनी भारी संख्या में लोग गिरफ्तार होकर जेलो मे पहुँच गये कि सीमाप्रान्त की जेलो मे स्थान न रहा। केवल पिशावर सैण्ट्रल जेल में राजनीतिक बन्दियों की संख्या सरकारी आँकड़ों के अनुसार ३५०० थी। जेल में स्थान न रहा, तो बन्दियो के पाँवो में शृङ्खला डाल कर जेल से बाहर बाँधना आरम्भ कर दिया गया।

यह आन्दोलन इस विस्तार से फैला कि इसमे एक अवयस्क बच्चा सजावल भी और सौ वर्षीय बूढा हरीफ बाबा भी गिरफ्तार होकर जेल पहुँच गये। हरीफ बाबा इतना क्षीण और दुर्बल था, जितना वह छोटा-सा बालक। इस आन्दोलन में अनपढ से अनपढ और विद्वान् से विद्वान् व्यक्ति मौजूद थे। यह आन्दोलन इतना लोकप्रिय अथवा जन-आन्दोलन का रूप धारण कर चुका था कि एक साधारण चरस पीने वाला व्यक्ति गैरू भी और सीमाप्रान्त के सबसे बडे विद्वान् क़ाजी साहिब कडवी वाले भी जेल चले गये। कितनी ही महिलाए भी गिरफ्तार हुई और दो हीजडे भी जेल मे देखे गये, जिनके लिये जेल वालो को बड़ी कठिनाई का सामना हुआ कि उन्हे महिलाओ के वार्ड में रखा जाए या पुरुषो के वार्ड में। ये सब लोग अपनी पूरी सज़ा गुज़ार कर निकले।

उस समय जेल-सुपरिन्टेन्डेण्ट कैप्टन हारवे एक मद्रासी व्यक्ति था और सीमाप्रान्त के जेलो का इन्स्पैक्टर जनरल कर्नल ब्राडे था। कर्नल ब्राडे बडा कठोर, विद्वेषी और भीषण प्रकृति का अंग्रेज़ था। उसके दिल में प्रतिशोध की भावना कूट-कूट कर भरी हुई थी। वह प्रत्येक व्यक्ति को बुरी दृष्टि से देखता

और राजनीतिक लोगो से विशेषत घृणायुक्त व्यवहार करता ।

उसने डाक्टर सी० घोष प्रधान कांग्रेस कमेटी को किला मे जाकर कहा कि तुम सब लोग भेडो के झुण्ड में भेडियो का रूप धर घूम रहे हो और अहिंसा के परदे में हिंसा कर रहे हो । डाक्टर साहिब ने उत्तर दिया, "आप राजनीति में न उलझें । आप सरकारी कर्मचारी हैं, अपना काम करें । आपकी कौम भेडियो से भी बुरी है । पहले उसका सुधार कीजिये ।"

यह सुनते ही वह आगबबूला हो गया और उसने डाक्टर महोदय के सीने में जोर से मुक्का मारा ।

इसके पश्चात् कासिम जान के पास जा खडा हुआ और उनसे कहा, "तुम कांग्रेस के मन्त्री नही, हिन्दू महासभा के मन्त्री हो । तुम हिन्दू हो, क्योकि हिन्दुओ के साथ सम्मिलित हो ।"

उन्होंने कहा, "हिन्दू हमारे सहजातीय हैं और अंग्रेजो से हज़ार गुणा अच्छे हैं ।"

फिर मास्टर शेर अली से कहा, "तुम कम्यूनिस्ट हो, रूसियो के एजेण्ट हो ।" मास्टर ने कहा, "तुम कुत्ते हो, सुअर हो" । इस पर वह बडा उत्तेजित हुआ और मास्टर साहिब को खूब पिटवाया ।

यह अत्याचारी कर्नल यदि किसी को हँसता देख लेता, तो उसे बुलवा कर कोडे लगवाता । उसने किशोर सजाबल को क्षमा मांगने पर विवश किया और उसने इन्कार किया, तो उसे कोडे लगाने का आदेश दिया । पहले कोडे पर उसने चीख मारी, "ओ खुदा "

इस पर कर्नल ने अट्टहास किया—"कहाँ है तुम्हारा खुदा ? जाओ उसे बुलाओ कि तुम्हे मुझ से आकर छुडाए "

इसके बाद उस वीर स्वाभिमानी बच्चे ने कोई आवाज़ न निकाली, प्रत्युत् प्रत्येक कोडे पर अपनी भुजा को काटता रहा और रक्त उसके घुटनो से बहता रहा ।

एक दूसरा लडका, जो तहसील मरदान का रहने वाला था और एफ० ए० का विद्यार्थी था, इस पाषाण हृदय कर्नल ने केवल क्षमा न मांगने पर उसे पूरे तीस कोडे लगवाए, जिससे उस बच्चे की आंखो की ज्योति जाती रही ।

कोडे लगाने के लिये डेरा इस्माईल खान से लम्बी कैद के बन्दी मँगवाए गये, जो इस कला में दक्ष समझे जाते थे । कोडे लगाने वालो को एक विशेष

प्रकार की वर्दी पहनाई जाती, जिसमे उनका चेहरा छिपा होता, ताकि कोई पहचान न सके। उन कोडे लगाने वालो से जेल का श्रम नही लिया जाता था और उन्हे अच्छी खुराक दी जाती और वे स्वाधीनता से घूम फिर सकते थे।

जेल मे राजनीतिक वन्दियो को कोल्हू, खरास, कम्वल-मलाई, मूँज कुटाई और जगाई के अत्यन्त कठोर श्रम दिये जाते और साधारण वातो पर दण्ड के रूप मे एकान्त की कैद और चक्की पीसने का श्रम प्राय लिया जाता था।

सरदार अव्दुर्रव खान निश्तर जेल मे प्राय अपने साथियो के साथ मिल कर जफरअली खान की यह प्रसिद्ध कविता गाया करते—

"गाधी ने आज जंग का इलान कर दिया।
वातिल का पारा-पारा गिरेवान कर दिया॥
सर रख दिया रज़ाए-खुदा की हरीम पर।
खञ्जर को भी हवालए-शैतान कर दिया॥
औराक़े-जब्रो-जौरो-जफ़ा को विखेर कर।
शीराज़ा सल्तनत का परीशान कर दिया॥
गाधी ने आज जंग का इलान कर दिया॥

भावार्थ—"महात्मा गांधी ने आज स्वाधीनता के युद्ध की घोषणा कर दी है और झूठ-कपट के परदे की धज्जियाँ उडा दी हैं। उन्होने ईश्वरीय इच्छा की वलिवेदी पर अपना सिर रख दिया है, और तो और कटार को भी शैतान (अग्रेज़) के हवाले कर दिया (कितना ऊँचा है, अहिसा का आदर्श)। उन्होने सरकार के अत्याचार, हिसा और क्रूरता के पन्नो को वखेर दिया है अर्थात् असफल और व्यर्थ कर दिया, इसके साथ ही ब्रिटिश साम्राज्य का सगठन अस्त-व्यस्त कर डाला है। महात्मा गाधी ने आज स्वाधीनता के सग्राम की घोषणा कर दी है।"

सरदार अव्दुर्रव खान निश्तर, अव्दुल रहीम और मास्टर अमीरचन्द रँगीन ने चीफ़ कोर्ट पिशावर में अपील की कि "हमे जो दण्ड मिला है वह अवैध है, क्योकि सस्थाओ को अवैध घोषित करने से पहले हम गिरफ्तार किये गये हैं।" उस समय मि० फ्रेजो चीफ़ जज और खान वहादुर सादुल्लदीन खान नव जज थे, वेंच ने अपील स्वीकृत करते हुए उन तीनो महानुभावो को मुक्त कर दिया। मज़े की वात यह है कि जिस दिन उनकी अपील स्वीकृत होकर आई, तो उनकी

रिहाई में केवल तीन दिन शेष थे। उनकी रिहाई के तीन दिन बाद उनके समस्त साथी भी मुक्त कर दिये गये, परन्तु उन तीनो महानुभावो को लोग सदेह की दृष्टि से देखने लग गये क्योकि मस्था की ओर से अपनी सज़ा के विरुद्ध अपील न करने का निर्णय पहले ही किया जा चुका था और उन्होंने सस्था के इस निर्णय का विरोध अथवा उल्लघन किया था।

जब कांग्रेसी और भारत सभाई नेता गिरफ्तार होकर सैण्ट्रल जेल पिशावर पहुँचे, तो रात का समय था। प्रात वे प्रातराश कर ही रहे थे कि अल्लाह बख्श बर्की और गुलाम रब्बानी सेठी भी पहुँच गये। उन्होंने बताया कि उनकी गिरफ्तारी पर शहर में बडा हँगामा हो रहा है। अभी वे बातें कर ही रहे थे कि किस्सा खानी में सेना की फायरिंग की सूचना भी मिल गई। ये समस्त राजनीतिक बन्दी एक विशेष वार्ड में बन्द थे। अधिक समय न गुज़रा था कि जेल में कोलाहल मच गया। कैदियो की भीड ने आते ही राजनीतिक बन्दियो के वार्ड का द्वार तोड डाला और उन्हे कन्धो पर उठाकर बाहर ले गये। राजनीतिक बन्दी अपने वार्ड से निकले, तो एक क्रान्तिमय स्थिति दिखाई दी। समस्त बैरकें, फांसी की कोठरियां, कारखानो की खड्डियां और चक्कियां तोड दी गई थी और जेल के कर्मचारी भागकर बाहर चले गये थे।

जेल के इन नैतिक-बंदियो की सख्या ढाई हज़ार के लगभग थी। ये सब ऊँचे स्वर से राजनीतिक बन्दियो से कहने लगे कि आप हमारे सेनानायक और हम आपके सैनिक। अब आप आज्ञा दें ताकि जेल की चार दीवारी तोड कर हम बाहर निकलें और अँग्रेजो के विरुद्ध अन्तिम युद्ध लडें।

बन्दियो के इस भाव से कई नौजवान राजनीतिक कार्यकर्त्ता बहुत प्रभावित हुए और भावावेश में आकर उनका साथ देने को तैयार हो गये, परन्तु इस अवसर पर आगा लाल बादशाह जैसे अनुभवी और गम्भीर राजनीतिक नेता विद्यमान थे। इसलिये उन्होंने बन्दियो के इस भाव की प्रशसा करते हुए अहिंसा का उपदेश दिया और कहा, कि 'हमारा आन्दोलन सारे भारतवर्ष से सम्बन्धित है और आन्दोलन को हमारे इस भावप्रवण कार्य से भारी हानि पहुँचेगी।' उन्होंने बन्दियो को शान्त रहने का उपदेश किया और आदेश दिया कि जेल के नियमो के अनुसार अपने-अपने कार्य में लग जाएँ। फिर समस्त राजनीतिक कार्यकर्त्ताओ को साथ लेकर अपने वार्ड में आ गये।

थोडे समय के पश्चात् पुलिस के विराट् दल ने आकर समस्त वन्दियो को घेरे में ले लिया और राजनीतिक कैदियो को तुरन्त वहाँ से निकाल कर किला में पहुँचा दिया। जहाँ से दण्ड दे देकर गुजरात जेल पहुँचाया और वहाँ से विभिन्न वन्दियो को विभिन्न जेलो में भेज दिया गया।

**पिशावर पर आफ्रीदियों का आक्रमण—**

पिछले किसी अध्याय मे कहा जा चुका है कि वहुत से राजनीतिक वन्दियो को तो दण्ड देकर गुजरात भेज दिया गया, परन्तु कुछ राजनीतिक नेता, जिनमें निम्नलिखित महानुभाव सम्मिलित थे—

सरदार अब्दुर्रव निश्तर,
पीर वख्श खान वकील,
सनोवर हुसैन महमद,
अब्दुल अज़ीज़ खुशवाश,
सरदार काहनसिंह,
मुहम्मद उस्मान नसवारी,
हाजी करम इलाही,
मास्टर अमीरचंद रंगीन,
सरदार मिलापसिंह,
आग़ा सैयद कासिम जान,
वज़ीर मुहम्मद निज्जार,
उत्तम चन्द,
वख्शी फक़ीरचंद,
अचरज राम,
मास्टर शेर अली,
अल्लाह वख्श यूसफी,
डाक्टर गैलानी,
महाशय कृष्ण,
मुफ्ती मीर अहमद,
मुस्तिफ़ा ग़ालिव।

इन्हे किले में ही रखा गया, क्योंकि इनके विरुद्ध **'विद्रोह अधिनियम'** के

आधीन सरकार मुकद्दमा चलाना चाहती थी। इस प्रकार छ मास तक ये किला ही में रहे, क्योकि इनके विरुद्ध कोई प्रमाण हाथ नही आ रहा था। इन लोगो को मैंगजीन की सकीर्ण कोठरी में रखा गया। घोर गर्मी का मौसम था और ये लोग ब्लैक होल मे वन्द थे। नगर मे अफवाहे गर्म थी कि इन्हे गोली मार दी जायगी।

५ मई को ६ बजे दिन, अकस्मात् आफ्रीदियो ने पिशावर शहर के माल-गोदाम पर आक्रमण कर दिया। सारी रात दोनो ओर से दनादन गोली-वर्षण होता रहा। कार्यक्रम यह था कि दूसरी ओर से महमद भी आक्रमण कर देंगे और अँग्रेजो को अटक पार भगा कर सीमाप्रान्त के इलाके पर पूर्णत अधिकार कर लेंगे। सरकार को समय से पहले सूचना मिल गई और उसने पूरे सुरक्षा-प्रवन्ध कर लिये। शवकद्र में सेना भेज कर महमदो की रोकथाम कर ली गई और कुछ राष्ट्रद्रोही लोगो ने सरकार के सकेत पर शवकद्र में जलसे करके महमदों को धमकी दी कि यदि उन्होने आक्रमण करने का साहस किया, तो यहाँ की जनता उनका मुकावला करेगी। अत महमन्द, जो यहाँ की जनता से सहानुभूति प्रकट करने के कारण यह पग उठा रहे थे, यह स्थिति देख कर उन्होंने ठीक समय पर अपना इरादा वदल दिया और यह सारा कार्यक्रम अधूरा रह गया।

नगर के लोगो ने आक्रमणकारी आफ्रीदियो को न केवल आश्रय दिया प्रत्युत उनकी सब प्रकार से सहायता भी की और उन्हे खाना पहुँचाते रहे तथा मैंग-जीन-गोली आदि शस्त्र पहुँचाते रहे। हिन्दुस्तानी सिपाहियो तथा पुलिस ने भी आत्माभिमान का वडा प्रमाण दिया और यथासभव गाजियो की सहायता में कोई कसर न उठा रखी।

# ३१ मई १६३० की घटना

## वाजार कलाँ पिशावर की फ़ायरिंग

२३ अप्रैल की घटना हुए अधिक दिन नही वीते थे कि ३१ मई को एक और दु खद घटना का सामना हुआ। उस समय सीमाप्रान्त के समस्त राजनीतिक नेता जेलो में थे। नगर में मार्शल लॉ लागू था और अभी स्थिति साधारण स्तर पर नही आने पाई थी।

कावुली थाने के सामने टाउन हाल में (वर्त्तमान कार्यालय दैनिक "शह-वाज़") फौजी गोरो का वहुत वडा केन्द्र था। ३१ मई को प्रात समय सरदार गगासिह नामक एक सरकारी कर्मचारी अपनी पत्नी और दो वच्चो के साथ ताँगे पर कावुली दरवाज़े से गुजर रहा था कि टाउन हाल की छत से एक गोरे ने नशे की अवस्था मे अकारण उन पर गोली चला दी। सरदार जी के दो वच्चे वही मर गये। पत्नी की छाती मे गोली लगी, परन्तु वह वच गई।

यह रोमाचकारी समाचार आग की भाँति तुरन्त सारे नगर मे फैल गया। लोगो के दिल, जो पहले ही घायल थे, शोक और क्रोध से भर गये और वे क़िस्सा खानी मे एकत्रित होने लगे। देखते-ही-देखते हज़ारो लोग जमा हो गये और उन दोनो वच्चो की अरथी का जुलूस निकाला गया, जो नगर के वड़े-वड़े वाज़ारो मे से होता हुआ गोर खटडी तक पहुँचा। इस जुलूस का नेतृत्व हकीम अब्दुल जलील नदवी कर रहे थे, जो न जाने किस प्रकार गिरफ्तारी से वच गये थे।

यह जुलूस तहसील के पास पहुँचा। वहाँ भी गोरा सेना नियुक्त थी। परन्तु हकीम अब्दुल जलील के कहने पर वे पीछे हट गये और तहसील का दर-वाजा वन्द कर दिया। अव जुलूस नीचे कूचा सेठियाँ के पास पहुँचा, तो देखा एक गोरा सेना का सशस्त्र दल घण्टाघर की ओर से आ रहा है। हकीम साहिव ने आगे वढ कर उनके अधिकारी से कहा कि यह अरथी हम ले जा रहे हैं और

हमारा किसी से कोई प्रयोजन नही। आप चुपचाप गुजर जाइये। परन्तु उस दुष्ट कुबुद्धि अंग्रेज अधिकारी ने कोई परवा न की और जुलूस पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस फार्यारिंग मे ग्यारह व्यक्ति शहीद और बीस घायल हुए। सेना ने बहाना बनाया कि उनसे बन्दूकें छीनने का प्रयत्न किया गया, जबकि यह सर्वथा मिथ्या और निराधार बात थी। जान पडता था कि वे गोली चलाने का तहय्या करके आये थे और यह सरकार की सोची-समझी नीति के अनुसार फार्यारिंग की गई।

इस घटना के पश्चात् नगर मे कई दिन हडताल रही। घायलो की मरहम-पट्टी डाक्टर खान साहिब करते रहे और समस्त शहीदो को गज दरवाजे के बाहर कब्रिस्तान में दफनाया गया। मरने वालो में दो हिन्दू भी थे। इसके पश्चात् शेष सभी कार्यकर्त्ताओ को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

# टकर फ़ायरिंग

२३ अप्रैल को पिशावर के राजनीतिक नेताओ की गिरफ्तारी और किस्सा-खानी की फायरिंग के साथ ही सीमाप्रान्त में जलसे-जुलूसो का निषेध कर दिया गया। ५ मई को महात्मा गाधी गिरफ्तार हुए। ६ मई को खादिम-मुहम्मद अकवर, मुहम्मद अव्वास खान, सालार रव नवाज, मियाँ जाफर शाह और गुलाम मुहम्मद खान लोन्द खोड ने मीटिंग करके निश्चय किया कि इस आज्ञा को भग किया जाय।

अस्तु, ११ मई १९३० ई० को 'अवज्ञा आन्दोलन' का प्रारम्भ करते हुए लोन्द खोड में उन्होंने पहला जलसा किया। जलसे मे पहले ही गुलाम मुहम्मद लोन्द खोड को गिरफ्तार करके तीन वर्ष कारावास का हुक्म सुना दिया गया।

जलसा वडे समारोह से हुआ, जिसमें मियाँ जाफ़र शाह ने अज्ञात कारणो से भाग न लिया। इस जलसे के पश्चात् मरदान और पिशावर में पूरे जोर-शोर से अवज्ञा आन्दोलन आरम्भ हो गया।

२८ मई १९३० ई० को जिला मरदान के टकर गाँव में एक विराट् सभा हुई, जिसमें कार्यकर्त्ताओ को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी समारोह में असिस्टेण्ट सुपरिन्टेन्डेण्ट पुलिस मि० मरफी क़त्ल हो गये। इस अपराध में सेना ने उस समस्त इलाके पर भीषण गोलावारी की, जिससे ७० व्यक्तियो का प्राण वलिदान हुआ और १५० बुरी तरह घायल हुए। सरकार ने केवल इसी पर संतोष नही किया। अपितु मलिक मासूम खान, जनरल शमरूज़ खान और गुलाम मुहम्मद खान लोन्द खोड के हुजरे ( नमाज अदा करने के स्थान ) जला दिये और उनके मकान तथा दुकानें लूट ली गई।

# चार सद्दा फ़ायरिंग

## २८ फरवरी १९३१ ई०

२८ फरवरी १९३१ ई० को अतमानजई में एक विराट् सभा हुई। जनसमूह पर पुलिस ने भीषण लाठी चार्ज किया, परन्तु खुदाई खिदमतगारो को वह न खदेड सकी। यह खुदाई खिदमतगारो का शान्तिमय समागम था। वह अत्यन्त अहिंसायुक्त रीति से जलसा कर रहे थे। किसी से टक्कर लेना या सरकार से उलझना नही चाहते थे, परन्तु सरकारी अधिकारी चाहते थे कि डरा-धमका कर किसी प्रकार खुदाई खिदमतगारो को भगा दिया जाय तथा जलसे को असफल कर दिया जाय। अत जब पुलिस को लाठी चार्ज से सफलता न मिली, तो फौजी दल को फायरिंग का आदेश दिया गया। परन्तु यह आग बरसाती हुई गोलियाँ भी खुदाई ख़िदमतगारो के दृढ सकल्प का मुकाबला न कर सकी। स्वयसेवक अपने स्थानो से एक इच भी न हिले। फलत बहुत से वीर देशभक्त शहीद और घायल हुए। इसके अतिरिक्त ज़िला बन्नू में स्पीन तगई के स्थान पर जुलाई १९३० ई० में, डेरा इस्माईल खान १९३० ई० में, चकरकोट और जिला कोहाट के गाँव तोग में २४ दिसम्बर १९३१ को गोली चली। तोग गाँव मे सैकडो व्यक्ति काम आये। वहाँ २५ दिसम्बर १९३१ ई० को समस्त खुदाई ख़िदमतगार नेताओ को गिरफ्तार करके किलावाला हिसार में कैद कर दिया गया। इस घटना पर विरोध प्रकट करने के लिये २६ दिसम्बर १९३१ ई० को विराट् जुलूस निकाला गया और अंग्रेज़ सरकार ने दनादन गोली चलाकर उसे खदेडने का प्रयत्न किया। इस अवसर पर काका खुशहाल खान, गुलाम हैदर, गुलाम मुहम्मद प्राचा और खैर मुहम्मद जलाली आदि महानुभावो को गिरफ्तार कर लिया गया।

**हरिपुर जेल में राजनीतिक बंदियों से दुर्व्यवहार—**

हरिपुर जेल उस समय अभी अपूर्ण था। उसकी पूर्त्ति राजनीतिक बंदियो

पर की गई। बन्दी बढ गये, तो उन्हे पांवो में शृङ्खलाएँ डालकर पशुओ की भाँति वाहर बाँध दिया जाता। वदियो को रोटी केवल एक समय दी जाती। उन्हे कोडो के दण्ड दिये गये और वे लज्जास्पद अत्याचार किये गये कि जिनके वर्णन की आज्ञा सभ्यता नही देती।

स्वयसेवको को क्षमा-याचना पर विवश किया जाता और भाँति-भाँति के कष्ट दिये जाते। उनसे चक्की पिसवाई जाती। उनके नेताओ को एकान्त कारा-वास का दण्ड दिया जाता। जेल के भीतर उन पर लाठी चार्ज किया जाता और उन्हे एक दूसरे से वात तक करने की आज्ञा न दी जाती।

कडाके की सर्दियो मे केवल एक-एक कम्वल दिया जाता, जिसके कारण सैकडो वन्दी वीमार हो गये और डाक्टरी सहायता न मिलने के कारण कितने ही स्वयसेवक निमोनिया का शिकार होकर प्राणो की आहुति दे गये।

वन्दियो पर निराधार अभियोग लगाकर उन्हे घृणित असभ्यता-सूचक दण्ड दिये जाते। भीपण शीत में उन्हे ठण्डे पानी के तालाव मे डुवकियाँ लगवाई जाती, नग्न करके पीटा जाता, उन पर राशन वन्द कर दिया जाता, घण्टो उलटा लटकाया जाता, कोल्हू के आगे जोता जाता और भीपण गर्मी में पानी की वूंद के लिये तरसाया तडपाया जाता।

अनपढ स्वयसेवको को धोखा देकर क्षमा-पत्रो पर उनके अँगूठे लगवा लिये जाते और उन्हे जेल मे निकाल कर उनके नामो की घोपणा की जाती कि उन्होने क्षमा माँग ली है।

**वाचा ख़ान गुजरात जेल मे—**

वाचा खान का गुजरात जेल मे पहुँच कर पहली वार कांग्रेस आन्दोलन से सम्वन्ध स्थापित हुआ, उन दिनो गुजरात जेल भारत भर के राजनीतिक वन्दियो का केन्द्र वना हुआ था। वहाँ आपसे पहले कांग्रेस के लगभग एक सौ वड़े-वडे नेता विद्यमान थे, जिनमे से डा० अंसारी, मौलाना कफायतुल्ला, मौलाना अहमद सईद, मौलाना जफ़र अली खान, अताउल्लाह शाह वुखारी, शंकरलाल वैंकर, पांडा सन्तराम के नाम उल्लेखनीय हैं। यहाँ यह वात वता देना भी दिलचस्पी से खाली न होगा कि पहली वार गुजरात जेल में वाचा ख़ान ने गीता पांडा सन्तराम से पढी। इन महानुभावो से मिलकर आपको कांग्रेस आन्दोलन के अध्ययन और कांग्रेस नेताओ को निकट से देखने तथा उन्हे समझने

का अवसर मिला। आपने वहाँ राष्ट्रवादी मुसलमानो से भी विचार-विनिमय करके अपने सन्देह दूर किये और हिन्दू, सिख नेताओ से भी सम्बन्ध पैदा करके उनकी सभ्यता, सस्कृति और धर्म का अध्ययन किया। अत आप स्वय कहते हैं—

"मैंने गीता सबसे पहले यही पढी। इसके अतिरिक्त ग्रन्थ साहिब और अजील भी पढी। मेरा विचार है कि उनकी मित्रता का कम-से-कम इतना अधिकार मुझ पर अवश्य था। उनकी पवित्र पुस्तको के सम्बन्ध मे कोई ज्ञान न हो, तो मैं उनके विचारो और उनके भावो को पूर्णरूपेण कैसे समझ सकता हूँ और उनकी मैत्री का कैसे समादर कर सकता हूँ। मुझे स्वीकार है कि उस समय गीता मेरी समझ से बाहर थी। मैंने उसे बार-बार पढा। शायद मुझ में इतनी योग्यता न थी कि मैं उसे समझ सकता। मुझे बाद में इण्डोमान के पण्डित जगतराम ने नियमित रूप से गीता पढाई, उन्हे इससे अत्यन्त श्रद्धा थी और उन्होंने मुझे इस का यथार्थ भाव समझाया।"

बाचा खान की मैत्री और सद्भावना यही तक सीमित न रही। आपने भ्रातृ-भावो से अभिभूत होकर मांस खाना भी छोड दिया। यहाँ तक कि आपके दाँत खराब हो गये और डाक्टरो ने मांस खाने पर विवश किया, तो सप्ताह में एक बार खाने लगे, परन्तु वह भी छिप-छिपा कर ताकि हिन्दू मित्रो के भावो को ठेस न लगे।

यहाँ आकर आपके जीवन में बडी क्रान्ति आई। आपके विचारो में विशालता और उदारता उत्पन्न हुई। अपने आन्दोलन को व्यापक रूप देने में सहायता मिली। आपने महात्मा गाधी के जीवन का बडे मनोयोग से अध्ययन किया और इसका इतना प्रभाव हुआ कि आप उनका अनुकरण करते हुए सप्ताह में एक दिन उपवास भी करने लगे, अपितु एक दिन 'मौन व्रत' भी रखते। महात्मा गाधी के अहिंसा के दर्शन पर आप इन्ही दिनों विश्वास लाए और इसे ऐसा अपनाया कि आज तक इससे बाल भर पीछे नही हटे।

आप आरम्भ ही से अध्यात्मवाद की ओर झुकाव रखते थे, इसलिये महात्मा

गाधी के जीवन के आध्यात्मिक पहलू ने आपको यहाँ तक प्रभावित किया कि आपने अपने जीवन को लगभग गाधी जी के जीवन का सर्वांग-सम्पन्न नमूना बना दिया।

यही बात थी, जिसको दृष्टिगोचर करके असंख्य लोग आपको 'सरहदी गाधी' कह कर पुकारने लगे और इस प्रकार आपके प्रति अपनी अगाध श्रद्धा प्रकट करते। परन्तु विरोधी व्यग कसने के लिए आपके नाम के साथ यह उपाधि लिखते, प्रत्युत कुछ पक्षपाती द्वेषी समाचार-पत्र आपके हिन्दू हो जाने के सम्बन्ध में मनघडन्त और बिना सिर-पैर की कहानियाँ प्रचारित करते रहे। परन्तु आप कोरे भावुक व्यक्ति नही, अपितु बडे ठण्डे दिल व दिमाग के मालिक हैं। आपने विरोधियो की आपत्तियो या व्यग की कभी परवाह नही की और सदा वही किया, जो ठीक अथवा यथार्थ समझा। आप नियम के पक्के और दृढ-प्रतिज्ञ हैं। उन्हे अपने नियमो तथा मान्यताओ से संसार की बडी-से-बडी शक्ति भी कभी नही हटा सकी।

गाधी जी के अनुकरण के बावुजूद आप सदा एक सच्चे मुसलमान की भाँति इस्लाम के आदेशो का दृढता से पालन करते रहे और कभी कोई ऐसा मार्ग ग्रहण नही किया, जो इस्लाम के सिद्धान्तो के प्रतिकूल हो। जब आपके व्रत पर विरोधियो ने आपत्ति उठाई, तो आपने इसका स्पष्टीकरण करते हुए कहा—

> "जब पिछले अगस्त में महात्मा जी ने सात दिन का व्रत रखा, तो मैंने भी सात दिन रोजा ( उपवास ) रखा और साय के समय केवल नमक मिला हुआ पानी पीता था। यह कहना अनुदारता तथा सकीर्ण दृष्टि है कि साधारणतः जिस तरह मुसलमान रोजा रखते हैं, वही सही अर्थात् यथार्थ रोजा है। हमारे रसूल अकरम ने प्राय दिन और रात निरन्तर रोजे रखे थे। मेरा विचार तो यह है कि आँहज्रत ने केवल मानवी त्रुटियो और दुर्बलता को सामने रख कर सूर्यास्त के पश्चात् खाने-पीने की आज्ञा दे दी। आँहज्रत को किसी गिजा की आवश्यकता न थी, क्योकि उनका कथन था कि अल्लाह-तआल्ला उन्हे रूहानी (आध्यात्मिक) गिजा (भोजन) भेजता है। साधारण व्यक्तियो को यह ग़िजा नही मिल सकती, क्योकि उनमें

इस ईमान (आस्था) की कमी होती है, जो इसके लिये आवश्यक है।"

**बाचा खान की रिहाई और कांग्रेस में प्रवेश—**

१० मार्च १९३१ ई० को गाधी-इरवन समझौता के आधीन देश के समस्त राजनीतिक बदी रिहा कर दिये गये, परन्तु ब्रिटिश सरकार ने बाचा ख़ान को रिहा करने से इन्कार कर दिया। गाधी जी पुन लार्ड इरवन से जाकर मिले और कहा "यदि बाचा खान को रिहा न किया गया तो हमारे इस समझौते को रद्द समझा जाय, हम पुन जेल जाने को तैयार हैं।"

भारत के वायसराय लार्ड इरवन ने गाधीजी को बताया कि "सुर्ख पोश ( लाल कुरती ) आन्दोलन बाल्शेविक आन्दोलन है। कांग्रेस से इसका कोई सम्बन्ध नही, इसलिये इस समझौते के अनुसार बाचा ख़ान को उस समय तक रिहा नही किया जा सकता, जब तक वे कांग्रेस में अपनी सस्था को समाहित करने की घोषणा न करें और तुम्हारी तरह अहिंसा की नीति ग्रहण न करें।"

गाधी जी ने यह शर्त मान ली और जेल में बाचा खान से बातचीत करने की आज्ञा प्राप्त कर ली। यहाँ इस बात को स्पष्ट कर देना अनुपयुक्त न होगा कि अग्रेज खुदाई खिदमतगार आन्दोलन से बहुत भयभीत थे और उनके बढते हुए सगठन को सदेह व आशका की दृष्टि से देखते थे, इसलिये उन्होने इस आन्दोलन को कुचलने, इसका नाम व निशान मिटाने और बाचा खान को आयु भर कैद कर रखने का फैसला कर लिया था।

इस अवसर पर साहिबजादा अब्दुल कय्यूम (दिवगत) ने अत्यन्त महत्वपूर्ण पार्ट अदा किया। आप अग्रेजो के मित्र होने के साथ-साथ अपनी जाति के हितैषी और देश की स्वाधीनता के इच्छुक थे। अग्रेज सरकार में आपको बडा प्रभाव प्राप्त था। ब्रिटिश सरकार उन्हें अपना विशेष आदमी जानते हुए उन पर बहुत विश्वास करती थी। अत उनसे अग्रेज सरकार की नीति का कोई रहस्य छिपा न था। आपको जब अग्रेजो के इस इरादे का पता चला कि वह प्रान्त की इतनी बडी तथा सुदृढ सस्था को समाप्त करने का तहय्या कर चुके हैं, तो अपनी जाति के विनाश की आशका से आप व्याकुल हो गये और आपने किसी न किसी प्रकार से खुदाई खिदमतगारो के नेताओ तक यह बात पहुँचा दी कि

जिस प्रकार से भी संभव हो अपने आन्दोलन को शीघ्र देश की किसी सबसे सुदृढ संस्था में समाहित कर दो, क्योकि अग्रेजो की नीयत अच्छी नही। वे बडे भयानक सकल्प रखते हैं और यदि एक वार यहाँ इतने वडे सगठन को समाप्त कर दिया गया, तो पश्तून जाति के साथ-साथ देश की स्वाधीनता के आदोलन को भी असीम हानि का सामना करना पडेगा।

बाचा खान हर प्रकार से उस समय कांग्रेस की ओर झुक चुके थे, परन्तु वे अपनी सस्था को कांग्रेस में समाहित करने पर कदापि तैयार न थे। उनके दिल में आरभ ही से इस्लामी दर्द था और वे कांग्रेस से मधुर और मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखते हुए मुसलमानो के पृथक् सगठन के प्रवल समर्थक थे।

अस्तु, जब सबसे पहले उन्हे जेल मे दिवगत साहिब ज़ादा अब्दुल कय्यूम का सदेश पहुँचा और खुदाई खिदमतगारो पर सरकार के असीम अत्याचार तथा हिंसायुक्त व्यवहार की कहानियाँ अपने साथियो के मुंह से सुनी, तो उन्होंने आपसी विचार-विमर्श से खुदाई खिदमतगार सस्था के प्रमुख नेताओं का एक शिष्टमण्डल नियुक्त करके उसे आदेश किया कि वे जाकर मुस्लिम लीगी नेताओ से वातचीत करें और सम्भव हो, तो खुदाई खिदमतगार सस्था को आल इण्डिया मुस्लिम लीग में सम्मिलित कर दें। इस सिलसिले में बाचा खान के वर्त्तमान के अदालती वक्तव्य ने इस समस्या पर प्रखर प्रकाश पडता है—

"१९३० ई० में मैंने अपने आपको गुजरात स्पैशल जेल में वन्दी पाया। यह जेल उस समय पजाव के राजनीतिक वन्दियो के जेल की हैसियत रखता था। यहाँ हमारे एक या दो पुराने साथी हमसे मिलने आए और उन्होंने उन अत्याचारो की दुखभरी कहानियाँ सुनाई, जो अग्रेजी सरकार हमारी जाति पर कर रही थी। उनकी वातें सुन कर हमें वहुत ही दुख हुआ और आपस में परामर्श करने के पश्चात् हमने अपने मित्रो को आदेश किया कि वे दिल्ली, लाहौर और शिमला जाएँ तथा मुस्लिम लीग और अन्य मुस्लिम सस्थाओ के नेताओ से सम्पर्क स्थापित करे। उन्हे हम अपना मुसलमान भाई समझते थे और हमें वडी आशा थी कि वे इस भयानक परिस्थिति में हमारी सहायता करेंगे। कुछ समय के पश्चात् मेरे मित्र वापस आए और उन्होने बताया कि मुस्लिम लीग हमारी सहायता करने को तैयार नहीं, क्योंकि हमारी लड़ाई

अंग्रेजो के विरुद्ध है और मुसलमान नेता अंग्रेजो से लडाई छेडने के पक्ष में नही हैं।"

उन्ही दिनो जब आप मुस्लिम लीग की ओर से नितान्त निराश हो चुके थे, गाधीजी के सकेत से अली गुल खान और मियाँ जाफर बाचा खान को कांग्रेस में शामिल होने का निमन्त्रण देने गुजरात जेल पहुँचे। उस समय आपके पास मियाँ अहमद शाह बैरिस्टर और आगा लाल बादशाह भी विद्यमान थे। बाचा खान को गाधीजी का कांग्रेस में सम्मिलित होने तथा अहिंसा की नीति के पालन का सन्देश मिला, तो आप परिस्थिति की गम्भीरता को दृष्टिगत करते हुए इन दोनो बातो को स्वीकार करने पर विवश हो गये, क्योकि उनके लिये उस समय और कोई उपाय न था।

बाचा खान ने स्वीकृति दे दी, तो उन दोनो सदेशवाहक महानुभावो ने गांधी जी को जाकर यह शुभ सूचना सुनाई, जिसे सुनते ही वे बहुत प्रसन्न हुए और तत्काल भारत के वायसराय लार्ड इरविन को सूचित कर दिया कि बाचा खान कांग्रेस में सम्मिलित हो गये हैं, इसलिये अब उन्हे शीघ्र मुक्त कर दिया जाय। अत केन्द्रीय सरकार ने आपकी रिहाई के आदेश जारी कर दिये।

**बाचा खान का ऐतिहासिक जुलूस (१९३१ ई०)**

बाचा खान रिहा होकर गुजरात से मोटर में लाहौर और वहाँ से पिशावर आए, जहाँ आपका एक ऐसा विराट् जुलूस निकाला गया, जिसका उदाहरण नही मिलता।

सीमाप्रान्त के इतिहास में दिवगत मौलाना मुहम्मदअली के ऐतिहासिक जुलूस १९२७ ई० के बाद यह दूसरा स्मरणीय जुलूस था। अटक से लेकर पिशावर तक सारे मार्ग को सुचारु रूप से सजाया गया और पिशावर नगर तो दुलहन की भाँति अलकृत था। सीमाप्रान्त के कोने-कोने से हजारो लोग आपके स्वागत के लिये लाहौर पहुँचे और जब आपने पिशावर में पग रखा, तो निस्सदेह लाखो मनुष्यो का ठाठें मारता हुआ समुद्र आपके साथ था। आप सिर से नगे, खद्दर की कमीज पहने हुए थे। रास्ते में स्थान-स्थान पर आपके ऊपर फूलो की वर्षा की गई और इतनी फूल-मालाएँ पहनाई गईं कि आपकी मोटर फूलो से लद गई। शहर में सैकडो भव्य द्वार बनाए गये थे और लोगो की अपार भीड आपको एक नजर देखने के लिये टूट पडी थी। जनसाधारण की श्रद्धा देखने के योग्य थी।

ऐसा जान पडता था कि सीमाप्रान्त के समस्त देहातो और नगरो के सारे नर-नारी और बूढे, बच्चे उमड कर इस जुलूस मे सम्मिलित हो गये हैं। 'बाचा खान जिन्दाबाद,' 'इन्किलाब जिन्दाबाद' और 'इस्लाम जिन्दाबाद' के गगनभेदी नारों से वातावरण गूंज रहा था। आप पूरे गौरव के साथ मुस्करा कर दोनो हाथो से लोगो के सलामो का उत्तर दे रहे थे।

मुक्त होने के पश्चात् उसी वर्ष १९३१ ई० में आपने अखिल भारतीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में भाग लिया और वहाँ देश की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समस्याओ पर कांग्रेस के नेताओ से विचार-विनिमय किया। उसी वर्ष के अन्त में महात्मा गाधी के सुपुत्र श्री देवदास गाधी सीमाप्रान्त मे आये और आपके गाँव मे आपके यहाँ अतिथि बने। वे स्वात और स्वाधीन कबीलो को देखना चाहते थे, परन्तु आपको सरकार ने आज्ञा न दी कि अपने अतिथि को ये इलाके दिखाएँ।

देवदास गाधी का सीमाप्रान्त में शानदार स्वागत किया गया और सीमाप्रान्त का भ्रमण करते हुए आप जहाँ-जहाँ भी गये, आन्दोलन का जोर और लोगो का जोश व खरोश देख कर आश्चर्य-चकित रह गये।

बाचा खान और नगर कांग्रेस कमेटी के नेताओ में मतभेद—

कांग्रेस मे खुदाई खिदमतगार आन्दोलन को समाहित करने से सीमाप्रान्त की राजनीति में एक क्रांति उत्पन्न हो गई, जो यहाँ के राजनीतिक नेताओ में भाँति-भाँति के मतभेद का कारण बनी। एक ओर खुदाई खिदमतगार आन्दोलन के बहुत से सच्चे कार्यकर्त्ता उगसे पृथक् हो गये, तो दूसरी ओर कांग्रेस कमेटी के शहरी कार्यकर्त्ताओ का क्षेत्र सर्वथा अलग हो गया। यह गुट्टबन्दी अंग्रेज शासको के लिये बहुत लाभदायक थी और उनकी अत्यन्त गहरी चाल का परिणाम थी। उन्होंने इसे खूब हवा दी और भडकाया, तथा जान-बूझ कर कुछ भावुक लोगों को अपनी कठपुतली बनाकर अपने लिये प्रयुक्त करने का प्रयत्न करते रहे।

सबसे पहले २६ अगस्त १९३१ ई० को बाचा खान ने जब कांग्रेस और खुदाई खिदमतगार संस्था का यह आपस का समझौता अफ़गान जिरगा में समर्थन और प्रामाणिकता के लिये पेश किया, तो गुलाम मुहम्मद लोन्द खोड ने संशोधन प्रस्तुत किया कि अफ़गान जिरगा का कांग्रेस में पूर्णरूपेण समावेशन नहीं होना चाहिये। अपितु अफगान जिरगा का अस्तित्व अक्षुण्ण रखते हुए हमें कांग्रेस में अपनी सस्था को सम्मिलित करना चाहिये, क्योकि अफग़ान जिरगा के कार्यक्रम

में धार्मिक रीति-रिवाजो का सुधार और सामाजिक दोषो व त्रुटियो की रोक-थाम भी समाविष्ट है और कांग्रेस एक राष्ट्रीय सस्था है। इसलिये उसमें रह कर हमारे लिये अपना यह कार्यक्रम चलाना कठिन होगा।

गुलाम मुहम्मद लोन्द खोड के इस सशोधन का समर्थन अफगान जिरगा के प्रधान मन्त्री अहमद शाह, जिरगा के प्रधान अब्दुल अकवर खान सादिम और दिवगत समीन जान खान ने किया। इस पर एक प्रवल वहस हुई। दूसरे पक्ष मे वाचा खान, डा० खान साहिव और दिवगत काजी अताउल्लाह थे। अन्त में मियाँ अहमदशाह ने कहा, जव तक वार्पिक जिरगा में यह प्रस्ताव पास न हो उस समय तक इसको कार्यान्वित न किया जाए।

वाचा खान स्वय भी अपनी सस्था का पृथक् अस्तित्व स्थिर रखना चाहते थे, परन्तु वे गाधीजी को वचन दे चुके थे, इसलिये वाध्य थे। दूसरे परिस्थितियो और घटनाओ का अनुरोध भी यही था कि इस समय एक चतुर सेनापति की भाँति अपना मोर्चा वदल डालें और शत्रु के हाथ को ऊपर आने का अवसर न दें। फिर वे यह भी जानते थे कि कांग्रेस में समाहित होने के वावजूद उनकी सस्था का व्यक्तिगत अस्तित्व अक्षुण्ण रहेगा क्योकि अपनी सस्था पर उनका पूरा प्रभाव था और इस चीज को कोई उनसे छीन नही सकता था। परन्तु विरोधी पक्ष उनकी वात मानने के लिये तैयार न था। अत सस्था में धड़ेवन्दी पैदा हो गई और मियाँ अहमद शाह वैरिस्टर के नेतृत्व मे वाएँ वाजू ने वाचा-खान के दल से पृथक् होकर अफगान जिरगा के नाम ही से काम जारी रखा तथा कांग्रेस से सम्वन्ध रखते हुए भी उसमें समाहित होना पसन्द न किया।

दूसरा, वाचा खान कांग्रेस को अपनाने के पश्चात् उसका केन्द्र अपने गाँव अतमान जई में स्थापित करना चाहते थे। इधर पिशावर शहर के पुराने कांग्रेसी नेता इस बात के घोर विरोधी थे। वे हर प्रकार से अपना प्रभुत्व अक्षुण्ण रखना चाहते थे और प्रान्तीय कांग्रेस का केन्द्र पिशावर जैसे केन्द्रीय नगर में ही रखना चाहते थे।

धीरे-धीरे इस झगडे ने उग्र रूप धारण कर लिया। कुछ स्वार्थी लोगो ने उसे शहरी और देहाती रग देकर अत्यन्त खेदजनक परिस्थिति उत्पन्न कर दी। मामला अखिल भारतीय कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति तक जा पहुँचा। केन्द्र की ओर से जमइयत सिह को स्थिति के अवलोकन के लिये भेजा गया, जिसने

यहाँ आकर समस्त कांग्रेसी कार्यकर्ताओ के वक्तव्य लिखने के बाद तक रिपोर्ट तैयार की, जो केन्द्र के सामने रख दी गई, अत उन्ही दिनो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी समिति के अधिवेशन मे सीमा-प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के दोनो दलो के प्रतिनिधियो को बम्बई बुलाया गया, जिसमे एक दल की ओर से बाचा खान, मियाँ अहमद शाह बैरिस्टर, अमीर मुहम्मद खान तथा दूसरे दल की ओर से आगा लाल बादशाह, पीर बख्श खान वकील, हकीम-अब्दुल जलील और निक्को देवी सम्मिलित हुए। यह मुकद्दमा सुनने के लिये महात्मा गाधी जी, डा० अन्सारी और महादेव देसाई का सगठित ट्रिब्यूनल नियुक्त किया गया था, जिसने दोनो पक्षो के वक्तव्य सुनने के पश्चात् अत मे निक्को देवी के परामर्श से सीमाप्रान्त में कांग्रेस की बागडोर बाचा खान के हाथ में सौंप दी।

अखिल भारतीय कांग्रेस के इस निर्णय से पिशावर शहर के पुराने कांग्रेसी नेता बहुत अप्रसन्न हुए और बम्बई से वापस आते ही उन्होने कांग्रेस से अपना सम्बन्ध तोड लिया और बाचा खान सीमाप्रान्तीय जिरगा के नाम से कांग्रेस के लिये काम करने लगे। कांग्रेस का केन्द्र अतमान जई मे स्थापित किया गया और सारे प्रान्त में उसकी शाखायें स्थापित करके एक सुदृढ सगठन बना दिया गया। मज़े की बात यह है कि इसके बावुजूद बाचा खान और उसकी सस्था के समस्त कार्यकर्त्ता सुर्खपोश ही कहलाते रहे और कांग्रेस में समाहित हो जाने के पश्चात् भी उनका नाम न बदल सके।

तीसरी बार गिरफ्तारी—

१९३१ ई० के अन्त मे हिन्दुस्तान में राउड टेबल (गोलमेज) कान्फ्रेंस का प्रचार आरम्भ हुआ, जो ब्रिटिश सरकार की ओर से लन्दन में की जा रही थी और जिसमें सीमाप्रान्त को मान्टिगो चेम्सफोर्ड सुधार व सुविधाएँ देने की पेशकश की गई। कांग्रेस ने सस्थागत रूप से इस कान्फ्रेंस का बायकाट करने और इसका विरोध करने का फैसला किया तथा घोषणा की कि हम पूर्ण स्वाधीनता से कम कोई भी चीज लेने को तैय्यार नही।

बाचा खान ने कांग्रेस के कार्यक्रम के अनुसार इस कान्फ्रेंस के विरोध में दौरे और प्रचार आरम्भ किया। उन्ही दिनो सरकार ने बाचा खान और उनके साथियो को—जिनमें आबाब अब्दुल गफूर खान, डाक्टर खान साहिब और

गुलाम मुहम्मद लोद खोड भी सम्मिलित थे—फिर गिरफ्तार कर लिया तथा सीमाप्रान्त में सुर्खपोश, कांग्रेस और उसकी समस्त शाखाओ को अवैध सस्थाएँ घोषित कर दिया गया। इन गिरफ्तारियो के पश्चात् सीमाप्रान्त में नियमित रूप से आन्दोलन आरम्भ हो गया और थोडे ही दिनो में लगभग दस पन्द्रह हजार स्वयसेवक गिरफ्तार होकर जेलो में चले गये।

उनकी गिरफ्तारियो के वाद १९३२ ई० में लन्दन में गोलमेज कान्फ्रेंस हुई, जिसमें मौलाना मुहम्मद अली ने भी भाग लिया और सीमाप्रान्त के प्रतिनिधित्व के लिये साहिव जादा अब्दुल कय्यूम को सरकारी तौर पर चुना गया। इस कान्फ्रेंस में सीमाप्रान्त को मान्टिगो चेम्सफोर्ड सुविधाएँ देने का फैसला किया गया। सीमाप्रान्त में कांग्रेस और सुर्खपोश सस्थाओ ने इन सुविधाओ का पूर्णत बहिष्कार कर दिया और अवज्ञा आन्दोलन करते हुए धडाधड जेल जाते रहे। सरकार ने उन पर असीम अत्याचार किये। उनके साथ हिंसात्मक व्यवहार किया। परन्तु वे पूर्णत अहिंसा पर स्थिर रहे। अत दिवगत साहिव जादा अब्दुल कय्यूम खान को सीमाप्रान्त का सवसे पहला प्रधान मत्री नियुक्त किया गया।

जेलो में राजनीतिक वन्दियो से सरकार का वर्ताव अत्यन्त निष्ठुर एव पाशविक था। दिसम्बर-जनवरी की कडाके की सर्दी में वन्दियो को केवल एक-एक कम्वल दिया जाता, रोटी एक समय मिलती। चने और दाल वन्द कर दी गई। कोडे लगाने के दण्ड वात-वात पर दिये जाते। लोग आये दिन भूख हडताल और सर्दी से मर रहे थे। चिकित्सा-परिचर्या का प्रश्न ही नही उठता था।

२९ जनवरी १९३२ ई० को भीषण वर्षा हो रही थी कि गोरा सेना की दो कम्पनियाँ आई और जेल को घेर लिया। तथा समस्त महत्वपूर्ण नाको पर मशीनगनें स्थापित कर दी गईं। फिर जेल के समस्त कर्मचारी और कर्नल ब्राडे जनरल इन्स्पैक्टर जेल में प्रविष्ट हुए। उन्होने अकारण समस्त राजनीतिक वन्दियो को पीटना आरम्भ कर दिया। पूरे दो घण्टे तक यह भीषण क्रूर मार-पीट चलती रही। फिर दो सौ प्रमुख राजनीतिक बन्दियो को चक्कियो में वन्द कर दिया गया। उनमें डा० खान साहिब, गुलाम मुहम्मद लोद खोड, अवीदुल्लाह खान, सालार रव नवाज खान, सालार मुर्तिजा खान, आवाव अब्दुल गफूर खान प्रवान, सर फराज खान, पीर शहिन्शाह प्रधान प्रान्तीय कांग्रेस आदि महानुभाव सम्मिलित थे। पहले दिन अमीर मुहम्मद खान जनरल पडांग, पीर

मदार शाह अतमान जई और गुलाम मुहम्मद लोद खोड आदि छ व्यक्तियों को तीस-तीस कोडो का दण्ड दिया गया। ये लोग तीन महीने तक घावो के कारण चारपाई पर पड़े रहे।

डा० खान साहिब इस आन्दोलन में पहली वार जेल गये। वे क्रियात्मक रूप से अव भी राजनीति में कोई विशेष भाग नही ले रहे थे, अपितु केवल वाचा-खान का भाई होने के कारण उन्हे जेल जाना पडा। इस वार वाचा खान का लगभग सारा परिवार गिरफ्तार किया गया। वाचा खान के दोनो वेटे और डा० खान साहिव के लडके और अन्य समस्त निकट सम्वन्धियो को कारावास की यातनाएँ झेलनी पडी।

**वाचा खान की रिहाई, नजरवन्दी और गिरफ्तारी—**

१९३४ ई० में कारावास दण्ड की अवधि भुगतने के पश्चात् समस्त राज-नीतिक वन्दी मुक्त होकर आ गये। परन्तु वाचा खान और डा० खान साहिव का पजाव मे प्रवेश निषिद्ध घोषित कर दिया गया, जिसका उल्लघन वे संस्थागत फैसले के अनुसार न कर सकते थे। अत यह दोनो भाई सेठ जमनालाल वजाज के निमत्रण पर वर्धा चले गये, जहाँ महात्मा गाधी पहले ही से उनके अतिथि के रूप में विद्यमान थे।

यहाँ वाचा खान की महात्मा गाधी की सगति में रहने और उनके जीवन का अध्ययन करने की चिरकाल की इच्छा पूरी हुई। इधर गाधी जी वाचा खान को निकट से देखने और उनके साथ कुछ दिन व्यतीत करने की आकांक्षा रखते थे। अत यूं कहना चाहिये कि भारत के स्वाधीनता आन्दोलन के इन दोनों नेताओ के आपस में मिल वैठने की इच्छा एक दृष्टि से अग्रेज शासको ने वाचा-खान की नजरवन्दी के आदेश जारी करके स्वयं ही पूरी कर दी। इस वात को गाधी जी ने महादेव देसाई की पुस्तक "दो खुदाई खिदमतगार" के परिचय में यूं व्यक्त किया है—

> "मेरा वहुत जी चाहता था कि कुछ दिन खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ रहूँ, परन्तु कभी इसका अवसर नहीं मिलता था। पिछले वर्ष के अन्तिम महीनो में यह इच्छा पूरी हुई, मेरे सौभाग्य से केवल खान साहिव ही नही, अपितु उनके वडे भाई डा० खान साहिव भी हजारी वाग जेल से रिहा होते ही मेरे पास चले आये। वात यह

थी कि इन दोनो को २८ दिसम्बर १९३४ ई० तक सीमाप्रान्त में दाखिल होने की आज्ञा नही थी और इसका उल्लघन वे कांग्रेस के निर्णय के अनुसार नही कर सकते थे। इसलिये उन्होने जमनालाल बजाज का निमन्त्रण स्वीकार कर लिया और वर्धा आ गये। इस तरह मुझे उनसे खुल कर मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। ज्यो ज्यो उनसे परिचय बढता गया मेरा हृदय उनकी ओर खिचता गया। उनके स्नेह, स्पष्टवादिता और उनकी अत्यन्त सादगी का मुझ पर बहुत प्रभाव हुआ। मैने यह भी देखा कि उन्होंने सचाई और अहिंसा को स्वार्थ के आधार पर नही, प्रत्युत आस्था और विश्वास के रूप में ग्रहण किया है। छोटे भाई को मैंने धार्मिक जोश से भरा हुआ पाया, परन्तु वे सकीर्ण दृष्टि नही रखते, अपितु सबसे सुलह रखने के मार्ग के पथिक हैं। उनकी राजनीति यदि कुछ है, तो वह धर्म पर आधारित है और डा० खान साहिब को तो राजनीति से कोई सम्बन्ध ही नही।"

वर्धा मे गाधी जी और बाचा खान की गोष्ठियाँ किस प्रकार की थी इस के विषय में महादेव देसाई लिखते हैं—

"वर्धा के कुछ दिनो के निवास से उन दोनो भाइयो और गाधी जी तथा जमनालाल बजाज मे एक विशेष आत्मीयता और आध्यात्मिक सम्बन्ध पैदा हो गया। उनमें कोई राजनीतिक बहस न होती थी, परन्तु आध्यात्मिक गोष्ठियाँ प्राय होती रहती थी, जिनमें वे चुपचाप बैठकर ईश्वर को याद किया करते थे। यहाँ के सब रहने वाले इससे बहुत प्रभावित हुए। खान अब्दुल गफ्फार खान प्रतिदिन प्रात आश्रम जाते और गाधी जी से तुलसी की रामायण सुना करते थे। इसके अतिरिक्त वे प्रात व साय की प्रार्थना मे भी सम्मिलित होते और कहते यह गीत मेरी आत्मा को विभोर कर देता है।"

एक बार उन्होने प्यारेलाल जी से कहा, "कृपा करके इसे उर्दू में लिख दीजिये और इसका उर्दू अनुवाद भी कर दीजिये।"

एक स्थान पर डा० खान साहिब के सम्बन्ध में लिखते हैं—

"बडे भाई ने पूरे ग्यारह वर्ष इगलिस्तान मे गुज़ारे और वहाँ सर्वोत्तम शिक्षा प्राप्त की, परन्तु प्राय अपने वार्तालाप के बीच में बार-

चार वह उन्ही पहाडियो, उसी नदी और उसी छोटे द्वीप की चर्चा करते हैं, जहाँ उन्होंने अपना एक एकान्त स्थान बना रखा है और जहाँ महात्मा जी को कभी अपना अतिथि बनाने की उन्हे बडी आकाक्षा है। वे महात्मा जी से कहा करते, 'वहाँ आपका आश्रम होगा, हमारे निकट। उससे अधिक शान्त और प्रिय स्थान नही मिल सकता। पिशावर की सारी घाटी मे फलो का प्राचुर्य है और विश्वास कीजिये वहाँ आपका वज़न बढ जायगा।'

वह प्राय अपने ईख के खेतो की चर्चा करते, या गायो के उस विशुद्ध दूध की, जिससे वे केवल मक्खन निकाला करते और भैंस के उस गाढे दूध की, जिसे वे और कामो में लाते थे।"

बाचा खान ने हज़ारी बाग जेल से निकलते ही निश्चय कर लिया था कि वे अपने आप को गाधी जी के सुपुर्द कर देंगे और जो कुछ वे कहेगे वही करेगे। बाचा खान वहाँ भी आराम से न बैठे और बगाल तथा सयुक्त प्रान्तो का भ्रमण करते रहे। परन्तु यह सब कुछ गाधी जी के परामर्श से, अपितु उनके बताए हुए कार्यक्रम के अनुसार ही किया गया। वे जहाँ भी गये गाधी जी से आज्ञा लेकर गये। अपितु यह भी पूछ कर गये कि उन्हे वहाँ जाकर क्या कहना चाहिये।

उन्ही दिनो सरकार ने असेम्बली के चुनावो की घोपणा की। अतमान जुई में इस समस्या के सम्बन्ध में एक गैर रस्मी मीटिंग बुलाई गई। क्योकि सीमा-प्रान्त को पहले-पहल केन्द्रीय विधान सभा मे प्रतिनिधित्व मिल रहा था। इस मीटिंग में एक शिष्टमण्डल नियुक्त हुआ जिसमे गुलाम मुहम्मद लोद खोड, सादुल्लाह खान और प्रधान सर फराज खान सम्मिलित थे। इस शिष्टमण्डल को यह काम सौंपा गया कि वह वर्धा जाकर खान भाइयों से परामर्श करने के पश्चात् डा० खान साहिब को विधान सभा के लिये खडा होने पर तैयार करे।

यह शिष्टमण्डल वर्धा पहुँचा, तो बाचा खान ने गाधी जी से परामर्श प्राप्त करने के पश्चात् अनुमति दे दी। शिष्टमण्डल के सदस्यों का अनुरोध था कि डा० खान साहिब सरकार से आज्ञा लेकर चुनाव लडने के लिये स्वय सीमाप्रान्त जाएँ और बाचा खान भी इस बात से सहमत थे, परन्तु गाधी जी ने सलाह न दी, इसलिये इरादा छोड दिया गया।

डा० खान साहिब परोक्ष रूप से चुनाव लड कर केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हो गये। १६३५ ई० में हिन्दुस्तान को प्रान्तीय स्वराज्य मिल गया, तो डा० खान साहिब और बाचा खान पर से अपने प्रान्त मे प्रवेश न करने के प्रतिबन्ध भी उठा लिये गये। डा० खान साहिब तो प्रतिबन्ध उठने के पश्चात् अपने प्रदेश में आ गये, परन्तु बाचा खान इस प्रतिबन्ध के उठने से कुछ दिन पहले ही अखिल भारतीय स्वदेशी प्रदर्शनी बम्बई का उद्घाटन करने चले गये थे। वहाँ उन्हे विद्रोहपूर्ण भाषण करने के अभियोग में गिरफ्तार कर लिया गया।

आपने इस सम्बन्ध में तीन महीने और दस दिन नजरबन्दी में गुजारे और पुन गिरफ्तार होकर बम्बई पहुँचे, जहाँ आपको और तीन वर्ष का कारावास का दण्ड दिया गया। अत यह पूरी कैद काटने के पश्चात् अगस्त १६३७ ई० में पूरे साढे छ वर्ष के पश्चात् आपको अपने प्यारे प्रदेश सीमाप्रान्त की भूमि पर पग रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

उपर्युक्त गिरफ्तारी के समय आपने सीमाप्रान्त के लिये यह सदेश दिया—

"मेरी गिरफ्तारी से उत्तेजित होकर पठानो को कोई निन्दा-जनक कार्य नही करना चाहिये अपितु बडी शान्ति से यह समाचार सुनना चाहिये और बैठ कर अपने भीतरी मतभेद मिटाने की ठण्डे दिल से चेष्टा करनी चाहिये। मुझे खेद है कि हम पर भाँति-भाँति के अभियोग-आरोप थोपे जाते हैं और हमें इस बात का अवसर नही दिया जाता कि हम उनका खण्डन कर सकें। एक सरकारी घोषणा में मेरे प्रान्त को 'खूनी प्रान्त' की उपाधि दी गई है। परन्तु सरकार को यह कहना शोभा नही देता, क्योकि उसने सीधे-सादे विद्याहीन पठानो में शिक्षा सम्बन्धी और सामाजिक सुधार जैसे अराजनीतिक काम का भी कौनसा अवसर दिया है।"

और अन्त में अपने अतिथियो से विदा होते हुए उन्होंने कहा—

"मुझे पूर्णत विश्वास है कि यह सब खुदा की इच्छा के अधीन हो रहा है। जब तक उसने मुझसे बाहर काम लेना चाहा, बाहर रखा। अब उसकी इच्छा है कि मैं जेल के भीतर से सेवा करूँ, तो जेल जा रहा हूँ। जिसमें वह प्रसन्न है, उसी में मैं भी प्रसन्न हूं।"

हजारी वाग से रिहाई के वाद से लेकर पुन गिरफ्तारी तक नजरवन्दी के दिनो के हालात आपने स्वय "पखतून" पत्रिका मे अपनी लेखनी से लिखे हैं। अनुवाद नीचे दिया जाता है—

"जव १९३४ ई० में मुझे और मेरे वडे भाई डा० खान साहिव को हजारी वाग जेल से रिहा किया गया, तो प्रत्यक्ष रूप से हम जेल से मुक्त कर दिये गये थे, परन्तु यह एक विचित्र मुक्ति थी। हमे न तो अपने प्रान्त और न पजाव मे दाखिल होने की आज्ञा थी। हमारी रिहाई के सम्बन्ध में हिन्दुस्तान के कोने-कोने से वधाई के पत्र प्राप्त होने आरम्भ हुए। अभी हम हजारी वाग से प्रस्थान न कर पाये थे कि सेठ जमनालाल वजाज का तार मिला, जिसमें उन्होने हमारी मुक्ति पर हर्ष प्रकट किया था और यह भी लिखा था कि 'चूंकि आप अपने प्रदेश में नही जा सकते, इसलिये वर्धा आने का निमन्त्रण दिया जाता है और यहाँ ही निवास करें।' महात्मा गाधीजी भी वर्धा में थे इसके अतिरिक्त हिन्दुस्तान में किसी हिन्दू और मुसलमान की ओर से हमें कोई निमन्त्रण नही मिला था। इसलिये हमने वर्धा जाने का इरादा कर लिया।

"हजारी वाग से शान्ति निकेतन निकट था, वहाँ मेरा लडका अब्दुल गनी पढता था, इसलिये मैंने पसन्द किया कि पहले शान्ति-निकेतन जाकर अपने वेटे से मिलूं, परन्तु अभी हम तैयार ही हो रहे थे कि प्रोफेसर अब्दुल वारी पधारे और विवश किया कि पहले पटने जाऊं और उसके पश्चात् अब्दुल गनी से मिलने शान्ति-निकेतन। साराश, हम पटने पहुँचे तो रेलवे स्टेशन पर हमारे जेल के साथी वावू राजेन्द्रप्रसाद और अन्य महानुभाव स्वागत के लिये विद्यमान थे। रात को एक विराट् सभा हुई। प्रात हम कयाना चले गये, वहां गरीवो के जलसे में सम्मिलित हुए। इसके पश्चात् शान्ति-निकेतन गये जहां कवि टैगोर (ठाकुर) और उनके कालेज के प्रोफेसरो से वातचीत हुई। कालेज और कालेज के विद्यार्थियो को देखा। रात अब्दुल गनी के पास व्यतीत की। प्रातः पटने रवाना हुए। वहां से इलाहावाद और इलाहावाद से वर्धा पहुँचे। गाधीजी से भेंट

हुई। थोडे दिनो के पश्चात् अखिल भारतीय कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की मीटिंग हुई, जिसमें मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने मुझसे कहा कि बगाल के मुसलमान प्राय और कलकत्ते के पिशावरी दुकानदार विशेषत आपके आगमन की आकाक्षा रखते हैं। मैंने स्वीकार कर लिया, परन्तु गाधीजी को स्वीकार न था। उनका विचार था कि सरकार फिर गिरफ्तार कर लेगी, परन्तु मौलाना के अनुरोध पर मान गये और उन्होने बगाल जाने की अनुमति दे दी। हमने कलकत्ते के लिये प्रस्थान किया। एक बहुत बडा जनसमूह हमारे स्वागत के लिये विद्यमान था। अत्यन्त आदर-सम्मान से हमें कलकत्ते ले जाया गया, जहां कलकत्ता कार्पोरेशन ने हमें अभिनन्दन-पत्र भेंट किया। कुछ दिन कलकत्ते में अपने पठान भाइयो के अतिथि रहे।

"मेरी इच्छा थी कि मैं बगाल के मुसलमानो को देखूं। मैंने कुछ जलसो मे अपनी इस इच्छा को प्रकट भी किया। परन्तु कलकत्ते के मुसलमान इस सम्बन्ध में मेरी सहायता के लिये तैयार दिखाई न दिये। मेरा सकल्प दृढ था। अन्त में एक बगाली श्री मेरुफलचन्द्र घोष, जो कांग्रेस के एक सक्रिय कार्यकर्त्ता थे, मेरी सहायता के लिये तैयार हो गये। मैं कलकत्ता से अपने मित्रो के साथ एक इलाके की ओर रवाना हुआ। डा० खान साहिब चुनाव लडने के सम्बन्ध में आवश्यक कागज-पत्रो के पूरा करने के लिये कलकत्ते मे रहे। मैंने उस इलाके का हाल देखा। यद्यपि वहां के समस्त निवासियो की स्थिति अच्छी न थी, परन्तु मुसलमानो की दशा विशेषत बुरी थी। कुछ दिन हमने उस इलाके में व्यतीत किये। बम्बई शीघ्र वापस जाना था इसलिये बगाल का दौरा समाप्त किया। कलकत्ते से वर्धा आया और वर्धा से बम्बई। बगाल के मुसलमानो की दयनीय दशा ने मेरे हृदय और मस्तिष्क पर पर्याप्त प्रभाव डाला। मेरा इरादा था कि मैं उनकी सेवा करूंगा और इस विषय में महात्मा गाधी जी से भी परामर्श किया। उन्होंने मुझ से सहमति प्रकट की और सहायता का भी वचन दिया।

"उन दिनो मेरा समस्त ध्यान बगाल के गरीब लोगो की ओर था जिनके कुछ हालात मैंने अपनी आँखो से देखे थे। मैंने इरादा किया कि ८ दिसम्बर १९३४ ई० को बगाल पहुँचूं। सरकार की ओर से हमारी गतिविधि पर कडी देख-रेख की जा रही थी। वह हमारी सरगर्मियो को सहन नही कर सकती थी। बगाल के हिन्दुओ की जागृति के कारण सरकार को बडी कठिनाई का सामना करना पडा। जब सरकार को विश्वास हुआ कि मैं बगाल जाने वाला हूँ और किसी तरह से भी नही रुक सकता हूँ तो ७ दिसम्बर १९३४ ई० को मुझे वर्धा मे गिरफ्तार कर लिया और गाडी द्वारा बम्बई पहुँचाया। विद्रोह का अभियोग लगा कर मेरे विरुद्ध मुकद्दमा चलाया गया। मेरा विद्रोह यह था कि मैं हृदय में बगाल के पीडितो से सहानुभूति रखता था और उनके लिये मेरे हृदय में स्नेह और सेवा का भाव था।"

**बाचा खान का दूसरा ऐतिहासिक जुलूस (१९३७ ई०)**

बाचा खान १९३७ ई० में अपनी लगभग सात वर्षीय कैद और नजरबन्दी के बाद अपने प्यारे प्रदेश मे लौटे, तो यहाँ आपका भव्य स्वागत किया गया। अटक से लेकर पिशावर तक स्थान-स्थान पर सुन्दर द्वार बनाए गये और मार्ग के दोनो ओर स्वयसेवको के दल आपको सलामी देने के लिये खडे किये गये। बीसियो अभिनन्दन-पत्र भेंट किये गये, जिनमें आपके प्रति सम्मान तथा प्रशसा के भाव प्रकट किये गये।

यह अद्वितीय जुलूस जब पिशावर नगर मे दाखिल हुआ, तो यहाँ लाखो मनुष्यो ने आपका स्वागत किया। प्रत्येक ओर से फूलो की वर्षा हो रही थी और लोग अपने प्रिय नेता को देख-देख कर निहाल हो रहे थे। सीमाप्रान्त के समस्त गाँवो के लोग उमड पडे थे। जुलूस एक मील लम्बा था और उसमें मोटरें, साइकिल, ऊँट और रेढियो की पंक्तियाँ थी।

पिशावर शहर की सजावट देखने से सम्बन्ध रखती थी। पग-पग पर शानदार दरवाज़े बने हुए थे, दुकानें और मकान दुलहन की भाँति अलंकृत थी तथा जहाँ तक दृष्टि जाती थी, मनुष्यो की असीम भीड दिखाई देती थी।

**सीमाप्रान्त में कांग्रेस का पहला मन्त्रिमण्डल—**

मध्य अगस्त १९३७ ई० में बम्बई से तीन वर्ष कैद की अवधि व्यतीत करके

आप मुक्त होते ही सीधे वर्धा पहुँचे। अभी आपको सीमाप्रान्त में प्रवेश के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध हटाये जाने की संतोषजनक सूचना सरकार की ओर से नही मिली थी, इसलिये आप पहले सीमाप्रान्त जाने के स्थान पर गांधीजी के परामर्श मे कराची निवासियो का निमन्त्रण स्वीकार करते हुए कराची रवाना हुए। कराची जाते हुए जब आप लाहौर स्टेशन पर पहुँचे, तो लाहौर निवासियों ने स्टेशन पर आपका अत्यन्त शानदार स्वागत किया और प्रेस के प्रतिनिधियो ने घेर कर आप पर प्रश्नो की बौछार आरम्भ कर दी।

"क्या यह सत्य है कि सीमाप्रान्त के २५ सदस्यो ने सीमाप्रान्त के गवर्नर को साहिब ज़ादा अब्दुल कय्यूम के मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास का पत्र लिखा है?"

बाचा खान ने उत्तर दिया—

"आप सीमाप्रान्त के अधिक निकट हैं। मैं लम्बे समय से कोसो दूर बैठा हूँ, परन्तु ऐसा होते हुए भी आपने मुझसे प्रश्न किया है, जबकि सीमाप्रान्त के हालात से आप लोगो को अधिक जानकारी होनी चाहिये। अस्तु, मैं इतना कुछ कह सकता हूँ कि मैंने सीमाप्रान्त के कुछ महानुभावो मे भेंट की है और उन्होंने इस समाचार की पुष्टि की है।"

"यदि वहाँ आपकी पार्टी अर्थात् खुदाई खिदमतगारों का बहुमत हो जाय, तो आप उसे कांग्रेस का मन्त्रिमण्डल बनाने की आज्ञा देंगे?"

"जहाँ तक सम्मिलित मन्त्रिमण्डल का सम्बन्ध है, इसका निर्णय कार्यकारिणी समिति करेगी। हम कार्यकारिणी के सामने केवल सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।"

"आप किस प्रकार का मन्त्रिमण्डल स्थापित करेंगे?"

"मैं चाहता हूँ कि वर्तमान मन्दे और दरिद्रता के जमाने को दृष्टि में रख कर एक ऐसा मन्त्रिमण्डल स्थापित किया जाय, जो सर्वथा सादा और फकीराना हो तथा जनता की भलाई और हितो का खयाल रखे।"

'आप सीमाप्रान्त कब जा रहे हैं?"

"जब भी मुझ पर से प्रतिबन्ध उठा लिये गये, मैं तुरन्त सीमाप्रान्त चला जाऊँगा और अपने मित्रों से मिलूँगा।"

"क्या आप महात्मा गांधी को भी साथ ले जायेंगे ?"

"हाँ, यदि आज्ञा मिल गई तो ....."

"क्या आप पंजाब के मुसलमानो के लिये कोई संदेश देंगे ?"

"मैं इस समय कोई संदेश नहीं देना चाहता। मैं केवल यह चाहता हूँ कि मुसलमान भारी संख्या में स्वाधीनता के युद्ध के उद्देश्य से कांग्रेस में सम्मिलित हों, क्योंकि देश की मुक्ति मुसलमानों और हिन्दुओं की एकता में है। मैं शीघ्र ही पंजाब का भ्रमण करूंगा और वहाँ के लोगों की नाड़ियाँ टटोलूँगा।"

इसके पश्चात् आपने समाचार-पत्रों से शिकायत की कि जब वे बंगाल गये और वहाँ भाषण किया, तो उसे हिन्दू समाचार-पत्रों ने कुछ और मुस्लिम अखबारों ने कुछ और प्रकाशित किया तथा उनके भाषण का भाव ही लुप्त हो गया ..

इस पर समाचार-पत्रों के प्रतिनिधियों ने आपको विश्वास दिलाया कि भविष्य में आप जो कुछ कहेंगे वह सब कुछ प्रकाशित होगा।

आपने उन्हें निम्नलिखित शब्द नोट कराये—

"मैं चाहता हूँ कि सीमाप्रान्त में कांग्रेस मंत्रिमण्डल हो, परन्तु मैं जानता हूँ वहाँ की जनता का जीवन-स्तर बहुत ऊँचा नहीं और देश में भूख बहुत है। इसलिये मैं चाहता हूँ कि मंत्रिमण्डल फकीरों का सा जीवन व्यतीत करे और भूखी जाति की सहायता करे।"

बाचा खान २३ अगस्त १९३७ ई० के प्रातः समय कराची पहुँचे। वहाँ घण्टा भर आप पत्रकारों से वार्तालाप करते रहे। आपने सीमा के कबाइली युद्ध और अपहरण की घटनाओं के सम्बन्ध में कहा कि यह घटनाएँ केवल राजनीतिक हैं। इनका हिन्दू-मुस्लिम समस्या से कोई सम्बन्ध नहीं। वास्तविक बात यह है कि सीमाप्रान्त की समस्याओं को बाहर के लोगों के लिए समझना कठिन है। सरकार इस प्रान्त को फौजी बनाना चाहती है। इसलिये इसे शेष हिन्दुस्तान से अलग-अलग रखने का प्रयत्न किया जाता है।

उन्होंने कहा, "समाचार-पत्रों को सीमा-प्रान्त के मामलों पर साम्प्रदायिक विचार-भंगी से दृष्टि नहीं डालनी चाहिये। मैंने सरकार के सामने यह योजना रखी थी कि वह मुझे पांच वर्ष तक सीमान्त के

इलाके में स्वाधीनता से काम करने की आज्ञा दे तथा कवाइल को आम शिक्षा दिलाए और उनके लिये उद्योग-शिल्प का मैदान खोल दिया जाय। परन्तु सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करना उचित न समझा, अपितु इस सुझाव के बदले मुझे गिरफ्तार कर लिया। यदि सरकार सीमान्त में शान्ति स्थापित करने की इच्छुक है, तो मुझे अपनी योजना के अनुसार काम करने की आज्ञा दी जानी चाहिये।"

उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि "यदि मुझे कांग्रेस की अध्यक्षता पेश की गई, तो मैं अध्यक्ष बनने से इकार कर दूंगा।"

उसी दिन कराची के राम बाग में एक विराट् सभा में भाषण करते हुए उन्होने कहा—

"पठान यद्यपि अशिक्षित हैं, परन्तु वे क्रियात्मक राजनीतिज्ञ हैं। हिन्दुओ और मुसलमानो को अपने मतभेदो को छोड-छाड देना चाहिये और सबको खुदाई खिदमतगार बन कर कांग्रेस मे सम्मिलित होकर उसे सुदृढ बनाना चाहिये, तथा इस प्रकार जातीय सेवा का पुण्य प्राप्त करना चाहिये।"

गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया एक्ट १९३५ ई० के लागू होते ही १९३७ ई० में सीमाप्रान्त को हिन्दुस्तान के अन्य प्रान्तो की भाँति एक उत्तरदायी सरकार बनाने का अधिकार मिल गया। पहली बार प्रान्त मे चुनाव किया गया, जिस में अपनी अखिल भारतीय सस्था के फैसले के अनुसार सीमाप्रान्त की प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने भी चुनाव में भाग लिया। उस समय बाचा खान बम्बई जेल से रिहा होकर दिल्ली निवास किये हुए थे और अभी उन्हे सीमाप्रान्त में प्रविष्ट होने की आज्ञा नही मिली थी। परन्तु प्रान्तीय शासको के दिलो मे कांग्रेस और खुदाई खिदमतगारो के सम्बन्ध में वही पुरानी घृणा का भाव था। सरकार को कांग्रेस की सफलता कभी भी स्वीकार न थी और न ही वह उसे अधिकार-सम्पन्न या सत्तावान होना देख सकती थी। अत धाँधली और बेईमानी के समस्त सम्भव साधनो का प्रयोग किया गया। सरकार ने समस्त खानो, सरकारी कर्मचारियो और अन्य समस्त सरकार-भक्त लोगो से मिलकर कांग्रेस का मुकाबला किया। परन्तु इस पर भी उसे बुरी तरह पराजय का मुंह देखना पडा और जब परि-

णाम सामने आया, तो विभिन्न पार्टियो के सफल सदस्यो की संख्या निम्न-लिखित थी —

## कांग्रेस पार्टी

१. अब्दुल्ला खान
२ अब्दुल अज़ीज़ खान
३ अरबाब अब्दुलगफूर खान
४ अरबाब अब्दुर्रहमान खान
५ अकबर अली खान
६ अब्दुल गफूर खान
७ अमीर मुहम्मद खान
८. काज़ी अताअल्लाह खान
९. लाला भजूराम
१० फकीरा खान
११ डाक्टर सी० सी० घोष
१२. लाला हुक्म चन्द
१३ मियाँ जाफरशाह
१४. लाला जमना दास
१५ डाक्टर खान साहिब
१६. मुहम्मद अफज़ल खान
१७. पीर मुहम्मद कामरान
१८. समीन जान खान
१९. ज़र्रीन खान

## मुस्लिम नेशनलिस्ट पार्टी

१ नव्वाब सर साहिबज़ादा अब्दुल कय्यूम खान
२ खान बहादुर सादुल्लाह खान
३. खान साहिब अब्दुल मजीद खान
४. नव्वाब ज़ादा अल्लाह नवाज़ खान
५ खान साहिब अमदुल्लाह खान

६ अजीज अल्लाह खान
७ कैप्टन नव्वाव वाज मुहम्मद खान
८ फैज़ अल्लाह खान
९ पीर सय्यद लाल शाह
१० मलिकुर्रहमान खान
११ सरदार मुहम्मद औरंगजेब खान
१२ नव्वाव जादा मुहम्मद सय्यद खान
१३ नव्वाव मुहम्मद ज़फर खान
१४ लेफ्टिनेण्ट मुहम्मद ज़मान खान
१५ नसरुल्लाह खान
१६ मियाँ जियाउद्दीन

## हिन्दू-सिख नेशनलिस्ट पार्टी

१ रायवहादुर मिहरचन्द खन्ना
२ सरदार अजीतसिंह
३ रायवहादुर लाला चमनलाल
४ रायवहादुर लाला ईशर दास
५ सरदार जगतसिंह
६ राय साहिव लाला कुवरभान
७ राय साहिव परमानन्द
८ रायवहादुर लाला रुचीराम।

## डैमोक्रेटिक पार्टी

१ खान मुहम्मद सरवर खान
२ खान साहिब राजा अब्दुर्रहमान खान
३ मुहम्मद अब्बास खान
४ खान साहिब मुहम्मद अताई खान।

## इंडीपेंडेण्ट पार्टी

१ मलिक खुदाबख्श खान

२. मि० पीर वख्श खान वकील
३ सरदार अब्दुर्रब खान निश्तर।

साराश यह कि ५० सदस्यो के हाउस मे सबसे वडा दल कांग्रेस थी। कांग्रेस की यह आश्चर्यजनक सफलता सरकार की आशाओ के विरुद्ध थी। उसे वडा आश्चर्य हुआ और अपनी इस दु खभरी पराजय का कलङ्क धोने के लिये सीमाप्रान्त के गवर्नर सर जार्ज कनिंघम ने सदस्यो की मीटिंग बुलाये विना सर्वथा अवैधानिक रूप से साहिव जादा अब्दुल कय्यूम ( दिवगत ) को प्रान्त में सबसे पहला वैधानिक मन्त्रिमण्डल वनाने का आदेश दे दिया।

साहिव जादा अब्दुल कय्यूम ( दिवगत ) ने खान वहादुर सादुल्लाह खान और रायवहादुर मिहरचन्द खन्ना के साथ मिल कर सीमाप्रान्त में सबसे पहला मत्रिमण्डल वनाया। स्पीकर दिवगत मलिक खुदा वख्श और डिप्टी स्पीकर मुहम्मद सरवर निर्वाचित हुए।

यद्यपि यह जनता का मन्त्रिमण्डल न था अपितु अर्ध-सरकारी था, परन्तु इसने काले कानून (पब्लिक ट्रेंक्विलिटी एक्ट) को हटाने की घोपणा करके एक ऐसा सराहनीय पग उठाया, जिसे सीमाप्रान्त के लोग कभी भुला नही सकते।

इस कानून के निवारण से एक समय के पश्चात् समस्त प्रान्तीय राजनीतिक दलो से प्रतिवन्ध हट गये और वे पुन सामने आकर काम करने लगे।

साहिव जादा अब्दुल कय्यूम के मन्त्रिमण्डल को ६ महीने भी न होने पाये थे कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के परामर्श से प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने सीमाप्रान्त मे मिला-जुला मत्रिमण्डल वनाने का फैसला किया।

अव वाचा खान पर से सीमाप्रान्त में दाखिल न होने का प्रतिवन्ध उठ चुका था और वे अपने प्रदेश में आ चुके थे।

इस उद्देश्य के लिये केन्द्र की ओर से मौलाना अवुल कलाम आजाद, वाबू राजेन्द्र प्रसाद और भूला भाई देसाई को सीमाप्रान्त भेजा गया, ताकि ये कांग्रेस मत्रिमण्डल वनाने के लिये मार्ग को समतल करें। उन्होंने आते ही विभिन्न दलो से मिलकर उनसे विचार-विनिमय करने के पश्चात् हज़ारा डेमोक्रेटिक इण्डीपेण्डेण्ट और हिन्दू नेशनलिस्ट पार्टी के कुछ सदस्यो का सहयोग प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली।

जव सितम्वर १९३७ ई० में असेम्वली का शीतकालीन अधिवेशन आरम्भ

हुआ, तो डाक्टर खान साहिब ने विरोधी दल के नेता की हैसियत से साहिब जादा अब्दुल क़य्यूम ( दिवगत ) के मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का नोटिस दे दिया । अत मतदान में कांग्रेस को ४६ के हाउस में २७ वोट प्राप्त करके तीन वोटो के बहुमत से सफलता प्राप्त हुई । साहिब जादा के मन्त्रिमण्डल को तोड कर सीमाप्रान्त के गवर्नर से डाक्टर खान साहिब को मन्त्रिमण्डल बनाने का अधिकार दे दिया ।

अस्तु, सीमाप्रान्त में कांग्रेस पार्टी का पहला मन्त्रिमण्डल बना, जिसमें निम्नलिखित मन्त्री सम्मिलित थे—

| | |
|---|---|
| डाक्टर खान साहिब | प्रधान मन्त्री |
| काजी अताउल्लाह खान | शिक्षा मन्त्री |
| ला० भजूराम गाधी | वित्त मन्त्री |
| अब्बास खान | स्वास्थ्य मन्त्री |

इनके अतिरिक्त चार पार्लमिण्ट्री सेक्रेट्री भी लिये गये, जिनमें अरबाब अब्दुल गफ़ूर खान, अमीर मुहम्मद खान, अब्दुल गफ़ूर खान बैरिस्टर और रायबहादुर चमनलाल सम्मिलित थे ।

कांग्रेस मन्त्रिमण्डल बनने के शीघ्र ही पश्चात् अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रधान प० जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहली बार सीमाप्रान्त का दौरा किया । पिशावर में आपका शानदार स्वागत किया गया और उन्होने पिशावर, चार सद्दा तथा अतमान जई में विराट् सभाओ में भाषण किये । पिशावर शाही बाग सदर, इस्लामिया कालेज, मिशन कालेज में भी उन्होने भाषण किये । फिर एबटाबाद, मान सहरा, बगा, हरीपुर, मरदान, रिसालपुर, नौशहरा, कोहाट, बन्नू, डेरा इस्माईल खान का भी भ्रमण किया । जहाँ एक सप्ताह के भीतर उन्होने तीस जलसो में भाग लिया । प्रत्येक स्थान पर उनकी खूब आवभगत हुई और सारे प्रान्त में बडे समारोह व श्रद्धा से उनका स्वागत किया गया ।

दिवगत साहिब जादा अब्दुल कय्यूम जिनकी सारी आयु सरकार की सेवा में व्यतीत हुई थी और सार्वजनिक जीवन के उतार-चढाव से अपरिचित थे, इस पराजय से इतने निराश तथा भग्न-हृदय हुए कि थोडे ही समय बाद बीमार होकर चल बसे ।

कांग्रेस को बडी परीक्षापूर्ण तथा विषम परिस्थितियो में मन्त्रिमण्डल की बागडोर

सम्भालनी पडी। चिरकाल की नौकरशाही व्यवस्था ने सरकार की मशीनरी को इतना पगु या वेकार वना रखा था कि उसका सुधार करना और सार्वजनिक लाइनो पर चलाना जान जोखिम का काम था। इधर मत्रिमण्डल के अधिकार पहले ही से वहुत सीमित थे। इस पर सरकार का समस्त कर्मचारी-वर्ग अग्रेज-भक्ति के भावो मे रगा हुआ होने के कारण कांग्रेस का आदि शत्रु था और इसमे किसी अवस्था मे भी सहयोग करने को तैयार न था। उनकी प्रत्येक क्षण यही कोशिश थी कि किसी-न-किसी भाँति इस मत्रिमण्डल को असफल बनाया जाय।

कांग्रेस मत्रिमण्डल के उच्च पद पर डा० खान साहिब आरूढ थे, जो अपनी योग्यता, शुद्धहृदयता, ईमानदारी और सहिष्णुता के बावुजूद एक अत्यन्त सरल स्वभाव, सादा और गाधी जी के कथनानुसार राजनीतिक हथकण्डो से सर्वथा कोरे सिद्ध हुए थे। परन्तु मत्रिमण्डल काफी दृढ था और ऐसे लोगो पर सगठित था, जो स्वार्थ तथा अवसरवाद से शून्य थे और किसी मूल्य पर भी विरोधियो के हाथो विकने वाले नही थे।

उन्होने यथासम्भव जनता के हितो को सामने रखते हुए पुरानी जनता-विरोधी कार्यप्रणाली को वदलने का प्रयत्न किया। अवैतनिक मैजिस्ट्रेटो, जैलदारो और मुआफीदारो को सर्वथा समाप्त कर दिया, जो घूसखोरी और लूटखसोट के भयानक मोर्चे थे। दिवगत अब्दुल कय्यूम खान भूतपूर्व मुख्य मंत्री सीमाप्रान्त के कथन के अनुसार (जो उनकी पुस्तक "गोल्ड एण्ड गन" में दर्ज है और जो उन्होने मुस्लिम लीग में सम्मिलित होने से कुछ ही समय पहले लिखी थी) ये चोर और लुटेरे लोग शीघ्र ही 'इस्लाम खतरे में है' का नारा लगाते हुए सीमाप्रान्त में मुस्लिम लीग के पहले दस्ते में सम्मिलित हो गये और आज तक उसका मेरुदण्ड वने हुए हैं। इन लुटेरो के दल को हीरो वनने के लिये मुस्लिम लीग मे आने का सुनहरी अवसर मिल गया, जहाँ वे न केवल अपने गिरते हुए गौरव की रक्षा कर सकते थे अपितु प्रगतिशील जातियो के विरुद्ध अपने पुराने शस्त्र भी प्रयोग में ला सकते थे।

साराश यह है कि कांग्रेस मन्त्रिमण्डल ने केवल दो वर्ष तीन महीने की सक्षिप्त आयु मे लोगो में पर्याप्त सर्वप्रियता प्राप्त कर ली। विशेषत डा० खान साहिब तो अपनी सार्वजनिक मैत्री तथा दरिद्रसेवा के कारण आदर्श प्रधान-मन्त्री सिद्ध हुए। वे रात-दिन लोगो की सेवा के लिये तैयार रहते और जैसा

कि जनसाधारण में विख्यात था किसी की मुर्गी चोरी हो जाती, तो उसके साथ वे स्वय मुर्गी की खोज में चल पडते ।

परन्तु मन्त्रिमण्डल वनने से आन्दोलन को हानि भी पहुँची । खुदाई खिदमतगार, जिन्होने लम्वे समय तक इस आन्दोलन में दु ख झेले, कष्ट उठाये और घरवार तक लुटा दिये थे, अव अपने मन्त्रिमण्डल से उनमें से प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ लाभ उठाने की आशा करने लगा । यद्यपि वे इस विषय में किसी सीमा तक सच्चे भी थे फिर भी हजारो लाखो मनुष्यो की उन इच्छाओ को पूरा करना मन्त्रिमण्डल के वस का काम नही था । फलस्वरूप उनमें अप्रसन्नता, निराशा और रोष फैलने लगा ।

इधर डाक्टर खान साहिव की सरलता और शुद्धहृदयता से सीमाप्रान्त के चालाक अंग्रेज गवर्नर ने लाभ उठाते हुए उन्हे समझा-बुझा कर उन्ही के हाथो पुन काले कानून लागू करा दिये । यही नही, प्रत्युत गल्ला ढेर के पीडित किसानो के आन्दोलन को कांग्रेस मन्त्रिमण्डल ने नवाव तूरो की सहायता करते हुए कुचलना आरम्भ किया । उन पर गोली चलवाई गई और समस्त समाजवादी किसान नेताओं को गिरफ्तार करके जेलो में ठूंस दिया गया ।

ये दो भूलें थी, जो कांग्रेस मन्त्रिमण्डल को वदनाम करने के लिये उससे करवाई गई । विशेषत गल्ला ढेर आन्दोलन के सम्वन्ध में तो कांग्रेस मन्त्रिमण्डल ने अत्यन्त खेदजनक पार्ट अदा किया और उन समाजवादी नेताओ पर, जो आरम्भ ही से उनका साथ देते आये थे और जो देश के स्वाधीनता-युद्ध के जानवाज और निर्भीक सिपाही थे, तरह-तरह के अभियोग लगाये और अपने शासन काल में उनसे शत्रुओ जैसा व्यवहार करके कोई अच्छा उदाहरण उपस्थित नही किया । अस्तु, डा० खान साहिव के वक्तव्य से उनकी नीति पर पर्याप्त प्रकाश पडता है—

> "इस आन्दोलन के उत्तरदायी समाजवादी हैं । कांग्रेस मन्त्रिमण्डल की स्थापना से कुछ महीने पहले नव्वाव तूरो ने हलजीवी खेतिहरो (मजारो) के विरुद्ध डिग्रियां प्राप्त कर ली थी । सवसे खेदजनक बात यह है कि किसानो को समाजवादी नेताओ ने फर्जी वचन देकर अवज्ञा आन्दोलन पर तैयार किया । कुछ समाजवादियो ने किसानो को यह भी कहा कि वे दो तीन लाख सत्याग्रही अवज्ञा के

लिये भेजेंगे। सरकार यद्यपि निर्दोष किसानो को गिरफ्तार करने में सकोच करती है, फिर भी वह यह अवैध कार्यवाहियाँ सहन नही कर सकती।"

इस सम्बन्ध मे गल्ला ढेर के पीडित किसानो के निम्नलिखित कुछ पत्र देखिये, जिनसे पता चलता है कि उन पर कैसे-कैसे अनुचित अत्याचार किये गये।

"३१-८-३६ को नवाव की ओर से कुछ गुण्डे हाथो में लाठियाँ लिये हमारे घरो मे घुस आये। हमे मारा-पीटा और हमारा अपमान किया। कोई हमारी सहायता को आता, तो पुलिस उसे रोक देती।" "मस्तूरात"

"आज हजारो की सख्या में नवाव तूरो के आदमी आये और फसलें वरवाद करते रहे। पुलिस उनकी सहायता करती रही थी। दूकानो को लूटा गया, घरो के ताले तोड़े गये और हमारे मर्दो को निर्दयता से पीटा गया।" "मस्तूरात"

तहसील मरदान का जेवर खान नामक एक व्यक्ति लगभग एक दर्जन तहसील के चपडासियो और पुलिस के असख्य सिपाहियो के साथ आया और २१ मकानो पर अधिकार करके वच्चो तथा महिलाओ को उनके मकानो से निकाल दिया।"

नव्वाव तूरो के व्यक्तियो ने खेती को काट कर नष्ट कर दिया। पुलिस ने गल्ला ढेर को घेर रखा है। किसी व्यक्ति को गाँव मे दाखिल होने की आज्ञा नही। अकारण, स्त्रियो और वच्चो को मारा-पीटा जाता है और खेतो को जाते हुए किसानो पर डण्डे वरसाये जाते हैं।"

अव इस घटना के सम्वन्ध में कुछ एक देशीय समाचारपत्रो के अभिमत भी देखिये—

## साप्ताहिक "हिन्द" कलकत्ता

"सीमाप्रान्त मे कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल स्थापित है, परन्तु वहाँ समाजवादी नेताओ पर भूमि सकीर्ण कर दी गई है अर्थात् रहना दूभर

कर दिया गया है। बहुत से समाजवादी नेता गिरफ्तार कर लिये गये और किसानो के आन्दोलन को रोकने का बडी सख्ती मे प्रयत्न किया जा रहा है, जान पडता है डा० खान साहिब अपने प्रान्त को आस्ट्रिया बनाने की चिन्ता में हैं।—(२९ अगस्त, १९३८ ई०)

### "नौजवान सरहद", हरीपुर

"सीमाप्रान्त की कांग्रेस सरकार पुराने काले कानून लागू करने की चिन्ता में है, ताकि सोशलिस्ट किसानो और मजदूरो के नेताओ की सरगर्मियो का अन्त कर सके।"

### "पैगाम," सरहद

"दिनाक २० अगस्त की गिरफ्तारी के समय पुलिस ने निर्दोष महिलाओ पर लाठी चार्ज करके और कुरआन मजीद का अपमान करके अपनी मनोवृत्ति का प्रदर्शन किया।"—(१२ सितम्बर, १९३८ ई०)

### "शान्ति"

"गल्ला ढेर की पुलिस ने कांग्रेस के झण्डे और समाजवादियो के लाल झण्डे का बुरी तरह अपमान किया है, जिससे लोगो में हलचल मच गई है।"

### "मदीना," बिजनौर

"गल्ला ढेर में नवाब तूरो के अत्याचार के विरुद्ध किसानो ने शान्तिमय आन्दोलन जारी कर रखा है। वहां डा० खान साहिब की सरकार ने पुरानी नौकरशाही की याद ताजा करते हुए केवल एक दिन में २४० किसानो को बन्दी बनाया।

बाचा खान को इन दुःखभरी घटनाओ का पता चला, तो वे स्वय गल्ला-ढेर गये और अपनी आखो से पीडित किसानो के घरो का ध्वस देखकर अत्यन्त प्रभावित हुए और वापस आकर डा० खान साहिब का ध्यान आकर्षित किया। फिर डा० खान साहिब ने गल्ला ढेर का दौरा किया और स्थिति का अवलोकन करने के पश्चात् उन्हे स्वीकार करना पडा कि किसानो की मांगें उचित हैं और उन्होने किसानो से सहानुभूति प्रकट करते हुए उनकी सहायता करने का

वचन भी दिया, परन्तु वे कुछ भी न कर सके और पूर्ववत् सरकार की क्रूर मशीनरी का पुर्जा बने रहे।

जैसा कि कहा जा चुका है, डा० खान साहिब की नीयत पर सदेह नही किया जा सकता। वे नेक व्यक्ति हैं, बहुत ही नेक हैं—इस हद तक नेक और सादा हैं, जहाँ पहुँच कर ये गुण अत्यन्त हानिकार सिद्ध होने लगते हैं। उनकी सबसे बडी दुर्बलता यही असीम नेकी और सादगी है। वे बहुत समय तक इगलैण्ड में रहे और अपने अनुभव के आधार पर यह समझ बैठे कि अग्रेज शासक के रूप में कुछ ही क्यो न हो, परन्तु निजी सम्बन्धो मे वह इतना बुरा नही, अपितु अच्छा मित्र सिद्ध होता है। उनके इस अनुभव या प्रत्यक्ष अनुभूति को हम गलत भी नही कह सकते। प्रत्येक जाति में अच्छे और बुरे भी व्यक्ति मिलते हैं और इसी प्रकार अग्रेज जाति मे भी। परन्तु यह उनकी सरलता अथवा साधुता ही का चमत्कार है कि समस्त अग्रेजो को ऐसा समझने लगे और एक राजनीतिक व्यक्ति होते हुए भी इतनी मोटी बात भूल गये कि इगलैण्ड से अपने उपनिवेशो या अधिकृत देशो की शासन-व्यवस्था चलाने के लिये, जिन लोगो को चुनकर भेजा जाता है, उन्हे सबसे पहले यह आदेश मिलते हैं कि—

> इन लोगो की मित्रता पर विश्वास न करना।
> इनसे समानता का व्यवहार न करना।
> इन्हे सिर उठाने का अवसर न देना।
> और अपनी स्वार्थसिद्धि के लिये कोई बुरे से बुरा और ओछे से ओछे उपाय का प्रयोग करने से सकोच न करना।

डा० खान साहिब की बीबी अग्रेज थी। सीमाप्रान्त के गवर्नर सर जार्ज कनिघम की बीबी से उसका मेल-जोल था, जिसके कारण डाक्टर साहिब और कनिघम के सम्बन्ध भी मित्रता का रग ग्रहण कर गये और डाक्टर साहिब ये भूल गये कि वह एक शासक भी है। अपना मित्र समझते हुए इस सीमा तक विश्वसनीय समझने लग गये कि जो वह चाहता बिना किसी कष्ट से डाक्टर साहिब से करा लेता और अंत में मानो उनका यह दृढ विश्वास हो चुका था कि उनके मित्र, प्रिय जन, हितैषी, आत्मीय स्वजन जहाँ तक कि अपना दल भी जो कुछ कहता है, सब गलत है और ठीक बात केवल वही हो सकती है, जो कनिघम कहे। क्योंकि उनके निकट अग्रेज़ कभी झूठ नहीं बोलता था जबकि

इसी उनके हार्दिक मित्र कनिंघम ने स्वय कई वार उनको वचन देकर पूरे न किये और जब सरकार का हित उससे मलग्न न रहा, तो डाक्टर साहिब और उनके परिवार पर असीम अत्याचार किये और इस प्रकार आँखें फेर ली, जैसे कभी कोई परिचय ही न था।

यद्यपि बाचा खान को देश और जाति के हितार्थ कांग्रेस में सम्मिलित होना पडा, परतु मौलिक रूप से वे सदा खुदाई खिदमतगार रहे। उन्हे अपने आदोलन से इश्क था और किसी मूल्य पर उससे अपना हाथ खीचने को तैयार नही थे। इसलिये कि वे पश्तून जाति की भलाई और हित इसी में देखते थे। उन्होने इस आदोलन के पौदे को अपने रक्त से सीचा और अपने जीवन के समस्त सुख-सौख्य इस पर बलिदान कर के इसे परवान चढाया। वे दिन-रात इसी चिन्ता मे रहते कि किस प्रकार आदोलन को सुदृढ और सर्वप्रिय बनाया जाय तथा पश्तून जाति का सुधार किया जाय, इसे जीवित तथा सभ्य जातियो की पाँती में खडा होने के योग्य बनाया जाय।

उन्हें अपने आदोलन से पागलपन की हद तक प्रीति थी, यहाँ तक कि जब उन्होंने अनुभव किया कि कांग्रेस में रुचि देने के कारण उनका आदोलन दुर्बल हो रहा है या इस पर अप्रिय प्रभाव पड रहा है, तो उन्होने काग्रेस से पृथक् हो जाने का फैसला कर लिया। यद्यपि जनसाधारण के बाध्य करने पर वे ऐसा न कर सके। परन्तु जैसाकि उनके निम्नलिखित भाषण से विदित है, उन्होने दो वार प्रयत्न किया कि वे काग्रेस से विलग होकर अपने आप को केवल खुदाई खिदमतगार आदोलन ही में खपा दें।

"तुम्हे मालूम होगा कि हमारे आन्दोलन के दो विभाग हैं—एक कांग्रेस, दूसरा खुदाई खिदमतगार। सो मै केवल कांग्रेस से अलग होकर अपने आपको खुदाई खिदमतगारो के लिये समर्पण करना चाहता हूँ। मुझे आशा है कि मै इस काम मे बहुत सफल हूँगा। मै तुम पर स्पष्ट कर दूं कि तुम यह न समझो कि मेरा तुम से कोई सम्बन्ध नही रहेगा। नही, मै प्रत्येक आपत्ति में तुम्हारा साथी हूँगा। जो सहायता मुझसे चाहो, दूंगा। आज हमारे घरेलू झगडे इतने बढ चुके हैं कि मै कही एक दिन तुम्हारे जलसे में सम्मिलित होता हूँ, तो मेरे मस्तिष्क पर इतना प्रभाव पडता है कि महीने भर ठीक नही होता। मै मानता

हूँ कि आजकल युद्ध छिडने वाला है, जिसके लियें तैयारी की आवश्यकता है, परन्तु यह तो तुम्हे मालूम है कि सत्याग्रह व्यक्तिगत भी हो सकता है और इस पर में आस्था रखता हूँ । सो यदि अवसर आया तो मैं व्यक्तिगत सत्याग्रह करूंगा । परन्तु इसे आवश्यक समझता हूँ कि आज से तुम अपना काम करो और मै अपना । ' '''इसके पश्चात् मेरा एक और विचार है, यदि समय मिला, तो आशा है कि वहुत जल्द उसको कार्यान्वित करना आरम्भ कर दूंगा । वह यह है कि खुदाई खिदमतगारो के प्रशिक्षण के लिये हम एक केन्द्र वनायेंगे और उनका एक नये तरीके से संगठन आरम्भ करेंगे । इस नये प्रवन्ध के तीन विभाग होगे । जीवित रहा, तो मैं फिर कभी विस्तारपूर्वक यह चीज तुम्हारे सामने वयान करूँगा । परन्तु इतना कह दूं कि ठीक अर्थो मे खुदाई खिदमतगार वह नही है कि जिसने हरीपुर में तीन वर्प कैद गुजारी हो या केवल वस्त्र लाल किये हो या इन्किलाव जिन्दावाद का नारा लगाया हो । मैं उसे खुदाई खिदमतगार समझता हूँ, जो खुदाई खिदमतगारो के नियमो पर चले और जो कुछ करे खुदा के लिये करे । इसकी कोई परवाह नही यदि ऐसे लोगो की सख्या दो हो, तीन हो या चार हो—यह भी समझ लो कि नये खुदाई खिदमतगारो के नियम-उपनियम यह नही होगे, जैसे अव देखते हो, न ऐसे रजिस्टर होंगे, प्रत्युत् मैं उनके नाम अपने हृदय के रजिस्टर में लिखूंगा।"

(अब्दुल गफ्फार पखतून २१ अप्रैल १९४० ई०)

आपके इस भाषण के वाद जलसे में एक हलचल मच गई और समस्त नेताओ ने अपने भाषण मे आपसे अपील की कि आप अलग न हो, अन्यथा यह सब काम वन्द हो जायगा । जनसाधारण आपके गिर्द हो गये । यहाँ तक कि आपको उठकर अपना फैसला वापस लेना पडा और घोषणा करनी पडी कि मैं कांग्रेस के साथ भी काम करता रहूँगा ।

"मैं लम्बे समय से अपने आन्दोलन के सम्बन्ध में विचार कर रहा हूँ । मै जेल से रिहा होकर अपने प्रान्त में आया, तो प्रत्येक समय इस वात की चिन्ता रहती और जव कभी मैं एकान्त में होता, तो इसके विना और किसी वात की चिन्ता न होती । मै सोचता हूँ कि किस

प्रकार हमारा आन्दोलन आरम्भ हुआ, फैला, पहले कैसा था, बाद में कसा हुआ और अब कैसा है।

"जब मैं जेल में था, तो अपने आन्दोलन के सम्बन्ध में मैंने कुछ बातें सुनी और मैंने एक पुस्तक लिखी, जो अपने संदेश के रूप मे आपको भी भिजवाई। मेरा अभिप्राय यह था कि आप सब खुदाई खिदमतगार इसे पढें और सोचें कि हमे क्या करना चाहिये। और खुदाई खिदमतगारी क्या चीज है। वह अब स्थिति गुजर गई। फिर तुम्हे मालूम है कि मैं गांव-गांव, तहसील-तहसील, ज़िला-जिला तुम्हारे पास पहुँचा। तुमसे प्रेम की बाते की और खुदाई खिदमतगारी के नियम बताए, परन्तु मैं देखता हूँ कि इतना कुछ करने के पश्चात् भी तुम में कोई परिवर्तन न आया, प्रत्युत् तुम लोग आपस में लड-झगड रहे हो, मेरी चेष्टा थी कि तुम अपना सुधार करते और यथार्थ खिदमतगारी (सेवा) सीखते, परन्तु खेद है कि तुम पर कुछ प्रभाव न हुआ, अपितु अब तुम मुझे भी अपने साथ गन्दगी मे घसीटने का प्रयत्न कर रहे हो। मैं किसी जलसे में सुधारात्मक भाषण करता हूँ, तो स्वार्थी लोग इसकी कहानियां बनाते और मेरी नीयत पर आक्रमण करते हैं।

"मैंने गत वर्ष एबटाबाद में कहा था कि मैं तुम्हारा खिदमतगार हूँ, परन्तु तुम मुझे आज्ञा दो कि मैं एक और रीति से खिदमत (सेवा) करूँ और इसका उपाय यह है कि तुम मुझे अपना काम करने दो और जिरगा (कांग्रेस) का काम तुम मेरे बिना चलाओ। परन्तु तुमने मेरी प्रार्थना स्वीकार न की और मुझे तुम्हारे स्नेह ने बाध्य कर दिया कि तुमसे जुदा न होऊँ। परन्तु मुझे यह आशा अवश्य थी कि तुम उस दिन से अपने सुधार की ओर ध्यान दोगे। परन्तु खेद है कि स्थिति पहले से अधिक खराब हो गई। जब मैं विचार करता हूँ कि वे दिन इससे फिर भी कुछ अच्छे थे, तो मैं कहता हूँ कि इस परिस्थिति में मैं आपके साथ मिलकर आपकी क्या खिदमत कर सकता हू। अत अब बहुत दिनो से मेरा फिर यह विचार है कि पुराने प्रयोग या परीक्षण में मुझे सफलता न हुई, अब नया प्रयोग करके

देखूं। मैंने देख लिया कि तुममें रहूँ, तो तुम अपना सुधार नही कर सकते। इसलिये मैं तुमसे विलग होता हूँ और एक दूसरे तरीके से वाहर रहकर तुम्हारी सेवा करता हूँ। देखो, शायद खुदा इसमें सफलता दे दे। मेरे विलग होने का यह अर्थ नही कि मैं कही वाहर जाऊँगा या काम छोड दूंगा। नही, प्रत्युत मैं यही रहकर काम करूँगा, परन्तु एक और तरीके पर, जिससे तुम्हारी अधिक अच्छी सेवा कर सकूं। यदि तुम मुझे आज्ञा दे दो और तुम्हारा प्रेम मेरे साथ है, तो आशा है कि मैं तुम्हारे लिये इस तरह अधिक अच्छा काम करूँगा।"

**वाचा खान द्वारा कांग्रेस का परित्याग—**

सितम्बर १६३६ ई० में दूसरे महायुद्ध का ज्वालामुखी फूट पडा, जिसने देश की परिस्थिति को अस्त-व्यस्त कर दिया। अखिल भारत राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी ने इस युद्ध में अंग्रेजो के समर्थन का प्रस्ताव पास किया। जिसमे वाचाखान सहमत नही थे, क्योकि वे युद्ध करने वाले लोगो से सहयोग करना कांग्रेस के आधारभूत नियम अहिंसा के प्रतिकूल समझते थे। इसलिये उन्होंने केन्द्र के प्रस्ताव का प्रवल विरोध किया और प्रोटैस्ट के रूप मे कांग्रेस से अपनी खुदाई-खिदमतगार संस्था सहित त्यागपत्र दे दिया। चूंकि इन हालात में अब सरकार से सहयोग करना और कांग्रेस मन्त्रिमण्डल को स्थिर रखना भी ठीक नही था, इसलिये संस्था के निर्णय के अनुसार ६ सितम्बर १६३६ ई० को कांग्रेस मन्त्रिमण्डल ने अपने अन्तिम अधिवेशन में युद्ध के विरुद्ध सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास करने के पश्चात् ७ नवम्बर १६३६ ई० को मन्त्रिमण्डल के त्यागपत्र देने की घोषणा कर दी। इसके पश्चात् हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्तो में भी कांग्रेस मन्त्रिमण्डलो ने क्रमश त्यागपत्र दे दिया।

वाचा खान ने अपने कांग्रेस से त्यागपत्र देने के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया, जो १६४० ई० में "पख्तून" में प्रकाशित हुआ। अनुवाद निम्नलिखित है—

"आपको ज्ञात हो गया होगा कि मैंने कांग्रेस कार्य-कारिणी समिति से दिनाक ८ जुलाई १६३६ ई० को त्यागपत्र दे दिया है, परन्तु आप इस सत्य को न समझे होगे। इसलिये मैं यह आवश्यक समझता हूँ कि आप सबको समझा दूं।

"कांग्रेस कार्य-कारिणी समिति में ८ जुलाई को पांच दिन के

वाद-विवाद के पश्चात् बहुमत द्वारा यह प्रस्ताव पास किया गया, जिसकी व्याख्या कांग्रेस के प्रधान मौलाना अबुल कलाम आजाद और राजगोपालाचार्य ने अपने-अपने वक्तव्यो मे कर दी है, जोकि उन्होने समाचार-पत्र-प्रतिनिधियो को दिये हैं। उन वक्तव्यो से स्पष्टत विदित होता है कि कांग्रेस ने अहिसा के पवित्र मार्ग से हट कर हिंसा के अपवित्र मार्ग पर चलने का इरादा किया है, अर्थात् यदि अग्रेज कांग्रेस की शर्तें स्वीकार करने के लिये तैयार हो जाएँ, तो कांग्रेस ने निर्णय कर लिया है कि वह यूरोप के युद्ध में भाग लेगी और समस्त प्रकार की सहायता देगी। यह मार्ग, जिस पर आजकल कांग्रेस की कार्य-कारिणी ने पग उठाने का इरादा किया है, हमारे खुदाई खिदमतगार आन्दोलन का मार्ग नही है। अपितु हमारे नियमो के सर्वथा विरुद्ध है। हमारा मार्ग सुलह और स्नेह का मार्ग है न कि युद्ध और घृणा का। हमारी ससार की किसी जाति से कोई शत्रुता नही, कोई लडाई नही और न ही किसी से हम शत्रुता और युद्ध चाहते हैं। हम खुदाई-खिदमतगार हैं और खालिक (पैदा करने वाले परमेश्वर) की खिदमत उसकी मखलूक (सृष्टि अथवा जीवो) की खिदमत हमारा काम है। हमारा नियम किसी को कत्ल करना नही, अपितु अपने आपको बलिदान करना है। यही कारण है कि मैंने कांग्रेस कार्यकारिणी समिति से त्यागपत्र दे दिया है। इसलिये कि मैं इस मार्ग में देश और जाति का लाभ नही देखता हूँ और मेरा यह दृढ विश्वास है कि मेरी जाति का लाभ अहिसा के बिना नही हो सकता। मैं देख रहा हूँ कि अहिसा ही से पठानो की हिम्मत और साहस बढे हैं और जो भय तथा कायरता उनके दिलो में आन्दोलन से पहले थी, अब उसके स्थान पर वीरता, दलेरी और शौर्य पैदा हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त जो लाभ इस आन्दोलन ने पठानो को पहुँचाए हैं, वे भी किसी से छिपे नही।

"मैं अपने देश और जाति की भलाई इसी में समझता हूँ और मेरा पूर्ण विश्वास है कि खुदाई खिदमतगारी के बिना पठान जाति का यह ध्वस्त व उजडा हुआ घर आबाद नही हो सकता और न ही मुक्ति तथा सुधार हो सकता है। इसलिये मेरी समस्त खुदाई खिदमतगारो

की सेवा में प्रार्थना है कि वे सच्चे हृदय से इन बातो पर विचार करें। यदि वे इसमे सहमत हो, तो अच्छा, अन्यथा यूँ ही नाम की खुदाई खिदमतगारी छोड दें और सच्चे खुदाई खिदमतगारो को देश व जाति की सेवा का अवसर दें।"

इस वक्तव्य के शीघ्र बाद १० अगस्त १६३६ ई० को सीमाप्रान्तीय काग्रेस कार्यकारिणी समिति का एक विशेष अधिवेशन अलि गुल खान की अध्यक्षता में एबटाबाद में हुआ, जिसमे पर्याप्त वाद-विवाद के बाद निम्नलिखित प्रस्ताव बहुमत से पास हुए—

१ सीमाप्रान्त का कौमी जिरगा (काग्रेस) का यह अधिवेशन अफगान के गौरव-धन खान अब्दुल गफ्फार खान साहिब को सीमाप्रान्त मे सबसे बडा नेता मानता है और उनके नेतृत्व को सीमाप्रान्त के जनसाधारण के लाभ तथा भलाई के लिये बहुत आवश्यक समझता है।

२ सीमाप्रान्त का कौमी जिरगा (काग्रेस) अफगान-गौरव खान अब्दुल गफ्फार खान के काग्रेस से विलग होने के कारण को सर्वथा यथार्थ समझता है और इसे सराहनीय दृष्टि से देखता है।

३ प्रान्त का कौमी जिरगा अफगान-गौरव को विश्वास दिलाता है कि स्वाधीनता-युद्ध मे सीमाप्रान्त के बसने वाले उनके काम के तरीको के अनुसार देश और धर्म के सम्बन्ध में किसी प्रकार के बलिदान से सकोच नही करेंगे।

अगले दिन ११ अगस्त को बडे जिरगे (प्रान्तीय कांग्रेस) का अधिवेशन हुआ, जिसमे कार्यकारिणी समिति के उपर्युक्त स्वीकृत प्रस्ताव पेश किये गये। गुलाम मुहम्मद खान लोद खोड और हाजी फकीरा ने अपने सशोधन प्रस्तुत किये, जिन पर पुनी बहस हुई। अन्त मे हाजी फकीरा खान ने अपना सशोधन वापस ले लिया और गुलाम खान लोद खोड का सशोधन गिर गया। फिर मत-गणना हुई और ये प्रस्ताव बहुमत से स्वीकार कर लिये गये।

इसके पश्चात् प्रान्त के विभिन्न भागो से प्रमुख खुदाई खिदमतगारो के धड़ाधड वक्तव्य समाचार-पत्रो में छपने लगे, जिनमें बाचा खान की नीति का समर्थन होने लगा। उनमें से एक वक्तव्य यहाँ प्रस्तुत किया जाता है।

## हम केवल खुदाई खिदमतगार रहेंगे

हम निम्नलिखित लोग, जो आज तक कांग्रेस (कौमी जिरगे) के सदस्य थे, घोषणा करते हैं कि आज से हम केवल खुदाई खिदमतगार हैं और कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र देते हैं। इसलिये कि हमारे नेता अफगान-मीर ने काग्रेस से इसलिये त्यागपत्र दिया है कि काग्रेस ने अहिंसा का मार्ग छोड कर हिंसा का मार्ग पसन्द कर लिया है और हम खुदाई खिदमतगार अहिंसा के मार्ग को छोडने के लिये तैयार नही हैं। इसलिये हमारे आन्दोलन खुदाई खिदमतगार का आधारभूत सिद्धान्त अहिंसा है और हमारा दृढ विश्वास है कि हमारे देश और जाति का लाभ अहिंसा ही मे है।

महमूद खान प्रान्तीय सदस्य, अब्दुलमलिक खान प्रान्तीय सदस्य, मियाँ जाफर शाह एम० एल० ए० प्रान्तीय सदस्य, अरबाब अब्दुल गफूर खान खलील एम० एल० ए०, राहत खान सखा कोठी प्रान्तीय सदस्य, मौला दाऊद खान वाडा खैरवर प्रान्तीय सदस्य, अमीर मुहम्मद खान एम० एल० ए०, मिहिर दिल खान सदस्य वार्ड कमेटी, मुहम्मद ह्यात गुल सदस्य जिरगा कमेटी, फजल करीम सदस्य वार्ड कमेटी, आजाद खान सदस्य हलका कमेटी, शेर दिल खान सदस्य वार्ड कमेटी, शाद मुहम्मद खान सदस्य वार्ड कमेटी, अमीर जान सदस्य वार्ड कमेटी, फकीर मुहम्मद खान सदस्य वार्ड कमेटी, समीदुल्लाह खान सदस्य वार्ड कमेटी, अब्दुर्रहीम सदस्य वार्ड कमेटी, रौखान शाह सदस्य वार्ड कमेटी।

इन घोषणाओ ने इतना विस्तार ग्रहण किया कि अन्त में बाचा खान को तग आकर घोषणा करनी पडी कि चूकि सस्थागत रूप से काग्रेस के परित्याग का निर्णय हो चुका है, इसलिये व्यक्तिगत त्यागपत्र प्रकाशित करने या मेरे पास भेजने की आवश्यकता नही।

बाचा खान के इस काम ने एक ओर लोगो के दिलो में उनका सम्मान बढा दिया, तो दूसरी ओर विरोधियो को अपनी इस आपत्ति का कि वे काग्रेस के हाथो बिक चुके हैं, क्रियात्मक उत्तर मिल गया और उन्हे बहुत ही लज्जित होना पडा। वास्तव मे बाचा खान के आचरण का यह एक बहुत बडा गुण था कि जिस सस्था के साथ रह कर उन्होंने बलिदान दिये और जिसके कारण से अपनो-बेगानो के उलाहनो व निन्दा का लक्ष्य बने और जिसके सरबराहों—

सरक्षको से उनके अटूट निजी सम्बन्ध थे, वही सस्था जब उनके नियमो के मार्ग में बाधक होने लगी, तो वे शीघ्र उसे छोड कर पृथक् हो गये।

बाचा खान ने सरकार को बताया कि वह धडेबन्दी में बिकने वाला व्यक्ति नही। ठीक अपने सिद्धान्त का सच्चा और हठ का पक्का है, उन्होने काग्रेस पर सिद्ध कर दिया कि वे सीमाप्रान्त के एकमात्र अद्वितीय नेता हैं। और यह सगठन काग्रेस के नाम से हो या खुदाई खिदमतगार के नाम से—जिधर उनका नेता होगा यहा के जनसाधारण उधर ही होंगे।

उन्होने सत्ता-वादियो पर विदित कर दिया कि हम मन्त्रिमण्डलो के भूखे नही, हमने केवल जनता की सेवा के लिये कुर्सिया स्वीकार की और जब हमें पुन सरकार से टक्कर लेनी पडी, तो हम मन्त्रिमण्डलो को ठोकर मार कर मैदान मे कूद पडे।

महात्मा गाधी बाबा खान की इस सिद्धान्त-निष्ठा से बडे प्रभावित हुए और उन्होने अपने पत्र "हरिजन" में लिखा—

> "काग्रेस कार्यकारिणी समिति के बहुधा सदस्य अपने सिद्धान्तो से फिसल गये। परन्तु एक बाचा खान था, जो पर्वत की भाति अपने स्थान पर स्थिर अटल रहा। उसे अपना आप अच्छी तरह ज्ञात था और उसका वक्तव्य, जो उसने कार्यकारिणी समिति से त्यागपत्र देते समय दिया, बहुत से भाइयो की आखे खोल देगा। बादशाह खान कहते हैं—
>
> "कि मेरा और काग्रेस का मार्ग इसलिये अलग हो गया है कि काग्रेस ने हिंसा का मार्ग ग्रहण कर लिया है और हमारे खुदाई खिदमतगारो का मार्ग अहिंसा है। हमारे खुदाई खिदमतगारी के नियम दूसरो के ज़ोर और जुल्म को सहन करना है, न कि दूसरो को कष्ट पहुँचाना। पठानो के सम्बन्ध मे यह प्राय कहा जाता है कि वे तलवारो, बन्दूको और लडाइयो मे पलते हैं, पर यह एक दूसरी प्रकार का पठान है। इसने अपने सारे साथियो, मित्रो और भाइयो से कहा है कि प्रत्येक प्रकार के हथियार फेंक दो और आपस में भाई-भाई बन जाओ। अब नही अब से बीस वर्ष पहले, जबकि रोलट एक्ट बिल बना था। उसे अपनी जाति का अच्छी प्रकार से बोध था और इस बात को भी

समझता था कि पठानो का भाईचारा, घर और खानदान केवल हथियारो के हाथो बरबाद हैं। पठानो का क्रोध और प्रतिशोध पीढियो तक चलता, हजारो लोग प्रतिवर्ष निर्दोष कत्ल होते, इनका दूसरा कोई उपाय न था।

"बाचा खान ने सतोष, परिश्रम और भ्रातृभाव का मार्ग पठानो को दिखाया है, सिवाय इस रास्ते के पठानो के लिये इन अभिशापो से छुटकारे का दूसरा कोई रास्ता न था और जब उन्होने सतोष-सहिष्णुता का युद्ध आरभ किया, तो सारे ससार पर सिद्ध कर दिया कि सब्र का युद्ध कायरो का नही, अपितु बहादुरो का युद्ध है—इन सब बातो को यदि हम देखें, तो ज्ञात होगा कि बाचा खान के लिये सिवाय त्यागपत्र देने के कोई दूसरा मार्ग नही था। इसलिये कि उसने सब्र (सतोष), परिश्रम और भ्रातृभाव की शिक्षा दी है, तो अब वह उन्हे किस प्रकार यह कहे कि आप हथियार लेकर युद्ध के लिये तैयार हो जाएँ। वह अपने भाइयो को यह रास्ता कैसे बता सकता है कि वे फौज मे भरती होकर तलवारें और बन्दूकें उठाएँ। इस बात को तो प्रत्येक पठान बच्चा भी समझता है कि जिस प्रकार उनका अपना घर हिंसा और शत्रुता के कारण बरबाद है, बिल्कुल उसी तरह यूरोप का हाल भी है। वह पुरानी शत्रुता के क्रोध एक-दूसरे पर उतार रहे हैं।

"यह मैं नही कह सकता हूँ कि बाचा खान के उसकी इस सब्र की जग में कितने साथी हैं, परन्तु मैं उसके सम्बन्ध में पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यह बाचा खान की पालिसी नही, अपितु विश्वास तथा सिद्धान्त है कि उसकी गरीब और असहाय जाति का लाभ प्रेम, भाई-बन्दी, और सब्र ही में है। उसका यदि कोई साथ दे या न दे, वह इस बात की परवा नही करता। इसलिये कि वह एक खुदा का बन्दा है और उसका विश्वास है कि ईमानदार और सच्चे लोग सदा सफल होते हैं। मेरे साथ बाचा खान ने एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत किया है। इस अवधि में उसने कोई नमाज कज़ा नही की अर्थात् छोडी नही और न कभी एक रोज़ा तक खाया है। परन्तु

इसका यह मतलब नही है कि वह दूसरे धर्मो को घृणा की दृष्टि से देखता है। नही, प्रत्युत उसने गीता भी पढी है। वह एक मार्ग का व्यक्ति है, अधिक बातचीत और वाद-विवाद से तग होता है। यदि वह अपने उद्देश्य मे सफल हो गया, तो यह सचाई, ईमानदारी, प्रेम और सन्तोष की जीत होगी।"

वाचा खान और क़बीले—

सीमाप्रान्त के स्वाधीन कबीलो को सगठित करके उन्हे शिक्षा-दीक्षा से सम्पन्न करने और सभ्यता-सस्कृति का बोध कराने की बाचा खान को आरम्भ ही से चिन्ता थी, अत उन्होने आरम्भ मे अपने गाँव अतमान जई मे जो एक स्वाधीन विद्यालय स्थापित किया, उसमे बहुत से कबाइली बच्चे भी शिक्षा प्राप्त करने के लिये आकर भरती हुए और इसके पश्चात् भी उन्होने कबीलो से सम्पर्क रखने का प्रयत्न जारी रखा। परन्तु अग्रेज शासक यह बात नही चाहते थे और बाचा खान की इन सरगर्मियो को सन्देह व आशका की दृष्टि से देखते हुए उनके मार्ग मे भाँति-भाँति की बाधाएँ उत्पन्न करते रहे।

इस भयानक सचाई से बहुत कम लोग परिचित होगे कि अँग्रेज भेडियो ने स्वाधीन कबीलो के इलाके को अपने रगरूट फौजियो के लिये एक प्रशिक्षण केन्द (ट्रेनिग सेण्टर) और एक विशाल शिकारगाह बना रखा था, जहाँ निशाना बाजी, लक्ष्य-भेदन के परीक्षण और चाँदमारी के अभ्यास के लिये उन्हे भेज दिया जाता तथा समय-समय पर हवाई जहाजो की बमबारी के परीक्षण भी किये जाते थे।

बाचा खान ने स्वाधीन कबीलो के सम्बन्ध में यूं विचार प्रकट किये हैं—

"बहुत से लोगो का खयाल है कि हमारे निकट स्वाधीन कबीले आबाद हैं और यदि देश में कोई गडबड हुई, तो वे आक्रमण करके हमें हानि पहुँचाएँगे, परन्तु मैं कहता हूँ कि यह बात सत्य नहीं। स्वाधीन कबीले के लोग हमारे भाई हैं। उनकी हमसे कोई शत्रुता नही, अपितु उन्हे अत्यन्त चालाकी से हम से जुदा किया गया है और हमें यह अवसर नही दिया गया कि उन्हे समझा सकें कि हम तुम भाई-भाई हैं, गैर नही। नि.सन्देह उनके कुछ काम अच्छे नहीं, परन्तु अच्छे और बुरे लोग तो प्रत्येक जाति में होते हैं और यदि यह बात ठीक

भी है, तो ससार की कौनसी ऐसी कठिनाई है, जिसका हल न हो। कौन-सा रोग है, जिसका इलाज नही। हम इस बात का हल सोच सकते हैं, शर्त यह है कि नेकनीयती के साथ इसके लिये हमें अवसर दिया जाए।"

परन्तु अंग्रेज सरकार ने विभिन्न अवसरो पर विभिन्न बहाने बना कर उन पर अत्याचार का अभ्यास जारी रक्खा। कभी उन पर सरकारी सीमा में लूट-मार के अभियोग लगाये गये, कभी कबाइली इलाको में सडकें बनाने का कार्य आरम्भ किया गया। साराश किसी-न-किसी तरह यह क्रम अग्रेजी शासनकाल में सदा जारी रहा।

१६३६ ई० के अन्त में जब ब्रिटिश साम्राज्य ने वजीरस्तान के निर्दोष मनुष्यो पर विमानों द्वारा भीषण बम-वर्षा की और तोपो, मशीनगनो तथा बन्दूको के द्वारा उन गरीबो पर आग का मेह बरसाया, तो इस अत्याचार और हिंसा के विरुद्ध पिशावर के राजनीतिक क्षेत्रो में बडी हलचल पैदा हो गई।

यहाँ के राजनीतिक नेताओ ने सरकार को इस पाशविक अत्याचार से रोकने का प्रयत्न किया और जनता को सरकार की इस निर्दयता से परिचित करने के लिये जलसे किये। मौलाना अब्दुर्रहीम पोपलजई (दिवगत) को बन्नू के एक जलसे में भाषण करने के अपराध में गिरफ्तार करके पांच वर्ष कडे कारावास का दण्ड दिया गया।

अंग्रेजो की इस अमानुषिक गोलाबारी की प्रतिक्रिया यह हुई कि स्वाधीन कबीलो के लोग भडक कर प्रतिशोध पर उतर आये और अवसर पाकर अंग्रेजी इलाके में डाके डालने आरम्भ किये। लूट-मार की घटनाएँ प्रायः होने लगी और लोगों में अशान्ति और परेशानी फैल गई।

अंग्रेज इस चीज की आड लेकर सीमाप्रान्त के इलाके पर अकुश चलाने लगे और राजनीतिक आन्दोलनो को हानि पहुँचने लगी। बाचा खान को इससे बडी चिन्ता हुई और उन्होने आपस में परामर्श करके एक राजनीतिक नेताओ का शिष्टमण्डल स्वाधीन कबीलो में भेजना चाहा, जो वहाँ जाकर उनसे मैत्री-पूर्ण वार्तालाप करे और उक्त घटनाओ के क्रम को किसी-न-किसी प्रकार बन्द कराये। परन्तु सरकार ने उन्हें यह शिष्टमण्डल वहाँ भेजने की आज्ञा न दी। इस घटना को बाचा खान स्वय इस प्रकार बयान करते हैं—

"सीमाप्रान्त के डाकुओ के सम्वन्ध मे हमारी सस्था ने वर्त्तमान गवर्नर के पास सन्देश भेजा कि हम ये घटनाएँ सहन नही कर सकते। हम आपके साथ इस काम मे सहयोग करने को तैयार हैं। आप मुझे आज्ञा दें कि मै अपने उत्तरदायित्व पर कवीलो में जाऊँ और जिस व्यक्ति पर आपको पूरा विश्वास हो उसे मेरे साथ भेजें। मैंने गवर्नर को यह भी विश्वास दिलाया कि मै कवीलो मे सरकार के विरुद्ध कोई वुरा प्रचार नही करूँगा। दूसरा सुझाव यह था कि गवर्नर की अध्यक्षता में वजीरस्तान के सरदारो का एक जलसा वुलाया जाय और इस समस्या पर विचार किया जाय। परन्तु गवर्नर ने ये दोनो सुझाव रद्द कर दिये।"

इसके पश्चात् वाचा खान ने समस्त परिस्थिति अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को लिख कर भेज दी। अत वहाँ काफी वाद-विवाद के पश्चात् निर्णय हुआ कि वे अपने दो नेताओ को वजीरस्तान भेजें, जो वहाँ के सरदारो से मिल कर समस्या को सुलझाएँ, परन्तु इस सुझाव को भी सरकार ने स्वीकार करने से इन्कार कर दिया और एक समय तक डाके निरन्तर पडते रहे, तथा अग्रेज प्रचार करते रहे कि सीमान्त के लोग हिन्दुओ को लूट रहे हैं और उन पर डाके डाल रहे हैं। जवकि कवीलो के उस प्रतिशोध का शिकार हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी को होना पडा। परन्तु हिन्दुओ के लुटने को अधिक महत्त्व दिया गया और पक्षपाती धर्मान्ध समाचार-पत्रो के द्वारा हवा दे कर घृणा फैलाई गई।

देश स्वाधीन होने के पश्चात् गत दस वर्षो में इस प्रकार का कोई उदाहरण नही मिलता कि कवीलो ने किसी पाकिस्तानी इलाके पर डाका आदि डाला हो। इससे सिद्ध होता है कि कवाइलियों का यह कार्य केवल अंग्रेज दुश्मनी के कारण से था और अंग्रेज शासको की गलत आक्रमणात्मक नीति का अनिवार्य परिणाम था।

# ख़ुदाई ख़िदमतगार आंदोलन
# का
# दूसरा युग

# खुदाई खिदमतगार आंदोलन का दूसरा युग

## बाचा खान का कॉंग्रेस में पुनः प्रवेश

वाचा खान ने सैद्धान्तिक मतभेद के कारण कांग्रेस से त्यागपत्र देते समय कहा था कि अन्त मे सचाई की विजय होगी । इधर गाधीजी ने भी वाचा खान के विचार का समर्थन करते हुए कहा था, यदि वाचा खान सफल हो गये, तो यह सचाई, ईमानदारी, सब्र (सतोप) और प्रेम की विजय होगी ।

आखिर वही हुआ । अधिक दिन नही गुजरे थे कि अखिल भारतीय कांग्रेस को अपनी भूल का अनुभव हुआ । उन्होंने महायुद्ध में अंग्रेजो से सहयोग करने का प्रस्ताव वापस लेते हुए अपने निर्णय पर खेद प्रकट किया और भविष्य मे अहिंसा के सिद्धान्त पर दृढप्रतिज्ञ रहते हुए सरकार से असहयोग का निर्णय किया ।

वाचा खान की यह आश्चर्यजनक सफलता थी और उनके विवेक, वुद्धि और दूरदर्शिता का ऐसा दुर्लभ उदाहरण था, जिसे स्वीकार करते हुए हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े पराक्रमी नेताओ को वाचा खान के सामने झुकना पडा अतः इस अवसर पर वाचा खान ने खुदाई खिदमतगारो और अपने साथियो के प्रति भाषण करते हुए कहा—

> "आपको ज्ञात होगा कि ७ जुलाई को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने दिल्ली में और जुलाई को आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी ने पूना में एक प्रस्ताव पास किया था, जिसमें अहिंसा के स्थान पर हिंसा का मार्ग ग्रहण किया गया था । चूंकि मेरा सिद्धान्त और मार्ग अहिंसा है इसलिये हमारे खुदाई खिदमतगारो और कांग्रेस के रास्तो में पार्थक्य आ गया और मैंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था । अव जवकि १५ दिसम्बर को वम्बई में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति और आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी ने फिर अहिंसा का मार्ग ग्रहण कर लिया है और दिल्ली के प्रस्ताव पर खेद प्रकट कर दिया है, तो इस कारण से खुदाई खिद-

मतगारो और कांग्रेस का मार्ग फिर एक ही हो गया है।

"कांग्रेस कमेटियो का उदाहरण स्कूल का है और खुदाई खिदमतगारो का उदाहरण एक सेना का है। यद्यपि दोनो संस्थाओ के उद्देश्यो में कोई अन्तर नही, परन्तु जैसा कि आप को मालूम है कि स्कूल के लिये अलग लोग होते हैं और सेना के लिये अलग, अर्थात् स्कूल का अलग प्रबन्ध होता है और सेना का अलग, इसी तरह से हमारे भाई, जो जिरगो (कांग्रेस कमेटियो) के सदस्य हैं वे केवल कमेटियो ही के काम करेंगे और जो खुदाई खिदमतगार हैं, वे खुदाई खिदमतगार ही रहेंगे। एक व्यक्ति दोनो काम नही कर सकता। परन्तु जो व्यक्ति जिरगे से खुदाई खिदमतगारी की ओर आना चाहे, तो वह व्यक्ति पहले जिरगे से त्यागपत्र देगा और यदि जिरगा का सदस्य बनना चाहे, तो वह खुदाई खिदमतगारी से त्यागपत्र देगा। परन्तु यह बात याद रखनी आवश्यक है, कि किसी भी अवस्था में एक जिरगा का सदस्य खुदाई खिदमतगार नही बन सकता और न ही एक खिदमतगार कांग्रेस (जिरगा) का सदस्य बन सकता है और न ही एक-दूसरो के मामलो मे हस्तक्षेप करेगा और न ही वोट दे सकेगा। जिरगे अपने फार्म 'क' के नियमो और विधान के अनुसार काम करेंगे और खुदाई खिदमतगार अपने कानून तथा नियमो के अधीन रहेंगे। मेरा सम्बन्ध दोनो के साथ होगा, परन्तु मै खुदाई खिदमतगार ही रहूँगा और मेरा सारा समय खुदाई खिदमतगारो की सेवा और सुधार के लिये खर्च होगा। इसलिये मै चाहता हूँ कि खुदाई खिदमतगारी शुद्ध-पवित्र हो और नाम के स्थान पर काम और कर्मपरायणता की खुदाई खिदमतगारी पैदा हो। इसलिये कि मेरा यह विश्वास है कि पठानो का यह बरबाद और उजाड घर केवल सच्ची खुदाई खिदमतगारी के प्रसाद ही से आबाद हो सकता है।"

(अब्दुल गफ्फार, पख्तून, पहली अक्तूबर १९४० ई०)

खुदाई खिदमतगार आन्दोलन का पहला युग (दौर) था, जब १९३० ई० में अतमान जई के विराट् सम्मेलन में इसकी नीव डाली गई थी, परन्तु इस आन्दोलन का भाग्य ही कुछ ऐसा था कि सिर उठाते ही अत्याचार के पर्वत टूट

पढे और १६३० ई० से १६४० ई० तक इस पूरे दस वर्ष की आयु मे एक दिन के लिये भी इसे आराम और शान्ति प्राप्त न हो सकी। शत्रुओ ने चाहा कि इसे पैदा होते ही कुचल कर रख दिया जाए, ताकि नन्हे से निरीह पौदे को विकास पाने और फूलने-फलने का अवसर ही न मिलने पाय और अपने इस इरादे को कार्यान्वित करते हुए उन्होने जुल्म, हिंसा और भीषण अत्याचार से काम लेने मे कोई कसर उठा न रखी। इन दस वर्षो मे लगभग छ वर्ष तो यह आन्दोलन सीमाप्रान्त में अवैध रहा। इसके अनुयायियो पर वे जुल्म तोडे गये कि भगवान रक्षा करे—

तसद्दुक अहमद खान शेरवानी ( दिवगत ) ने केन्द्रीय असेम्बली में खुदाई खिदमतगार आन्दोलन से प्रतिबन्ध हटाने के लिये एक प्रस्ताव का समर्थन करते हुए १६३५ ई० में अपने भाषण मे कहा—

> "ब्रिटिश सरकार ने खुदाई खिदमतगारो पर ऐसे लज्जास्पद अत्याचार किये हैं कि असभ्यता के युग में भी इसका उदाहरण नही मिलता। उन्होने केवल इसी पर सतोष नही किया, प्रत्युत् गाँव को घेर लिया और जाकर उस मकान पर अधिकार कर लिया, जहाँ खुदाई खिदमतगारो का कार्यालय था। न केवल घर पर अधिकार किया, अपितु मुझे अत्यन्त दु ख के साथ मान्यवर फॉरेन सेक्रेटरी के सामने इस बात को व्यक्त करना पडता है कि उन अत्याचारियो ने खुदाई खिदमतगारो को छत से नीचे फेंक दिया। उनमें से बहुतो की टाँगें, भुजाएँ और सिर टूट गये। न केवल यह, अपितु कार्यालय जला कर राख कर दिया गया और इनके बावुजूद सरकार कहती है कि खुदाई खिदमतगार हिंसा के समर्थक थे, इसलिये उन्हे अवश्य दण्ड मिलना चाहिये।"

इस पर फॉरेन सेक्रेटरी मि० एच० ए० एफ० मटकाफ् उठे और उन्होंने कहा—

> "मैं स्वीकार करता हूँ कि वहाँ सरकार की ओर से कुछ खेद-जनक हिंसा की घटनाऐं हुई हैं। मैं सर्वथा स्वीकार करता हूँ। मैं इसके लिये बहुत अधिक अफसोस करता हूँ। मैं शीघ्र ही घटनास्थल पर जाकर इन कार्यवाहियो को सर्वथा रोक दूंगा।"

इसके पश्चात् मि० शेरवानी ने फिर कहना आरम्भ किया—

"जून के महीने में पुलिस ने गाँव को घेर लिया। लोगो को बाहर निकाला और उन्हे जलती हुई धूप में खडा कर दिया गया। न केवल यह, अपितु भारी पत्थर उनकी गर्दनो में बाँध कर उन्हे पहाडो की चोटियो पर चढने के लिये विवश किया गया।" मि० शेरवानी ने यह भी कहा, "और यह वर्ताव उन लोगो से किया गया, जिनके सम्बन्ध में दिवगत मौलाना शौकत ने कहा था, 'समस्त देश के लोगो से अच्छे सीमाप्रान्त के लोग हैं, ये बलशाली, स्वस्थ, सुन्दर और वहादुर हैं'।"

(रिपोर्ट केन्द्रीय असेम्बली १९३२ ई० पहला भाग)

परन्तु इस आन्दोलन का यह छोटा-सा पौदा बडा सुदृढ निकला। वह अपने ही रक्त से फूलता-फलता रहा और देखते-ही-देखते एक विशाल वृक्ष बन गया, जिसकी शाखाएँ सारे प्रान्त में फैल गई और उसे विनष्ट करने वालो के सारे इरादे मिट्टी में मिल कर रह गये।

यह नन्हा पौदा, जो आग के समुद्र में पल कर जवान हुआ। यह टिमटिमाता प्रदीप, जो तूफान और झक्कडो में जलने का स्वभावी बना। यह निराश्रय नाव, जो भीषण लहरो के रेलो और निष्ठुर तूफानो के थपेडो में निरन्तर चलती रही।

अब कालचक्र के शीतोष्ण ने इसे इतना दृढ-कठोर बना दिया था कि घटनाओ का सामना इसके लिए बच्चो का खेल था और विरोधी प्रतिकूल वायु के भीषण झोंके इस आमोद-प्रमोद की सामग्री बन चुके थे।

परन्तु क्रूर बलशाली शत्रु अपने आज़माए हुए वाजुओ को एक वार फिर आज़माने का तहय्या कर चुका था और अब वह पहले से कही अधिक शक्ति के साथ आक्रमण करने का सकल्प रखता था।

इधर खुदाई खिदमतगार आन्दोलन का बूढा महारथी वाचा खान भी कच्ची गोलियाँ नही खेला था। उसका अनुभवी मस्तिष्क और दूरदर्शी दृष्टि झट शत्रु की नीयत को भाँप गई और उसने इस वार अपने बचाव के लिये नये-नये मोर्चे बनाने आरम्भ कर दिये। अपनी सस्था को नये ढग से सगठित किया और नये मोर्चे पर लडने के लिये सर्वथा नये ढग से स्वयसेवको की व्यूह-रचना आरम्भ कर दी।

वाचा खान ने आन्दोलन को अधिक प्रभावशाली, अधिक दृढ, अधिक संगठित बनाने के लिये अब अपने गाँव अतमान जई के निकट 'सरदरयाव' के नाम से अपना एक केन्द्र बनाया, जहाँ स्वयसेवको को शिक्षा देने के लिये नये ढग से काम आरम्भ किया। उनके विभिन्न दल बनाये और इतने जोर-शोर से काम आरम्भ किया कि इस बढते हुए संगठन और जागरण से सरकार का सिंहासन काँप उठा और अंग्रेजो को अपना भविष्य खतरे में दिखाई देने लगा।

मतभेद समाप्त होने के पश्चात् बाचा खान पुन कांग्रेस में शामिल हो गये। अब कांग्रेस सरकार से असहयोग का निर्णय कर चुकी थी और टकराव की सम्भावनाएँ स्पष्ट दिखाई दे रही थी, जिसके लिए बाचा खान ने अभी से तैयारियाँ आरम्भ कर दी। अब वह एक नये सगठन और नये अन्दाज़ से मैदान में आना चाहते थे। पुरानी कार्यशैली में उन्हें जो दुर्बलताएँ और त्रुटियाँ दिखाई दी, नये अनुभव में उनसे जान बचाना और अपनी शक्ति बढाना उनका उद्देश्य था। इसलिये उन्होंने एक नया कार्यक्रम बनाया और उसे कार्यान्वित करने के लिये अनथक प्रयत्न आरम्भ कर दिया। इस सम्बन्ध में पहला भाषण, जो आपने खुदाई खिदमतगारो के विराट् सम्मेलन में किया, उससे आपके इरादो पर यथोचित प्रकाश पडता है।

> "भाइयो! आप लोगो को "पख्तून" पत्रिका के पढने और सार्वजनिक जलसो में मेरे भाषण से यह पता चला होगा कि मैंने नये परीक्षण का संकल्प किया है। इस सम्बन्ध में मेरे मन में कुछ नये विचार उद्भूत हुए हैं और मुझे यह मालूम हुआ है कि हम अपने पुराने मार्ग से अपने लक्ष्य-स्थान तक नही पहुँच सकते, परन्तु इस बात को समझो कि मेरा यह नया परीक्षण कोई नई बात नहीं, प्रत्युत् वास्तव मे वही खुदाई खिदमतगार आन्दोलन है, जो हमने १९३० ई० में आरम्भ किया था।
>
> "आप लोगो को मालूम होना चाहिये कि मेरी मित्रता में दुःख और कष्टो के सिवा कुछ नही। मै जिस मार्ग का यात्री हूँ, वह काँटो से अटा पडा है। मेरी मित्रता केवल वही लोग कर सकते हैं, जो अपने देश और जाति के लिये अपने प्राणो को मिट्टी में मिलाने को तैयार हो। इस राह में अध्यक्षताएँ नही, जरनैलियाँ नही, डिस्ट्रिक्ट

वोर्ड और असेम्बली की मैम्बरियां भी नही और न ही इसमें मन्त्रिमण्डल हैं, प्रत्युत बलिदान, केवल बलिदान है। विपत्तियो और कष्टो को सहन करना है। देना है, लेना कदापि नही। और उस समय तक जब तक कि यह अभागा देश पूर्णरूपेण स्वाधीन न हो जाए और शासन के समस्त तथा प्रत्येक प्रकार के अधिकार हमारे हाथो मे न आ जाएँ। इसलिये मेरी दोस्ती करने में आप उतावली से काम न लें अपितु अच्छी तरह सोच समझ लें। एक व्यक्ति के लिये यही आवश्यक नही कि वह फार्म को भर कर लाल कपडे शरीर पर धारण कर ले। केवल फार्म भरने और कपडे लाल करने से कोई मेरा मित्र नही बन सकता। मैने प्राय लोगो को यह कहावत सुनाई है कि साँप का काटा रस्सी से भी डरता है। इस लिये कम-से-कम आप लोगो को यह बात अवश्य समझाना चाहता हूँ कि मै इस बात को सहन नही कर सकता कि जिस वृक्ष ने पठान के रक्त से विकास प्राप्त किया है और जिस के लिये जाति के पुरुषो और महिलाओ ने भाँति-भाँति के बलिदान किये हो, प्राणो की आहुतियाँ दी हुई हो, तन, मन, धन न्योछावर किये हो, आज उसे मेरी आँखो के सामने कुल्हाडी से काटा जाय और लोग उसे बरबाद करें, तथा उसकी जडो को खोदें। इसलिये मै इस बार बहुत सोच-विचार से काम करना चाहता हूँ, क्योकि मै साँप का डसा हुआ हूँ और रस्सी से भी भय खाता हूँ। जो व्यक्ति पार्टी-बाजी नही छोड सकता और आपस की शत्रुता, द्वेष व कलह नही छोडता, जुल्म और अत्याचार से हाथ नही खीच सकता और हिंसा तथा अत्याचार सहन करने की शक्ति नही रखता, अच्छे आचरण, नेक आदतें और ईमानदारी पैदा नही कर सकता, मै उससे साफ-साफ कहूँगा कि केवल मुख से कहने से तो मैं किसी को अपना मित्र बनाने के लिये तैयार नही।

"जो व्यक्ति मेरी मित्रता का इच्छुक है वह पहले मेरे पास आये और मुझ से विचार-विनिमय करे और खुदाई खिदमतगारी के लिये तैयार हो और उन शर्तो का पालन कर सकता हो, जिन पर दृढप्रतिज्ञ रहने वाले को मै सच्चा खुदाई खिदमतगार मानता हूँ, तो

वह मेरी मित्रता के लिये तैयार हो जाए और कार्य आरम्भ कर दे। परन्तु फिर भी मैं उसे अपनी मित्रता में उस समय तक न लूंगा, जब तक मैं उसके भाई, प्रियजनो, सम्बन्धियो और पडोसियो से पूछ न लूंगा कि उसके हाथो किसी को कष्ट तो नही पहुँचा और मनुष्य मात्र की सेवा किसी स्वार्थ के लिये तो नही करता तथा खुदाई खिदमतगारी के समस्त नियमो का पालन करता है या नही। इसके पश्चात् मैं उसे अपना मित्र बनाऊँगा।

"आप लोग कुछ सोच-विचार करें कि हम ख़ुदाई ख़िदमतगार हैं या वे लोग, जो प्रत्येक स्थान पर हमारी सेवा करते हैं। जहाँ हम जाते हैं वे हमारे लिये चारपाइया लाते हैं, खाने को रोटी और चाय देते हैं, वुजू[1] के लिये पानी प्रस्तुत करते हैं। साराश, हमारी जो भी आवश्यकताएँ होती हैं, उन सब को वे लोग पूरा करते हैं और इसमें हर्ष और आनन्द अनुभव करते हैं। ऐसी अवस्था मे अपने भीतर दृष्टि डालकर देखना चाहिये कि ख़ुदाई खिदमतगार हम हैं या वे लोग। मैं आप से साफ-साफ कहता हूँ कि मै अपनी इस नई मित्रता में उस व्यक्ति को लूंगा, जो ख़ुदा के पैदा किये हुए बन्दो, प्राणियो का खिदमतगार (सेवक) हो और अपनी सेवा दूसरो से न कराता हो।

"मैंने इरादा किया है कि ख़ुदाई खिदमतगारो के प्रशिक्षण के लिये एक केन्द्र तैयार करूँ जिसमें मैं स्वय भी रहूँगा और मेरे नए ख़ुदाई ख़िदमतगार भी दर्जा-ब-दर्जा वहाँ निवास ग्रहण करेंगे।

"पहला दर्जा उन ख़ुदाई ख़िदमतगारो का होगा, जो मेरे साथ इस केन्द्र मे रहेंगे और जिन्होने अपना सारा समय इस काम के लिये उत्सर्ग किया होगा। उस केन्द्र में ऐसा प्रबन्ध किया जायगा कि हम अपनी आवश्यकता की चीजो को मिहनत और परिश्रम करके स्वयं पैदा कर लिया करें, क्योकि ख़ुदाई ख़िदमतगार के लिये बेकार रहना उचित नही और सच्चा ख़िदमतगार वह है, जो मर्द की भांति संसार में

---

१. नमाज़ पढ़ने से पहले अपने आपको पवित्र करने के लिये हाथ-पांव आदि धोने की क्रिया।

काम करे और अपने हाथो के श्रम से अपने आप का पालन-पोषण करे और दूसरो के आश्रित न हो।

"दूसरे दर्जे (श्रेणी) में ऐसे खुदाई ख़िदमतगार होंगे, जो कुछ समय उस केन्द्र में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और उसके पश्चात् वाहर दौरो पर जायेंगे तथा खुदाई ख़िदमतगारी का प्रचार करेंगे। ये लोग अपना निर्वाह भी स्वय करेंगे। तीसरे दर्जे मे उन लोगो को लिया जायगा, जो खुदाई खिदमतगारी के नियमो से अपने आपको परिचित करें और उसके पश्चात् अपना कारोवार करें। ये लोग प्रचार और प्रकाशन का काम अधिकतर नही करेंगे, परन्तु खुदाई खिदमतगारी के नियमो पर दृढप्रतिज्ञ रहेगे तथा ऐसा कोई काम नही करेंगे, जो इन नियमो के विरुद्ध हो।

"भाइयो ! ससार मे किसी जाति को जगाना कोई कठिन काम नही है, परन्तु जाति का वनाना बहुत कठिन काम है और यह विना अच्छे प्रशिक्षण के नहीं हो सकता। जागरण तो थोडे ही समय में पठानो में इस हद तक पैदा हो गया है कि भारत की किसी जाति में नही, परन्तु इस जागरण से लाभ उठाना अच्छे प्रशिक्षण पर आधारित है। समय आ गया है कि हम जाति के प्रशिक्षण का काम अपने हाथो में लें और ऐसी शिक्षा दें, जिसकी उसे आवश्यकता है। मैं यह वात फिर कहता हूँ कि किसी खुदाई दिखमतगार को वेकार नही रहना चाहिये और ऐसे व्यक्ति को खुदाई खिदमतगार कहना ठीक नही, जो अपने हाथ से कोई काम या उद्योग-धन्धा नही करता। विशेषत मेरे साथी और नये खिदमतगारो को तो इस वात की दृढ प्रतिज्ञा करनी चाहिये कि वे अपने समस्त कार्य अपने हाथो से करेंगे और महीने में एक दिन ऐसा काम करेंगे, जिसका लाभ जाति को पहुँचे, अर्थात् खुदा के लिये या अपनी जाति के हित के लिये काम करेंगे। यदि इस प्रकार के लोग प्रत्येक गाँव में एक या दो भी पैदा हो जायें, जो यथार्थ रूप में खुदाई खिदमतगार हो और खुदा की मख्लूक (परमात्मा के जीवो) के साथ प्रीति रखते हो और बिना किसी लोभ-लालच के प्रत्येक मनुष्य के दु ख-दर्द और हर्ष-शोक में सम्मिलित

होते हो, तो मुझे विश्वास है कि उन लोगो के नमूने अथवा उदाहरण को देखकर गाँव के दूसरे लोग भी उसी रग में रग जायँगे तथा बहुत से लोग उनका अनुकरण आरम्भ कर देंगे। इस प्रकार सारी जाति में प्रेमसूत्र दृढ हो जायगा और वह सगठन अपने आप हो जायगा, जिसकी मैं कामना करता हूँ, आकाक्षा रखता हूँ और समय से मैं जिस युग का स्वप्न देख रहा हूँ, वह सचमुच आ जायगा। वर्तमान अवस्था में हमारा रग लोगो पर इसलिये नही चढता कि हम स्वय बेरग हैं।"

(अब्दुल गफ्फार, पख्तून, जून १९४० ई०)

**सर दरयाव में जातीय केन्द्र का उद्घाटन—**

चिरकाल के प्रयत्नो के पश्चात् अन्त में २३ जुलाई १९४० ई० को बाचा खान ने अपने गाँव अतमान जई के निकट सर दरयाव गाँव में खुदाई खिदमतगारों के लिये जातीय केन्द्र का स्थान चुन लिया और छप्पर के लिये कई स्तम्भ गाड़कर इस ऐतिहासिक केन्द्र का उद्घाटन करते हुए अपने भाषण मे कहा—

"भाइयो! आज हमारी चिरकाल की कामना पूरी हो गई है। हम यहाँ अपने केन्द्र का उद्घाटन करने के लिये इकट्ठे हुए हैं, जिसके लिये हम एक समय से प्रयत्न कर रहे थे। मुझे परिस्थितियों से यह मालूम हो रहा है कि अब तक हमें अपने उद्देश्य में इस लिये सफलता प्राप्त नही हुई कि एक बडी हद तक हमारे रास्ते में विरोधियो का प्रापेगण्डा बाधा बना हुआ था, परन्तु फिर भी आज हम अपने उद्देश्य में सफल हैं। आप जानते हैं कि प्रत्येक सस्था और प्रत्येक आन्दोलन के लिये एक केन्द्र की बहुत आवश्यकता होती है, जहाँ सब मिलकर काम कर सकें। जो लोग एक केन्द्र पर इकट्ठे नही होते, वे कभी अपने उद्देश्य को प्राप्त नही कर सकते। मुझे समय-समय पर ऐसे समाचार मिलते रहे, जिनसे पता चलता था कि इस केन्द्र के खुलने में विलम्ब पैदा करने के सम्बन्ध में विरोधी शक्तियो का हाथ कितना काम कर रहा है और अब वह सीमाप्रान्त के बाहर के रूढिवादी समाचार-पत्रो के अतिरिक्त रूढिवादी नाममात्र के मुस्लिम विद्वानो को भी अपने प्रापेगण्डे का साधन बना रहे हैं। अत. हमारे विरुद्ध यह प्रापेगण्डा किया जाता है कि हम यहाँ गाधी आश्रम या धर्मशाला बनाना चाहते

हैं। साराश यह कि वे हमारे विरुद्ध घृणा फैलाने के समस्त अनुचित साधन और उपाय काम में लाते हैं और ला रहे हैं, परन्तु इस प्रापेगण्डे का प्रभाव आत्माभिमानी पठानो पर कुछ न हुआ। खुदा ने हमारे विरोधियो को इस प्रकार एक शिक्षाप्रद पराजय का मुंह दिखाया।

"मैं यहां घोषणा करता हूँ कि मुझे रूढिवादी समाचार-पत्रो और सरकार के गलत प्रापेगण्डे की रत्ती भर परवा नही। क्योकि हमारे विरोधी सत्य पर नही मिथ्या पर हैं और वे हमारे विरुद्ध केवल रुपये के जोर से प्रापेगण्डा कर रहे हैं। मैं अपने सच्चे योद्धाओ अर्थात् खुदाई ख़िदमतगारो को सावधान करता हूँ कि अपने मित्रो और शत्रुओ में चरवाहो और कसाइयो की तरह के अन्तर को जानें व समझें तथा सदा बुद्धि और विचार से काम लेकर सोचें और सत्य को समझने का प्रयत्न करें। फिर जो कुछ स्वय समझें दूसरो को भी वह समझाएं, ताकि जो लोग हमारे विरुद्ध नीचतापूर्ण प्रचार करते हैं, जनसाधारण भी उनको पहचान सकें। आप मेरा यह सदेश जाति तक पहुँचा दें कि वह किसी भी गलत और कमीने प्रापेगण्डे से कदापि-कदापि प्रभावित न हो।

"हम निकट भविष्य में इसी केन्द्र से अपने नये आन्दोलन का आरम्भ करने वाले हैं और विचार है कि ईश्वर की इच्छा से २ अगस्त से ही इस आन्दोलन का श्रीगणेश कर दिया जायगा। इस केन्द्र ही से हमारे ख़ुदाई खिदमतगार कार्यक्षेत्र की ओर प्रस्थान करेंगे और प्रान्त के समस्त कार्यकर्त्ता इसी केन्द्र में इकट्ठे होकर अपना काम आरम्भ करेंगे। इस शिविर की समाप्ति पर समस्त खिदमतगार अपने-अपने इलाके के गाँवो में फैल जाएँगे और अपने सच्चे पवित्र उद्देश्यो का प्रचार आरम्भ कर देंगे।

"मैं जिन कार्यकर्ताओ को उचित समझूंगा, उन्हें दो अगस्त को यहाँ मंगवा लूंगा और उनमें से जिन कार्यकर्ताओ के सम्बन्ध में मुझे विश्वास हो जायगा कि वे अपने धैर्य्य-सहिष्णुता से अहिंसा के युद्ध में पूरे उतर सकते हैं, उनके काफिले कार्यक्षेत्र की ओर भेजूंगा। कुछ लोगो का विचार है कि इस समय जब महायुद्ध के कारण परिस्थि-

तियाँ वदल रही हैं, हमे केन्द्र के लिये यह स्थान नही लेना चाहिये था। परन्तु मेरा विश्वास है कि हमें इस केन्द्र ही में इकट्ठा होना चाहिये, प्रत्युत मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मेरी कब्र भी यहाँ ही वननी चाहिये।" (अब्दुल गफ्फार, पख्तून, १९४० ई०)

सर दरयाव में जातीय केन्द्र की नीव रखते ही आपने नये उत्साह, साहस और शौर्य से काम आरम्भ कर दिया। सारे प्रान्त में तूफानी दौरे किये। गाँव-गाँव और घर-घर में अपना सन्देश पहुँचाया, परन्तु अव आपके मार्ग मे पहले से भी अधिक वाधाएं खडी कर दी गईं, विरोधी दल, टका पन्थी मौलवी और सत्ता-लोलुप लोग सरकार के सकेत से लोगो में झूठी-सच्ची कहानियाँ फैलाने लगे कि वाचा खान ने सर दरयाव मे आश्रम वनाया है और धर्मशाला की नीव रखी है, जहाँ हिन्दुओ के भजन गाए जाते हैं और मुसलमानो को गीता पढाई जाती है तथा हिन्दू-धर्म का प्रचार किया जाता है।

यह प्रापेगण्डा इस ज़ोर-शोर से किया गया कि पढे-लिखे लोग भी इससे प्रभावित हुए विना न रहे और कई अत्यन्त समझदार महानुभाव भी वाचा खान के सिद्धान्तो और मतव्यो के सम्वन्ध में सन्देह व संशय प्रकट करने लगे। परन्तु वे इन वातो की परवा न करते हुए अपनी लगन में मगन रहे। पागलो की भाँति अपने काम में दिन-रात जुटे रहे और आने वाले स्वाधीनता-सग्राम के लिये ज़ोर-शोर से तैयारियाँ करने लगे।

जातीय केन्द्र मे स्वयसेवको के प्रशिक्षण के लिये सेण्टर खोला गया और प्रान्त के विभिन्न भागो में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करके खुदाई ख़िदमतगारो की एक ऐसी सेना तैयार हो गई, जिसे देखकर विरोधियो के होश गुम हो गये।

विरोध जितना वढता जाता वाचा खान का आन्दोलन उतना ही अधिक प्रिय होता जाता। उसमें वह रहस्य की वात जिसे विरोधी वर्ग समझने में असमर्थ था, यह थी कि वाचा खान कर्मनिष्ठ, कर्मपरायण व्यक्ति थे। वे विरोधियो का उत्तर देने में समय नष्ट करने के स्थान पर काम करने को अच्छा समझते थे। वे अपने उद्देश्य मे सच्चे और ईमानदार थे। उन्हें विश्वास था कि अन्त में सचाई की विजय होकर रहती है और झूठ चाहे सामयिक रूप से कितना सफल क्यो न हो जाय, चूँकि उसके पाँव नहीं होते इसलिये वह पनप नही सकता।

हैं। साराश यह कि वे हमारे विरुद्ध घृणा फैलाने के समस्त अनुचित साधन और उपाय काम में लाते हैं और ला रहे हैं, परन्तु इस प्रापेगण्डे का प्रभाव आत्माभिमानी पठानो पर कुछ न हुआ। खुदा ने हमारे विरोधियो को इस प्रकार एक शिक्षाप्रद पराजय का मुंह दिखाया।

"मैं यहाँ घोषणा करता हूँ कि मुझे रूढिवादी समाचार-पत्रो और सरकार के गलत प्रापेगण्डे की रत्ती भर परवा नही। क्योकि हमारे विरोधी सत्य पर नही मिथ्या पर हैं और वे हमारे विरुद्ध केवल रुपये के जोर से प्रापेगण्डा कर रहे हैं। मैं अपने सच्चे योद्धाओ अर्थात् खुदाई ख़िदमतगारो को सावधान करता हूँ कि अपने मित्रो और शत्रुओ में चरवाहो और कसाइयो की तरह के अन्तर को जानें व समझें तथा सदा बुद्धि और विचार से काम लेकर सोचें और सत्य को समझने का प्रयत्न करें। फिर जो कुछ स्वय समझें दूसरो को भी वह समझाएं, ताकि जो लोग हमारे विरुद्ध नीचतापूर्ण प्रचार करते हैं, जनसाधारण भी उनको पहचान सकें। आप मेरा यह सदेश जाति तक पहुँचा दें कि वह किसी भी गलत और कमीने प्रापेगण्डे से कदापि-कदापि प्रभावित न हो।

"हम निकट भविष्य में इसी केन्द्र से अपने नये आन्दोलन का आरम्भ करने वाले हैं और विचार है कि ईश्वर की इच्छा से २ अगस्त से ही इस आन्दोलन का श्रीगणेश कर दिया जायगा। इस केन्द्र ही से हमारे ख़ुदाई खिदमतगार कार्यक्षेत्र की ओर प्रस्थान करेंगे और प्रान्त के समस्त कार्यकर्त्ता इसी केन्द्र में इकट्ठे होकर अपना काम आरम्भ करेंगे। इम शिविर की समाप्ति पर समस्त खिदमतगार अपने-अपने इलाके के गाँवो में फैल जाएँगे और अपने सच्चे पवित्र उद्देश्यो का प्रचार आरम्भ कर देंगे।

"मैं जिन कार्यकर्ताओ को उचित समझूँगा, उन्हें दो अगस्त को यहाँ मँगवा लूंगा और उनमें से जिन कार्यकर्ताओ के सम्बन्ध में मुझे विश्वास हो जायगा कि वे अपने धैर्य्य-सहिष्णुता से अहिंसा के युद्ध में पूरे उतर सकते हैं, उनके काफिले कार्यक्षेत्र की ओर भेजूंगा। कुछ लोगो का विचार है कि इस समय जब महायुद्ध के कारण परिस्थि-

तियाँ वदल रही हैं, हमे केन्द्र के लिये यह स्थान नही लेना चाहिये था। परन्तु मेरा विश्वास है कि हमे इस केन्द्र ही में इकट्ठा होना चाहिये, प्रत्युत मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मेरी कब्र भी यहाँ ही वननी चाहिये।" (अब्दुल गफ्फार, पख्तून, १६४० ई०)

सर दरयाव मे जातीय केन्द्र की नीव रखते ही आपने नये उत्साह, साहस और शौर्य से काम आरम्भ कर दिया। सारे प्रान्त में तूफानी दौरे किये। गांव-गांव और घर-घर में अपना सन्देश पहुँचाया, परन्तु अव आपके मार्ग में पहले से भी अधिक वाधाएं खडी कर दी गई, विरोधी दल, टका पन्थी मौलवी और सत्ता-लोलुप लोग सरकार के सकेत से लोगो में झूठी-सच्ची कहानियाँ फैलाने लगे कि वाचा खान ने सर दरयाव मे आश्रम वनाया है और धर्मशाला की नीव रखी है, जहाँ हिन्दुओ के भजन गाए जाते हैं और मुसलमानो को गीता पढाई जाती है तथा हिन्दू-धर्म का प्रचार किया जाता है।

यह प्रापेगण्डा इस ज़ोर-शोर से किया गया कि पढे-लिखे लोग भी इससे प्रभावित हुए विना न रहे और कई अत्यन्त समझदार महानुभाव भी वाचा खान के सिद्धान्तो और मतव्यो के सम्वन्ध में सन्देह व सशय प्रकट करने लगे। परन्तु वे इन वातों की परवा न करते हुए अपनी लगन मे मगन रहे। पागलो की भाँति अपने काम में दिन-रात जुटे रहे और आने वाले स्वाधीनता-सग्राम के लिये ज़ोर-शोर से तैयारियाँ करने लगे।

जातीय केन्द्र में स्वयसेवको के प्रशिक्षण के लिये सेण्टर खोला गया और प्रान्त के विभिन्न भागो में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करके खुदाई खिदमतगारो की एक ऐसी सेना तैयार हो गई, जिसे देखकर विरोधियो के होश गुम हो गये।

विरोध जितना वढता जाता वाचा खान का आन्दोलन उतना ही अधिक प्रिय होता जाता। उसमें वह रहस्य की वात जिसे विरोधी वर्ग समझने में असमर्थ था, यह थी कि वाचा खान कर्मनिष्ठ, कर्मपरायण व्यक्ति थे। वे विरोधियो का उत्तर देने में समय नष्ट करने के स्थान पर काम करने को अच्छा समझते थे। वे अपने उद्देश्य में सच्चे और ईमानदार थे। उन्हे विश्वास था कि अन्त में सचाई की विजय होकर रहती है और झूठ चाहे सामयिक रूप से कितना सफल क्यो न हो जाय, चूँकि उसके पाँव नहीं होते इसलिये वह पनप नही सकता।

अब उन्होने अधिक जलसे करने और भाषण करने छोड दिये और क्रियात्मक तथा निर्माण-कार्य में बढ-चढ कर भाग लेने लगे। उनका विश्वास था कि अधिक भाषणो से जाति नही बनती, प्रत्युन जातियाँ सदा कर्म (अमल) से बनती हैं और उन्होंने कहा, "जब तक जापान युद्ध में सम्मिलित नही हुआ था, हमें अधिक खतरा नही था, परन्तु उसके युद्ध में कूद पडने से तो युद्ध सिर पर आ पहुँचा है। उन्होने जाति को बताया कि न यहाँ जापानी आ सकते हैं, न जर्मन। यदि कोई हमें गुलाम बनाने को इधर का रुख करेगा, तो मैं पहला व्यक्ति हूँगा, जो उसका मुकाबिला करूँगा। उन्होने स्पष्ट रूप से इस युद्ध का कारण बताते हुए कहा, वर्तमान युद्ध देश और व्यापारिक मण्डियो पर अधिकार जमाने के लिये लडा जा रहा है और हिन्दुस्तान एक बहुत बडा देश और व्यापार की मण्डी है। उन्होने बताया कि हम खुदाई खिदमतगार हैं और हमारे कार्य गुप्त रूप में नही होते। गुप्त कार्यो से कायरता उत्पन्न होती है। मैने प्रान्त में कई शिविर तैयार किये हैं, जिन में ऐसे लोगो को शिक्षा दी जाती है, जो देश में शान्ति की स्थापना के लिये काम करेंगे।"

बाचा खान अपने एक भाषण में इस सिविल नाफरमानी का इस प्रकार स्पष्टीकरण करते हैं—

> "यह अवज्ञा आन्दोलन (सिविल नाफरमानी) जिस समय से आरम्भ हुआ है, तो बहुत से भाइयो ने पत्रो द्वारा, मौखिक रूप से और एक-दूसरे के द्वारा सूचित किया है कि हम जेल जाने के लिये तैयार बैठे हैं, केवल आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा है। इस समस्या के सम्बन्ध में मैने 'पख्तून' के पिछले अक में लिखा था और अब फिर लिखता हूँ कि आप भाइयो का यदि यह विचार हुआ कि हमारा वास्तविक उद्देश्य जेल जाना है, तो आपका यह विचार गलत है। हमारा वास्तविक उद्देश्य जेल जाना नही, प्रत्युत अपने देश और जाति की सेवा करना है और प्रत्येक खुदाई खिदमतगार को अपने आप में ऐसे गुण पैदा करने चाहियें कि जिसके कारण से हम अपनी जाति को सगठित कर सकें और अपनी जाति से समस्त प्रकार की बुरी टेवें दूर कर सकें। नि सन्देह अवज्ञा आन्दोलन भी अपने समय के अनुसार एक आवश्यक काम है। फिर अवज्ञा आन्दोलन से हम जेल जाने से

लाभ प्राप्त नही कर सकते। लाभ तो हमें उस समय मिलेगा जब कि हम जेल से बाहर अपने आप में वह योग्यता पैदा करें कि जो एक अवज्ञा-आन्दोलन करने वाले व्यक्ति को अपने आप में पैदा करनी आवश्यक है। आप समझ लें कि अवज्ञा आन्दोलन तो एक युद्ध है और युद्ध मे सदा वह सिपाही आगे आ सकता है जो कि पहले परेड सीख ले। आप ससार के प्राय युद्ध देखते हैं कि सेनानायक कभी भी उस सिपाही को मोर्चे पर नही भेजता, जो परेड में सफल न हो चुका हो। आप भी जातीय युद्ध के उस मोर्चे की ओर जाना चाहते हैं, तो पहले समझ लें कि इस युद्ध के सिपाही के लिये कौन-कौनसी चीज़े सीखनी आवश्यक हैं और इस युद्ध के मोर्चे पर किस प्रकार का सिपाही भेजा जायगा ? अत. जो भाई इस युद्ध में भाग लेना चाहते हैं, वे पहले परेड सीख लें और जिस समय विश्वास प्राप्त हो जायगा कि यह सिपाही मोर्चे की ओर जाने के योग्य है, तो उसे भिजवाया जायगा और यदि इस प्रकार के सिपाही को मोर्चे की ओर भिजवाने का अवसर मिला, तो वह जाति के प्रति अपने कर्तव्य को अन्य लोगो की अपेक्षा अच्छी तरह पालन करेगा। अब मैं आपको वे बातें समझाना चाहता हूँ, जो वर्तमान अवज्ञा आन्दोलन के लिये आवश्यक हैं। हम जब पिछले दिनो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के अधिवेशन मे भाग लेने वर्धा गये थे और समिति ने निर्णय किया कि अवज्ञा आन्दोलन के अधिकार केवल गाधीजी को प्राप्त होंगे, तो मेरा विचार था कि गाधीजी प्रत्येक प्रान्त में अपना एक-एक प्रतिनिधि नियुक्त करें और जब अवज्ञा आन्दोलन आरम्भ करें, तो अच्छा होगा। फिर प्रत्येक प्रान्त में जो व्यक्ति उपयुक्त समझा जायगा, वह आगे होगा। गांधीजी को यह बात पसन्द न थी, परन्तु जिस समय मैं यहां आया और मैंने सोच-विचार के साथ अपने प्रान्त का अनुमान किया, तो मैने कहा कि यह सब ठीक ही हुआ है कि मेरे पहले विचार के अनुसार निर्णय न हुआ—इसलिये कि मैं देखता हूँ कि एक व्यक्ति भी मुझे उन शर्तों पर पूरा उतरने के योग्य मालूम नहीं होता, जो वर्तमान सिविल नाफ़र-मानी के लिये रखी गई हैं। अब मैं आपको वे शर्तें बताता हूँ, जो

स्वाधीनता-युद्ध के सिपाही के लिये विशेषत और साधारण खुदाई-खिदमतगारो के लिये साधारणत आवश्यक हैं—चर्खा पहली शर्त है—कोई सिपाही यदि इस युद्ध में सम्मिलित होना चाहता है, तो वह प्रतिदिन घण्टा आध घण्टा चर्खा चलायेगा। मेरे बहुत से भाई कहते हैं कि चर्खे की तो इतनी आवश्यकता नही है। परन्तु मैं कहता हूँ, यह बात सर्वथा गलत है। ससार में एक सेना का सर्वोत्तम सिपाही वह होता है, जो आज्ञा माने। आप ससार की सेनाओ का हाल मालूम करें, तो बहुत-सी बातें आपको निरर्थक-सी दिखाई देंगी और प्रत्यक्ष रूप में उनके न करने मे आपको कोई भी हानि दिखाई नही देगी, फिर भी एक सिपाही की यह मजाल नही होती, जो इनसे इन्कार करे और न ही उसे यह अधिकार प्राप्त है कि वह इन पर बहस करे कि इनकी क्या आवश्यकता है? इसी प्रकार हमारे इस वर्तमान युद्ध के सेनापति ने एक यह शर्त रखी है। प्रत्येक सिपाही का कर्तव्य है कि उसकी आज्ञा का समादर करे और बिना किसी बहस के स्वीकार करे।

"अहिंसा—दूसरी शर्त अहिंसा के नियमो पर चलना है। जो व्यक्ति मन, कर्म और वचन से अहिंसा के पालन करने का व्रती न हो, हिंसा की सामग्री पास रखता हो या कोई दूसरा इसी प्रकार का काम करता हो कि जिससे अहिंसा के नियमो का उल्लघन हो, तो वह इस युद्ध के योग्य अथवा उपयुक्त न समझा जायगा।

"शुद्ध-हृदयता—तीसरी शुद्ध-हृदयता, सौहार्द और सद्भावना है। जो व्यक्ति पक्षपात और द्वेष न करे। जातीय सेवा के विषय में कोई स्वार्थभाव न रखे और भगवान् की सृष्टि अथवा मनुष्यमात्र की सेवा करता हो, तो वह इस योग्य समझा जायगा कि सिविल-नाफरमानी (अवज्ञा आन्दोलन) में उसे आगे किया जाय।

"अच्छे चाल-चलन—चौथी शर्त या व्रत अच्छा आचरण, शुद्ध आचार-व्यवहार हैं, जो व्यक्ति दूषित आचरण रखता हो, शुद्ध मति से वचित हो, झूठा हो और मादक द्रव्यो का सेवन (नशे) करता हो, वह भी इस कार्य के योग्य नही समझा जायगा। इसलिये कि यह

एक पवित्र आन्दोलन है और इसमें शुद्ध-मति, नेक और पवित्र लोग लिये जाएँगे।

"बस ये आवश्यक शर्तें या व्रत हैं और जिस व्यक्ति की वर्तमान स्वाधीनता-युद्ध मे भाग लेने की इच्छा हो, तो आज मे इन बातो अथवा व्रतो का पालन आरम्भ कर दे। और अपने आपको योग्य सिद्ध करे। बहुत लोग कहते हैं कि बाचा खान बहुत जल्द गिरफ्तार हो जायगा, तो फिर हम अपनी इच्छा के अनुसार अवज्ञा आन्दोलन आरम्भ कर देगे, अर्थात् ये शर्तें, व्रत आदि धरे ही रह जायेंगे और हम पहले की भाँति जेल चले जायेंगे। यह बात सर्वथा ग़लत है। ऐसा कार्य अपनी सस्था के विरुद्ध विद्रोह और विश्वासघात के समान है और जो जाति अपनी केन्द्रीय सस्था के फैसले के विरुद्ध कार्य करती है, तो वह जातीय सेवा नही। अपितु जाति के साथ विश्वासघात व गद्दारी करती है। जाति का सर्वोत्तम सिपाही वह है, जो अपने जनरल या नायक के आदेश के अनुसार कार्य करे और रत्ती भर आदेश के विरुद्ध न चले। आशा है, मेरे सारे खुदाई खिदमतगार भाई इन शर्तों अथवा व्रतो को धारण करके दृढता से पालन करना आरम्भ कर देंगे और स्वाधीनता के युद्ध के लिये अपने आप को योग्य सिद्ध करेंगे।"

(अब्दुल गफ्फार—पख्तून २१ नवम्बर, १६४० ई०)

**वैतुल माल (कोष) की स्थापना—**

बाचा खान ने "खुदाई-खिदमतगारो" के नूतन सगठन के लिये सर दरयाव को केन्द्र बनाने के पश्चात् उसके लिये "वैतुल माल" अर्थात् कोष स्थापित करने का आन्दोलन आरम्भ किया। इसके लिये जलसे किये और अपने भाषणो में कोष का महत्त्व बताया। आपने लोगो को बताया कि प्रत्येक सस्था के लिये जातीय कोष (कौमी फण्ड) का होना आवश्यक है, ताकि सस्था की आवश्यकताओ के अतिरिक्त उसके द्वारा उन गरीबो और असहाय स्वयसेवको की सहायता की जा सके, जिनके जेल जाने के पश्चात् उनके बाल-बच्चो को भूखा मरना पडता है। उन्होने धनाढ्य लोगो से अपील की कि प्रत्येक कार्य ससार में कार्य-विभाजन या कर्तव्य-विभाजन के नियमो पर चलता है। जो लोग जेल जाने को तैयार नही या उनकी मजबूरियाँ उनको आज्ञा नही देतीं, वे जाति के कोष में

चन्दा देकर इस जातीय सेवा में हमारा हाथ वटा सकते हैं। उन्होंने अपने भूत-पूर्व अनुभव के आधार पर देखा कि हमारे देश का बहुसख्यक निर्धन वर्ग सदा प्रत्येक वलिदान के लिये आगे रहता है। ये श्रमजीवी लोग, जो अपने परिवार के निर्वाह के एकमात्र उत्तरदायी या प्रवन्धकर्त्ता होते हैं, जब क्रियात्मक राजनीति में आने के पश्चात् मिहनत-मजदूरी के लिये समय नही पाते, तो उनके वाल-वच्चे भीख मांगने पर विवश हो जाते हैं।

वाचा खान ने वैतुल माल (कोप) की स्थापना के लिये अनथक कार्य किया। उनके इरादे उच्च और कार्यक्रम वहुत विशाल था। परन्तु यह ऐसा समय था कि किसी काम के पूरा करने के लिये अवकाश नही मिल सकता था। राजनीतिक परिस्थितियाँ क्षण-प्रतिक्षण वदलती रहती थी और अन्य नेताओ की भांति वाचा खान को भी कई काम अधूरे छोडकर नये कार्यक्रम की ओर ध्यान देना पडता।

**अवज्ञा आन्दोलन का निर्णय—**

घोपणा के अनुसार ११ अक्तूबर १९४० ई० को वर्धा में कांग्रेस कार्य-कारिणी समिति का अधिवेशन आरम्भ हुआ और १३ अक्तूवर को समाप्त हुआ। तीन दिन के विचार-विमर्श, वाद-विवाद के पश्चात् निर्णय हुआ कि व्यक्तिगत अवज्ञा आन्दोलन (सिविल नाफरमानी) आरम्भ किया जाय और आन्दोलन की वागडोर महात्मा गाधी के हाथ में दे दी गई। उन्होने घोपणा की कि वह व्यक्ति सत्याग्रह करेगा, जिसे मैं पसन्द करूँगा। पहला व्यक्ति जिसे गाधीजी ने पसन्द किया, वह 'विनोवा भावे' था, जो गाधीजी के आश्रम का एक सच्चा शुद्ध हृदय कार्यकर्त्ता था। वह सस्कृत का वहुत वडा विद्वान्, हिन्दू-मुस्लिम एकता का समर्थक, चर्खा कातने मे अत्यन्त सिद्धहस्त, छूतछात का विरोधी और सच्चे अर्थो में अहिंसा का व्रती था।

यह भी मालूम हुआ कि सत्याग्रह आरम्भ करने से पहले गाधीजी ने वाय-सराय को एक पत्र लिखा, जिसमें केवल इस वात को व्यक्त किया गया कि अमुक तिथि से अवज्ञा आन्दोलन आरम्भ होगा। गाधीजी चाहते थे कि यह अवज्ञा आन्दोलन एक सीमा के भीतर चले, परन्तु पण्डित नेहरू का विचार था कि वह शीघ्र ही जनसाधारण में फैल जायगा और इसका सीमित रहना कठिन है

१३ अक्तूबर १९४० ई० को पिशावर शहर में अरबाब अब्दुर्रहमान की

अध्यक्षता मे जिला पिशावर काग्रेम कमेटी का अधिवेशन हुआ, जिसमे निम्न-लिखित प्रस्ताव पास किये गये।

१—जिला पिशावर के प्रधान को अधिकार दिया गया कि वे जिस प्रकार चाहे जिला कांग्रेस को पुष्ट करने के लिये क्रियात्मक पग उठाएँ।

२—जिला कांग्रेस प्रान्तीय कांग्रेस का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती है कि सीमाप्रान्त मे सप्रति दो प्रवन्ध हैं। कांग्रेम और खुदाई खिदमतगार—परन्तु आने वाली लडाई और अवज्ञा आन्दोलन के चलाने को केवल एक कार्यालय नियुक्त किया जाय।

३—जिला कांग्रेस आल इण्डिया कांगेस कमेटी को भरोसा दिलाती है कि सीमाप्रान्त के वसने वाले अपनी भूतपूर्व परम्परा के अनुसार स्वाधीनता की लडाई मे हाई कमाण्ड के आदेशो के पालन में किसी प्रकार के वलिदान से सकोच नहीं करेंगे।

४—ये अधिवेशन मौलाना अब्दुर्रहीम पोपलजई, अरबाव अब्दुल गफूर खान, खुर्रम खान, रामसरन नगीना और वली मुहम्मद तूफान को उनकी गिरफ्तारी पर वधाई देता है और सरकार से प्रवल मांग करता है कि राजनीतिक वदियो से अच्छा व्यवहार किया जाय।

५—यह अधिवेशन सरकार के इस वर्ताव की घोर निन्दा करता है कि उसने कांग्रेस के शिष्टमण्डल को वजीरस्तान जाने की आज्ञा नहीं दी।

जैसा कि उपर्युक्त प्रस्ताव से विदित है, इस सिविल नाफरमानी का आरम्भ सीमाप्रान्त मे सबसे पहले जिस दल ने किया, उसमें निम्नलिखित महानुभाव थे—

मौलाना अब्दुर्रहीम पोपलजई।
अरबाव अब्दुलगफूर खान खलील।
वली मुहम्मद खान तूफान।
खुर्रम खान
रामसरन नगीना

इन नेताओ को विद्रोह के अभियोग में गिरफ्तार कर के दो-दो वर्ष कारा-वास के दण्ड का हुक्म सुनाया गया। इनके पश्चात् वाचा खान को भी

गिरफ्तार कर लिया गया और प्रान्त में व्यक्तिगत सत्याग्रह का क्रम आरम्भ हो गया। परन्तु प० जवाहरलाल नेहरू की वात सच निकली। यह आन्दोलन, जैसा कि गाधीजी चाहते थे, अधिक समय तक व्यक्तिगत सत्याग्रह की हैसियत या रूप में न रह सका, प्रत्युत १९४२ ई० में एक सार्वजनिक आन्दोलन वन गया और इस ज़ोर-शोर से गिरफ्तारियो का चक्र चला कि पिछले आन्दोलनो में इस का उदाहरण नही मिलता।

८ अगस्त १९४२ ई० को अखिल भारतीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास किया, जिसके शीघ्र ही पश्चात् सरकार ने कार्यकारिणी समिति के सदस्यो को गिरफ्तार कर लिया और इसके पश्चात् देशव्यापी आन्दोलन आरम्भ हो गया।

सीमाप्रान्त में असेम्वली के दस कांग्रेसी सदस्यो को भी गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया। इनके अतिरिक्त हजारो खुदाई खिदमतगार प्रान्त के कोने-कोने से कचहरियो पर पिकेटिंग करने और गिरफ्तारियाँ देने के लिये उमड पडे।

दस कांग्रेसी असेम्वली सदस्यो की गिरफ्तारी से मुस्लिम लीगी नेताओ के लिये मैदान साफ हो गया और उन्होने अवसर से लाभ उठाते हुए गवर्नरी राज समाप्त करके मुस्लिम लीगी मन्त्रिमण्डल वनाने के लिये प्रयत्न आरम्भ कर दिये। सरकार ने भी इसे सौभाग्य समझा और वाहर के जगत् पर यह सिद्ध करने के लिये कि मुसलमान जाति के रूप में कांग्रेस के विरोधी हैं, मुस्लिम-लीगियों से साज़बाज़ करके उन्हे मई १९४२ ई० में मन्त्रिमण्डल वनाने की आज्ञा दे दी।

यह चक्र १९४४ ई० तक चलता रहा, खुदाई खिदमतगारो पर सरकार ने अपने अत्याचारों को पराकाष्ठा तक पहुँचा दिया। निहत्थे और शान्तिमय स्वय-सेवको पर लाठी चार्ज तो दैनन्दिन काय वन चुका था। १९४४ ई० में बाचा-खान स्वय एक जत्थे के साथ पिकेटिंग कर रहे थे कि पुलिस ने इस निष्ठुरता से लाठी चलाई कि बाचा खान की दो पसलियाँ टूट गईं और आप बेहोश होकर गिर पडे। परन्तु आपको हस्पताल ले जाने के स्थान पर उसी अवस्था में गिर-फ्तार करके जेल भेज दिया गया। इस घटना से अनुमान किया जा सकता है कि जब सस्था के नेता को इतनी निर्दयता से अत्याचार और हिंसा का लक्ष्य

बनाया गया, तो दूसरे साधारण स्वयंसेवकों पर क्या-क्या अत्याचार न तोड़े गये होंगे। पुलिस को खुले अधिकार प्राप्त थे और उन्हें विशेष आदेश था कि जहाँ तक सम्भव हो खुदाई खिदमतगारों को अत्याचार व हिंसा का निशाना बनाओ और भीषण दण्ड दो ताकि दूसरे लोग भय खाएँ और आन्दोलन में भाग लेने का साहस न कर सकें।

बहुत से गाँवों पर सम्मिलित जुर्माने किये गये। क्योंकि वहाँ के लोगों ने आन्दोलन में बढ़-चढ़ कर भाग लिया था। जो गरीब और दरिद्र लोग जुर्माना न दे सके, उनके घर के सामान नीलाम कर दिये गये। सरकार ने एक विशेष सर्कुलर के द्वारा खानों और प्रभावशाली लोगों को हुक्म दिया कि वे किसी खुदाई खिदमतगार को अपने गाँव में न रहने दें और उनसे सम्बन्ध तथा मेल-जोल छोड़ दें, नहीं तो उनसे ज़मीनें छीन ली जायेंगी और खानी सुविधाएँ वापस ले ली जायेंगी।

खुदाई खिदमतगारों को नंगा करके खुले आम पिटवाया जाता और ऐसी-ऐसी लज्जास्पद सज़ाएँ दी जातीं कि सभ्यता तथा भद्रता उनके वर्णन की आज्ञा नहीं देती। खुदाई खिदमतगारों के प्रियजनों और सम्बन्धियों को सरकारी नौकरियों से हटा दिया गया। उनके बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया, यहाँ तक कि उनका अन्न-जल बन्द कर दिया गया।

सारांश यह कि यह समय खुदाई खिदमतगारों पर अत्यन्त भीषण परीक्षा का समय था। परन्तु बाचा खान ने उनका प्रशिक्षण कुछ ऐसे ढंग से किया था कि इन कष्टों का उन पर कुछ प्रभाव न होता, प्रत्युत जितनी अधिक सख़्ती उन पर की जाती आन्दोलन और अधिक ज़ोर से उभरता। लोग और भी अधिक चाव और साहस से उसमें भाग लेते।

सच पूछिए तो यह ऐसा तूफान था कि जिसने प्रत्येक व्यक्ति को खुदाई-खिदमतगार बनने पर बाध्य कर दिया। जिन लोगों का खुदाई खिदमतगारों से कोई भी सम्बन्ध नहीं था, वे सब सरकार की निर्दयता और प्रतिशोधात्मक कार्यवाहियाँ देखते, सगे-सम्बन्धियों, भाई-बन्धुओं तथा सहजातियों का अपमान देखते, अधिकारियों के अत्याचार, निष्ठुरता और अन्याय पर दृष्टि डालते, तो दुःख और क्रोध से पागल हो जाते, प्रतिशोध की भावना के आवेग में भड़क कर पुकार उठते, "यदि सरकार ऐसे ही ओछे हथियारों पर उतर आई है, तो आज

से हम भी खुदाई खिदमतगार हैं। प्रत्येक पठान खुदाई खिदमतगार है। प्रत्येक राष्ट्रवादी और स्वाधीनता-प्रिय मनुष्य खुदाई खिदमतगार है—एक बाढ थी, एक तूफान था, जो थमने में नही आता था। सरकार की सारी शक्ति, सारा ज़ोर, सारी सामर्थ्य, सारी सेना और पुलिस मिल कर भी आन्दोलन को दबा न सकी, कुचल न सकी, रोक न सकी। यहाँ तक कि जेलो में स्थान न रहा, तो सत्याग्रहियो को लारियो में भरकर शहर से मीलो दूर ले जाकर छोड दिया जाता, जहा से वे भूखे-प्यासे पैदल शहर आते, परन्तु आते ही फिर अपने मोर्चे पर पहुँच जाते।

खुदाई खिदमतगारो को जेल जाने से रोकने के लिए ऐसे-ऐसे उपाय ढूंढ निकाले गए, जो किसी की कल्पना में भी न आ सकते हो। स्वयसेवको को नहर में गोते दिए जाते। नगे शरीर रेत पर लिटा दिया जाता। पथरीली सडको पर घसीटा जाता। यह अत्याचार और हिंसा के वे भीषण उपाय थे, जिनके कारण बीसियो स्वाधीनताप्रिय नौजवान मृत्यु का ग्रास बन गये।

परन्तु सच पूछिये, तो सीमाप्रान्त में फिर भी कुशलता रही क्योकि यहाँ ४ सितम्बर १६४२ ई० को आल इण्डिया कांग्रेस के प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात् भी सीमाप्रान्त के नेता बाहर थे, जो सगठित रूप से आन्दोलन चलाते रहे, इसके विपरीत हिन्दुस्तान में उधर ८ अगस्त १६४२ ई० को अखिल भारतीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता और 'भारत छोड दो' का प्रस्ताव पास किया, इधर उनके समस्त नेताओ को जेलो में ठूंस दिया गया, जिससे सारे देश में गडबड आरम्भ हो गई। उस पर सरकार की हिंसात्मक नीति ने जलती पर तेल का काम किया। नौजवान सिरो को हथेली पर रख कर सरकार से अन्तिम टक्कर लेने के लिये मैदान में कूद पडे और थोडे ही समय में हजारो-लाखो देशभक्त, स्वाधीनता-प्रिय मनुष्य देश की स्वाधीनता के प्रदीप पर पतगो की भाँति प्राणो का बलिदान कर गये। सैकडो देश के लाल मुस्कराते हुए सूली पर चढ गये, हजारों ने कारावास की यातनाएँ झेली और लाखो पुलिस की लाठियो और सगीनो से घायल हुए। जेलो में भी स्वयसेवको पर ऐसे अत्याचार जारी रखते कि भगवान् बचाए। उन्हे भाँति भाँति के कष्ट देकर क्षमा-याचना पर बाध्य किया जाता। अत्यन्त बडा श्रम लिया जाता। बात-बात पर पीटा जाता। भोजन बहुत ही खराब दिया जाता और प्राय इतना भोजन दिया जाता कि जो

सर्वथा अपर्याप्त होता। इससे बन्दियो के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पडा। चिकित्सा-उपचार की यह दशा थी कि राजनीतिक बन्दी को हस्पताल के निकट फटकने तक न दिया जाता, मानो उन्हे वैद्यक अथवा डाक्टरी सहायता पहुँचाना जेल के नियमो के विरुद्ध हो।

सीमाप्रान्त के सार्वजनिक नेता और मुफ्ती मौलाना अब्दुल कय्यूम पोपलजई ( दिवगत ) उसी दूषित भोजन व खाद्य के कारण जेल मे गुर्दे की पीडा और प्लूरसी का शिकार हो गये तथा यथोचित चिकित्सा की व्यवस्था न किये जाने के कारण उनकी अवस्था ऐसी विगडी कि मुक्त होने के पश्चात् रोग-शय्या से न उठ सके। दो-तीन महीने के बाद ही देश के इस महाबलिदानी पुरुप ने शरीर छोड दिया।

स्वय बाचा खान को ऐबटाबाद मे इतनी सकीर्ण और अन्धेरी कोठरी में रखा गया जो कबूतरो के दडबे के सदृश थी। वहाँ वे अकेले ही रहते थे और किसी से मिलने की उन्हे आज्ञा न थी। उनसे 'सी' क्लास कैदियो का वर्ताव किया जाता था। भोजन ऐसा दिया जाता, जिसमे रेत-ककर होते। वहाँ भीषण तुषारपात में न केवल उन्हे बिना आग के ही रहना पडता, अपितु कम्बल भी पर्याप्त न दिये गये। इस एकान्त कारावास, दूषित भोजन और भीषण शीत मे बचाव का उपाय न होने से वे सख्त बीमार हो गये, परन्तु उन्हे वैद्यक सहायता न दी गई।

बाचा खान का एक ऐतिहासिक भाषण—

१९४५ ई० मे दूसरे महायुद्ध का तूफान थमा, तो सरकार ने देश के समस्त राजनीतिक बन्दियो को रिहा कर दिया। इस सार्वजनिक रिहाई में बाचा खान भी रिहा होकर बाहर आये, तो अतमान जई में एक विराट् सम्मेलन में, जो आपके स्वागत के लिये आपके गाँव मे हुआ, बाचा खान ने निम्नलिखित विचार प्रकट किये—

"बहनो और भाइयो ! मै आप लोगो के इस प्रेम के लिये, जिसे आपने प्रकट किया है, धन्यवाद करता हूँ और ईश्वर की स्तुति करता हूँ कि उनकी अपार कृपा, प्रसाद और दया से हमे फिर एक लम्बे समय के पश्चात् एक स्थान पर इकट्ठे होने का अवसर मिला है। प्यारे भाइयो ! मैं उन कष्टो का अनुभव करता हूँ, जो मेरे जेल जाने के बाद

आपको पहुँचे हैं। परन्तु जातियो की स्वाधीनता की लडाई का इतिहास हमें बताता है कि स्वाधीनता का वरदान कष्ट और विपत्तियाँ सहन किये बिना नही मिला करता और इस मार्ग में कठिनाइयो को हँस-हँस कर सहन करना आवश्यक है। दूसरी जातियो पर स्वाधीनता की लडाइयो में जितने कष्ट और विपत्तियाँ आई हैं, हमने अभी तक उतनी आपत्तियाँ नही उठाई। फिर भी हमने जितने कुछ बलिदान इस मार्ग में किये हैं, खुदा की कृपा और उपकार है कि उसने हमे अपने बलिदानो से अधिक लाभ पहुँचाया है।

"आज मैं आप से कुछ आवश्यक बातें करना चाहता हूँ, इसलिये कि मैं यह उचित नही समझता कि मैं जो कुछ करूँ, उससे आप लोगो को सूचित न करूँ और न मैं अपनी बातो को आप लोगो से छिपा कर रखना चाहता हूँ। वे बातें ये हैं कि आजकल प्रत्येक स्थान पर पार्टीबाजियाँ हैं और लोग ये बातें करते दिखाई देते हैं कि हमने जिस स्वाधीनता की घोषणा सितम्बर १९४२ ई० में की थी, क्या वह स्वाधीनता मिल गई। यदि नही, तो यह घोषणा अब तक भी अक्षुण्ण है या वापस ले ली गई है। मैं कहता हूँ यह घोषणा हमारा सच्चा ध्येय, मुख्य उद्देश्य है। इसका किसी प्रकार से त्याग नही किया जा सकता। यह अक्षुण्ण, अटल है और रहेगी, जब तक हमें पूर्ण स्वाधीनता नही मिलती। स्वाधीनता की प्राप्ति के लिये जो कार्यक्रम बनाए जाते हैं, उनमें परिस्थितियो के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे आप लोगो ने वर्तमान युद्ध में देखा होगा कि रूसी, जापानी और जर्मनी सेनानायको ने कभी मोर्चे आगे लगाए और कभी पीछे—परन्तु इसका यह अर्थ नही होता था कि वे युद्ध या अपने उद्देश्य से विमुख हो गये। बस यही दशा हमारे युद्ध की है कि ४ सितम्बर १९४२ ई० की घोषणा अर्थात् उद्देश्य स्थिर और अटल हैं। परन्तु कार्यक्रम में परिवर्तन आ गया है। जब तक हमारा जीवन है, हम यह प्रयत्न जारी रखेंगे कि देश और जाति को स्वाधीनता प्राप्त हो। जिस प्रकार हम ४ सितम्बर को फिरगियो की गुलामी स्वीकार नही करते थे, आज भी स्वीकार नही करते, इसलिये कि हम

चाहते हैं कि इस देश में इस देश की जनता की सरकार होनी चाहिये। वर्त्तमान सरकार हमारी इच्छा के विरुद्ध है और वलपूर्वक स्थापित की गई है। जो लोग जेलो से मुक्त होकर आते थे, मैं उनसे यही कहता था कि वाहर जाकर अपने प्रयत्न जारी रखना। आज भी मैं सबसे कहता हूँ कि स्वाधीनता के प्रयत्न उस समय तक जारी रहने चाहियें जब तक हम अपनी मजिल—अपने उद्दिष्ट लक्ष्य—पर नही पहुँच जाते।

"एक और आवश्यक वात यह है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि युद्ध दो प्रकार से लडा जाता है, एक हिंसा से और दूसरा अहिंसा से अर्थात् सब्र, सतोप से। हिंसा के युद्ध मे विजय और पराजय दोनो की सम्भावना है, परन्तु अहिंसा के युद्ध मे पराजय की सम्भावना नही। इसमें सदा विजय ही विजय है। हिंसा से कौमो मे घृणा, द्वेष और शत्रुता पैदा होती है और इसका अनिवार्य परिणाम दूसरे और तीसरे युद्ध के रूप में प्रकट होता है। जिस प्रकार १९१४ ई० के हिंसा के युद्ध का परिणाम वर्त्तमान रक्तक्षयी महायुद्ध के रूप में प्रकट हुआ। परन्तु अहिंसा जातियो में प्रेम उत्पन्न करती है और इसका परिणाम शान्ति है, अमन है। अहिंसा का युद्ध कोई नया और विचित्र वात नही है। यह वही युद्ध है, जो आज से चौदह सौ वर्ष पहले हमारे रसूल अकरम ने मक्का के जीवन मे लडा था। परन्तु जो लोग अहिंसा के नियमो से अनभिज्ञ हैं, उनको यह भ्रम है कि हमको पराजय मिली है, किन्तु सत्य यह नही। क्या आपने देखा नही कि हम जब १९३१ ई० में जेलो से वाहर आये, तो जाति में सहानुभूति और प्रेम के भाव कितने वढे हुए थे। फिर १९३२ ई० मे सरकार ने हम पर जो लज्जाजनक अत्याचार किये और मुझे आपसे ६ वर्ष के लिये जुदा रखा गया, परन्तु सरकार हमारे भावो को दवा न सकी।

"हमने १९४२ ई० में तीसरा अहिंसा का युद्ध लड़ा और आज १९४५ ई० में आप देखते हैं कि जाति में प्रेम और प्रीति के भाव और भी अधिक हो गये हैं। मै आज आपके चेहरों को देखता हूँ, तो

मुझे यह अनुभव होता है कि आप में देश और जाति के अपमान की अनुभूति पैदा हो गई है और किसी जाति में अपने अपमान और हीन दशा की अनुभूति पैदा हो जाय और वह अपमान दूर करने के लिये तैयार हो जाय, तो फिर ससार की कोई शक्ति हिंसा से उसे दवा नहीं सकती। आखिर जव फिरगी हमारे स्वाधीनता के भाव को वल-पराक्रम से नही दवा सके, तो पराजय कहाँ हुई।

"तीसरी वात यह है कि कुछ लोग मन्त्रिमण्डल की स्थापना पर वहसें करते हैं। मै इस विषय मे आप लोगो से कहता हूँ कि जव मैं जेल में था, तो मेरे पास कुछ लोग इस सम्वन्व में आये थे, तो मैंने उनसे कह दिया था कि मैं मन्त्रिमण्डलो के सर्वथा विरुद्ध हूँ। इसलिये भी कि यह हमारे ४ सितम्वर १९४२ ई० की घोषणा के विरुद्ध है। मै जिन कार्यो में लोगो का लाभ नही देखता, उसके सम्वन्व में साहस के साथ अपना अभिमत प्रकट किया करता हूँ। मैं जो जाति की सेवा करता हूँ तो यह किसी मुआवजे के लिये कदापि नही करता। यदि मुझे आप लोगो ने इतना वडा जरनैल नियुक्त किया है, तो फिर मेरा काम है कि मै सोचूं, आपका भला किस वात में है और किस वात में नही है। मै यदि मन्त्रिमण्डल के लिये सहमत नही होता, तो इस लिये कि पुराना अनुभव इसके विरुद्ध है। मुझे अच्छी तरह याद है कि पिछले मन्त्रिमण्डल के समय में तहसीलो, कचहरियो और थानो में आप लोग चलते-फिरते दिखाई देते थे और खुदाई खिद-मतगारो ने नव्वावो और खानो का स्थान ले लिया था और सिफा-रिशो पर जाति का ध्यान केन्द्रित हो गया था और जब उनकी माँगें पूरी नही होती थी, तो वे ऐसे प्रचार किया करते थे कि तौबा भली। मै ऐसी सरकार नही चाहता, जिसको जनता की सेवा करने का अधिकार हमारी इच्छा के अनुकूल न हो, जिसमे खुदा की मखलूक (प्राणियो) की स्वतन्त्रतापूर्वक सेवा न कर सकें। मै शासन या सरकार के लिये शक्ति प्राप्त करना नही चाहता, अपितु मनुष्यों की सेवा के लिये शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। भूतपूर्व मन्त्रिमण्डल के समय में फिरगियो ने मन्त्रिमण्डल से सहयोग नही किया, प्रत्युत उसके

सामने भाँति-भाँति की कठिनाइयाँ उत्पन्न की। अब भी मैंने उनको यह अवसर दिया है कि यदि वर्त्तमान मन्त्रिमण्डल ने जनता की सेवा न की और फिरगियो ने उनके साथ सहयोग न किया, तो मैं उसके लिये उत्तरदायित्व स्वीकार नही करूँगा।

"मैं सदा आप लोगो से वही कहता हूँ, जिसमें आप लोगो का भला हो। ससार के इतिहासो और समस्त ईश्वरीय पुस्तको से यह सिद्ध है कि जिस जाति ने शक्ति प्राप्त करके अत्याचार जारी रखे, पीडितो मे से ऐसे लोग उत्पन्न हो गये, जिन्होंने अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई और उसके निवारण के लिये मैदान मे डट गये, इसके बावुजूद कि जालिम, अत्याचारी शक्तिशाली थे और पीडितो का पक्ष लेने वाले थोडे थे, और दुर्बल थे। परन्तु सदा सत्य के मुकाबिले में असत्य को करारी पराजय प्राप्त होती रही। अत्याचार अर्थात् असत्य का मुकाबिला कोई बडा दल नही कर सकता, अपितु छोटा दल ही उसके लिये पर्याप्त होता है। परन्तु उस दल के लिये यह आवश्यक है कि उनमें प्रेम, सौहार्द, शुद्ध आचरण, एकता और सचाई हो तथा उस दल के इरादे सुदृढ हो, स्वार्थभावना से शून्य हो। सत्य के मुकाबिले में न केवल असत्य को पराजय मिलती है, प्रत्युत् उसके समस्त साथियो और सहायको का निशान भी ससार से मिट जाया करता है।

"सच्चे लोगो के दल को 'कुरआन' में "हज्ब अल्लाह" (खुदाई-खिदमतगार) कहा गया है और जो लोग असत्य के तरफदार हैं, उनको "हज्बुलशैतान" के नाम से याद किया गया है, अत जो अत्याचारियो का मित्र है वह असत्य का मित्र है। उसकी गणना 'हज्बुल-शैतान' में है। जिस समय असत्य का विनाश होगा वह उसके साथ तबाह होगा। मेरे हृदय में खुदा ने आपकी मुहब्बत पैदा की है कि यदि आप मेरा विरोध भी करें, तो यह विरोध भी मुझे आपके हित-चिन्तन से नही रोक सकता। इसलिये मैं आप लोगो से कहता हूँ कि मेरा सन्देश जाति को पहुँचा दो कि वह असत्य से विलग हो जाय। असत्य का विनाश होने को है। ऐसा न हो कि तुम सब उसकी मित्रता में

तवाह हो जाओ । मैं दु'ख भरे दिल से यह वात कहता हूँ कि मेरे मित्र, मेरे साथी वनें या न वनें, यह आपकी इच्छा है । मैं किसी को वल-पूर्वक अपना साथी वनाना नही चाहता । मेरे लिये मेरा खुदा (ईश्वर) पर्याप्त है, परन्तु असत्य से अवश्य-अवश्य पृथक् हो जाइये । उसकी मित्रता का परित्याग कर दीजिये । मुझे इस वात का अत्यन्त दुख पहुँचता है कि हमारे कुछ भाई हम से अपने आप को विलग समझते हैं । जवकि सत्य यह नही है, प्रत्युत् सत्य यह है कि समस्त पठान ज़ाति एक ही वाप की सन्तान है । इनका हर्ष और शोक एक है । हम एक देश के रहने वाले हैं और हमारी हानि-लाभ एक है । ऐसी अवस्था में हम एक-दूसरे से कैसे जुदा हो सकते हैं । मैं किसी को अपने से विलग नही समझता । इसलिये जो लोग हम से अपने आप को जुदा समझते हैं, उनको भी इस समस्या पर विचार करना चाहिये और मेरी वातो को ध्यान से सुनना चाहिये ।"

**विहार का भ्रमण—**

दूसरा महायुद्ध ससार के लिये जो भयकर विपत्तियाँ लेकर आया, उनमें भूख और दुर्भिक्ष हिन्दुस्तान को हिस्से में मिला । युद्ध के समाप्त होने पर १६४५ ई० में विहार व वगाल में भीषण दुर्भिक्ष फूट पडा । लोग दाने-दाने को तरसने लगे । भूख से तडप-तडप कर मरने लगे । पेट की आग वुझाने के लिये माताएँ वच्चो को, भाई वहिनों को, पति पत्नियो और कुमारियाँ अपने सतीत्व को वेचने पर विवश हो गई । प्रत्येक ओर प्रलय मची थी । सारा देश एक दम तोडते हुए रोगी की भाँति कराह रहा था ।

एक समय के प्रयत्नो के पश्चात् कही जाकर दुर्भिक्ष का जोर टूटा, तो रोग फूट पडे । जो लोग दुर्भिक्ष से वच निकले, वे महामारी की भेंट हो गये और जव महामारी पर कावू कर लिया गया, तो नवाखली (वगाल) से साम्प्रदायिक दगों की आग ऐसी भडकी कि विहार को भी अपनी लपेट में ले लिया और इस प्रकार इस दुखद घटना-चक्र का शोक भरा अध्याय समाप्त हुआ ।

विहार के मुसलमानो की तबाही और वरवादी की कहानियाँ भारत के दूसरे भागो में पहुँची, तो सारी राजनीतिक सस्थाओ ने उनकी सहायता के लिये अपने स्वयसेवक और कार्य्यकर्त्ता भेजे ।

सीमाप्रान्त मे सबसे पहले बाचा खान खुदाई खिदमतगारो का एक भारी दल लेकर बिहार पहुँचे। इसके पश्चात् मुस्लिम लीग और खाकसार दल ने भी अपने स्वयसेवको की टुकडियां भेजी, जिन्होने वहां सराहनीय सेवा-कार्य किया।

बाचा खान ने बिहार पहुँचते ही सारे प्रान्त का भ्रमण आरम्भ किया। एक-एक गांव मे पैदल पहुँचे और दु खी लोगो को समस्त प्रकार की सहायता पहुँचाई, उन्हे मृत्यु के पञ्जे से निकाल कर नया जीवन प्रदान किया। अपने लम्बे दौरे के दौरान में उन्होंने हजारो-लाखो मूल्यवान जीवनो को नष्ट होने से बचा लिया।

# मुस्लिम लीग का आरम्भ

## लीग मंत्रिमण्डल की स्थापना और पराजय

पिशावर शहर के वे पुराने राजनीतिक कार्यकर्त्ता, जो कांग्रेस से कई मत-भेदो के आधार पर विभिन्न अवसरो पर विलग होते रहे, अब तक नियमित रूप से किसी सस्था में शामिल नही हुए थे। अगस्त १९३६ ई० में उन्होंने क़ाइदे आज़म मुहम्मद अली जिन्नाह (दिवगत) के निमन्त्रण पर पहली वार यहाँ मुस्लिम लीग की स्थापना का निश्चय किया।

मिर्ज़ा सलीम खान के मकान पर एक अनियमित बैठक बुलाई गई, जिसमें निम्नलिखित महानुभावो ने भाग लिया :—

सरदार औरगजेव खान, मियाँ जियाउद्दीन खान, हाजी अब्दुर्रहीम, अल्लाह वख्श यूसफी, रहीमवख्श, गज़नवी, मिर्ज़ा सलीम खान।

इस बैठक में मुस्लिम लीग की नीव रखी गई और कटडा अवरेशमगरां में उसका पहला जलसा किया गया, जिसमें अल्लाह वख्श यूसफी और रहीम वख्श ग़ज़नवी ने भाषण किये।

१९३७ ई० के साधारण चुनाव ( जनरल अलेक्शन ) में कांग्रेस सस्था के रूप में चुनाव लडी। परन्तु मुस्लिम लीग अभी इस हैसियत अथवा सामर्थ्य में नही थी, इस लिये मुस्लिम लीग के टिकट पर किसी ने चुनाव लडने का साहस न किया। जहाँ तक कि सरदार अब्दुर्रव खान निश्तर और पीर वख्श खान को काइदे आजम ने लीग का टिकट देने की स्वय पेशकश की, परन्तु उन्होने यह पेशकश ठुकरा दी और स्वतन्त्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव में खडे हुए और सीमाप्रान्त के भूतपूर्व प्रधान-मन्त्री अब्दुल कय्यूम खान के मुकावले में सफल हुए। अब्दुल कय्यूम कांग्रेस के टिकट पर खडे हुए थे। प्रान्त में चुनाव का परिणाम कांग्रेस के पक्ष में शानदार रहा और १९३७ ई० में कांग्रेस का पहला मन्त्रिमण्डल स्थापित हुआ, जो १९३९ ई० तक वना रहा।

१६३६ ई० में सीमाप्रान्तीय कांग्रेस मन्त्रिमण्डल ने अखिल भारतीय कांग्रेस के निर्णय के अनुसार त्यागपत्र दे दिया। परन्तु १६४२ ई० तक यहाँ गवर्नरी राज रहा, क्योंकि बहुमत कांग्रेस का था और उनके रहते हुए दूसरी कोई पार्टी मन्त्रिमण्डल बनाने का स्वप्न नही देख सकती थी।

४ सितम्बर '४२ ई० को सीमाप्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने अखिल भारतीय कांग्रेस के पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए प्रान्त मे अवज्ञा-आन्दोलन आरम्भ कर दिया। सीमाप्रान्त सरकार ने कांग्रेसी नेताओ की गिरफ़्तारियाँ आरम्भ की। इस सम्बन्ध मे असेम्बली के दस कांग्रेसी सदस्य भी गिरफ्तार कर लिये गये।

उस समय मुस्लिम लीग का प्रभाव प्रान्त में काफी बढ चुका था और उस की हवा बँधती देख कर अवसर की ताक मे रहने वाले बहुत से लोग, जो पहले मुस्लिम लीग में होना अपना अनादर समझते थे और जिन्होंने काइदे-आज़म के पहली बार पिशावर आने पर उनके बार-बार बुलाने पर भी उनसे मिलना तक पसन्द न किया था, अब मुस्लिम लीग के पक्ष में अनुकूल वातावरण देख कर उसमें सम्मिलित हो चुके थे।

दस कांग्रेस असेम्बली-सदस्य गिरफ्तार हुए, तो मुस्लिम लीगी नेताओ और सीमाप्रान्त के पहले मुस्लिम लीगी सरदार औरंगजेब खान ने सीमाप्रान्त के गवर्नर से मिलकर सीमाप्रान्त में मुस्लिम लीगी मन्त्रिमण्डल बनाने के लिये प्रयत्न आरम्भ कर दिये। इधर सरकार भी दूसरे देशो पर यह सिद्ध करने के लिये कि मुसलमान क़ौम की हैसियत में कांग्रेस से अलग हैं, मुस्लिम लीग से समझौते पर सहमत हो गई। इस प्रकार सितम्बर १६३६ ई० में सीमाप्रान्त में पहला मुस्लिम लीगी मन्त्रिमण्डल बना, जिसके सदस्य निम्नलिखित थे—

| | |
|---|---|
| सरदार औरंगजेब खान, | प्रधान-मन्त्री |
| सरदार अब्दुर्रब निश्तर, | वित्त-मन्त्री |
| सरदार अजीतसिंह, | स्वास्थ्य-मन्त्री |
| समीन जान खान, | शिक्षा-मन्त्री |

यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि सरदार अब्दुर्रब खान निश्तर इस मन्त्रिमण्डल की स्थापना से एक दिन पहले तक मुस्लिम लीग के घोर विरोधी थे,

परन्तु रातोरात सौदा तै हो जाने के पश्चात् अगले दिन वे सबसे बड़े मुस्लिम-लीगी थे।

यह मन्त्रिमण्डल मार्च १९४५ ई० तक या दूसरे शब्दो मे उस समय तक स्थिर रहा, जब तक कांग्रेसी नेता जेलो में थे और उनकी रिहाई के साथ ही अपने आप टूट गया क्योंकि अब कांग्रेस के दस असेम्बली-सदस्य रिहा हो चुके थे और हाउस में कांग्रेस दल का बहुमत था। इसलिये गवर्नर के निमन्त्रण पर डा० खान साहिब ने प्रधानमन्त्री बनकर मार्च १९४५ ई० में दूसरी बार सीमा-प्रान्त में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल की बागडोर सम्भाली, जो १९४७ तक अर्थात् पाकिस्तान की स्थापना तक कायम रहा।

मुस्लिम लीग मन्त्रिमण्डल के समय में दुर्भाग्यवश कांग्रेस का अवज्ञा-आन्दोलन जोरो पर था और खुदाई खिदमतगारो पर सरकार असीम अत्याचार ढा रही थी। इसलिये लोगो ने मुस्लिम लीगी मन्त्रिमण्डल को इसका उत्तरदायी ठहराया और उसे बदनाम किया।

उन्ही दिनो १९४५ ई० में पिशावर में काइदे आज़म के आगमन ने बड़ा समारोह पैदा कर दिया। उनका ऐसा शानदार ऐतिहासिक स्वागत किया गया, जिसका उदाहरण बहुत कम मिलता है।

# दूसरे राजनीतिक दल

खिलाफत कमेटी, कांग्रेस कमेटी, नौजवान भारत सभा, मुस्लिम लीग, अवामी लीग और जमियतुलउलमा के अतिरिक्त सीमाप्रान्त मे समय-समय पर जिन दूसरे विख्यात राजनीतिक दलो ने यथाशक्ति सेवा की, उनका यहाँ संक्षिप्त रूप से उल्लेख करना आवश्यक जान पडता है।

**मजलिसे-अहरार—**

१९३२ ई० में पिशावर में मजलिसे अहरार की शाखा स्थापित की गई। उसके प्रधान मौलाना अब्दुल कय्यूम पोपलज़ई और मन्त्री हकीम अब्दुल अज़ीज़ चगताई नियुक्त हुए। इसके अतिरिक्त ज़िला हजारा मे भी मौलाना मुहम्मद गौस की अनथक कोशिशो से इस दल ने पर्याप्त सर्वप्रियता प्राप्त की। पिशावर और हज़ारा में मजलिसे-अहरार ने कई बडे-बडे सम्मेलन किये, जिनमे सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी और अन्य विख्यात अहरारी नेताओ ने भाग लिया। काश्मीर के आन्दोलन में इसने काफी उन्नति प्राप्त की और मसजिद शहीदगंज के आन्दोलन में इसकी ख्याति को बहुत हानि पहुँची। इस समय पिशावर में इसके नेता मौलाना अब्दुल कय्यूम पोपलजई और मौलाना नूरुलहक़ 'नूर' हैं।

**खाकसार—**

अल्लामा इनायतुल्लाह मशरिकी ने सरकारी नौकरी छोड़ने के पश्चात् रावपिण्ड में खाकसार संस्था की नींव रखी। उसके बाद १९३३ ई० मे पिशा-वर आकर इसका संगठन आरम्भ किया। सबसे पहले यहाँ इस आन्दोलन में मियाँ अहमद शाह बैरिस्टर, मियाँ मुहम्मद नासिर निशान, डाक्टर काज़मी आदि शामिल हुए। फिर संस्था हज़ारो तक पहुँच गई। अत्यन्त संगठित आन्दोलन था। परन्तु इसका अन्त बडा दुःख भरा है। १९३८ ई० मे अंग्रेजों ने इसे कुचलने का निश्चय किया। अल्लामा मशरिकी ने ३१३ स्वयंसेवकों का जत्था तैयार किया। सरकार ने उनकी गतिविधि और परेड पर प्रतिबन्ध लगा रखा था। यह जत्था लाहौर में मार्च करता हुआ निकला। इस पर निर्दयता से गोली चलाई

गई। कई नौजवान शहीद हुए, जिनमें बहुधा सीमाप्रान्त के रहने वाले थे। बाद में इस आन्दोलन ने इस्लाम लीग और वर्तमान ही में समानान्तर मुस्लिम लीग का रूप ग्रहण कर लिया है।

**जमाअते-इस्लामी—**

मई १९४५ ई० में जमाअते-इस्लामी का अखिल भारतीय सम्मेलन पठानकोट में हुआ, जिसमें सीमाप्रान्त से केवल १२ व्यक्ति सम्मिलित हुए। उनमें से आठ को सदस्य बनाया गया, जिनके नाम यह हैं—मौलाना फज्ल मा'बूद, ताजुल मलूक, मौलाना अब्दुल कादिर, हकीम अब्दुल अजीज, ताज मुहम्मद, अकबर पुरा, अकबर शाह और अरबाब निअमतुल्लाह। इस प्रकार सीमाप्रान्त में पहली बार जमाअते-इस्लामी की नींव पडी। फिर विभिन्न अवसरो पर जमाअत के विराट् वार्षिक अधिवेशन, सम्मेलन पिशावर में हुए, जिनमें जमाअत के अमीर (प्रधान) मौलाना अबुल अली मौदूदी ने भी भाग लिया। अभी तक इस जमाअत के सदस्यो की सख्या ११३ से अधिक नही, इसलिये कि सदस्य बनने के लिये उन्होने मानदण्ड बहुत ऊँचा रखा है। इस जमाअत के कई सदस्यो ने कय्यूम मन्त्रिमण्डल के समय मे कारावास के कष्ट भी उठाए। ये लोग नीरस परन्तु अनथक काम करने में विख्यात हैं।

**पिशावर राजनीतिक सम्मेलन—**

यह ऐतिहासिक सम्मेलन २१, २२, २३ अप्रैल १९४५ ई० को पिशावर के शाही बाग में हुआ, जिसके अध्यक्ष पद के कर्तव्य डा० सय्यद महमूद साहिब ने निभाए। उस समय प्रान्त में पुन काँग्रेस मन्त्रिमण्डल बन चुका था। इसलिये सम्मेलन का आयोजन और प्रबन्ध करने में पर्याप्त सुविधाएँ प्राप्त हो गई। शाही बाग के सुविशाल क्षेत्र में अफग़ान नगर का निर्माण किया गया, जिसके चारों ओर क्रान्ति भावो के मोटो लगाए गये। अफगान नगर में प्रवेश के लिये दो सुन्दर सडकें बनाई गई। एक सडक जनता के आने-जाने के लिये थी और दूसरी स्वयसेवको के लिये।

स्टेज (मच) पर एक हजार डेलीगेटो के बैठने का प्रबन्ध था और सभा-मण्डप में एक लाख व्यक्तियो के लिये स्थान था। प्रेस गैलरी में पचास रिपोर्टरो के लिये बैठने का स्थान बनाया गया, ताकि वे सुविधापूर्वक सम्मेलन की कार्यवाही की रिपोर्ट लिख सकें। मच को फूलो, रगारग कागजी पताकाओ, मोतियो की

लडियो और विजली के कुमकुमो से अलकृत किया गया था। मच के सुनहरी द्वार पर महात्मा गाधी, प० जवाहरलाल नेहरू, वाचा खान और दिवगत मौलाना मुहम्मदअली जौहर के पूरे कद के चित्र लगे हुए थे। मच की वाई ओर स्वागत समिति के सदस्यो के वैठने का प्रवन्ध था और सामने सात हजार कार्यकर्त्ताओ के लिये एक गैलरी वनी हुई थी। दाई ओर खुदाई खिदमतगारो का भव्य शिविर था, जिसमें सारे प्रान्त के स्वयसेवक वावरदी मौजूद थे। उसके निकट ही वाचा खान का खैमा था, जिसके वाहर कांग्रेस का तिरगा झण्डा लहरा रहा था, उसके दाएँ-वाएँ सालारे आजम (स्वयसेवको के प्रधान नायक) और प्राइवेट सैक्रेट्रियो के खैमे थे। शिविर के सुविशाल मैदान मे चार सौ खैमे खुदाई खिदमतगारो के निवास के लिये लगाये गये थे।

साराश यह कि शान व शौकत, सजधज, विशाल प्रवन्धो और अपने व्यापक हितकारी महत्वो की दृष्टि से यह सम्मेलन अपना उदाहरण आप था, यहाँ तक कि हिन्दुस्तान के वडे-वडे नेताओ को मानना पडा कि अखिल भारतीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनो में भी आज तक ऐसा सुन्दर भव्य पण्डाल और इतनी सुन्दर व्यवस्था, सुचारु प्रवन्ध देखने में नहीं आया और इस समस्त सफलता का श्रेय पिशावर के कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओ को पहुचता था, जिन्होने इस उद्देश्य के लिये रात-दिन एक कर दिया था।

इस सम्मेलन का उद्देश्य यह था कि अवज्ञा आन्दोलन (सिविल नाफरमानी) के पश्चात् सीमाप्रान्त कांग्रेस मे जो अस्थायी शिथिलता पैदा हो गई थी, उसका निवारण किया जाए और प्रान्त के समस्त राजनीतिक कार्यकर्त्ताओ को इकट्ठा करके उनमे नये जीवन का सचार किया जाय। इसके अतिरिक्त भारतवर्ष की वर्त्तमान परिस्थिति, कांग्रेस के कार्यक्रम और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियो पर विचार-विमर्श किया जाए।

इस सम्मेलन मे सीमाप्रान्त के खानसारो, स्टूडेण्ट यूनियन, और तत्कालीन नौजवान भारत सभा के अतिरिक्त पजाव की सोशलिस्ट पार्टी, कम्यूनिस्ट पार्टी, किसान पार्टी और वम्वई स्टूडेण्ट फैडेरेशन के छात्रो ने भी भाग लिया और इसे सफल वनाने के लिये यथाशक्ति प्रयत्न किया।

२१ अप्रैल को प्रात. समय सम्मेलन के अध्यक्ष डा० सैयद महमूद, भूला भाई देसाई के साथ पिशावर नगर के स्टेशन पर पहुँचे, जहाँ हजारो स्वयसेवको

ग्रोर लाखो जनसाधारण ने उनका स्वागत किया ग्रौर एक शानदार जुलूस निकाला, जो सारे नगर का चक्कर लगाकर ग्रफगान नगर में ग्राकर समाप्त हुग्रा । शहर को भली भाँति सजाया गया था ग्रौर स्थान-स्थान पर सुन्दर द्वार वनाए गये थे, जिनमें से मौलाना ग्रब्दुर्रहीम पोपलजई गेट, फख्ने ग्रफगान (ग्रफगान गौरव) द्वार, भगतसिंह द्वार, डा० सय्यद महमूद द्वार, सैय्यद ग्रकवर शहीद द्वार, जवाहरलाल द्वार ग्रौर ग्राजाद द्वार उल्लेखनीय हैं ।

२१ ग्रप्रैल साढे ग्राठ वजे रात सम्मेलन का कार्यक्रम ग्रारम्भ हुग्रा । ग्रारम्भ मे कुछ स्वाधीनता भाव रजित कविताएँ पढी गईं । वाद मे स्वागत-समिति के प्रधान मन्त्री सय्यद काइम शाह वकील ने भारत के प्रतिष्ठित नेताग्रो के प्राप्त सन्देश पढ कर सुनाए, जिनमें महात्मा गाधी, भारत-कोकिला (वुलवुले-हिन्द) सरोजनी नायडू, डा० जाकिर हुसैन, मौलाना हुसैन ग्रहमद मदुनी, वावा खडक सिंह, सरदार गगासिंह, मौलाना ग्रहमद सईद, ग्रौर जाति के ग्रन्य माननीय नेताग्रो के सन्देश सम्मिलित थे । इसके पश्चात् स्वागत समिति के प्रधान ग्रली गुल खान ने स्वागत-ग्रभिभाषण पढा, जिसमे सीमाप्रान्त के महान इतिहास की कुछ न भूलने वाली झलकियाँ प्रस्तुत करने के पश्चात् वताया कि यहाँ के लोगो ने ग्रारम्भ ही से देश के स्वाधीनता-सग्राम मे वढ-चढ कर भाग लिया । प्रत्येक ग्रवसर पर किसी प्रकार के वलिदान से पीछे नही हटे ग्रौर व्रिटिश साम्राज्य के ग्रत्याचार, हिंसा ग्रौर विक्षोभ का सदा लक्ष्य वने रहे । उन्होंने यह भी वताया कि किस प्रकार ग्राडे समय मे, जवकि ग्रग्रेजो ने हमारी सस्था को सर्वथा कुचल कर रख देने का तहय्या कर लिया था, मुस्लिम महान व्यक्तियो की उपेक्षा ग्रौर उन सहानुभूति युक्त नीति ने उन्हे कांग्रेस से मिलने पर विवश किया ग्रौर इस प्रकार उनके राजनीतिक जीवन का एक नया ग्रध्याय ग्रारम्भ हुग्रा । उन्होंने कहा, १९३० ई० से पहले हमारा प्रान्त विधान-शून्य भूमि कहलाता था, परन्तु एक लौह पुरुष ग्रौर सच्चे हितैषी नेता के प्रयत्नो ग्रौर ग्रविरल वलिदानो ने हमें इस ग्रवनति के गढे से निकाला ग्रौर ग्रग्रेजो को विवश कर दिया कि वे यहाँ सुधार लागू करके उसे दूसरे प्रान्तो के समान दर्जा दें ।

उन्होंने ग्रागे चल कर वताया कि ग्रवज्ञा ग्रान्दोलन में खुदाई खिदमतगारो पर क्या-क्या ग्रत्याचार न किये गये, परन्तु वे वाचा खान के वताए हुए ग्रहिंसा के नियमो का दृढता से पालन करते रहे ग्रौर प्रत्येक प्रकार के कष्ट सहन करने

पर भी मुंह से 'उफ' तक न की । उन्होने कहा—सरकार ने स्वयसेवको को उत्तेजना दिलाने के लिये अपने सारे हथियारो का प्रयोग कर डाला । मरदान मे शान्तिप्रिय जनसाधारण पर गोली चलाई । पिशावर मे स्वयसेवको को मोटरो के नीचे रौंदा । सय्यद अकबर खान को लाठियो से मार-मार कर शहीद कर दिया । ये सब बाते ठण्डे से ठण्डे दिल और दिमाग के लोगो को भी भडकाने के लिये पर्याप्त हैं । परन्तु पठानो जैसे भावुक और उग्र प्रकृति के लोगो का इन परिस्थितियो मे शान्तमय रहना, उस अहिंसा की शिक्षा का चमत्कार है, जो बाचा खान ने उन्हे दी है । अली गुल खान ने अपने स्वागत-अभिभाषण के अन्त में कहा, हमारे इतिहास का यह अत्यन्त कडवा युग है । अभी तक हमारे हृदय और मस्तिष्क पर १९४२ ई० की घटनाओ का प्रभाव है और वे घाव अभी भरे नही, जो हमे उस आन्दोलन में खाने पडे । इसके अतिरिक्त अभी तक हमारे बहुत से नेता जेलो में हैं और सारे देश की दृष्टि हमारे इस सम्मेलन पर लगी हुई है कि हम अपने महत्त्वपूर्ण निर्णयो से उनका नेतृत्व करें ।

इसके पश्चात् अब्दुल कय्यूम खान बैरिस्टर ने सम्मेलन की अध्यक्षता के के लिये डा० सय्यद महमूद का नाम प्रस्तावित किया, जिसका समर्थन हकीम अब्दुल जलील नदवी ने किया ।

अध्यक्ष महोदय ने अपने सभापति-अभिभाषण में सीमाप्रान्त की जनता का धन्यवाद करते हुए बताया कि किस प्रकार आरम्भ में हिन्दुस्तान वाले और विशेषत हिन्दू पठानो को हौवा समझ कर इनसे डरते थे । परन्तु बाचा खान ने यह परायापन दूर किया और गत कुछ वर्षो में सीमाप्रान्त के लोगो के अद्वितीय बलिदानो से उन्हे समस्त भारत के लोग सम्मान और प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखते हैं तथा इन्हे अपना भाई तथा सच्चा मित्र समझते हैं । उन्होने कहा, "आज मुझे इस बात पर आश्चर्य नही कि पठान राष्ट्रवादी होने का गौरव करते हैं, क्योंकि सबसे पहला राष्ट्रवादी शेरशाह सूरी था, जो एक पठान ही था, जिसने देश में सबसे पहले राष्ट्रवाद का प्रचार किया ।"

आपने भाषण को जारी रखते हुए कहा, "लोगो को यह नही समझना चाहिये कि हमारे बलिदान निष्फल गये, उनका फल हमें मिलेगा और अवश्य मिलेगा ।" अन्त में आपने डा० खान साहिब से कहा कि उन्होंने यहां पुन कांग्रेस मन्त्रिमण्डल बनाया है, तो उन्हे कोई काम भी करके दिखाना चाहिये । सबसे पहले प्रान्त के

मजदूर और गरीब वर्ग की दशा सुधारनी चाहिये, फिर यहाँ के पिछड़े हुए लोगो की शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिये।

२२ अप्रैल की दूसरी बैठक में सबसे पहले एक प्रस्ताव के द्वारा मौलाना अब्दुर्रहीम पोपलजई, आगा लाल बादशाह, बेगम आजाद, महादेव देसाई, सय्यद अकबर खान, सय्यद अहमद और कामदार खान की अकाल मृत्यु पर शोक प्रकट किया गया और उन शहीदो के प्रति श्रद्धाञ्जलि भेंट की गई, जिन्होंने देश की स्वाधीनता के युद्ध मे अपने प्राणो का बलिदान किया।

इसके पश्चात् बाचा खान ने भाषण किया, जिसका साराश यह है—

"स्वाधीनता के युद्ध के लिये हमारा कार्यक्रम वही है, जो पहले था। यदि उसमे कोई परिवर्त्तन आया है, तो इसमें खुदाई खिदमतगारो का दोष नही, अपितु जाति का दोष है, जिसने पूरा बलिदान नही किया। फिर भी खुदाई खिदमतगारो ने जो बलिदान दिये हैं, वे हमें अपनी मजिल के निकट ले आये हैं। यदि आपने मेरी बात मानी होती और हमारी थोडी-सी भी सहायता की होती, तो आज हम अपने कार्यक्रम में सफल होते। हमारी असफलता का कारण आप हैं। इस देश की सेवा केवल खुदाई खिदमतगारो ही ने नही करनी, न ही यह देश केवल खुदाई खिदमतगारो का है। जब देश आपका, हमारा, सब का है, तो इसकी सेवा आप क्यो न करें।

"मै पार्लमिन्टरी (ससदीय) व्यक्ति नही हूँ। मैं क्रान्तिकारी व्यक्ति हूँ। जो लोग मेरे साथ जेल में रहे हैं, वे मेरे विचारो से भली-भाँति परिचित हैं। जो जेलो से रिहा हुए, मैंने उनसे कहा था कि वे आराम से घरो मे न बैठें। यदि और कुछ नही कर सकते, तो आवाज ही उठाएँ। परन्तु आपसे यह भी न हो सका। आपसे केवल आवाज न उठाई गई। आप लोग तालियाँ बजाते हैं। मैं तालियो से प्रसन्न नही होता। मैं तो क्रियाशील, कर्मनिष्ठ व्यक्ति हूँ और कार्य से प्रसन्न होता हूँ। कई लोग अपने आपको बडे और धुरन्धर विद्वान् कहते हैं, परन्तु देश के लिये कुछ नही करते। आज देश में कई दल बन चुके हैं और कई प्रकार की बाते हो रही हैं। परन्तु हमारा वही ध्येय है, जो पहले था। अब मेरा कार्यक्रम यह है कि आपमें जो

निराशा उत्पन्न हो चुकी है, उसे दूर करूँ। अहिंसा मे पराजय और निराशा का नाम तक नहीं। जो लोग मेरे साथ रहे हैं, वे जानते हैं कि मन्त्रिमण्डल तो एक ओर रहा, मैं तो चुनाव के भी विरुद्ध हूँ। आखिर युद्ध के समय में चुनाव की क्या आवश्यकता है, परन्तु जेल में जब मैंने आपकी प्रार्थनाएँ और खत्म (कुरआन के पाठ की समाप्ति पर रस्में अदा करना) देखे, तो मैं उस समय समझ गया कि आप मन्त्रिमण्डल चाहते हैं। वास्तव में आप जेल के जीवन से तग आ गये थे। मैं उस समय आपकी नीयत ताड गया। मेरे सामने कभी अँधेरा नही होता। मैं समझता हूँ, मन्त्रिमण्डल मे इतनी शक्ति नही कि वह देश और जाति की सेवा कर सके। इसलिये इससे मेरा विरोध है और इसीलिये मैं इसका उत्तरदायित्व नही लेता। जो लोग जेल से बाहर थे और जिनका विश्वास पार्लमिण्टरी कार्यक्रम में है, उन्होने मुझे कहा कि इसमे हम जनता को कुछ-न-कुछ लाभ पहुँचा सकते हैं। चूंकि मैं खुदाई खिदमतगार हूँ इसलिये मैंने कहा, यदि तुम इसमे जाति की भलाई समझते हो, तो मैं तुम्हारे मार्ग मे बाधा नही बनना चाहता।

"कुछ लोग आते हैं और मुझे कहते हैं कि बाचा खान जो कुछ हम करते हैं आपके लिये करते हैं। परन्तु मैं किस के लिये करता हूँ? यदि मेरे लिये कोई काम करता है, तो बिलकुल न करे। यदि आप खुदा (ईश्वर) के लिये कर सकते हैं, तो करें। मैं भी जो कुछ करता हूँ, खुदा के लिये करता हूँ। मेरा किसी पर एहसान या उपकार नही।

मैंने अपहरण, डाके आदि दूर करने के लिये कबीलो में शिष्ट-मण्डल भेजा, परन्तु उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मैं नही समझ सकता कि इनमें सरकार की क्या हानि है। मैं निमन्त्रण देता हूँ कि यदि सरकार ईमानदारी—सच्चे हृदय से यह समस्या हल करना चाहती है, तो हम उसे अपना सहयोग पेश करते हैं। यदि मेरे सुझावो को कार्यान्वित किया जाय, तो थोडे ही समय में वे लोग, जिन्हें हिन्दुस्तान का शत्रु कहा जाता है, हिन्दुस्तान के मित्र कहलायेंगे।"

बाचा खान के पश्चात् भूलाभाई देसाई, बाबा सोहनसिंह भाखना, मुफ्ती जियाउलहसन, अब्दुस्समद खान अचकजई, शेख मुहम्मद जलाली, मौलाना

दाऊद गजनवी, डाक्टर किचलू और हकीम अब्दुल जलील नदवी ने भापण किये।

२३ अप्रैल की तीसरी बैठक मे पार्लमिण्टरी सेक्रेट्ररी अमीर मुहम्मद खान ने एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें केन्द्रीय सरकार से मांग की गई कि वज़ीरस्तान पर वमवारी का क्रम बन्द किया जाय। इसके पश्चात् पीर शहन्शाह, खलीफा फज्लदीन, श्रीमती अमरकौर, चौधरी मुहम्मद शफी, मिहरचन्द खन्ना ने भापण किये। उनके वाद शेख अब्दुल्लाह ने भापण करते हुए कहा—

"मैं आपके सामने केवल काश्मीर का प्रतिनिधित्व नही कर रहा, अपितु ५८० रियासतो का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। अग्रेज़ ने हिन्दुस्तान को दो भागो में बांट रखा है। एक रियासती हिन्दुस्तान और दूसरा ब्रिटिश इण्डिया। रियासती हिन्दुस्तान में दस कोड हिन्दू, मुसलमान और सिक्ख बसते हैं, जिन पर केवल गुलामी का बोझ ही नही, अपितु वेचारे चक्की के दो पाटो मे पीसे जा रहे हैं। जहाँ तक अखिल भारतीय कांग्रेस का सम्बन्ध है, महात्मा गाधी या कांग्रेस कहती है कि रियासती लोग अपने भाग्य का आप निर्माण करें। हम उनकी वातो में हस्तक्षेप नही करना चाहते। परन्तु रियासतो के दस करोड अभागे लोग हिन्दुस्तान की वातो या समस्याओ से अपरिचित नही, प्रत्युत् इस देश की पराधीनता को अपनी पराधीनता समझते हैं।

"मौलाना अवुल कलाम आज़ाद, डाक्टर सय्यद महमूद, अब्दुल गफ्फार खान के ज्ञान, गौरव और सेवा बलिदानो को जानते हुए भी, सच्ची बात तो यह है कि हिन्दुस्तान के मुसलमान इन्हे धार्मिक मुसलमान नही समझते, प्रत्युत् राजनीतिक मुसलमान समझते हैं। मुसलमान अन्धा नहीं है, परन्तु यह होते हुए भी जिन्नाह के पीछे लगा हुआ है, जो न ज्ञान, न गौरव, न बलिदान मे इनका मुकाबला कर सकता है। परन्तु फिर भी जब मुहम्मद अली जिन्नाह कोई आवाज़ उठाता है, करोडो मुसलमानो की आंखें उनकी ओर उठती हैं। जब तक ये बातें नही सोचेंगे, सफलता कठिन है। जिन्नाह की लीडरशिप ( नेतृत्व ) ग़लत है, तो इसे हटाएँ सही (ठीक) है, तो इसे अच्छा कहे।"

अन्त मे डाक्टर सय्यद महमूद ने शेख अब्दुल्लाह के भाषण को बहुत महत्व-पूर्ण बताते हुए कहा—

"शेख साहिब ने मि० मुहम्मदअली जिन्नाह के व्यक्तित्व की ओर लोगो को सोच-विचार का निमन्त्रण दिया है कि आखिर मुसलमानो में वह दिन-प्रतिदिन क्यो प्रिय होते जा रहे हैं। उन्होने कहा, हिन्दू-मुसलमानो को भाई-चारे मे इस देश में रहना चाहिये और स्वाधीनता के लिये प्रयत्न करना चाहिये। हिन्दू इतने मूर्ख नही होगे कि मुसलमानो को मिटाने का प्रयत्न करें न ही मुसलमान इतनी आसानी से मिट सकते हैं। यदि हिन्दुओ ने ऐसी मूर्खता की, तो मुसलमान बडी सख्या में उनका मुकाबला करेंगे। आखिर हम दस करोड मुसलमानो को हिन्दू हलवा बना कर तो नही खा सकते। यदि मुसलमानो के लाभ की वस्तु पाकिस्तान है, तो अवश्य होना चाहिये। गाधीजी भी कहते हैं। परन्तु क्या सचमुच ही मुसलमानो के लिये यह लाभदायक वस्तु है। मैं चैलेंज करता हूँ कि कांग्रेस के मुसलमानो के मुंह से मुस्लिम लीग के विरुद्ध एक शब्द भी निकले, तो हमारी जुबानें काट लें। हिन्दुओ के पास इतना रुपया भी नही, जिससे वे अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद या मुझे खरीद सकें। यदि कोई दूसरी संस्था या प्रतिष्ठान स्वाधीनता के प्राप्त करने के लिये हो, तो हम उसमें जाने के लिये तैय्यार हैं।"

अध्यक्ष के भाषण के साथ ही २३ अप्रैल को साथ यह ऐतिहासिक सम्मेलन समाप्त हो गया। सम्मेलन की अवधि में आमोद-प्रमोद के लिये खटक नृत्य, कवि-सम्मेलन और नाटको की भी व्यवस्था की गई। मुशाइरे (कवि-सम्मेलन) और नाटको के प्रबन्धक दिवगत मुहम्मद अकबर 'खादिम' थे, जो आन्दोलन के बहुत बडे नेता और प्रसिद्ध पश्तून शाइर थे।

**सीमाप्रान्त में कांग्रेस की अवनति के कारण—**

सीमाप्रान्त असेम्बली के दस कांग्रेसी सदस्यों के जेल से रिहा होते ही मार्च १९४५ ई० मे पुन कांग्रेस मन्त्रिमण्डल स्थापित हो गया। इस मन्त्रिमण्डल में एक मन्त्री मिहरचन्द खन्ना भी लिये गये, जो साम्प्रदायिक विचारों के हिन्दू थे, और सदा महासभाई दल तथा सरकार-भक्त लोगों में रहे थे। इसने कांग्रेस

मन्त्रिमण्डल के सम्बन्ध मे लोगो में तरह-तरह की बातें होने लगी तथा विरोधियो को आपत्ति उठाने का और भी अधिक अवसर मिला।

इससे कुछ समय पहले डाक्टर खान साहिब ने एक सिख ईसाई लेफ्टिनेण्ट कर्नल सरदार जसवन्तसिंह से अपनी लडकी को सिविल मैरिज करने की आज्ञा दे दी। यह बात कांग्रेस के मुसलमान नेताओ को बहुत बुरी लगी और अरबाब अब्दुल गफूर जैसे सच्चे और पुराने कार्यकर्त्ता तथा उनके कुछ साथी केवल इसी मतभेद के आधार पर सस्था (कांग्रेस) से अलग हो गये। वे बाद मे मुस्लिम लीग में जा मिले। हालाँकि डाक्टर खान की लडकी के व्याह की बात सर्वथा निजी ही थी परन्तु विरोधियो ने इसे स्कैण्डल बना कर इससे खूब लाभ उठाया।

१९४६ ई० मे बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में डाक्टर अशरफ ने मुसलमानो के आत्म-निर्णय-अधिकार का एक प्रस्ताव पेश करने की इच्छा प्रकट की। सीमाप्रान्त के कुछ कांग्रेसी मुसलमान नेता और कार्यकर्त्ता भी इस प्रस्ताव के पक्ष में थे, परन्तु जब दौड-धूप के पश्चात् यह प्रस्ताव अधिवेशन में प्रस्तुत करने की आज्ञा प्राप्त करके डाक्टर अशरफ इसे पेश करने के लिये उठे, तो जलसे में एक गडबड-सी मच गई और प्रस्ताव पेश न किया जा सका। इस घटना से उन लोगो को बडा आघात पहुँचा और अधि-वेशन से लौट कर वे कांग्रेस से विलग होकर मुस्लिम लीग में चले गये। उनमें पिशावर के विख्यात राजनीतिक कार्यकर्ता अल्लाह बख्श बर्की और उनके साथी भी सम्मिलित थे।

कांग्रेस मन्त्रिमण्डल बनने के साथ ही कांग्रेस कार्य-कर्त्ताओ और स्वय-सेवको ने अपने प्रयत्न उसके निमित्त कर दिये, ताकि अपने मन्त्रिमण्डल से कुछ न कुछ लाभ उठाया जाए। प्रान्त भर के हजारो लाखो खुदाई खिदमतगारो में से प्रत्येक यही चाहता कि उसे अपने बलिदानो का कुछ न कुछ फल अवश्य मिलना चाहिये। विदित है कि उन सब को प्रसन्न करना और उनकी इच्छा पूरा करना मन्त्रिमण्डल के बस का रोग नही था। फलस्वरूप बहुत से लोग अप्रसन्न होकर दल से अलग हो गये, कुछ तो खुल्लम-खुल्ला विरोधी दलो में चले गये। कुछ ने उचित-अनुचित आपत्तियाँ उठानी आरम्भ कर दी और जिन्हे कुछ मिला वे भी निन्यानवे के चक्कर में फँस कर सदा के लिये निकम्मे हो गये।

बाचा खान की दूरदर्शी आँखो को यह बातें पहले ही से दिखाई दे रही थीं।

इसलिये वे मन्त्रिमण्डल बनाने के पक्ष मे नहीं थे। अतः वही हुआ, जिसकी उन्होने भविष्यवाणी की थी—अर्थात् आदोलन को हानि पहुँची और यह सौदा बहुत महँगा पडा।

इन सबमे बढ कर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मे कुछ द्वेषी हिन्दुओं ने मुसलमानो से सौतेली माता का-सा बर्ताव आरम्भ कर दिया। उनके इस पक्ष-पात युक्त व्यवहार ने मुसलमानो को बहुत हद तक कांग्रेस से विमुख कर दिया। इसके अतिरिक्त हिन्दुस्तान मे हिन्दू सभा ने मुसलमानो के विरोध पर कमर बाँध कर साम्प्रदायिकता, द्वेष और घृणा का बीज बोया, जिससे हिन्दुओ और मुसलमानो के मध्य एक ऐसी खाई उत्पन्न हो गई जिसका पाटना असम्भव-सा हो गया। देश में स्थान-स्थान पर हिन्दू-मुस्लिम दगे होने लगे और दिन-प्रतिदिन वे एक-दूसरे से दूर होते गये।

शुद्धि और सगठन के आदोलन ने सारे देश के वातावरण में साम्प्रदा-यिकता का विष फैला दिया और कुछ अनुदार सकीर्ण हृदय साम्प्रदायिक हिन्दुओ ने मुसलमानो के धर्म और उनके पेशवाओ (धार्मिक महापुरुषो) के विरुद्ध दिल दुखाने वाली पुस्तकें लिख कर उनमें अविश्वास और अनास्था का ऐसा घाव उत्पन्न कर दिया, जिसका इलाज असम्भव था।

इसमें सन्देह नही कि इन सब बातो में अग्रेज शासको का हाथ था। उन्होंने एक सोची-समझी नीति के अनुसार कुछ स्वार्थी लोगो को कठपुतली बना कर साम्प्रदायिक आग को हवा दी और भारत में संयुक्त राष्ट्रीयता के सिद्धान्त को असफल बनाने में कोई कसर उठा न रखी।

परन्तु कांग्रेस की भूलो तथा कुछ उत्तरदायी हिन्दू नेताओ के गलत व्यवहार से भी इन्कार नहीं किया जा सकता, जिसके कारण धीरे-धीरे मुसलमानो में हिन्दुओ के प्रति वैमनस्य पैदा हो गया और वे कांग्रेस से निराश होकर मुस्लिम लीग की ओर झुकते गये, मुस्लिम लीग दिन-प्रतिदिन दृढ होती गई और मुसल-मानो की प्रतिनिधि सस्था बनती गई, इससे पाकिस्तान की मांग जोर पकड़ती गई और अन्त में यह मांग इतनी व्यापकता ग्रहण कर गई कि हिन्दुस्तान के बटवारे को किसी भी कीमत पर स्वीकार न करने वाली कांग्रेस को भी मुस्लिम लीग की इस मांग के सामने झुकना पडा और पाकिस्तान की स्थापना की

योजना जिसे पागल का स्वप्न कहा जाता था, अन्त मे एक अटल सत्य बन कर सामने आया।

**बाचा खान पर पजाब में दाखिल होने का प्रतिबन्ध—**

२८ जुलाई १९४५ ई० में बाचा खान ने जिला हजारे के भ्रमण के लिए प्रस्थान किया, तो अटक के पुल पर पुलिस ने आपको पजाब के इलाका छछ में अपने मित्रो से मिलने की आज्ञा न दी और आपको पुलिस की हिरासत में कोहाट पहुँचाया गया, जहाँ से एबटाबाद भेज दिया गया। मज़े की बात यह है कि उस समय सीमाप्रान्त में कांग्रेस मन्त्रिमण्डल स्थापित हो चुका था और सरकार को आपकी सस्था का सहयोग प्राप्त था। निम्नलिखित वक्तव्य आपने ३० जुलाई को ऐसोसिएटेड प्रेस को दिया, जिसमें अपनी हिरासत की कहानी आपने स्वय पूरे विस्तार से कह डाली है—

"अटक पर मेरे साथ जो बर्ताव हुआ है, उसके लिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और अटक की पुलिस उत्तरदायी है। मेरा सर्वथा इरादा न था कि पजाब सरकार की इच्छा के विरुद्ध किसी सार्वजनिक सभा में भाषण करूँ, जैसा कि मैंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अटक के उस नोटिस के उत्तर में लिखा था, जिसकी तामील मुझसे कराई गई थी। परन्तु मैं किसी ऐसे आदेश का पालन करने के लिये तैय्यार न था, जिसका उद्देश्य मुझे एक शान्तिप्रिय नागरिक के रूप में अपने मित्रो से भेंट के अधिकार से भी वचित रखता हो।

"जब मैं अटक के पुल के निकट पहुँचा, तो मुझे एक निषेध आज्ञा-पत्र दिखाया गया, जो मैंने हस्ताक्षर करके वापस कर दिया और पुल पार करके जब पजाब की सीमा में पहुँचा, तो, मुझे फिर वही नोटिस दिखाया गया। वहाँ कुछ पुलिस अधिकारी, जो एक कार में सवार थे, मेरी ओर बढे और ठहरने को कहा। जब मेरी कार खडी हो गई, तो एक पुलिस-अधिकारी ने कहा कि यदि ड्राइवर ने आपकी कार चलाई, तो गिरफ्तार कर लिया जायगा। इस पर मैं अपनी कार से उतर पडा और पैदल कैम्बलपुर की ओर चल पडा और एक वृक्ष की छाया में अपना बिछौना बिछा दिया। थका होने के कारण मैं शीघ्र ही सो गया। आँख खुली तो भूखा-प्यासा था। मैंने पुलिस-अधिकारियों

से कहा, मेरे लिये खाने का प्रबन्ध करें। परन्तु उन्होंने उत्तर दिया कि आप हिरासत में हैं, इसलिये हम खाने का प्रबन्ध नही कर सकते। जब मैंने कहा कि मैं निकटवर्ती गांव मे खाने के लिये जाना चाहता हूँ, तो मुझे वहाँ जाने से भी रोक दिया गया।

"इतने में एक सिख सिपाही मेरे पास आया और बोला हम बडे सौभाग्यशाली हैं कि आपके दर्शन प्राप्त हुए। इस पर मैंने विस्मित होकर कहा कि यह पहला अवसर है कि मुझ पर राइफलो और लाठियो का प्रयोग करने वाले दल के व्यक्ति मेरा दर्शन करने आये हैं। उसके थोडी देर बाद मैंने एक अग्रेज अधिकारी को अपनी ओर आते देखा, जो पजाबी बोलता था, वह मुझे १९३० ई० से जानता था, जब कि वह चार सद्दा में था (और अब मेरे साथ आंख मिलाने से लज्जा अनुभव कर रहा था)। मैंने उससे कहा, मेरा गडबड डालने का कोई इरादा नहीं, शर्त यह है कि आप मुझे तंग न करें। परन्तु आपने यदि अनुचित वर्ताव किया, तो मैं किसी खराब परिणाम का उत्तरदायी नही। जब उसने मेरी बात की ओर कोई ध्यान न दिया, तो मुझे बाध्य होकर खुदाई खिदमतगारो को बुलाना पडा। परन्तु उनके वहाँ पहुँचने से पहले एक और अग्रेज अधिकारी ने जो शायद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था, मुझे आकर कहा कि आप गिरफ्तार कर लिये गये हैं।

"मैं खुश था कि अब जेल में कुछ खाने को तो मिलेगा और आराम प्राप्त होगा। परन्तु मैं देखकर आश्चर्य-चकित रह गया कि मुझे खुशहालगढ की ओर ले जाया जा रहा था। रात के दस बज गये होंगे, जब हम 'जण्ट' पहुँचे। उस समय मोटर की रोशनी फेल हो गई और हम आशका से कि किसी दुर्घटना का सामना न हो जाय, कार वहीं खडी कर दी गई और पुलिस-अधिकारी खाना खाने लगे। मुझे भी उन्होंने एक चपाती दी, जो मैंने दूध के साथ खाई।

"रात के एक बजे हम खुशहालगढ के पुल पर पहुँचे, जहाँ मैंने सीमाप्रान्त की पुलिस के साथ बुरज में रात काटी। अब मैं स्वतन्त्र था। प्रात की नमाज के पश्चात् मैंने खुदाई खिदमतगारो के साथ चाय पी और रेलगाडी द्वारा कैम्बलपुर आया। चूंकि मेरे पास कोई पैसा नहीं

था, इसलिये मैंने टिकट न खरीदा और इसके साथ ही मेरा यह खयाल भी था कि चूंकि सरकार मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे यहां लाई थी, इसलिये मुझे ऐबटाबाद का टिकट खरीद कर देगी, जहां मैं जाना चाहता था। जब मैं कैम्बलपुर पहुंचा, तो पुलिस ने मुझे एक फौजी लारी में बिठाया और ऐबटाबाद ले आई, जहां मुझे सीमाप्रान्त पुलिस के हवाले कर दिया गया, जैसे मैं कोई बदमुआश था। इसके बाद मुझे रिहा कर दिया गया।"

इसी वर्ष २५ सितम्बर १९४५ ई० को आपने पुन जिला हजारे के भ्रमण का सकल्प किया और इलाका छछ के पठान भाइयो से मिलने का कार्यक्रम बनाया। इसके लिये आपने तहसील सबाबी के कुछ खुदाई खिदमतगारो को वहां भेजा कि उन लोगो को बाचा खान के आगमन की सूचना दें कि सब लोग एक स्थान पर एकत्रित हो, ताकि बाचा खान को उनसे मिलने की सुविधा हो। आपने इसके साथ ही यह भी सन्देश दिया कि आप वहां किसी जलसे में भाषण आदि नही करेंगे। २४ जुलाई को चार सद्दा में डिप्टी कमिश्नर कैम्बलपुर की ओर से आपसे एक नोटिस की तामील कराई गई कि आप अटक के जिला में प्रवेश नही कर सकते। उसी साय आप पिशावर आये और दूसरे प्रात अमीर मुहम्मद खान, अली गुन खान और मुहम्मद अमीन जान के साथ मोटर द्वारा चल पडे। अटक के पुल पर पहले की भांति पुलिस ने उन्हे रोक लिया। मजे की बात यह थी कि उन्हें रोकने वाली सीमाप्रान्त की पुलिस थी, जबकि सीमाप्रान्त में कांग्रेस मन्त्रिमण्डल स्थापित था। अस्तु इधर-उधर टेलीफोन करने के पश्चात् सीमाप्रान्त की पुलिस ने उन्हें जाने दिया, तो आगे पजाब पुलिस ने रोक लिया और गिरफ्तार करके पहले की तरह खुशहालगढ लाये और वहां से ऐबटाबाद पहुँच कर रिहा कर दिया।

**काश्मीर नेशनल कान्फ्रेंस—**

काश्मीर के नेता शेख मुहम्मद अब्दुल्लाह के सभापतित्व में ३ अगस्त १९४५ ई० को सूपुर के स्थान पर काश्मीर नेशनल कान्फ्रेंस का अधिवेशन हुआ, जिसमें बाचा खान ने भी भाग लिया। इससे पहले १९४० ई० में भी काश्मीर नेशनल कान्फ्रेंस के अधिवेशन में सम्मिलित हुए थे। इस बार सम्मेलन में भाषण करते हुए आपने काश्मीर के लोगो को बताया कि नेशनल कान्फ्रेंस की स्थापना

से पहले काश्मीर की दशा कितनी खराब थी। परन्तु नेशनल कान्फ्रेंस की स्थापना के पश्चात् विगत १६ वर्षों में शेख अब्दुल्लाह के अविरल प्रयत्नों ने काश्मीर की काया ही पलट कर रख दी।

इस सम्मेलन में पण्डित नेहरू भी सम्मिलित हुए। बाहर से आये हुए समस्त अतिथियों का दरियाई जुलूस निकाला गया। परन्तु डोगरा सरकार ने अपने जरखरीद एजण्टों के द्वारा भीषण प्रदर्शन कराए और प्रदर्शनकर्त्ताओं ने इस जुलूस पर पत्थर भी फेंके।

इस पथराव पर बाचा खान ने रुष्ट होने के स्थान पर हर्ष प्रकट किया और कहा कि सौभाग्य की बात है कि काश्मीरियों जैसी मुर्दा जाति में इतना साहस तो पैदा हुआ कि वे पत्थर बरसाने के योग्य हुए, अन्यथा यहाँ राजनीतिक आन्दोलनों से पहले तो बाहर के लोगों की सूरत देख कर ही डर जाते थे।

इस पथराव से पण्डित नेहरू और शेख अब्दुल्लाह को कुछ घाव भी आये थे। पण्डित नेहरू ने अपने भाषण में डोगरा सरकार की इस नीच और घटिया हरकत की निन्दा करते हुए कहा—

> "काश्मीरी भाइयो! शेख अब्दुल्लाह ने तुम्हे नया जीवन दिया है। खुदा का धन्यवाद करो कि उसने तुम्हें ऐसा नेता दिया, जो तुम्हारे लिये संसार की प्रत्येक शक्ति से टक्कर लेने को तैयार है। डोगरा सरकार ने तुम्हे पशुओं का जीवन व्यतीत करने पर बाध्य कर दिया था, परन्तु इनके प्रयत्नों से तुम आज फिर मनुष्यों के रूप में दिखाई दे रहे हो। परन्तु खेद है कि तुमने इसका आदर न किया और सरकार के हाथों बिक कर आज इस व्यक्ति का विरोध कर रहे हो, जो तुम्हारा सच्चा मित्र भी है और उपकारकर्त्ता भी—"

**पाकिस्तान के सम्बन्ध में बाचा खान और उनके दल का अन्तिम निर्णय—**

जब पाकिस्तान की स्थापना के लक्षण स्पष्ट नजर आने लगे, तो बन्नू में प्रान्तीय कांग्रेस पार्टी की एक ऐतिहासिक मीटिंग हुई, जिसमें यह समस्या विचाराधीन थी कि पाकिस्तान, जिसकी स्थापना की संभावना अब स्पष्ट दिखाई दे रही है, यदि निकट भविष्य में स्थापित हो जाय, तो खुदाई खिदमतगार संस्था और कांग्रेस का क्या रवय्या होना चाहिये? बहुत-से ऐसे लोग, जो पाकिस्तान की स्थापना के बाद मुस्लिम लीग में सम्मिलित होकर बड़े-बड़े सरकारी पदों पर पहुँचे, उन

समय कांग्रेस और ख़ुदाई ख़िदमतगार आन्दोलन से सम्बन्ध रखते थे और पाकिस्तान के घोर विरोधी थे। इस मीटिंग में ये लोग यह प्रस्ताव प्रस्तुत करने में आगे थे कि हमें स्वाधीन कबाइली इलाके में हिज्रत कर जाना चाहिये और वहाँ कबीलों को उकसा कर पाकिस्तान पर आक्रमण करके उसे समाप्त कर देना चाहिये। परन्तु बाचा खान ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया और कहा, 'हम केवल देश की स्वाधीनता चाहते थे। वह चाहे किसी रूप में भी मिले, हमें स्वीकार कर लेना चाहिये।' इस पर उस दल ने बाचा खान का प्रबल विरोध किया और अपनी इसी बात पर अड़े रहे कि पाकिस्तान के विरुद्ध विद्रोह करना चाहिये। अन्त में बाचा खान उस मीटिंग में यह प्रस्ताव पास कराने में सफल हो गये कि हमें मौन रह कर परिस्थितियों का अवलोकन करना चाहिये और तटस्थ रह कर देखना चाहिये कि अदृश्य की यवनिका से क्या अभिव्यक्ति होती है। और उसके पश्चात् स्थिति के अनुसार सोच-समझ कर वह मार्ग ग्रहण करना चाहिये, जो उचित तथा उपयुक्त हो और देश व जाति के लिये लाभदायक हो। बाचा खान ने कहा, यदि पाकिस्तान बन गया, तो ठीक है, हम अपने सुधारात्मक आन्दोलन ख़ुदाई ख़िदमतगार को चलाएँगे और राजनीति से सम्बन्ध नहीं रखेंगे।

मज़े की बात यह हुई कि पाकिस्तान बनते ही वही लोग, जो पहले पाकिस्तान के प्रति विरोध में सब से आगे थे और विद्रोह करने पर तुले हुए थे, पाकिस्तान के मित्र बन गये और मन्त्रिमण्डल, उच्चपद प्राप्त कर लिए और दूसरों पर पाकिस्तान के प्रति शत्रुता का अभियोग लगाते हुए उन्हें ज़रा लज्जा न आई।

# पाकिस्तान की स्थापना

## १४ अगस्त १९४७ ई०

कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौते का प्रयत्न—

१९३९ ई० में दूसरे महायुद्ध ने सारे संसार को अपनी लपेट में ले लिया और हिटलर ने समस्त छोटे-छोटे यूरोपीय देशों पर अधिकार जमाने के पश्चात् अपना सारा ध्यान इंगलिस्तान की ओर लगा दिया। उसने रात-दिन की भीषण बम वर्षा से लन्दन के द्वार-दीवारें हिला दिये, तो अंग्रेजों को अपना विनाश स्पष्ट दिखाई देने लगा। वे बौखला गये और उन्होंने भारतीय जनता के सहयोग की प्रबल आवश्यकता अनुभव करते हुए भारत के वायसराय लार्ड लिन्लिथगो को विशेष आदेश भेजा कि भारतीय नेताओं से समझौते का कोई मार्ग पैदा करें।

अस्तु २० सितम्बर १९३९ ई० को भारत के वायसराय के निमन्त्रण पर महात्मा गांधी और काइदे आज़म मुहम्मद अली जिन्नाह् ने उत्तरोत्तर भेंटें की। गांधीजी ने इस भेंट के पश्चात् युद्ध में ब्रिटेन की सहायता करने पर अपनी सहमति प्रकट की। उनका विचार था कि इस आड़े समय में अंग्रेज कांग्रेस के सहयोग को सौभाग्य समझते हुए समस्त अधिकार उसे सौंप देंगे। परन्तु वायसराय ने कांग्रेस के इस दावे को स्वीकार न किया कि वह सारे हिन्दुस्तान का प्रतिनिधित्व करती है। उसने हिन्दुस्तान के समस्त राजनीतिक दलों के नेताओं को बारी-बारी से बुलाया और उनसे इस सम्बन्ध में विचार-विनिमय किया। ये भेंटें मध्य अक्तूबर तक जारी रहीं। इसके पश्चात् वायसराय ने गांधीजी और काइदे-आज़म को विशेष रूप से बातचीत के लिये बुलाया, ताकि उनमें समझौता करने और युद्ध में सहायता प्राप्त करने के सम्बन्ध में कोई मार्ग निकाला जाय। परन्तु ये दोनों नेता किसी परिणाम पर न पहुँचे, तो वायसराय ने इन्हें दो दिन का अवसर दिया कि वे आपस की बातचीत के बाद कोई संयुक्त समझौते की शर्तें पेश करें।

अब ये दोनो नेता सिर जोड कर बैठे। गाधी जी ने समझौते का जो मुसव्विदा काइदे-आज़म के सामने रखा, उसमें निम्नलिखित शर्तें थी—

"हिन्दुस्तान इस शर्त पर ब्रिटेन को युद्ध में सहायता देने को तैयार है कि ब्रिटेन युद्ध की समाप्ति पर हिन्दुस्तान को पूर्णरूपेण स्वाधीन कर दे और समस्त अधिकार हिन्दुस्तानियो को सौंप दे।"

काइदे-आज़म ने इस मुसव्विदे (लेख) में सशोधन चाहा और इस बात पर ज़ोर दिया कि मुसलमानो के अधिकारो का निर्णय किया जाए और मुस्लिम लीग को मुसलमानो की प्रतिनिधि सस्था स्वीकार किया जाय तथा स्पष्ट रूप से यह बताया जाय कि स्वतन्त्र हिन्दुस्तान का शासन-प्रबन्ध या विधान मुस्लिम लीग के परामर्श के बिना नही बनाया जायगा। गाधीजी को काइदे आज़म की ये शर्तें स्वीकार नही थी, इसलिये कि यदि वे मुस्लिम लीग को मुसलमानो की प्रतिनिधि सस्था मान लेते, तो कांग्रेस की हैसियत हिन्दू सस्था की रह जाती। इस प्रकार उसके राष्ट्रीय सस्था (नेशनल बाडी) होने का दावा मिथ्या हो जाता, तो दूसरी ओर राष्ट्रवादी मुसलमान इससे बिगड जाते, क्योकि सारी आयु कांग्रेस मे मुसलमानो के प्रतिनिधि के रूप में रहने और अमूल्य बलिदान देने के पश्चात् मुस्लिम लीग को मुसलमानो की प्रतिनिधि सस्था स्वीकार करने से राष्ट्रवादी मुसलमानो की हैसियत सदा के लिये समाप्त हो जाती और यह एक बडी राजनीतिक घटना थी।

काइदे आज़म ऐसे लचक-हीन कठोर व्यक्ति ने कांग्रेस के लिये ऐसी कठिनाई पैदा कर दी थी कि जिसे महात्मा गाधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और बाचा खान ऐसे मेधावी कांग्रेसी नेता भी हल करने में असमर्थ थे। काइदे आज़म अपनी बात पर अडे रहे। परिस्थितियो और घटनाओ ने भी सौभाग्यवश उनका साथ दिया। अग्रेज साम्राज्य की फूट डालने की नीति भी सहायक सिद्ध हुई। दो जातियो का सिद्धान्त पुष्टि प्राप्त करता गया। मुस्लिम लीग को मुसलमानो का समर्थन प्राप्त होता गया और काइदे-आज़म दिन-प्रतिदिन अपनी मांग पर और अधिक दृढता, कठोरता और स्थिरता से जमे रहे। यहाँ तक कि गांधी जी और अन्य कांग्रेसी महारथियो के काइदे-आज़म से समझौते के सम्बन्ध में समस्त प्रयत्न विफल सिद्ध हुए। बात अतिम स्थिति में आ पहुँची थी। अग्रेज़ हिन्दुस्तान को स्वाधीनता देने को तैयार हो

चुका था। परन्तु वह देश की बागडोर केवल कांग्रेस के हाथो मे देने को प्रस्तुत न था। वह मुस्लिम लीग को मुसलमानो की प्रतिनिधि सस्था मान चुका था और कांग्रेस से यह बात मनवाने के लिये उसे मुस्लिम लीग से अन्तिम अवसर दे रहा था।

गाधीजी ने काइदे-आजम से समझौते की बहुत कोशिशें की, परन्तु वह अपनी मागो से एक तिल भर इधर होने को तैयार न थे। यहाँ तक कि गाधी जी थक-हार कर निराश हो गये। सच पूछिये, तो उन्हे मुस्लिम लीग को मुसलमानो की प्रतिनिधि सस्था मानने में भी सकोच न था, परन्तु उनकी राह में नेशनलिस्ट मुसलमान खडे थे और उनके लिये असम्भव था कि वे आयु भर के उन सच्चे बलिदानी साथियो की उपेक्षा कर दें।

अत जब ये दोनो नेता किसी परिणाम पर न पहुँच सके, तो दोनो ने अपनी अलग-अलग शर्तें पेश कर दी। काइदे-आजम की शर्तें ये थी :

१ १९३५ ई० एक्ट को रद्द किया जाय।
२ मुस्लिम लीग के बिना हिन्दुस्तान में कोई विधान अथवा शासन-प्रबन्ध न बने।
३. मुस्लिम लीग को मुसलमानो की प्रतिनिधि सस्था स्वीकार किया जाय।
४ हिन्दुस्तानी सेनाएं इस्लामी देशो के विरुद्ध प्रयोग न की जाएं।
५ फलस्तीन की स्वाधीनता की घोषणा की जाए।

इन समस्त शर्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् वायसराय ने गाधीजी की मांगें तो सर्वथा रद्द कर दीं और काइदे-आज़म की मांगें भी सारी की सारी स्वीकार न कीं। इस कारण एक ओर मुस्लिम लीग ने युद्ध में सहायता देने से इन्कार कर दिया तो दूसरी ओर कांग्रेस ने भी असहयोग का निर्णय किया और साथ ही कांग्रेस के प्रस्ताव पर ३१ अक्तूबर १९३९ ई० को देश के समस्त कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों ने त्याग-पत्र दे दिये।

कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों के पद-त्याग करते ही मुस्लिम लीग ने सरकार से असहयोग का निश्चय करने के बावजूद मन्त्रिमण्डल बनाने के प्रयत्न आरम्भ कर दिये और असेम्बली के कांग्रेसी सदस्यो की गिरफ्तारी के बाद वह कुछ एक प्रान्तों में अपने मन्त्रिमण्डल बनाने में सफल हो गई।

मुस्लिम लीग ने हिन्दू कांग्रेसी मन्त्रियो पर जो अभियोग लगाए वे ये थे—

१ वन्दे मातरम् गाने के लिये मुसलमानो को वाध्य किया गया ।

१ उर्दू स्कूल वन्द कर दिये ।

३ हिंदुओ के त्योहारो पर मुसलमानो पर प्रतिवन्ध लगा दिये गये ।

४ मुस्लिम बच्चो के लिये ऐसी पाठ्य-पुस्तकें वनाईं, जिनमें हिन्दू राजाओ, अवतारो और गाधीजी के अहिंसा के नियमो की प्रशसा की गई ।

५ गो-हत्या निपिद्ध निश्चित कर दी ।

६ मुसलमानो पर अनुचित टैक्स लगाये ।

७ मसजिदो का अपमान किया गया ।

८ वे हिन्दू, जो मुसलमानो के कत्ल के अभियुक्त थे, छोड दिये गये ।

कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलो के पद-त्याग करने पर मुस्लिम लीग ने २२ दिसम्वर १९३९ ई० को मुक्ति-दिवस मनाया ।

३१ मार्च १९४० ई० को लाहौर में मुस्लिम लीग का पहला वार्पिक अधिवेशन हुआ, जिसमें समस्त हिन्दुस्तान के मुस्लिम लीगी नेता और कार्यकर्त्ता जमा हुए । इस जलसे में सबसे पहले "पाकिस्तान" शब्द की व्याख्या की गई कि जहाँ-जहाँ मुसलमानो का बहुमत है, उन इलाको को पाकिस्तान का नाम दिया जाय और ये इलाके मुसलमानो के हवाले कर दिये जाएँ । इस अधिवेशन में प्रस्ताव पास किया गया और घोपणा की गई कि मुसलमान इसके सिवा और किसी चीज पर कदापि सहमत नही होगे ।

इसके पश्चात् कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मतभेद और वैमनस्य वढ गया । दोनो दलो के नेता अपने-अपने जलसो में खुलमखुल्ला एक-दूसरे का विरोध करने लगे, बुरा-भला कहने लगे और अभियोग लगाने लगे ।

१९४१ ई० में वायसराय ने एक परामर्श-दात्री परिपद् स्थापित की, जिस का कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनो ने वायकाट (बहिष्कार) किया ।

१९४२ ई० में सर क्रिप्स के नेतृत्व में एक शिष्टमण्डल ब्रिटेन सरकार की ओर से भारत के वटवारे की योजना लेकर यहाँ आया । उस योजना के मुसव्विदे पर अभी सोच-विचार हो रहा था कि कांग्रेस ने (Quit India)—'भारत से निकल जाओ' का प्रस्ताव पास कर दिया और ९ अगस्त १९४२ ई० को

समस्त कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिये गये ।

१९४४ ई० में गांधीजी जेल में सख्त बीमार हो गये, जिसके कारण उन्हें रिहा कर दिया गया। इस बार गांधीजी ने फिर काइदे-आजम से मिलकर समझौते का प्रयत्न किया, परन्तु निष्फल सिद्ध हुआ ।

शिमला कान्फ्रेंस—

दूसरे महायुद्ध की समाप्ति पर १९४५ ई० मे लार्ड वेवल हिन्दुस्तान के वायसराय बनकर आये और अपने साथ कई नये सुझाव लेकर आये। जून १९४५ ई० में समस्त कांग्रेसी नेताओ को मुक्त कर दिया गया। इसके पश्चात् वायसराय ने शिमले मे कांग्रेसी और मुस्लिम लीगी नेताओ की एक कान्फ्रेंस बुलाई, जिसमे कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाचा खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद, राजगोपालाचार्य और राजेन्द्रप्रसाद ने भाग लिया और मुस्लिम लीग की ओर से काइदे आजम, लियाकत अली खान, सरदार अब्दुर्रब निश्तर, हुसैन शहीद सुहरावरदी, हुसैन इमाम और सर गुलाम हुसैन सम्मिलित हुए। इनके अतिरिक्त सिखों और अछूतो के एक-एक प्रतिनिधि को भी बुलाया गया।

शिमला कान्फ्रेंस में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते की अन्तिम चेष्टा की गई और कोई समझौता न हो सका, तो वायसराय ने सुझाव पेश किया कि केन्द्र में एक प्रतिनिधि सरकार बनाई जाय, जिसमें पांच हिन्दू, पांच मुसलमान, एक सिख, एक पार्सी, और एक अछूत प्रतिनिधि सम्मिलित होगे।

कायदे-आज़म ने यह सुझाव स्वीकार करते हुए मांग की कि पांच मुसलमान प्रतिनिधि मुस्लिम लीगी हो।

कांग्रेस ने मांग की, पांच मुसलमान प्रतिनिधियों में से चार मुस्लिम लीगी और एक कांग्रेसी मुसलमान हो।

काइदे आजम अपने हठ पर अड़े रहे और कांग्रेस की मांग अस्वीकार कर दी। अत. यह कान्फ्रेंस भी असफल सिद्ध हुई।

अब कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग का लोहा मनवाने के लिये केन्द्रीय असेम्बली के चुनाव की मांग की। वायसराय ने यह मांग स्वीकार कर ली और नवम्बर १९४५ ई० में चुनाव हुआ, परन्तु उसका परिणाम मुस्लिम लीग के पक्ष में कोई अच्छा न रहा।

उन्ही दिनो ब्रिटेन सरकार ने हिन्दुस्तान की राजनीतिक समस्याओ को सुलझाने और वहाँ की प्रतिनिधि सरकार को अधिकार सौंपने के लिये तीन सदस्यो का एक शिष्टमण्डल भेजा, जिसमें लार्ड पैथिक लारेंस, अलफ्रेड क्रिप्स और अलेग्ज़ैण्डर सम्मिलित थे। इस शिष्टमण्डल ने यहाँ के समस्त राजनीतिक क्षेत्रो से वार्तालाप करने के बाद यह सुझाव प्रस्तुत किया कि हिन्दुस्तान को तीन भागो में विभक्त करके प्रत्येक भाग में स्वतन्त्र सरकार स्थापित की जाय और ये समस्त सरकारें केन्द्रीय सरकार के अधीन हो।

कांग्रेस ने इस सुझाव को भी ठुकरा दिया।

अब स्थिति बडे निराशाजनक मोड पर आ पहुँची थी। ब्रिटेन सरकार हिन्दुस्तान को शीघ्र-से-शीघ्र स्वतन्त्रता देने के लिये बेताब थी, परन्तु यहाँ के राजनीतिक नेता और सस्थाएं स्वाधीनता की प्राप्ति की इच्छा रखते हुए भी आपस की फूट और अविश्वास के कारण इसे प्राप्त करने में असमर्थ थे। यह ऐसी हास्यप्रद बात थी, जिसने बाह्य जगत् की दृष्टि में हिन्दुस्तानी नेताओ को गौरवहीन बना दिया था।

**अस्थायी सरकार—**

२७ जुलाई १९४६ ई० को काइदे आज़म ने बम्बई में मुस्लिम लीग कौसिल का अधिवेशन बुलाया, जिसमें पाकिस्तान की स्थापना की माँग दुहराई गई और निश्चय किया गया कि समस्त उपाधियुक्त मुस्लिम लीग महानुभाव अविलम्ब अपनी उपाधियाँ वापिस कर दें। इस निर्णय का यथोचित प्रभाव पडा और कुछ ही दिनो में सर नाजिमुद्दीन, सर गुलाम हुसैन हदायतुल्ला, सर ज़ियाउद्दीन, सर अज़ीजुलहक, सर सादुल्लाह, खान बहादुर खोडो, खान बहादुर जलालुद्दीन आदि ने अपनी उपाधियाँ वापस कर दी।

१२ अगस्त १९४६ ई० को वायसराय हिन्द ने अपनी केन्द्रीय सरकार के आदेश पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रधान पण्डित जवाहरलाल नेहरू को बुलाकर बीच के समय के लिये अस्थायी सरकार बनाने का निमन्त्रण दिया। अस्तु १३ अगस्त को प० जवाहरलाल नेहरू वायसराय से मिले और उन्होने शर्त के साथ मुस्लिम लीग को भी इस अस्थायी सरकार में सम्मिलित होने का निमन्त्रण दिया, परन्तु काइदे आजम ने इन्कार कर दिया।

२० अगस्त को वायसराय ने घोषणा की कि २ सितम्बर १९४६ ई० को

अस्थायी सरकार स्थापित कर दी जायगी, जिसमें पं० नेहरू, सरदार पटेल, राजेन्द्र प्रसाद, राजगोपालाचार्य, शरतचन्द्र वसु (बोस) आसफ अली, शफाअत अली खान, सरदार बलदेवसिंह, अली जहीर और जगजीवन राम वफादारी की शपथ ग्रहण करेंगे।

इस पर मुस्लिम लीग के नेता बहुत बिगडे और उन्होने वायसराय के इस निर्णय के विरुद्ध काली झण्डियों के प्रदर्शन किये, जलसे-जुलूसो के द्वारा रोष प्रकट किया।

यह स्थिति देखकर वायसराय ने फिर काइदे आज़म को बुलाकर अस्थायी सरकार में मुस्लिम लीगी प्रतिनिधि शामिल करने का निमन्त्रण दिया, जो काइदे आज़म ने स्वीकार कर लिया और लियाकतअली खान, सरदार अब्दुर्रब निश्तर, आई० आई० चुन्दरीगर, गजनफरअली खान और मण्डल के नाम मन्त्रिमण्डल की सदस्यता के लिये उपस्थित किये।

अस्थायी सरकार बनने को तो बन गई, परन्तु कोई स्थायी समझौते की राह अभी तक पैदा न की जा सकी। युद्ध जीतने के बावुजूद उसकी भीषण प्रतिक्रिया ने ब्रिटेन का दिवाला निकाल दिया था। वह अंग्रेज, जो किसी मूल्य पर भी हिन्दुस्तान को स्वाधीनता देने के लिये तैयार न था, आज अपनी भलाई इसी में पाता था कि जितनी जल्दी हो सके यह जुआ अपने गले के उतार फेंके। जब मुआमला लम्बा हो गया, तो ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री मि० एटली ने हिन्दुस्तान के समस्त राजनीतिक नेताओं को लन्दन बुलाया। वहाँ भी सप्ताह भर विचार-विनिमय होता रहा, परन्तु सफलता न हुई और उन्हें असफल लौटना पड़ा। अन्त में ब्रिटेन सरकार ने लार्ड वेवल को वापस बुला लिया और उसके स्थान पर लार्ड माउण्टबेटन को वायसराय बना कर हिन्दुस्तान भेजा। उसने आते ही कांग्रेस और मुस्लिम लीगी नेताओं से पुन. बातचीत आरम्भ कर दी, परन्तु दोनो दलों में से एक भी अपनी मांगो से पीछे हटने को तैयार नहीं था। इसलिये समझौते की सारी संभावनाएं समाप्त हो गई।

**सीमाप्रान्त में कांग्रेस मंत्रिमण्डल से मुस्लिम लीग की टक्कर—**

उन दिनो सीमाप्रान्त में कांग्रेस मन्त्रिमण्डल के हाथ में सरकार की बागडोर थी और केन्द्र में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का मिला-जुला मन्त्रिमण्डल काम कर रहा था, जिसके प्रधान पण्डित ज्वाहरलाल नेहरू थे। सीमा-प्रान्तीय कांग्रेस

कमेटी ने इस अवसर पर पण्डित नेहरू को सीमाप्रान्त में आने का निमन्त्रण दिया। मुस्लिम लीग ने यहाँ लोगो को कांग्रेस के विरुद्ध बहुत उत्तेजित कर रखा था। अस्तु पण्डित नेहरू यहाँ आये, तो उनके विरुद्ध मुस्लिम लीग आर्गेनाईजिंग कमेटी के तत्वावधान में एक विराट् प्रदर्शन किया गया। इसके पश्चात् प० नेहरू पिशावर के रास्ते खैबर जाने लगे, तो इस्लामिया कालेज के निकट काली झण्डियो से एक प्रदर्शन हुआ। जमरूद पहुँचे, तो कबाइलो ने प्रदर्शन किया और लण्डी-कोतल में तो इतना भीषण प्रदर्शन हुआ कि उनकी मोटरें भी टूट गई तथा पण्डित नेहरू और कुछ दूसरे स्वयसेवको को भी चोटें आईं। दूसरे दिन पण्डित जी मालाकण्ड गये, जहाँ मुस्लिम लीगियो ने न केवल प्रदर्शन किया, प्रत्युत् उनकी मोटरो पर भीषण पथराव किया, जिससे पण्डित जी और बाचा खान को काफी ज़ख्म आये। इस प्रकार वजीरस्तान और टांक में भी प्रदर्शन हुए। पण्डित जी का यह दौरा यथोचित रूप मे सफल न रहा। इन प्रदर्शनो का नेतृत्व और प्रबन्ध पीर साहिब मानकी शरीफ और अरबाब अब्दुल गफ़ूर ने किया, जो उन दिनों मुस्लिम लीग के अत्यन्त सरगर्म और प्रिय नेता थे। विशेषतया पीर साहिब मानकी शरीफ के सम्बन्ध में तो यह कहना अनुचित न होगा कि केवल उन्ही के प्रयत्नो, प्रभाव और रात-दिन की दौड-धूप से इस प्रान्त में मुस्लिम लीग को परिचय प्राप्त हुआ और उसे फलने-फूलने का अवसर मिला।

इसी दौरान में एक घटना यह हुई कि जिला हज़ारा की एक हिन्दू लडकी ने इस्लाम धर्म ग्रहण करके एक मुसलमान से व्याह कर लिया। लडकी के माता पिता ने डाक्टर खान साहिब से शिकायत की कि लडकी अपने वारिसो को वापस मिल जाय और डाक्टर खान साहिब यही कुछ करने को तैयार थे। इस घटना को मुस्लिम लीग ने खूब हवा दी और कांग्रेस मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध विष फैला कर सार्वजनिक भावो से पूरा-पूरा लाभ उठाया तथा इसके विरुद्ध नियमित रूप से आन्दोलन आरम्भ कर दिया।

अरबाब अब्दुल गफ़ूर खान आर्गेनाईजिंग कमेटी के पहले डिक्टेटर नियुक्त हुए। उन्होने पहला जलसा चौक यादगार में किया, जिसमें सारी घटनाओ का वर्णन किया और एक भारी जुलूस बनाकर प्रदर्शन के लिये डाक्टर खान साहिब के बंगले की ओर चल पडे। रेलवे पुल के पास डिप्टी कमिश्नर एस० बी० शाह और सरदार अब्दुर्रशीद खान एस० एम० पी० की कमान में सशस्त्र पुलिस की

भारी सख्या मौजूद थी, जिसने जुलूस को अश्रुगैस और लाठी-चार्ज के द्वारा खदेडना चाहा, परन्तु जुलूस फाटक तोडकर बढ गया। गवर्नर के बगले के पास पुलिस ने फिर बाधा डाली, परन्तु जुलूस डाक्टर खान साहिब के बगले पर पहुँच गया। उस समय प्रधान मत्री डाक्टर खान साहिब, पार्लमिण्टरी सेक्रेटरी जाफर शाह और शिक्षा मत्री यहया जान के सहित बगले मे विद्यमान थे। जुलूस के पहुँचते ही उन्होने बगले के दरवाजे बन्द कर लिये और ऊपर के भाग में चले गये। उस समय भीड के सामने अरबाब अब्दुल गफूर खान ने भाषण करते हुए हिन्दू लडकी मुसलमानो के हवाले करने और मन्त्रिमण्डल से त्यागपत्र देने की माँग की।

इसके पश्चात् डिप्टी कमिश्नर ने चालीस-पचास चोटी के मुस्लिम लीगी कार्यकर्त्ताओ को गिरफ्तार कर लिया और शेष की भीड को खदेड दिया। गिरफ्तार होने वालो के नाम ये है—

अरबाब अब्दुल गफूर खान, रहीम बख्श गजनवी, फिदा मुहम्मद खान वकील, आगा बाबा वकील, अल्लाह बख्श यूसफी, मुहम्मद अशरफ खान। मीर खान हिलाली, अब्दुर्रऊफ सीमाब, शाहकर सरहदी, अरबाब सिकन्दर खान, ईसा खान गजनवी, गुलाम गौस सहराई, हाजी करम इलाही, फज्ल महमूद, पहलवान तन्नार मुहम्मद, दोस्त मुहम्मद, खान कामिल, गुलाम मुहम्मद खान लोद खोड, सय्यद अयूब शाह आदि।

इसके पश्चात् सारे प्रान्त में आम आन्दोलन आरम्भ हो गया। अगले दिन मरदान मे अब्दुल कय्यूम खान को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर असंख्य लोग जेलो में चले गये।

इस आन्दोलन में पुरुषो के अतिरिक्त महिलाओ ने भी अत्यन्त साहस और उत्तेजना से भाग लिया। प्रतिदिन पिशावर में हजारो महिलाओं के जुलूस निकलते, जिनका एक ही नारा होता—

ले के रहेंगे पाकिस्तान।
बट के रहेगा हिन्दुस्तान।

वे प्रतिदिन जुलूस के रूप में डा० खान साहिब के बगले पर जाकर प्रदर्शन करती। बाजारो में भाषण करती और अपने आपको गिरफ्तारी के लिये प्रस्तुत करती। परन्तु सरकार इन्हे गिरफ्तार नही करना चाहती थी। केवल अश्रुगैस से

उन्हें खदेड देने का प्रयत्न किया जाता।

इस दौरान मे सीमाप्रान्त की असेम्बली का अधिवेशन आरम्भ हुआ। मुस्लिम लीगी कार्यकर्त्ताओ ने असेम्बली हाल के सामने प्रदर्शन करने का निर्णय किया। प्रात ही एक विराट् जुलूस हाल की ओर चला। रेडियो स्टेशन के निकट फाटक के पास जुलूस पहुँचा, तो सामने से पुलिस के एक दल ने अकस्मात् गोली चलानी आरम्भ कर दी, जिसमें दस-पन्द्रह व्यक्ति मारे गये और अनेक घायल हुए।

फिर एक दिन समाचार मिला कि जेल मे राजनीतिक बन्दियो को एक अहाते मे बन्द करके उन पर अश्रुगैस छोडी गई और हथगोले (हैण्डग्रेनेड) फेंके गये, जिससे पिशावर नगर के दो नौजवान शहीद हुए।

जब यह आन्दोलन फैला तथा लम्बा हुआ, साथ ही केन्द्र में समाचार पहुँचे, तो लार्ड माउण्टबेटन स्वय स्थिति का अध्ययन करने के लिये पिशावर आया। इस अवसर पर नि सदेह सीमाप्रान्त के कोने-कोने से लाखो व्यक्ति माउण्टबेटन के सामने प्रदर्शन करने के लिये कनिंघम पार्क के निकट जमा हो गये, जिनमें अनेक महिलाएँ भी सम्मिलित थी। उस समय मुस्लिम लीगी नेता जेलो में थे। सरदार अब्दुर्रब निश्तर, जो केन्द्र मे डाक-तार आदि विभाग के मन्त्री थे, दिल्ली से विशेषत आये हुए थे। लार्ड माउण्टबेटन अपनी बीबी और सीमाप्रान्त के गवर्नर सर जार्ज कहरो के साथ कनिंघम पार्क पहुँचे। लेडी माउण्टबेटन ने महिलाओ का और माउण्टबेटन ने पुरुषो का प्रदर्शन देखा। सरदार अब्दुर्रब निश्तर और फीरोज खान नून ने लोगो का भाव प्रतिनिधित्व करते हुए उन्हे बताया कि सीमाप्रान्त के लोग इस प्रदेश को पाकिस्तान मे शामिल देखना चाहते हैं।

अत वायसराय ने दिल्ली जाकर प्रान्तीय कांग्रेस सरकार और मुस्लिम लीगी नेताओ के शिष्टमण्डल सीमाप्रान्त से मगवाए। सेण्ट्रल जेल पिशावर मे मुस्लिम लीग आर्गेनाइजिंग कमेटी का अधिवेशन हुआ, जिसमें समस्त जेलों से कार्यकर्त्ता मगवाए गये। अध्यक्षता दिवगत समीन जान खान ने की। इस जलसे में एक शिष्टमण्डल दिल्ली भेजने के लिये चुना गया, जिसका नेतृत्व पीर मानकी शरीफ को सौंपा गया।

यह शिष्टमण्डल दिल्ली पहुँचा, तो काइदे आजम के परामर्श से उन्होंने लार्ड माउण्टबेटन से बातचीत की, अन्त में निश्चय हुआ कि सीमाप्रान्त में पाकि-

स्तान और हिन्दुस्तान के प्रश्न पर रीफरेण्डम (मतसग्रह) कराया जाय । अस्तु लार्ड माउण्टबेटन, काइदे आजम और पण्डित नेहरू ने एक ही रात दिल्ली रेडियो से भाषण करते हुए देश के बटवारे के सम्बन्ध में सिलहट और सीमाप्रान्त मे रीफरेण्डम करने की घोषणा की ।

इनके पश्चात् मुस्लिम लीग बन्दी मुक्त कर दिये गये और अन्त में रीफरेण्डम की तैयारियाँ पूरे जोर-शोर से होने लगी । सीमाप्रान्त की कांग्रेस ने रीफरेण्डम में भाग लेने से इन्कार कर दिया । सीमाप्रान्त में कांग्रेस का प्रभाव काफी था, परन्तु रीफरेण्डम का फैसला मुस्लिम लीग के पक्ष में हुआ और इस प्रकार इसे पाकिस्तान का भाग स्वीकार कर लिया गया ।

अन्त में ३ जून १९४७ ई० को इस महादेश के भाग्य का फैसला सुना दिया गया और १४ अगस्त १९४७ ई० को इसे दो भागो, पाकिस्तान और भारत, मे बाँट दिया गया । इस प्रकार पाकिस्तान की स्थापना हुई और देश के दोनो भागो मे कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने शासन की बागडोर अपने-अपने हाथो मे सम्भाल ली ।

**मुस्लिम लीगियो की स्वार्थपरता—**

पाकिस्तान की स्थापना के पश्चात् कांग्रेस और मुस्लिम लीग की सिद्धान्तगत लडाई समाप्त हो चुकी थी, समस्त नेशनलिस्ट (राष्ट्रवादी) और नेशनल (राष्ट्रीय) विचार के लोगो ने बिना किसी शर्त के पाकिस्तान स्वीकार कर लिया और अपनी वफादारी का विश्वास दिलाया । पाकिस्तान के कार्यरूप मे सामने आने के पश्चात् यूँ भी अब इसे मानने से इन्कार करना मूर्खता के समान था । इसमे कुछ सन्देह नही कि कुछ ऐसे हठधर्मी भी थे, जो अपने हठ पर अड़े रहे । देश के बटवारे का फैसला उनकी आशाओ के विरुद्ध था । उन्हे निश्चय ही इस चीज से हार्दिक दुःख हुआ और वे पाकिस्तान छोडकर हिन्दुस्तान में जा बसे ।

परन्तु जो सूझ-बूझ रखते थे, उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और अपने देश को छोडना पसन्द न किया । सच पूछिये तो उनका पाकिस्तान में रह जाना ही इस बात का प्रमाण था कि वे इसे अपनी इच्छा तथा मन से स्वीकार कर चुके हैं, परन्तु जब विरोधियों को जीवन में निखार देखा, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पाकिस्तान हमारा देश है और हम इसके वफादार शहरी हैं । जो कुछ होना था, हो चुका । वह हमारी सैद्धान्तिक लड़ाई थी और अब

किसी मतभेद की गुजाइश नही रही ।

अब चाहिये तो यह था कि मुस्लिम लीगी महानुभाव सहयोगिता और सौहार्द के भावो से काम लेते हुए अपने राष्ट्रवादी भाइयो की मित्रता के बढे हुए हाथ को अपने हाथ में ले लेते । पिछले समस्त मतभेदो को भूलकर उन्हे गले लगा लेते । इसमे सन्देह नही कि कई बुद्धिमान्, विवेकी और नेकनीयत मुस्लिम लीगी, जिनमें दिवगत काइदे आजम का नाम सबसे पहले आता है, इस बात के लिये तैयार भी थे । परन्तु जब स्वार्थी और कुर्सियो के भक्त सत्ता-लोलुप लीगियो के कानो में यह भनक पडी, तो तिलमिला उठे, उन्हे इस एकता के परदे में अपनी मृत्यु दिखाई देने लगी । वे जानते थे कि यदि इन सार्वजनिक लोगो को सामने आने का अवसर मिला, तो उनके समस्त सुनहरे-रुपहले स्वप्न पूरे नही हो पायेंगे, उन्हे कोई कौडियो के मूल्य भी नही पूछेगा, देश का नेतृत्व इनके हाथो मे चला जायगा । क्योकि वास्तव में वही जनता के सच्चे नेता हैं, इसलिये उन्होंने तरह-तरह की स्कीमें बनाई । उन पर गैर वफादार, अविश्वस्त होने का अभियोग लगाया । हिन्दुस्तान से उनके सम्पर्क की कहानियाँ घडी और देश के हाई कमाण्ड के दिल में नाना प्रकार के भ्रम उत्पन्न करके उन्हे अत्याचार और रोष का लक्ष्य बनाया । काश्मीर के सार्वजनिक नेता शेख अब्दुल्लाह और काइदे आजम के मध्य समझौते की राह में बाधाएँ डाली गई तथा बाचा खान और काइदे आजम को एक दूसरे से दूर करने के लिये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पार्ट अदा किया गया । इसलिये कि इस समझौते या मेल-मिलाप की चोट सीधी कुछ सत्ताधारी लोगो पर पडती थी । उन दिनो देश का नेतृत्व उनके हाथ में था । मन्त्रिमण्डलो के उच्च पद उन्हे प्राप्त थे । बाचा खान और उसके दल के मैदान में आने से उनकी सत्ता व प्रतिष्ठा के प्रपच का उलट जाना सर्वथा निश्चित था ।

मुस्लिम लीग हाई कमाण्ड ने शेख अब्दुल्लाह और बाचा खान की मित्रता खोकर ऐसी भीषण भूल की, जिस पर उसे स्वय भी बाद में बहुत लज्जित होना पडा । परन्तु उस समय अवसर हाथ से निकल चुका था और यह पशेमानी व्यर्थ थी । यदि इस मुआमले को सुचारु रूप से निभाया जाता और समय पर इन दोनो नेताओ का सहयोग प्राप्त कर लिया जाता, तो निश्चय ही आज देश का चित्र ही कुछ और होता । न काश्मीर भारत के अधिकार में जाता, न सीमाप्रान्त में सरकार को इतनी कठिनाइयो का सामना करना पडता, देश में

गलत लीडरशिप को मनमानी करने का अवसर मिलता, न राजनीतिक क्षेत्रों मे इतना वैमनस्य और बिखरापन दिखाई देता, न देश में लोकतन्त्र विहीन परम्पराएँ पनपती, फलती और न ही देश की जनता को इतनी दुर्दशा का सामना करना पडता ।

इन स्वार्थी लोगो को भविष्य का इतिहासकार कभी क्षमा नही करेगा, जिन्होने केवल अपनी कुर्सी की लालसा को पूरा करने के लिये देश को न केवल इन सच्चे नेताओ के नेतृत्व से वंचित रखा, प्रत्युत् उसे ऐसी उलझनो मे फसाया, जिनसे शायद हमारी आने वाली पीढियां भी न निकल सकें ।

उन्होने काइदे आज़म को धोखा दिया । जाति को धोखा दिया, देश को धोखा दिया, नि.सन्देह इस घटना का उत्तरदायित्व उन्ही लालची, खुशामदी और स्वार्थी लोगो पर है और इस भीषण अभियोग के ऐसे प्रमाण विद्यमान हैं, जिनसे वे इन्कार करने का साहस नही कर सकते ।

**देश का विभाजन और साम्प्रदायिक दंगे—**

देश के बटवारे के समय जो भीषण घटनाएँ हुई, पढे-लिखे लोग उनसे अपरिचित नही । काइदे आज़म बडे मेधावी एवं विवेकी पुरुष थे, परन्तु अंग्रेज की ईमानदारी के सम्बन्ध मे उन्हे सीमा से अधिक विश्वास था । उन्होने हदबन्दी कमीशन के अंग्रेज सदस्यो पर पूर्ण विश्वास किया और वे कुछ ऐसी अन्याय-युक्त हदबन्दी कर गये, जिसमें पाकिस्तान को अमिट हानि उठानी पडी और कुछ मुस्लिम बहुसख्या वाले प्रान्त भारत के हिस्से में चले गये । दूसरी भूल काइदे-आज़म से यह हुई कि उन्होने रियासतो को अधिकार दे दिया कि वे देश के दोनों भागो मे से जिस ओर चाहे अपनी खुशी से सम्मिलित हो । पाकिस्तान की सरकार उन पर कोई आपत्ति नहीं उठायेगी । यह उसी फैसले का परिणाम है कि आज काश्मीर की वरुणी सरकार ने हिन्दुस्तान में सम्मिलित होने में कोई झिझक अनुभव नही की ।

विभाजन के पश्चात् दोनो ओर से आबादी का विनिमय आरम्भ हुआ और इसके साथ ही देश के दोनों भागो में साम्प्रदायिक दगो का ज्वालामुखी फूट पडा । इन दगो मे पूर्वी पजाब और पश्चिमी पंजाब के लोगो पर जो विपत्तियां और प्रलयकार सकट टूटे वह कुछ उन्ही का दिल जानता है ।

मानवी इतिहास अत्याचार की घटनाओ से भरा है, परन्तु जो अत्याचार

इन दगो मे निर्दोष, असहाय, विवश और वेगुनाह मनुष्यो पर ढाए गये शायद ही कही उनका उदाहरण मिल सके। इस व्यापक हत्याकाण्ड और नृशस मार-काट में कोई भी सुरक्षित न रह सका। वर्षो के धार्मिक मूल्यो की अरथी निकल गई और मनुष्य समस्त मानवी विशेषताओ को झटक कर नगा हो गया। नितान्त पशु बन गया और हिंस्र जन्तुओ की भाँति अपने भाई-बन्धुओ को फाडने और चबाने लगा।

लोगो के प्राणो और धन-माल के अतिरिक्त उनकी लज्जा, सतीत्व, मान और प्रतिष्ठा तक सुरक्षित न रहा। लूट का बाजार गर्म था, जिसमें प्रत्येक वस्तु लुट रही थी। माता-पिता के सामने उनकी बच्चियो के सतीत्व लुट रहे थे और वे विवश थे, कुछ नही कर सकते थे। बडे-बडे महारथी धार्मिक मनीषी और सच्चरित्रता व भद्रता के ठेकेदार भी इस भावात्मक तूफान से अपना आँचल न बचा सके।

देश में व्यापक रूप से रक्त की होली खेली गई। बडे-बडे गम्भीर सभ्रात मनुष्य गुण्डे बन कर मैदान में कूद पडे। हिन्दुओ-मुसलमानो की भरी हुई रेल गाडियाँ गाजर-मूली की तरह काट कर रख दी गई।

यह बवण्डर सारे देश को अपनी लपेट में ले चुका था। परन्तु आश्चर्य है कि सीमाप्रान्त इससे सर्वथा प्रभावित न हुआ। अन्तिम समय तक न यहाँ से गैर-मुस्लिम (हिन्दू, सिख आदि) जाने को तैयार थे और न मुसलमान उन्हे निकालना चाहते थे।

मुस्लिम लीगियो ने पहले तो लूट का सिलसिला आरम्भ किया और कुछ-एक मनस्वी लोगो को छोड कर शेष सब ने खूब जी भर गैर-मुस्लिमों की दुकानो और मकानो को लूटा। उस समय लीगी मन्त्रिमण्डल बन चुका था। मुस्लिम लीगी गुण्डो को सरकार की सहायता प्राप्त थी, इसलिये पुलिस से मिल कर उन्होने महीनो लूट-मार का बाज़ार गर्म किया।

इधर भारत से मुस्लिम शरणार्थियो का विपुल प्रवाह उमड पडा। लुटे-पुटे, भग्न अवस्था में हैरान-परेशान हज़ारो-लाखो मनुष्य, जिनके लिये जीना दूभर हो चुका था, जो अपने देश, घर-बार, धन-सम्पत्ति छोडकर शरणार्थी बन गये थे, जो अपने परिवार-के-परिवार पाकिस्तान आने की लग्न पर भेंट चढा आये थे, जो पीढियो के सम्बन्ध तोड कर, शताब्दियो के बन्धन काटकर इस्लामी

राज्य में आश्रय की धुन मे मर मिट कर यहाँ तक आ पहुँचे थे, अब उन्हे यहाँ सिर छिपाने का स्थान नही मिल रहा था। गैर-मुस्लिम के छोडे हुए माल, धन, सम्पत्ति पर मुस्लिम लीगियो ने अधिकार जमा लिया था और ये शरणार्थी वेचारे अपनी जवान लडकियो, वीवियो और माताओ-वहिनो के साथ खुले कैम्पो की प्रदर्शनी में निर्दय पाषाण-हृदय लोगो के लिये तमाशा वने हुए थे।

**अब्दुल कय्यूम खान और मुस्लिम लीग—**

१४ अगस्त १९४७ ई० को देश के वटवारे की घोषणा कर दी गई और दोनो भागो में से एक मे कांग्रेस और दूसरे मे मुस्लिम लीग ने शासन की वाग-डोर संभाल ली। परन्तु उस समय तक सीमाप्रान्त मे कांग्रेस मन्त्रिमण्डल स्थापित था। मुस्लिम लीगियो को यह वात वहुत बुरी लग रही थी। उन्होंने काइदे-आजम से जाकर कहा कि वाचा खान और उनके साथी पाकिस्तान को स्वीकार नही करते और उन्होने पाकिस्तान के महोत्सव पर झण्डा लहराने की रस्म मे भाग नही लिया और जव भी उन्हे अवसर मिलेगा, वे पाकिस्तान को हानि पहुँचाने में संकोच नही करेंगे। अत. काइदे आजम ने गवर्नर-जनरल होने की हैसियत से सीमाप्रान्त के कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल को तोड दिया और प्रान्त में मुस्लिम लीगी मन्त्रिमण्डल वनाने की वातचीत होने लगी।

उस समय प्रान्तीय मुस्लिम लीग में वडा मतभेद उत्पन्न हो गया। पीर साहिव मानकी शरीफ और अरवाव अब्दुल गफूर खान आदि की यह राय थी कि सीमाप्रान्त की लीग या लीग असेम्बली पार्टी को अधिकार दिया जाय कि वह अपनी इच्छा से प्रधान मन्त्री का निर्वाचन करे और उन्होंने अब्दुल कय्यूम खान की अगणतन्त्री लीडरशिप का घोर विरोध किया, परन्तु अब्दुल कय्यूम खान ने काइदे आजम और लियाकत अली खान पर कुछ ऐसा जादू फूंक रखा था कि उन्होंने अब्दुल कय्यूम खान को मुस्लिम लीग पार्टी का नेता नियुक्त कर दिया और उनके साथ अव्वास खान और मियाँ जाफरशाह मन्त्री लिये गये।

इसके पश्चात् मतभेद की खाई वढ गई। पीर साहिव मानकी शरीफ और उनके दल को अब्दुल कय्यूम खान की कई चेष्टाएं वहुत बुरी लगी, इसलिये उन्होंने वहुत से शिष्टमण्डल, पत्र और शिकायतें केन्द्र को भेजी, परन्तु कोई प्रभाव न हुआ।

इसी अवधि में अखिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन करांची

में बुलाया गया, ताकि पाकिस्तान लीग कौंसिल का चुनाव किया जाय। इस अधिवेशन में सीमाप्रान्त के समस्त मुस्लिम लीगियो ने भाग लिया। वहां लियाक़त अली खान ने अखिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग कौंसिल के लिये नियम बना कर स्वीकृति के लिये प्रस्तुत किये। इस अवसर पर पीर साहिब मानकी शरीफ ने एक सशोधन उपस्थित किया कि जो मुस्लिम लीगी महानुभाव सरकारी पदो पर नियुक्त हैं, उन्हे मुस्लिम लीग मे भाग नही लेना चाहिये।

इस सशोधन का प्रभाव काइदे आजम मुहम्मद अली जिन्नाह और लियाक़त अली खान पर भी पडता था। क्योंकि वे दोनो एक ओर मुस्लिम लीग के प्रधान और जनरल सेक्रेटरी थे और दूसरी ओर मुस्लिम लीग सरकार के गवर्नर-जनरल और प्रधान मन्त्री भी थे। अरबाव अब्दुल गफ़ूर खान ने पीर साहिब के इस सशोधन का समर्थन किया और दूसरे लोगो के अतिरिक्त मौलाना शब्बीर हसन उस्मानी ने भी इस सशोधन के पक्ष में राय दी। इधर काइदे आजम, लियाकत अली खान और सारा शासकी दल इसके घोर विरोधी थे। अत सशोधन पर पूरे तीन दिन तक बहस होती रही और प्रतिदिन काइदे आजम स्वय इस विषय पर भाषण करते रहे, इसके बावुजूद तीसरे दिन मतगणना में दस वोटो के आधिक्य से यह सशोधन पास हो गया।

इसके पश्चात् चौधरी खलीकुज्जमान को मुस्लिम लीग का आर्गेनाइज़र नियुक्त किया गया, जो इस काम के लिये बडा अयोग्य सिद्ध हुआ। उसने सगठन का कार्य समस्त प्रान्तीय सरकारो को सौप दिया। सीमाप्रान्त में अब्दुल कय्यूम खान को मुख्यमन्त्री होने के कारण यह काम सौपा गया, जिसने मुस्लिम लीग को एक अपने घर की वस्तु बना डाला और पीर साहिब मानकी शरीफ तथा उनके दल को प्रारम्भिक सदस्यता के फार्म तक न दिये। इसके विरुद्ध कोलाहल मचा। केन्द्र को शिष्टमण्डल भेजे गये, परन्तु कोई सुनाई न हुई।

अब्दुल क़य्यूम खान मुस्लिम लीग को अपनी लौंडी बनाकर रखना चाहता था। इसलिये उसने समस्त सच्चे ईमानदार और लोकतन्त्रवादी लोगो को मुस्लिम लीग से निकाल बाहर किया, जिनमें फिदा मुहम्मद खान, अलाह बख्श यूसफी, रहीम बख्श ग़ज़नवी, इकबाल शाह, सुलतान मुहम्मद खान, आग़ा बाबा खान, अरबाब सिकन्दर खान, डाक्टर अब्दुर्रहीम, अरबाब मुहम्मद आसफ, इब्राहीम खान, मीर आफताब, दमसाज़ खान आदि सम्मिलित थे।

रहीम वख्श गजनवी पर एक मन-घडत मुकद्दमा खड़ा किया गया, उनके समाचार पत्र दैनिक "सरहद" को वन्द कर दिया गया और कार्यालय का सारा सामान ज़ब्त कर लिया गया। दूसरे सच्चे ईमानदार मुस्लिम लीगियो पर उचित व अनुचित अत्याचार ढाए गये और अब्दुल कय्यूम खान ने अपने गिर्द ऐसे लोगो को इकट्ठा कर लिया, जो गलत प्रकार के लोग थे और उसकी हाँ मे हाँ मिलाना उनका सबसे वडा गुण था। इनकी प्रतिक्रिया यह हुई कि मुस्लिम लीग की प्रतिष्ठा कम हो गई और मुस्लिम लीग सरकार से लोग घृणा करने लगे।

१९५१ ई० मे साधारण चुनाव में प्रान्त के समस्त ज़िलो मे अब्दुल कय्यूम खान ने वह धाँधली मचाई कि ससार हैरान रह गया। उसने अपने खुशामदियो को सफल वनाने के लिये वैधानिक, नैतिक, और मानवी मूल्यो और प्रतिवन्धों को उठाकर एक ओर रख दिया और ऐसी-ऐसी कार्यवाहियाँ की, जिनका उदाहरण नही मिलता। वोटरो को डराने, धमकाने के अतिरिक्त विरोधियो के वक्स तोड-कर वोटो की परचियाँ अपने वक्स में डाली गई। वोटरो का अपहरण किया गया। उन पर दवाव डाला गया। उन्हे खरीदने का प्रयत्न किया गया। सारांश, जिस प्रकार भी वन पडा, उसने अपने विरोधियो को असफल वनाने की चेष्टा की, यहाँ तक कि जिन लोगो, जैसे यूसफ खटक, इब्राहीम खान आदि को मुस्लिम लीग ने टिकट दे दिये थे, परन्तु अब्दुल कय्यूम के विरोधी थे, उनके मुकावले मे गैर मुस्लिम लीगियो को उसने सफल वनाया।

चुनाव में सफलता प्राप्त करने के वाद उसने वेधडक होकर और भी अधिक हिंसा आरम्भ कर दी। परन्तु अप्रैल १९५३ ई० के अन्त में केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल मे परिवर्तन आया और अब्दुल क़य्यूम खान का प्रभुत्व भी सीमाप्रान्त में समाप्त हुआ। उसे केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में मन्त्री वना दिया गया।

इधर सीमाप्रान्त से जाते-जाते अब्दुल कय्यूम खान ने यहाँ सरदार अब्दुर्रशीद खान को अपना उत्तराधिकारी वनाया, जो उस समय यहाँ इन्स्पेक्टर जनरल पुलिस थे। यह चुनाव लोकतन्त्र के नियमो के सर्वथा विरुद्ध था कि किसी सरकारी अधिकारी को उसके पद से त्यागपत्र दिलवा कर सीधा मुख्य मन्त्री नियुक्त किया जाय। परन्तु यह धाँधली मुस्लिम लीग के समय में सारे देश मे इसी प्रकार चल रही थी। अब्दुल कय्यूम खान ने केवल इसी पर सन्तोष नही किया, प्रत्युत अपने एक निजी नौकर नमरुल्लाह को पहले असेम्बली में विना मुकावला सदस्य

निर्वाचित कराया और बाद में मन्त्री बना दिया ।

**अब्दुल कय्यूम खान और अवामी लीग—**

जब मुस्लिम लीग के सीधे सच्चे मार्ग पर आने की कोई सम्भावना न रही, तो नितान्त निराशा के पश्चात् फैसला किया गया कि अवामी लीग के नाम से एक सुदृढ विरोधी दल बनाया जाय ।

१९४९ ई० मे पीर मानकी शरीफ और अरबाब अब्दुल गफूर खान, और गुलाम मुहम्मद खान लोद खोड ने मिलकर मौलाना शब्बीर हुसैन उस्मानी, डी० एम० सय्यद और नब्बाब इफ्तखार हुसैन ममदोट से परामर्श किया । फिर पिशावर में सीमाप्रान्त के कोने-कोने से अपने सहमत लोगो का एक अधिवेशन बुलाया, जिसमें निम्नलिखित महानुभावो ने भाग लिया—

पीर साहिब मानकी शरीफ, पीर साहिब जकोडी शरीफ, अरबाब अब्दुल-गफूर खान, गुलाम मुहम्मद खान लोद खोड, असदुल्लाह जान खान, ताज अली-खान, काज़ी शफीउद्दीन, मुहम्मद आसफ खान, मौलाना शाकिरुल्लाह, मियाँ मुहम्मद शाह, अरबाब अताउल्लाह, निसार मुहम्मद खान, मुहम्मद सरफराज खान, मियाँ मुशर्रफ शाह, काजी मुहम्मद असलम, सय्यद अब्दुल खालिक मियाँ-जी, मीर गफन खान, ताज मुहम्मद खान, मुहम्मद फरीद खान, हाजी फकीरा-खान, मुहम्मद अब्बास खान, अब्दुल कय्यूम खान स्वाती, फज्ल हक 'शैदा' ।

इस अधिवेशन में प्रान्तीय अवामी लीग का ढांचा बनाया गया—

| | |
|---|---|
| पीर साहिब मानकी शरीफ | प्रधान |
| काजी मुहम्मद असलम | प्रधान मन्त्री |
| फज्ल हक शैदा | सहायक मन्त्री |

अवामी लीग बन गई, तो उसके पश्चात् प्रान्त में सगठन का कार्य आरम्भ किया गया । उस समय सारे पाकिस्तान में कोई विरोधी दल नही था । अब जिला-गत सगठन के कार्य का आरम्भ हुआ । पिशावर में जिलो की सगठन समितियाँ बनाई गई और जब अरबाब अब्दुल गफूर खान कोहाट के दौरे पर जाने लगे, तो उन्हे कोहाट में कोतल के स्थान पर अपने साथियो, काजी मुहम्मद शफी, मुहम्मद आसफ खान वकील, हुमायूँ शाह वकील और सालार अब्दुल हमीद खान के सहित गिर-फ्तार कर लिया गया । पीर मानकी शरीफ, पीर जकोडी शरीफ और गुलाम मुहम्मद खान लोद खोड को मार्ग ही से वापिस कर दिया गया और कोहाट में

प्रविष्ट होने की आज्ञा न दी गई। यह अवामी लीग के सम्बन्ध मे पहली गिरफ्तारियाँ थी, इसलिये सरकार को इतना अनुभव न था। अभियुक्तो को अदालत मे पेश किया गया। मुकद्दमा की पैरवी के लिये पिशावर और कोहाट के समस्त वकीलो ने सुरक्षा समिति बनाकर मुकद्दमे मे भाग लिया और गिरफ्तार किये गये महानुभावो को जमानत पर रिहा करा लिया। कुछ दिनो के पश्चात् बन्नू मे अवामी लीग के बहुत से कार्यकर्त्ता गिरफ्तार कर लिये गये और अरबाब अब्दुलगफूर खान तथा उनके साथियो को पुन गिरफ्तार करके धारा ४० ( सीमान्त विधान )के अनुसार तीन-तीन वर्ष कारावास का दण्ड दिया। पीर जकोडी शरीफ और अब्दुल हमीद खान को भी यही दण्ड दिया गया। समस्त बंदियो को सेण्ट्रल जेल मच्छ ( बिलोचिस्तान) भेज दिया गया, जहाँ उनके पहुँचने से पहले सीमाप्रान्त के कांग्रेसी नेता बाचा खान, काजी अताउल्लाह (दिवगत), अमीर मुहम्मद खान और अब्दुल वली खान मौजूद थे।

अब्दुल कय्यूम खान ने अपने प्रभुत्व की रक्षा के लिये मैदान साफ करना आरम्भ कर दिया। सारे प्रान्त में स्थान-स्थान पर गिरफ्तारियाँ होने लगी, प्रत्येक स्थान पर धारा १४४ लगा दी गई। पीर साहिब मानकी शरीफ पर प्रतिबन्ध लगा दिये गये और गुलाम मुहम्मद खान लोद खोड को देश निकाला दे दिया गया। यह पकड-धकड १९५४ ई० तक सीमाप्रान्त में चलती रही और विरोधी दल को किसी प्रकार का सगठनात्मक कार्य करने का अवसर न दिया गया।

**अब्दुल कय्यूम खान और खुदाई खिदमतगार—**

अब्दुल कय्यूम खान बहुत पीछे राजनीतिक क्षेत्र मे आया और शीघ्र ही अगली पंक्तियो में पहुँच गया। सम्भवत. १९३६ ई० में वह पहली बार कांग्रेस मे सम्मिलित हुआ, आदमी मेधावी था और डिप्लोमेट भी—बहुत जल्द बाचाखान और डाक्टर खान साहिब के मुंह चढ गया। विशेषत. डाक्टर साहिब के भोलेपन, सरलता से तो उसने पूरा-पूरा लाभ उठाया और उन्हे अपनी वफादारी का एक ऐसा विश्वास दिलाया कि वह उनके गुण गाने लगे। सरदार अब्दुर्रब निश्तर, जो नागरिक क्षेत्र में खान भाइयो का श्रद्धालु था, उन दिनो कांग्रेस से विलग हो चुका था, उसका अभाव अब्दुल कय्यूम खान ने आकर पूरा कर दिया। परन्तु वह जनता में प्रिय नहीं था, क्योंकि सदा बलिदान देने के समय

वह पीछे हट जाता और कारावास आदि से घबराता था। इसलिये उसे दो बार उत्तरोत्तर प्रान्तीय असेम्बली के चुनाव मे अब्दुर्रब खान निश्तर और पीर बख्श-खान के मुकाबले मे बुरी तरह हार खानी पडी।

१९३७ ई० में डाक्टर खान साहिब ने सीमाप्रान्त मे पहला कांग्रेसी मन्त्रि-मण्डल बनाया, तो उन्हे केन्द्रीय असेम्बली से त्यागपत्र देना पडा। उस समय अब्दुल कय्यूम खान ने डाक्टर खान साहिब को प्रसन्न करने के लिये न जाने क्या-क्या प्रयत्न किये और अन्त में डाक्टर खान को यहां तक तैयार कर लिया कि उन्होंने उसे न केवल इस सीट के लिये बिला मुकाबला निर्वाचित कराया, अपितु कांग्रेस हाई कमाड से कह कर कांग्रेस पार्टी का डिप्टी लीडर भी निर्वा-चित करा दिया।

उन दिनो अब्दुल कय्यूम खान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान का समर्थक नही था। अत उसने मुस्लिम लीग में सम्मिलित होने से केवल कुछ ही दिन पहले एक अंग्रेज़ी पुस्तक "गोल्ड एण्ड गन", लिखी, जिसमें पाकिस्तान के सम्बन्ध में कोई अच्छी राय प्रकट नही की थी और बाचा खान की देश-सेवाओ को सराहते हुए उन्हे श्रद्धाजलि भेंट की और उन्हे अपने देश का सबसे बडा नेता स्वीकार किया। परन्तु मज़ा यह है कि अभी इस पुस्तक की स्याही भी शुष्क न होने पाई थी कि वह सौदाबाजी करके मुस्लिम लीग में सम्मिलित हो गये। यह उन दिनो की बात है, जब देश के विभाजन में केवल कुछ ही महीने शेष थे और पाकिस्तान की स्थापना के लक्षण अथवा सभावना स्पष्ट दिखाई दे रही थी।

अब्दुल कय्यूम खान ने सीमाप्रान्त के मन्त्रिमण्डल का प्रधानपद सम्भालते ही सबसे पहला वार अपने उपकारकर्त्ता बाचा खान, डाक्टर खान साहिब और उनकी सस्था ख़ुदाई ख़िदमतगार पर किया। उसने खुल्लम-खुल्ला उनका विरोध आरम्भ कर दिया और केवल अपनी लीडरशिप की रक्षा के लिये बाचा खान और काइदे आज़म के मध्य निश्चित समझौते को अत्यन्त गुप्त षड्यन्त्रो द्वारा असफल बना दिया और काइदे आज़म को खान भाइयों की पाकिस्तान के प्रति शत्रुता की मनघडत कहानियां सुना-सुना कर उनसे इस हद तक विमुख कर दिया कि काइदे आज़म जैसे वचन के पक्के व्यक्ति बाचा खान से भेट करने का वचन देकर भी बाद में उन्हे मिलने से इन्कारी हो गये।

हम विस्तारपूर्वक बता आये हैं कि बाचा खान और काइदे आज़म के समझौते मे कुछ लोगो को अपने प्रभुत्व की मौत दिखाई दे रही थी, क्योंकि वे सीमाप्रान्त के अद्वितीय, सर्वप्रिय और सार्वजनिक नेता थे और उनके सामने आने की तथा किसी और के लिये नेतृत्व की बागडोर सम्भालने की कोई गुजाइश नही थी। इसलिये अब्दुल कय्यूम खान किसी मूल्य पर भी यह नही चाहते थे कि वे काइदे आज़म के निकट हो और उन्हे स्वतन्त्रता से काम करने का अवसर मिले। अत वे लोग अन्त मे अपने प्रयत्नो में सफल हो गये और उनकी ओर से काइदे आज़म के दिल मे ऐसा भ्रम पैदा कर दिया, जिसके कारण बाचा खान सदा के लिये रोष और अत्याचार का लक्ष्य बन गये।

बाचा खान को इस प्रकार अत्याचार का लक्ष्य बना चुकने के पश्चात् अब्दुल-कय्यूम सर्वथा निश्चिन्त था। यहाँ कोई उसका मुकाबला करने वाला न था। कोई उसे रोकने वाला न था। कोई उससे पूछताछ करने वाला न था। अब वह एक डिक्टेटर के रूप में सामने आया। और एक ही लाठी से सबको हाँकने लगा। उसने अपना रास्ता साफ करने के लिये, दूसरे दल या संस्थाएँ तो एक ओर रही, स्वय अपनी संस्था मुस्लिम लीग के लोकतन्त्र-प्रिय और नेकनीयत नेताओ का भी पूरी तरह सफाया कर डाला। उसने अवामी लीग को समाप्त करने की ठानी और खुदाई खिदमतगारो को तो बुरी तरह कुचलने की चेष्टा की। अत्याचार और हिंसा का कोई ऐसा शस्त्र नही था, जिसका उनके विरुद्ध प्रयोग न किया गया हो।

उसने सबसे पहले १९४८ ई० में चार सद्दा गाँव मे बाबड़ा के स्थान पर खुदाई खिदमतगारो के एक शान्तिमय जुलूस पर इस निष्ठुरता से गोली चलवाई कि लोगो को अँग्रेजी शासनकाल के अत्याचार भी भूल गये। इस अमानुषिक फायरिंग में सैकड़ो लोग शहीद और घायल हुए, जिनमें से बहुत-सी लाशो को अत्यन्त रहस्यमय उपाय से ठिकाने लगाया गया। घायलो को सरकारी अस्पताल मे भरती करने की आज्ञा न दी और उन्हे डाक्टरी सहायता से वंचित रखा गया।

इससे पहले बाचा खान को १५ जून १९४८ को गिरफ्तार करके तीन वर्ष कारावास का दण्ड दिया गया। इस अवधि के समाप्त होते ही उन्हे बंगाल रेगुलेशन के अधीन और भी तीन वर्ष के लिये कैद व बन्द की यातनाएं सहन करनी पड़ी और १९५४ ई० में रिहा हुए। इसी प्रकार उनके भाई डाक्टर खान

साहिव को एवटावाद में छ वर्ष तक नजरवन्द रखा गया और वाचा खान के वेटे वली खान तथा उनके अन्य समस्त साथियो को भी लम्वे समय के लिये जेलो में डाल दिया गया।

इन नेताओ को जेल भेजने के पश्चात् खुदाई खिदमतगार आन्दोलन को अवैध घोषित कर दिया गया और वावडा में अन्धाधुन्ध गोली चलाई गई। फिर आन्दोलन के वाकी कार्यकर्त्ताओ को भी गिरफ्तार कर लिया गया और स्वयसेवकों पर ऐसे शर्मनाक जुलुम तोडे जाने लगे, जिनका उदाहरण व्रिटिश शासन काल में भी नही मिलता।

स्वयसेवको को नगा करके उनके जुलूस निकाले गये। उनकी धन-सम्पतियाँ जब्त की गई। घरो की तलाशियाँ, महिलाओ का अपमान, खुलेआम पिटाई और इस प्रकार की सैकडो दूसरी घटनाओ ने लोगो मे आतक और विभीपिका फैला दी। चारो ओर निराशा और शोक छा गया।

वावडा फायरिंग के शीघ्र वाद चौक यादगार पिशावर में अब्दुल कय्यूम खान ने भाषण करते हुए कहा—"गुरवा कुश्तन रोजे-अव्वल—विलजी अर्थात् शत्रु को पहले ही दिन मार डालना चाहिए और आरम्भ ही में अपना भय दूसरे पर जमा देना चाहिये—के नियमो के अनुसार मैंने वावडा में खुदाई खिदमतगारो को वह सवक दिया है कि जीवन भर याद रखेंगे। यह अंग्रेजो की सरकार नही है। यह मुस्लिम लीगी सरकार है और इसका नाम अब्दुल कय्यूम है। खुदाई खिदमतगार देश के गद्दार हैं और वह यहाँ से उनका नाम व निशान मिटा देगा।"

**काश्मीर का झगड़ा—**

देश के बटवारे के पश्चात् काइदे आज़म ने रियासतो के सम्वन्ध मे घोषणा कर दी कि वे अपनी इच्छा से हिन्दुस्तान या पाकिस्तान के साथ सम्मिलित हो सकती हे। भारत की समस्त रियासतो में हैदरावाद दक्खिन और काश्मीर की एक विभिन्न प्रकार की हैसियत या स्थिति थी। हैदरावाद दक्खिन भारत की रियासनो में पहली रियासत थी, जिसका स्वामी मुसलमान था और जनसख्या में वहुसख्या हिन्दुओ की थी तथा हिन्दू प्रान्तो से घिरी हुई थी। दूसरी रियासत काश्मीर थी जो बडी भी थी और अवस्थिति की दृष्टि से बडा महत्व रखती थी और प्रत्येक दृष्टि से पाकिस्तान का एक आवश्यक भाग थी, परन्तु उसका शासक डोगरा हिन्दू था और आबादी में मुसलमानो की वहुसख्या

थी। काश्मीर की रियासत पंजाब और सीमाप्रान्त की मुस्लिम आबादी में घिरी हुई थी, परन्तु बटवारे के अवसर पर अंग्रेजों ने गहरी चाल चली और मुसलमानों की बहुसंख्या के एक ज़िले गुरुदासपुर को भारत के हवाले कर दिया, जिससे काश्मीर का एक मुख्य मार्ग भारत के अधिकार में चला गया।

बटवारे के समय पाकिस्तान के साथ काश्मीर ने एक समझौता या सन्धि की कि वह अन्तिम निर्णय तक अपनी पूर्ववत् स्थिति अक्षुण्ण रखेगा और भारत के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रखेगा, परन्तु इस समझौते के पश्चात् शीघ्र ही सिद्ध हो गया कि काश्मीर का डोगरा महाराजा भारत से गठजोड़ कर रहा है अतः उस को असफल बनाने के लिये काश्मीर पर सीमाप्रान्त के कबायली पठानों ने आक्रमण कर दिया।

काश्मीर में कबायली जी-जान से लड़े और निकट था कि वे काश्मीर पर अधिकार कर लेते, परन्तु कुछ स्वार्थी लोगों की उत्तरदायित्व शून्य कार्यवाहियों तथा विवेक बुद्धि से कोरे हस्तक्षेप ने इस कार्य को साफल्य-मण्डित न होने दिया जिनके कारण काश्मीर का मुआमला आज तक खटाई में पड़ा हुआ है।

**अब्दुल कय्यूम खान की तानाशाही—**

अब्दुल कय्यूम खान ने सरकार की बागडोर सम्भालते ही अनुचित कार्यवाहियाँ आरम्भ कर दीं और विरोधी दल (अपोज़ीशन) के लिये षड्यन्त्रों के जाल बिछा दिये। उसने मुस्लिम लीग को सस्थागत रूप से समाप्त करना चाहा। खुदाई खिदमतगार संस्था के समस्त नेताओं को जेल में डाल कर उस संस्था को अवैध घोषित कर दिया। ज़ाकमार, मजलिसे-अहरार और अन्य समस्त संस्थाओं पर जलसे-जुलूसों के प्रतिबन्ध लगा दिये। अवामी लीग के नेताओं को गिरफ्तार करके उसे स्थगित व शिथिल कर दिया। वह कोई स्वतन्त्र संगठन सहन न कर सकता था। इसी अवधि में मुस्लिम लीग पार्टी ने चेष्टा की कि अब्दुल कय्यूम खान के विरुद्ध अविश्वास-प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय। परन्तु कुछ कांग्रेसी सदस्य, जिनमें मियाँ जाफर शाह, नव्वाब जादा अल्लाह नवाज़, मुहम्मद असलम खानान, अरबाब अब्दुर्रहमान गनीखेल और अब्दुल्लाह शाह आदि शामिल थे, अब्दुल कय्यूम के साथ गुप्त समझौता करके मुस्लिम लीग पार्टी में सम्मिलित हो गये। इसके बावुजूद निम्नलिखित महानुभावों ने अविश्वास-प्रस्ताव पेश करने का संकल्प कर लिया—

मियाँ मुशर्रफशाह, सरदार अमदजान खान, नव्वाब कुतबुद्दीन खान, राजा सरदार खान, गरबाव मुहम्मद शरीफ खान और अब्दुल कय्यूम स्वाती—इन्होने अपना एक सुदृढ दल बना लिया और उन्हे विश्वास था कि अविश्वास प्रस्ताव हाउस मे भारी बहुमत से स्वीकार कर लिया जायगा।

अब्दुल कय्यूम खान को इस बात का पता चल गया। उसने तत्काल इस प्रस्ताव को विफल बनाने के लिये यह चाल चली कि असेम्बली के अधिवेशन से केवल एक दिन पहले असेम्बली मे विरोधी दल के कांग्रेसी सदस्य अब्दुल कय्यूम स्वाती, हाजी फकीरा खान और कुछ दूसरे लोगो को गिरफ्तार कर लिया और बताया कि उन्होने इसे मार डालने का षड्यन्त्र कर रखा था।

पीर साहिब मानकी शरीफ ने लाहौर में सत्ताधारी लोगो को चैलेन्ज किया कि इस विषय की स्वतन्त्र रूप में जाँच की जाय और यदि अभियोग सिद्ध हो जाय, तो उन लोगो को फाँसी दे दी जाय, अन्यथा अब्दुल कय्यूम खान को इस राजनीतिक झूठ का दण्ड दिया जाय और मन्त्रिमण्डल से हटाया जाय। परन्तु जाँच आदि कुछ न हुई और कुछ दिनो के पश्चात् अब्दुल कय्यूम खान ने उन्हे विना मुकद्दमा चलाये रिहा कर दिया, क्योकि उस समय अविश्वास-प्रस्ताव का खतरा टल चुका था।

कुछ दिनो के पश्चात् मुस्लिम लीग कौंसिल मे अब्दुल कय्यूम खान के विरुद्ध एक प्रबल हगामा हुआ, क्योकि उसके तानाशाही व्यवहार से सब तग आ चुके थे। अत हजरत बादशाह गुल ने, जो अब्दुल कय्यूम खान के समर्थक और प्रान्तीय मुस्लिम लीग के प्रधान थे, विवशत त्यागपत्र दे दिया। अब अब्दुल कय्यूम स्वय अध्यक्षपद सम्भालने के लिये हाथ-पाँव मारने लगा। इस सम्बन्ध मे ऐबटाबाद में एक महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता दिवगत लियाकत अली खान ने की। इस अधिवेशन में अत्यन्त पक्षपात और अन्याय से काम लेते हुए भी प्रतिनिधि लोगो को सम्मिलित करके प्रान्तीय लीग का अध्यक्ष-पद अब्दुल कय्यूम को दे दिया गया।

इसी प्रकार उसने अब्बास खान और जलाल बाबा को अपने मार्ग से हटाने के लिये न केवल मन्त्रिमण्डल से हटा दिया, प्रत्युत पाँच वर्ष तक चुनाव मे खडे होने के अयोग्य घोषित कर दिया तथा मुस्लिम लीग से भी निकाल दिया।

उन्ही दिनो पीर साहिब मानकी शरीफ के नेतृत्व में सीमाप्रान्त के पाँच

वकीलों ने परोडा दाखिल किया, जिसमे अब्दुल कय्यूम खान पर कडे अभियोग लगाये गये। परन्तु केन्द्र के संघर्ष तथा खींचातानी के कारण गवर्नर-जनरल ने परोडा अस्वीकृत कर दिया और जाँच का कष्ट न उठाया।

**अब्दुल कय्यूम खान की अवनति—**

पाकिस्तान के पहले गवर्नर-जनरल काइदे आजम मुहम्मद अली जिन्नाह का देहान्त जिन खेदजनक परिस्थितियो में हुआ, उसके विस्तृत विवरण में पडने का यह अवसर नही। उनके पश्चात् लियाकत अली खान ने मन्त्रिमण्डल का नेतृत्व स्वयं सम्भाल लिया और ख्वाजा नाजिमुद्दीन को, जो बंगाल के मुख्य मन्त्री थे, बुला कर गवर्नर-जनरल बना दिया।

लियाकत अली खान के मन्त्रिमण्डल के शासन-काल में पाकिस्तान में विरोधी दल का अस्तित्व समाप्त करने के लिये समस्त शस्त्रों का प्रयोग किया गया। उनकी हैसियत एक स्वेच्छाचारी डिक्टेटर की सी थी। देश में नागरिक स्वतन्त्रता का गला घोट दिया गया, जिससे जनता में बडी अशान्ति और निराशा फैल गई। सीमाप्रान्त, पंजाब और बंगाल मे लियाकत अली के विरुद्ध प्रबल प्रदर्शन हुए और काली झण्डियो से उनका स्वागत किया गया। लाहौर के एक जलसे मे उन्हे भाषण तक न करने दिया गया और केन्द्र में भी उनके विरुद्ध भाषण प्रदर्शन होने लगे।

जनता के अतिरिक्त सेना में भी उनके विरुद्ध वैमनस्य फैल गया और सेना के समस्त बडे-बडे अधिकारियो ने पाकिस्तान में सैन्य-क्रांति लाने का प्रयत्न किया। यह घटना "रावलपिण्डी षड्यन्त्र" के नाम से विख्यात है। लियाकत अली के जीवन में ही इस षड्यन्त्र का रहस्योद्घाटन हुआ और मेजर जनरल अकबर खान, मेजर जनरल नजीर, एयर कमाण्डर मुहम्मद खान जजोआ, ब्रिगेडियर लतीफ, कर्नल अरबाब नयाज, मुहम्मद खान, फैज अहमद 'फैज', सज्जाद जहीर मुहम्मद हुसैन अता और कई अन्य सैनिक अधिकारियो को गिरफ्तार किया गया और पार्लियामेण्ट के एक विशेष कानून के अधीन उनके मुकद्दमे के लिये एक ट्रिब्यूनल नियुक्त किया गया, जिसमें फेडरल कोर्ट के जज सम्मिलित थे। ट्रिब्यूनल ने मुकद्दमे की सुनवाई के पश्चात् भारी दण्ड दिये।

इसी बीच में लियाकत अली खान रावलपिण्डी की एक सार्वजनिक सभा में भाषण करने के लिये आये हुए थे कि इस सभा में सय्यद अकबर नामक एक

अफगान ने पिस्तौल के दो फायरो से उन्हे मौत के घाट उतार दिया। षड्यन्त्र-कारियो ने अत्यन्त सावधानी से अभियुक्त को भी वही ढेर कर दिया ताकि हत्याकाण्ड की जाँच न हो सके। अत आज तक इस षड्यन्त्र का रहस्योद्‌घाटन नही हो सका।

लियाकत अली की हत्या के पश्चात् ख्वाजा नाजिमुद्दीन ने, जो उस समय गवर्नर-जनरल थे, अपने आपको मन्त्रिमण्डल की एक अनियमित बैठक में स्वय ही प्रधान मन्त्री चुन कर ब्रिटेन सरकार से मलिक गुलाम मुहम्मद (दिवगत) के लिये गवर्नर-जनरल बनने की सिफारिश कर दी, जो स्वीकृत हो गई।

कुछ समय के पश्चात् गवर्नर-जनरल और प्रधान मन्त्री के मध्य मतभेद उत्पन्न हो गये और यह खीचातानी धीरे-धीरे भीषण रूप धारण कर गई। यद्यपि ख्वाजा नाजिमुद्दीन पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री, सुरक्षा-सचिव और अखिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्रधान थे, परन्तु जनता को उनसे बहुत घृणा थी और उनका समय देश में अनादर, अपयश और दुर्भाग्य का समय कहलाता है।

गवर्नर-जनरल ने जनता के इस विरोध का लाभ उठा कर मन्त्रिमण्डल के बहुधा सदस्यो के समर्थन और प्रधान सेनापति मुहम्मद अयूब खान के परामर्श से ख्वाजा नाजिमुद्दीन को प्रधान मत्री पद से हटा दिया और मुहम्मदअली बोगरा को, जो अमेरिका मे राजदूत था, बुला कर प्रधान मन्त्री बना दिया।

ख्वाजा नाजिमुद्दीन की पदच्युति पर पाकिस्तान की जनता को बडा हर्ष हुआ और देश भर में गवर्नर-जनरल के इस कार्य की बडी सराहना की गई। उस समय अब्दुल कय्यूम खान कराची में था। उसे सीमाप्रान्त जाने से रोका गया क्योकि वह ख्वाजा नाजिमुद्दीन के धडे में था। परन्तु अब्दुल कय्यूम खान ने अधिवेशन समाप्त होने से पहले ही सीमाप्रान्त जाने का प्रयत्न किया, जिस की सूचना पाते ही गवर्नर-जनरल ने लाहौर में मेजर जनरल आजम खान को, जो उन दिनो लाहौर में फौजी एडमिनिस्ट्रेटर थे, टेलीफोन पर आदेश दिया कि अब्दुल कय्यूम खान को लाहौर स्टेशन पर हिरासत में लेकर कराची पहुँचा दो। अस्तु ऐसा ही किया गया।

सरदार अब्दुर्रब खान निश्तर जो आरम्भ में केन्द्रीय सरकार में सम्पर्क मत्री, फिर पजाब के गवर्नर और बाद को उद्योग मन्त्री रह चुके थे, दुर्भाग्य-वश ख्वाजा नाजिमुद्दीन के दल में गिने गये और मत्रिमण्डल से अलग कर दिये

गये और सरदार साहिब के स्थान पर गवर्नर-जनरल ने अब्दुल क़य्यूम खान को उद्योग मन्त्री बना कर सीमाप्रान्त की राजनीति से उसका सम्बन्ध तोड़ दिया।

अब्दुल कय्यूम के विलग होने पर सारे सीमाप्रान्त में लोगों ने हर्ष का दिन मनाया, बाजे बजाए गये, दीपमाला की गई—अब प्रश्न यह था कि यहाँ मुख्य मन्त्री का पद किसे सौंपा जाए। अब्दुल कय्यूम के आँसू पोंछने के लिये उसे सीमाप्रान्त भेजा गया कि वही मुख्यमन्त्री का चुनाव करे। यहाँ इस पद के लिये मन्त्रिमण्डल के मन्त्रियों मियाँ जाफरशाह, मलिकुर्रहमान कयानी और सालार मुहम्मद अयूब खान के मध्य बड़ी खींचातानी हो रही थी, उनमें से प्रत्येक अपनी पार्टी बनाने के लिये दौड़-धूप कर रहा था। परन्तु अब्दुल कय्यूम ने सबकी आशाओं पर पानी फेर दिया और सम्भावना के विरुद्ध अब्दुर्रशीद खान को प्रधान मन्त्री बना दिया, जिस पर सारे देश में आश्चर्य प्रकट किया जाने लगा। इस विचित्र राजनीतिक चालबाज़ी के पश्चात् कय्यूम खान ने अपने विशेष मित्र शमसुलहक को भी सीमाप्रान्त के मन्त्रिमण्डल में स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त कर दिया। वह उसका निजी नौकर, वह भी मुन्शी और इस पर मजे की बात, उसका पार्लामेण्टरी सेक्रेटरी रह चुका था। परन्तु थोड़े समय के बाद ही शमसुलहक के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया गया। यह स्थिति देखकर शमसुलहक तत्काल कराची पहुँचा और कय्यूम खान को सारी बात कह सुनाई। उसने शमसुलहक के प्रति सारे विरोध का उद्गम सरदार अब्दुर्रशीद को ठहराया और कराची से यह संकल्प लेकर चला कि प्रान्तीय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष पद से लाभ उठाते हुए सरदार रशीद के विरुद्ध पूरा प्रयत्न करके उसे हटा दे और नया मन्त्रिमण्डल बना दे।

इस उद्देश्य के लिये वह सीमाप्रान्त के दौरे के बहाने चल पड़ा, परन्तु यह सारी योजना कय्यूम खान के आने से पहले ही सरदार रशीद को मालूम हो चुकी थी। अत उसने अपनी स्थिति खूब दृढ़ बना ली और कय्यूम खान के आने पर उसका स्वागत भी न किया और न ही उससे कोई सौहार्दपूर्ण व्यवहार किया। कय्यूम खान गवर्नमेण्ट हाउस में ठहरा और इन घटनाओं से इतना खिन्न तथा परेशान हुआ कि तत्काल शमसुलहक को साथ लेकर पंजाब चला गया। वहाँ जाते ही उसका त्यागपत्र मुख्यमन्त्री को भिजवा दिया और बाद में स्वयं भी विवश होकर सीमाप्रान्त लीग के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। इस यह

अध्यक्ष पद सरदार अब्दुर्रशीद ने सभाल लिया ।

सरदार अब्दुर्रशीद खान को मुख्यमन्त्री बनाने मे कय्यूम खान की एक विशेष चाल थी । उसका विचार था कि अब्दुर्रशीद खान कोई राजनीतिक अनुभव न रखने के कारण उसके हाथ में कठपुतली बना रहेगा और वह अपनी मनमानी कर सकेगा । इसीलिये उसने मुस्लिम लीग का अध्यक्षपद और असेम्बली की सदस्यता अपने हाथ में रखी, ताकि यह बता सके कि वही वास्तव में सीमाप्रान्त के लीग दल का नेता है । परन्तु अकस्मात् परिस्थितियो ने पलटा खाया और रशीद तथा कय्यूम के मध्य मतभेदो की खाई विस्तृत हो गई । इन मतभेदो के बाद आरम्भ में सरदार रशीद ने लोगो मे अपने आपको सर्वप्रिय बनाने का प्रयत्न किया । इस सम्बन्ध में उसने कई घोषणाएं की और सुन्दर वचन भी दिये कि वह नागरिक स्वतन्त्रता को पुन स्थापित कर देगा । विरोधी दल को काम करने का अवसर देगा और भावी चुनाव ईमानदारी और पक्षपात रहित कराएगा । इस बात ने सामयिक रूप से उसे जनता में किसी क़दर प्रिय बना दिया । अत जब वह डेरा इस्माईल खान के उपचुनाव में खडा हुआ, तो विरोधी दल ने उसे बिना मुकाबले के सफल होने का अवसर दिया । उसने ५ जनवरी १९५४ ई० मे प्रान्त के समस्त राजनीतिक बन्दियो को भी बिना किसी शर्त के मुक्त कर दिया ।

परन्तु जब ये बन्दी बाहर आये, तो उसका व्यवहार बदलने लगा । खुदाई खिदमतगार आन्दोलन पर पूर्ववत् प्रतिबन्ध रहा और बाचा खान को सीमाप्रान्त में दाखिल होने की आज्ञा न दी ।

प्रान्त में पूरे पाँच वर्ष की स्थगिति के बाद अवामी लीग ने सस्था के रूप में सगठन के लिये काम आरम्भ किया । परन्तु अब्दुर्रशीद खान विरोधी दल की कार्यवाहियाँ सहन न कर सका और मई १९५४ ई० में सीमाप्रान्त के बदनाम काले क़ानूनो और सेफ्टी एक्ट के अधीन विरोधी दल के समस्त नेताओ को गिरफ्तार कर लिया । इस सम्बन्ध में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके नाम निम्नलिखित हैं—

अरबाब अब्दुल गफ़ूर खान, अरबाब सिकन्दर खान, मुहम्मद अफज़ल खान बगश, सनोबर हुसैन खान, खुशहाल खान खटक, उम्र फारूक, मास्टर शेरअली, मौलाना नूरुलहक 'नूर', मौलाना अमाम शाह, गुलाम मुहम्मद गामा, मास्टर

खान गुल, सय्यद फारिग बुखारी।

इन गिरफ्तारियों से सीमाप्रान्त की जनता में रशीद मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध रोष और क्रोध की लहर दौड गई। इस बीच में एक बडी घटना यह हुई कि प्रान्त मे उपचुनाव होने लगे। एक हजारा मे और दो मरदान में। इनमें विरोधी दल की ओर से मरदान के दोनो क्षेत्रों में गुलाम मुहम्मद लोद खोड और हजारा में मुहम्मद हारून को टिकट दिये गये। परन्तु चुनाव प्रचार के बीच में मियाँ जाफर शाह, सरदार रशीद और कयानी ने जो भाषण किये, उनमें समस्त लोक-तन्त्री रीति-नीति को पददलित करते हुए पूरे फासिज्म (अनन्य शासकता) का प्रदर्शन किया गया। उन्होंने खुल्लम-खुल्ला विरोधी दल पर पाकिस्तान का शत्रु होने का अभियोग लगाया और यहाँ तक कहा कि विरोधी दल के प्रतिनिधि सरकार की कुर्सियो पर हमारी लाशो पर से गुजर कर ही पहुँच सकते हैं। इस से सिद्ध होता था कि सरकार मुस्लिम लीगी उम्मीदवारों को सफल बनाने के लिये प्रत्येक हथियार और हथकण्डे का प्रयोग करेगी। अतः ऐसा ही हुआ। पुलिस के द्वारा जनता पर जो दबाव डाला गया, उसका उदाहरण नहीं मिलता। यहाँ तक कि जिला मरदान के डिप्टी कमिश्नर को केवल इस अभियोग पर मुअत्तल किया गया कि उसने गुलाम मुहम्मद खान के मनोनयन पत्र क्यों स्वीकृत किये। चुनाव मे खूब धाँधली मचाई गई और बोगस वोट डाले गये। विरोधी दल के कार्यकर्त्ताओ को पीटा गया और अपने उम्मीदवारों को शासन के बलबूते पर सफल बनाया गया।

चुनाव के शीघ्र बाद जिला मरदान में अवामी लीग के उम्मीदवार गुलाम मुहम्मद लोद खोड़ को १९४३ ई० के एक बहुत पुराने मुकद्दमे के अधीन गिरफ्तार करके उसका मुकद्दमा जिरगा सुपुर्द किया गया, जिसने उसे सात वर्ष के कारावास का दण्ड दिया गया। तब पीर मानकी शरीफ ने सरकार के इस खुल्लम-खुल्ला अन्याय और फासिस्ट नीति के विरुद्ध प्रबल आन्दोलन किया, और उन्होंने विवश होकर अवामी लीग के संगठन को तोडने के लिये अपील की तथा असेम्बली से त्याग-पत्र देने की घोषणा कर दी, जो सरकार के लिये एक शर्म-नाक चीज थी।

बाचा खान से राष्ट्रीय सरकार का व्यवहार—

देश के बटवारे के पश्चात् सीमाप्रान्त में मुस्लिम लीग ने प्रमुख सत्ता लेते

ही खुदाई खिदमतगारो से सौतेली माता का-सा वर्ताव आरम्भ कर दिया। वाचा खान पर भाँति-भाँति के अभियोग लगाये और उन्हे पाकिस्तान का शत्रु सिद्ध करके अत्याचार का लक्ष्य बनाने का प्रयत्न किया गया।

१९४८ ई० में वाचा खान ने पाकिस्तान की पार्लियामेण्ट के अधिवेशन मे पहली वार भाग लिया और वफादारी की शपथ उठाने के बाद अपने भाषण में कहा कि यद्यपि देश की स्वाधीनता की लडाई मे हमारी राहे अलग-अलग थी, परन्तु उद्देश्य एक था। अब जब कि उद्देश्य सिद्ध हो चुका है, हमारा कोई मतभेद शेष नही रहा। पाकिस्तान हमारा साझा देश है और हम इसकी सेवा करने में किसी से पीछे नही रहेंगे।

इसके पश्चात् वाचा खान ने काइदे आजम से मिलकर उन्हे बताया, "हमारा आन्दोलन एक सामाजिक सुधार आन्दोलन है। अंग्रेजो ने मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध राजनीतिक बनने पर वाध्य किया। अब देश स्वाधीन हो चुका है। हम चाहते है, फिर अपना सामाजिक कार्यक्रम आरम्भ कर दे।" काइदे आजम ने सहर्ष उन्हे प्रत्येक प्रकार की सहायता देना स्वीकार कर लिया और वचन दिया कि वे सीमाप्रान्त का भ्रमण करते समय वाचा खान से भेट करेंगे। परन्तु जब यह समाचार सीमाप्रान्त के स्वार्थी सत्ताधारियो के कानो तक पहुँचा, तो वे बौखला उठे और जब काइदे आजम सीमाप्रान्त के दौरे पर आये, तो उन्हे बताया गया कि "ये बडे भयकर और खतरनाक लोग हैं। आपको अपने हैड क्वार्टर ले जाकर कत्ल करना चाहते हैं।" अस्तु उनकी यह चाल सफल रही। काइदे-आजम ने वाचा खान का निमन्त्रण रद्द कर दिया। परन्तु वाचा खान स्वय जाकर गवर्नमेण्ट हाउस में उनसे मिले और अनुभव किया कि काइदे आजम को उनसे विमुख कर दिया गया है। काइदे आजम ने वाचा खान को मुस्लिम लीग में सम्मिलित होने पर विवश किया। उन्होने वचन दिया कि अपने दल से परामर्श करने के पश्चात् उत्तर देंगे। अस्तु पार्टी का अधिवेशन बुलाया गया, जिसमे यह बात पेश की गई और पार्टी ने इसे अस्वीकार कर दिया।

इससे पहले कराची में वाचा खान ने जी० एम० सय्यद, मौलाना अब्दुल मजीद सिंधी और कुछ दूसरे लोगो से मिलकर "पीपल्ज पार्टी" नाम से एक सस्था बनाई, जिसका पाकिस्तान के कोने-कोने में बडे समारोह से स्वागत किया गया। परन्तु खेद है कि उन्हे इस नई सस्था के लिये काम करने का अवसर न

मिला। उन्हें बन्नू जाते हुए १५ जून १९४८ ई० को गिरफ्तार कर लिया गया। तीन वर्ष के कारावास का दण्ड मिला और जब ये तीन वर्ष पूरे हुए, तो बंगाल रेग्यूलेशन के अधीन तीन वर्ष के कारावास का दण्ड और दिया गया। अन्त मे जनवरी १९५४ ई० में उन्हें मुक्त किया गया, परन्तु फिर भी सीमा-प्रान्त में उनके प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया।

१९५४ ई० में बाचा खान को रिहाई के पश्चात् सर्कट हाउस रावलपिण्डी मे नजरबन्द कर दिया गया। बाद में पंजाब में गतिविधि की आज्ञा दी गई। फिर कराची की विधान असेम्बली के अधिवेशन में सम्मिलित होने की आज्ञा दी गई।

उन दिनो एक यूनिट का प्रश्न गर्म था। सरकार प्रचार करके इसके लिये क्षेत्र समतल कर रही थी और इसे हर मूल्य पर लागू करना चाहती थी। इधर बहुत कम लोग इसे पसन्द करते थे। मन्त्रिमण्डल के सदस्यों ने बाचा खान से मिलकर उन्हें एक यूनिट के समर्थन पर तैयार करना चाहा। परन्तु उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि यह योजना सफल नहीं हो सकती, अपितु इससे देश को हानि पहुँचने, खर्च बढ़ जाने और अशान्ति फैल जाने की आशंका है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि जहाँ तक वे लोगों के विचार मालूम कर चुके हैं, उनके विचार में जनता भी इसके पक्ष में नहीं है। इसलिये पहले तो सरकार को यह विचार छोड़ देना चाहिये, अन्यथा जनता का अभिमत जानने के बाद कोई पग उठाना चाहिये। परन्तु उन्होंने बाचा खान की बातों पर ध्यान न दिया और कहा कि अब तो एक यूनिट स्थापित होकर ही रहेगा, क्योंकि यह सरकार की मान-प्रतिष्ठा का प्रश्न है।

इधर गवर्नर-जनरल ने डा० खान साहिब से बातचीत आरम्भ कर रखी थी। अत: डाक्टर साहिब से समझौता हो गया। एक यूनिट बना दिया गया और डाक्टर खान साहिब को उसका मुख्य मन्त्री बना दिया गया। बाचा खान का इस विषय में डाक्टर खान साहिब से मतभेद था। परन्तु उन्होंने परवाह न की और मुख्य मन्त्री बनना स्वीकार कर लिया।

बाचा खान पंजाब वापस आये और जिला कैम्बलपुर में गोर गली गाँव में निवास ग्रहण किया। सीमाप्रान्त के लोग बाचा खान पर लगाये गये प्रति-बन्धों को पसन्द नहीं करते थे। उन्होंने इसका आन्दोलन करने का सुझाव प्रस्तुत

किया। परन्तु बाचा खान ने इसे पसन्द न किया।

१६५५ ई० में नई पार्लमिण्ट के भरे अधिवेशन में पजाब और बगाल के राजनीतिज्ञो मे फिर मतभेद उत्पन्न हो गया। उन दिनो बाचा खान के सीमा-प्रान्त में प्रवेश करने पर पूर्ववत् प्रतिबन्ध लगे हुए थे। उन्होने वहां भी एक यूनिट का घोर विरोध किया। फिर अकस्मात् उन्हे सीमाप्रान्त में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी गई।

बाचा खान का तीसरा ऐतिहासिक स्वागत—

१७ जुलाई १६५५ ई० प्रात आठ बजे खुदाई खिदमतगार के उच्च नेता और प्रवर्तक खान अब्दुल गफ्फार खान ने लगभग सात वर्ष के लम्बे समय की नजरबन्दी के बाद अपने प्रान्त में पहली बार पग रखा। हजरो के स्थान पर आपका जुलूस ठीक आठ बजे अटक नदी के पुल पर पहुँचा। इस जुलूस मे असख्य मोटर कारें, जीप कारें, बसें और वैगनें सम्मिलित थी। इस में हजारो-लाखो मनुष्यो ने भाग लिया। बाचा खान की कार जुलूस के आगे-आगे थी। बाचा खान कार की पिछली सीट पर दाई ओर और पीर साहिब मानकी शरीफ बाई ओर बैठे थे। ज्यो-ज्यो यह जुलूस अटक पार करके सीमाप्रान्त की सीमा में प्रविष्ट हुआ तो फखे अफागना स्वागत समिति के कार्यकर्त्ताओ तथा मरदान व स्वाबी से आये हुए हजारो लोगो ने बाचा खान का स्वागत किया। उनके शुभ आगमन पर असीम हर्ष प्रकट करते हुए 'बाचा खान जिन्दाबाद,' और 'पीर साहिब मानकी शरीफ जिन्दाबाद' के नारे लगाए। २१ गोलो की सलामी के पश्चात् यह जुलूस खैरआबाद कण्ड की ओर बढा। सडक के दोनो ओर भीड बाचा खान के गगन-भेदी नारे लगा रही थी। खैरआबाद में भी बाचा खान को २१ गोलो की सलामी दी गई। बाचा खान को सात वर्ष के लम्बे समय के पश्चात् लोग अपने मध्य देखकर आनन्दावेश में उछल रहे थे और उनकी आंखो से हर्ष के आंसू बह रहे थे।

खैरआबाद के बाजार में रगीन झण्डियाँ और विभिन्न श्रृङ्गार की चीजें लटक रही थी, जिनके द्वारा बाचा खान का स्वागत किया गया था। कारो का जुलूस खैरआबाद के बाजार में धीरे-धीरे चलता रहा। यद्यपि लोगो ने उसे रोकने का बहुत प्रयत्न किया, परन्तु जुलूस न रुक सका और बाजार से निकल कर जहांगीरा की ओर बढा।

जहांगीरा मे बाचा खान का जुलूस नौ बजे पहुँचा। यहाँ आपको २१ गोलो की सलामी दी गई और भव्य स्वागत किया गया। आपने हजारो लोगो के समारोह मे भाषण करते हुए कहा—

"मै आपकी श्रद्धा और प्रेम का धन्यवाद करता हूँ। मैं बहुत समय आपसे दूर रहा, परन्तु विश्वास कीजिये हमारे शरीर एक-दूसरे से अवश्य दूर थे, परन्तु आत्मा विलग नही थे। जातियो पर इस प्रकार की परीक्षाएं आती रहती हैं। खुदा का शुक्र है, हम इन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। खुदाई खिदमतगार आन्दोलन पख्तूनो में एकता पैदा करने और उनके जीवन का स्तर ऊँचा करने के उद्देश्य से आरम्भ किया गया। इस आन्दोलन ने जनसाधारण के लिये जो काम किया वह किसी से छिपा नही। इस आन्दोलन ने जनता में राजनीतिक समझबूझ उत्पन्न की और आपने स्वाधीनता प्राप्त की। परन्तु अपने स्वार्थों के कारण स्वाधीनता को सुदृढ बनाने में असफल रहे और देश को भूख, नंग और बेकारी की कठिनाइयों में फँसा दिया।

उन्होंने कहा, "मैंने जब अपने प्रान्त मे यह आन्दोलन आरम्भ किया, तो लोगो को स्वार्थ-त्याग और प्राणीमात्र की सेवा का भाव उत्पन्न करने का उपदेश किया। परन्तु लोग इस शिक्षा को भूल गये। मेरा यह संदेश गांवो मे पहुँचा दीजिये और लोगो से कहिये कि वे मेरी बताई हुई बातों का पालन करें, क्योंकि ऐसा करने ही से वे अपने देश और भावी पीढियो को समृद्धिशाली व खुशहाल बना सकेंगे।"

जुलूस ने जहांगीरा से अकोड़ा खटक की ओर प्रस्थान किया, तो हजारो लोग बाचा खान को देखने के लिये मीलो तक उनकी कार के साथ पैदल और साइकलो पर जाने लगे। यह जुलूस अभी एक फर्लांग भी नही गया था कि सड़क पर खड़े हुए लोगों के समूह ने उसे रुकने पर बाध्य कर दिया। श्रद्धालु लोग आगे बढ कर उनसे हाथ मिलाते, उनके हाथो को चूमते। कड़ी गर्मी होने पर भी बाचा खान एक खुली कार में बैठे थे और खद्दर के वस्त्र पहने हुए थे। उनके शरीर से पसीना बह रहा था और वह मुस्करा रहे थे। गैदो गांव से गुजर कर यह जुलूस दस बजे अकोड़ा खटक पहुँचा। यहाँ अजम खटक पीर साहिब अकोड़ा, बादशाह गुल साहिब और उनके श्रद्धालुओ तथा हजारो लोगो ने बाचा खान का स्वागत किया। उन्हें फूलों के हारो से लाद दिया गया और

गोलो की सलामी भी दी। बाचा खान ने अकोडा में भी लोगो के प्रति भाषण करते हुए उसी प्रकार के विचार प्रकट किये।

अकोडा से यह जुलूस नौशहरा पहुँचा, जहाँ असंख्य नागरिको और ग्रामीण लोगो ने बाचा खान का बडे समारोह के साथ स्वागत किया। फूलो के हार पहनाए और गोलो की सलामी दी। नौशहरा के बाजार मे लोगो की इतनी भीड थी कि तिल रखने का भी स्थान न था। यहाँ भी बाचा खान ने लोगो के प्रति भाषण करते हुए कहा—

"वही जातियाँ सदा सफल होती हैं, जो अपना समय बातो में नष्ट करने के स्थान पर अधिकतर कर्म की ओर ध्यान देती हैं। अँग्रेजो का युग समाप्त हुआ। अब हम स्वतन्त्र हैं। इसलिये हमें स्वतन्त्रतापूर्वक सोचना चाहिये।"

जुलूस ग्यारह बजे नौशहरा से चल कर मार्ग में विभिन्न स्थानो पर रुकता हुआ बारह बजे पब्बी पहुँचा। वहाँ भी भव्य स्वागत किया गया और २१ गोलो की सलामी दी गई। पब्बी के बाजार को दुल्हन की भाँति सजाया गया था और स्थान-स्थान पर रंग-बिरंगी झण्डियाँ लटक रही थी।

बाचा खान ने वहाँ भी लोगो के प्रति भाषण किया और उनसे संगठित रहने तथा एकता रखने की अपील की। वही आपने मियाँ कीमत शाह के यहाँ दोपहर का खाना खाया और कुछ विश्राम किया।

बाचा खान का जुलूस साढे चार बजे पब्बी से पिशावर रवाना हुआ और विभिन्न स्थानो पर रुकता हुआ साढे ६ बजे पिशावर पहुँचा। अटक से पिशावर तक सारे मार्ग में लोगों की ओर से सैकडो सुन्दर दरवाजे बनाये गये थे। स्थान-स्थान पर लोग बैण्ड बाजे बजा रहे थे और नाच रहे थे। पुलिस का प्रबन्ध पर्याप्त था। रास्ते में कई स्थानो पर बाचा खान को अभिनन्दन-पत्र भेंट किये गये।

आपका जुलूस, जो मीलो लम्बा था, जब पिशावर के निकट पहुँचा, तो लोगो के ठाठें मारते हुए समुद्र ने जुलूस को तेजी से आगे बढने से रोक दिया। अब यह जुलूस बहुत ही धीमी गति से पिशावर के विभिन्न बाजारो से गुजरता हुआ कनिंघम पार्क पहुँचा।

यह जुलूस सीमाप्रान्त के इतिहास में अपनी उपमा आप ही था। पग-पग पर हजारो श्रद्धालु मार्ग पर आँखें बिछाए खडे थे। शहरो, कसबो और बस्तियो

के लोगों ने ईद की-सी खुशी मनाई। जुलूस के पिशावर पहुँचने से पहले चार लारियाँ और एक वैगन, जिनमे खुदाई खिदमतगार सवार थे, हर्ष से विभोर होकर नारे लगाते हुए क़िस्सा ख़ानी से गुजरे। इसके पश्चात् ढोल सरना बजाने वालो की टोलियाँ गुजरी। कुछ देर बाद १९ ऊँटो का एक काफिला गुजरा। यह काफिला नौबत बजाने वालो का था। इसके बाद भैंसा गाड़ियो का काफिला और फिर मोटर कारें। इनके मध्य फूलो से लदी हुई एक सफेद कार में बाचा खान अपने श्रद्धालुओ के आनन्दोद्घोषो का उत्तर प्रेम-भरी मुस्कराहट से दे रहे थे। जुलूस आगे बढता गया और किस्सा खानी से होता हुआ बाना हिसार की पश्चिमी सडक से होकर कनिंघम पार्क पहुँचा, जहाँ आपने जनता के सामने भाषण किया।

"मेरे भाइयो!

हम बहुत समय तक एक-दूसरे से जुदा रहे हैं। परन्तु हमारे दिल कभी जुदा नही हुए। इन आठ वर्षो में एक दिन भी ऐसा नही आया, जब मैंने आपको याद न किया हो। आप जानते हैं, मैं बातें बहुत कम किया करता हूँ। इस लिये मेरा विश्वास है कि जो लोग बातें अधिक करते हैं, वे उन्नति नही कर सकते। बातो से अधिक कार्य करना चाहिये। अब मैं संक्षिप्त रूप में आपको बताऊँगा कि आप पर जो आपत्ति टूट पडी है, जो अवनति आई है, उसका कारण क्या था। आपको याद होगा, हमने अपने आन्दोलन का नाम खुदाई खिदमतगार रखा था और खुदा से प्रतिज्ञा की थी कि हम लोगो की जो सेवा करेंगे वह केवल अल्लाह (ईश्वर) के लिये करेंगे। परन्तु जब परीक्षा का समय आया, तो हम उसमें असफल हुए और जो सफलता हमें प्राप्त हुई, उससे कोई लाभ न उठा सके। हमारी असफलता का कारण यह था कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता था कि सफलता उसके हिस्से में आये। अत. जब उन्हे शासन-सत्ता मिल गई, तो उन्होने वे सब प्रतिज्ञाएँ भुला दीं, जो उन्होंने खुदाई खिदमतगार के रूप में की थी। यही वह त्रुटि, यही वह दुर्बलता थी, जिसके कारण हम पर विपत्ति आई। जातियो पर ऐसी विपत्तियाँ आती रहती हैं। इसलिये कि वे अपनी दुर्बलताओं को अनुभव करें और उनका सुधार करें। परन्तु ईश्वर का धन्यवाद है कि अब मुसीबत का समय व्यतीत हो गया। अन्धकार दूर हो गया और उजाला फैल गया।

"जिन दिनो में जेल में था, आपको हर प्रकार से डराया-धमकाया जाता रहा। परन्तु मेरे दिल में कभी यह ख़याल तक नही आया कि कोई हमारे आन्दोलन को दवाने में सफल हो सकेगा। क्योंकि मुझे विश्वास था कि यह हमारा देश है और इस पर हम ही शासन करेंगे और यहाँ कोई शासन नही कर सकता।

"मैंने सदा सरकार से यही कहा है कि मेरा सिद्धान्त और मन्तव्य अहिंसा अर्थात् प्रेम है। मै हिंसा में रत्ती भर विश्वास नही रखता, क्योंकि हिंसा जातियो में घृणा फैलाती है। इस अवसर पर आपको एक कहानी सुनाता हूँ। जिन दिनो में जेल में था, उन दिनो मैंने वहाँ मुर्गियो के बच्चे पाल रखे थे। मुर्गियाँ जैसा कि आप जानते हैं, मनुष्य को अपना शत्रु समझती हैं, क्योंकि वह उनसे अच्छा व्यवहार नही करता। उन्हे जिब्ह करता (छुरी से गर्दन काटता है) परन्तु मुर्गियो के ये बच्चे मुझ से इतने परिचित हो गये कि जब भी मैं उन्हे बुलाता वे भाग कर मेरे पास आ जाते और कोई गोद में बैठ जाता, तो कोई कन्धे पर चढ जाता। एक दिन मैं इसी प्रकार मुर्गियो के बच्चो को देखकर हँस रहा था कि सयोगवश जेलर कर्नल स्मिथ चुपके से आकर ओट से यह खेल देखने लगे। मेरी दृष्टि उन पर पडी, तो वे निकट आ गये और पूछने लगे—यह तुम क्या कर रहे हो। मैंने कहा, जो तुम देख रहे हो। बोले—क्या मतलब? मैंने कहा—तुम समझ सको, तो यह तुम्हारे लिये एक उपदेश है। तुम जानते हो, मुर्गियाँ मनुष्य को शत्रु समझती हैं, परन्तु ये मुर्गियो के बच्चे मेरे साथ खेल रहे हैं। इसका कारण केवल प्रेम है।

"खैर यह तो एक सच्ची कहानी थी। वैसे मैंने लियाकत अली खान के समय में वर्तमान गवर्नर-जनरल से यह बात कही थी कि सरकार जो अत्याचार चाहे हम पर करे, परन्तु हमें अपना अपराध तो बताये। मैंने कहा—हिंसा का परिणाम अच्छा नही होता। इससे घृणा फैलती है। परन्तु मेरी बात किसी ने न मानी। उन्होने जो चाहा किया, परन्तु आपने देख लिया कि पठानो का भाव कोई मिटा नहीं सका। आज भी यही कहता हूँ कि यदि सरकार चाहती है कि पाकिस्तान उन्नति करे और एक सुदृढ देश बन जाये, तो उसे जनसाधारण का विश्वास प्राप्त करना होगा और उसे प्रत्येक कार्य जनता के अभिमत और परामर्श से करना होगा। यदि सरकार ऐसा नही करेगी, तो हम एक-दूसरे से दूर रहेगे।

"पंजाब के लोग कहते हैं, सीमाप्रान्त में प्रान्तीयता पैदा हो चुकी है। मैं आज ही यहाँ आया हूँ, मुझे पता नहीं, यदि ऐसा है, तो इसमें पठानों का दोष नहीं। दोष उन लोगों का है जिन्होंने यह प्रश्न उत्पन्न किया है और पठान तथा पंजाबी की समस्या को भड़काया है। वे लोग वास्तव में चाहते हैं कि पठान और पंजाबी में घृणा पैदा हो।

"हम पंजाबियों के विरुद्ध नहीं हैं। उनसे घृणा नहीं। प्रेम करते हैं और प्रेम चाहते हैं।

"यह हमारा देश है। मैं अब भी उनकी सेवा के लिये तैयार हूँ, शर्त यह है कि लोकतन्त्री मार्गों पर चलें और प्रत्येक काम लोगों की इच्छा अथवा अनुमति से करें। मैं यहाँ के समस्त दलों, समस्त संस्थाओं से, चाहे वह अवामी लीग हो या खुदाई खिदमतगार हो या कोई और पार्टी हो, यही कहता हूँ, यह हमारा देश है। हम इसमें आबाद हैं। यदि देश तबाह हो जायगा, तो हम भी तबाह हो जायेंगे।

"हुकूमत या शासन-सत्ता क्या है। हुकूमत आज भी हमारे पाँवों में है, परन्तु हम स्वीकार नहीं करते। इसलिये कि आप हुकूमत सम्भालने के योग्य नहीं। मैं उस समय तक शासन-सत्ता सम्भालने के लिये तैयार नहीं, जब तक आप में शासन-भार सम्भालने की योग्यता पैदा नहीं होती।"

जलसे के आरम्भ में पश्तो के विख्यात कवि अजमल खटक की एक कविता लय और स्वर से पढ़ी गई, जिसने श्रोताओं को विभोर कर दिया। कविता के पहले चरण का भावार्थ यह था—

"हे अफगान जाति के गौरव! तेरे आगमन से हम में जीवन आ गया है। तेरा हम स्वागत करते हैं।"

और कवि "फना" ने अपनी पश्तो कविता पढ़ी, जिसके पहले चरण का अर्थ यह था—

"पठानों के पिता! कुशल-पूर्वक आये हो।"

एण्टी यूनिट फ्रण्ट की स्थापना—

इधर बाचा खान को सीमाप्रान्त में प्रवेश की आज्ञा मिली, उधर एक यूनिट को कार्यरूप में परिणत कर दिया गया। बाचा खान ने 'सीमाप्रान्त अवामी लीग' के नेताओं—पीर मानकी शरीफ और मुहम्मद अब्दुल गफ्फार खान—

"जिन दिनो में जेल में था, आपको हर प्रकार से डराया-धमकाया जाता रहा। परन्तु मेरे दिल में कभी यह खयाल तक नही आया कि कोई हमारे आन्दोलन को दवाने में सफल हो सकेगा। क्योकि मुझे विश्वास था कि यह हमारा देश है और इस पर हम ही शासन करेंगे और यहाँ कोई शासन नही कर सकता।

"मैंने सदा सरकार से यही कहा है कि मेरा सिद्धान्त और मन्तव्य अहिंसा अर्थात् प्रेम है। मैं हिंसा में रत्ती भर विश्वास नही रखता, क्योंकि हिंसा जातियो में घृणा फैलाती है। इस अवसर पर आपको एक कहानी सुनाता हूँ। जिन दिनो में जेल में था, उन दिनो मैंने वहाँ मुर्गियो के बच्चे पाल रखे थे। मुर्गियाँ जैसा कि आप जानते हैं, मनुष्य को अपना शत्रु समझती हैं, क्योकि वह उनसे अच्छा व्यवहार नही करता। उन्हें जिव्ह करता (छुरी से गर्दन काटता है) परन्तु मुर्गियो के ये बच्चे मुझ से इतने परिचित हो गये कि जब भी मैं उन्हे बुलाता वे भाग कर मेरे पास आ जाते और कोई गोद में बैठ जाता, तो कोई कन्धे पर चढ जाता। एक दिन मैं इसी प्रकार मुर्गियो के बच्चो को देखकर हँस रहा था कि सयोगवश जेलर कर्नल स्मिथ चुपके से आकर ओट से यह खेल देखने लगे। मेरी दृष्टि उन पर पडी, तो वे निकट आ गये और पूछने लगे—यह तुम क्या कर रहे हो। मैंने कहा, जो तुम देख रहे हो। बोले—क्या मतलब ? मैंने कहा—तुम समझ सको, तो यह तुम्हारे लिये एक उपदेश है। तुम जानते हो, मुर्गियाँ मनुष्य को शत्रु समझती हैं, परन्तु ये मुर्गियो के बच्चे मेरे साथ खेल रहे हैं। इसका कारण केवल प्रेम है।

"खैर यह तो एक सच्ची कहानी थी। वैसे मैंने लियाकत अली खान के समय में वर्तमान गवर्नर-जनरल से यह बात कही थी कि सरकार जो अत्याचार चाहे हम पर करे, परन्तु हमें अपना अपराध तो बताये। मैंने कहा—हिंसा का परिणाम अच्छा नही होता। इससे घृणा फैलती है। परन्तु मेरी बात किसी ने न मानी। उन्होने जो चाहा किया, परन्तु आपने देख लिया कि पठानो का भाव कोई मिटा नहीं सका। आज भी यही कहता हूँ कि यदि सरकार चाहती है कि पाकिस्तान उन्नति करे और एक सुदृढ देश बन जाये, तो उसे जनसाधारण का विश्वास प्राप्त करना होगा और उसे प्रत्येक कार्य जनता के अभिमत और परामर्श से करना होगा। यदि सरकार ऐसा नही करेगी, तो हम एक-दूसरे से दूर रहेंगे।

## बाचा ख़ान का उच्च न्यायालय में लिखित वक्तव्य

अफगान जाति के गौरव खान अब्दुल गफ्फार खान ने, जिन पर पाकिस्तान दण्ड-विधान की धाराओं १२३ क, १२४ क और १५३ क के अधीन मुकद्दमा चल रहा था, ६ सितम्बर १९५६ ई० को पश्चिमी पाकिस्तान के उच्च-न्यायालय में एक लिखित वक्तव्य प्रस्तुत किया। उस लिखित वक्तव्य का अनुवाद पाठकों की सेवा में भेंट किया जाता है।

"माई लार्ड,

"यह दावा किया जाता है कि पाकिस्तान इस्लामी विचारों पर आधारित एक इस्लामी लोक-तन्त्र (इस्लामी लोकसत्तात्मक राज्य) है। हदीस[1] शरीफ में आया है कि एक जालिम और बिगड़े हुए (जाबर) सुलतान (राजा) के सामने सत्य वचन कहना सर्वोत्तम जिहाद ( धर्म-युद्ध ) है। मैंने महामान्य परम पूज्य रसूले अकरम के एक तुच्छ अनुयायी के रूप में महामान्य परम श्रद्धास्पद महान् रसूल का यह आदेश सदा अपने सामने रखने का प्रयत्न किया है। श्रीमान् के सामने यह हदीस ( रसूल का वाक्य ) बयान करने का उद्देश्य भी यही है कि मेरे मुकद्दमे का निर्णय करते समय यह हदीस आपके सामने रहे। कृपया मुझे आज्ञा दीजिये कि मैं अपने मुकद्दमे, अपने कार्य, अपने जीवन और अपनी सरगर्मियों ( चेष्टाओं ) के सम्बन्ध में कुछ सत्य इस उच्च न्यायालय के सामने प्रस्तुत करूँ।"

प्रारम्भिक इतिवृत्त—

"मैंने जब १९०७ ई० में मैट्रिकुलेशन की परीक्षा दी, तो मेरे पिता की इच्छा यह थी कि मैं इङ्गलिस्तान जाकर एञ्जिनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करूँ।

---

१. इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रन्थ, जिसमें महामान्य रसूल के महावाक्य और जीवन-लीला दर्ज है।

से मिल कर सीमाप्रान्त में 'एण्टी यूनिट फ्रण्ट', (यूनिट विरोधी मोर्चा) स्थापित किया और व्यापक रूप से अपना कार्य आरम्भ कर दिया। सारे प्रान्त का भ्रमण किया और भाषणों, जलसों और जुलूसों के रूप मे एक यूनिट के विरुद्ध एक तहलका मचा दिया।

अब केन्द्र में एक और परिवर्तन आ चुका था। गुलाम मुहम्मद के स्थान पर गवर्नर-जनरल का सिंहासन मेजर सिकन्दर मिर्जा ने सभाल लिया था। प्रधानमन्त्री चौधरी मुहम्मद अली थे। परन्तु कुछ दिनो के पश्चात् उन्हें हटा कर अखिल पाकिस्तान अवामी लीग के आयोजक मि० हुसैन शहीद सुहरावरदी को प्रधान मन्त्री के आसन पर विठा दिया गया।

इधर मरी में पार्लमेंण्ट के विशेष अधिवेशन के पश्चात् सीमाप्रान्त के मन्त्रियो में से प्रत्येक को यही विश्वास दिलाया गया कि पश्चिमी पाकिस्तान का मुख्य मन्त्री उसे बना दिया जायगा। अत मरी से लौटने पर सीमाप्रान्त विधान परिषद (असेम्बली) के अधिवेशन मे सीमाप्रान्त के मुख्य मन्त्री सरदार अब्दुर्रशीद ने एक यूनिट का प्रस्ताव पेश किया, जो पास हो गया और इस प्रकार सारे पाकिस्तान में उसने सबसे पहले यह प्रस्ताव पास कराने का श्रेय प्राप्त किया, परन्तु कुछ ही दिनो के पश्चात् उसे पता चला कि पश्चिमी पाकिस्तान का प्रधान मन्त्री पद डाक्टर खान साहिब को मिल रहा है और उनके लिये साधारण मन्त्री का भी स्थान नही रखा गया। फलत सरदार रशीद और मियाँ-जाफर शाह सीमाप्रान्त के मन्त्रिमण्डल से त्यागपत्र देकर एक यूनिट का खुल्लम-खुल्ला विरोध करने लगे।

इस बीच के समय के लिये यहाँ सरदार बहादुर को गवर्नर बना कर भेज दिया गया और इसके पश्चात् यूनिट बन गया तथा डाक्टर खान साहिब उसके मुख्य मन्त्री नियुक्त हुए। मुश्ताक अहमद गोरमानी को गवर्नर बनाया गया। डाक्टर खान साहिब ने 'रिपब्लिकन पार्टी' के नाम से एक सस्था बना डाली, जिस में समस्त सत्ता-लोलुप मुस्लिम लीगी भरती हो गये और बाद में सरदार रशीद और मियाँ जाफर शाह ने भी मुस्लिम लीग को छोड कर रिपब्लिकन पार्टी को अपना लिया। अत सरदार रशीद भी पश्चिमी पाकिस्तान के मन्त्रि-मण्डल मे मन्त्री ले लिये गये और मियाँ जाफर शाह को केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में जड दिया गया।

# बाचा ख़ान का उच्च न्यायालय में लिखित वक्तव्य

अफ़ग़ान जाति के गौरव ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ान ने, जिन पर पाकिस्तान दण्ड-विधान की धाराओं १२३ क, १२४ क और १५३ क के अधीन मुक़द्दमा चल रहा था, ६ सितम्बर १९५६ ई० को पश्चिमी पाकिस्तान के उच्च-न्यायालय में एक लिखित वक्तव्य प्रस्तुत किया। उस लिखित वक्तव्य का अनुवाद पाठकों की सेवा में भेंट किया जाता है।

"माई लार्ड,

"यह दावा किया जाता है कि पाकिस्तान इस्लामी विचारों पर आधारित एक इस्लामी लोक-तन्त्र (इस्लामी लोकसत्तात्मक राज्य) है। हदीस[1] शरीफ़ में आया है कि एक ज़ालिम और बिगड़े हुए (जाबर) सुलतान (राजा) के सामने सत्य वचन कहना सर्वोत्तम जिहाद (धर्म-युद्ध) है। मैंने महामान्य परम पूज्य रसूले अकरम के एक तुच्छ अनुयायी के रूप में महामान्य परम श्रद्धास्पद महान् रसूल का यह आदेश सदा अपने सामने रखने का प्रयत्न किया है। श्रीमान् के सामने यह हदीस (रसूल का वाक्य) बयान करने का उद्देश्य भी यही है कि मेरे मुक़द्दमे का निर्णय करते समय यह हदीस आपके सामने रहे। कृपया मुझे आज्ञा दीजिये कि मैं अपने मुक़द्दमे, अपने कार्य, अपने जीवन और अपनी सर-गर्मियों (चेष्टाओं) के सम्बन्ध में कुछ सत्य इस उच्च न्यायालय के सामने प्रस्तुत करूँ।"

प्रारम्भिक इतिवृत—

"मैंने जब १९०३ ई० में मैट्रिकुलेशन की परीक्षा दी, तो मेरे पिता की इच्छा यह थी कि मैं इंग्लिस्तान जाकर इन्जिनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करूँ।

---

१. इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रन्थ, जिसमें महामान्य रसूल के महावाक्य और जीवन-लीला दर्ज है।

हम दो भाई हैं। हम मे से एक, जो अब डाक्टर खान साहिब के नाम से प्रसिद्ध हैं, उस जमाने में इंगलिस्तान मे थे और वहाँ डाक्टरी की शिक्षा पा रहे थे। इस प्रकार बेटो में केवल मैं घर में था। मेरी माता मुझे इंगलिस्तान भेजने पर तैयार नही थी। अत मैंने अपनी माता की प्रसन्नता के लिये बाहर जाने का विचार छोड दिया, क्योकि मैं जानता था कि माता की प्रसन्नता प्राप्त करना ही सबसे बडी नेकी (पुण्य) है।

उस जमाने में मेरी जाति अन्धकार मे थी। हमारे इलाके में स्कूल नही थे। यदि कोई स्कूल था भी, तो मुल्ला उन स्कूलो मे शिक्षा दिलाने के विरुद्ध थे। उनका विचार था कि ये स्कूल अंग्रेजो ने स्थापित किये हैं और वहाँ शिक्षा प्राप्त करना कुफ्र (पाप) है।

**खिलाफत आन्दोलन—**

अस्तु शिक्षा प्रसार के लिये साथियो के सहयोग से मैंने एक मुस्लिम स्कूल की स्थापना का आन्दोलन आरम्भ किया। बाद में हम कई स्कूल स्थापित करने में सफल हो गये। इसी अवधि में खिलाफत आन्दोलन आरम्भ हो गया और इस्लाम के एक भक्त के रूप में मैं उसमे सम्मिलित हो गया। इस आन्दोलन के सिलसिले में मुझे तीन वर्ष के लिये कडे कारावास का दण्ड दिया गया। उस अवसर पर मैंने अनुभव किया था कि यद्यपि हमारी शैक्षिक स्थिति में सुधार के कुछ चिह्न पैदा हो चले हैं, परन्तु हमारी सामाजिक अवस्था वैसी ही खराब है।

**खुदाई खिदमतगार—**

कुछ समय के पश्चात् मैंने "खिदमतगार आन्दोलन" आरम्भ किया। यह एक विशेष सामाजिक और सुधारात्मक आन्दोलन था और इसका उद्देश्य बुरी रीतियो का उन्मूलन करना था, जो उस समय हमारी जाति मे प्रचलित हो चुकी थी। परन्तु अभी आन्दोलन की आयु कुछ महीने भी नही होने पाई थी कि सरकार ने हमें गिरफ्तार कर लिया। यह बात मेरे लिये बडी कष्टदायक थी। फिर सरकार ने इस आन्दोलन को कुचलने के लिये ऐसे अमानुषिक उपायो से काम लिया कि मैं यहाँ उनका वर्णन करने में भी लज्जा अनुभव करता हूँ।

कई वर्ष व्यतीत हो गये।

१९३० ई० में मैंने अपने आपको गुजरात स्पैशल जेल मे बन्दी पाया। यह

जेल उस समय पजाब की राजनीतिक जेल की हैसियत रखती थी। यहाँ हमारे एक या दो पुराने साथी हम से मिलने आये और उन्होंने उन अत्याचारो की खेदजनक कहानियाँ सुनाई, जो अंग्रेज सरकार हमारी जाति पर ढा रही थी। उनकी बातें सुनकर हमें बहुत आघात पहुँचा और आपस मे विचार-विमर्श के बाद हमने अपने मित्रो को आदेश दिया कि वे दिल्ली, लाहौर और शिमला जाएँ और मुस्लिम लीग तथा दूसरी मुस्लिम सस्थाओ के नेताओ से सम्पर्क स्थापित करे। उन्हे हम अपना मुसलमान भाई समझते थे और हमे बडी आशा थी कि वे इस भीषण परिस्थिति मे हमारी सहायता करेंगे। कुछ समय के पश्चात् मेरे मित्र वापस आये और उन्होने बताया कि मुस्लिम हमारी सहायता के लिये तैयार नही है क्योकि हमारी लडाई अंग्रेजो के विरुद्ध है और मुसलमान नेता अंग्रेजो से लडाई छेडने के पक्ष में नही हैं।

**कांग्रेस से एकता—**

इसके बाद हमारे साथी कांग्रेसी नेताओ के पास पहुँचे। कांग्रेसी नेताओ ने उनसे कहा कि यदि हम कांग्रेस का समर्थन करें, तो वे भी हमारी सहायता करने को तैयार हो जायेंगे। ये थी वे परिस्थितियाँ, जिनके अधीन हमने कांग्रेस से एकता स्थापित की और इस प्रकार अंग्रेजो पर अविश्वास, अनास्था और सन्देह के कारण हमारा सामाजिक आन्दोलन एक राजनीतिक आन्दोलन में परिणत हो गया, परन्तु अब भी इसमें और देश के दूसरे समकालीन राजनीतिक आन्दोलनो में बडा अन्तर था। हमारे आन्दोलन ने राजनीतिक बन जाने पर भी अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक विशेषताओ तथा सामाजिक व आर्थिक सुधार के तत्व को अक्षुण्ण रखा।

मैने उन परिस्थितियो का, जिनके अधीन हम कांग्रेस में सम्मिलित हुए थे, इसलिये वर्णन किया है कि पजाब के कुछ समाचार-पत्र आज भी हमें बदनाम करने के प्रयत्न में व्यस्त हैं और वे हमें कांग्रेसी कह कर हमारे सम्बन्ध में विभ्रम फैला रहे हैं। गलती पर हम थे या मुस्लिम लीग? इसका अनुमान करने के लिये इन तथ्यो पर पूरी तरह सोच-विचार करने की आवश्यकता है। हम अकेले अंग्रेजो का मुकाबिला नही कर सकते थे। हमें सहायता की आवश्यकता थी और उन परिस्थितियो में जबकि मुस्लिम लीग और मुसलमान नेताओ ने सहायता देने से इन्कार कर दिया था, हम कांग्रेस से एकता स्थापित करने के लिये और

हम दो भाई हैं। हम में से एक, जो अब डाक्टर खान साहिब के नाम से प्रसिद्ध हैं, उस जमाने मे इंगलिस्तान मे थे और वहाँ डाक्टरी की शिक्षा पा रहे थे। इस प्रकार वेटो मे केवल मैं घर मे था। मेरी माता मुझे इगलिस्तान भेजने पर तैयार नही थी। अत मैने अपनी माता की प्रसन्नता के लिये बाहर जाने का विचार छोड दिया, क्योंकि मैं जानता था कि माता की प्रसन्नता प्राप्त करना ही सबसे बडी नेकी (पुण्य) है।

उस जमाने मे मेरी जाति अन्धकार में थी। हमारे इलाके में स्कूल नही थे। यदि कोई स्कूल था भी, तो मुल्ला उन स्कूलो में शिक्षा दिलाने के विरुद्ध थे। उनका विचार था कि ये स्कूल अंग्रेजो ने स्थापित किये हैं और वहाँ शिक्षा प्राप्त करना कुफ्र (पाप) है।

**ख़िलाफत आन्दोलन—**

अस्तु शिक्षा प्रसार के लिये साथियो के सहयोग से मैंने एक मुस्लिम स्कूल की स्थापना का आन्दोलन आरम्भ किया। बाद में हम कई स्कूल स्थापित करने में सफल हो गये। इसी अवधि मे ख़िलाफत आन्दोलन आरम्भ हो गया और इस्लाम के एक भक्त के रूप में मैं उसमें सम्मिलित हो गया। इस आन्दोलन के सिलसिले में मुझे तीन वर्ष के लिये कडे कारावास का दण्ड दिया गया। उस अवसर पर मैंने अनुभव किया था कि यद्यपि हमारी शैक्षिक स्थिति मे सुधार के कुछ चिह्न पैदा हो चले हैं, परन्तु हमारी सामाजिक अवस्था वैसी ही ख़राब है।

**ख़ुदाई ख़िदमतगार—**

कुछ समय के पश्चात् मैंने "ख़िदमतगार आन्दोलन" आरम्भ किया। यह एक विशेष सामाजिक और सुधारात्मक आन्दोलन था और इसका उद्देश्य बुरी रीतियों का उन्मूलन करना था, जो उस समय हमारी जाति में प्रचलित हो चुकी थी। परन्तु अभी आन्दोलन की आयु कुछ महीने भी नही होने पाई थी कि सरकार ने हमें गिरफ्तार कर लिया। यह बात मेरे लिये बडी कष्टदायक थी। फिर सरकार ने इस आन्दोलन को कुचलने के लिये ऐसे अमानुषिक उपायो से काम लिया कि मैं यहाँ उनका वर्णन करने मे भी लज्जा अनुभव करता हूँ।

कई वर्ष व्यतीत हो गये।

१९३० ई० मे मैंने अपने आपको गुजरात स्पेशल जेल में बन्दी पाया। यह

जेल उस समय पंजाब की राजनीतिक जेल की हैसियत रखती थी। यहाँ हमारे एक या दो पुराने साथी हम से मिलने आये और उन्होंने उन अत्याचारों की खेदजनक कहानियाँ सुनाई, जो अंग्रेज़ सरकार हमारी जाति पर ढा रही थी। उनकी बातें सुनकर हमें बहुत आघात पहुँचा और आपस में विचार-विमर्श के बाद हमने अपने मित्रों को आदेश दिया कि वे दिल्ली, लाहौर और शिमला जाएँ और मुस्लिम लीग तथा दूसरी मुस्लिम संस्थाओं के नेताओं से सम्पर्क स्थापित करें। उन्हें हम अपना मुसलमान भाई समझते थे और हमें बड़ी आशा थी कि वे इस भीषण परिस्थिति में हमारी सहायता करेंगे। कुछ समय के पश्चात् मेरे मित्र वापस आये और उन्होंने बताया कि मुस्लिम हमारी सहायता के लिये तैयार नहीं हैं क्योंकि हमारी लड़ाई अंग्रेजों के विरुद्ध है और मुसलमान नेता अंग्रेजों से लड़ाई छेड़ने के पक्ष में नहीं हैं।

कांग्रेस से एकता—

इसके बाद हमारे साथी कांग्रेसी नेताओं के पास पहुँचे। कांग्रेसी नेताओं ने उनसे कहा कि यदि हम कांग्रेस का समर्थन करें, तो वे भी हमारी सहायता करने को तैयार हो जायेंगे। ये थीं वे परिस्थितियाँ, जिनके अधीन हमने कांग्रेस से एकता स्थापित की और इस प्रकार अंग्रेजों पर अविश्वास, अनास्था और सन्देह के कारण हमारा सामाजिक आन्दोलन एक राजनीतिक आन्दोलन में परिणत हो गया, परन्तु अब भी इसमें और देश के दूसरे समकालीन राजनीतिक आन्दोलनों में बड़ा अन्तर था। हमारे आन्दोलन ने राजनीतिक बन जाने पर भी अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक विशेषताओं तथा सामाजिक व आर्थिक सुधार के तत्व को अक्षुण्ण रखा।

मैंने उन परिस्थितियों का, जिनके अधीन हम कांग्रेस में सम्मिलित हुए थे, इसलिये वर्णन किया है कि पंजाब के कुछ समाचार-पत्र आज भी हमें बदनाम करने के प्रयत्न में व्यस्त हैं और वे हमें कांग्रेसी कह कर हमारे सम्बन्ध में विभ्रम फैला रहे हैं। गलती पर हम थे या मुस्लिम लीग? इसका अनुमान करने के लिये इन तथ्यों पर पूरी तरह सोच-विचार करने की आवश्यकता है। हम अकेले अंग्रेजों का मुकाबिला नहीं कर सकते थे। हमें सहायता की आवश्यकता थी और इन परिस्थितियों में जबकि मुस्लिम लीग और मुसलमान नेताओं ने सहायता देने से इन्कार कर दिया था, हम कांग्रेस से एकता स्थापित करने के सिवा और

हम दो भाई हैं। हम मे से एक, जो अब डाक्टर खान साहिब के नाम से प्रसिद्ध हैं, उस जमाने में इंगलिस्तान में थे और वहां डाक्टरी की शिक्षा पा रहे थे। इस प्रकार बेटो में केवल मैं घर में था। मेरी माता मुझे इगलिस्तान भेजने पर तैयार नही थी। अत मैंने अपनी माता की प्रसन्नता के लिये बाहर जाने का विचार छोड दिया, क्योकि मै जानता था कि माता की प्रसन्नता प्राप्त करना ही सबसे बडी नेकी (पुण्य) है।

उस जमाने में मेरी जाति अन्धकार में थी। हमारे इलाके में स्कूल नही थे। यदि कोई स्कूल था भी, तो मुल्ला उन स्कूलो में शिक्षा दिलाने के विरुद्ध थे। उनका विचार था कि ये स्कूल अंग्रेजो ने स्थापित किये हैं और वहां शिक्षा प्राप्त करना कुफ्र (पाप) है।

**खिलाफत आन्दोलन—**

अस्तु शिक्षा प्रसार के लिये साथियो के सहयोग से मैंने एक मुस्लिम स्कूल की स्थापना का आन्दोलन आरम्भ किया। बाद में हम कई स्कूल स्थापित करने मे सफल हो गये। इसी अवधि मे खिलाफत आन्दोलन आरम्भ हो गया और इस्लाम के एक भक्त के रूप मे मैं उसमें सम्मिलित हो गया। इस आन्दोलन के सिलसिले में मुझे तीन वर्ष के लिये कडे कारावास का दण्ड दिया गया। उस अवसर पर मैंने अनुभव किया था कि यद्यपि हमारी शैक्षिक स्थिति मे सुधार के कुछ चिह्न पैदा हो चले हैं, परन्तु हमारी सामाजिक अवस्था वैसी ही ख़राब है।

**खुदाई खिदमतगार—**

कुछ समय के पश्चात् मैंने "खिदमतगार आन्दोलन" आरम्भ किया। यह एक विशेष सामाजिक और सुधारात्मक आन्दोलन था और इसका उद्देश्य बुरी रीतियो का उन्मूलन करना था, जो उस समय हमारी जाति में प्रचलित हो चुकी थी। परन्तु अभी आन्दोलन की आयु कुछ महीने भी नही होने पाई थी कि सरकार ने हमे गिरफ्तार कर लिया। यह बात मेरे लिये बडी कष्टदायक थी। फिर सरकार ने इस आन्दोलन को कुचलने के लिये ऐसे अमानुषिक उपायो से काम लिया कि मैं यहां उनका वर्णन करने में भी लज्जा अनुभव करता हूँ।

कई वर्ष व्यतीत हो गये।

१९३० ई० मे मैंने अपने आपको गुजरात स्पैशल जेल में बन्दी पाया। यह

जेल उस समय पजाव की राजनीतिक जेल की हैसियत रखती थी। यहाँ हमारे एक या दो पुराने साथी हम से मिलने आये और उन्होने उन अत्याचारो की खेदजनक कहानियाँ सुनाई, जो अग्रेज सरकार हमारी जाति पर ढा रही थी। उनकी बातें सुनकर हमें बहुत आघात पहुँचा और आपस मे विचार-विमर्श के बाद हमने अपने मित्रो को आदेश दिया कि वे दिल्ली, लाहौर और शिमला जाएँ और मुस्लिम लीग तथा दूसरी मुस्लिम सस्थाओ के नेताओ से सम्पर्क स्थापित करें। उन्हे हम अपना मुसलमान भाई समझते थे और हमे बडी आशा थी कि वे इस भीषण परिस्थिति में हमारी सहायता करेंगे। कुछ समय के पश्चात् मेरे मित्र वापस आये और उन्होने बताया कि मुस्लिम हमारी सहायता के लिये तैयार नही हैं क्योकि हमारी लडाई अग्रेजो के विरुद्ध है और मुसलमान नेता अग्रेजो से लडाई छेडने के पक्ष मे नही हैं।

कांग्रेस से एकता—

इसके बाद हमारे साथी कॉंग्रेसी नेताओ के पास पहुँचे। कॉंग्रेसी नेताओ ने उनसे कहा कि यदि हम कांग्रेस का समर्थन करें, तो वे भी हमारी सहायता करने को तैयार हो जायेंगे। ये थी वे परिस्थितियाँ, जिनके अधीन हमने कांग्रेस से एकता स्थापित की और इस प्रकार अग्रेजो पर अविश्वास, अनास्था और सन्देह के कारण हमारा सामाजिक आन्दोलन एक राजनीतिक आन्दोलन में परिणत हो गया, परन्तु अब भी इसमें और देश के दूसरे समकालीन राजनीतिक आन्दोलनो में बडा अन्तर था। हमारे आन्दोलन ने राजनीतिक बन जाने पर भी अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक विशेषताओ तथा सामाजिक व आर्थिक सुधार के तत्व को अक्षुण्ण रखा।

मैने उन परिस्थितियो को, जिनके अधीन हम कांग्रेस में सम्मिलित हुए थे, इसलिये वर्णन किया है कि पजाब के कुछ समाचार-पत्र आज भी हमें बदनाम करने के प्रयत्न में व्यस्त हैं और वे हमें कांग्रेसी कह कर हमारे सम्बन्ध में विभ्रम फैला रहे हैं। गलती पर हम थे या मुस्लिम लीग ? इसका अनुमान करने के लिये इन तथ्यो पर पूरी तरह सोच-विचार करने की आवश्यकता है। हम अकेले अंग्रेजो का मुकाबिला नहीं कर सकते थे। हमें सहायता की आवश्यकता थी और उन परिस्थितियो में जबकि मुस्लिम लीग और मुसलमान नेताओं ने सहायता देने से इन्कार कर दिया था, हम कांग्रेस से एकता स्थापित करने के लिये और

क्या रास्ता ग्रहण कर सकते थे ?

**नून से भेंट—**

१९३१ ई० में जब गाधी-इरवन समझौता हुआ, तो मुझे और मेरे दूसरे साथियो को मुक्त कर दिया गया। इसी वर्ष के अन्त मे कार्य-कारिणी समिति का अधिवेशन शिमले में हुआ, जिसमे मैंने भाग लिया। शिमले में किसी कालेज के विद्यार्थी ने हमें सीसल होटल में दोपहर के खाने पर आमन्त्रित किया। सहभोज में सर फिरोज खान नून भी विद्यमान थे, जो उस समय पजाब के मन्त्रिमण्डल के सदस्य थे। सर फिरोज खान नून ने मुझसे कहा कि हमने कांग्रेस में सम्मिलित होकर उन्हे धोखा दिया है। मैंने उन्हे बताया कि अग्रेज हमें कुचलना चाहते थे और चूंकि हम अकेले उनके मुकाबिले का सामर्थ्य नही रखते थे, इसलिये हमारे पास इसके सिवा और कोई उपाय न था। मैंने उनसे यह भी कहा कि सबसे पहले हमने मुस्लिम लीग से सहायता के लिये आवेदन किया था। हम मुस्लिम लीगी नेताओ को अपना मुसलमान भाई समझते थे और हमें आशा थी कि वे हमारी अवश्य सहायता करेंगे। परन्तु जब उन्होने हमारी सहायता करने से इन्कार कर दिया, तो हमने कांग्रेस की ओर सहयोग का हाथ बढा दिया। यदि सर फिरोज खान नून और मुसलमान नेता मुसलमानो की तबाही नही चाहते, तो अब भी कोई हानि नही हुई। पजाब के मुसलमानो और नेताओ को हमारे साथ एकता करनी चाहिये। यह सत्य था कि हम अग्रेजो की गुलामी से तग आ चुके थे और स्वाधीनता के इच्छुक थे। यदि मुसलमान नेता स्वाधीनता के युद्ध में शामिल होने के लिये तैयार होते, तो हम भी महात्मा गाधी को छोडने और कांग्रेस से त्यागपत्र देने को तैयार थे। मैंने सर फिरोज खान नून से कहा कि उन्हे अपना सरकारी पद छोडना पडेगा। नून साहिब ने कहा कि वे इस सम्बन्ध में अपने साथियो से परामर्श करने के बाद मुझे उत्तर देंगे—मुझे उस उत्तर की आज भी प्रतीक्षा है।

१९४० ई० में हिन्दू-मुस्लिम दगो के दौरान पटना मे मेरी नून साहिब से सयोगवश भेंट हो गई। वे उस समय मि० यूनिस के होटल में थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि अब मेरे विचार क्या हैं। मैंने कहा कि मेरा उत्तर अब भी वही है, जो मै पहले दे चुका हूँ।

पाकिस्तान का दृष्टिकोण—

मैं पाकिस्तान के दृष्टिकोण का कभी विरोधी नहीं था परन्तु पाकिस्तान के सम्बन्ध में मेरी अपनी कल्पना कुछ विभिन्न और नई थी। मुसलमानों के वतन (देश) की मेरे मन में जो परिकल्पना थी, उसके अधीन पंजाब और बंगाल का विभाजन किसी प्रकार सम्भव न था। इसके अतिरिक्त मैं इस बात पर भी विश्वास नहीं रखता था कि बहुत से मुसलमानों का यह दावा शुद्ध-हृदयता पर आधारित था कि वे पाकिस्तान की स्थापना की माँग मुसलमान जनसाधारण के हितार्थ कर रहे हैं। मेरे निकट उनमें प्रायः अंग्रेजों के पिट्ठू थे। उन्होंने अपनी आयु में कभी मुसलमान जनता की या इस्लाम की सेवा नहीं की थी। और न इन उद्देश्यों के लिये कोई बलिदान किया था। मैं समझता था कि ये लोग पाकिस्तान और इस्लाम के नाम पर जनता को पथ-भ्रष्ट करना चाहते हैं। ये लोग केवल अपने ही लिये पाकिस्तान प्राप्त करना चाहते थे और वे उस उद्देश्य में सफल हो गये। मेरी राय में हिन्दुओं और मुसलमानों की लड़ाई धार्मिक नहीं, अपितु आर्थिक थी और मैं समझता था कि अंग्रेजों ने उस लड़ाई को अधिक भयानक बना दिया था। मुझे विश्वास था कि अंग्रेजों की सरकार का तख्ता उलटने के पश्चात् जब देश स्वतन्त्र होगा और एक राष्ट्रीय सरकार स्थापित होगी, तो सारा उत्तरदायित्व हमारे कंधों पर आ पड़ेगा। इसके बाद धीरे-धीरे वातावरण बदल जायगा और हमारे आपस के सम्बन्ध अच्छे हो जायगे, परन्तु यदि उस समय भी परिस्थितियाँ अच्छी न हुई और यह अनुभव किया गया कि हम सन्तुष्ट नहीं हैं, तो फिर हम हिन्दुओं से अलग हो जायेंगे और हम ऐसा कर सकते थे। कांग्रेस पूर्ण प्रान्तीय स्वराज्य का सिद्धान्त स्वीकार कर चुकी थी और प्रान्तों को यह अधिकार प्राप्त था कि यदि उनकी जनता की बहुसंख्या केन्द्र से विलग हो जाने का निर्णय करे, तो वे स्वतन्त्र राज्य बन जाएँ।

शिमला कान्फ्रेंस—

सीमाप्रान्त में मुसलमान आबाद हैं। हमारा हिन्दुओं से कोई झगड़ा नहीं था। कांग्रेस में हम जो कुछ कहते थे, उसे स्वीकार कर लिया जाता था। इस ओर से हमें किसी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि वे (कांग्रेसी नेता) इस बात को मानते थे कि हमने स्वाधीनता के युद्ध में प्रत्येक सम्भव बलिदान पेश किया है और देश की स्वाधीनता के लिये सदा सब कुछ बलिदान करने को

तैयार हैं। शिमला कान्फ्रेंस में जब एक आधारभूत समस्या पर प्रबल मतभेद उत्पन्न हुआ, तो मैंने सरदार अब्दुर्रब निश्तर से भेंट की और उनसे कहा कि महात्मा गाधी मुसलमानो को उनके उचित अधिकारो से अधिक देने को तैयार हैं, शर्त यह है कि मि० जिन्नाह् कांग्रेस का विरोध करना छोड दें। मैं स्वय मुसलमानो की समस्त मांगो की पूर्ति और उनके अधिकारो की जमानत देने के लिये तैयार था। इस पर सरदार साहिब मि० जिन्नाह् से परामर्श करने गये और उन्हे सहमत करने का प्रयत्न किया, परन्तु वे उन्हे अभिभूत न कर सके और कान्फ्रेंस असफल हो गई।

हिन्दुस्तानी फैडरेशन (सघ)—

सयुक्त हिन्दुस्तान में दस करोड मुसलमान आबाद थे और मैं समझता हूँ कि इतनी बडी सख्या को सुगमता के साथ अधीन नही किया जा सकता। मेरी राय थी कि कोई शक्ति हमें मिटा नही सकती परन्तु यदि किसी ने हमें पराधीन बनाने का प्रयत्न किया और हमारे कानो में इसकी भनक पड गई, तो फिर हम विलग हो जायगे। इस विचार के अधीन मैं इस दृष्टिकोण का समर्थक था कि यदि कांग्रेस हमारी शर्तें स्वीकार करने पर तैयार हो जाय और इस बात का विश्वास दिलाये कि हिन्दुस्तान की भावी सरकार समाजवादी गणतन्त्र होगी, तो मुसलमानो को मनोनीत हिन्दुस्तानी सघ में सम्मिलित हो जाना चाहिये और इसमें उनका हित निहित है। मेरे निकट समाजवादी गणतन्त्री शासन-पद्धति में मुसलमानो के लिये सबसे बडा आकर्षण यह था कि वे कौम के रूप में हिन्दुओ की अपेक्षा गरीब वर्गो से सम्बन्ध रखते थे। यदि कांग्रेस इन शर्तो को स्वीकार करने के लिये तैयार न होती, तो हम मुस्लिम बहु-सख्या के प्रान्तो में आवश्यक निर्णय करके सघ से पृथक् हो जाते। मैं अब भी इस बात में विश्वास रखता हूँ कि इस प्रकार हम लाभ में रहते। क्योकि इस परिकल्पना में पजाब और बगाल के विभाजन का कोई सुझाव समाविष्ट न था। परन्तु हिन्दुस्तान के मुसलमानो ने मेरे इस परामर्श को विचार के योग्य न समझा और मुझे हिन्दू समझ लिया गया।

हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की स्थापना पर एक अत्यन्त दु खान्त खेल खेला गया। लाखो व्यक्ति मातृभूमि को छोड कर एक देश से दूसरे देश में चले गये और हजारो निर्दोष लोगो को मौत के घाट उतार दिया गया। इतनी भारी

संख्या में लोगो के देश-त्याग से जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई उनसे निबटना सरकार के लिये कोई आसान बात नही थी। बहुधा लोगो के पास सिर छिपाने तक को स्थान नही था और अनेक कैम्पो के कुप्रबन्ध की भेट चढ गये। कैम्पो में विपत्तियों और निराशाओ का साम्राज्य था। लोगो को चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएँ प्राप्त नही थी और बीमारो तथा घायलो की देखभाल के लिये थोडे ही से लोग आगे बढे थे। उन्ही दिनो एक साहिब 'मुहम्मद हुसैन अता' मेरे केन्द्रीय कार्यालय सर दरयाब पहुँचे। वे १९४२ ई० में मेरे साथ जेल मे रह चुके थे। उन्होने मुझसे झगडना आरम्भ कर दिया और कहा, हम अपने आपको खुदाई खिदमतगार कहते हैं, हमें लाहौर जाकर शरणार्थियो का दु:ख-दर्द बटाना चाहिये। मैंने उनसे कहा कि मैं शरणार्थियो की सेवा करने के लिये तैयार हूँ, परन्तु कोई मुझे सेवा करने की आज्ञा नही देगा। वे रुष्ट हो गये। इस पर मैंने उन्हे परामर्श दिया कि वे लाहौर जाएँ और हमे शरणार्थियो की सेवा की आज्ञा दिला दें। यदि वे आज्ञा प्राप्त करने में सफल हो जायें और उसके पश्चात् इन्कार कर दे तो फिर उनका रुष्ट होना या क्रोध में आना उचित और यथार्थ भी होगा। उन्होने मेरा सुझाव मान लिया और लाहौर चले गये। परन्तु एक महीने के पश्चात् असफल लौट आये। उन्होंने स्वीकार किया कि मैंने जो कुछ उनसे कहा था, उसका एक-एक शब्द सत्य था, मुस्लिम लीग अब भी मुसलमानो मे हमारे विरुद्ध आन्दोलन चला रही थी।

'मुहम्मद हुसैन अता' ने कहा, नेताओ को यह आशंका भी है कि यदि हमें जनसाधारण की सेवा का अवसर दिया गया, तो हम उन्हे प्रभावित कर लेंगे और इस प्रकार उन नेताओ ने हमारे विरुद्ध जो प्रचार-आन्दोलन आरम्भ किया है, उस पर पानी फिर जायगा। मुझे बताया गया कि यद्यपि कैम्पो मे कार्य करने वालो का अत्यन्त अभाव है, परन्तु ऐसा होने हुए भी वहाँ हमारे लिये कोई गुंजाइश या स्थान नही।

मन्त्रिमण्डल बनाने का सुझाव—

पाकिस्तान बन जाने के पश्चात् सर जार्ज कनिंघम मेरे प्रान्त के पहले गवर्नर नियुक्त हुए। वे एक सतर्क और सावधान अंग्रेज अधिकारी थे और उनकी गणना मुस्लिम लीगियो के घनिष्ठ सहायकों तथा विश्वस्त मित्रों में की जाती थी। वे आठ वर्ष से मेरे प्रान्त के गवर्नर थे। उन्होंने कुछ सप्ताहो तक परि-

स्थितियो का अध्ययन किया और उसके बाद मेरे बेटे अब्दुलगनी के द्वारा मुझे सदेश भेजा कि मैं मुस्लिम लीगियो और खुदाई खिदमतगारो की एक मिली-जुली सरकार की स्थापना पर सहमत हो जाऊँ। मैंने उनसे कहा कि मुस्लिम लीग इसके लिये कभी तैयार नही होगी। हम सेवा और नव-निर्माण के कार्य में विश्वास रखते थे, जबकि मुस्लिम लीग जनता पर शासन करने के लिये सत्ता और प्रभुत्व प्राप्त करने की इच्छुक थी। सर जार्ज का यह प्रयत्न असफल हो गया। मैंने गवर्नर को बताया कि यदि लीग जाति के हित और लाभ के लिये काम करे, तो हम सरकार में सम्मिलित हुए बिना उससे सहयोग करने के लिये तैयार हैं, परन्तु हमें इस प्रकार की सेवा का भी अवसर नही दिया गया।

**पख्तूनिस्तान —**

१६४८ ई० में मैं जब पाकिस्तान पार्लमिण्ट के अधिवेशन में पहली बार सम्मिलित हुआ, तो मैंने घोषणा की कि जो कुछ होना था, वह हो चुका। पाकिस्तान सबका साझा देश है। यदि सत्ताधारी वर्ग इस देश की सेवा करने का इच्छुक है, तो हम प्रत्येक अभीष्ट व आवश्यक ढग पर उसके साथ सहयोग करेंगे। मैं सरकार पर किसी प्रकार के खर्चो का बोझ नही डालना चाहता था। अत मैंने सुझाव प्रस्तुत किया कि अपने खर्च हम स्वय ही उठायेंगे। हम देश की सच्ची और सौहार्दमय सेवा के सिवा और किसी वस्तु के इच्छुक नही थे। मेरे भाषण के बीच में नव्वाब-ज़ादा लियाक़त अली खान ने मुझसे पूछा कि पठानिस्तान से मेरा क्या अभिप्राय है ? मैंने उत्तर दिया कि यह पठानि-स्तान नही, प्रत्युत् पख्तूनिस्तान है और यह केवल एक नाम है। उन्होने फिर पूछा कि यह नाम किस प्रकार का है ? इस पर मैंने उत्तर दिया कि जिस प्रकार पजाब, बगाल और बलोचिस्तान पाकिस्तान के प्रान्तो के नाम हैं, उसी प्रकार यह भी पाकिस्तान के ढाँचे के भीतर एक नाम है। हमें दुर्बल करने के लिये अग्रेज़ो ने अपने शासन काल मे हमारी जनता के टुकडे टुकडे कर दिये और हमारे इलाके का नाम तक मिटा दिया। हम अपने पाकिस्तानी मुसलमान भाइयो से निवेदन करते हैं कि कृपा करके वे इस अन्याय का निवारण करें, जो अग्रेज़ों ने हमारे साथ किया है। पठानो को सगठित करें और हमें पजाब की भाँति एक नाम दें। क्योंकि जब भी पजाब का नाम लिया जाता है तो लोग समझ जाते हैं कि इसका अभिप्राय वह इलाका है, जहाँ पजाबी बसते हैं।

इसी प्रकार बंगाल, सिन्ध, बलोचिस्तान से उन इलाकों की कल्पना मन में आ जाती है, जहाँ क्रमशः बंगाली, सिन्धी और बलोच आबाद हैं। हम भी केवल इसी प्रकार का एक नाम पाकिस्तान के उन इलाकों के लिये चाहते हैं, जहाँ पख्तून रहते हैं।

फ़ाइदे आज़म से भेंट—

इसके पश्चात् मुझे काइदे आजम ने भेंट का निमन्त्रण दिया और हम खाने के पश्चात् बड़ी देर तक बातचीत में व्यस्त रहे। मैंने उनसे कहा, "आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा आन्दोलन सामाजिक सुधार का आन्दोलन है। परन्तु अंग्रेजों की अनुचित कार्यवाहियों तथा दुर्नीति के कारण यह एक राजनीतिक आन्दोलन बन गया है। अब जबकि देश स्वाधीन हो चुका है, मेरी राय यह है कि हमारी जाति में उस समय तक राजनीतिक समझ-बूझ उत्पन्न नहीं हो सकती, जब तक वह सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई है। पिछड़ी हुई जनता में प्रजातन्त्र नहीं पनप सकता।

काइदे आजम प्रसन्न हुये। उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया और कहा कि वे मुझे प्रत्येक प्रकार की सहायता देने के लिये तैयार हैं। हमारे मध्य एक समझौता हो चुका था।

सीमाप्रान्त में गड़बड़—

कराची से प्रस्थान करते समय काइदे आजम ने मुझे बताया कि सीमा-प्रान्त के भावी भ्रमण में आप सुर्ख पोश नेताओं से भेंट करेंगे। आपने अपने लिये सूत कातने के कुछ चर्खे तैयार करने का भी आदेश दिया और आशा प्रकट की वे चर्खे बहुत जल्द उनको पहुँचा दिये जायेंगे। हम दोनों जाति के सामाजिक और आर्थिक नव-निर्माण के एक कार्यक्रम के अनुसार कार्य आरम्भ करने के लिये भी सहमत हो गये थे। जब मैं अपने प्रान्त में पहुँचा, तो मैंने ये सब बातें अपने साथियों के सामने रखीं और उन सबने मेरा समर्थन किया। हमने अपने केन्द्रीय कार्यालय में काइदे आजम के स्वागत और उनके सम्मान में एक शानदार दावत देने का फैसला किया और यह निश्चित हुआ कि उनसे उनकी उच्च पदवी के योग्य बर्ताव किया जाय। मेरे सीमाप्रान्त पहुँचने के कुछ समय के बाद मन्त्रि-मण्डल की कुर्सियों के पुजारियों और अंग्रेजों को इस नन्द का पता चल गया और उनमें खलबली मच गई। वे जानना चाहते थे कि यह सब कुछ कैसे हुआ।

उन्हे खतरा था कि यदि काइदे आजम इस समझौते पर स्थिर रहे, जो उन्होंने हमारे साथ किया है, तो फिर उनके लिये कोई स्थान शेष नही रहेगा। उन दिनो मेरे प्रान्त के समस्त सरकारी आधार-पदो पर अंग्रेज विराजमान थे। मैंने अपनी पार्लमिन्ट में माँग की कि पाकिस्तान में गवर्नर और विभिन्न विभागो के सचालकों या प्रभारियो की उच्च पदवियाँ अंग्रेजो को न दी जायँ। इस बात से दिवगत लियाकत अली खान भी थोडा-बहुत अधिक रुष्ट हुए परन्तु मेरे प्रान्त में अंग्रेजो को बहुत चिन्ता हुई। अत उन अंग्रेजो और नेताओ ने एक समझौता करने का प्रयत्न किया।

**काइदे-आज़म का सीमाप्रान्त का दौरा—**

इसी बीच में सर ए० डी० एफ० डण्डास को सर जार्ज कनिंघम के स्थान पर सीमाप्रान्त का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। जब उन्हे काइदे आजम से मेरे समझौते का पता चला, तो उन्होने विशेष रूप से अपने एक दूत (सदेशवाहक) को विमान द्वारा कराची भेजा और काइदे आज़म पर ज़ोर दिया कि वे किसी अवस्था में भी खुदाई खिदमतगारो का निमन्त्रण स्वीकार न करें, क्योकि इस प्रकार इन खुदाई खिदमतगारो की साख बढ जायगी।

अस्तु, जब क़ाइदे आज़म सीमाप्रान्त के दौर पर आये, तो हमें उनसे मिलने का कोई अवसर न दिया गया। मुस्लिम लीगियो ने आपस में षड्यन्त्र कर लिया और उनमें से जो भी काइदे आज़म से मिला, उसने उन्हे यही बताया कि हम अत्यन्त खतरनाक लोग हैं और हमने उन्हें अपने केन्द्रीय प्रधान कार्यालय में ले जाकर कत्ल करने के षड्यन्त्र की रचना कर रखी है। गवर्नर भी लीगियो के इस षड्यन्त्र में शामिल हो गया।

उन लोगो की चाल सफल रही और क़ाइदे आजम ने हमारा निमन्त्रण स्वीकार न किया। हमें एक पत्र द्वारा सूचित कर दिया गया कि काइदे आजम ने किसी ग़ैर-सरकारी उत्सव में भाग न लेने का फ़ैसला किया है, जबकि सत्य यह है कि उन्होंने कई गैर-सरकारी उत्सवो के निमन्त्रण स्वीकार किये और उनमें भाग लिया। परन्तु हमारा निमन्त्रण स्वीकार करने से इन्कार के बावुजूद वे गवर्नमेण्ट हाउस पिशावर में खुदाई खिदमतगार नेताओ से भेंट करना चाहते थे।

**क़ाइदे आज़म से एक और भेंट—**

इस पर हम सब ने इकट्ठे होकर आपस में विचार-विमर्श किया और यह

निर्णय किया गया कि समस्त खुदाई खिदमतगारो की ओर से मै काइदे आजम से भेंट करूँ। अत. मैं उनसे मिला और हम दो घण्टे तक आपस मे वातचीत करते रहे। मैंने वार्तालाप के वीच मैं यह अनुभव किया कि उनके साथियो ने उनके मन में विप भर रखा है। मैंने उनमे स्पष्ट शब्दो में कह दिया कि यदि मैं मुसलमान हूँ, तो मेरी सारी शक्ति उनकी अपनी शक्ति है और चूंकि वे मुसलमान हैं, इसलिये मैं उनकी सारी शक्ति को अपने लिये शक्ति का उद्गम समझता हूँ। इस पर उन्होने मुझसे मुस्लिम लीग मे सम्मिलित होने की प्रार्थना की। मैंने पूछा, वे ऐसा क्यो चाहते हैं और आया वे मुझे काम करते देखना चाहते हैं या इस वात के इच्छुक हैं कि मैं भी मुस्लिम लीग की भाँति निष्प्राण या अकर्मण्य हो जाऊँ। मुस्लिम लीगी नेताओ मे वहुसख्या "खानो और अरवावो" की है और उन्होने कौम की कभी कोई सेवा नही की। ये लोग सदा अग्रेजो के चापलूस और खुशामदी रहे हैं। काइदे आजम ने अपनी वात का अनुरोध किया। मैंने उनसे कहा कि उसके आगे-पीछे चारो ओर जो लोग जमा हैं, वे इतने स्वार्थी हैं कि जहाँ कही भी उनका अपना स्वार्थ जुडा होता है, वे उन (काइदे आजम) के आदेश की परवा नही करते, जवकि वे उनके नेता ही नही, अपितु गवर्नर-जनरल भी हैं। काइदे आजम ने मुझसे इसका प्रमाण माँगा।

**छोड़ी हुई सम्पत्तियो की लूट—**

मैंने उन्हे वताया कि हिन्दू यहाँ करोडो रुपये की सम्पत्तियाँ छोड गये थे, ये सम्पत्तियाँ मुस्लिम लीगियो ने लूट ली हैं। ये सम्पत्तियाँ पाकिस्तान की मलकियत हैं। परन्तु इसके वावुजूद ये नेता एक पाई भी सरकार के हवाले करने को तैयार नही। मैंने काइदे आजम से कहा कि वे मुझे किसी महत्वपूर्ण नेता का नाम वताएँ, जिसने लूट में भाग न लिया हो।

**दल का प्रस्ताव—**

काइदे आजम के पुन अनुरोध पर मैं इस वात पर सहमत हो गया कि समस्त वातें अपने मित्रो के सामने पेश करूँगा।

इनके पश्चात् मेरे दल ने अपने अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास किया, जिस मे कहा गया था कि हम लोकतन्त्रवादी हैं और हमने स्वाधीनता और लोकतन्त्र के लिये संघर्प किया है। हम किसी और दल के आदेश पर अपने दल को तोडने के लिये सहमत नहीं हो सकते।

कहा जाता है कि सीमाप्रान्त से प्रस्थान करते समय काइदे आजम ने खान अब्दुल कय्यूम खान और सर ए० डी० एफ० डण्डास को स्थिति से निवटने और हमारे आन्दोलन को कुचलने के सम्पूर्ण अधिकार दे दिये थे।

**दण्ड—**

वहुत समय से मैं कोहाट और बन्नू नही गया था और लोगो की इच्छा थी कि मैं उस इलाक़े का दौरा करूँ। अत १५ जून १९४८ ई० को मैंने नाज़ू और मुनीर खान सालारो के साथ बन्नू के लिये प्रस्थान किया। बहादुर खैल पहुँचने पर हमने देखा कि पुलिस ने सडक रोक रखी है। मुझे और मेरे दूसरे साथियों से कहा गया कि हम अपनी कार से नीचे उतर आएँ। इसके पश्चात् हमें टीरी तहसील में ले जाया गया, जहाँ सारा दिन न खाना दिया गया न पानी। साय को कोहाट के डिप्टी कमिश्नर वहाँ पहुँचे। मुझे उनके सामने पेश किया गया। उन्होने छूटते ही मुझ से जमानत पेश करने को कहा। मैंने पूछा कि वे किस प्रकार की जमानत चाहते हैं। उन्होने कहा कि मैं पाकिस्तान के विरुद्ध हूँ। जब मैंने इस बात का प्रमाण माँगा, तो वे कहने लगे कि बहस की कोई आवश्यकता नही है। मैंने जमानत प्रस्तुत करने से इन्कार कर दिया, जिस पर उन्होने अपना फैसला सुना दिया और मुझे तीन वर्ष कडे सश्रम कारावास का दण्ड दिया। मुझे अपने प्रतीक्षा करते हुए मित्रो से मिलने या अपनी आवश्यक वस्तुएँ लेने की भी आज्ञा नही दी गई और मिण्टगुमरी जेल भेज दिया गया, जहाँ मैंने अपने दण्ड के दिन काटे। मुझे दण्ड मे वह मुआफी (छूट) नहीं दी गई, जो जेल की ओर से मिला करती है और जब मैं पूरा दण्ड भुगत चुका, तो १८१८ ई० के बगाल रेगूलेशन के अधीन मुझे नजरबन्द कर दिया गया और इस प्रकार जनवरी १९५४ ई० से पहले मुझे मुक्ति प्राप्त न हुई।

**काश्मीर की समस्या—**

काश्मीर के सम्बन्ध में मैंने दो बार अपनी सेवाए प्रस्तुत की। पहली बार काइदे-आजम के जीवन में और दूसरी बार उनकी मृत्यु के पश्चात्। परन्तु दोनो बार मेरी सेवाएँ स्वीकार नही की गईं। सत्ताधारी दल का विचार था कि यदि काश्मीर की समस्या पर हमारे द्वारा समझौता या हल करवाया गया, तो मुसलमान जनता के दिलो मे हमारे सम्बन्ध में अच्छे भाव पैदा हो जायँगे और हम उनकी प्रतिष्ठा के लिये खतरा बन जायँगे। दिवगत नव्वाबजादा लियाकत अली

खान ने हमारे असेम्बली के दो सदस्यो से कहा कि काइदे-आजम की मृत्यु के पश्चात् वे कोई ऐसा नेता नही चाहते हैं, जो जनता के हृदयो और मस्तिष्को पर अधिकार कर ले। एक और अवसर पर नव्वाब ममदोट मिण्टगुमरी जेल मे मुझ से मिलने आये। हमने दूसरी बातो के अतिरिक्त काश्मीर की समस्या पर भी बातचीत की। मैंने उनके सामने कुछ सुझाव रखे। "नवाए वक्त" (दैनिक समाचार-पत्र) के मि० हमीद निज़ामी भी इस बातचीत के समय विद्यमान थे। उस समय मुझे यह विश्वास दिलाया गया कि सरकार मेरे सुझावो पर सहानुभूति से विचार करेगी। परन्तु बाद में कोई परिणाम न निकला। यदि सरकार मेरे सुझाव मान लेती, तो यह समस्या बहुत पहले हल हो जाती, मेरा अनुभव यह था कि बडे लोग वास्तव में काश्मीर के सम्बन्ध मे चिन्तित नही हैं, प्रत्युत अपनी कुर्सियो के सम्बन्ध मे अधिक चिन्ता रखते हैं।

**अन्याय मान लिया गया—**

१९५३ मे जब मैं अभी जेल ही में था, मि० सरदार बहादुर खान रावलपिण्डी जेल में मुझ से मिलने आये। बातचीत के दौरान में उन्होने मान लिया कि सरकार ने अन्याय रूप से हमारे साथ कड़ा व्यवहार किया है और सीमाप्रान्त मे मि० अब्दुल कय्यूम खान की सरकार ने अत्याचार और हिंसा से काम लिया है। कोई भी प्रतिष्ठित सरकार इस परिस्थिति का उत्तरदायित्व अपने सिर नही ले सकती, न इसे उचित कह सकती है। उन्होने (सरदार बहादुर खान) कहा कि केन्द्रीय सरकार मेरी नज़रबन्दी को उचित नही समझती और मुझे रिहा करने की इच्छुक है। परन्तु इसके साथ उसे भय है कि हम इस जुल्म को कभी क्षमा या विस्मृत नही करेंगे, जो हम ने किया है। मैंने उनसे कहा कि खुदाई खिदमतगार अहिंसा में विश्वास रखते हैं और अपने साथ बुराई करने वालो से कभी प्रतिशोध लेने का प्रयत्न नही करते। मैंने उनकी इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया कि सरकार अपनी भूल स्वीकार करते हुए भी न्याय के लिये तैयार नहीं है। मैंने सरदार बहादुर खान पर स्पष्ट कर दिया कि जब तक सरकार मेरे और हमारे आन्दोलन के सम्बन्ध में पूर्णरूपेण निश्चिन्त अथवा सन्तुष्ट नहीं हो जाती, उस समय तक मुझे अपनी रिहाई की कोई चिन्ता नही। बाद में वे मुझसे फिर मिलने के लिये आये और बताया कि सरकार ने मुझे रिहा करने का फैसला कर लिया है।

में एक अधिवेशन हुआ, जिसमें सरदार असद जान, सरदार अब्दुर्रब निश्तर, सरदार बहादुर खान और मैंने भाग लिया। लम्बी बहस के पश्चात् मैंने इस शर्त पर प्रादेशिक सघ की नई योजना स्वीकार करने का विचार प्रकट किया कि अंग्रेजो ने जिन पख्तून इलाको को विभक्त कर दिया था, वे सब इलाके 'एक इकाई' में समाहित कर दिये जायें और उनका उचित नाम रखा जाय। सयुक्त हिन्दुस्तान में अग्रेज मराठो और पठानो को दो महत्त्वपूर्ण और खतरनाक फौजी नस्लें समझा करते थे। अत उन्हे दुर्बल बनाने के लिये अग्रेजो ने उन्हें कई भागो में विभक्त कर दिया था। अब हिन्दुस्तान में समस्त मराठों को सयुक्त कर दिया गया है और इस बात का कोई कारण दिखाई नही देता कि पाकिस्तान, जो एक इस्लामी गणतन्त्र होने का गौरव प्रकट करता है, पठानो को एक प्रान्त में सगठित या सयुक्त करने पर तैयार न हो। हमारी माँग यह है कि पठान इलाको को सयुक्त कर दिया जाय और हम यह पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि हम सच्चे पाकिस्तानी और दूसरे सब पाकिस्तानियो के भाई हैं। ऐसा होते हुए भी कई समाचारपत्र और नेता हमें गद्दार निश्चित कर देने पर हठ करते हैं। हम पठान विभिन्न इलाको में बिखरे हुए हैं और हमारे विभिन्न इलाको मे आपसी मेल-जोल और गतिविधि की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लागू हैं। हम इस व्यवहार-नीति और कार्य-पद्धति को पसन्द न करते हुए दावा करते हैं कि असगठित पख्तूनों की नीव पर एक दृढ पाकिस्तान स्थापित नहीं हो सकता। पख्तूनो से न्याय करने की अवस्था में ही पाकिस्तान की दृढता की जमानत मिल सकती है और इस प्रकार पाकिस्तान के गौरव का प्रमाण मिलेगा।

पार्लमिण्ट प्रादेशिक सघ की योजना भी स्वीकार न कर सकी, क्योंकि हमारे बगाली भाइयो ने इसका समर्थन न किया। अत पार्लमिण्ट के पजाबी नेताओं को किसी दूसरी योजना पर विचार करना पडा। उस समय तक सारे विधान के सम्बन्ध में मत-ऐक्य हो चुका था। केवल पश्चिमी पाकिस्तान की प्रान्तीय रूपरेखा के सम्बन्ध में निर्णय करना बाकी था। उस समय के प्रधान-मन्त्री मि० मुहम्मद अली बोगरा को अमेरिका जाना पडा और अपने जाने से पहले उन्होने घोषणा की कि उनके वापस आते ही सारा विधान सम्पन्न हो जायगा और वर्ष समाप्त होने से पहले-पहले पाकिस्तान के गणतन्त्र होने की घोषणा कर दी जायेगी। परन्तु जब प्रधान-मन्त्री वापस आये, तो पार्लमिण्ट तोड दी

गई और सारे देश को एक अशान्ति की स्थिति मे उलझा दिया गया।

नया मन्त्रिमण्डल—

जब नया मन्त्रिमण्डल स्थापित हुआ, तो डाक्टर खान साहिब को उसमे सम्मिलित होने का निमन्त्रण दिया गया। मैं मन्त्रिमण्डल मे डाक्टर खान साहिब के सम्मिलित होने का हामी नही था। मेरा विचार यह था कि वे मन्त्रिमण्डल मे सम्मिलित होकर देश के लिये कोई कार्य नही कर सकेंगे। परन्तु उनका अभिमत यह था कि वे दूसरो को देश-सेवा के लिये तैयार कर सकेंगे और असफलता की अवस्था मे त्याग-पत्र दे देंगे। 'एक यूनिट योजना' पुन पेश की गई, तो मुझे सरदार बहादुर खान के मकान पर एक मीटिंग में बुलाया गया। मेरे अतिरिक्त डाक्टर खान साहिब, मेजर जनरल सिकन्दर मिर्जा और सरदार अब्दुर्रशीद खान (जो उस समय मेरे प्रान्त के मुख्य मन्त्री थे ) ने इस बातचीत मे भाग लिया। मैंने उनसे कहा कि वे शक्ति के बल पर 'एक यूनिट योजना' के विषय मे उतावली से काम न लें और लोगो का अभिमत मालूम कर लें कि उन्हे यह योजना स्वीकार भी है या नही। जहाँ तक मुझे याद है यह निर्णय हुआ था कि 'एक यूनिट योजना' लागू करने से पूर्व लोगों का परामर्श प्राप्त कर लिया जायगा। मैं मिर्जा साहिब के साथ मीटिंग से बाहर आया। उन्होंने मुझे बताया कि हमारे सहयोग की आवश्यकता है। मैंने उन्हे बताया कि यदि वे और दूसरे अधिकारीगण इसे स्वीकार कर ले, तो मैं भी सहयोग के लिये तैयार हूँ।

मैं कराची से पजाब वापस आ गया क्योकि मेरी गतिविधि इस प्रान्त में सीमित थी। मैंने जिला कैम्बलपुर के गांव गोरगशी में आवास ग्रहण कर लिया। सीमाप्रान्त के लोग इस गांव में आया करते थे। वे हमारे सगठन अर्थात् सस्था, इसके समाचार-पत्र और मुझ पर लगाये गये प्रतिबन्धो को पसन्द नही करते थे। साधारण उपायो से न्याय प्राप्त करने की आशा में निराशा प्राप्त होने के पश्चात् कई लोग अवज्ञा-आन्दोलन (सिविल नाफ़रमानी) आरम्भ करना चाहिते थे, परन्तु मैंने उन्हे परामर्श दिया कि खुदाई खिदमतगार होने के कारण हमें यह सब कुछ सहन करना चाहिये और कुछ और समय धैर्य से काम लेना चाहिये। इसी बीच में नई पार्लमिण्ट स्थापित हो गई और उसका पहला अधिवेशन मरी में बुलाया गया।

**नई पार्लमेण्ट का अधिवेशन—**

१९५५ ई० की गर्मियो मे पार्लमेण्ट के मरी-अधिवेशन में पजाब और बगाल के राजनीतिज्ञो में फिर मतभेद पैदा हो गया। सीमाप्रान्त में मेरे प्रवेश पर प्रतिबन्ध लागू थे और मि० दौलताना ने जो गुप्त-लेख (दस्तावीज़) वितरण किया, उसमें बताया गया था कि मेरे साथ कोई समझौता किया गया, तो "एक यूनिट योजना" के लागू करने की सम्भावनाएँ खतरे में पड जायँगी। परन्तु पार्लमिण्ट के मरी-अधिवेशन के दौरान में मुझे अत्यन्त नाटकीय परिस्थितियों में सीमाप्राण्त में दाखिल होने की आज्ञा दे दी गई।

मरी से प्रस्थान करने से पहले मरी-गवर्नमेण्ट हाउस में मन्त्रियो से मेरी एक और भेंट हुई। मि० गुरमानी ने मेरे सामने 'एक यूनिट' की योजना की व्याख्या की और मैंने उन्हे बताया कि मेरे निकट इस योजना के लागू करने में कोई औचित्य नही। मि० गुरमानी ने सारे पश्चिमी पाकिस्तान में जल-नियन्त्रण, बिजली, खानो, यातायात (ट्रांस्पोर्ट) और बडे उद्योगो के लिये सम्मिलित प्रबन्धो की आवश्यकता पर जोर दिया। मैंने यह युक्ति प्रस्तुत की कि पश्चिमी-पाकिस्तान के लिये प्रादेशिक सघ की योजना से भी सुचारु रूप से ये सब उद्देश्य सिद्ध हो सकते हैं। मैंने दावा किया कि 'एक यूनिट' की योजना पाकिस्तान के कौमी हितो के लिये हानिकारक है। प्रातीय भावो का समादर करना चाहिये और विभिन्न सस्कृतियों की रक्षा होनी चाहिये। मैंने यह भी कहा कि पजाब, सिन्ध और बलोचिस्तान की जनता राजनीतिक दृष्टि से सीमाप्रान्त की जनता की अपेक्षा कम समुन्नत है। मेरा अभिमत यह था कि यदि सीमाप्रान्त के सिवा पश्चिमी पाकिस्तान के अन्य प्रान्तों में ईमानदारी से निर्वाचन हुए, तो भी इन प्रान्तो में प्रतिक्रियावादी जागीरदार असेम्बली के सदस्य निर्वाचित हो जायँगे। इसके विपरीत सीमाप्रान्त में जागीरदारो की शक्ति बहुत दुर्बल हो चुकी है और अधिक प्रगतिशील लोग निर्वाचित होगे। मैंने जोर दिया कि सारे पश्चिमी पाकिस्तान के लिये कोई असेम्बली स्थापित की गई, तो यह सीमाप्रान्त की उचित रूप से निर्वाचित होने वाली किसी असेम्बली से अधिक प्रतिक्रियावादी होगी। इस प्रकार पठान इलाको के लिये "एक यूनिट" की योजना उन पर प्रतिक्रियावादी वर्ग का प्रभुत्व जमा देगी अत मैंने सुझाव प्रस्तुत किया कि पजाब में विस्तृत और सक्रिय राजनीतिक कार्य होना चाहिये।

ग्रामो की उन्नति की योजना—

जब मै 'एक यूनिट' की योजना पर सहमत न हुआ और देश में विस्तृत रूप से राजनीतिक कार्य की आवश्यकता पर जोर दिया, तो चौधरी मुहम्मद अली ने, जो उस समय कोष-मन्त्री थे, ग्रामो की उन्नति के सम्बन्ध मे अपनी योजना की व्याख्या की और मुझे उसका प्रबन्ध सम्भालने का निमन्त्रण दिया। मैंने इस शर्त पर ऐसा करना स्वीकार किया कि एक यूनिट की समस्या उचित ढंग से हल की जायगी। मि० सुहरावरदी ने भी ग्राम-उन्नति के महत्त्व पर जोर दिया। उन्होंने मुझे बताया कि सरकार की सहायता और धन के बिना कोई बडा कार्य नही हो सकता। अत. हम 'एक यूनिट' की योजना के सम्बन्ध मे किसी परिणाम पर पहुँचे बिना विलग हो गये।

जब मै सीमाप्रान्त में वापस आया (एक यूनिट की योजना अभी विचाराधीन थी) तो सिकन्दर मिर्जा और डाक्टर खान साहिब दोनो इस प्रान्त के दौरे पर आये। हम सब खान कुर्बान अली खान के अतिथि थे और जनरल मिर्जा ने मुझे ग्राम-उन्नति की उस योजना का विस्तृत विवरण दिखाया, जिसके सम्बन्ध मे चौधरी मुहम्मद अली मरी मे मुझ से वार्तालाप कर चुके थे। उन्होंने मुझे उसका प्रबन्ध सम्भालने का निमन्त्रण दिया। मैंने उत्तर दिया कि जब तक हमारी सन्तुष्टि के अनुसार 'एक यूनिट' की समस्या का हल नहीं हो जाता, मुझे ग्राम-उन्नति के लिये सरकारी योजना का इन्चार्ज बनना स्वीकार नही। इस पर जनरल मिर्जा ने मुझे बताया कि 'एक यूनिट' योजना अब पाकिस्तान के लिये अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई है। यदि इस अवसर पर पाकिस्तान ने इस योजना से हाथ खीच लिया, तो इसकी प्रतिष्ठा समाप्त हो जायगी और अफगानिस्तान का सम्मान बढ जायगा। मै इस अभिमत पर सहमत न हुआ और बताया कि 'एक यूनिट' स्थापित होने या न होने की समस्या पाकिस्तान की घरेलू राजनीति से सम्बन्ध रखती है और इस विषय में अफगान जो कुछ खयाल करते हैं, उसे कोई महत्त्व प्राप्त नहीं होना चाहिये। मैंने यह दलील प्रस्तुत की कि यदि पाकिस्तान में पठान प्रसन्न और सगठित होंगे, तो पाकिस्तान और भी अधिक दृढ और आनन्दमय हो जायगा, और यदि पाकिस्तान पश्तून इलाको की परिस्थितियाँ जनसाधारण की हार्दिक सन्तुष्टि तथा लोकतन्त्रात्मक इच्छाओं के अनुसार सुधारी गई, तो इस प्रश्न पर पाकिस्तान के विरुद्ध सारा

विदेशी प्रचार व्यर्थ सिद्ध होगा।

"मैनें जनरल मिर्जा और डाक्टर खान साहिब पर आपत्ति उठाई कि उन्होंने स्वय तो 'एक यूनिट' की योजना के पक्ष-पोषण के लिये व्यापक प्रचार जारी कर रखा है, परन्तु हमें स्वतन्त्रता प्राप्त नही, जबकि पाकिस्तान एक गण-तन्त्री देश है। उन दोनो ने इस सम्बन्ध मे मेरी शिकायत के औचित्य को स्वीकार किया और यह बात मानी कि मुझे भी जनसाधारण से सम्पर्क पैदा करने का अधिकार है। इस प्रकार उन दोनो की स्वीकृति और समर्थन प्राप्त करने के बाद मैंने जनसाधारण के राजनीतिक प्रशिक्षण के लिये अपना दौरा आरम्भ किया, ताकि उचित लोकतन्त्री उपायों से यथार्थ निर्णय हो सके।

"श्रीमान! यदि मैं सरकार के विरुद्ध घृणा फैलाना चाहता, तो हमारे जनसाधारण पर जो अत्याचार किये गये, उनके आधार पर विद्रोह के लिये पर्याप्त सामग्री विद्यमान थी। पर इसके स्थान पर मैंने सदा अहिंसा के विचारो का प्रचार किया है और यह घोषणा करता रहा हूँ कि हमने उन लोगो को भी क्षमा कर दिया, जिन्होने हमसे अन्याय किया और हमारा इस तरह अपमान किया कि साधारण परिस्थितियो में कोई पठान उसे नही भूल सकता और न ही क्षमा कर सकता है।

"हम पजाबियो को अपने मुसलमान और पाकिस्तानी भाई समझते हैं और उनसे यही व्यवहार करते हैं। हम बगालियो, सिन्धियो और बलोचियो के सम्बन्ध में भी यही दृष्टिकोण रखते हैं। यदि हममें से किसी ने किसी गलत राजनीतिक निर्णय के अनुसार पश्चिमी पाकिस्तान के छोटे प्रान्तों में रहने वालों से अन्याय किया था, तो मैं पजाब-वासियो के विरुद्ध कभी घृणा नहीं फैला सकता था। मैं तो उन कुछ व्यक्तियो से भी घृणा नही करता, जो सीमाप्रान्त के प्रान्तीय स्वराज्य की तबाही के उत्तरदायी हैं। मेरे लिये पजाब-वासियो से घृणा करने का कोई औचित्य विद्यमान नही और न ही मैं उनसे घृणा कर सकता था। उन्होंने हमें कोई हानि नहीं पहुँचाई। हम पर 'एक यूनिट' ठूंसने के सम्बन्ध में पजाब-निवासियो पर कोई लोक-तन्त्रात्मक उत्तरदायित्व भी लागू नही होता। इसके सम्बन्ध मे तो उनसे कभी परामर्श तक नही किया गया।

"मैं सदा एक पक्का मुसलमान और देशभक्त रहा हूँ। जब से पाकिस्तान स्थापित हुआ है, मैंने सदा पाकिस्तान की सेवा और इसको सुदृढ बनाने का

प्रयत्न किया है। मेरा दावा है कि यदि पाकिस्तान में रहने वाले पख्तूनो को सगठित कर दिया जाय, तो पाकिस्तान और भी दृढ हो जायगा। पख्तूनिस्तान के नाम को भी सर्वथा वही महत्व प्राप्त है, जो पजाब, बगाल, सिन्ध, बलोचिस्तान के नामो को है। ये पाकिस्तान के कुछ इलाको के नाम हैं, जहाँ कुछ पाकिस्तानी रहते हैं। मेरा दृढ निश्चय है कि पाकिस्तान की बडाई और गौरव का रहस्य इस बात मे निहित है कि पख्तूनो के साथ उस अन्याय को समाप्त किया जाय, जो अग्रेजो ने अपने नीतिगत स्वार्थो को सामने रख कर किया था और जिसके अनुसार उन्होने पख्तूनो को टुकडो मे खदेड़ दिया था।

"अपनी पोजीशन और राजनीतिक विचारो की व्याख्या के पश्चात् मैं सारा मुआमला श्रीमान पर छोडता हूँ। मैंने 'एक यूनिट' के विरुद्ध भाषण करते हुए वही कुछ कहा है, जिसे मैं एक इस्लामी गणतन्त्र के दावेदार देश में एक स्वतन्त्र नागरिक के रूप मे अपना कर्तव्य और अधिकार समझता था। कोई चीज मुझे यह दावा करने से नही रोक सकती कि अग्रेजो ने पख्तूनो से जो अन्याय किया था, अब उसका निवारण किया जाय। यदि श्रीमान इस परिणाम पर पहुँचे कि मैंने राज्य के आदेशो के विपरीत अपने जनसाधारण और देश को हानि पहुँचाई है, तो मैं सहर्ष और किसी से घृणा किये बिना वह दण्ड भुगतूंगा, जो न्याय के अनुसार मेरे लिये निश्चित किया जायगा।"

हस्ताक्षर (अब्दुल गफ्फार खान)

# अन्तिम बार गिरफ़्तारी और रिहाई (१९५६–५७)

बाचा खान "ऐण्टी यूनिट फ्रण्ट" (एक यूनिट विरोधी मोर्चे) पर पूरे जोर-शोर से काम कर रहे थे। सत्ताधारी दल उन्हे रिहा करके और पुन सीमाप्रान्त में प्रवेश की आज्ञा देकर अप्रसन्न था। उनकी सरगर्मियाँ उसे बुरी तरह खटक रही थी। परन्तु अब देश का विधान बन चुका था और पहली-सी धाँधली नही चल सकती थी। अब विधान के अनुसार किसी व्यक्ति को उसका अपराध बताये और उसे यथोचित रूप से सिद्ध किये बिना अधिक दिनों तक कारावास में बन्द नही रखा जा सकता था।

दिन गुज़रते गये। बाचा खान की सरगर्मियाँ बढती और फैलती गई। सत्ताधारी दल उन्हे हाथ डालने की युक्तियाँ-उपाय सोचता रहा। अन्त में जून १९५६ ई० में बाचा खान को उनके अपने सहोदर भ्राता डाक्टर खान साहिब, जो पश्चिमी पाकिस्तान के मुख्य-मन्त्री थे, के हाथो गिरफ्तार कराया गया। वे छः-सात महीने लाहौर की जेल में रहे। उनके विरुद्ध उरमड पायाँ, नवाकली, गुम्बट में भाषण करने पर पाकिस्तान दण्ड-सहिता की धाराओ—१२३ क, १२४ क और १५३ क—के अधीन सरकार के विरुद्ध विद्रोह और पाकिस्तानी वाशिन्दो में घृणा फैलाने के अभियोग में पश्चिमी पाकिस्तान हाईकोर्ट के न्यायाधीश श्रीमान् शब्बीर अहमद की अदालत में मुकद्दमा चलाया गया। वहाँ से आपको २४ जनवरी १९५७ ई० को माननीय न्यायाधीश ने अदालत विसर्जन तक कैद का दण्ड और चौदह हज़ार रुपये जुर्माने के दण्ड का हुक्म सुनाया।

बाचा खान ने रिहा होते ही समाचार-पत्रो के प्रतिनिधियो से कहा—

"मैं बीमार हूँ। न तो मुझ में जलसे-जुलूसो में भाग लेने और भाषण करने की शक्ति है और न मैं अपने नाम की मशहूरी, दिखावे और प्रदर्शन में विश्वास रखता हूँ। इसलिये किसी को सूचना दिये बिना चुपके से प्रात अपने गाँव को चला जाऊँगा ताकि किसी को कष्ट न हो और आराम से मैं भी पहुँच जाऊँ। 'वली' इन सब लोगो से कह दो कि वापस चले जायें और जाकर लोगो से कह

दें कि स्वास्थ्य सुधर जाने के पश्चात् मैं स्वय उनके पास जा कर उनके
वातचीत करूंगा ।"

वाचा खान ने अपने वेटे और श्रद्धालुओ को लाहौर ही मे यह कडा आ
कर रखा था, परन्तु इसके वावुजूद २५ जनवरी १९५७ ई० को वारह वजे
जव अकस्मात् आपकी कार अटक नदी के पुल को पार करने लगी, तो आ
श्रद्धालुओ की कारे पहले ही मे आपके स्वागत के लिये वहाँ विद्यमान थी
जव आप अटक से लेकर पिशावर तक पचास मील के मार्ग पर यात्रा क
थे, तो प्रत्येक गाँव, कसवे, प्रत्युत चप्पे-चप्पे पर हजारो पख्तून आपके स्वाग
लिये फूलो के हार लिये खडे थे । यह पचास मील का रास्ता पूरे आठ घण
तै करना पडा, क्योकि अटक, जहांगीरा, आकोडा, खटक, नौशहरा, प
तारोजव्वा, चमकनी और चुगलपुरा में स्वागत करने वालो ने आपको
और हजारो लोग आपको एक दृष्टि देखने के लिये इतने उत्सुक थे कि
विवश करने पर ड्राइवर को मोटर विल्कुल रीगने की गति से चलानी पडे

वाचा खान अपने सम्वन्धी सर अंजाम खान की कैडलाक कार में बैठे हु
और मोटरो का एक लम्वा काफिला आपकी कार के पीछे था । आपने प्रात
वजे लाहौर मे कार द्वारा प्रस्थान किया और पूरे छः वजे पिशावर पहुँचे,
विलम्व किये विना अपने गाँव चले गये ।

पिशावर मे आपके आगमन की सूचना सुनते ही लोगो के दल के दल
त्रित होने लगे और देखते ही देखते हजारो लोग आपके स्वागत के लिये
मे दो मील वाहर निकल गये । जव आपकी कार पहुँची, तो जी० टी० व
मे वाकाइदा जुलूस आरम्भ हुआ, जिसे कावुली दरवाजा के वाहर पहुँच
समाप्त किया गया ।

किस्सा ख्वानी वाजार में वाचा खान का जुलूस पहुँचा तो शहीदो की
गार के स्थान पर लोगों के अनुरोध पर वाचा खान ने एक अत्यन्त मं
भाषण किया ।

आपने कहा—"पख्तून जाति जव तक आपस की शत्रुता और फूट को
छोडेगी उस समय तक वह आवाद और खुशहाल नही हो सकती ।" आपने
जारी रखते हुए कहा—"अव वे दिन नही रहे, जव इस देश पर फिरं
शासन था । अव यह देश तुम्हारा है । यह एक इस्लामी गण-तन्त्र है । यह

मैं नही कहता, वे लोग भी ऐसा ही कहते हैं, जिनके हाथ में आज शासन-सत्ता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गण-तन्त्री सरकारों में उच्च सत्ता वास्तव में जनसाधारण ही के हाथ मे होती है। जनसाधारण जिसे चाहे कुर्सी पर बिठा देते हैं और जिसे चाहे कुर्सी से वचित कर देते हैं। इस सत्य को दृष्टि-गोचर करते हुए कहा जा सकता है कि इस समय हमारी सरकार न तो गण-तन्त्री है और न ही इस्लामी है।"

अन्त में आपने लोगो से कहा कि सरकार पर ज़ोर डालें कि वह शीघ्र से शीघ्र देश में स्वतन्त्रतापूर्वक चुनाव कराये।

इस बार आप जेल से आये, तो आपका स्वास्थ्य बहुत गिर चुका था। उन्होंने बताया कि उन्हें जिन कोठरियो में रखा गया, वे १६३० ई० से बन्द पडी थी और वहाँ किसी जन-मानव ने पग नही रखा था। ये कोठरियाँ कब्रि-स्तान के एक भाग में बनाई गई थी और लोगो में यह बात फैली हुई थी कि वहाँ भूतो की छाया है। बाचा खान ने बताया कि उन्हें वहाँ सर्वथा अकेला रखा गया। भोजन बहुत ही खराब मिलता था, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य बिगड गया और वहाँ शोचनीय हद तक बीमार हो गये। उन्हें सिर दर्द का स्थायी रोग लग गया। पाचन-शक्ति क्षीण हो गई और अनिद्रा की शिकायत ने शरीर की सारी व्यवस्था को बिगाड दिया। समाचारपत्रों में कोलाहल मचा, तो आपको अस्पताल भिजवाया गया और लम्बी चिकित्सा के पश्चात् ज़रा स्वास्थ्य सभला। रिहा होने के पश्चात् भी अभी तक आपका स्वास्थ्य अच्छा नही हो सका और आपकी निरन्तर चिकित्सा हो रही है।

# खुदाई खिदमतगार आन्दोलन
## का
# तीसरा दौर—१६५७ ई०

# बाचा ख़ान की रिहाई और पाकिस्तान नेशनल पार्टी में प्रवेश

बाचा खान अभी जेल ही में थे कि उनके परामर्श से पश्चिमी पाकिस्तान के समस्त गण-तन्त्रवादी नेताओं ने मिलकर एक नई सस्था 'पाकिस्तान नेशनल पार्टी' की नीव रखी, जिसमें सिन्धहारी कमेटी, आजाद पाकिस्तान पार्टी और खुदाई खिदमतगार दल को समाहित कर दिया गया।

पाकिस्तान की स्थापना के पश्चात् खुदाई खिदमतगार सस्था को अवैध घोषित कर दिया गया था और वह स्वाधीन रूप से कार्य करने के योग्य न थी। इसके अतिरिक्त देश में यथार्थ रूप से कोई ऐसा विरोधी दल (अपोजीशन) भी विद्यमान नही था, जो वास्तविक रूप से गण-तन्त्रवादी हो और केवल सत्ता की प्राप्ति तक ही उसके प्रयत्न व सघर्ष सीमित न हो, अपितु देश और जाति की सच्ची सेवा तथा शुद्ध हृदय से नेतृत्व करना उसके कर्त्तव्यो मे समाविष्ट हो।

पाकिस्तान के जनसाधारण सत्ता-लोलुप नेताओं और स्वार्थ-परायण सस्थाओं से तग आ चुके थे। वे चाहते थे कि कोई ऐसी सस्था बनाई जाय, जो स्वार्थभाव से सर्वथा ऊपर उठकर कार्य करे। अत नेशनल पार्टी ने इस देश की एक बहुत बडी आवश्यकता को पूरा कर दिया और इसी कारण सारे देश में उसका बडे उत्साह से स्वागत किया गया।

बाचा खान ने भी रिहा होते ही पाकिस्तान नेशनल पार्टी में अपने सम्मिलित होने की घोषणा कर दी। आपने २४ जनवरी १९५७ ई० को अपनी रिहाई के दिन ही तीसरे पहर पाकिस्तान नेशनल पार्टी की ओर से एक स्वागत-अभिभाषण करते हुए देश में साधारण चुनावों की आवश्यकता पर ज़ोर दिया और कहा कि सत्ताधारी लोग उस समय तक चुनाव नही करायेंगे, जब तक कि जन-साधारण उन्हे बाध्य नहीं करेंगे। उन्होंने राजा गजनफ़र अली खान के इस विचार से सहमति प्रकट की कि यदि सत्ताधारी लोग चुनाव कराने में टालमटोल

# बाचा खान की रिहाई और पाकिस्तान नेशनल पार्टी में प्रवेश

बाचा खान अभी जेल ही में थे कि उनके परामर्श मे पश्चिमी पाकिस्तान के समस्त गण-तन्त्रवादी नेताओ ने मिलकर एक नई सस्था 'पाकिस्तान नेशनल पार्टी' की नीव रखी, जिसमें सिन्धहारी कमेटी, आजाद पाकिस्तान पार्टी और खुदाई खिदमतगार दल को समाहित कर दिया गया।

पाकिस्तान की स्थापना के पश्चात् खुदाई खिदमतगार सस्था को अवैध घोषित कर दिया गया था और वह स्वाधीन रूप से कार्य करने के योग्य न थी। इसके अतिरिक्त देश में यथार्थ रूप मे कोई ऐसा विरोधी दल (अपोजीशन) भी विद्यमान नही था, जो वास्तविक रूप मे गण-तन्त्रवादी हो और केवल सत्ता की प्राप्ति तक ही उसके प्रयत्न व सघर्ष सीमित न हो, अपितु देश और जाति की सच्ची सेवा तथा शुद्ध हृदय से नेतृत्व करना उसके कर्त्तव्यो मे समाविष्ट हो।

पाकिस्तान के जनसाधारण सत्ता-लोलुप नेताओ और स्वार्थ-परायण सस्थाओ से तग आ चुके थे। वे चाहते थे कि कोई ऐसी सस्था बनाई जाय, जो स्वार्थभाव से सर्वथा ऊपर उठकर कार्य करे। अत नेशनल पार्टी ने इस देश की एक बहुत बडी आवश्यकता को पूरा कर दिया और इसी कारण सारे देश में उसका बडे उत्साह से स्वागत किया गया।

बाचा खान ने भी रिहा होते ही पाकिस्तान नेशनल पार्टी में अपने सम्मिलित होने की घोषणा कर दी। आपने २४ जनवरी १९५७ ई० को अपनी रिहाई के दिन ही तीसरे पहर पाकिस्तान नेशनल पार्टी की ओर से एक स्वागत-अभिभाषण करते हुए देश में साधारण चुनावो की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि सत्ताधारी लोग उस समय तक चुनाव नही करायेंगे, जब तक कि जन-साधारण उन्हे बाध्य नही करेंगे। उन्होने राजा गजनफर अली खान के इस विचार से सहमति प्रकट की कि यदि सत्ताधारी लोग चुनाव कराने मे टालमटोल

श्रौर वहाने से काम ले, तो जनता को एक ग्रान्दोलन ग्रारम्भ करके सरकार को शीघ्र से शीघ्र चुनाव कराने पर मजबूर करना चाहिये।

बाचा खान ने ऐसा ग्रान्दोलन ग्रारम्भ करने के सम्बन्ध में राजा गज़नफर ग्रली खान को ग्रपनी सेवाएं प्रस्तुत की। उन्होने इस वात पर भी खेद प्रकट किया कि भारत में दूसरी वार चुनाव हो रहे हैं, परन्तु पाकिस्तान में स्वाधीनता के पश्चात् ग्रव तक चुनाव नही कराये गये। उन्होंने कहा—

"मेरा स्वास्थ्य खराब है ग्रौर जिस समय मेरा स्वास्थ्य सुधर गया मैं उसी समय लाहौर वापस ग्राकर भूतपूर्व पजाव के गाँवों ग्रौर कस्वो का दौरा करूंगा तथा सत्ताधारी लोगो ने मेरे विरुद्ध जो प्रचार ग्रान्दोलन ग्रारम्भ कर रखा है, उस सम्वन्ध में ग्रपनी पोजीशन का स्पष्टीकरण करूंगा।"

नेशनल पार्टी में समाहित होने के पश्चात् खुदाई खिदमतगार ग्रान्दोलन का १९५७ ई० से तीसरा दौर ग्रारम्भ होता है। विचारपूर्वक देखा जाय, तो खुदाई खिदमतगार ग्रान्दोलन को ग्रपने पहले दौर में जिन परिस्थितियो मे से गुजरना पडा था, लगभग उसी प्रकार की कठिनाइयों से ग्राज भी उसे दो-चार होना पडा तथा जिस प्रकार उस समय उसे ग्रखिल भारत कांग्रेस कमेटी में समाहित होने के लिये बाध्य होना पडा, ठीक उसी प्रकार ग्राज पाकिस्तान नेशनल पार्टी में समाहित होने के लिये उसे परिस्थितियो ने विवश कर दिया।

उस समय विदेशी सरकार को यह सगठन ग्रथवा सस्था पसन्द न थी ग्रौर वह इसे खतरनाक समझती थी, तो ग्राज ग्रपने देश के शासको को इससे ग्राशका उत्पन्न हो गई है। वे इसे स्वाधीनतापूर्वक काम करने की ग्राज्ञा देने को तैयार नही।

सोचने की वात यह है कि इस सर्वथा हानि न पहुँचाने वाले ग्रान्दोलन में, जो केवल पश्तून जाति के सुधार ग्रौर सगठन के लिये ग्रारम्भ हुग्रा ग्रौर ग्राज भी ग्रपने उन्ही नियमो पर स्थिर है, ग्राखिर ऐसी क्या भय दिलाने वाली वात है, जिससे शासक-वर्ग सदा घवराता चला ग्राया है। देश में बीसियो राजनीतिक पार्टियाँ हैं। उनके ग्रतिरिक्त सिन्घ, वगाल, पजाव, सारांश प्रत्येक स्थान, प्रत्येक जाति के ग्रपने विभिन्न सगठन व सस्थाए काम कर रही हैं, जिन्हे समस्त प्रकार की स्वतन्त्रता प्राप्त है ग्रौर प्रत्येक प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। वे लोग ग्रपनी भाषा को उन्नति देने के लिये भी कार्य कर रहे हैं। जाति को सगठित

करने के लिये भी प्रयत्नशील हैं, परन्तु भाग्यहीन पश्तून जाति से आज अपनी राष्ट्रीय सरकार भी सौतेली माता का सा वर्ताव कर रही है। आज भी इस पिछडी हुई जाति की अविद्या दूर करने, इसका सुधार करने और इसे सगठित करने के लिये कोई आन्दोलन आरम्भ किया जाय, तो उसे सन्देह की दृष्टि से देखा जाता है और कपोल-कल्पित, निराधार और अर्थशून्य आशकाओ को सामने रखकर इस पर प्रतिबन्ध लगा दिये जाते हैं। यहाँ तक कि पश्तो भाषा व साहित्य की उन्नति और विकास के लिये काम करना भी सरकार को रोष और अत्याचार व हिंसा को आमन्त्रित करने के समान है।

विदेशी, अपरिचित शासको से हमें कोई गिला-उलाहना नही। उन्होंने पश्तून जाति को कुचलने, दबाने और पिछडा हुआ रखने के लिये जो अपने प्रयत्न चालू रखे, उनकी तह में उनकी कई सुनहरी-रुपहली भलाइयाँ तथा कूटनीति काम कर रही थी। वे जानते थे कि भारत के इतिहास में इस शूरवीर, योद्धा और तलवार की धनी जाति ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पार्ट अदा किया है। लम्बे समय तक इन्होंने हिन्दुस्तान पर शासन किया है। इनमें बडे-बडे पराक्रमी बादशाह हो गुजरे हैं और अपना शासन छिन जाने के पश्चात् ग़ैर पश्तून शासको के समय मे भी सदा सैन्य-शक्ति इनके हाथो में रही है। इसलिये उन्हे भय था कि यदि कही इस जाति को सिर उठाने का अवसर मिला, तो हमारी ख़ैर नही।

परन्तु अब परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। अब देश स्वाधीन हो चुका है। यहाँ अपनी जातीय सरकार स्थापित है। उसका कर्त्तव्य था कि वह विदेशी शासको के अन्यायो को तत्काल दूर करती और अपने सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से पश्तूनों का मन मोह लेती। पाकिस्तान का यह महापराक्रमी भुजदण्ड उसका सबसे बडा रक्षक है। इसका उत्साह बढा कर इसे अपने निकट लाकर अपरिचितता और द्वैतभाव दूर करके इन्हे अपनाने और इनसे लाभ उठाने की आवश्यकता थी। परन्तु खेद है कि हमारी अपनी सरकार भी अंग्रेज़ो की उसी बदनाम नीति का आज तक पालन कर रही है और पश्तून जाति को उस पिछडेपन, अविद्या और दरिद्रता के गहरे गढो से निकालने के लिये न केवल यह कि उसने स्वय कोई ध्यान नही दिया, प्रत्युत उनके सच्चे और हितैषी नेताओ को भी ऐसा करने से रोकने के लिये प्रत्येक सम्भव उपाय का प्रयोग किया।

परिणाम यह कि पश्तून जाति, जो आज तक पक्षपात, द्वेष और घृणा से

कोसो दूर थी, अब यह सोचने पर बाध्य हो गई कि वर्त्तमान शासन-व्यवस्था में भी उसकी उन्नति, सुधार तथा हितसाधन की कोई सभावना नही । यहाँ मुसलमान जाति के रूप में, पाकिस्तानी होने की हैसियत से सोचने के स्थान पर हमारा सत्ताधारी वर्ग बगाली, सिन्धी और पजाबी की हैसियत से सोच रहा है। इसलिये क्यों न पश्तून भी पश्तून की हैसियत से सोचे ।

हमारी सरकार को खुदा सामर्थ्य दे, तो वह सद्व्यवहार और सूझ-बूझ से काम लेते हुए अब भी अपने पश्तून भाइयो को अपना सकती है। परन्तु इस कार्य के लिये जिस वस्तु की आवश्यकता है, वह प्यार-प्रीति और सहानुभूतियुक्त व्यवहार है। इन्ही चीजो से पश्तूनो के हृदयो पर विजय प्राप्त की जा सकती है और इन्हे अनुभव कराया जा सकता है कि यह इनका अपना देश है, अपनी सरकार है और इनकी भलाई सरकार का उद्देश्य है। वह इन्हें सभ्य, सगठित और खुशहाल देखना चाहती है और इस कार्य के लिये समस्त साधनो का प्रयोग करने को तैयार है।

# दूसरा भाग

कोसो दूर थी, अब यह सोचने पर वाध्य हो गई कि वर्तमान शासन-व्यवस्था में भी उसकी उन्नति, सुधार तथा हितसाधन की कोई सभावना नही । यहाँ मुसलमान जाति के रूप में, पाकिस्तानी होने की हैसियत से सोचने के स्थान पर हमारा सत्ताधारी वर्ग वगाली, सिन्धी और पजावी की हैसियत से सोच रहा है। इसलिये क्यो न पश्तून भी पश्तून की हैसियत से सोचे ।

हमारी सरकार को खुदा सामर्थ्य दे, तो वह सद्व्यवहार और सूझ-बूझ से काम लेते हुए अब भी अपने पश्तून भाइयो को अपना सकती है। परन्तु इस कार्य के लिये जिस वस्तु की आवश्यकता है, वह प्यार-प्रीति और सहानुभूतियुक्त व्यवहार है। इन्ही चीजो से पश्तूनो के हृदयो पर विजय प्राप्त की जा सकती है और इन्हें अनुभव कराया जा सकता है कि यह इनका अपना देश है, अपनी सरकार है और इनकी भलाई सरकार का उद्देश्य है। वह इन्हे सभ्य, सगठित और खुशहाल देखना चाहती है और इस कार्य के लिये समस्त साधनो का प्रयोग करने को तैयार है ।

# दूसरा भाग

पैदा कहाँ हैं ऐसे परागन्दा-तबा लाग।
अफसोस तुम को 'मीर' से सुहबत नहीं रही॥

यह शिअर बाचा खान के मुंह से कहलवाया गया है। इस शिअर में कवि 'मीर' जो कुछ अपने सम्बन्ध मे कहते हैं, वही कुछ बाचा खान अपने विषय में कहते हैं। मीर साहिब कहते हैं—'खेद है कि तुमको मीर की सगति प्राप्त नही हुई। यदि हुई होती, तो तुम देखते कि उस जैसे बिखरी-बिखरी प्रकृति के लोग कहाँ पैदा होते हैं, अर्थात् कभी-कभी मुश्किल ही से पैदा होते हैं। अपने आपको 'बिखरी प्रकृति' वाला कहकर बाचा खान अपने मुंह मियाँ-मिट्ठू नही बने। हाँ यह अवश्य कहा है कि लोग उन्हे 'बिखरी प्रकृति' या 'बिखरे स्वभाव' वाला कहे परन्तु ऐसे व्यक्ति सदा पैदा नही होते, कभी-कभी ही होते हैं और इस बात को वही लोग जानते हैं, जिनको उनकी सगति में बैठने का यथोचित अवसर मिला है।—'प्रभाकर'

# बाचा खान राजनीतिज्ञ के रूप में

बाचा खान की गणना देश के इने-गिने चोटी के राजनीतिज्ञो मे होती है। महात्मा गाधी सदा आपके अभिमत को बडा महत्व देते थे, और कोई भी कार्य उनके परामर्श के बिना नही करते थे,जबकि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में देश के बडे-बडे पारदर्शी और मेधावी लोग मौजूद थे, परन्तु गाधी जी को बाचा खान की राजनीतिक प्रतिभा पर भरोसा था और उनकी राजनीतिक सूझ-बूझ का सिक्का मानते थे।

बाचा खान विशेष रूप मे अग्रेजो की प्रवचनामय चालो को भली-भाँति समझते थे। और अपनी इसी विशेष प्रज्ञा के अनुसार सदा अपने दल की कार्य-पद्धति अथवा कार्यक्रम बनाते रहते थे। दिवगत नव्वाब जादा लियाकत अली खान ने उनके सम्बन्ध में कहा था कि "वह बहुत गहन गम्भीर व्यक्ति हैं।"

व्यक्तित्व—

बाचा खान का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली है। कोई भी व्यक्ति उनसे एक बार मिलने के बाद प्रभावित हुए बिना नही रहता। वे ऊँचे, लम्बे, सादा परन्तु भरपूर व्यक्तित्व के स्वामी हैं। उनका विशाल मस्तक और गम्भीर चिन्ता में डूबी हुई घुटी-घुटी आँखें उनके विवेक-प्रतिभा का पता देती हैं। वे प्राय अत्यन्त गम्भीर रहते हैं। बातें खुलकर करते हैं, परन्तु गम्भीरता तथा स्थिरता को किसी अवसर पर हाथ से नही जाने देते। वे बहुत प्रसन्न हो, तो मुस्करा देते हैं, परन्तु उन्हे खिलखिला कर हँसते हुए शायद आज तक किसी ने नही देखा होगा।

अखिल भारतीय कांग्रेस के एक अधिवेशन में आपने एक बार कहा था— "मै बडा नेता नही हूँ। मैं तो जाति का सेवक हूँ।" इस पर श्रीमती सरोजिनी नायडू ने हँसी की मुद्रा में आपको सम्बोधित करते हुए कहा, "आप तो बडे-बडे नेताओ से भी दो हाथ बडे दिखाई देते हैं, फिर आप यह कैसे कहते हैं कि आप बडे नेता नही हैं।"

जाति पर प्रभाव—

जितना प्रभाव बाचा खान का अपनी पश्तून जाति पर है, उतना बहुत कम किसी और नेता का देखा गया है। उनके आवाहन या आवाज़ पर सारी जाति प्रत्येक समय सब कुछ करने को तैयार रहती है। आपने ख़ुदाई खिदमतगार आन्दोलन को एक दिन कांग्रेस मे समाहित करने की घोषणा की, तो दूसरे दिन समस्त ख़ुदाई खिदमतगार कांग्रेसी थे। इस अवसर पर कुछ नेताओ ने आशका प्रकट की कि हमारा पृथक् अस्तित्व समाप्त हो जायगा। परन्तु आपने कहा, ऐसा कदापि नही होगा। उस समय कई व्यक्तियों को विश्वास न आया और वे पृथक् हो गये। परन्तु कुछ समय के उपरान्त जब एक ऐसा अवसर आया कि आपने कांग्रेस कार्यकारिणी समिति से मतभेद प्रकट करते हुए कांग्रेस से विलग होने की घोषणा की, तो अगले ही दिन समस्त ख़ुदाई खिदमतगारो ने आपका समर्थन कर दिया। फिर जब उसके कुछ ही दिनो के पश्चात् कांग्रेस ने युद्ध मे अंग्रेजों से सहयोग करने का प्रस्ताव वापस ले लिया और आपने कांग्रेस में पुन. सम्मिलित होने का इरादः प्रकट किया, तो बिना किसी आपत्ति के सबने आपकी बात को शिरोधार्य कर लिया। वे कहे रात है, तो लोग कहते हैं कि नि सन्देह रात है। वे कहे दिन है, तो जाति कहती है, निश्चय ही दिन है। पश्तून उनकी पूजा करते हैं। उन्हे अपना पिता समझते हैं और उनका नाम सुनते ही झुक जाते हैं।

बाचा खान का पश्तून जाति पर इतना प्रभाव है कि प्राय लोगो ने आपको कोई महान् मनीषी या पीर समझ कर आपके हाथ-पांव चूमने आरम्भ कर दिये, परन्तु आपने उन्हे कठोरता से ऐसा करने से रोक दिया और बार-बार अपने भाषणो मे कहा—"मै न पीर हूँ, न महापुरुष। मैं तो एक राजनीतिक और क्रान्तिकारी व्यक्ति हूँ।" अपितु उन्होंने दिखावे के पीरो और अकर्मण्य बुजुर्गों की घोर निन्दा की और कहा कि जिस व्यक्ति को गुलामी का अनुभव, जाति की दरिद्रता, दीनता और हीनता का ज्ञान नही, इस्लाम धर्म और मुसलमानो के अपमान की अनुभूति नही और वह जाति को उस अवनति के गड्डे से निकालने के लिये मैदान में नही आता, प्रयत्न नही करता, मै उसे महान् मनीषी, बुजुर्ग, पीर और विद्वान् तो क्या मुसलमान भी नही समझता।

बाचा खान का इतना प्रभाव है कि उनका नाम सुनते ही लोगो के चेहरे चमक उठते हैं। उनमें जीवन-आत्मा दौड़ जाती है और उनकी आंखो में आशा

की किरणें जगमगाने लगती हैं। वे उन्हे अपना मुक्तिदाता समझते हैं, सच्चा और परम हितैषी नेता जानते हैं और उनके छोटे से आदेश पर अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हैं।

**सामाजिक कार्यकर्ता—**

बाचा खान का खुदाई खिदमतगार आन्दोलन, जैसा कि नाम से विदित है, केवल मानव-समाज की सेवा के लिये चलाया गया और बाचा खान स्वय भी सामाजिक कार्यकर्त्ता के रूप में मूर्तिमान खुदाई खिदमतगार हैं। वे अपने सारे काम अपने हाथो से करते हैं। अपने कपडे स्वय धोते हैं। अपने कमरे में स्वय झाड़ू देते हैं। अपना खाना स्वय पकाते हैं—और केवल अपने ही नही, लोगो के काम भी अत्यन्त हर्ष से करते हैं। वे लोगो के हुज्रो (ईश्वर-चिन्तन के स्थानो) मे जाकर गरीब किसानो और मजदूरो के साथ भूमि पर बैठ जाते हैं। उनके दु ख-दर्द मे भाग लेते हैं और यथासम्भव उनकी आवश्यकताओ को पूरा करने का प्रयत्न करते हैं।

बाचा खान मीलो पैदल चलकर गाँवो का दौरा करते हैं। रोगियो का कुशल-क्षेम पूछने जाते हैं। बेकारों के लिये काम ढूंढते हैं। बेसहारो को सहारा देते हैं। निराश लोगो को ढारस बंधाते हैं।

बाचा खान को मानव-सेवा की इतनी लगन है कि सदा लोगों को इसी का उपदेश करते रहते हैं और हर समय यही कहते हैं कि लोगों से प्रेमपूर्वक बर्ताव करो। उनकी सेवा करो। उन्हे अपना भाई समझो। प्रत्येक व्यक्ति से भद्रता से नेक व्यवहार करो। एक-दूसरे की सहायता करो। गिरतो को उठाओ, डूबतो को बचाओ।

**वक्तृत्व—**

बाचा खान कोई बहुत बडे वक्ता या व्याख्यान-विशारद नही हैं, न ही वक्तृत्व और वाग्मिता के नियमो पर उनके भाषणो को परखने से उनकी प्रशसा की जा सकती है। वे कोई जोशभरे और उत्तेजनाजनक वक्ता भी नहीं, अपितु उनकी तो अपनी एक अलग ही शैली है। धीरे-धीरे धीमे-धीमे यूं बोलना, जैसे कोई किसी से नि सकोच बातें कर रहा हो। कोमल-कोमल बातें, मीठी-मीठी बातें, हृदय को मोह लेने वाली बातें—जैसे धरती के शुष्क और ज्योतिहीन वक्षस्थल पर हल्की-हल्की, फुनियाँ-फुनियाँ मनोहारी फुहार पड रही हो।

कुछ लोग कहते हैं, सीमाप्रान्त में वक्ता के रूप में बाचा खान का जवाब नही मिल सकता और देखा जाय, तो वे ठीक ही कहते हैं। बाचा खान भाषण करते हो, तो जनसमूह पर इस प्रकार नीरवता छा जाती है, जैसे समस्त लोग मन्त्र-मुग्ध या मोहित हो गये हो। उनके पास ऐसा जादू है कि वे अपने दैनन्दिन वार्तालाप में, जिसे भी सम्बोधित कर रहे हो, बहुत ही प्रभावित करते हैं।

बाचा खान के भाषण प्राय बहुत लम्बे, सरल, परन्तु क्रमबद्ध और रोचक होते हैं। भाषण के बीच में छोटे-छोटे उदाहरणो और कहावतो से भाषण की शुष्कता को दूर करके उसमें सरसता और माधुर्य पैदा कर देते हैं। वे छोटे-छोटे वाक्यो और बोधगम्य शब्दो का प्रयोग करते हैं। उनके यहाँ उतार और चढाव होता अवश्य है, परन्तु केवल सामयिक नारे नही होते, प्रत्युत् ठोस, पक्की और महत्वपूर्ण बातें होती हैं।

बाचा खान के भाषणो पर कुछ लोग यह आपत्ति उठाते हैं कि उनमें विषय की पुनरावृत्ति बहुत होती है। एक ही बात वे प्रत्येक स्थान पर बार-बार महीनो दुहराते रहते हैं।

हम समझते हैं, यह उनका गुण है। वे एक राजनीतिक वक्ता हैं और एक आवश्यक बात को जनसाधारण के मन में अच्छी तरह बिठाने के लिए एक राजनीतिक नेता के लिए आवश्यक है कि वह बार-बार उसको दुहराता रहे। उसके विभिन्न पहलुओ और कोणो पर प्रकाश डाले तथा विधि, शैली व भाव-भंगिमा द्वारा लोगो को समझाये। अत इस दृष्टि से बाचा खान बहुत ही सफल वक्ता हैं। उन्हे अपना सन्देश कोने-कोने मे पहुँचाना होता है, इसलिये आवश्यक रूप से उन्हे प्रत्येक स्थान पर नये ढंग से हेर-फेर कर वही बातें कहनी पडती हैं। शायद यही कारण है कि प्राय: लोगो को उनके भाषणो के उद्धरण कण्ठस्थ हो चुके हैं।

सार्वजनिक नेता—

बाचा खान यथार्थ भाव से एक सार्वजनिक नेता हैं। वे जनसाधारण के मनस्तत्व को जानते हैं, उनकी मनोवृत्तियो को समझते हैं, उनकी त्रुटियों और गुणो से परिचित हैं। वे जनसाधारण में घुल-मिल कर रहते हैं, उन्हे प्रेमभाव से मिलते हैं और उनके इतने निकट हो जाते हैं कि वे उन्हे अपना हितैषी, सहानुभूति रखने वाला और सच्चा मित्र जानकर उनके सामने अपना हृदय

खोल कर रख देते हैं। वे अपनी निजी बातों में भी उनसे परामर्श लेते हैं और उनसे राय माँगते हैं।

बाचा खान पश्तून जनता के प्रिय नेता हैं और निसन्देह उन्हे समस्त पश्तून जाति का पूरा-पूरा विश्वास प्राप्त है। लोग उनका सम्मान करते हैं। उनके सामने बडे आदर से बोलते हैं। यहाँ तक कि उनकी उपस्थिति में किसी को चिलम या सिगरेट पीने का साहस नही हो सकता।

जनसाधारण उन्हे मन व प्राण से चाहते हैं। वे उन्हें अपना हितैषी और सच्चा नेता समझते हैं। उन्हें विश्वास है कि बाचा खान जो कुछ भी करते हैं, उनके भले के लिये करते हैं। इसलिये वे उनकी प्रत्येक बात को बिना कोई आपत्ति उठाये मानते हैं।

बाचा खान विगत चालीस वर्ष से सीमाप्रान्त की राजनीति पर छाये हुए हैं। उनके मित्र, शत्रु सब उन्हे पश्तून जनता के एकमात्र अद्वितीय नेता स्वीकार करते हैं। जनसाधारण उन पर प्राण न्योछावर करते हैं। उन्हे अपना बेताज बादशाह समझते हैं और मुहब्बत, प्यार तथा सम्मान से उन्हे "बाचा खान" कह कर पुकारते हैं।

**खुदाई ख़िदमतगार के सम्बन्ध में बाचा खान की धारणा—**

यदि मैं यह कहूँ कि बाचा खान की दृष्टि में एक सच्चे खुदाई ख़िदमतगार का जो चित्र खिंचा है, वह 'इक्बाल' के 'मर्दे मोमिन' (ईमानदार और सच्चे मनुष्य) से बहुत हद तक मिलता-जुलता है, तो अनुचित न होगा। क्योंकि बाचा खान और 'इक्बाल' दोनो ने यह धारणा अथवा कल्पना पश्तून के महाकवि खुशहाल खान 'खटक' ही से ली है जैसा कि इन उदाहरणो से विदित है।

## खुशहाल खान खटक

**ख़िदमते खल्क़ कर, भलाई कर, भूले भटके लोगों की रहनुमाई कर।**
**हिर्स को छोडकर हातम बना जा और बन्दा बन कर खुदाई कर॥**

भावार्थ—प्राणीमात्र की सेवा कर, उपकार कर, भूले-भटके लोगो को रास्ता दिखा। लोभ-लालच को छोडकर हातम अर्थात् दानी बन जा और इस प्रकार सेवक बन कर सबके मन को जीत कर

खुदाई कर—उन पर शासन कर। (प्रभाकर)

× × ×

वीर पुरुष वह है, जो भोग-विलास को छोड़कर सदा कार्यरत रहता है।

---

## अल्लामा इक़्बाल

गुलामी में न काम आती हैं तदबीरें न तक़रीरें।
जो हो ज़ौक़े यक़ीं पैदा, तो कट जाती हैं ज़ंजीरें।।

भावार्थ—पराधीनता में हाथ-पर-हाथ रख कर युक्तियाँ सोचते रहने और भाषण झाडते या बातें बनाते रहने से कुछ नही होता। हाँ, यदि अपने भुज-बल पर विश्वास करने की लगन पैदा हो जाय, तो गुलामी की शृङ्खलाएँ कट जाती हैं। (प्रभाकर)

× × ×

अमल से जिन्दगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी।
ये खाकी अपनी फितृत में न नूरी है न नारी है।।

भावार्थ—कर्म, (कर्मनिष्ठा और कर्मपरायणता) ही से जीवन स्वर्ग बनता है और कर्म ही से नरक बनता है। कर्म करके आप चाहे तो अपना जीवन स्वर्गीय बना लें, चाहें तो नारकीय बना लें—यह आपके वस की वात है। क्योकि यह मिट्टी का पुतला, भौतिक शरीरधारी मानव अपनी प्रकृति से न तो देवता है न असुर। कर्म ही से यह देवता बनता है और कर्म ही से असुर। (प्रभाकर)

## बाचा ख़ान

"मुझे सच्चे खुदाई खिदमतगारो की आवश्यकता है। यह एक आध्यात्मिक आन्दोलन है। इसमें थोडे सिपाही हो। परन्तु नेक, सच्चरित्र और ईमानदार हो, अपने मन या इन्द्रियो के अधीन न हो।"

× × ×

"मैं अधिक वातो में विश्वास नही रखता। जातियाँ बातो से नही, कर्म से वनती हैं। मैं कर्मनिष्ठ व्यक्ति हूँ और खुदाई खिदमतगार

में विश्वास, दृढ संकल्प और कर्मपरायणता देखना चाहता हूँ।"

× × ×

अन्तर केवल यह है कि बाचा खान अहिंसा मे विश्वास रखते हैं और अपने खुदाई खिदमतगार को एक 'मर्दे-मोमिन' के समस्त गुणो से सम्पन्न होने के साथ अहिंसाव्रती देखना चाहते हैं।

खुदाई खिदमतगार आन्दोलन के शपथ-पत्र मे पहली शर्त या व्रत यह है, जिसकी प्रत्येक खुदाई खिदमतगार को प्रतिज्ञा करनी पडती है कि—

मैं अपना नाम खुदाई खिदमतगारी के लिये सचाई और ईमानदारी से पेश करता हूँ।

दूसरी शर्त यह है—

मै अपना जीवन, धन-सम्पत्ति और सुख ईमानदारी के साथ अपनी जाति की सेवा और देश की स्वाधीनता पर बलिदान करूँगा।

तीसरी शर्त यह है कि—

मैं सदा नेकी और अच्छाई का कारबन्द अर्थात् दृढव्रती रहूँगा।

चौथी शर्त यह है कि—

मै अपनी सेवा के बदले किसी वस्तु का लोभ-लालच नही करूँगा।

पाँचवी शर्त यह है कि—

मेरे समस्त प्रयत्न खुदा की इच्छा के लिये होंगे, दिखावे के लिये नही होंगे।

× × ×

बाचा खान ने अपने प्रत्येक भाषण में खुदाई खिदमतगार आन्दोलन के सम्बन्ध में कुछ-न-कुछ अवश्य कहा है। यह आन्दोलन बहुत सर्वप्रिय सिद्ध हुआ। हजारो-लाखो अनुयायी पैदा हो गये, जिनमे सच्चे हितैषी और निस्वार्थ लोगो की कमी नही थी। परन्तु बाचा खान अन्त तक सन्तुष्ट दिखाई नही देते। उनके मन में एक सच्चे खुदाई खिदमतगार का जो चित्र और धारणा विद्यमान है, उन्हे आज तक ऐसे खुदाई खिदमतगारो की खोज है। ऐसा जान पडता है, जैसे स्वयसेवको के इस विराट् समूह में उन्हे अपने मानदण्ड का आज तक एक

व्यक्ति भी नही मिल सका। उनका मानदण्ड बहुत ऊँचा है, इतना कि कोई साधारण व्यक्ति उस तक कठिनाई ही से पहुँच सकता है।

उन्होने अपने आपको वर्षो की साधना और तप के पश्चात् एक आदर्श खुदाई खिदमतगार बनाया और वे चाहते हैं कि सब खुदाई खिदमतगार इसी ऊँचाई पर दिखाई दें। वे आन्दोलन में अधिक लोगो की भीड देखकर खुश नही होते। वे जेल जाने, लाठियाँ खाने और सुर्ख वरदियाँ पहनने को खुदाई खिदमतगार नही समझते। वे इन्किलाव के नारे लगाने, जलसे करने, जुलूस निकालने को आन्दोलन की सफलता खयाल नही करते—फिर वे क्या चाहते हैं ? वे कर्म चाहते हैं, केवल कर्म—वे हजारो-लाखो के स्थान पर केवल गिनती के कुछ एक खुदाई खिदमतगार ऐसे पैदा करना चाहते हैं, जो उनकी भाँति आदर्श खुदाई खिदमतगार हो।

जो कर्म और बलिदान के प्रतीक हो।
जो स्वार्थ-रहित और निष्कलक हो।
जो सच्चे, सुहृद और सच्चरित्र हो।
जो निर्भीक और निडर हो।
जो धैर्यवान और स्थिर-चित्त हो, और जो जीवन के गगनमण्डल पर सूर्य व चाँद वन कर रहे।

वे सोचते हैं कि यदि वे ऐसे कुछ आदर्श खुदाई खिदमतगार पैदा करने मे सफल हो जायँ, तो उनके जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाता है। उन्हे अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। उनके प्रयत्न सफल हो जाते हैं। अत वे बार-बार कहते हैं कि मुझे अधिक लोगो की आवश्यकता नही। मुझे तो केवल कुछ सच्चे खुदाई खिदमतगारो की आवश्यकता है और एक अवसर पर तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि और कोई न हो, तो मैं स्वय अकेला खुदाई खिदमतगार ही पर्याप्त हूँ।

खुदाई खिदमतगार की विशेषताएँ उनके मुँह से सुनिये—

जो कुछ कहे, उसे करके दिखाए।
पार्टी-वाजियाँ, मुकद्दमे-वाजियाँ और दुश्मनियाँ न करे।
किसी पर जोर-जुल्म और जब्र न करे।
किसी से प्रतिशोध न ले।
जो कोई उसके साथ वुराई करे, वह उससे नेकी करे।

अच्छा चरित्र, अच्छी रीति-नीति और अच्छी आदतें पैदा करे ।
जिस पर जुल्म हो रहा हो उसका साथ दे ।
सदा सच बोले ।
दुराचार से अपने आपको बचाये ।
शुद्ध और स्वच्छ रहे ।

बाचा खान सदा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनने पर जोर देते हैं । वे मन से कुछ और वचन से कुछ और नही हैं, न वे मन, वचन और कर्म में विभिन्नता को पसन्द करते हैं । मन, वचन और कर्म में ऐक्य चाहते हैं । वे चाहते हैं कि खुदाई खिदमतगार बनने से पहले खूब अच्छी तरह से सोच-समझ कर लोगो को इस आन्दोलन मे सम्मिलित होना चाहिये । ताकि बाद में लज्जित न होना पडे । वे बार-बार स्पष्ट शब्दो मे कहते हैं कि लोगो सोच लो, समझ लो, मेरा रास्ता कठिन है, कांटो से भरा है, इसमें दु ख-ही-दु ख हैं । मेरी मित्रता बहुत महँगी है, कठिन है, कष्टदायक है । मेरे साथ आते हो, तो तुम्हे अपने सारे सासारिक सुख-आराम का त्याग करना पडेगा । परीक्षाओ मे से गुजरना पडेगा । बहुत बडा उत्सर्ग करना होगा । अभी से भली प्रकार सोच-विचार कर लो, ऐसा न हो कि तुम्हे बाद मे पछताना पडे । इसे आसान काम न समझो । यह मार्ग अत्यन्त कटकाकीर्ण है । इसमें दुर्घटनाएँ हैं, खतरे हैं, भूकम्प हैं, पीडाएँ हैं, दु ख हैं । हमारी मजिल दूर है, बहुत दूर । हमे उस मजिल तक पहुँचने के लिये एक भीषण मरुस्थल से गुजरना है, जिस में मीलो तक न कोई छाया वाला वृक्ष है, न पानी का स्रोता है, न सवारी (वाहन) है और न कोई परोक्ष सहारा मिलने की सम्भावना है । इस सम्बन्ध में बाचा खान का एक भाषण देखिये—

"आज में इसलिये आया हूँ कि खुदाई खिदमतगारी का भावार्थ समझा दूं । आज के पश्चात् हमारे साथ केवल दस व्यक्ति हो, परन्तु वे नाम के खुदाई खिदमतगार न हो । खुदाई खिदमतगार एक ऐसी सेना है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भर्ती नही हो सकता । यह कोई अंग्रेजी सेना तो नही कि जिसमे प्रत्येक व्यक्ति भर्ती हो सकता है । अंग्रेजो की सेना में तो अच्छे-बुरे की कोई पहचान नही होती । पर यह तो एक खुदाई फौज है । इसमे वह व्यक्ति भर्ती होगा, जो कि बहुत पवित्र हो और प्रत्येक प्रकार के दोष से विमुक्त हो । मेरा यह

व्यक्ति भी नही मिल सका। उनका मानदण्ड बहुत ऊँचा है, इतना कि कोई साधारण व्यक्ति उस तक कठिनाई ही से पहुँच सकता है।

उन्होने अपने आपको वर्षों की साधना और तप के पश्चात् एक आदर्श खुदाई खिदमतगार बनाया और वे चाहते हैं कि सब खुदाई खिदमतगार इसी ऊँचाई पर दिखाई दें। वे आन्दोलन में अधिक लोगो की भीड देखकर खुश नही होते। वे जेल जाने, लाठियाँ खाने और सुर्ख वरदियाँ पहनने को खुदाई खिदमतगार नही समझते। वे इन्किलाब के नारे लगाने, जलसे करने, जुलूस निकालने को आन्दोलन की सफलता खयाल नही करते—फिर वे क्या चाहते हैं? वे कर्म चाहते हैं, केवल कर्म—वे हजारो-लाखो के स्थान पर केवल गिनती के कुछ एक खुदाई खिदमनगार ऐसे पैदा करना चाहते हैं, जो उनकी भाँति आदर्श खुदाई खिदमतगार हो।

जो कर्म और बलिदान के प्रतीक हो।
जो स्वार्थ-रहित और निष्कलक हो।
जो सच्चे, सुहृद और सच्चरित्र हो।
जो निर्भीक और निडर हो।
जो धैर्यवान और स्थिर-चित्त हों, और जो जीवन के गगनमण्डल पर सूर्य व चांद बन कर रहे।

वे सोचते हैं कि यदि वे ऐसे कुछ आदर्श खुदाई खिदमतगार पैदा करने में सफल हो जायँ, तो उनके जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाता है। उन्हें अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। उनके प्रयत्न सफल हो जाते हैं। अत वे बार-बार कहते हैं कि मुझे अधिक लोगो की आवश्यकता नही। मुझे तो केवल कुछ सच्चे खुदाई खिदमतगारो की आवश्यकता है और एक अवसर पर तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि और कोई न हो, तो मैं स्वय अकेला खुदाई खिदमतगार ही पर्याप्त हूँ।

खुदाई खिदमतगार की विशेषताएँ उनके मुँह से सुनिये—

जो कुछ कहे, उसे करके दिखाए।
पार्टी-बाजियाँ, मुकद्दमे-बाजियाँ और दुश्मनियाँ न करे।
किसी पर जोर-जुल्म और जब्र न करे।
किसी से प्रतिशोध न ले।
जो कोई उसके साथ बुराई करे, वह उससे नेकी करे।

कूचो में सिविल नाफरमानी करेगा, सरकार की आज्ञा को भंग करेगा, और सर्वथा अकेला होगा। आगे सरकार की इच्छा है कि उसे गिरफ्तार करे या न करे। इस अवस्था में जनसाधारण तवाही से बच जाएँगे और यदि वैसे ही सरकार किसी को कष्ट पहुँचाये, तो उसका इलाज नही। इस अवस्था मे यह लाभ होगा कि जो व्यक्ति जेल जायगा, वह बडे सब्र, सन्तोष और धैर्य से अपनी कैद गुजारेगा। परन्तु आपको बता दूं कि इस बार जेल मे वे बाते न होगी, जो आप ने १९३२-३३ में हरिपुर जेल में की थी। जिस प्रकार आप बाहर खुदाई खिदमतगार हैं उसी प्रकार जेल में भी खुदाई खिदमतगार ही रहेगे। जिस प्रकार यहाँ मार-पीट सहन करते हैं, वैसे ही जेल में भी धैर्य और सहिष्णुता से काम लेना होगा। वे बातें नही करनी होगी, जो आप पहले करते थे।

"दूसरी बात यह है कि अब जो कोई जेल जायगा, वह अपना श्रम करेगा। इस प्रकार नही करेगा जैसे घूस देकर श्रम से जान बचा लेते थे। याद रखिये, घूस देना महापाप है और जो व्यक्ति इस प्रकार के पाप करता है, उसके लिये यही अच्छा है कि वह बिल्कुल जेल न जाय और जेलखाने मे उन चीजो की आदतो को छोडना आवश्यक है, जिनको जेलखाने में बदमुआशी कहते हैं, दुराचरण कहते हैं। जैसे गुड, तम्बाकू, समाचार-पत्र आदि मगवाना या चोरी-छिपे पत्र-व्यवहार करना—ये बातें मनुष्य में दुर्बलता पैदा करती हैं। परन्तु एक खुदाई खिदमतगार को कायर और डरपोक नही होना चाहिये। खुदाई खिदमतगार को ऐसा होना चाहिये कि जो कुछ करे खुले आम करे। मुझे निजी रूप से इनका अनुभव है। जैसा कि मैंने आपको यह बात कई बार सुनाई कि जिस समय मैं १९२१ ई० मे तीन वर्ष के लिये कैद हुआ और मुझे किसी ने गुड दिया था और उसके कारण मेरे हृदय मे भय पैदा हुआ था, तो उस समय मैंने दृढ सकल्प कर लिया था कि भविष्य मे फिर मैं कभी ऐसा काम नही करूँगा, जो आदमी के दिल में डर पैदा करे।

"एक और बात यह है कि जेल में लोग भूख हड़ताल बहुत

ईमान है कि पठानो की मुक्ति केवल इस खुदाई खिदमतगारी में है '

"सबसे पहले एक खुदाई खिदमतगार के लिये यह आवश्यक है कि वह अकेला एक स्थान पर बैठ जाय, जहाँ केवल वह हो और खुदा हो—और खुदा को हाजिर-नाजिर—सर्वव्यापी सर्वद्रष्टा—जान कर अपने हृदय से पूछे कि आया वे नियम, जो मैंने बताये हैं, वह उन्हे स्वीकार करता है या नही। वाह्य रूप से तो आप मुझे धोखा दे सकते हैं और मैं आपको, परन्तु खुदा के साथ धोखावाजी नही चल सकती, क्योंकि वह हमारे दिलो का हाल जानता है—वह अन्तर्यामी है। एक वार नही, दो वार नही, वार-वार अपने दिल से पूछे और यदि दिल परामर्श दे, तो खुदाई खिदमतगार वने और यदि दिल कहे कि यह कठिन काम है, तो इससे अलग ही रहे।

"अव मैं आपको सावधान करता हूँ कि वम्वई में कांग्रेस ने फैसला किया है कि या तो सरकार हमारी माँगें माने, या हम फिर से सब्र की (सन्तोष और धैर्य) जग आरम्भ करेंगे। अस्तु आप इस वात को समझ लें कि हमारी यह जग पहली जग से विभिन्न होगी। यह उस पहले पुराने तरीके पर न होगी कि जिसमें अधिक हानियाँ थी। पहले की भाँति वे समारोहपूर्ण जलसे न होगे, जिनमें गर्मागर्म भाषण होते थे और लोग जोश में आ जाते थे तथा पुलिस मार-पीट आरम्भ कर देती थी और वहुत से निर्दोष लोगो को जेल भिजवा दिया जाता था। वे लोग तो खुदाई खिदमतगार नही होते थे, परन्तु उनमें गिने अवश्य जाते थे और फिर तीसरे दिन क्षमा माँग कर जेलो से निकल आते थे। तव लोग कहते कि खुदाई खिदमतगार क्षमा माँग रहे हैं, भाग रहे हैं। इसके साथ पुलिस वहुत से लोगो के मकान लूटती तथा भाँति-भाँति के अत्याचार करती। इस वार वे वातें न होगी। इस वार अवज्ञा-आन्दोलन की यह रीति होगी कि सरकार जिस वात को अवैध घोषित करेगी, हम वही करेंगे। परन्तु किस प्रकार ?—एक व्यक्ति सोच-विचार के पश्चात् अपने आपको अवज्ञा-आन्दोलन के लिये तैयार करेगा और जव प्रत्येक प्रकार के कष्टो और कठिनाइयो के झेलने के लिये तैयार होगा, तो इसके वाद वह रास्तो में, वाजारों में, गली-

कूचो में सिविल नाफ़रमानी करेगा, सरकार की आज्ञा को भग करेगा, और सर्वथा अकेला होगा। आगे सरकार की इच्छा है कि उसे गिर-फ़्तार करे या न करे। इस अवस्था मे जनसाधारण तवाही से वच जाएँगे और यदि वैसे ही सरकार किसी को कष्ट पहुँचाये, तो उसका इलाज नही। इस अवस्था में यह लाभ होगा कि जो व्यक्ति जेल जायगा, वह वडे सब्र, सन्तोष और धैर्य से अपनी कैद गुजारेगा। परन्तु आपको वता दूँ कि इस वार जेल मे वे वातें न होगी, जो आप ने १६३२-३३ में हरिपुर जेल मे की थी। जिस प्रकार आप वाहर खुदाई ख़िदमतगार हैं उसी प्रकार जेल मे भी ख़ुदाई ख़िदमतगार ही रहेगे। जिस प्रकार यहाँ मार-पीट सहन करते हैं, वैसे ही जेल मे भी धैर्य और सहिष्णुता से काम लेना होगा। वे वातें नही करनी होगी, जो आप पहले करते थे।

"दूसरी वात यह है कि अव जो कोई जेल जायगा, वह अपना श्रम करेगा। इस प्रकार नही करेगा जैसे घूस देकर श्रम से जान वचा लेते थे। याद रखिये, घूस देना महापाप है और जो व्यक्ति इस प्रकार के पाप करता है, उसके लिये यही अच्छा है कि वह विल्कुल जेल न जाय और जेलखाने मे उन चीज़ो की आदतो को छोडना आव-श्यक है, जिनको जेलख़ाने में वदमुआशी कहते हैं, दुराचरण कहते हैं। जैसे गुड, तम्वाकू, समाचार-पत्र आदि मगवाना या चोरी-छिपे पत्र-व्यवहार करना—ये वातें मनुष्य मे दुर्वलता पैदा करती हैं। परन्तु एक खुदाई ख़िदमतगार को कायर और डरपोक नही होना चाहिये। ख़ुदाई ख़िदमतगार को ऐसा होना चाहिये कि जो कुछ करे खुले आम करे। मुझे निजी रूप से इसका अनुभव है। जैसा कि मैंने आपको यह वात कई वार सुनाई कि जिस समय में १६२१ ई० में तीन वर्ष के लिये कैद हुआ और मुझे किसी ने गुड दिया था और उसके कारण मेरे हृदय मे भय पैदा हुआ था, तो उस समय मैंने दृढ सकल्प कर लिया था कि भविष्य में फिर मैं कभी ऐसा काम नही करूँगा, जो आदमी के दिल में डर पैदा करे।

"एक और वात यह है कि जेल में लोग भूख हडताल वहुत

करते हैं। इस बार कोई भी भूख हड़ताल न करे और यदि करे, तो फिर वह पहले से फैसला कर ले कि या तो मैं मरूंगा या फिर मेरी मांग स्वीकार की जायगी। परन्तु यह बात गलत है कि एक व्यक्ति भूख हड़ताल करे और दूसरे भी उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करने के लिये भूख हड़ताल कर दें। दूसरा, यह बात आवश्यक है कि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से जेल जाने को तैयार न हो, तो इस कारण से न जाय कि कल लोग उसे बोली मारेंगे कि पेटी बांध रखी है और खुदाई खिदमतगार भी हो, परन्तु जेल नही जाते। इस बोली-ठिठोली के भय से किसी को जेल नही जाना चाहिये और न ही लोगो को चाहिये कि वे किसी को इस प्रकार की बोली मारें।"

जिन लोगो ने राजनीतिक आन्दोलन देखे हैं, स्वयसेवक (रज़ाकार) देखे हैं, नेता देखे हैं—वे ईमानदारी मे बताएं कि पाकिस्तान में कौन ऐसा नेता है या था, जिसने ऐसी साफ-साफ खुल-खुल कर बातें की हो। खयाल कीजिये अवज्ञा-आन्दोलन सिर पर है। इतना बडा नेता, सीमाप्रान्त का समस्त उत्तरदायित्व उसके सिर पर, आन्दोलन की सफलता-असफलता पर सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रश्न, परन्तु इसके स्थान पर कि वे उन्हें अन्धाधुध भाड में झोकने का प्रयत्न करे और अपने नाम व गौरव के लिये हज़ारो स्वयसेवको को जेल भिजवाने के लिये उत्सुक और उतावला दिखाई दे, यह महानुभाव किस भरोसे, किस विश्वास, किस धैर्य से उन्हे कहते हैं कि सोच-समझ कर आओ और पग उठाओ, तो फिर पीछे मत हटाओ। किसी दबाव, किसी लोभ, किसी बोली के कारण जेल न जाओ।—यह बात हो, तो अब भी इरादा बदल लो। फिर यह कि वहाँ श्रम भी करना होगा। नशा-पानी भी छोडना पडेगा, कष्ट और यातनाएं भी सहन करनी होगी—ये सब बातें सोच लो। इनके लिये अपने आपको तैयार पाओ, तो जेल जाने का नाम लो, अन्यथा आराम से घर बैठो, भावुक न बनो। आन्दोलन को भावुक व्यक्तियो की आवश्यकता नही, धैर्यवान, दृढचित्त और बुलन्द-हौंसला लोगो की आवश्यकता है। सच पूछिये, तो यह बातें बाचा खान जैसा सार्वजनिक, सर्वप्रिय और श्रेष्ठ नेता ही कह सकता है। अन्यथा हमने तो आन्दोलनों में यो देखा है कि चालाक नेताओ ने कुछ व्यक्तियो को केवल जुलूस के साथ जाने पर तैयार किया और किसी थाने के सामने पहुँचते ही नेताओ के

एजेण्टो ने उन बेचारो को अकस्मात् फूलो के हार पहना कर नारे लगाने आरम्भ कर दिये और उन्हे गिरफ्तार करा के अपनी धोखा-बाज़ी पर इतराते हुए लौट आये ।

वास्तव मे बाचा खान के इस आन्दोलन का उद्देश्य ही कुछ और था । वे अपनी पख्तून जाति मे आदर्श व्यक्ति पैदा करना चाहते थे, परन्तु खेद कि वे पैदा न कर सके । क्योंकि उन्हे राजनीति मे आना पडा और काम करने का अधिक अवसर न मिल सका । किन्तु इसमे सन्देह नही कि खुदाई खिदमतगार के सम्बन्ध में बाचा खान की धारणा और कल्पना सदा अत्यन्त ऊँची तथा उत्कृष्ट रही है। वे कर्मण्यता, सच्चरित्रता, सचाई, ईमानदारी, प्रेम-प्यार, धैर्य और सहिष्णुता का एक ऐसा प्रतीक बनाना चाहते थे, जिसका नाम खुदाई खिदमतगार हो ।"

**बाचा खान और अहिंसा—**

> "अहिंसा कम-से-कम मेरा धर्म बन गया है । मैं महात्मा गाधी की अहिंसा को पहले भी मानता था, परन्तु इस प्रयोग या परीक्षण को जो अद्वितीय सफलता मेरे प्रान्त में प्राप्त हुई उसके पश्चात् तो मैं हृदय और प्राणो से अहिंसा का समर्थक बन गया हूँ । ईश्वर ने चाहा, तो मेरे प्रान्त के लोग कभी हिंसा से काम नहीं लेगे । सम्भव है, मै असफल रहूँ और मेरे प्रान्त में हिंसा का तूफान मच जाय । ऐसा हुआ तो मैं अपने भाग्य पर सन्तोष करके बैठ रहूँगा, किन्तु उससे मेरे इस विश्वास में कोई परिवर्तन नही होगा कि अहिंसा अच्छी वस्तु है और मेरी जाति को इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है ।"

यह वे शब्द हैं, जो बाचा खान ने स्वय अपने अहिंसा के विश्वास के सम्बन्ध में कहे हैं और इनमें उनका दृष्टिकोण इतना स्पष्ट है कि इस विषय में और किसी उद्धरण या स्पष्टीकरण की आवश्यकता अनुभव नहीं होती ।

इसमें सन्देह नहो कि अहिंसा का दर्शन बाचा खान ने महात्मा गाधी से लिया और इस बात को उन्होंने स्वीकार भी किया है । परन्तु अन्त में उन्होंने इस वस्तु को इस सीमा तक पहुँचाया कि शायद महात्मा गाधी से भी दो पग आगे निकल गये ।

कांग्रेस के बडे-बडे नेता, जो गाधी जी के बहुत निकट थे, अहिंसा का उस दृढता से पालन न कर सके, जिस दृढता और धैर्य के साथ बाचा खान ने किया ।

इस बात को सभी स्वीकार करते हैं, यहाँ तक कि महात्मा गाधी ने स्वय भी इस बात को स्वीकार किया है। अत सितम्बर १९३९ ई० में महायुद्ध आरम्भ हुआ, तो अखिल भारतीय कॉंग्रेस कमेटी ने सर्वसम्मति से इस युद्ध में अग्रेजो को सहयोग देने की घोषणा की, परन्तु गाधी जी ने युद्ध का विरोध किया और अग्रेजों की सहायता करना अपने अहिंसा के नियमो के विपरीत समझा। इस अवसर पर बाचा खान एकमात्र व्यक्ति थे, जिन्होने महात्मा गाधी जी का साथ दिया और काग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। इस बात से गाधी जी बहुत ही प्रभावित हुए और अपने अखबार हरिजन में लिखा—

"काग्रेस कार्यकारिणी समिति के समस्त सदस्य अपने सिद्धान्त से फिसल गये, परन्तु एक बाचा खान था, जो पर्वत की भाँति अपने सिद्धान्तो पर अटल रहा।"

पण्डित जवाहरलाल नेहरू महात्मा गाधी को अपना गुरु मानते थे और सदा उन्हे बापू जी कह कर पुकारते थे और कभी कोई बात उनकी इच्छा के विरुद्ध नही करते थे, परन्तु उन्हें भी स्वीकार करना पडा कि—

"गाधी जी के बाद खान अब्दुल गफ्फार खान ही ऐसे व्यक्ति हैं, जो अहिंसा को अपना धर्म समझते हैं और अपने सिद्धान्त को किसी भी अवस्था में छोडना पसन्द नही करते। वे इस विषय में गाधी जी के सच्चे अनुयायी हैं और हम मे से कोई भी उनका मुकाबला नही कर सकता।"

बाचा खान अहिंसा को अपनी पश्तून जाति की खराबियो का एकमात्र हल समझते हैं। उनके गृहयुद्ध, नित्य लूट-मार और ज़रा-सी बात पर उत्तेजित होकर अपने भाइयो का गला काटने की बुरी आदतो का इलाज करने के लिये उन्हे यही एक रामबाण प्रयोग दिखाई दिया और इसीलिये उन्होने इसका खूब प्रचार किया। स्वय इसका क्रियात्मक नमूना बन कर दिखाया और भाषणो और लेखो के द्वारा इसके विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला, लाभ बताए और महत्व जताया।

उन्होने इसे और भी अधिक प्रसारित किया और न केवल अपनी स्वाधीनता की लडाई के लिये अहिंसा को एक लाभदायक और अचूक शस्त्र समझा, अपितु इसे ससार के अमन व शान्ति का साधन स्वीकार किया।

"युद्ध दो प्रकार से लड़ा जाता है—एक हिंसा द्वारा, दूसरा अहिंसा द्वारा, अर्थात् सन्तोष ( सब्र ) द्वारा। हिंसा के युद्ध में विजय और पराजय दोनो की सम्भावना होती है। परन्तु अहिंसा के युद्ध में विजय की आशंका या सम्भावना तक नहीं। इसमे सदा ही विजय है। हिंसा से जातियो में घृणा, शत्रुता और द्वेष उत्पन्न होता है और इस का अनिवार्य परिणाम दूसरे और तीसरे युद्ध के रूप मे सामने आता है। परन्तु अहिंसा जातियो मे प्रेम और मैत्री पैदा करती है और इसका परिणाम सुख-शान्ति है।

"यह अहिंसा का युद्ध कोई नया और विचित्र वस्तु नहीं। यह वही युद्ध है, जो आज से चौदह सौ वर्ष पहले हमारे महान् रसूल ने अपने मक्का के जीवन में लड़ा था। परन्तु जो लोग अहिंसा के नियम से अनभिज्ञ हैं, उनको यह भ्रम है कि हम को हार मिली है, परन्तु सत्य यह नहीं है। आपने देखा नहीं कि जब हम १९३१ ई० मे जेलो से बाहर आये तो जाति मे सहानुभूति और प्रीति के भाव कितने बढे हुए थे? फिर १९३२ ई० मे सरकार ने अत्यन्त लज्जा और निन्दाजनक हिंसा व अत्याचार किया और मुझे आपने छः वर्ष के लिये विलग रखा गया। किन्तु सरकार हमारे भावो को न दबा सकी।"

बाचा खान में एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो कुछ वे अपने मुंह से कहते हैं उसका स्वयं आदर्श नमूना बन कर भी दिखाया है। अहिंसा की नीति पर भी वे सबसे पहले स्वयं दृढ़ता से आरूढ हुए। इसके पश्चात् उन्होंने दूसरो को शिक्षा दी। अहिंसा को अपनाने के लिये उन्हे कितनी साधना, कितना तप, त्याग और इन्द्रियनिग्रह करना पड़ा, यह सब कुछ उन्हीं का मन जानता है। वे अपनी त्रुटियो, दुर्बलताओ को नहीं छिपाते, प्रत्युत स्पष्ट शब्दो मे कहते हैं कि मुझ में बहुत त्रुटियां हैं जिनका धीरे-धीरे मैंने सुधार किया और उन पर विजय पाई।

अहिंसा पर भी उन्हें एकदम से अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। अपितु पर्याप्त परिश्रम, पर्याप्त बाह्य और भीतरी संघर्ष के पश्चात् इसे अपने आचरण में ढाला और सच पूछिये, तो एक पठान का अहिंसा पर ईमान लाना है भी

अत्यन्त विचित्र बात है। क्योंकि उसकी शताब्दियो की परम्पराएँ, उसकी आवेष्टनी, उमका वातावरण, उसकी प्रकृति और उसका स्वभाव सब-के-सब इसके विपरीत तथा प्रतिकूल हैं। इसलिये एक साधारण व्यक्ति की अपेक्षा एक पश्तून के लिये अहिंसा को अपनाना अधिक कठिन है और चूंकि बाचा खान भी पश्तून हैं, इसलिये निश्चय ही उन्हे अपनी प्रकृति के विरुद्ध युद्ध करने मे वहुत कुछ करना पडा होगा। परन्तु वे बडे दृढ सकल्प के मनुष्य हैं। जो व्यक्ति अपना राजपाट छोड कर पच्चीस वर्ष कैद व बन्धन में व्यतीत कर सकता है, उसके लिये अपने आप मे परिवर्तन पैदा करना, कि एक नितान्त नये जीवन में ढल जाए, कुछ कठिन नही।

वे अपने अहिंसा के दर्शन को विभिन्न उपायो से प्रस्तुत करके उन लोगो के हृदयगम कराने का प्रयत्न करते रहे हैं। वे एक स्थान पर कहते हैं—

"मानवी विनाश का कारण घृणा है। ससार की सार्वभौम सत्ताएँ जब घृणा की चट्टान से टकराई, तो चूर्ण-विचूर्ण होकर रह गई। विभिन्न सम्प्रदायो, विभिन्न दलो, विभिन्न वर्गो में नही, अपितु एक ही दृष्टिकोण के मानने वाले मित्रों के मध्य घृणा और द्वेष की लपटें उठी, तो वे उनमें भस्म होकर राख का ढेर वन गये।

"भारत की वर्त्तमान खीचातानी और सघर्ष भी घृणा का परिणाम है। क्या एक ही मातृभूमि के बेटे एक-दूसरे को आँखें नही दिखा रहे? घृणा, हत्या और विनाश की जड है। घृणा मानवता के ध्वस का कारण है, घृणा को दूर करने के लिये मेरी यह वात याद रखो कि जिस व्यक्ति के मन में प्रत्येक समय यह विचार रहता है कि अमुक व्यक्ति ने मेरा अपमान किया है, मेरी निन्दा और चुगली करता है, मुझे बरबाद करने की बुरी युक्तियाँ सोचता है, उसके दिल से कभी घृणा नही जाती। परन्तु जिसके दिल में ये विचार नही हैं, उसके दिल में कभी घृणा पैदा नही होती। घृणा घृणा से दूर नही हो सकती, अपितु प्रेम-प्रीति से दूर होती है। इसलिये घृणा पर प्रेम और बुराई पर नेकी द्वारा विजय प्राप्त की जा सकती है।

"क्रोध एक नशा है और इस नशे से अभिभूत होकर मनुष्य बुरे-से-बुरे कार्य कर बैठता है और ऐसी चीजें खो बैठता है कि आयु

भर पश्चात्ताप रहता है और उसका निवारण नही हो सकता। क्रोध के समय मनुष्य की उसकी बुद्धि जवाब दे जाती है और वह अच्छे कार्य का सकल्प नही कर सकता। याद रखो दूसरो को गिराने से कोई व्यक्ति बडा नही हो सकता। यदि कोई व्यक्ति बडा बनना चाहता है, तो उसे चाहिये कि वह मैत्री और प्रेम मे सने हुए भाव अपने भीतर उत्पन्न करे।"

इस स. बन्ध में उनका नवांशहर (ऐबटाबाद) शिविर का तीसरा भाषण बडा उपयोगी, सारगर्भित और ज्ञान-वर्धक है, जिसे मैं सक्षेप मे अपनी अभिरुचि न होते हुए भी यहाँ उद्धृत करने पर बाध्य हूँ।

"लोग कहते हैं, हमारा काम अहिंसा है, तो फिर हम यह परेड क्यो करते हैं? हमारी इन वर्दियो से क्या लाभ है और हमारे ये नियम किस उद्देश्य के लिये हैं? इसलिये मै इस विषय मे आपके प्रति निवेदन करता हूँ कि अहिंसा का यह अभिप्राय नही है कि हम प्रत्येक जैसे-कैसे व्यक्ति के आगे हाथ बाँधे और प्रत्येक व्यक्ति हमारे सिरो पर पैर रखे और हम सिर न उठाएँ। कुछ लोगो का यह भी खयाल है कि हम दुर्बल हैं। हमारा बस नही चलता और जिस समय शक्ति सम्पन्न हो गये, तो फिर हिंसा पर उतर आयेंगे। यह बात सर्वथा गलत है। हम ने जो यह व्रत ग्रहण किया है, तो यह हमारा सिद्धान्त है। हमारा खुदाई खिदमतगारी का मार्ग एक सैद्धान्तिक मार्ग है। यह कुछ दिनो के लिये नही, अपितु सदा के लिये है। इसमें कभी परिवर्तन नही होगा। आज हम दुर्बल हैं और यदि कल हम शक्तिशाली बन गये, तो भी अहिंसा का मार्ग नही छोड़ेंगे। साथ ही आप यह भी समझ लें कि अहिंसा दुर्बल लोगो का काम नही। इन नियमो पर वही जाति चल सकती है जो बलशाली जाति है। उसके इरादे या सकल्प दृढ़ हो और एक उद्देश्य उसके सामने हो। इसलिये मैं आपसे कहता हूं कि खुदाई खिदमतगारी को समझें और इसके नियमो को पहचानें। मैने पहले भी एक उदाहरण प्रस्तुत किया था। आज फिर उसका वर्णन करता हूं। पिछले महायुद्ध मे जर्मनी ने हार खाई, तो उससे युद्ध का तावान मागा गया। कुछ समय तक तो तावान मिलता रहा।

अन्त में दुर्दशा के कारण तावान देना बन्द कर दिया, तो फ्रासीसियो ने उसके बदले जर्मनी का कुछ इलाका लेने का फैसला किया और "राइन लैण्ड" पर अधिकार कर लिया। उस समय जर्मनो ने हिंसा के स्थान पर अहिंसा को ग्रहण किया और वहाँ के लोगो ने फ्रान्स से असहयोग कर दिया। मजदूरो ने कलो, मिलो और कारखानों में काम करना छोड़ दिया। परिणाम यह हुआ कि अन्त में तग आकर फ्रास को विवशत उस इलाके से हाथ उठाना पडा। इसलिये मैं कहता हूँ कि एक शक्ति-सम्पन्न जाति अहिंसा के द्वारा दुर्बल जातियो की अपेक्षा बहुत जल्द सफलता प्राप्त कर सकती है।

"आशा है, अब आप लोग समझ गये होगे कि अहिंसा दुर्बल लोगो का काम नही। अस्तु, इस बात को अपने हृदय से निकाल दें। रही यह बात कि फिर परेड और वर्दियाँ किस लिये हैं ? इस विषय में मैं आपको समझाये देता हूँ कि जिस प्रकार हिंसा की सेना होती है, उसी प्रकार अहिंसा की भी सेना होती है और उसका कार्य अहिंसा है। फिर यह बात भी समझ लीजिये कि प्रत्येक सेना के अपने-अपने तरीके होते हैं। जिस प्रकार हिंसा की सेना का प्रशिक्षण होता है, उनको परेडें सिखाई जाती हैं, उसी प्रकार अहिंसा की सेना की भी एक परेड है और उसका प्रशिक्षण होता है। हाँ, इतनी बात है कि हिंसा और अहिंसा की सेना के प्रशिक्षण में अन्तर है। हिंसा की सेना का काम ज़ुल्म-अत्याचार है, दूसरो को कत्ल करना, घृणा उत्पन्न करना और कष्ट पहुँचाना है और हमारी अहिंसा की सेना का काम किसी को कष्ट पहुँचाना नही, प्रत्युत् जोर और ज़ुल्म सहन करना है, अपने प्राणो का बलिदान करना है, स्वय प्रेम-प्रीति से निर्वाह करना और ससार में प्रेम-प्रीति पैदा करना है। जिस प्रकार हिंसा में चाँद-मारी (लक्ष्यभेदन) सिखाई जाती है, उसी प्रकार हमारी सेना को भी प्रशिक्षण दिया जाता है कि अपने आप में धर्म, सहिष्णुता, सतोष और स्नेह पैदा करें।

हिंसा घृणा है और अहिंसा प्रेम है। मैं आपको बता दूं कि किसी पर हमारा ज़ोर-जबर नही है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी इच्छा

है कि वह इस मार्ग पर चले या न चले। यह बात कदापि अपने मन मे न लाएँ कि आप मेरे साथ न चलेंगे, तो मैं नाराज हो जाऊँगा। यह मेरा कोई निजी काम तो है नही। जाति की सेवा है। मुझे यह मार्ग अच्छा जान पडता है। मैं इस पर चल रहा हूँ। यदि आपको दूसरा मार्ग इससे अच्छा जान पडे, तो आप स्वतन्त्र हैं, जो कुछ आपका मन चाहे, करें। मैंने जितना विचार किया है, इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि अहिंसा में मेरी जाति का बहुत लाभ है और जितने लाभ मुझे इसमें दिखाई दिये हैं, उससे कहीं अधिक हानियाँ हिंसा मे दिखाई देती हैं। परन्तु इस पर भी किसी के विचार में यह मार्ग सही न हो और उसकी दृष्टि में सदेह और शंकाएँ हो, तो वह हमारे साथ बिल्कुल सम्मिलित न हो। इसलिये कि जिनके दिलो में सन्देह होते हैं, वे अपनी निर्दिष्ट मञ्जिल तक नही पहुँच पाते। वे प्रायः मार्ग ही में भटक जाते हैं और मैं ऐसे साथियो को साथ लेने के लिये तैयार नही, जो आधे मार्ग से वापिस हो जायें।"

बाचा खान ने बार-बार जाति के सामने अपनी अहिंसा की नीति की पूरी-पूरी व्याख्या करने का प्रयत्न किया है। विभिन्न उदाहरणो से इसका स्पष्टीकरण किया है, इसका सारा भाव समझाया है और इसके लाभ बताए हैं, हिंसा और अहिंसा की तुलना की है।

वे अहिंसा के युद्ध में विश्वास रखते हैं, जिसमें विजय ही विजय है, सफलता ही सफलता है, जिसमें बलवान से बलवान शत्रु को शक्तिशाली से शक्तिशाली प्रतिद्वन्द्वी को अन्त में पराजित होना ही पडता है, पीछे हटना ही पडता है, हथियार डालने ही पडते हैं।

वे अहिंसा को दुर्बलो और कायरो का हथियार नही समझते, प्रत्युत् बहादुरो और दलेरो का शस्त्र समझते हैं। उनके निकट अत्याचार, हिंसा का सहन करना, दुःख और कष्ट उठाना हर किसी का काम नहीं, प्रत्युत् बडे पराक्रमी, दृढव्रती और परम धैर्यवान लोगों का काम है। कायर और अल्पशक्ति रखने वाले लोग तो थोड़ा-सा भी कष्ट सहन नहीं कर सकते। वे शीघ्र ही बौखला उठते हैं। नाना प्रकार की कडी परीक्षाओ में से गुज़रने, भीषण घटनाओं से दो-चार होने पर भी साहस न तोड बैठना तथा स्थिर चित्त रहना ही वीर

पुरुषो की शान तथा गौरव है, इससे उनकी महानता उजागर होती है और उन के बुद्धि-विवेक का पता चलता है ।

बाचा खान अहिंसा में निष्ठा रखते हैं । विरोधियो ने उन पर अभियोग लगाए और उनकी निन्दा की । उनके विरुद्ध प्रचार करते रहे, परन्तु उन्होने किसी बात की परवा न की और अपने व्रत पर चट्टान की भाँति अटल-अडिग रहे, निश्चल भाव से डटे रहे । वे आज भी अपने इस नियम पर स्थिर हैं और शायद अपने जीवन के अन्तिम सांस तक स्थिर रहे ।

**बाचा खान और अमन—**

बाचा खान की अमन-पसन्दी, शान्तिप्रियता तो इससे विदित है कि वे अहिंसा के दर्शन को जीवन का उद्देश्य समझते हैं । उन्होने पख्तून जाति और अपने खुदाई खिदमतगार दल को शान्ति और अमन की शिक्षा दी और वैध रूप से प्रयत्न जारी रखने का आदेश और उपदेश दिया । आपने अपने मासिक पत्र "पख्तून" में बद अमनी, गडबड, अशान्ति के विरुद्ध दो-तीन लेख भी लिखे, जिनमे से एक लेख के कुछ उद्धरण यहाँ प्रस्तुत किये जाते है—

> "आज मै अपनी जाति की सेवा मे इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको भी चाहिये कि इस समस्या पर विचार करें । यद्यपि आग सदा सूखी लकडियो को लगती है, परन्तु बाद में गीली लकडियाँ भी जल उठती है । कुछ लोगों का यदि यह खयाल है कि हम तो सुरक्षित हैं और दूसरे लोगो से हमारा क्या काम, तो यह खयाल गलत है । यदि गडबड और अशान्ति की यह आग इसी प्रकार लगी रही और आपने इसे दूर करने की युक्ति पर विचार न किया, चिन्ता न की, तो एक मकान भी जलने से सुरक्षित नही रह सकेगा और हमारी जाति तथा देश तबाह और बरबाद हो जायेंगे । यह काम केवल एक व्यक्ति का नही है और न ही मेरे अकेले का है कि मै इस पर सोचूं और आपको समझाऊँ, अपितु यह पठान जाति का कर्त्तव्य है कि इस बात पर विचार और चिन्तन करे तथा अपने आप को और अन्य नासमझ पठानो को सूचित करे । आखिर कब तक हम इस बात को उपेक्षा करते रहेगे और चुपचाप बैठे तमाशा देखते रहेगे तथा ये कष्ट विपत्तियाँ सहन करते रहेगे । हम पशु तो नही है । आखिर मनुष्य है ।

समस्त जीवो से श्रेष्ठ हैं। यदि विद्यावान नही हैं, तो आँखें तो रखते हैं। हमें संसार की दूसरी जातियो को देखना चाहिये कि किस प्रकार वे अपने-अपने देश मे सुख का जीवन गुजार रही हैं। कई लोग इसका उत्तरदायित्व मन्त्रियो पर डाल रहे हैं। परन्तु अकेले मन्त्री क्या कर सकते हैं जब तक कि उनके अधीनस्थ सारे विभागो के उच्च अधिकारी और कर्मचारी सच्चे हृदय और लगन से सहयोग न करें। अकेला मनुष्य संसार मे कुछ नही कर सकता। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि मन्त्रियो के साथ यदि अधीनस्थ कर्मचारी सहयोग नही करते, तो उन्हे नौकरी से हटा क्यो नही दिया जाता। परन्तु उन लोगो को मालूम होना चाहिये कि मन्त्री हटा तो क्या सकेंगे, उनके वेतनो मे से एक पैसा भी कम नही कर सकते। बहुत से लोग कहते हैं कि मन्त्रियो के हाथ में पूरी शक्ति है। यह बात भी गलत है, वास्तविक शक्ति तो गवर्नर के हाथ में है। यदि गवर्नर सहमत न हो तो मन्त्री कुछ भी नही कर सकते। अब इस अवसर पर स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न पैदा होता है कि हमने फिर यह प्राणहीन मन्त्रिमण्डल क्यो स्वीकार किया है। आपको याद होगा कि हमने मन्त्रिमण्डल को सम्भाला था तो इन शर्तो पर और ब्रिटिश सरकार ने वचन भी दिया था कि देश व जाति के सुधार करने और व्यवस्था चलाने के सम्बन्ध मे गवर्नर आपकी सहायता करेगा। अब कहा जाता है कि गवर्नर नेक व्यक्ति है, परन्तु उनके अधीनस्थ कर्मचारी उनकी इच्छा के अनुसार कार्य नही करते। ये आवश्यक घटनाएँ थीं, जिनसे मैंने आपको सूचित किया। अब आप इस ओर ध्यान दें और इन विपत्तियो से अपनी जाति को मुक्ति दिलाने के लिये प्रयत्न करें।"

अब्दुल गफ्फार—'पख्तून' ११ जनवरी १९३९ ई०

उन्हें अपनी जाति की अविद्या और उसके कारण सीमाप्रान्त मे जो हत्याएँ तथा लूट-मार आदि की घटनाएँ होती थीं, उनका पूरा-पूरा ज्ञान था। वे इससे दुःखी रहते थे। वास्तव मे इसी अनुभूति के कारण केवल सुधार के उद्देश्य से और अपने प्रान्त मे शान्ति स्थापित करने के लिये उन्होंने खुदाई खिदमतगार आंदोलन की नींव रखी।

आप शान्ति-प्रियता को संसार की समस्त कठिनाइयो का हल समझते हैं।

दूसरे महायुद्ध में जब अखिल भारत कॉंग्रेस कमेटी ने युद्ध में अग्रेजो की सहायता करने का फैसला किया, तो केवल गाँधी जी ने और आपने उसका विरोध किया तथा आप अपनी खुदाई खिदमतगार सस्था के सहित कॉंग्रेस से त्यागपत्र देकर पृथक् हो गये। क्योकि यह बात आप के आधारभूत सिद्धान्त के विरुद्ध थी। आप युद्ध करने वालो या उनकी सहायता करने वालो—दोनो को अमन व शान्ति का शत्रु समझते हैं। आप ससार में शान्ति स्थापित करने के लिये अहिंसा को सबसे आवश्यक वस्तु समझते हैं।

आप सदा अपने भाषणो में लोगो को शान्ति का उपदेश करते रहते हैं। आप कहते हैं शत्रु को उदारता से क्षमा कर दो और आप स्वय भी ऐसा करते रहे। जो लोग आपको बुरा-भला कहने में सबसे आगे रहे, आपने उनसे भी कभी वैमनस्य नही रखा और सदा उन्हे प्रेम-प्यार से मिले।

१९५४ ई० में आप ६ वर्ष के पश्चात् रिहा हुए और पार्लमिण्ट के अधिवेशन में भाग लेने के लिये कराची गये, तो तत्कालीन गवर्नर-जनरल दिवगत मि० गुलाम मुहम्मद ने आपसे एक भेंट के समय स्वीकार किया कि आपसे अन्याय किया गया है और आशका प्रकट की कि आप लोग दिल में द्वेष न रखें तथा प्रतिशोध लेने का प्रयत्न न करें। इस पर बाचा खान ने कहा, 'मैं और मेरा दल इस बात के घोर विरोधी हैं। हम अपने शत्रुओं को सदा क्षमा करते आये हैं, और आपको भी हमने क्षमा कर दिया है। हमारा हृदय स्वच्छ है। इसमें किसी के विरुद्ध शत्रुता व द्वेष नही और एक सच्चे मुसलमान का हृदय ऐसा ही होना चाहिये।

**बाचा खान जेल में—**

बाचा खान ने प्रत्येक दृष्टि से अपने आपको एक आदर्श व्यक्ति बनाने का प्रयत्न किया। उन्होंने एक समृद्धिशाली घराने में आँख खोली। उनका बडे लाड-प्यार से और सुख-सौहित्य में लालन-पालन हुआ। परन्तु राजनीतिक क्षेत्र में पग रखते ही उन्होने सुख-सौहित्य के समस्त परिधान उतार कर फेंक दिये। ऐश व आराम के जीवन को सदा के लिये भुला दिया और यह सब कुछ उन्होने कई अन्य नेताओं की भाँति केवल दिखाने या प्रदर्शन के लिये नही किया। प्रत्युत दिल से किया, सैद्धान्तिक रूप से किया। वे प्रत्येक समय, सब स्थानो पर, एकान्त में और सभा में एक ही रग में, एक ही रस में, दिखाई दिये, यहाँ तक

कि जेल में भी वे अत्यन्त धैर्य और संतोप से समय व्यतीत करते रहे।

वास्तव मे जेल एक ऐसा स्थान है, जहाँ मनुष्य अपने वास्तविक रूप और प्रकृत हाव-भाव में सामने आ जाता है। बडे-बडे लोग वहाँ जाकर बौखला जाते हैं और अपना मानसिक सन्तुलन अक्षुण्ण नही रख सकते।

बाचा खान जेल के भीतर अत्यन्त शान्ति से समय गुज़ारने मे विश्वास रखते हैं। वे वहाँ झगडा-फसाद करने के घोर विरोधी हैं। जो लोग जेल मे जाकर श्रम से जी चुराते हैं, जेल के कर्मचारियो से अनुचित रूप से काम निकलवाते हैं, घूस देकर सुविधाएँ प्राप्त करते हैं, जेल के अधिकारियो से अकारण लडते-झगडते हैं—बाचा खान ऐसे लोगो को बहुत बुरा समझते हैं। वे कहते हैं, राजनीतिक बन्दी बडे गौरव और प्रतिष्ठा का स्वामी होता है। उसे जेल में बडे गौरव, बडी शराफत और बडे सम्मान से समय गुजारना चाहिये। उसे कोई ऐसी दुर्बलता प्रकट नही करनी चाहिये, जिससे उस पर कोई दोषारोपण हो सके।

वे प्राय कहा करते हैं कि कई लोग जेल जाने को बडा कमाल समझते हैं, और बाहर काम करने से जी चुराते हैं। ऐसे लोग आन्दोलन के लिये कदापि लाभदायक या उपयुक्त सिद्ध नही हो सकते। हमारा वास्तविक उद्देश्य जेल जाना नही है, प्रत्युत काम करना है। उन्होने ऐसे लोगो पर व्यंग करते हुए कहा है कि ये लोग मुझसे कहते हैं, "जिस समय गिरफ्तारियाँ आरम्भ होंगी, तो हमारा ईमान मालूम हो जायगा।" उनका विचार है कि जैसे केवल जेल जाने से हमें स्वाधीनता मिल जायगी, जबकि सत्य यह है कि इस उद्देश्य के लिये जाति मे काम करने की आवश्यकता है। बाचा खान कहते हैं, मैं स्वयं जेल जाना पसन्द नही करता और न ही सहर्ष वहाँ जाने को तैयार हूँ, परन्तु मुझे तो विवशत वहाँ जाना पडता है, क्योकि मैं काम करता हूँ। उस काम के लिये अंग्रेज मुझे नही छोडते और जब मैं उस काम से नहीं रुकता, तो वे मुझे गिरफ्तार करके जेल में बन्द कर देते हैं। दूसरे लोग भी इस तरह गिरफ्तार हो, तो ठीक है, अन्यथा थोथी—खाली-खोली गिरफ्तारी का कोई लाभ नही।

बाचा खान खरी-खरी बातें करने मे सकोच नही करते है। वे कभी अपनी त्रुटि या दुर्बलता को नही छिपाते। उन्होंने खुदाई खिदमतगारो से स्पष्ट शब्दो मे कहा कि १९३२ ई० के अवज्ञा आन्दोलन में उन्होंने जो हिमाकतें की हैं उनसे आन्दोलन को पर्याप्त हानि पहुँची है और जो सम्मान व प्रतिष्ठा उस

सस्था को सरकार की दृष्टि मे पहले प्राप्त थी, वह अब नही रही, क्योकि उसने हमारा कार्य देख लिया है और उसने हमारी कमजोरियाँ भाँप ली हैं ।

उन्होंने ऐसे खुदाई खिदमतगारो पर कडी आलोचना की, जो केवल फैशन के तौर पर जेल जाते है या इसलिये जाते हैं कि उन्हे प्रमाण-पत्र मिल जायगा और उसके द्वारा पाँचो सवारो में शामिल होकर डिस्ट्रिक्ट बोर्डो, म्यूनिसिपल कमेटियो और कण्टोनमेण्ट वोर्डो की मैम्बरी प्राप्त कर सकें ।

वाचा खान १९१९ ई० मे रौलट एक्ट के विरुद्ध आन्दोलन में पहली बार ६ महीने के लिये जेल गये। १९२१ ई० में उन्हे पुन तीन वर्ष के कारावास का दण्ड दिया गया । कैद के इन प्रारम्भिक दिनो में वाचा खान को बहुत कठिनाइयो का सामना करना पडा । उन दिनो जेल की अवस्था अत्यन्त खराब थी । विशेषत राजनीतिक वन्दियो से तो बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था ।

वाचा खान को भारी बेडियाँ पहनाई गई । आपके यौवन का समय था । आप स्वस्थ सवल नौजवान थे । जेल की कोई बेडी उनके पाँवो में नही आती थी । अन्त में किसी न-किसी तरह एक बेडी वलपूर्वक चढा दी गई, जिससे आपके पाँव घायल हो गये और टखनो से रक्त बहने लगा । परन्तु आपसे सहानुभूति प्रकट करने के स्थान पर जेल के अँग्रेज अधिकारी ने कहा, "कोई वात नही, धीरे-धीरे तुम इसके अभ्यासी हो जाओगे ।" और सचमुच वे धीरे-धीरे अभ्यासी हो गये ।

इस कारावास के दौरान में एकान्त कारावास और चक्की के कडे श्रम के कारण आप सख्त बीमार हो गये, यहाँ तक कि आपका पचपन पौंड भार कम हो गया । चीफकमिश्नर ने आपको इस शर्त पर रिहा करना चाहा कि आप देहात के दौरे वन्द कर देंगे । परन्तु आपने इस शर्त पर रिहा होने से इन्कार कर दिया । जेल मे आपने जेल के अधिकारियो को नैतिक शिक्षा देनी आरम्भ कर दी, जिसके फलस्वरूप जेल के एक दारोगा ने नौकरी छोड दी । सरकार ने वाचा खान को इसका उत्तरदायी ठहराया और उन्हें पजाब के किसी जेल में भेज दिया गया ।

उन्होंने कभी जेल के नियमो को भग नही किया, न कभी सुविधाएँ लेने का प्रयत्न किया । आप कहते हैं—एक वार किसी वन्दी ने मुझे गुड लाकर दिया । गुड मेरे पास पडा था कि इतने में सुपरिन्टेन्डेण्ट आ गया और मुझे गुड कम्वल के नीचे छिपाना पडा । इस वात को मैने बाद में बहुत अनुभव किया

और भविष्य के लिये प्रतिज्ञा की कि कभी ऐसा काम नहीं करूँगा, जिससे बाद मे लज्जा उठानी पडे या दिल में भय और डर उत्पन्न हो।

बाचा खान ने अपने जेल के जीवन के सम्बन्ध मे बहुत कुछ लिखा है। अपने भाषणों मे इस पर प्रकाश डाला है। लेख भी लिखे हैं। आपका एक लम्बा सा लेख "बीसवी शताब्दी की सभ्यता और जेलखाने" जो आपके पश्तो के पत्र 'पख्तून' में क्रमश. कई अंको मे छपता रहा है, इस सम्बन्ध में बडा उपयोगी और उपादेय है। उसमे उन्होंने सभ्य और सुसंस्कृत होने की दावेदार अंग्रेज जाति के पाशविक अत्याचारो और निष्ठुर व्यवहार को भली प्रकार नग्न किया है। मैं उस लेख के कुछ उद्धरण यहाँ प्रस्तुत करना आवश्यक समझता हूँ। बाचा खान लिखते हैं—

> "आखिर 'रमजान'[1] समाप्त हुआ और ईद का चांद दिखाई दिया, परन्तु गुलाम जाति की क्या ईद होगी? फिर एक गरीब कैदी की? प्रात समय हुआ। सिपाही आया। उसने मेरी कोठरी का द्वार खोला, तो मैंने उससे कहा—कृपा होगी यदि तुम दारोगा साहिब को सूचना दे दो कि आज ईद का दिन है। मेरे लिये सुपरिन्टेन्डेण्ट साहिब से ईद की नमाज के लिये अनुमति प्राप्त कर लो—और मैं अपनी कोठरी से बाहर निकल आया। बाहर कोई व्यक्ति भी न था, जिसे मै ईद मुबारिक कहता—बस नितान्त अकेला बैठा रहा। यद्यपि जेलखाना मुसलमानों से भरा पडा था, परन्तु जिन नम्बरदार और सिपाही की देख-रेख मुझ पर थी, वे दोनो हिन्दू थे। जेलखाने का यह साधारण नियम है कि राजनीतिक बन्दियो पर यदि वे हिन्दू हो तो मुसलमान और मुसलमान हो तो हिन्दू पहरेदार नियुक्त किये जाते हैं—वैसे तो कभी-कभी जेल के सुपरिन्टेन्डेन्ट, दारोगा और डाक्टर साहिब भी आया करते हैं, परन्तु उस दिन कोई न आया और जब ईद की नमाज का समय निकट आया तो मैंने फिर नम्बरदार से कहा कि आप कृपा करके दारोगा साहिब को फिर सूचना दें कि मेरे नमाज

---

[1] इस्लामी चन्द्र वर्ष का नवाँ महीना, जिसमें मुसलमान रोजे रखा करते हैं।

श्रदा करने के सम्बन्ध में क्या निर्णय हुआ है—नम्बरदार गरीब मारे डर के जाने को तैयार न था। साराश यह कि मैं प्रतीक्षा ही करता रहा और ईद की नमाज़ का समय समाप्त हो गया।

"इस बात पर मुझे बडा दु ख हुआ। मैंने सोचा कि गुलामी कितनी बुरी चीज़ है कि एक गुलाम को अपने धार्मिक कर्तव्य पूरे करने के लिये भी आज्ञा नही मिलती—सारा दिन यो ही व्यतीत हो गया और उस बूढे हिन्दू नम्बरदार के सिवा मैंने किसी और की शक्ल न देखी। जब साय होने को आई तो एक सिपाही आया और मुझे अपनी कोठरी में बन्द करके चला गया। मेरी सारी रात इसी प्रकार शोक और चिन्ता में गुजर गई।

"बहुत-से भोले-भाले लोग और अग्रेज़-भक्त मुसलमान कहते हैं कि अग्रेज़ किसी के धर्म में हस्तक्षेप नही करते। उनके राज में प्रत्येक प्रकार की धार्मिक स्वाधीनता है, परन्तु वह स्वाधीनता कहाँ है ? नि सन्देह उस धर्म को स्वाधीनता अवश्य है, जो उनके हितो को हानि न पहुँचाये।

"प्रात सुपरिन्टेन्डेण्ट साहिब आये, तो मुझसे बातचीत करने लगे। बातो-बातो में मैंने उनसे कहा कि आप तो कहते हैं कि हम किसी के धर्म में हस्तक्षेप नही करते और हिन्दुस्तान में धार्मिक स्वाधीनता है। परन्तु यह विचित्र बात है कि आपने कल मुझे ईद की नमाज़ अदा करने की आज्ञा तक न दी। सुपरिन्टेन्डेण्ट साहिब मुझे क्या उत्तर देते ? उन्होने कोई बहाना बनाने के स्थान पर स्पष्ट-वादिता से काम लेते हुए कहा कि बम्बई की सरकार से पूछना पडेगा। यदि उसने आज्ञा दे दी, तो भविष्य में हम आपको कदापि नमाज़ पढने से नही रोकेंगे। मैंने कहा कि जब दूसरे बन्दी नमाज़ पढते है, तो मुझे क्यों रोका जाता है। वे मेरी बात का कोई उत्तर न दे सके और चले गये। वास्तव मे वे डरते हैं कि दूसरे क़ैदी मुझमे प्रभावित न हो।"

एक और स्थान पर आप कहते हैं—

"चूंकि मैं सर्वथा अकेला था, मेरे साथ बातचीत करने वाला

कोई नही था और भोजन आदि का भी यथोचित प्रवन्ध नही था। इस लिये मैंने दो-तीन वार दारोगा साहिव, सुपरिन्टेन्डेण्ट और डाक्टर से कहा कि मुझे अपना खाना स्वय तैयार करने की अनुमति दी जाय, परन्तु वे कहते थे कि जेल का कानून इस वात की आज्ञा नही देता— मेरे लिये कोई काम न था। सारा दिन वेकार पडा रहता था। मै चाहता था कि खाना पकाने की अनुमति मिल गई, तो मै व्यस्त रहूँगा और गम गलत होता रहेगा। मैंने जेल के अधिकारियो से यह भी कहा कि मैं जमीदारी—कृषि और वाग़वानी का काम समझता हूँ और हज़ारी वाग में मैंने पर्याप्त अनुभव प्राप्त किया है। अच्छा होगा कि आप मुझे इस प्रकार का कोई काम दे दीजिये। इस मे एक तो मेरा जी वहला रहेगा, दूसरा यह कि आपके लिये वाग वना दूंगा और वहुत-सी सब्ज़ी-तरकारियाँ लँगर (भोजनालय) के लिये उगाऊंगा। परन्तु मुझे वे लोग हौवा समझते थे। उनका खयाल था कि मै अपने कारावास अर्थात् इहाते से निकला, तो मुझे देखते ही वन्दियो में एक नया राष्ट्रीयता का भाव उत्पन्न हो जायगा।

"मेरा काम चर्खा चलाना था। पर्याप्त समय इस काम में व्यतीत करता। परन्तु चर्खा चलाने से भी मै चिन्ताओ से जान न छुडा सकता। मेरा स्वास्थ्य धीरे-धीरे विगडता गया और अन्त में मै सख्त वीमार पड गया। जेलखाने का नियम यह है कि जो वन्दी वीमार हो जाता है, उसे हस्पताल ले जाते हैं और वहाँ प्रत्येक वन्दी को चारपाई मिलती है। परन्तु मेरे लिये न चारपाई थी न हस्पताल। हस्पताल मुझे इसलिये नही ले जाते थे कि मेरा भीषण और सक्रामक राजनीतिक रोग कही दूसरे वन्दियो को न लग जाय। मै अपनी कोठरी ही मे भूमि पर पडा रहा। इसी प्रकार रात व्यतीत हो गई। प्रातः डाक्टर आया। उसने देखकर कहा, औषधि भिजवा दूंगा। मैंने कहा, मुझे हस्पताल मे भर्ती कर दें, तो अच्छा होगा। परन्तु उसने कहा कि वह सुपरिन्टेन्डेण्ट की आज्ञा के विना यह काम नही कर सकता। यह कह कर डाक्टर साहिव चले गये और मै यूं ही पडा रहा। ज्वर वढता चला गया और मेरी हालत खराव हो गई। अगले

अदा करने के सम्बन्ध में क्या निर्णय हुआ है—नम्बरदार गरीव मारे डर के जाने को तैयार न था। साराश यह कि मैं प्रतीक्षा ही करता रहा और ईद की नमाज़ का समय समाप्त हो गया।

"इस वात पर मुझे बडा दुख हुआ। मैंने सोचा कि गुलामी कितनी वुरी चीज है कि एक गुलाम को अपने धार्मिक कर्तव्य पूरे करने के लिये भी आज्ञा नही मिलती—सारा दिन यो ही व्यतीत हो गया और उस बूढे हिन्दू नम्बरदार के सिवा मैंने किसी और की शक्ल न देखी। जब साय होने को आई तो एक सिपाही आया और मुझे अपनी कोठरी में वन्द करके चला गया। मेरी सारी रात इसी प्रकार शोक और चिन्ता मे गुज़र गई।

"बहुत-से भोले-भाले लोग और अग्रेज-भक्त मुसलमान कहते हैं कि अग्रेज किसी के धर्म में हस्तक्षेप नही करते। उनके राज में प्रत्येक प्रकार की धार्मिक स्वाधीनता है, परन्तु वह स्वाधीनता कहाँ है ? निसन्देह उस धर्म को स्वाधीनता अवश्य है, जो उनके हितों को हानि न पहुँचाये।

"प्रात सुपरिन्टेन्डेण्ट साहिब आये, तो मुझसे बातचीत करने लगे। वातो-वातो में मैंने उनसे कहा कि आप तो कहते हैं कि हम किसी के धर्म में हस्तक्षेप नही करते और हिन्दुस्तान में धार्मिक स्वाधीनता है। परन्तु यह विचित्र वात है कि आपने कल मुझे ईद की नमाज़ अदा करने की आज्ञा तक न दी। सुपरिन्टेन्डेण्ट साहिव मुझे क्या उत्तर देते ? उन्होने कोई वहाना वनाने के स्थान पर स्पष्ट-वादिता से काम लेते हुए कहा कि वम्बई की सरकार से पूछना पडेगा। यदि उसने आज्ञा दे दी, तो भविष्य में हम आपको कदापि नमाज़ पढने से नही रोकेंगे। मैंने कहा कि जव दूसरे वन्दी नमाज़ पढते हैं, तो मुझे क्यों रोका जाता है। वे मेरी वात का कोई उत्तर न दे सके और चले गये। वास्तव में वे डरतें हैं कि दूसरे कैदी मुझसे प्रभावित न हो।"

एक और स्थान पर आप कहते हैं—

"चूंकि मैं सर्वथा अकेला था, मेरे साथ वातचीत करने वाला

कोई नही था और भोजन आदि का भी यथोचित प्रबन्ध नहीं था। इस लिये मैंने दो-तीन बार दारोगा साहिब, सुपरिन्टेन्डेण्ट और डाक्टर से कहा कि मुझे अपना खाना स्वय तैयार करने की अनुमति दी जाय, परन्तु वे कहते थे कि जेल का कानून इस बात की आज्ञा नहीं देता— मेरे लिये कोई काम न था। सारा दिन बेकार पडा रहता था। मैं चाहता था कि खाना पकाने की अनुमति मिल गई, तो मैं व्यस्त रहूँगा और गम गलत होता रहेगा। मैंने जेल के अधिकारियों से यह भी कहा कि मै जमीदारी—कृषि और बागबानी का काम समझता हूँ और हज़ारी बाग मे मैंने पर्याप्त अनुभव प्राप्त किया है। अच्छा होगा कि आप मुझे इस प्रकार का कोई काम दे दीजिये। इस से एक तो मेरा जी बहला रहेगा, दूसरा यह कि आपके लिये बाग बना दूंगा और बहुत-सी सब्ज़ी-तरकारियां लंगर (भोजनालय) के लिये उगाऊंगा। परन्तु मुझे वे लोग हौवा समझते थे। उनका ख्याल था कि मैं अपने कारावास अर्थात् इहाते से निकला, तो मुझे देखने से बन्दियो मे एक नया राष्ट्रीयता का भाव उत्पन्न हो जायगा।

"मेरा काम चर्खा चलाना था। पर्याप्त समय इस काम में व्यतीत करता। परन्तु चर्खा चलाने मे भी मैं चिन्ताओं से जान न छुडा सकता। मेरा स्वास्थ्य धीरे-धीरे बिगडता गया और अन्त में मैं सख्त बीमार पड गया। जेलखाने का नियम यह है कि जो बन्दी बीमार हो जाता है, उसे हस्पताल ले जाते हैं और वहां प्रत्येक बन्दी को चारपाई मिलती है। परन्तु मेरे लिये न चारपाई थी न हस्पताल। हस्पताल मुझे इसलिये नही ले जाते थे कि मेरा भीषण और भयानक राजनीतिक रोग कही दूसरे बन्दियो को न लग जाय। मैं अपनी कोठरी ही मे भूमि पर पडा रहा। इसी प्रकार रात व्यतीत हो गई। प्रातः डाक्टर आया। उसने देखकर कहा, औषधि भिजवा दूंगा; मैंने कहा, मुझे हस्पताल में भर्ती कर दें, तो अच्छा होगा। परन्तु उसने कहा कि वह सुपरिन्टेन्डेण्ट की आज्ञा के बिना यह काम नहीं कर सकता। यह कह कर डाक्टर साहिब चले गये और मैं [illegible] पड़ा रहा। ज्वर बढता चला गया और मेरी हालत नाजुक हो गई।

दिन साय के लगभग जेल के विजिटर अपने एक मुसलमान साथी के साथ आये। वे अहमदाबाद के रहने वाले थे। उनका नाम सय्यद कादिरी साहिब था और वे एक रिटायर्ड सेशन जज थे जिन्हे पेन्शन मिल रही थी। उन्होने मेरी खराब हालत देख कर बडा आश्चर्य प्रकट किया कि मुझसे इतना खराब व्यवहार किया जा रहा है। मैंने उनसे कहा, इसके उत्तरदायी आप है क्योकि आपने मेरी तरह के हिन्दू बन्दी भी देखे होगे, जिनके साथ मेरी अपेक्षा बहुत अच्छा व्यवहार होता है। इसका कारण यह है कि वह एक जाग्रत जाति के लोग हैं। उनमें नौकर-पेशा लोग हैं, या वे लोग हैं, जो पेन्शन ले रहे है। वे अमीर हैं या गरीब—सबके सब जागरूक हैं। इसलिये उनके कैदियो की जेल मे भी कद्र होती है। परन्तु मुसलमानो को इतना ज्ञान नही कि अपने राष्ट्रीय सेवको से किस प्रकार की सहानुभूति करे। इसलिये अग्रेज मुसलमान नेताओ से ऐसा खराब व्यवहार करते है, ताकि वे इस सेवा से थक जायँ और कोई दूसरा व्यक्ति राष्ट्रीय कामो का नाम न ले।

"कादिरी साहिब मेरी दशा और जेल वालो की लापरवाही से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मेरी बातो का कोई उत्तर न दिया और चले गये। जाते-जाते उन्होने केवल इतना कहा 'खुदा आप पर रहम (दया) करें।' मैं भूमि पर पडा ज्वर में जल रहा था कि थोडी देर बाद एक कैदी चारपाई ले आया और उसे मेरी कोठरी मे बिछा कर मुझे उस पर लिटा दिया। मैं यह समझ गया कि यह भी कादिरी साहिब के प्रयत्न से हुआ है। अब शाम होने लगी। मुझे चिन्ता हुई कि रात कैसे कटेगी। मैने बूढे नम्बरदार को जेलर के पास भेजा कि उससे कहो, मुझे हस्पताल नही ले जाया जाता, तो एक व्यक्ति दिया जाय। उसने आकर कहा, हस्पताल की आज्ञा नही, परन्तु रात के लिये दो व्यक्ति मिल जायेंगे। अस्तु, रात के समय इसी छोटी-सी कोठरी में मेरे साथ दो कैदी और नम्बरदार को बन्द कर दिया गया। मैं सारी रात कष्ट में रहा। रात के अन्तिम भाग में पसीना आया और मेरे समस्त कपडे भीग गये। इस पसीने से ज्वर का जोर कुछ कुछ कम हुआ और मैं सो गया।

"प्रात छोटा डाक्टर आया और उसने कहा, अभी मैं बड़े डाक्टर को सूचित करता हूँ। कल रविवार था। इसलिये वे आये ही नही। मैंने कहा, परन्तु मैं तो परसो से बीमार हूँ। यदि मुझ जैसे कैदी से आप का यह बर्ताव है, तो दूसरो के साथ क्या होगा।

"थोडे समय के पश्चात् डाक्टर साहिब भी आ गये। उन्होने पूछा, आपको क्या कष्ट है? मैंने सारा हाल सुनाया। फिर उसने नुस्खा (योग) लिखा और दोनो चले गये। काफी देर के बाद कम्पाउण्डर आया। उसके पास कुल्ली करने और भाप लेने के लिये पानी का एक पात्र था। उस पात्र में रबड की एक नाली लगी हुई थी। उसने वह नाली मेरे मुँह मे रख दी और कहा, भाप खीचो। परन्तु वहाँ भाप थी ही नही क्योकि पानी ठण्डा हो चुका था। मैं सोचने लगा, बन्दियो का भगवान ही राखा होता है, अन्यथा बुद्धि तो यही कहती है कि यहाँ से एक बन्दी को भी जीवित नही जाना चाहिये।"

कुछ दिनो के पश्चात् जरनैल दौरे पर आये, तो बाचा खान ने उनसे अपनी बीमारी की चर्चा की और कहा कि उन्हे इस स्थान का जलवायु अनुकूल प्रतीत नही हुआ। जरनैल ने उन्हे पजाब मे या सीमाप्रान्त के किसी जेल में भेजने का वचन दे दिया, कोठरी से बाहर सोने की आज्ञा भी दे दी और एक पठान सेवक भी दिया।

यह पठान कैदी यद्यपि शिक्षित नही था, परन्तु लम्बे समय के एकान्तवास के पश्चात् इस साथी के मिलने से बाचा खान बहुत प्रसन्न हुए, क्योकि कम-से-कम बातचीत करने की स्थिति पैदा हो गई थी। फिर एक दिन उन्हे सुपरिन्टेन्डेण्ट ने बताया कि पजाब और सीमाप्रान्त के जेल वालो ने उन्हे लेने से इन्कार कर दिया है।

बाचा खान इन्फ्लुएन्ज़ा के रोग से मुक्त हुए, तो कानो मे फुन्सिया निकल आई, जिनकी पीडा और कष्ट ने बहुत दिनो तक आपको परेशान रखा।

बाचा खान उसी लेख में आगे चल कर लिखते हैं—

"कैद और जेलखानो ने मुझे बहुत लाभ पहुँचा है। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि यदि मुझे अग्रेजो ने गिरफ्तार न किया होता और बार-बार कैद न किया होता, तो कभी इस योग्य न होता कि मैं

ईश्वर के प्राणियो की कुछ सेवा करता और न ही मुझे ऐसा ज्ञान और वुद्धि प्राप्त होती तथा न ही इतनी जानकारी और अनुभव उपलब्ध होते।—प्रत्येक समय और प्रत्येक वार जव भी मैं जेल गया हूँ, मैंने उससे वहुत लाभ उठाये हैं, तथा अपनी आदतो, त्रुटियो का सुधार किया है और जव जेल से वाहर आया हूँ, तो नयी-नयी शिक्षाएँ सीखकर साथ लाया हूँ। मेरा तो यह विचार है कि जेलखाना वुद्धि-विवेक, ज्ञान और मन-शोध के लिये एक वहुत वडा विद्यालय है। शर्त यह है कि कोई वन्दी अपना समय व्यर्थ न गँवाए और उससे लाभ उठाने का प्रयत्न करे। मेरा तो यह अनुभव है कि जेलखाने में जितनी तकलीफें और मुसीवतें मुझ पर पडी हैं, मैं तो उन ही के कारण अपनी त्रुटियो का सुधार करने में सफल हुआ हूँ। वैसे तो मेरे वहुत से भाई जेल गये हैं और उन्होने पर्याप्त कष्ट भी सहन किये हैं, परन्तु मुक्ति के पश्चात् उनके चरित्र में सुधार नही हुआ। इसका कारण यह है कि उन्होने कारा-वास ही को वडा वलिदान समझा और लाभ उठाने का प्रयत्न नहीं किया। उन्होने वहाँ निजी सुख और सुविधाओ के लिये झगडों ही में सारा समय व्यतीत किया। अपनी त्रुटियों के सुधार के लिये कदापि प्रयत्न नही किया।"

वाचा खान के सम्बन्ध में यह वात लिखी जा चुकी है कि वे जेल के अधिकारियो से लडने-झगडने के विरोधी हैं और उनके वन्दी जीवन में वहुत कम ऐसे अवसर आये, जव कोई ऐसी नौवत आई हो। आरम्भ में दो-चार वार जेल-अधिकारियों से आपकी इस वात पर झडपें हुई कि आपसे भेंट करने के लिये जो लोग आते, आप उनसे पश्तो में वातें करते और अधिकारी अनुरोध करते कि ये वातें उर्दू में की जायें। परिणाम यह हुआ कि आपने भेंटें करने से ही इन्कार कर दिया।

इसके अतिरिक्त आपने जितना समय जिस-जिस जेल में गुजारा, वहाँ के अधिकारी आपकी सदा प्रशसा करते रहे और स्वीकार किया कि आपके धैर्य, सतोप और सच्चरित्रता का उदाहरण नही मिलता।

**वाचा खान मुसलमान के रूप में—**

एक वार डाक्टर खान साहिव से किसी ने पूछा कि आप नमाज क्यों नहीं

पढते, तो उन्होने मुस्कुरा कर कहा—

"मेरे हिस्से की नमाजें भी बाचा खान ही पढ लेते हैं"।

महात्मा गांधी जी ने कहा था—

"बाचा खान इतना पक्का मुसलमान है कि मैंने वर्धा के निवास के दौरान में इन्हे नमाज़ क़ज़ा करते (न पढते) नहीं देखा।"

महादेव देसाई का अभिमत था—

"मैं जितने मुसलमान मित्रो से मिला हूँ, उनमें से किसी को भी बाचा खान से अधिक ईमानदार और सच्चा मुसलमान तो क्या, इसके बराबर भी नहीं पाया।"

सैयद सिब्त हसन लिखते हैं—

"जब मैं मिण्टगुमरी जेल के शाही वार्ड में दाखिल हुआ, तो देखा कि बाचा खान भूमि पर मुसल्ला[1] बिछाए रात की नमाज़ अदा करने में व्यस्त हैं ! सिर पर जेल का तौलिया बन्धा है। काजल-रंग का कुरता और पाजामा धारण कर रखा है और ऊपर एक खद्दर की रुईदार सदरी है। उनका रंग, जो किसी जमाने में अरुण था, पीला पड़ गया था। चेहरे और हाथों पर झुरियां और बढ़ गई थीं। वे सिजदे में झुकते, तो एक हाथ कमर पर रख लेते और जब सिजदे से उठते, तो पीड़ा से उनके मस्तक पर असंख्य बल उभर आते। वे बीमार थे।"

बाचा खान के जीवन पर दृष्टि डाली जाय, तो एक वस्तु जो सबसे अधिक उजागर दिखाई देती है, वह नमाज़ और रोज़ा की पाबन्दी है। उनके घनिष्ठ साथियो का कहना है कि अपने इस व्यस्त जीवन में किसी अवस्था में भी उन्होंने नमाज कज़ा (भग) नही की।

बहुत कम लोगो को मालूम होगा कि उन्होने हज भी किया है, परन्तु चूंकि वे दिखावे को पसन्द नही करते, न ही अपने मुंह से अपनी बडाई करने की सनक रखते हैं, इसलिये आज तक किसी से हज की चर्चा करने की आवश्यकता उन्होने नही अनुभव की।

---

१. वह दरी या कपड़ा, जिसे नीचे बिछा कर नमाज़ पढ़ी जाती है।

उन्होने कुरआन शरीफ पढा है, व्याख्या पढी है। हदीसो के ग्रन्थ पढे हैं और धार्मिक तथा इस्लामी पुस्तको का गम्भीर अध्ययन किया है। विशेषत 'सीरते-नबवी' से वे बहुत ही रुचि रखते हैं और नबी करीम तथा सहबाए-उज्जाम (हज्रत मुहम्मद साहिब के बडे-बडे मुसलमान मित्रो और साथियों) के आदेशो का पालन करने का पूरा प्रयत्न करते हैं।

बाचा खान का सादा जीवन, सादा भोजन, सादा स्वभाव, सादा रहन-सहन और सादा हावभाव सब-के-सब इस बात के द्योतक हैं कि आप इस्लामी शिक्षा-दीक्षा का पूरा-पूरा पालन करते हैं।

वे इस्लाम धर्म को सच्चा और अन्तिम धर्म समझते हैं और रसूल करीम को सच्चा नेता, उपदेष्टा और अन्तिम पैगम्बर मानते हैं। वे कुरआन की शिक्षा को मनुष्य की मुक्ति का एकमात्र साधन समझते हैं।

उन्होंने आरम्भ ही से इस्लामी नियमो पर अपने खुदाई खिदमतगार आन्दोलन की नीव डाली। उस समय पश्तून जाति को वाणिज्य-व्यवसाय की समझ-बूझ नही थी और कुछ पूंजीपति सारे प्रान्त के व्यापार पर छाये हुए थे। आपने पश्तूनो में व्यापार की रुचि उत्पन्न की और उन सूदखोर बनियो का घोर विरोध किया।

आपने अंग्रेजो शिक्षा का भी विरोध किया और स्वतन्त्र जातीय विद्यालयों की स्थापना करके उनमें इस्लामी शिक्षा देने का प्रबन्ध किया।

जब अंग्रेजो ने खुदाई खिदमतगार आन्दोलन को कुचलने का तहय्या कर लिया और कुछ मित्रों ने परामर्श दिया कि इसे किसी दूसरी सस्था में समाहित करने ही से इस आन्दोलन का बचाव हो सकता है, तो सबसे पहले आपने मुस्लिम लीग और अन्य सस्थाओ के पास अपने आदमी भेजे ताकि उनसे बात-चीत की जाय। परन्तु जब उन्होने परवा न की, तो विवश होकर कांग्रेस का निमन्त्रण स्वीकार करके उसके साथ एकता स्थापित कर ली।

आपने हिज्रत के आन्दोलन में न केवल सक्रिय भाग ही लिया, प्रत्युत् स्वय भी सब कुछ छोड कर अपने प्यारे देश से चले गये—हिज्रत कर गये।

आप खिलाफत कमेटी के प्रधान रहे।

आपने हिलाले अह्मर कमेटी मे बढ-चढ कर भाग लिया।

और इसके अतिरिक्त आप प्रत्येक इस्लामी आन्दोलन में सदा आगे रहे।

आपके खुदाई-खिदमतगार आन्दोलन का झण्डा लाल है, जो इस्लामी चिह्न है और इसके नारे सदा "इस्लाम आज़ाद", "कुरआन आज़ाद" आदि रहे हैं।

आपके आन्दोलन का नाम "खुदाई ख़िदमतगार" स्वय इस्लामी भाव-आत्मा का द्योतक है।

खुदा पर उनका विश्वास इतना दृढ है कि बडी-से-बडी परीक्षा में भी वे कभी नही डगमगाए। अस्तु, जब १७ दिसम्बर १९३४ ई० में आपको वर्धा में गिरफ्तार किया गया, तो आपने कहा—

> "यह सब खुदा की इच्छा से हो रहा है। जब तक उसने मुझ से बाहर काम लेना था, बाहर रखा। अब उसकी इच्छा है कि मैं जेल के भीतर सेवा करूँ, तो मैं जेल जा रहा हूँ। जिस बात में वह प्रसन्न है उसमें मैं भी प्रसन्न हूँ।"

आप अपने भाषणो मे प्राय कुरआन हकीम की पवित्र आयतो और हदीसो के हवाले देते हैं। उदाहरण देखिये—

> "खुदा ने कुरआन पाक में स्पष्ट शब्दो में कहा है कि मैं संसार में किन लोगों को खुशहाल रखता हूँ और यह भी कहा है कि मैं उस जाति से राज्य छीन लेता हूँ, जो ज़ालिम हो, अपनी जाति पर घोर अत्याचार करे, जिसमें न्याय न हो। ऐसे लोग मुझे भूल जाते हैं। मुझे छोड़ देते हैं, तो फिर मैं भी उन्हें छोड़ देता हूँ और अपनी कृपा-अनुकम्पा से वंचित कर देता हूँ।"

× × ×

> "काम-काज हमारा सामाजिक कर्तव्य ही नहीं, अपितु धार्मिक कर्तव्य है। रसूले पाक कहते हैं—"अलकासब हबीब अल्लाह," अर्थात् जो कोई कस्ब (काम-काज) करता है, खुदा (ईश्वर) उसे दोस्त रखता है—उससे मित्रता रखता है।"

× × ×

> "अल्लाह तआला ने पवित्र कुरआन में कहा है कि हे लोगो! तुम मुझ पर ईमान लाये हो, तो ऐसी बातें मत करो, जो तुम नहीं करते हो। क्योंकि खुदा के निकट यह बड़ा अपराध है कि मनुष्य जो कुछ कहे उस पर अमल न करे।"

"ईश्वर का कथन है कि प्रत्येक घटना के लिये एक न्याय है, एक इहसान है—न्याय यह है कि तुम्हे यदि कोई थप्पड़ मारे, तो तुम भी उसे थप्पड़ मारो। तुम्हारे भाई को कोई क़त्ल करे, तो तुम उसे कत्ल करो—परन्तु इहसान यह है कि यदि तुम पर कोई अत्याचार करे, तो तुम उसे क्षमा कर दो। और इहसान न्याय से अच्छा है। जो व्यक्ति किसी को क्षमा कर दे, तो खुदा के निकट उसका बहुत बड़ा दर्जा है।"

× × ×

"एक हदीस में आया है कि रसूल ने अपने मित्रो और साथियो से पूछा, 'तुम किस व्यक्ति को बहादुर समझते हो ?' मित्रो-साथियों ने उत्तर दिया, 'उसे जिसे युद्ध में कोई गिरा न सके।' आपने फरमाया, 'नहीं, ऐसा नहीं है। बहादुर व्यक्ति वह है कि जो क्रोध में अपने मन को वश में रखे'।"

× × ×

मौलाना अबुल कलाम आजाद अपनी 'तफसीरे तर्जुमानुल-क़ुरआन' में लिखते हैं, "यदि आप सारा क़ुरआन पढ लें, तो आपको मालूम होगा, कि क़ुरआने-पाक ने मनुष्य के लिये एक विशेष धारणा स्थापित की है और वह यह है कि इस्लाम की नींव दया और प्रेम पर रखी है, एक हदीस शरीफ है कि भगवान की पवित्र दया उन लोगों पर है, जो ईश्वर के प्राणियों पर दया करते हैं। कुरआन-शरीफ की एक आयत का अनुवाद है कि खुदावन्दे-करीम की प्रीति उस व्यक्ति के साथ है, जो अपना क्रोध पचा लेता है और भगवान् के जीवों को क्षमा कर देता है।"

× × ×

अध्यात्मवाद—

बाचा खान को अध्यात्मवाद या ब्रह्मज्ञान से विशेष रुचि है। वे बार-बार इस बात की चर्चा करते हैं कि खुदाई खिदमतगार आंदोलन एक आध्यात्मिक आंदोलन है। परन्तु वे पीरी-मुरीदी (गुरु और शिष्य परम्परा) या खानकाही दरवेशी (मठो की महन्ती या फकीरी) में आस्था नही रखते इसीलिये साथ ही

साथ वे इस बात को स्पष्ट शब्दो में कहते हैं कि 'मैं नही चाहता कि तुम पीर समझ कर मेरे हाथ चूमो, पांव पडो और मेरी पूजा करने लगो, प्रत्युत मैं तो तुमसे कर्म और केवल कर्म चाहता हूँ।' वे अपने आंदोलन को आध्यात्मिक आंदोलन इसलिये कहते हैं कि वे इसके द्वारा अपनी जाति के अन्त करण की शुद्धि करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनके अनुयायी—

भूठ कहना छोड दें।

एक दूसरे की बुराई न करें।

क्रोध और रोष के आवेश मे आकर एक-दूसरे को हानि न पहुँचाएँ।

नमाज-रोज़ा के दृढप्रतिज्ञ रहे। शिक्षा प्राप्त करने की लगन पैदा करें।

प्रत्येक व्यक्ति मे प्रेम-प्रीति से वर्ताव करें।

निष्काम भाव मे मानव मात्र की सेवा करें।

सारे ससार के मनुष्यो को एक दृष्टि से अर्थात् समान भाव से देखें।

सादा और प्रपचरहित जीवन अपनाएँ।

शुद्ध कमाई करें और किसी के माल की ओर बुरी दृष्टि से न देखें।

संयमी रहे और आचरण शुद्ध रखे।

स्वतन्त्र रहकर जीना और स्वतन्त्र रहकर मरना सीखें।

स्वयं बाचा खान ने अपने जीवन मे आरभ ही से मन की शुद्धि के लिये प्रयत्न आरभ किया और अखण्ड साधना से उसे एक उच्च व उत्कृष्ट स्थान पर पहुँचाया। इस मन शुद्धि ने उनमें बड़ा आध्यात्मिक आकर्षण और सौम्यता पैदा कर दी तथा उनके व्यक्तित्व में ऐसा जादू भर दिया कि लोग उनकी ओर अपने आप खिचने लगे।

बाचा खान के व्यक्तित्व को महान् बनाने में उनकी आध्यात्मिकता का बडा हाथ है। आज तक मैंने कोई ऐसा व्यक्ति नही देखा, जो एक बार उनसे मिलने के बाद उनके व्यक्तित्व से प्रभावित न हुआ हो।

महात्मा गाधी से मिलने और उनके जीवन का अध्ययन करने के बाद बाचा-खान को उनसे जो श्रद्धा और स्नेह पैदा हुआ वह इसी आध्यात्मिक आकर्पण का कारण था। गाधीजी भी इसीलिये बाचा खान से बहुत प्रभावित हो गये थे, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक व्यक्तित्व के मालिक थे। जिस प्रकार गाधीजी के विरोधी भी उनके राजनीतिक व्यक्तित्व को माने या न मानें, परन्तु उनके

आध्यात्मिक व्यक्तित्व से इन्कार नही करते, उसी प्रकार बाचा खान की आध्यात्मिकता को भी मित्र और शत्रु सभी स्वीकार करते हैं। कई लोग तो महात्मा गाधी और बाचा खान दोनो को आध्यात्मिक नेता मानते हैं और उनके राजनीतिक जीवन को भी आध्यात्मिकता ही का एक पहलू समझते हैं।

बाचा खान मन के मारने अर्थात् मन सयम पर अधिक ज़ोर देते हैं। उन का विश्वास है कि काम-वासनाओ तथा इच्छाओ को छोड कर ही मानव अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। उन्होने अपने आपको किसी चीज़ का व्यसन नही डाला। केवल चाय की आदत थी, वह भी छोड दी। शेष ले दे के एक खाने की आदत अवश्य है, परन्तु इस सम्बन्ध मे भी हालत यह है कि प्राय दिन में एक ही बार भोजन करते हैं और कई बार दिन में एक बार भी नही करते।

जिन दिनों वे वर्धा में ठहरे हुए थे उन दिनो महात्मा गाधीजी से उनकी राजनीतिक बातचीत बहुत कम होती थी, प्रत्युत अधिकतर आध्यात्मिक सत्सग होते। उन दिनो वे आपस में कोई बात न करते, अपितु एक दूसरे के आमने-सामने चुपचाप बैठकर ईश्वर-चिन्तन में मग्न रहते। बाचा खान वहाँ प्रतिदिन प्रात आश्रम जाते। जहाँ गाधी जी से रामायण सुनते। प्रात और साय दोनो समय प्रार्थना में भाग लेते और भजन सुनते।

ये सत्सग कितने प्यारे, कितने मनोहर होंगे, कुछ वही लोग जान सकते हैं, जो इस मार्ग के राही हैं। किसी भी रुचि का व्यक्ति हो, उसे अपनी सी रुचि वाले व्यक्ति से मिल कर कितना हर्ष, कितनी तुष्टि और कितना सुख प्राप्त होता है। बाचा खान ने भी वह समय, जो गाधी जी के सत्सग में व्यतीत किया शायद उनके जीवन में सबसे मूल्यवान समय था। परन्तु कर्तव्य-ज्ञान की यह स्थिति थी कि उनके मधुर और प्राणपोषक सत्सग में भी वे अपने कर्त्तव्य के प्रति सजग रहे और गांधी जी से आज्ञा लेकर बगाल तथा दूसरे इलाकों के दौरे करते रहे।

आपने पावन कुरआन के अतिरिक्त गीता, ग्रन्थ साहिब और बाइबल का अध्ययन भी किया। उनका कथन है कि आपस के मेल-मिलाप और एक-दूसरे को समझने के लिये आवश्यक है कि हम दूसरे धर्म वालो के धार्मिक ग्रन्थ पढ़ें, उन्हें निकट से देखें और समझने का प्रयत्न करें।

आप बहुत बडे राजनीतिक नेता हैं, आपका सारा समय भीडों व संघर्ष में व्यतीत होता है। परन्तु एकान्तवास आपको इतना भाता है कि जितना समय भी सम्भव हो, बचा कर आप एकान्तवास मे व्यतीत करते हैं। एकान्तवास में आप ईश्वर-चिन्तन और परम साधना मे तल्लीन रहते हैं। यह चीज़ आपका आध्यात्मिक भोजन है और इसके बिना आप जीवन की कल्पना भी नही कर सकते।

आचरण—

बाचा खान आचरण की दृष्टि से बहुत ऊंचे मनीषी हैं। वे ससार मे किसी से घृणा नही करते अपितु यूं कहना चाहिये कि वे घृणा कर ही नही सकते। अपने शत्रुओ से भी प्रेम-प्यार से मिलते हैं और प्रसन्नचित्त से उनके प्रति व्यवहार करते हैं। उनका चरित्र बहुत ऊँचा है, इतना ऊँचा कि आज तक किसी को उन पर उगली उठाने का साहस नही हुआ। वे स्वय सच्चरित्रता के प्रतीक हैं और अपने अनुयायियो को सदा सच्चरित्र बनने और आचरण को ऊँचा करने का उपदेश देते हैं। वे कहते हैं—

> "ख़ुदाई ख़िदमतगार आन्दोलन एक धार्मिक, नैतिक और राजनीतिक आन्दोलन है। इसका उद्देश्य मानवमात्र की सेवा और उनमें प्रेम-प्रीति, सहानुभूति, हितैषिता और भ्रातृभाव पैदा करना है। प्रत्येक ख़ुदाई ख़िदमतगार का कर्तव्य है कि वे हत्या, लूटमार, डकैती, निर्लज्जता, मद्यपान और प्रत्येक प्रकार के दुराचरण से बचे। झूठ बोलना, निन्दा करना, चुगली करना, ईर्षा-द्वेष, पक्षपात, पार्टी-बाज़ी, प्रतिशोध लेना इस आन्दोलन के पवित्र नियमों के विरुद्ध है। ख़ुदाई ख़िदमतगार को चाहिये कि वह स्वार्थपरता, धोखा-प्रवंचना, लोभ-लालच, काम-वासना तथा अभिमान से बचे, क्योंकि यह बुरी आदतें मनुष्य की घोर शत्रु हैं।"

उनकी इच्छा थी कि समस्त अनुयायीगण को सच्चरित्रता का नमूना बना दें और वे इसके लिये भरसक प्रयत्न करते रहे। अपने भाषणों, लेखों, और साधारण वार्तालाप में सदा लोगो को सदाचार का उपदेश और शिक्षा देने का कोई अवसर भी वे हाथ से नही जाने देते। वे अपने उद्देश्य मे कहाँ तक सफल हुए, इसके सम्बन्ध में तो हम कोई अधिक आशा बढाने वाली राय नही दे सकते,

परन्तु इतनी बात तो हमारे देखने में आई है कि कम से कम उनकी उपस्थिति में किसी ख़ुदाई खिदमतगार को सिगरेट, हुक्का पीने, नसवार फांकने या किसी प्रकार की भी कोई असभ्य चेष्टा करने का साहस नही हो सकता, यहाँ तक कि अतिथियो को कोई चाय या खाने के सम्बन्ध में नही पूछ सकता।

**बाचा खान की हितैषिता—**

बाचा खान एक आध्यात्मिक मनीषी होने के कारण बहुत विशाल-हृदय और उदार विचारक सिद्ध हुए हैं। आप समस्त धर्मों का आदर करते हैं, उनके नेताओ और महापुरुषो को मानते हैं और किसी भी धर्म के मानने वालो के दिल दुखाने या उन्हें अप्रसन्न करने को बहुत बडा अपराध समझते हैं। उनका विश्वास है कि ससार के समस्त धर्मों के मूलभूत नियम या सिद्धान्त समान हैं, केवल शाखाओ अर्थात् ऊपर की बातो में अन्तर है, क्योकि प्रत्येक धर्म में उस देश का रग और गध विद्यमान है, जहाँ उसका प्रादुर्भाव हुआ। आदाहरणार्थ उनका कथन है—

"एक साधारण-सा उदाहरण लीजिये—इस्लाम और हिन्दू धर्म दोनों में सफाई पर बडा जोर दिया गया है। सफाई के विषय में इन दोनों में कोई मतभेद या अन्तर नहीं, परन्तु कार्य-पद्धति में थोडा अन्तर है। इस्लाम में शुष्क दातुन करने का आदेश है और हिन्दूधर्म में हरी दातुन करने का—इस्लाम में जिस समय नहाना उचित हो, उस समय स्नान करने का आदेश है, परन्तु हिन्दूधर्म में प्रतिदिन या दिन में कई बार स्नान करना आवश्यक है। इन बातो से विदित होता है कि चूँकि हिन्दूधर्म ने दोआबा ( दो नदियों के मध्यवर्ती भूखण्ड) में जन्म लिया, जहाँ पानी का प्राचुर्य था, इसलिये प्रतिदिन स्नान करने का आदेश दिया। और इस्लाम एक ऐसे मरुस्थल से आरम्भ हुआ, जहाँ प्राय पानी का मिलना कठिन था। इसलिये उसने आवश्यकता के अनुसार स्नान का हुक्म दिया परन्तु इसका यह अभिप्राय तो कदापि नहीं कि यदि कोई मुसलमान प्रतिदिन स्नान करे या हरी दातुन का प्रयोग करे, तो उसे इस्लाम से निकाल दिया जाय। कार्य-पद्धति या अनुष्ठान के विषय में विभिन्न धर्मों में जो अन्तर पाया जाता है, उससे केवल स्थानीय परिस्थितियो की

विभिन्नता का पता चलता है, कोई सैद्धान्तिक अन्तर नहीं जान पड़ता। इसलिये मैं किसी के धर्म में कोई हस्तक्षेप क्यों करूँ। यह तो असम्भव है कि सारे संसार का एक धर्म हो जाय। प्रत्येक जाति अपने ही धर्म से आदेश प्राप्त करेगी। इसलिये एक जाति का दूसरी जाति के धर्म में हस्तक्षेप करना व्यर्थ है।"

यही नही, अपितु एक बार महात्मा गाधी ने वाचा खान से डाक्टर खान साहिब की अंग्रेज बीवी के सम्बन्ध मे पूछा कि आया वह मुसलमान हुई है या नही, तो उन्होने कहा कि वह नियमित रूप से मुसलमान नही हुई और इसकी आवश्यकता भी क्या है। उसे इसकी पूरी स्वतन्त्रता प्राप्त है कि उसकी जो भी धारणा और विश्वास हो उसी का अनुसरण करे। मैंने कभी इस विषय में हस्तक्षेप नही किया। आखिर पति और पत्नी अपने-अपने धर्म के क्यो न पावन्द रहें और विवाह धर्म के परिवर्तन का कारण क्यों हो।

वाचा खान को धार्मिक भेदभाव और द्वेष या पक्षपात से बहुत घृणा है। इस सम्बन्ध में वे एक घटना का उल्लेख करते हैं कि वे कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन मे भाग लेने के लिये गये। वहाँ एक हिन्दू सदस्य को, जो उनके साथ जेल में रह चुका था, प्यास लगी और उसने पानी पीना चाहा। वहाँ सयोगवश पानी पीने का पात्र विद्यमान न था। वाचा खान ने अपने लोटे से उसके हाथो पर पानी डाला और जब आप उसे इस प्रकार पानी पिला रहे थे, तो किसी ने उनका फोटो ले लिया। वह फोटो चित्र दैनिक "ट्रिब्यून" में छप गया, फिर क्या था, विरोधियो ने इस बात को खूब उछाला और आपके विरुद्ध अत्यन्त विषभरा प्रचार किया। उन्होने खुदाई खिदमतगारो से कहा कि "देखो यह तुम्हारे पठानो का नेता है, जो एक हिन्दू को पानी पिलाता है।"

वाचा खान अत्यन्त आश्चर्यचकित होकर कहते हैं कि आज तक उनकी समझ में यह बात नहीं आ सकी कि आखिर खुदा के किसी जीव को पानी पिलाने में क्या दोष है और इसे कई अक्ल के अन्धे पाप और अपराध क्यों समझते हैं।

उनका कहना है कि पवित्र कुरआन में स्पष्ट लिखा है कि संसार की प्रत्येक जाति के लिये अल्लाह तआला (ईश्वर) ने हादी (नेता, महापुरुष) भेजे और वे सब 'अह्ले किताब' थे—अर्थात् वे सब धर्म में किसी न किसी ईश्वरीय पुस्तक को मानने तथा उनके आदेशो का पालन करते थे। इसलिये कोई कारण नही

कि हिन्दुस्तान को उससे वचित रखा गया हो। साधारण लोग हिन्दुओ को अह्ले किताब (ऐसे लोग, जिनको ईश्वरीय ग्रन्थ प्राप्त हो) इसलिये नही मानते कि उनकी किताबो (ग्रन्थो) के नाम कुरआन शरीफ में नही मिलते।—बाचा खान कहते हैं, कुरआन शरीफ में जो नाम लिखे हैं वे केवल उपमा-स्वरूप या उदाहरण स्वरूप हैं। उसमें ससार की समस्त जातियो, उनके पैगम्बरो (धर्म-नेताओ) और उनके पवित्र ग्रन्थो की पूरी सूची क्यो कर सम्पादित की जा सकती थी।

इसी प्रकार वे अपने एक भाषण में कहते हैं—

> "रसूले-करीम की यह हदीस आपने पढी होगी, "खैरुन्नास मिन यनफाउन्नास—" 'ससार में बहुत ही सम्मान योग्य और उत्तम मनुष्य वह है जो मनुष्य को लाभ पहुँचाये।' आप विचार करें, तो इस हदीस शरीफ में "नास" कहा गया है और "नास" केवल मुसलमान के लिये नहीं प्रत्युत इसका अभिप्राय या अर्थ मनुष्य मात्र है। मनुष्य मात्र को ( केवल मुसलमान ही को नहीं ) लाभ पहुँचाने वाला मनुष्य ही श्रेष्ठ और सम्मान-योग्य मनुष्य है।"

**बाचा खान पत्रकार और साहित्यिक के रूप में—**

बाचा खान को साहित्य और पत्रकारिता से बहुत रुचि है और जाति की उन्नति के लिये देश में स्वतन्त्र पत्रकारिता की अत्यन्त आवश्यकता अनुभव करते हैं, विशेषत पश्तो भाषा में पत्रकारिता का अभाव उन्हें बहुत ही अखरता है। उनकी शिकायत है कि पश्तून जाति का धनाढ्य वर्ग और अंग्रेजी लिखे-पढे नौजवान अपनी भाषा व साहित्य की उन्नति की ओर कुछ भी ध्यान नहीं देते। इसलिये जहाँ कई छोटी-छोटी आयु की भाषाओं में बहुत से दैनिक और साप्ताहिक पत्र निकल रहे हैं, वहाँ पश्तो ऐसी प्राचीन भाषा में अभी तक इस बात की सम्भावनाएँ सीमित दिखाई देती हैं।

बाचा खान ने सदा राजनीतिक कार्यो में अत्यन्त व्यस्त रहते हुए भी पश्तो भाषा, पश्तो साहित्य और पत्रकारिता की उन्नति के लिये यथाशक्ति काम किया है।

उन्होंने सबसे पहले १६२८ ई० में अपना विख्यात मासिक पत्र 'पश्तून' निकालना आरम्भ किया, जिसका सरक्षण वे स्वय करते थे और सम्पादन का कार्य पश्तो के विख्यात 'शाइर' मुहम्मद अकबर खान (दिवगत) को सौंपा गया था।

उस समय सीमाप्रान्त में पश्तो का यह पहला मासिक पत्र था और इसमें पश्तो के समस्त विख्यात साहित्यिको की कृतियाँ प्रकाशित होती थी। यह पत्र १९३० ई० में बाचा खान और उनके साथियो की गिरफ्तारी के पश्चात् बन्द हो गया।

मई १९३१ ई० में 'पख्तून' का नया दौर आरम्भ हुआ। अब इसके सम्पादक अब्दुल खालिक साहिब 'खलीक' नियुक्त हुए, जो पश्तो के मंजे हुए साहित्यिक हैं। दिसम्बर १९३१ ई० का अंक तैयार था कि २५ दिसम्बर को सार्वजनिक गिरफ्तारियाँ हुईं और यह पत्र फिर बन्द हो गया।

अप्रैल १९३८ ई० में फिर खलीक़ साहिब के सम्पादकत्व में इसका प्रकाशन आरम्भ हुआ। १९४१ ई० में इससे सरकार ने जमानत माँग ली और फलस्वरूप इसे बन्द करना पडा।

अप्रैल १९४५ ई० में डाक्टर खान साहिब का मन्त्रिमण्डल स्थापित हुआ, तब इसका फिर प्रकाशन आरम्भ हो गया, परन्तु पाकिस्तान के बनने के बाद बन्द हो गया।

१९३८ ई० से ४१ ई० तक यह पत्र प्रत्येक दस दिन के बाद प्रकाशित होता रहा। १९४५ ई० में साप्ताहिक कर दिया गया।

इसकी प्रकाशन संख्या दो हजार से चार हजार तक रही। पहले, दूसरे और तीसरे दौर में इसका कार्यालय अतमानजई में रहा। बाद मे सरदरयाब स्थानान्तरित कर दिया गया। इसके अग्रलेख प्राय बाचा खान स्वय लिखा करते थे।

'पख्तून' को पश्तो पत्रकारिता और साहित्य में बडा महत्त्व प्राप्त है। बाचा खान विशेष रूप से इस पत्र में बहुत ही रुचि लेते थे। इसमें अधिकतर राजनीतिक लेख ही होते थे, जैसे खुदाई खिदमतगार आन्दोलन के समाचार, बाचा खान के भाषण, देश के राजनीतिक नेताओ के कई महत्त्वपूर्ण भाषणो के अनुवाद आदि परन्तु कभी-कभी कोई साहित्यिक, ऐतिहासिक और खोजपूर्ण लेख या निबन्ध भी देखने में आ जाता था।

इस पत्र को सर्वप्रिय बनाने के लिये बाचा खान को बहुत काम करना पड़ा। आप कहते है—

"आरम्भ में मैं जिस किसी से इसमें रुचि लेने को कहता, वह यही उत्तर

देता कि "बाचा खान, यह आप किस बखेडे में पड गये हैं। अपना समय इधर नष्ट न कीजिये। इससे क्या लाभ होगा।"

आपने बताया कि अंग्रेजो ने पश्तो के "दोजखी जुबान" अर्थात् नारकीय भाषा होने का इतना व्यापक प्रचार किया कि पराए तो पराए अपने भी इससे घृणा करते हुए दिखाई देते थे। परन्तु अन्त में धीरे-धीरे पढे लिखे लोग इसमें दिलचस्पी लेने लगे और इसकी प्रकाशन सख्या बढ गई। इस पत्र को खुदाई खिदमतगार आन्दोलन के प्रतिनिधि की हैसियत प्राप्त थी और आन्दोलन को फैलाने, बढाने और सुदृढ बनाने के लिये यह बहुत ही सहायक सिद्ध हुआ।

बाचा खान न साहित्यिक हैं न वे इस बात का दावा करते हैं। परन्तु उनके लेखो को देखकर अनुभव होता है कि यदि उन्हे साहित्य की ओर ध्यान देने का अवसर मिलता, तो एक अच्छा खासा साहित्यिक बनने की योग्यता उनमें पाई जाती थी। उनके लेख अत्यन्त सरल, प्रभावशाली और मर्मस्पर्शी होते हैं, जिनमें वे स्थान-स्थान पर छोटे-छोटे उदाहरण देकर उन्हे रुचिकर बना देते हैं। एक स्थान पर आप लिखते हैं—

> "जाति एक वृक्ष के सदृश है, जिस की कई शाखाएँ होती हैं। यदि वृक्ष की जड ताजा हो, तो शाखाएँ हरी होंगी, अन्यथा मुरझा कर रह जायेंगी। ससार की उन्नत जातियाँ सदा इस वृक्ष की जडों को सुदृढ़ बनाने का प्रयत्न करती हैं, परन्तु हमारा ध्यान जड की ओर नहीं, अपितु प्रत्येक शाखा अपने आप को जड समझती है और यही हमारी अवनति का कारण है।"

आपने विशेष रूप से कोई साहित्यिक लेख कभी नही लिखा, परन्तु आपने विभिन्न समयो मे जेल से जो पत्र अपने साथियो के नाम लिखे हैं, उन्हे हम साहित्य की महान् कृतियाँ नही, तो कम-से-कम अच्छे-खासे साहित्यिक नमूनो के रूप में अवश्य प्रस्तुत कर सकते हैं।—आप बाइकला जेल बम्बई से १० दिसम्बर १९३४ ई० को महात्मा गाधी के नाम एक पत्र में लिखते हैं—

> "प्यारे महात्मा जी,
>
> सलामत (कुशलपूर्वक) रहिये। आज मुझे इस जेलखाने में तीन दिन हो चुके हैं। परन्तु आपको पत्र न लिख सका। कल मेरा इरादा था कि आपको पत्र लिखूं, परन्तु आपने मुझ पर बयान न

देने का प्रतिवन्ध लगा रखा है, सारा दिन उस पर विचार करता रहा, क्योकि यह मेरे लिये सर्वथा नई वस्तु है।

"आज प्रात मैंने आपको पत्र लिखने का निश्चय किया, परन्तु आपको क्या लिखूं।—मैं इस स्थान की परिस्थितियो का पूरी तरह से ज्ञान नही रखता। एक कोठरी में वन्द हूँ। न मैं किसी से वात कर सकता हूँ न कोई मुझसे। —न मैं किसी को देख सकता हूँ न ही कोई मेरे निकट आ सकता है। इसलिये यह अच्छा होगा कि मै आपको अपने ही हालात लिखूं। परन्तु इससे पहले यह वता देना आवश्यक समझता हूँ कि इससे आप यह अभिमत न स्थापित कर लीजियेगा कि मैं यहाँ पर तग हूँ—मैं सर्वथा मौन हूँ, प्रत्युत् इस कैद को मनः-शोधन के लिये अचूक उपाय समझता हूँ।

"मैं एक कोठरी में अकेला वन्द हूँ, जिसके सामने एक वरआमदा है, जिसका वाह्य भाग लोहे की मोटी-मोटी सलाखो से वन्द है। मैं जव प्रात-साय वरआमदे में टहलता हूँ, तो मुझे चिडियाघर याद आ जाता है और उन जानवरो की ओर मेरा ध्यान पलट जाता है, जो लोहे के पिंजरो मे वन्द होते हैं और इधर-उधर टहलते रहते हैं।

"मैं यहाँ केवल एक समय रोटी खाता हूँ। इसलिये नही कि खाना खाने की मुझे भूख नही होती, प्रत्युत् वे मुझे देते ही नही।—आजकल रमजान[1] का पवित्र महीना है। सहरी[2] के लिये मुझे खाना नही मिलता। जेल वाले कहते हैं कि सहरी के खाने के लिये जेल मैनुअल में कोई अधिनियम नही है।

"मैं भूमि पर सोता हूँ। सारा काम स्वय अपने हाथ से करता हूँ। समय पर्याप्त है, परन्तु पढने के लिये मेरे पास कुछ भी नही। अधिक समय ईश्वर-चिन्तन में व्यतीत करता हूँ और सन्तुष्ट हूँ।

आपका

अब्दुल गफ्फार"

१. वह महीना जिसमें मुसलमान रोजे रखते हैं।
२. रोजा आरम्भ होने से पहले प्रभात के समय खाना खाना।

वाचा खान का एक और पत्र अब्दुल्लाह् खान एम० एल० ए० के नाम है, जो ११ सितम्बर १६४० ई० के 'पख्तून' में प्रकाशित हुआ था, उसका अनुवाद नीचे दिया जाता है—

"प्यारे भाई अब्दुल्लाह् खान साहिब,

"अस्सलाम अलैकम, ईश्वर आप पर सुख-समृद्धि की वर्षा करें।

"कुछ दिन हुए आपका पत्र प्राप्त हुआ। मैं आपको शीघ्र ही उत्तर देना चाहता था, परन्तु अवकाश न मिल सका। आपने जो आपत्ति उठाई है, मैं इन बातो से रुष्ट नही होता, प्रत्युत् प्रसन्न होता हूँ। मेरा मुआमला पीरी मुरीदी (गुरुआई और शिष्यत्व) का नही है और न ही यह मेरा कोई निजी कार्य है, क्योकि उलाहने और शिकायते तो सदा निजी वातो में पैदा होती हैं। मैं इस प्रकार के लोगो को पसन्द नही करता, जिनके दिल में कुछ हो और जिह्वा पर कुछ और। इस प्रकार का दल ससार में कभी सफल नही हो सकता और यदि कुछ सफलता प्राप्त कर भी ले, तो वह कुछ ही दिनो के लिये होती है।

"जिस हिंसा का उल्लेख पवित्र कुरआन में है और रुसूल के जमाने में जितनी लडाइयाँ लडी गई, वे सब रक्षात्मक थी। उनके बाद मुसलमानो में या दूसरी जातियों में, जो लडाइयाँ हो रही हैं वे आक्रमणात्मक हैं। मैं इस हिंसा को अपवित्र कहता हूँ और मैंने जो आपको लिखा था, उसका यही भाव था।

"दूसरी बात यह है कि आपने अपने पत्र में इस बात को स्वीकार किया है कि अहिंसा ही हमारी स्वाधीनता के लिये एक सर्वोत्तम शस्त्र है, अर्थात् आपको विश्वास है कि इसके द्वारा हम स्वाधीनता प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु यह वात आपकी समझ में नही आती कि स्वाधीन होने के पश्चात् हम अपने देश को अहिंसा का पालन करते हुए दूसरी जातियो से किस प्रकार बचा सकेंगे। मैं कहता हूँ कि जिस तरह हम यह चीज (स्वाधीनता) अहिंसा के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, उसी प्रकार इसे अहिंसा के द्वारा सम्भाल भी सकते हैं। चूंकि हमारे दिमाग हिंसा से भरे हुए हैं, इसलिये अभी यह बात आसानी से हमारी समझ में नही आ सकती।"

इनके अतिरिक्त भी बाचा खान के बहुत से ऐसे पत्र हैं, जिनमें कई साहित्यिक मणियाँ मिल जाती हैं, परन्तु यहाँ विस्तार के भय से केवल इन्ही दो पत्रो का उल्लेख ही पर्याप्त समझता हूँ ।

**बाचा खान के विभिन्न नाम—**

बाचा खान का असली नाम अब्दुल गफ्फार खान है, परन्तु उनके श्रद्धालु उन्हे विभिन्न नामो से पुकारते हैं। चूंकि वे अपनी जाति में एक ऐसे व्यक्ति हैं, जिन पर यथार्थ रूप मे सारी जाति गौरव कर सकती है, इसलिये उनके श्रद्धालुओ ने उन्हे "फख्रे अफागना' (अफगानो का गौरव) की उपाधि से सम्मानित कर रखा है, अत॰ आपके नाम के साथ आरम्भ मे प्राय फख्र अफागना उपाधि लिखी जाती है ।

आपकी दूसरी उपाधि 'सरहदी गाधी' है। इसका कारण यह है कि आप महात्मा गाधी के बहुत निकट रहे हैं और आपने उनके नियमों और सिद्धान्तो को पूर्णरूपेण अपनाया है। विशेषत उनके अहिंसा के सिद्धान्त को आपने अपना ओढना बिछौना बना रखा है । इसके अतिरिक्त आपने अपने जीवन को भी सादगी और त्याग की दृष्टि से बहुत हद तक गाधीजी के जीवन का नमूना बना रखा है। इसलिये आपकी यह उपाधि बहुत प्रसिद्ध हुई। विरोधी लोग आपको अपने व्यग का निशाना बनाने के लिये "सरहदी गाधी" कहते थे। और आपके अपने साथी प्रेम और श्रद्धा के कारण इस नाम से याद करते थे। परन्तु आपने यह उपाधि अपने लिये पसन्द न की और ७ मार्च १९४० ई० को एक घोषणा के द्वारा अपने अनुगामियो को रोक दिया था कि वे भविष्य मे कभी उनके नाम के साथ "सरहदी गाधी" न लिखा करें। वह घोषणा यह है—

> "मुझे लोग सरहदी गांधी कहते हैं। परन्तु मुझे यह पसन्द नहीं। जब महात्मा गांधी मौजूद है, तो देश में बहुत से गान्धियों की आवश्यकता नहीं। मेरा भी यही खयाल है जैसा कि गांधी जी ने कहा है कि यदि देश में बहुत से गांधी हो गये, तो आपस में लड पड़ेंगे। मुझे आशा है कि भविष्य में लोग मुझे सरहदी गांधी कहना और लिखना बन्द कर देंगे।"

कई अनपढ खुदाई खिदमतगार आपको "सुर्ख-पोश बाबा" (लाल वस्त्र-धारी बाबा ) भी कहते हैं और चूंकि आप सदा नगे सिर रहा करते हैं, इसलिये

"सरतोर बाबा" (नगे सिर वाला बाबा) के नाम से भी आप विख्यात हैं। इसी प्रकार आपका कद बहुत लम्बा होने के कारण कई क्षेत्रो में आप "टोड बाबा" (लम्बे कद वाला बाबा) भी कहलाते हैं।

परन्तु जितनी ख्याति आपको बाचा खान नाम से प्राप्त हुई है, उतनी और किसी नाम से नही हो सकी। 'बाचा' पश्तो भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है सय्यद या सरदार। बादशाह के अर्थों में भी इस शब्द का प्रयोग होता है। आप पश्तून जाति के सरदार भी हैं और वे आपको बेताज बादशाह भी समझते हैं। इसलिये आपके इस नाम की बडी ख्याति हुई और सीमाप्रान्त तथा सीमाप्रान्त के बाहर दूसरे इलाको में भी आप प्राय इसी नाम से पहचाने जाते हैं। यद्यपि आपने अपने एक भाषण में लोगो से कहा कि वे आपके नाम के साथ इस उपाधि का प्रयोग न किया करें क्योकि बादशाही से आपको घृणा है, परन्तु लोग रुके नही।

बाचा खान कहते हैं—

"आप कहते हैं कि हमने फख्रे-अफगान को अपना बादशाह मान लिया है अर्थात् नाम के लिये तो आपने मुझे बादशाह बना लिया, परन्तु अजीब बात है कि मेरी एक भी बात नही मानते। मैं कुछ कहता हूँ और आप कुछ कहते हैं—याद रखिये हमारा यह आन्दोलन इसलिये है कि अपनी जाति से बुरी आदतें दूर करें। इसलिये नही कि आप मुझे बादशाह बनाएँ या किसी दूसरे को—किसी को बादशाह बनाने से जाति को कुछ भी लाभ नही पहुँचता। आप अपने देश के इर्द-गिर्द दृष्टि डाले, तो मालूम होगा कि ऐसी जातियाँ भी हैं, जिन पर एक व्यक्ति की बादशाही है और इसका परिणाम यह है कि कुछ व्यक्ति तो मजे कर रहे हैं और बाकी सारी जाति भूखी, नगी, और अशिक्षित है। उसकी दशा बहुत खराब है। हमारे इस आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम किसी को बादशाह नही बनाते और न ही आप मुझे बादशाह बनाएँ। क्योकि इस प्रकार तो मेरे बाल-बच्चों के मजे होंगे और आपका क्या बनेगा? हम तो ऐसी सरकार की स्थापना के प्रयत्न कर रहे हैं, जिसमें जाति का प्रत्येक व्यक्ति बादशाह हो।"

वाचा खान के चुटकले—

वाचा खान इतने गम्भीर नित्र हुए हैं कि सभा में और एकान्त में कही भी उनसे कभी ऐसी चेष्टा नही हुई, जिसमे गम्भीरता न हो। इसलिये यह कल्पना करना कठिन हो जाता है कि उनके स्वभाव में प्रहसन या हास्यरस का भी समावेश हो सकता है। परन्तु कभी-कभी उनकी तबीअत[1] मौज पर आ जाय, तो ऐसी वाते भी कह जाते हैं, जो अच्छे खासे चुटकले होते हैं। आप अपने एक भाषण में कहते हैं—

'मैं जब १९३७ ई० मे ६ वर्ष की नजरबन्दी, देश-निकाले (निर्वासन) और कारावास के पश्चात् देश में आया, तो और तो और प्राय. खुदाई खिदमतगारो ने आकर मुझ से पूछा वाचा खान क्या यह सच है कि आप गाय को ज़ब्ह (गोहत्या) नहीं करते ?

"हां," मैंने कहा।

"क्यो ?—उन्होने फिर पूछा।

"इसलिये कि मेरा वाप कसाई न था।"

× × ×

वाचा खान के एक मित्र को वातो-वातो में कही पता चला कि आपने हज भी किया है। उसने कहा—फिर आप अपने नाम के साथ "अलहाज"[2] क्यो नही लिखते ?

उन्होने कहा—"खुदा ने हज भी मेरे फर्तव्य में समाविष्ट किया है, जिस प्रकार नमाज-रोजा। फिर मैं अपने नाम के पीछे-आगे 'नमाजो' और 'रोजादार' क्यों न लिखूं।"

उन्ही दिनो ख्वाजा नाजिमुद्दीन, जिनके नाम के साथ नियमित रूप से अलहाज लिखा जाता था, अपने पद से हटा दिये गये और साथ ही समाचार-पत्रो ने उन्हें अलहाज लिखना भी छोड दिया।

वाचा खान ने अपने मित्र को सम्बोधित करते हुए कहा—'देखा आपने अपने अलहाज की दशा—अब वेचारे खाली ख्वाजा नाजिमुद्दीन

---

१. इसे 'तबियत' लिखना सर्वथा अशुद्ध है—प्रभाकर

२. जिसने हज किया हो।

रह गये हैं और शायद कुछ दिनों तक खाजगी ('ख्वाजा' उपाधि) भी छिन जाय।"

× × ×

एक बार उन्होने अपने भाषण में कहा—

"कुछ लोग जेल इस लिये जाते हैं कि चलो वर्ष दो वर्ष व्यतीत कर लेंगे ताकि जाति-सेवा और बलिदान का प्रमाण-पत्र मिल जाय, क्योंकि यह प्रमाण-पत्र पास होगा, तो कल को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपल कमेटी, असेम्बली और दूसरे बोर्डों की मेम्बरी के लिये खडा हो सकूँगा।"

× × ×

आप महात्मा गाधी को बम्बई जेल से एक पत्र लिखते हैं—

"मैं एक कोठरी में नितान्त अकेला बन्द हूँ, जिसके सामने एक छोटा-सा बरआमदा भी है, जिसका बाहरी भाग लोहे की मोटी-मोटी सलाखों से बन्द है। मैं जब प्रात साय बरआमदे में टहलता हूँ, तो मुझे चिडियाघर याद आ जाता है और उन जानवरों की ओर मेरा ध्यान पलट जाता है, जो लोहे के पिंजरे में बन्द होते हैं और इधर-उधर टहलते रहते हैं।"

× × ×

इसी प्रकार अपनी गिरफ्तारी की एक घटना के सम्बन्ध में आप कहते हैं—

"अटक पुल पार करते ही पजाब पुलिस ने मुझे हिरासत में ले लिया। मैं एक वृक्ष के नीचे बिछौना बिछा कर बैठ गया। इतने में एक सिख सिपाही मेरे पास आया और कहने लगा—हम बड़े भाग्यशाली है कि आपके दर्शन प्राप्त हुए। मैंने कहा—सरदार जी! मैं भी अपने आपको कुछ कम भाग्यशाली नहीं समझता।"

× × ×

एक और स्थान पर लिखते हैं—

"जब सीमाप्रान्त में कांग्रेस मन्त्रिमण्डल था, तो एक खुदाई-खिदमतगार आता और कहता, "मेरा तो वजीफा (मासिक वृत्ति) न लगा।" दूसरा कहता, "मै तो सडक का जमादार न बना।" मैंने

कहा—"यदि तुम सड़क के जमादार नहीं बने, तो क्या मैं बन गया हूँ ?"

× × ×

**बाचा खान के विरुद्ध आपत्तियां और उनका उत्तर—**

बाचा ख़ान के विरुद्ध उनके विरोधी जो आपत्तियाँ उठाते रहे हैं और उठा रहे हैं, उनमे कई बहुत भीषण हैं, परन्तु बाचा खान स्वय ही समय-समय पर उनके उत्तर देते रहे हैं। इसलिये हम अपनी ओर से किसी प्रकार की सफ़ाई पेश करने के स्थान पर उचित समझते हैं कि प्रत्येक आपत्ति के उत्तर में उनका अपना बयान ही पेश कर दे।

पहली आपत्ति —यह कहा जाता है कि बाचा खान के अहिंसा के प्रचार से बहादुर पख्तूनो के वे गुण विलुप्त हो गये हैं, जो शताब्दियो से उनकी विशेपता के सूचक चले आये हैं।

इस आपत्ति का उत्तर देते हुए बाचा खान कहते हैं—

"अहिंसा का यह अर्थ नही कि हम हर किसी के सामने हाथ बांधे और हर एक हमारे सिरो पर पैर रखे और हम सिर न उठाएँ। अहिंसा दुर्बल लोगो का काम नही। इन नियमो का पालन वही जाति कर सकती है, जो सुदृढ-सबल हो, जिसके सकल्प अटल हो और कोई बडा उद्देश्य उसके सामने हो।"

"अहिंसा की लडाई कोई नई चीज़ नही। यह लडाई वही है, जो आज से चौदह सौ वर्ष पहले हमारे महामान्य रसूल ने मक्का के जीवन में लडी थी।"

दूसरी आपत्ति यह है कि वे पाकिस्तान के विरोधी हैं और कई लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की शत्रु-शक्तियो के साथ उनका गठ-जोड है। बाचा ख़ान इस आपत्ति का उत्तर देते हैं—

"मैं पाकिस्तान के विचार का कभी विरोधी न था, पाकिस्तान के विषय में मेरी कल्पना कुछ विभिन्न थी। मुसलमानो के वतन (देश) का मेरे मस्तिष्क में जो मानचित्र और धारणा थी उसके अधीन पजाब तथा बंगाल का बटवारा किसी तरह सम्भव न था।"

"१९४८-५० में जब पाकिस्तान पार्लामेण्ट के अधिवेशन में पहली

वार सम्मिलित हुआ, तो मैंने घोषणा की कि जो कुछ होना था, वह हो चुका है। पाकिस्तान हम सबका साझा देश है। यदि सत्ताधारी वर्ग देश की सेवा का इच्छुक है, तो हम प्रत्येक आवश्यक रीति से उसे सहयोग देंगे।"

तीसरी आपत्ति यह है कि बाचा खान पठानिस्तान चाहते हैं और पश्तून इलाके को पाकिस्तान से विलग करके अफग़ानिस्तान से मिलाने के इच्छुक हैं।

बाचा खान का वक्तव्य है—

"नव्वाब ज़ादा लियाकत अली ख़ान ने मुझसे पूछा कि पठानिस्तान से मेरा क्या अभिप्राय है? मैंने उत्तर दिया कि 'यह पठानिस्तान नही, प्रत्युत् पख़्तूनिस्तान है और यह केवल एक नाम है।' उन्होने फिर पूछा कि यह नाम किस प्रकार का है? इसके उत्तर में मैंने कहा कि जिस प्रकार पजाब, वगाल, सिंध, वलोचिस्तान के प्रान्तो के नाम हैं, उसी प्रकार यह भी पाकिस्तान के ढांचे के भीतर एक नाम है। हमें दुर्बल बनाने के लिये अंग्रेज़ो ने अपने शासन काल में हमारे जनसाधारण के हिस्से-बखरे कर दिये और हमारे इलाको का नाम तक मिटा दिया। हम अपने पाकिस्तानी मुसलमान भाइयो से प्रार्थना करते हैं कि कृपया वे इस अन्याय का निवारण करें, जो अंग्रेज़ो ने हमारे साथ किया है। पठानो को सगठित करें और हमें पजाब की भांति एक नाम दें। क्योकि जब भी पजाब का नाम लिया जाता है, तो लोग समझ जाते हैं कि इसका अभिप्राय वह इलाका है, जहाँ पजाबी बसते हैं। इस प्रकार वगाल, सिंध और वलोचिस्तान से उन इलाको के मानचित्र मस्तिष्क में खिच जाते हैं। हम भी केवल इसी प्रकार का एक नाम पाकिस्तान के उन इलाको के लिये चाहते हैं, जहाँ पश्तून रहते हैं।"

चौथी आपत्ति यह उठाई जाती है कि बाचा खान पजाबियो का विरोध करते और प्रान्तीय द्वेष तथा घृणा फैलाते हैं। जैसा कि बाचा ख़ान के भाषणो के उद्धरणों से विदित है, वे सदा घृणा, द्वेष, पक्षपात, शत्रुता और वैमनस्य के विरोधी और प्रेम-प्यार के प्रचारक रहे हैं। विभाजन से पहले वे हिन्दू-मुस्लिम एकता के पृष्ठपोषक और वर्ण, नस्ल और धर्म-मत के भेदभाव के सबसे बडे

विरोधी थे। अब भी अनुदारता और विचारो की सकीर्णता से वे कोसो दूर हैं। फिर ऐसे व्यक्ति से न जाने इस बात की कैसे आशा की जा सकती है कि वे अपने पजाबी मुसलमान भाइयो का विरोध करें और उनके विरुद्ध घृणा फैलाये।

वास्तव में उनकी एक यूनिट-विरोधी आन्दोलन के सम्बन्ध मे जो सरगर्मियाँ थी, शासक वर्ग ने उन्हे रोकने और बाचा खान को बदनाम करने के लिये यह बहाना घड लिया और उन पर कपोल-कल्पित अभियोग लगाया।

एक जलसे मे मैं ( लेखक ) ने बाचा खान को अपने भाषण में यह शब्द कहते सुना—

> "यदि हमारा शासक वर्ग समझता है कि पजाबी एक यूनिट के पक्ष में हैं, तो वह पजाब ही में एक यूनिट पर जनमत-गणना कराए। यदि वहाँ यूनिट के पक्ष मे बहुमत ने निर्णय दे दिया, तो हम एक यूनिट को बिना आपत्ति स्वीकार कर लेगे। मुझे विश्वास है उसे वहाँ भी असफलता प्राप्त होगी, क्योंकि पजाब की जनता भी यूनिट के पक्ष में नहीं है।"

इसके पश्चात् अब हाल ही में जेल से रिहा होते ही उन्होंने एक वक्तव्य में कहा—

> "मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ज्यों ही मैं स्वस्थ हो जाऊँगा, लाहौर वापस आकर पुराने पजाब (यूनिट की स्थापना से पहले के पंजाब) के नगरों और गांवो का भ्रमण करूँगा और सत्ताधारी लोगो ने मेरे विरुद्ध प्रचार का जो आन्दोलन शुरू कर रखा है, उसके सम्बंध में मैं जनसाधारण के सामने अपनी पोजीशन का स्पष्टीकरण करूँगा।"

एक यूनिट का विरोध—

बाचा खान पर अन्तिम अभियोग लगाया गया है कि वे एक यूनिट का जो विरोध करते हैं, वास्तव में वह यूनिट का विरोध नहीं प्रत्युत् उसके पर्दे में मुसलमानों में भेदभाव उत्पन्न करना चाहते हैं, प्रान्तीय वैमनस्य व द्वेष फैलाते है और पाकिस्तानी मुसलमानो की एकता को पसन्द नहीं करते।

उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त ने १९०१ ई० में जन्म लिया था। इससे पहले

यह इलाका पजाब के साथ जुडा हुआ था। इसे पृथक् रूप से एक प्रान्त बनवाने के लिये यहाँ के रहने वालो ने बहुत प्रयत्न किये और भारी बलिदान दिये।

पाकिस्तान की स्थापना के पश्चात् भी इसे एक पृथक् प्रान्त की हैसियत प्राप्त रही। परन्तु १९५६ ई० के आरम्भ में पाकिस्तान की सरकार ने सारे पश्चिमी पाकिस्तान का एक यूनिट बनाने के सुझाव को कार्यान्वित करने का निर्णय किया और इस एक यूनिट में पश्चिमी पाकिस्तान के समस्त प्रान्तो—सिन्ध, पजाब, बलोचिस्तान और सीमाप्रान्त—को समाहित कर दिया गया।

सरकार की ओर से इस नये परीक्षण का औचित्य सिद्ध करने के लिये यह युक्तियाँ उपस्थित की गई—

मुसलमानो में एकता पैदा होगी।
प्रान्तीयता या प्रान्तीय भेदभाव का अवसान हो जायगा।
पिछडे हुए इलाको को उन्नति करने का अवसर मिलेगा।
सरकार के धन-व्यय में भारी कमी हो जायगी।
सरकार की शासन-व्यवस्था आसान और अच्छी हो जायगी।

बाचा खान का कहना था कि यह परीक्षण कभी सफल नही हो सकता। सरकार और जनसाधारण दोनो को इससे परेशानी के अतिरिक्त और कुछ भी उपलब्ध नही होगा। उन्होने कहा कि एक यूनिट की स्थापना से पश्चिमी पाकिस्तान के मुसलमानो की एकता पर भीषण आघात पडेगा। प्रत्येक इलाके के लोगो को अपने अधिकारो से वचित रखे जाने की भीषण शिकायत रहेगी। और इस प्रकार प्रान्तीय द्वेष चरमसीमा तक पहुँच जायगा।

उन्होंने सत्ताधारी लोगो के इस विचार का भी विरोध किया कि एक यूनिट में पिछडे हुए इलाके उन्नति करेंगे। बाचा खान ने अपने भाषणो में स्पष्ट शब्दो में बताया कि एक यूनिट में धन का व्यय कम होने के स्थान पर बहुत बढ जायगा और पिछडे हुए इलाको की उन्नति से सम्बन्धित आयोजन धरे-के-धरे रह जायेंगे। साथ ही इतने बडे इलाके की शान्ति-व्यवस्था का स्थिर रखना कठिन हो जायगा।

अस्तु वही हुआ, जो बाचा खान कह रहे थे। अभी एक यूनिट स्थापित हुए एक वर्ष भी व्यतीत नही हुआ, परन्तु पश्चिमी पाकिस्तान की व्यवस्था क्रियात्मक रूप से फेल हो चुकी है। सरकार आर्थिक बोझ के नीचे दबी जा रही है

और प्रान्तीय द्वेष व वैमनस्य समाप्त होने के स्थान प्रतिदिन बढता जा रहा है। सच तो यह है कि यह विष सरकार के कार्यालयो के प्रबन्ध मे भी फैल रहा है, जो वस्तुत एक अत्यन्त भयानक और शोचनीय चीज़ है।

आज सिन्धी, पजाबी, सीमा-प्रान्तीय कोई भी प्रसन्न दिखाई नही देता। प्रत्येक अपने-अपने स्थान पर अन्याय का रोना रो रहा है, एक-दूसरे को आततायी समझ रहे हैं और एक दूसरे को सदिग्ध तथा शकित दृष्टि से घूर रहे हैं।

जहाँ तक भूलो और त्रुटियो का सम्बन्ध है, हम भी बाचा खान को इनसे खाली नही समझते और उन्हे स्वय भी इस बात का इतना तीव्र अनुभव है कि सदा इसे व्यक्त करते रहे।

बाचा खान आखिर मनुष्य हैं, देवता नही हैं और भूल-चूक मनुष्य मे हो ही जाती है। प्रत्येक मनुष्य मे कुछ-न-कुछ त्रुटियाँ भी होती हैं और मनुष्य होने के नाते बाचा खान में कुछ-न-कुछ त्रुटियाँ अवश्य होंगी, परन्तु देखना यह है कि उनके गुणो के मुकाबिले मे उनकी कमज़ोरियो का क्या स्थान या महत्व रह जाता है।

मित्र तो मित्र शत्रु भी इस बात को अवश्य स्वीकार करते हैं कि बाचा खान एक दृढ आचरण के मनुष्य हैं, सिद्धान्तवादी हैं, परम धैर्यवान हैं, राजनीतिक सूझ-बूझ रखते हैं, जाति के हितैषी हैं, जनता मे सर्वप्रिय हैं, साम्राज्य के शत्रु हैं, गणतन्त्र के मित्र हैं, देश व जाति की स्वाधीनता के लिये उन्होने अमूल्य बलिदान किये हैं और सीमाप्रान्त में आज जो थोडा-बहुत राजनीतिक ज्ञान लोगो मे दिखाई देता है, यह अधिकतर उन्ही के अविरत प्रयत्नो और अनथक चेष्टाओ का परिणाम है।

अब इतने ऊँचे सद्गुणो के साथ-साथ यदि उनमें थोडी-बहुत त्रुटियाँ भी ज्ञात या अज्ञात रूप में पाई गई हो, तो उन्हे हमे इस सत्य को सामने रख कर अधिक महत्व नही देना चाहिये कि मनुष्य त्रुटियो से कभी शून्य नहीं हो सकता। उनके जीवन पर दृष्टि डालते हुए हमने एक चरित्र-लेखक की हैसियत से उनकी त्रुटियो पर पर्दा डालने की तनिक भी चेष्टा नही की। इसलिये नहीं कि इनके बिना हम अपने कर्तव्य का पूर्णरूपेण पालन नही कर सकते थे, प्रत्युत इसलिये भी कि कुछ एक त्रुटियो के होते हुए भी उनके व्यक्तित्व में इतने सारे गुणो का इकट्ठे हो जाना उनकी महानता का प्रमाण प्रस्तुत करता है।

# बाचा ख़ान और डाक्टर ख़ान साहिब

बाचा खान अपने वडे भाई डाक्टर खान साहिव से सात वर्ष छोटे हैं, परन्तु ख्याति, सर्वप्रियता, सूझ-वूझ और महानता की दृष्टि से उनसे वहुत वडे हैं। पश्तूनों की परम्परा और इस्लामी शिक्षा के अनुसार आप अपने वडे भाई का वहुत समादर करते हैं। अस्तु सावरमती जेल अहमदावाद से उन्होने डाक्टर खान साहिब के नाम एक पत्र लिखा, तो उसमें उन्हे "प्यारे दादा" कह कर सम्बोधित किया। पश्तो में 'दादा' शब्द वुजुर्ग या पिता के अर्थो मे प्रयोग होता है। यह है उनका वह पत्र—

"प्यारे दादा, सलामत रहो,

आशा है मेम साहिब का स्वास्थ्य अच्छा होगा। इस स्थान के जलवायु और एकान्त कारावास के कारण मेरा स्वास्थ्य कुछ अच्छा नही है, परन्तु भगवान् मेरे अस्तित्व या शरीर से अपने प्राणियो के लिये कुछ सेवा लेना चाहते हैं, तो वे मेरा स्वास्थ्य अच्छा कर देंगे। मेरा तो यह विश्वास है कि ईश्वर जो भी कुछ करता है, मेरे लाभ अथवा कल्याण के लिये करता है—क्योकि मैं देखता हूं, मुझ में वहुत ही कमज़ोरियां हैं और धीरे-धीरे उनका सुधार हो रहा है। असेम्वली के समाप्त होने तक यदि मुझे पजाब में भेज दिया गया, तो आप सीमा-प्रान्त जाते हुए मुझे देखते जायं और यदि मुझे पजाव में न भेजा गया, तो फिर आप यहाँ पधारने का कष्ट न उठाएँ क्योकि एक तो इस ऋतु में यहाँ भीषण गर्मी होती है, जो आपके लिये अच्छी न होगी और दूसरे अपव्यय भी होगा। यदि आप उचित समझें, तो मेरी ये कुछ वातें होम मैम्वर साहिव को वता दें कि उनका सदेश मुझे सरदार पटेल के द्वारा मिला। मैं उनके प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण परामर्श के लिये कृतज्ञ हूं। परन्तु मेरे सम्वन्ध में जो सूचनाएँ उन्हे दी गई हैं, वे ठीक नही—निस्सदेह मैं अपने मित्रो से कहता हूं कि मैं अब सरकार का अतिथि हूं

और उसका आतिथेय खाऊँगा, परन्तु इसका यह अभिप्राय नही कि जो मेरा जी चाहे वही मुझे सरकार देगी। प्रत्युत् जो कुछ मुझे देगी, वही खाऊँगा।

मैं जेल मे कई बार गया हूँ और सदा अपने भाग पर संतोष करता रहा हूँ और यदि मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता पडी, तो, मैंने अपने पैसो से मंगवाई, सरकार के कोष पर मैंने कभी बोझ नही डाला। यहाँ भी जिस समय आया तो वही भोजन खाया, अपितु मेरे हिस्से की दाल और चावल सरकार के पास बचे रहे, क्योकि मैं वे खा नही सकता। अन्त में मेरा स्वास्थ्य इस भोजन से ख़राब हो गया, क्योकि गुजरात के भोजन और हमारे भोजन में बडा अन्तर है। अत. मैंने डाक्टर से कहा कि मेरा यह भोजन बदल दे। आपको मालूम है कि मेरा स्वास्थ्य तो बाहर भी बिगडा हुआ था और मैं डाक्टरी नियमो के अधीन सादा भोजन खाता था। अब भी जिन चीजो की आवश्यकता मुझे नही होती, मैं जेल वालो से नही मांगता। इसलिये कि चीजो को यूँ ही नष्ट करना मुझे पसन्द नहीं है। जबसे मैं यहाँ आया हूँ, मुझे जेल वालो ने एक विचित्र-सी तलाई[1] दी है, जिसमे मेरा आधा शरीर बाहर रहता है और ओढने के लिये दो कम्बल मिले हैं, जैसा कि साधारण क़ैदियो को दिये जाते हैं। इन कम्बलो में यदि मैं सिर ढांपता हूँ, तो टांगे नगी रहती हैं और यदि मैं पैर ढांपता हूँ, तो सिर नंगा रहता है, परन्तु इस पर भी मैंने सरकार को कष्ट नही दिया और न कोष पर बोझ डालना चाहा, प्रत्युत यह सारी भीषण सर्दी मैंने यूं ही व्यतीत कर दी, क्योकि मैं सोचता हूँ कि ईश्वर ने मुझे इतना लम्बा बनाया है, तो इसमे सरकार बेचारी का क्या दोष है कि उस पर मै बोझ डालूं। जेलखाने मे मेरे जैसे कैदी को उसका हक और पूरी चीजें नही दी जाती और इस बात की जानकारी उन सब लोगो को है, जो जेल मे रह चुके हैं। दूसरी बात भोजन की है। आप होम मेम्बर साहिब से कहे कि जिस समय तक मुझे अपनी

---

१ रूईदार बिछौना

चीज़ो के प्रयोग करने की आज्ञा न थी, उस समय तक मेरा शरीर क्रमश दुर्बल होता गया, यहाँ तक कि मेरा वज़न १८ पाउण्ड कम हो गया, परन्तु जिस समय मुझे अपनी चीजें मँगवाने की आज्ञा मिली, तो उस समय से मेरा वज़न घटना बन्द हो गया ।

मनुष्य के लिये भोजन आवश्यक है, परन्तु उस के लिये अच्छी सोसायटी और स्वच्छ जल-वायु भी आवश्यक है । केवल भोजन पर ही स्वास्थ्य अच्छा नही रह सकता ।

वस्सलाम ! इति ।

आपका
अब्दुल गफ्फार
१४ मार्च, १९३५ ई०
(साबरमती सेण्ट्रल जेल, अहमदाबाद)"

× × ×

बाचा खान की सबसे बडी दुर्बलता डाक्टर खान साहिब हैं । बाचा खान बडे भाई का पिता के समान आदर करते हैं । उनकी किसी गलत-से-गलत बात को भी झुठलाने का साहस नही कर सकते । अपनी इस दुर्बलता के कारण बाचा खान को कई बार अपनी इच्छा और सिद्धान्त के विरुद्ध भी डाक्टर साहिब की हाँ में हाँ मिलानी पडी और विवश होकर उनका समर्थन करना पडा । सीमा-प्रान्त में दो बार कांग्रेस मन्त्रिमण्डल बना और दोनो बार बाचा खान उसके पक्ष में नही थे, परन्तु डाक्टर साहिब की इच्छा का समादर करना पडा और दूसरी बार १९४५ ई० में तो वे मन्त्रिमण्डल बनाने के घोर विरोधी थे, इस बात की चर्चा उन्होने बार-बार अपने भाषणो में की ।

"लोग सीमाप्रान्त के मन्त्रिमण्डल के सम्बन्ध में मेरी राय पूछते हैं । मैं कहता हूँ यद्यपि डाक्टर खान साहिब मेरे भाई हैं, परन्तु मेरे मित्रो को यह कदापि न समझना चाहिये कि हम दोनो प्रत्येक बात में सहमत हैं । वे प्रधान मन्त्री बन सकते हैं । मैं नही बन सकता । मुझे पार्लमिण्ट्री ढग की राजनीति में विश्वास नही । मेरी राजनीति तो यह है कि लोगो की सेवा की जाय और दूसरो को इस काम के लिये मैदान में आने का निमन्त्रण दिया जाये। ऐसे जाति-सेवको का नाम

मैंने खुदाई खिदमतगार रखा है। परन्तु मुझ में सहयोग की इतनी भावना है कि जो लोग असेम्बली में जाना और पदवी स्वीकार करना चाहते हैं, उन्हे उस समय तक सहन करूँ (सहयोग दूँ) जब तक वे किसी-न-किसी रूप में जनता की सेवा कर सकते हों।"

कांग्रेस का पहला मन्त्रिमण्डल टूटा, तो, आपने भगवान् का धन्यवाद किया, इसके पश्चात् आपने यह बात स्पष्ट शब्दो मे कही कि इस मन्त्रिमण्डल ने हमें सिवाय वैमनस्य और फूट के कोई लाभ नही पहुँचाया। मन्त्रिमण्डल ने लोगो को लोभी बना दिया। प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता कि वह अपने बलिदानो का फल उपभोग करे अर्थात् अपने बलिदानो के बदले मे कोई लाभ उठाये। कोई डिपो के लिये मेरे पास आता है। कोई कुछ और चाहता है। वास्तविक उद्देश्य को सब भूल गये हैं। उन्होने यह भी कहा कि जिन लोगो को कुछ मिला, वे हमारे काम के नही रहे, प्रत्युत् पदवियो और निजी स्वार्थो मे चिमट कर हमारे आन्दोलन से विलग हो गये तथा अंग्रेजो मे वफादारी जताने लगे, ताकि जो चीज़ उन्हे प्राप्त हुई है, उससे वचित न कर दिये जायें। उन्होने अपने एक भाषण में मन्त्रिमण्डल के प्रति उदासीनता प्रकट करते हुए स्पष्ट शब्दो में कहा कि—

"जो लोग मन्त्रिमण्डलो के लिये चाव या आसक्ति रखते हैं, वे मुझसे पूछते है कि मन्त्रिमण्डल कब लोगे। मैं उनसे कहता हूँ कि हमने मन्त्रिमण्डलो का त्याग कर दिया है और उनका जनाज़ा निकाल दिया है। हम पुन मन्त्रिमण्डल स्वीकार नही करेंगे और ऐसे मन्त्रिमण्डलो का लाभ भी क्या है, जिसमे नाम को तो हम मन्त्री हों, परन्तु एक नौकर के वेतन में वृद्धि और कमी करने का भी अधिकार न हो और देश के लिये हितकर कानून भी न बना सकते हो। भला ऐसे नाम-मात्र मन्त्रिमण्डलो से देश को क्या लाभ पहुँच सकता है ?"

एक और अवसर पर कहते हैं—

"जब सीमाप्रान्त में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल था, तो एक खुदाई ख़िद-मतगार आता और कहता कि मेरा वज़ीफा (मासिक वृत्ति) न लगा। दूसरा आकर कहता, मैं तो सड़क का जमादार भी न बना।...... परन्तु भाई, यदि तुम स्वयं सड़क के जमादार नहीं बने, तो फिर कौन बना?......मन्त्री महोदय ने अपने सम्बन्धियों को उच्च अधि-

कारी वना दिया है—उच्च पद दे दिये हैं । मैं प्रत्येक खुदाई खिदमत-गार से कहता था कि एक गरीव व्यक्ति की आवश्यकता थी और उस गरीव को जमादार वना दिया गया । जब एक की आवश्यकता थी, तो आप क्यो नाराज होते हैं, अन्त में वह भी तो ग़रीब खुदाई खिदमतगार था । आपने मेरा नाक में दम किया हुआ है । यदि हमने फिर कुछ प्राप्त किया, तो फिर वही पुराना दु ख होगा कि मुझे जमादारी मिले, वज़ीफा मिले । और भला इस कमाई और उपलब्धी से क्या लाभ "

वाचा खान के इन स्पष्ट वक्तव्यो के वाद तो इस वात में किसी सन्देह व सशय की गुजाइश नही रहती कि वे निजी रूप से कभी भी मन्त्रिमण्डल वनाने के पक्ष में नही थे, अपितु प्रत्येक वार डाक्टर साहिव की सीना-जोरी से मन्त्रि-मण्डल वनते रहे और वाचा खान वडे भाई का सम्मान रखने के लिये इसका विरोध न कर सके । फिर जहाँ तक डाक्टर खान साहिव के प्रधान मन्त्री वनने का सम्वन्ध है, इससे तो शायद कभी सहमत नही थे, क्योकि वे राजनीतिक प्रतिभा रखते थे और जानते थे कि विरोधियो को आपत्ति उठाने और दोप निकालने का अवसर मिलेगा और अन्त में यही हुआ ।

अस्तु, पहली वार जब सितम्वर १९३७ ई० में साहिव ज़ादा अब्दुल कय्यूम खान के विरुद्ध अविश्वास-प्रस्ताव पास किया गया और उनका मन्त्रिमण्डल टूट गया, तो नये कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल की स्थापना के लिये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यहाँ आये और पार्लमिण्ट्री वोर्ड की मीटिंग में गुलाम मुहम्मद खान लोदखोड का दल डाक्टर खान साहिव के मुकाबिले में समीन-जान खान को प्रधान मन्त्री वनाने के हक़ (पक्ष) में था और विरोधी दल दो वोटो से जीत भी गया । परन्तु खान साहिव के सकेत पर वाचा खान को हस्तक्षेप करना पडा और उनके अनुरोध पर डाक्टर खान साहिव ही को प्रधान मन्त्री वनाया गया ।

डाक्टर खान साहिव की सवसे वडी दुर्वलता उनकी अग्रेज़ बीवी थी, जिस के द्वारा डाक्टर खान साहिव की सीमाप्रान्त के गवर्नर सर जार्ज कनिंघम से गाढी छनने लगी और यह वात न केवल अग्रेज के शत्रु खान भाइयो की वद-नामी का कारण वनी, अपितु यह सत्य है कि वे उस चालाक अग्रेज़ की कठ-पुतली वन कर वहुत ऐसे काम अज्ञानवश करते रहे, जो शायद अग्रेज स्वय भी ऐसा करने का साहस न कर सकता । उन कामो में से गल्ला ढेर नामक

स्थान पर पीडित किसानो के आन्दोलन के कुचलने की घटना कभी नही भुलाई जा सकती, अस्तु, उन्होने इस आन्दोलन में अपने लडके अबीदुल्लाह खान को भी गिरफ्तार करके दो वर्ष के लिये जेल भिजवा दिया ।

और अब डाक्टर खान साहिब ने बाचा खान साहिब की इच्छा के विरुद्ध न केवल एक यूनिट का समर्थन किया, प्रत्युत् पश्चिमी पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री बन कर सत्ताधारी लोगो के हाथो मे खेलने लगे और उन्होने उनके हाथो अपने प्यारे भाई को गिरफ्तार कराके काल कोठरी मे पहुँचा दिया । वे प्रजातन्त्री नियमो की परवा न करते हुए सम्भ्रान्त तन्त्रात्मक ढग से असम्बन्धित इलाके से असेम्बली के बिना मुकाबला सदस्य चुने गये और जो बदनाम मुस्लिम लीगी उनके आन्दोलन को कुचलने और उनका नाम व निशान मिटाने में सदा आगे-आगे रहे, उनसे मिल कर रिपब्लिकन दल बनाया और अपने भाई बाचा खान के खुल्लम-खुल्ला विरोध पर उतर आये ।

विरोधियो का खयाल था कि डाक्टर खान साहिब ने बाचा खान के परामर्श से सरकार मे प्रवेश किया है और दोनो भाइयो ने मिल कर यह कार्य-क्रम बनाया है कि एक सरकार का विरोधी रहे और दूसरा सरकार के अन्दर रह कर काम करे । इस बात को विरोधियो ने इतने जोर-शोर से फैलाया कि अच्छे-अच्छे पढे-लिखे और समझदार लोग भी इस प्रचार से प्रभावित हुए बिना न रहे और उन दोनो भाइयो के इस दुराहे पर आकर एक-दूसरे से विलग हो जाने को गम्भीर षड्यन्त्र समझने लगे । परन्तु जब डाक्टर खान साहिब ने बाचा खान पर अपने सरकारी अधिकारो का भरपूर वार किया, तो सबकी आंखे खुल गई और डाक्टर खान साहिब के स्वभाव पर आश्चर्यचकित रह गये ।

डाक्टर खान साहिब के नियम भग करने की यह घटना कोई नई नही । देश के विभाजन से पहले, जब सीमाप्रान्त में डाक्टर खान साहिब का मन्त्रि-मण्डल था, उन दिनो लार्ड लिन्लिथगो सिमारा आये, तो सीमाप्रान्त के गवर्नर के सकेत पर उन्होने उनके स्वागत में बडी सरगर्मी से हिस्सा लिया, जबकि उन्हे ऐसा नही करना चाहिये था, क्योकि वे प्रान्त के कांग्रेसी मन्त्री थे और अखिल भारत कांग्रेस कमेटी ने लार्ड लिन्लिथगो के बहिष्कार का फैसला किया हुआ था ।

डाक्टर खान साहिब भोले-भाले सिद्ध हुए है । वे स्नेही भी है । सबके प्रति

मैत्री-भाव रखते हैं। अपने मन्त्रिमण्डल के समय में वे गरीब लोगो की मुर्गियाँ भी ढूंढ कर लाते रहे हैं, परन्तु यह सत्य है कि उनकी पीठ पीछे हाथी भी गुज़रते रहे हैं, जिनकी उन्हें खबर तक नही हुई।

उनके एक अत्यन्त विश्वस्त कार्यकर्त्ता गुलाम मुहम्मद गामा ने उनके एक "तिकडम" की, जो उन्होने अपने मन्त्रिमण्डल के समय में किया, घटना का वर्णन भी किया था। परन्तु यहाँ उसके विस्तार में जाने का अवसर नही।

बाचा खान और डाक्टर खान साहिब दोनो सगे भाई हैं, परन्तु भाई होने और एक ही आन्दोलन में कन्धे-से-कन्धा मिला कर काम करने पर भी उनमें आकाश-पाताल का अन्तर है। वे एक-दूसरे के द्वन्द्व या विलोमक तो नही, परन्तु उनके स्वभाव में पर्याप्त अन्तर है।

गाधीजी ने कहा था, "डाक्टर खान साहिब को राजनीति ने छूआ तक नही।"

सच पूछिये, तो उन्होंने ठीक ही कहा था। वे सब कुछ सही, परन्तु कम-से-कम राजनीतिक व्यक्ति नही और यथार्थ बात तो यह है कि वे राजनीति में आये नही, लाये गये हैं।

वे डाक्टरी शिक्षा के लिये इगलैण्ड गये और वहाँ से फौज में भरती होकर पहले महायुद्ध में अग्रेजो के विश्वासपात्र बन कर बडे-बडे कार्य करते रहे। युद्ध के पश्चात् भी उन्होने नौकरी छोडी नही और बहुत समय के उपरान्त जब उन्होंने फौजी नौकरी से त्यागपत्र दिया, तो पिशावर के किस्सा खानी बाजार में डाक्टरी की दूकान खोल ली। उन दिनो प्रान्त में राजनीतिक सरगर्मियाँ पूरे यौवन पर थी, बाचा खान कारावास की यातनाएँ सहन कर रहे थे, परन्तु डाक्टर खान साहिब को कुछ खबर न थी कि दुनिया में क्या हो रहा है। वे अपनी दुकानदारी में मग्न थे।

१९२७ ई० में अफगानिस्तान के लोगो की सहायता के लिये खिलाफत कमेटी ने 'हिलाले अहमर' के नाम से एक डाक्टरी शिष्टमण्डल भेजना चाहा, जिसके नेतृत्व के लिये डाक्टर के रूप में डाक्टर खान साहिब को चुना गया। इस प्रकार पहली बार राजनीतिक क्षेत्र में उनका नाम सुनने में आया। परन्तु क्रियात्मक रूप में अब भी राजनीति से उनका कोई सम्बन्ध न था। उस शिष्टमण्डल को अफगानिस्तान जाने की आज्ञा न मिल सकी और यह बात यहीं समाप्त हो गई। डाक्टर साहिब फिर अपने धन्धे में लग गये।

देश में कई हंगामे उठे और गुज़र गये, परन्तु डाक्टर खान साहिब पर कोई प्रभाव न हुआ, यहाँ तक कि अप्रैल १६३० ई० के राजनीतिक भूकम्प में भी वे अपने स्थान से न हिले ।

१६३१ ई० के आन्दोलन में बाचा खान के साथ अकस्मात् डाक्टर खान साहिब को भी गिरफ्तार कर लिया गया । उन दिनों वे पहली बार जेल गये । वे क्रियात्मक रूप से अब भी राजनीति से कोसो दूर थे, प्रत्युत् केवल बाचा खान का भाई होने के कारण उन्हे जेल जाना पडा । अग्रेजो ने उन्हे अकारण राजनीति मे घसीटा और डाक्टर साहिब को, जो अत्यन्त निश्चिन्त भाव से अब तक अपने कारोबार में लगे हुए थे, अब विवश होकर राजनीति के कण्टकाकीर्ण क्षेत्र मे पग रखना पडा । अन्त मे वे डाक्टरी भूल कर राजनीति ही के होकर रह गये ।

बाचा खान महापुरुषो की दृष्टि में—

तुर्की की सुप्रसिद्ध महिला साहित्यिक और राजनीतिक नेत्री श्रीमती खालदा अदीबा खानम हिन्दुस्तान के दौरे पर आई, तो बाचा खान से भी भेट की । उस भेंट के प्रभावो का वर्णन अपनी पुस्तक मे करते हुए उन्होने बाचा खान के प्रति इस प्रकार श्रद्धा प्रकट की है—

> "पठान जाति का यह नेता और पराक्रमी नायक एक स्वतन्त्र आत्मा का स्वामी है । वह एक सच्चा और प्रकृत मुसलमान है । बाचा खान के खुदाई खिदमतगार आन्दोलन के नियमो में इस्लामी दर्शन (फल्सफा) झलकता है । उनमें पहली शपथ अल्लाह के नाम पर है और खुदा के आदेशो के अधीन रहने (पालन करने) की आधार-भूत शिक्षा भी उनमें मिलती है । नि सन्देह इन्हीं नियमों का दृढ़ता से पालन करने पर बाचा खान का व्यक्तित्व महान् बना ।

× × ×

महात्मा गांधी ने बाचा खान के सम्बन्ध में अपनी राय प्रकट करते हुए कहा—

> "खान अब्दुल गफ्फार खान सच्चे मुसलमान हैं, मैंने उनके वर्षा निवास काल में उन्हे कभी एक नमाज़ भी कज़ा (भंग) करते नहीं देखा । वे अत्यन्त उदार-चित्त, परम धैर्यवान मनुष्य हैं । खुदाई

खिदमतगारों को आपसे असीम श्रद्धा है और वे आपको फख़्रे-अफ-गान कह कर खुश होते हैं।"

× × ×

पण्डित जवाहर लाल नेहरू कहते हैं—

"खान अब्दुल गफ्फार खान के व्यक्तित्व में सीमाप्रान्त ने एक महान् गौरवशाली मनुष्य पैदा किया है—ऐसा मनुष्य जिस पर सारा हिन्दुस्तान गौरव कर सकता है, उसने सीमाप्रान्त के रहने वालों को अवनति के गढ़े से निकाला और अपने अद्वितीय बलिदानों से न केवल सीमाप्रान्त प्रत्युत् सारे हिन्दुस्तान का सिर ऊँचा किया। उसने खुदाई खिदमतगारों की सेना तैयार करके एक महान् कार्य किया है। अहिंसा एक प्रबल शस्त्र है। इसे केवल बहादुर और दलेर मनुष्य ही प्रयोग कर सकते हैं। सीमाप्रान्त के स्वाभिमानी लोगों ने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में इस शस्त्र को पूरी बहादुरी से अपनाया है।"

× × ×

अविभाजित भारत के विख्यात राष्ट्रवादी मुसलमान डा० सैयद महमूद कहते हैं—

"पठानों ने स्वाधीनता के लिये गोलियाँ खाईं, परन्तु पीठ नहीं दिखाई। यह भाव सीमाप्रान्त के पठानों में खान अब्दुल गफ्फार के प्रयत्नों से पैदा हुआ है। सीमाप्रान्त के पठानों के बलिदानों के कारण समस्त देश के हिन्दू और मुसलमान उन्हें सारे देश का रक्षक समझते हैं और सीमाप्रान्त के पठानों को यह गौरव उनके नेता खान अब्दुल-गफ्फार खान के कारण प्राप्त हुआ है। मुसलमानों और विशेषत पठानों को इस बात का गर्व है कि उन्होंने हिन्दुस्तान में राष्ट्रीयता को फैलाया और इसके सबसे पहले प्रवर्त्तक भी वही हैं। इस चीज़ को सबसे पहले शेरशाह सूरी ने प्रस्तुत किया था। उन्होंने राष्ट्रवाद के विचार को इतना फैलाया कि अंग्रेज इतिहासकारों को भी यह बात स्वीकार करनी पड़ी। यह शेरशाह पठान था और मुझे विश्वास है कि दूसरे शेरशाह अब्दुल गफ्फार खान इस विचार की पूर्ति करेंगे।"

× × ×

दिवगत मलिक खुदा बख्श जो सीमाप्रान्त के सबसे बडे राजनीतिज्ञ थे और बहुत समय तक सीमाप्रान्त की विधान असेम्बली के स्पीकर भी रहे, उन्होंने बाचा खान के व्यक्तित्व के सम्बन्ध मे अपना निम्नलिखित जचा-तुला अभिमत उपस्थित किया है—

"फखे-अफगान खान अब्दुलगफ्फार खान अपने घाव लेकर कांग्रेस में दाखिल हुए और उनके बलिदानों तथा निष्काम सेवाओं का यह प्रभाव हो रहा है कि आज सीमाप्रान्त के लाखों निवासी उनके सकेत पर सब कुछ करने को तैयार हैं।.........आप भेंट करते समय, हाथ मिलाते समय और बातें करते समय मुस्कराते हैं। विचित्र अन्दाज़ से चलते हैं। क़दम तेज होता है, परन्तु छोटा। अपने कमरे में स्वयं भाड़ू देते हैं। आपका जीवन अत्यन्त सादा है। सच है कि बड़े व्यक्तियो की बडाई किसी मूल्यवान लिबास की ऋणी नहीं होती।"

× × ×

महादेव देसाई अपनी पुस्तक "दो खुदाई खिदमतगार" में बाचा खान के विषय में लिखते हैं—

"मेरे निकट खान अब्दुल गफ्फार खान में सबसे बड़ी वस्तु उनकी आध्यात्मिकता या सच्चा इस्लामी भाव है अर्थात् अल्लाह के हुजूर में सिर भुका देना। मुझे बहुत-से मुस्लिम मित्रों की मैत्री का गौरव प्राप्त है जो फौलाद की भाँति सुदृढ और स्थिर चित्त हैं और हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिये अपना सब कुछ बलिदान कर देने को तैयार हैं। परन्तु आज तक एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं देखा, जो असाधारण रूप से शुद्ध-पवित्र और यतित्वमय जीवन की दृष्टि से, अत्यन्त कोमल भावो की दृष्टि से और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखने की दृष्टि से खान अब्दुल गफ्फार खान से बढकर या उनके बराबर भी हो।"

× × ×

बाचा खान के साथी—

इसमें सन्देह नहीं कि बाचा खान "खुदाई खिदमतगार" आन्दोलन के प्रवर्तक भी हैं। पख्तून जाति के एकमात्र सर्वप्रिय नेता भी हैं और आपने यहाँ जितना काम किया है या जो सेवाएँ तथा बलिदान आपके हैं, उनका उदाहरण

नही मिलता। परन्तु इस काम में आपके साथियो का भी पर्याप्त हिस्सा है और मैं समझता हूँ कि उनके उल्लेख के बिना यह पुस्तक किसी तरह भी पूर्ण नही कहलाई जा सकती।

**मुहम्मद अकबर खादिम —**

पश्तो के विख्यात राष्ट्रवादी कवि दिवगत खादिम साहिब बाचा खान की दाहिनी भुजा थे और खुदाई खिदमतगार दल के प्रवर्त्तको में से थे। वे एक क्रान्तिकारी कवि और अग्नि-कण्ठ वक्ता थे। उन्होने अपने तूफानी दौरो और ओजस्वी कविताओ से सारे प्रान्त में आग लगा दी और आन्दोलन को फैलाने तथा बढाने में सबसे अधिक काम किया। यहाँ तक कि १९३०-३१ ई० के अत्यन्त भीषण समय में जब बाचा खान के बहुत-से साथी आतक के मारे आन्दोलन मे विलग हो गये, तो आप अकेले ही सारे प्रान्त में भ्रमण करते रहे। आपने वर्षो तक कैद के कष्ट उठाये। अत. कारावास के दौरान ही आपका मानसिक सन्तुलन जाता रहा और उसी अवस्था में परलोक सिधार गये।

**काज़ी अताउल्लाह—**

खुदाई खिदमतगार आन्दोलन के दूसरे वीर नेता काज़ी अताउल्लाह (दिवगत) थे। वे न केवल इस आन्दोलन के प्रवर्त्तको में से थे, प्रत्युत् इसके लिये खुदाई खिदमतगार नाम भी उन्होंने निश्चित किया। वे बाचा खान के पुराने साथी थे और अन्तिम समय तक उन्होने बाचा खान का साथ निभाया। वे अपने स्वतन्त्र विचार और मत रखते थे। बिना सोचे-समझे किसी की हाँ में हाँ मिलाने के आदी न थे। कई बार बाचा खान से भी मतभेद प्रकट करते थे और उनके मूल्यवान परामर्शो को बाचा खान सहर्ष स्वीकार कर लेते थे।

काजी साहिब ने १९१८ ई० में अलीगढ विश्वविद्यालय से वकालत की डिग्री प्राप्त की और मरदान में प्रैक्टिस करने लगे। १९१९ ई० में पहली बार रोलट-बिल के आन्दोलन में उन्होंने बाचा खान के साथ मिलकर राजनीति में भाग लेना आरम्भ किया और इसके बाद वे प्राय बाचा खान के सच्चे साथी बने रहे। अन्जुमने-इस्लाह्-अल अफागना, यूथ लीग, खुदाई खिदमतगार दल और कॉग्रेस में उन्होने बाचा खान के कन्धे-से-कन्धा मिलाकर काम किया तथा उनके साथ समय-समय पर कारावास के कष्ट सहन करते रहे।

१९३६ ई० के साधारण चुनाव मे काजी साहिब सीमाप्रान्त असेम्बली के

सदस्य निर्वाचित हुए और १९३७ ई० में सीमाप्रान्त में कांग्रेस का पहला मन्त्रि-मण्डल स्थापित हुआ, तो काजी साहिब को शिक्षा मन्त्री के पद से सम्मानित किया गया। उस समय यद्यपि प्रधान मन्त्री डाक्टर खान साहिब थे, परन्तु सरकार की शासन-व्यवस्था का सचालन काजी साहिब ही करते रहे।

१९२२ ई० मे अवज्ञा आन्दोलन मे आप फिर गिरफ्तार होकर जेल गये और तीन वर्ष की नजरबन्दी के पश्चात् जब पुन कांग्रेस मन्त्रिमण्डल की स्थापना हुई, तो आपके रिहा होते ही आपको मन्त्रिमण्डल की कुर्सी पर बिठा दिया गया।

पाकिस्तान के बनने के पश्चात् कांग्रेस मन्त्रिमण्डल तोड दिया गया और आप बाचा खान और उनके साथियो सहित गिरफ्तार कर लिये गये। जेल में आपका स्वास्थ्य दिन-प्रतिदिन बिगडता गया। अन्तिम समय आपको लाहौर के म्यो हस्पताल में चिकित्सा के लिये लाया गया, जहाँ १७ फरवरी १९५२ ई० को आपका देहावसान हो गया।

काजी साहिब एक अच्छे साहित्यकार और इतिहासज्ञ भी थे। आपने पश्तो भाषा में पश्तूनो का इतिहास दो खण्डों में लिखा, जो आपके जीवन-काल ही में प्रकाशित हो गया था। इसके अतिरिक्त समय-समय पर आपके लेख 'पश्तून' पत्रिका मे प्रकाशित होते रहे। आपका सबसे बडा कार्य यह है कि आपने उस समय जब आप सीमाप्रान्त के कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल में मन्त्री थे, सीमाप्रान्त के सरकारी विद्यालय मे पश्तो भाषा की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया।

१७ फरवरी १९५७ ई० को मरदान मे नेशनलिस्ट पार्टी के तत्वावधान मे आपका बलिदान दिवस बडे समारोह के साथ मनाया गया।

समीन जान खान—

दिवगत समीन जान खान बाचा खान के पुराने साथियो मे से थे। उन्होंने खुदाई खिदमतगार आन्दोलन मे महत्वपूर्ण भाग लिया और कारावास की कठोर यातनाएँ झेलते रहे। १९३७ ई० में पहला कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल स्थापित होने लगा, तो डाक्टर खान साहिब के मुकाबले पर प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी का बहुमत समीन जान खान को प्रधान मन्त्री बनाने के पक्ष में था। परन्तु कुछ अज्ञात हितो के आधार पर डाक्टर खान साहिब को प्रधान मंत्री बना दिया गया। यहीं से समीन जान खान का मतभेद आरम्भ हुआ और वे कांग्रेस को छोड़ कर मुस्लिम लीग में सम्मिलित हो गये। पाकिस्तान की स्थापना के पश्चात् आपने

ीर मानकी शरीफ के दल के साथ मुस्लिम लीग मे विलग होकर अवामी लीग की नीव डाली। १९५६ ई० में एक यूनिट विरोधी मोर्चा (एण्टी यूनिट फ्रण्ट) ―ापित हुआ, तो आप फिर वाचा खान से आ मिले और स्वास्थ्य की खराबी के बावुजूद सारे प्रान्त में दौरे करते रहे। अत आपका स्वास्थ्य अधिक बिगड गया और नवम्बर १९५६ ई० को लेडी रीडिंग हस्पताल मे आपका प्राणान्त हो गया।

आप अत्यन्त योग्य पुरुष थे और पश्तो के अद्वितीय वक्ता थे। वाचा खान को छोडकर सार्वजनिक वक्ताओ में से कोई भी आपका मुकाबला नही कर सकता था।

**अरबाब अब्दुल ग़फ़ूर खान—**

१९०७ ई० में आपने तहकाली नामक गाँव में जन्म लिया। कालेज की पढाई के समय ही से आपने राजनीति में भाग लेना आरम्भ कर दिया था। सितम्बर १९२९ ई० में आपने अतमानजई के ऐतिहासिक अधिवेशन में भाग लिया, जिसमें "अफगान जिरगा" की नीव डाली गई। १९३१ ई० में कालेज के लडको ने हशतगार में एक नाटक खेला, जिसमें अमीर नवाज जलिया गिरफ्तार कर लिया गया। कालेज के छात्रो ने विरोध प्रकट करने के लिये जलसा किया। फलत कालेज के अधिकारियो ने आठ छात्रो को कालेज से निकाल दिया। उन छात्रो की सूची में अरबाब अब्दुल गफूर का नाम सबसे ऊपर था। यही से उन्होने नियमित रूप से राजनीति मे भाग लेना आरम्भ कर किया। १९३१ ई० में आप पहले-पहल गिरफ्तार होकर डेढ़ वर्ष के लिये कैद हुए। यह दण्ड भुगत कर आप जेल से बाहर आये। परन्तु आते ही सीमाप्रान्त दण्ड विधान की धारा ४० के अधीन फिर तीन वर्ष के लिये जेल में कैद कर दिये गये।

सीमाप्रान्त में जब पहला कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल स्थापित हुआ, तो उसमें आप पार्लमिण्ट्रीय सेक्रेटरी नियुक्त हुए। १९३९ ई० में कांग्रेस मन्त्रिमण्डल ने त्यागपत्र दे दिया। १९४० ई० में अरबाब साहिब विद्रोह के अभियोग में दो वर्ष तक कैद रहे। १९४२ ई० में रिहा होकर आये, तो कुछ बातो में मतभेद होने के कारण आपने कांग्रेस से सम्बन्ध विच्छेद कर लिया और "अफगान जिरगा" में काम करने लगे। बाद में पीर साहिब मानकी शरीफ के प्रभाव से आप मुस्लिम लीग में सम्मिलित हो गये। पाकिस्तान के बनने के पश्चात् आपका

य्यूम खान से मतभेद बढ गया और आपने पीर साहिब के नेतृत्व मे अवामी लीग बनाई और उत्तरोत्तर तीन बार गिरफ्तार होकर उन्हे जेल जाना पडा। १९५६ ई० में यूनिट विरोधी फ्रण्ट पर आप फिर बाचा खान के साथ मिल कर काम करने लगे और अब तक तत्परता से काम कर रहे हैं।

अरबाब अब्दुल गफूर खान सच्चे, ईमानदार और साहसी राजनीतिक कार्य-कर्त्ता हैं। आप बहुत अच्छे वक्ता और सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं। आप में काम करने की बडी क्षमता है। पिशावर से चकला हटाने का श्रेय आप ही को पहुँचता है।

**अली गुल खान—**

अली गुल खान १८९८ ई० में पिशावर में पैदा हुए। वे मैट्रिक में पढ रहे थे कि असहयोग आन्दोलन आरम्भ हो गया। उन्होने पढाई छोड कर राजनीतिक कार्यों में भाग लेना आरम्भ कर दिया। रोलट एक्ट और हिज्रत के आन्दोलनो मे स्वयसेवक के रूप में काम किया। १९२२ ई० में प्रिन्स आफ वेल्ज के बाय-काट मे भाग लेने के अपराध में गिरफ्तार होकर उन्होंने ६ महीने कैद का दण्ड पाया। जब वे रिहा होकर आये, तो खिलाफत कमेटी के मन्त्री नियुक्त हुए। १९२९ ई० में आप कांग्रेस मे शामिल हुए। १९३० ई० के आन्दोलन में पिशा-वर नगर के जिन नेताओ को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया, उनमें वे भी सम्मिलित थे, आपको एक वर्ष कारावास का दण्ड दिया गया।

आप एक समय तक पिशावर म्यूनिसिपल कमेटी के एडमिनिस्ट्रेटर के कर्त्तव्यो का पालन करते रहे। पाकिस्तान के बनने से पहले ही स्वास्थ्य की खराबी के कारण आपको विवशतः राजनीतिक जीवन से हाथ खीच लेना पडा।

**हकीम अब्दुल जलील—**

सीमाप्रान्त कांग्रेस कमेटी की बागडोर बाचा खान के हाथ में चली गई और उन्होने केन्द्रीय कार्यालय अतमानजई में स्थानान्तरित कर दिया, तो पिशावर के लगभग सभी राजनीतिक कार्यकर्त्ता कांग्रेस से विलग हो गये। परन्तु अली गुल खान और हकीम अब्दुल जलील साहिब ने पूरे दृढ चित्त और वफादारी से बाचा खान का साथ दिया। हकीम साहिब पुराने राजनीतिक कार्यकर्त्ता है। उन्होंने सदा जाति की सेवा निष्काम भाव से की और हर प्रकार के बलिदान के लिये आगे रहे। पिशावर में कांग्रेस के प्रवर्त्तको में से हैं। रोलट एक्ट के जमाने में

देश की राजनीति में भाग लेने लगे और पाकिस्तान की स्थापना तक पूरी सरगर्मी से काम करते रहे। पाकिस्तान बनने के पश्चात् आप राजनीति से अलग होकर एकान्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

**अब्दुल समद खान अचकजई—**

आप बलोचिस्तान के विख्यात नेता और बाचा खान के पुराने साथी हैं। आपका सारा जीवन राजनीतिक आन्दोलनों में व्यतीत हुआ। वर्षों तक कारावास के कष्ट सहन करते रहे। आप एक सच्चे सिद्धान्तवादी और राष्ट्रवादी मनीषी हैं।

**आशिक शाह—**

आप १९३० ई० में खुदाई खिदमतगार आन्दोलन में सम्मिलित हुए और आज तक पूरी दृढता से बाचा खान का साथ दे रहे हैं। कम-से-कम दस वर्ष जेल काट चुके हैं। बाचा खान के श्रद्धालु और सच्चे साथी हैं।

**अमीर मुहम्मद खान—**

आप १९३१ ई० मे खुदाई खिदमतगार आन्दोलन से सम्बन्धित हुए। आप बाचा खान के विश्वस्त जरनैल हैं। बहुत ही स्वस्थ और सबल नौजवान थे, परन्तु निरन्तर कैद की यातनाओं ने आपके स्वास्थ्य को नष्ट कर दिया। आप दृढव्रती, धैर्यवान, साहसी और वीर पुरुष हैं।

**अब्दुल-खालिक़ 'खलीक़'—**

पश्तो के बहुत बडे साहित्यकार और बाचा खान के पुराने साथी हैं। आप एक समय तक खुदाई खिदमतगार आन्दोलन के विख्यात पत्र "पख्तून" के सम्पादक रहे और आज तक पूरी वफादारी से अपने पथ पर आरूढ हैं।

**अब्दुल वली खान—**

अब्दुल वली खान बाचा खान के बडे बेटे और खुदाई खिदमतगार आन्दोलन के अनथक कार्यकर्त्ता हैं, १९३१ ई० में आप पहली बार गिरफ्तार हुए। इसके पश्चात् आपको कई बार जेल जाना पडा। आप उदार और स्वतन्त्र विचारक हैं, अच्छे पढे-लिखे और समझदार नौजवान हैं। राजनीतिक सूझ-बूझ में आपको खुदाई खिदमतगार नेताओं में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है।

**मास्टर अब्दुल करीम—**

मास्टर अब्दुल करीम बाचा खान के स्वतन्त्र राष्ट्रीय विद्यालय के स्नातक हैं। आप आरम्भ ही से खुदाई खिदमतगार आन्दोलन में काम करते रहे हैं। आपके

जीवन का अधिक भाग जेल मे व्यतीत हुआ। आप सच्चे और अनथक कार्यकर्त्ता हैं। पश्तो के अच्छे साहित्यकार भी हैं।

**हुसैन बख्श कौसर—**

हुसैन बख्श कौसर पिशावर के रहने वाले हैं। खुदाई खिदमतगार आन्दोलन और बाचा खान के अनन्य भक्तो मे से हैं। आपने कई बार कारागार की भीषण यातनाएं झेली हैं। आप आजकल भी एक आपत्तिजनक भाषण करने के अभियोग में कैद है। उर्दू और पश्तो के उच्च साहित्यकार और कवि हैं। आपने पश्तो में एक बहुत बडी पुस्तक लिखी है, जो अभी प्रकाशित नही हो सकी।

**अब्दुलग़नी ख़ान—**

आप बाचा खान के मझले बेटे और खुदाई खिदमतगार कार्यकर्त्ता हैं। दो बार जेल जा चुके हैं। आपने उच्च शिक्षा पाई है। आप अग्रेजी और पश्तो के उदीयमान कवि और साहित्यिक होने के साथ-साथ चित्रकार भी हैं।

**याहया जान—**

आप बाचा खान के दामाद है और पिशावर के एक प्रसिद्ध लब्धप्रतिष्ठ परिवार से सम्बन्ध रखते हैं। आप बहुत समय से खुदाई ख़िदमतगार आदोलन से सम्बन्ध रखते हैं। आप कांग्रेस मन्त्रिमण्डल मे शिक्षामन्त्री रह चुके हैं और गम्भीर तथा शान्त कार्यकर्त्ता हैं।

**वली मुहम्मद तूफान—**

वली मुहम्मद 'तूफान' पश्तो और उर्दू के बहुत अच्छे शाइर, साहित्यिक और पत्रकार हैं। १९३० ई० में खुदाई खिदमतगार आदोलन से आपका सम्पर्क स्थापित हुआ और आज तक अत्यन्त निश्चल भाव से बाचा खान का साथ निभा रहे हैं। आप अनथक कार्यकर्त्ता और सच्चे मनुष्य हैं। कई बार कैद और बन्ध के कष्ट भी आपने सहन किये। इन दिनो आप नेशनलिस्ट पार्टी के सरगर्म कार्यकर्त्ता हैं और पश्तो के साप्ताहिक पत्र "रहबर" के सम्पादन विभाग में काम कर रहे हैं।

**मीर महदी शाह—**

मीर महदी शाह पुराने राजनीतिक कार्यकर्त्ता हैं। आप ख़ुदाई ख़िदमतगार आदोलन के सरगर्म और अच्छे वक्ता हैं। पश्तो भाषा के उच्च कवियो में आपकी गणना होती है। इसके अतिरिक्त आप पश्तो के कहानी-लेखक और पत्र-

कार भी हैं। पश्तो के साप्ताहिक पत्र "रहबर" के सम्पादक हैं।

**अजमल खटक—**

अजमल खटक पश्तो भाषा के चोटी के साहित्यिक, कवि और पत्रकार हैं। खुदाई खिदमतगार आदोलन के साथ बहुत समय से आपका सम्बन्ध है, आपने पठानिस्तान आदोलन के अभियोग में बहुत समय कैद व बन्ध के कष्ट सहन किये। आप अदम्य कार्यकर्त्ता और मेधावी नौजवान हैं।

**सरअञ्जाम खान—**

सरअञ्जाम खान बाचा खान के भाँनजे हैं। खुदाई खिदमतगार दल के सरगर्म कार्यकर्त्ता हैं। इन दिनो नेशनलिस्ट पार्टी से सम्बन्ध रखते हैं। आप उच्च हौसला, निडर और सच्चे नौजवान हैं।

अब्दुल कय्यूम सवाती, हाजी फकीरा खान, महाशय शिवराम, चौधरी जयकृष्ण, राजा गुलाम सरवर, जलाल बाबा, जिला हजारा में दाऊद खान सालार, पीर खान (बका), मियाँ अब्दुल कय्यूम, उम्र फारुक, जगत् राम, मास्टर गुलाम हैदर (एबटाबाद), हकीम अब्दुस्सलाम (हरीपुर) मुहम्मद हुसैन (हरीपुर), मौलाना कमर अली (मानसहरा)—ये सब खुदाई खिदमतगार और कॉग्रेस-दलो के सरगर्म कार्यकर्त्ता थे।

हजारा मे किसान फ्रण्ट पर मलिक अमीर आलम अ'वान, मुहम्मद हुसैन अ'ता, गुलाम खान ( पिण्ड खाकडा ) मौलाना गुलाम रब्बानी लोधी, मौलाना अब्दुर्रऊफ (हरीपुरा), हकीम अब्दुल वाहद ( सराए सालह ) आदि काम कर रहे थे, परन्तु कॉग्रेस और खुदाई खिदमतगार आन्दोलनो को प्राय इनकी सहायता मिलती रही।

मजलिसे-अहरार में मौलवी गुलाम गौस (बगा), डाक्टर हारून, जमियतुल-उलमा में मौलाना अब्दुल वदूद, (बगा) सैय्यद महमूद शाह (बगा) मौलाना मुहम्मद इस्हाक ( ऐबटाबाद ) काम करते रहे। इन लोगो ने भी सस्थागत रूप से कॉग्रेस और खुदाई खिदमतगार आन्दोलनो का साथ दिया।

सीमाप्रान्त मे कॉग्रेस की स्थापना से पहले हजारा खिलाफत आन्दोलन का बहुत बडा केन्द्र था। मौलाना मुहम्मद इस्हाक मानसहरवी इस सस्था के नेता थे। आप देवबन्द के विद्वान् और जनता के प्रिय नेता थे। आपके साथी गुलाम रसूल ( सफेदा निवासी ), मौलाना मुहम्मद इ'रफान मानसहरवी, बाबा हस-

राज थे। उन दिनो राष्ट्रीय आन्दोलन जोरो पर था और हिन्दू-मुस्लिम एकता के नारे चारो ओर गूंजते थे।

खिलाफत के पश्चात् अञ्जुमने-इस्लाहे-रुसूम (रीति-सुधार-सभा) के नाम से एक सुधार सभा ख़ुदाई ख़िदमतगार के तौर पर स्थापित हुई। उस अञ्जुमन के बनाने वाले मौलवी गुलाम अहमद साहिब ( शगई बाला कोट ) थे। मुफ्ती मुहम्मद अलयास, मौलवी महमूद साहिबा, काज़ी मुहम्मद अब्दुल्लाह, महदी-ज़मान खान (कलाबट) उनके अनुयायी थे।

मौलाना अब्दुर्रहमान साहिब हज़ारा में नेता थे। लगभग समस्त राज-नीतिक नेता आप ही के द्वारा प्रशिक्षित थे। आप बहुत बडे विद्वान् थे। आपके विचार स्वतन्त्र थे और धर्ममत के विषय मे उदार भाव रखते थे।

कोहाट मे मौलाना अहमद गुल, पीर सय्यद कमाल, पीर हसन शाह, मियाँ फज़्ल शाह, चाचा गुलाम रसूल, लाला मुहम्मद अयूब, चाचा गुलाम कादिर, पीर शहन्शाह, मौलवी अब्दुल जब्बार, उस्ताद अनवर, अहमद, हाजी अब्दुल-गफूर (दिवगत), मौलाना अब्दुल्लीफ पराचा, मियाँ रहमतुल्लाह, हाफिज इलाही बख्श प्राचा, मिस्तरी गुलाम हैदर (दिवगत), अखगार कोहाटी, मियाँ मारूफ-शाह आदि ख़ुदाई खिदमतगार और कांग्रेस के पहले दौर में इन सस्थाओ के अत्यन्त सरगर्म कार्यकर्त्ता थे।

दूसरे दौर में खैर मुहम्मद जलाली, काका ख़ुशहाल खान, गुलाम मुहम्मद प्राचा, सालार असलम ख़ान साहिब गुल, मुहम्मद अफज़ल खान, मलिक शेर जमान, ठेकेदार अली बादशाह (दिवगत), गुलाब खान, काजी मुहम्मद हुसैन (दिवगत), मौलाना हबीब गुल, गुलाम हैदर खान, अब्दुल खान, मीर अकबर, पीर नूरान शाह, गुल मुहम्मद खान वकील, ऐनुद्दीन वकील, मुहम्मद तैयब, मुहम्मद अकरम खान, मीर वली, चचा गुलाम हुसैन, पण्डित अनूपचन्द वकील, सरदार गोपालसिंह, डाक्टर मोहनलाल गुलाटी, महता दीवानचन्द, ऊधमलाल, सीताराम, तारासिंह, आजाद सुन्दरसिंह, पण्डित त्रिलोकनाथ आदि ख़ुदाई-ख़िदमतगार और कांग्रेस आन्दोलनो के जीवन-प्राण थे।

बन्नू में मलिक अकबर खान, हाजी असलम खान, सालार याकूब खान, विश्वामित्र, मास्टर कपलराम, सरदार रामसिंह, आदि ख़ुदाई खिदमतगार उल्लेखनीय हैं।

हजारा, कोहाट, वन्नू के इन महानुभावो में से कुछ लोग वाद में कांग्रेस से विलग होकर अन्य दलो में सम्मिलित हुए, परन्तु प्राय अन्त तक वाचा खान के साथ रहे और अब तक साथ हैं। इन सब महानुभावो ने देश के स्वाधीनता-सग्राम में ऐसे अमूल्य बलिदान किये हैं, जो प्रत्येक दृष्टि से सराहनीय हैं।

पिशावर में आगालाल वादशाह, अल्लाह वख्श यूसफी, रहीम वख्श गजनवी, पीर वख्श खान, सरदार अब्दुर्रव निश्तर, आगा कासिम शाह, हाजीजान मुहम्मद (दिवगत), सलीम खान, उम्रखान, मलिक अमीर आलम, आ'वान, खानमीर हिलाली, हाजी अकरम खान (वहादुर कली) आदि आरम्भ में खिलाफत कमेटी और कॉंग्रेस के विख्यात नेता थे। उन्होने भारी वलिदान भी दिये, अनथक काम भी किया, परन्तु वाद में उन्हें कुछ कारणो मे कॉंग्रेस से विलग होकर मुस्लिम लीग से अपना सम्बन्ध जोडना पडा।

मौलाना अब्दुर्रहीम पोपलजई (दिवगत), काका सनौवर हुसैन, मास्टर शेरअली, श्रीराम कमण्डी, वख्शी फकीरचन्द, रोशनलाल, रामसरन नगीना, अब्दुगफूर आतिश, काशीराम उफ्क, अचरजराम, मोहनलाल, अब्दुल्लाह जान, अब्दुर्रहमान रया, अल्लाह वख्श वर्क़ी, अब्दुल-अ'जीज खुशवाश, गुलाम रव्वानी सेठी उग्रवादी दल से सम्बन्ध रखते थे और नौजवान भारत सभा के प्राणो पर खेल जाने वाले सिपाही थे। यह दल कॉंग्रेस के अग्रानीक दल की हैसियत रखता था। ये सव प्राय कॉंग्रेस के कार्यक्रम पर ही चलते रहे और इन्होने प्रत्येक अवसर पर वढ-चढ कर वलिदान दिये। ये वाचा खान की अहिंसा नीति से सहमत नही थे। हवीव नूर, रामकिशन और गाजी अब्दुर्रशीद नौजवान भारत सभा ही के सदस्य थे, जो विभिन्न अवसरो पर जालिम और अत्याचारी अग्रेज अफसरो पर मारात्मक आक्रमण करने के अपराध मे फाँसियो पर चढा दिये गये।

मियाँ अहमदशाह खुदाई खिदमतगार दल के प्रवर्तको और वाचा खान के प्रारम्भिक साथियो में से हैं। जो वाद में खाकसार दल में सम्मिलित हो गये और अव मौन जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

डाक्टर खान साहिव वाचा खान के भाई और दाई भुजा एक समय तक खुदाई खिदमतगार आन्दोलन के स्तम्भ समझे जाते थे। इन दिनो इस दल से विलग होकर रिपब्लिकन पार्टी के नेता और पश्चिमी पाकिस्तान के मुख्य मन्त्री हैं।

अवीदुल्लाह खान डा० खान साहिव के वेटे हैं और खुदाई खिदमतगार आन्दोलन के सरगर्म कार्यकर्त्ता रह चुके हैं, उन्होने १६३१ ई० में वडा नाम पैदा किया। उनका चारसदा जेल में ३८ दिन का अनशन और मुलतान जेल मे ७८ दिन का अनशन हमारे स्वाधीनता आन्दोलन के इतिहास मे चिरस्मरणीय घटनाएँ हैं। आप भी इन दिनो रिपव्लिकन पार्टी से सम्वन्धित हैं।

गुलाम मुहम्मद लोदखोड खुदाई खिदमतगार और कांग्रेस के प्रसिद्ध सीमा-प्रान्तीय नेता हैं, जिन्होंने इन सस्थाओ मे रहकर अमूल्य वलिदान दिये। अव अवामी लीग के साथ हैं।

अहमद मियाँ और अव्वास खान आपके (वाचा खान) के शुरू ही के साथियो में से हैं और इस दृष्टि से उनका महत्व वहुत अधिक है।

पीर साहिव मानकी शरीफ वाचा खान के विरोधी रहे हैं। परन्तु इन दिनो आपसे सहमत हैं और एक यूनिट विरोधी मोर्चे पर आपके कन्धे-से-कन्धा मिला कर काम कर रहे हैं।

निक्को देवी पिशावर की एकमात्र महिला हैं, जो कांग्रेस की अनथक कार्यकर्त्ता थी। वह वीर महिला आरम्भ ही से अपने वेटे रोशनलाल के साथ राष्ट्रीय आन्दोलनो में वहुत वढ-चढ कर हिस्सा लेती रही। वे कांग्रेस और नौजवान भारत सभा की वहुत वडी महिला कार्यकर्त्ता थी। अन्त मे फार्वर्ड व्लाक में सम्मिलित हो गईं। पाकिस्तान की स्थापना के पश्चात् भारत चली गईं। इन दिनो दिल्ली मे रहती हैं। १६३१ ई० में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने वम्वई के अपने विशेष अधिवेशन में निक्को देवी के परामर्श से ही सीमाप्रान्त कांग्रेस कमेटी की वागडोर वाचा खान के हाथो मे दी थी।

गुलाम मुहम्मद गामा खुदाई खिदमतगार और कांग्रेस का जान पर खेल जाने वाला सिपाही तथा वाचा खान का श्रद्धालु था। लगभग दस वर्ष कैद में व्यतीत किये। अव रिपव्लिक पार्टी के सदस्य हैं।

सरफराज खान, हजाव गुल और मुहम्मद अकवर खान सवसे पहले तीन खुदाई खिदमतगार हैं।

अब्दुल-हकीम खान और महमूद शाह दो खुदाई खिदमतगार अतमानज़ई फायरिंग में शहीद हुए। लाला पैंडा खान, सरदार रामसिंह, अमीर नवाज़ जलिया, असलम खान शरर (दिवगत), भाई जान, सालार मुर्तजाखान,

रबनवाज खान, ऐमो, सालार अमीन जान, मुकर्रब खान, हबीबुल्लाह खान, सतार खान, चेलाराम शौक, मिया मुहम्मद शाह, मुहम्मद यूनस, हकीम असलम सजरी, मुहम्मद सदीक (चारसद्दा), मुहम्मद आशिक, अचरज राम, ताज मुहम्मद, फिरदौस खान मानेरी, मीरख़ान मेजी, राहत खान सखाकोट, अब्दुल अजीज़ खान, इनायतअली शाह, मियाँ शाकिरुल्लाह गजर गढी, वहादुर नवाज खान, हकीम खैर मुहम्मद, अरब ख़ान (कोटला मुहसन खान, पिशावर), गुलाम जीलानी खान (पिशावर), करामत शाह फौलाद (पडाँग चारसद्दा) आदि काँग्रेस और खुदाई खिदमतगार सस्थाओ में ऐसे सरगर्म कार्यकर्त्ता रह चुके हैं, जिन्हें कभी भुलाया नही जा सकता और इनमें से वहुधा आज तक उसी तत्परता और जोश से काम कर रहे हैं। उन्होने देश के राजनीतिक आन्दोलन मे सराह-नीय वलिदान दिये हैं और ख़ुदाई खिदमतगार आन्दोलन के वढाने, फैलाने और सफल वनाने में सदा आगे-आगे रहे हैं।

# परिशिष्ट

मैं 'सियासियाते सरहद'—सीमाप्रान्त की राजनीति के सम्बन्ध में पुस्तक—लिखने के लिये पर तोल रहा था, प्रत्युत् इसका बहुत-सा भाग लिख भी चुका था कि जून १९५६ ई० में खान अब्दुल गफ्फार खान गिरफ्तार हो गये। फिर जेल से उनकी बीमारी की बुरी-बुरी खबरें आने लगी। इधर उनके विरुद्ध मुक़-द्दमों का अम्बार लगा दिया गया और लक्षण यही बताते थे कि शासक वर्ग उन्हें बाहर देखना नही चाहता और किसी अनन्त यात्रा पर भिजवा रहा है। मैंने उनके बुढापे के स्वास्थ्य की खराबी, कारागार के कष्टो और उनके अपने प्रिय भाई तथा आयु भर के साथी के हाथो गिरफ्तार होने के दुख की कल्पना की, तो ऐसा अनुभव हुआ, जैसे इस बार बाचा खान शायद ही जेल से जीवित और सकुशल लौट कर आएँ। मुझे दिवगत काज़ी अताउल्लाह के जेल में देहावसान की बात याद आ गई। हृदय शोक और दुख से भर गया और मैंने सियासियाते-सरहद से पहले बाचा खान का जीवन-चरित्र लिखने का निश्चय कर लिया, जबकि मेरे कार्यक्रम के अनुसार यह चीज़ सियासियाते-सरहद के बाद आनी चाहिये थी।

बाचा खान सुप्रसिद्ध व्यक्ति हैं अत उनका परिचय देने की आवश्यकता नही। देश के स्वाधीनता-सग्राम में उन्होने इतना महत्त्वपूर्ण पार्ट अदा किया है कि हिन्द व पाक का बच्चा-बच्चा उन्हे जानता है, उनके बलिदानो, त्याग और सेवाओ से परिचित है तथा उनके सौहार्द, सत्य-निष्ठा और दयानतदारी को स्वीकार करता है। परन्तु उनके जीवन के कई कोण-निकुज अभी तक लोगो के सामने नही आये। इसका एक कारण तो यह है कि उस समय की धाँधली या अशान्ति मे किसी को उस ओर ध्यान देने का अवसर ही न मिला, दूसरा, वे कुछ ऐसी परिस्थितियो में से गुज़र रहे थे कि उनके सम्बन्ध मे कुछ लिखना बहुत बडा खतरा मोल लेने के समान था, तीसरा वे लोग, जो उनके बहुत निकट थे, या उनके विषय में कुछ लिखने की सामर्थ्य रखते थे, स्वयं भी बाचा ख़ान

की भाँति अत्याचार का लक्ष्य बने हुए थे और उन्हे इतना अवकाश ही न था कि वे अपनी चिरकालीन इच्छा तथा समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा कर सकते।

मुझे भूतपूर्व सीमाप्रान्त और सीमाप्रान्त के निवासियो के सम्बन्ध में लिखने का जो पागलपन है, उसको सामने रख कर मेरे कार्यक्रम में सियासियाते-सरहद के अतिरिक्त सीमाप्रान्त के प्रमुख राजनीतिक महानुभावो के जीवन-चरित्र पर अलग-अलग पुस्तकें प्रस्तुत करना भी समाविष्ट था। इसी विचार से मैं आरम्भ ही से बाचा खान के जीवन और उनके खुदाई खिदमतगार आन्दोलन का न केवल गम्भीर अध्ययन करता रहा, प्रत्युत् उनके सम्बन्ध में महत्वपूर्ण दस्तावीज़ें भी सग्रह करता रहा, जो मेरे लिये इस पुस्तक के प्रस्तुत करने मे बहुत सहायक और उपयोगी सिद्ध हुई। मैं यह कह चुका हूँ कि बाचा खान के जीवन के कई पहलू ऐसे हैं, जो इतना विस्तार लिये हुए हैं कि उनमें से हर एक पर अलग-अलग पुस्तकें लिखी जा सकती हैं और यह पुस्तक, जो आपके हाथ में है, किसी तरह भी उन समस्त बातो या पहलुओ को आवृत्त नही कर सकती। फिर भी यह मेरी कोशिश रही है कि जहाँ तक सम्भव हो, उनके जीवन और आन्दोलन के समस्त कोणो और पहलुओ पर थोडा-बहुत प्रकाश डाला जाय, ताकि पाठकों को बाचा खान के व्यक्तित्व और उनके ध्येय को समझने तथा परखने में आसानी हो।

वास्तविक अर्थो में बाचा खान के जीवन पर यह पहली पुस्तक है, इसलिये निश्चय ही इसे पर्याप्त महत्व प्राप्त है। मुझे इस महत्व का ज्ञान था और मैंने घटनाओ तथा परिस्थितियो की जाँच-पडताल में यथाशक्ति सतर्कता से काम लिया है, तथा घटनाओ को उनके वास्तविक और यथार्थ रूप में पेश करने का प्रयत्न किया है। इस पर भी यदि इसमें कोई ऐतिहासिक या घटनात्मक भूल रह गई हो, तो उसे मेरी जानकारी का दोष समझा जाय और मुझे सूचित करने की कृपा की जाय, ताकि दूसरे सस्करण में उसका सुधार किया जा सके।

इस पुस्तक को विषय की दृष्टि से केवल बाचा खान के जीवन-चरित्र तक ही सीमित रहना चाहिये था। परन्तु जैसा कि इस के अध्ययन से विदित होगा, इसमें भूतपूर्व सीमाप्रान्त का लगभग समस्त इतिहास आ गया है। सम्भव है कुछ महानुभाव इस पर आपत्ति करें और इसे असम्बन्धित वस्तु समझें, इसलिये

यहाँ इसके औचित्य का स्पष्टीकरण आवश्यक समझता हूँ ।

वास्तव में बाचा खान के जीवन को सीमाप्रान्त के राजनीतिक इतिहास से विलग करके किसी भाँति नही देख जा सकता । क्योकि यहाँ की सारी राजनीति आपके जीवन के गिर्द घूमती है। अस्तु बाचा खान के आन्दोलन, उनके उद्देश्य व ध्येय, उनके कार्यो, प्रयत्नो और उनके राजनीतिक जीवन को समझने के लिये ऐतिहासिक व राजनीतिक आवेष्टनी तथा घटनावली को सामने रखना अनिवार्य था।

बाचा खान का जीवन सघर्षो से भरा है। सच तो यह है कि उनके जीवन का दूसरा नाम सघर्ष ही हो सकता है। उनके महान् कार्यो, असीम जाति-सेवाओ और अमूल्य बलिदानो का जो पुरस्कार उन्हे दिया गया, उसे प्रत्येक देश-भक्त एक बहुत बडी जातीय दुर्घटना समझेगा ।

हमारे यहाँ नेताओ का अभाव नही, परन्तु विगत एक शताब्दी के राजनीतिक इतिहास पर दृष्टि डालिये, तो बाचा खान ऐसे सच्चे, शुद्ध हृदय, निष्कपट और निष्कलक नेता गिनती ही के दिखाई देंगे ।

बाचा खान के सम्बन्ध मे देश के कुछ क्षेत्र में कई भ्रम पाये जाते हैं । जो लोग ईमानदारी से उन्हे समझना चाहते हैं, उनके लिये शायद यह पुस्तक काफी उपादेय और लाभप्रद सिद्ध होगी । परन्तु जो लोग उन्हे समझते हुए भी नही समझना चाहते, उन्हे अपना सहमत बनाना किसी के बस का काम नही, न ही इस पुस्तक के लिखने का यह उद्देश्य है कि बाचा खान के विरोधियो को बलपूर्वक उनकी बडाई व गौरव स्वीकार करने पर विवश किया जाए ।

बाचा खान के सम्बन्ध में देश का जो क्षेत्र विरोधियो के ग़लत और निराधार प्रापेगण्डा का शिकार हो चुका है, उमके सामने सचाइयाँ और वस्तुस्थिति प्रस्तुत करना हम अवश्य अपना कर्तव्य समझते हैं और वास्तव मे इसी भावना से प्रेरित होकर मैं यह पुस्तक लिखने के लिये विवश हुआ ।

बाचा खान के व्यक्तित्व को जितना रहस्यमय बना दिया गया है, वास्तव में वे ऐसे रहस्यमय व्यक्ति नही हैं। सम्भव है कुछ लोगो को उन्हे समझने में कठिनाई अनुभव हो रही हो, परन्तु जहाँ तक उनकी नीति का सम्बन्ध है वह सदा इतनी स्पष्ट और सुलझी हुई रही है कि उसमे कोई पेच और उलझाव देखने में नही आया । वे अपनी त्रुटियो, अपनी भूलो और अपनी योजनाओ को सदा

स्पष्ट और सीधे रूप मे पेश करते रहे हैं। उन्होने कभी कोई बात छिपाने या उसे गुप्त रखने का प्रयत्न नही किया। वे जो कुछ चाहते हैं खुले आम कहते हैं, डके की चोट कहते हैं और ससार की कोई शक्ति उन्हे सत्य-भाषण से नही रोक सकती।

बाचा खान की आयु इस समय ६८ वर्ष के लगभग है। वे बहुत क्षीण और दुर्बल हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त वर्षो के अविरल सघर्षो और क़ैद व बन्ध के कष्टो तथा चिन्ताओ ने उनके स्वास्थ्य को इस हद तक बिगाड दिया है कि वे अस्थियो का ढाँचा दीख पडते हैं।

मुसलमान मुर्दा-परस्त कौम (मृतक-पूजक जाति) है। आज जो अल्प-दृष्टि वाले लोग बाचा खान ऐसे महान् नेता के महत्त्व और गौरव से अपरिचित हैं, मुझे आशा है, कल उन्हें उनके महत्व और गौरव का अवश्य अनुभव हो जायगा। परन्तु यदि, भगवान् न करे, उस समय वे हमारे मध्य न हुए, तो उन लोगो का यह अनुभव या ज्ञान केवल परम्परागत मुर्दा-परस्ती के सिवा और कुछ लाभ नही पहुँचाएगा।

सच पूछिये, तो यह हमारा दुर्भाग्य है कि बाचा ख़ान ऐसे नेता की हमारे यहाँ उतनी कद्र नही हुई, जितनी होनी चाहिये थी। बाचा खान ऐसे देश-भक्त रोज-रोज़ पैदा नही होते, प्रत्युत् कवि 'इकबाल' के कथनानुसार—

**हजारों साल नर्गिस अपनी बेनूरी पै रोती है।**<br>**बडी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा॥**

भावार्थ—नर्गिस एक फूल का नाम है, जो आँख की-सी आकृति रखता है और कवि इसे मानवी आँख से उपमा देते हैं, परन्तु उसमें ज्योति या दृष्टि-शक्ति नही होती। कवि कहता है कि इस ससार-रूपी चमन (उद्यान) में उन लोगो या जातियो की, जो ज्ञान की ज्योति से वचित हैं, आँखें दीखती हुई भी वास्तव में नर्गिस की भाँति ज्योति-हीन हैं। वे लोग आँखें रखते हुए भी अन्धो के समान हैं और वे हजारो वर्षो तक अपनी इस दृष्टि-शक्ति की शून्यता पर रोते रहते हैं, तब

कही बडी कठिनाई से इस ससार मे दीदावर, आंखो वाला—ज्ञान-चक्षुओ से सम्पन्न, पारदर्शी, दूरदर्शी और पथ-प्रदर्शक महापुरुष पैदा होता है, जो जाति, और देश के लोगो की अविद्या रूपी अन्धेपन को दूर करने का प्रयत्न करता तथा सच्चा मार्ग दिखाता है।—प्रभाकर

पिशावर
पहली मार्च, १९५७

सैय्यद फारिग बखारी